

लेखक की अन्य रचनाएँ—

ताजमहल मन्दिर भवन था

भारतीय इतिहास की भयंकर भूले ~

विश्व इतिहास के कुछ विलृप्त अध्याय ~

भारत के मुस्लिम सुलतान (प्रेम में)

# कौन कहता है अकबर महान् था ?

लेखक

पुरुषोत्तम नागेश ओक

अध्यक्ष

भारतीय इतिहास पुनर्लेखन संस्थान

एन-१२८, ग्रेटर कैलास-१, नयी दिल्ली-११००४८

अनुवादक

जगन्नाथराव भट्ट

भारती साहित्य सदन, नयी दिल्ली-१

सामान्य सहकरण : २६.००  
मूल्य : सजिल्ड सहकरण : ४०.००

---

प्रकाशक : भारती साहित्य सदन, नयी दिल्ली-११०००१  
वितरक : भारती साहित्य सदन सेल्स,  
३०/६०, कनॉट मर्केट, नयी दिल्ली-११०००१  
मरवरण : १६८३  
आवरण : दुमार कम्पनी  
मुद्रक : दुर्गा मुद्रणालय,  
मुम्बाय पार्क एस्टेट्स, शाहदरा, दिल्ली-११००

भी क्षतिपूर्ण अन्म धोसों, जानमाजियों तथा भ्रान्त धारणाओं ।  
रहस्योदयाटन हमने किया है ।

'अबवर' पर लिखी गई प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य एक और  
भण्डाफोड़ करना है । हमारा आशय इस प्रकार की धारणाओं के  
पर आधात करना है कि 'अबवर' एक 'उदार' और 'महान्' के  
इस पुस्तक में प्रस्तुत ऐतिहासिक प्रमाणों से यह मिछ होता है  
कि एव आदर्श धारणक तथा मन्त्रनिरित मनुष्य के रूप में मान  
वात तो दूर, उसे मामान्य न्याय-परामर्श तथा धर्मनिष्ठ नागरि  
में भी परिणित नहीं किया जा सकता । अबवर स्वयं अपने  
कानून था । ममुचित मूल्यावन बरें तो विश्व के इनह  
सर्वाधिक निरक्षण, शूर, धूते, शर्माच्य एव पात्रही शामल  
है । जड़-बुद्धि कृष्ण-भट्टक परम्परागत धूतंता पर पूर्ण है  
इस शब्द में प्रस्तुत अबवर के सम्बन्ध में हमारे मूल्यावन  
नहीं देंगे । 'सत्य' के शोध के प्रति इस प्रकार का दृष्टिकोण  
है ।

चार सौ वर्षों के प्रदीर्घ ऐतिहासिक अन्तराल के प  
शासनकाल की पठनाओं का विवेचन करते हुए ऐसा  
दिलताई नहीं देता जिसमें अबवर में प्रति हमारा बोई  
परिनिधित हो या किसी प्रकार भी कुर्मावना हमारे प  
प्रति हम इतन होने तथा अपनी हार्दिक प्रगल्भता स्वयं  
सचमुच, जैसाकि माना जाता है, अपनी महानता के  
युक्त होता । उसके शासनकाल ही शामान्य जनता  
जातनाएँ गही होनी तथा अपमान गहन विषय होगा ।  
भीति अबवर भी पूर्णत एक विदेशी दादशाह था, अन  
जनता थी, जो धर्म, गरुहति तथा राष्ट्रीयता के  
ममक बुछ भी नहीं थी तथा जिनका बोई में उसी  
नहीं था, यदि सचमुच वह अपने बच्चों के शामन, जै  
परिचय देने हुए सोग प्रतिपादन करते हैं, प्यार वर्ग  
मार्वभोग प्रशसन का विषय होता तथा इसरे नि  
विवरण देयान होता ।

किन्तु अकबर से सम्बन्धित इतिहास-पुस्तकों एवं प्रमाणों का समुचित रूप में अध्ययन एवं विश्लेषण करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि उसे दैवी गुण-सम्पन्न मानते हुए, इतिहास में उसे सर्वोच्च स्थान प्रदान करना तथा पूज्य कहना एवं उसपर मानवता की यज्ञा-कीमुदी विकीर्ण करना तकनीजान, इतिहास, शोध तथा सत्य का अपमान करना है।

अकबर के स्वेच्छाचारी जीवन तथा—उसकी धूतंवापूर्ण राजनीति से सम्बन्धित घटनाओं की आनंद व्याख्या प्रस्तुत करना, उन्हे उनके सगत सन्दर्भों में ग्रहण न कर सकने की असमर्थता तथा उसके समकालीन द्वारा उल्लिखित तथ्यों एवं वक्तव्यों पर ध्यान न देना न केवल गलत इतिहास को प्रस्तुत करना है, प्रत्युत सम्पूर्ण मानव-ज्ञान के प्रति, धृष्टतापूर्ण उपेक्षा प्रदर्शित करना है। अकबर के शामनकाल के सम्बन्ध में यही किया गया है। प्रायः मभी इतिहासकार अबुल फज्जल द्वारा लिखित 'अकबरनामा' में उल्लिखित मिथ्या प्रशस्तियुक्त तथा चाटुकारितापूर्ण तथ्यों पर ही आधित रहे तथा उन्हीं की आनंद व्याख्या करते रहे। हमारे इतिहासकारों ने मत्य की खोज करने का प्रयत्न ही नहीं किया। 'अकबरनामा' के नाटुकारिता-पूर्ण विवरणों को सरासर धोखा मानने वाले, पाइचात्य द्विदासों की भाँति हमारे इतिहासकारों ने किसी 'अन्त दृष्टि' एवं दूरदृश्यता का परिचय नहीं दिया। अबुल फज्जल के ही समकालीन तथा उसी के समान इतिवृत्त लेखक 'बदायूनी' एवं 'शाहजादे सलीम' ने उसे 'निर्लंज चाटुकार' कहा है। लोच-मैन ने अबुल फज्जल द्वारा लिखित, अकबरनामे के अनुवाद की प्रस्तावना में लिखा है—“पूरोपीय लेखकों द्वारा अबुल फज्जल पर अत्यधिक चाटुकारिता का दोषारोपण किया जाता रहा है तथा यह कहा जाता है कि उसने अपने आश्रयदाता के सम्बन्ध में तथ्यों को स्वेच्छा से धुमा-फिराकर प्रस्तुत किया है। ये तथ्य ऐसे हैं, जो उसके आश्रयदाता की कीर्ति की अन्त्येष्टि करने वाले हैं।”

हम यहाँ यह निर्देश दे देना आवश्यक समझते हैं कि इतिहास में अकबर के स्थान-निर्धारण सम्बन्धी हमारे निष्कर्ष पूर्णरूपेण पूर्ववर्ती इतिहासकारों द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों एवं उल्लिखित तथ्यों पर ही आधारित है। हमने इस योगदान में केवल हास्यास्पद झूठे तथ्यों में से सत्य को उद्धाटित करने वाले प्रमाणों को प्रस्तुत किया है। यद्य-तत्त्व विख्यात हुए प्रमाणों

( १० )

२१. भवन-निर्माण
२२. दीन-ए-इलाही
२३. नित्येज नवरत्न
२४. इतिवृत्त लेखक
२५. अववर का मववरा हिन्दू राजभवन है

## पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता

भारतवर्ष के तृतीय मुगल बादशाह अकबर, जिसका जीवनकाल सन् १५४२ ई० से लेकर सन् १६०५ ई० तक था, को प्रायः हमारे इतिहासकारों द्वारा एक महान् व्यक्ति, उदार एव सहृदय शासक के रूप में बणित किया जाता है; अकबर के व्यक्तित्व का यह मूल्यांकन पूर्णतः अनुचित है।

यदि यह केवल विचार व्यक्ति करने अथवा स्थिति निर्धारित करने का विषय होता तो विशेष महत्व की बात नहीं थी कि जो लोग अकबर को 'महान्' समझते हैं, वे उसे उस रूप में पसंद करने हुए उसकी प्रशस्ति का गान करें, किन्तु अकबर अपनी महानता एव उदार चरित्र होने सम्बन्धी तथ्य में सर्वथा विपरीत था !

इसके स्पष्टीकरण के लिए एक मामान्य-सा उदाहरण लिया जा सकता है। मान ले, किसी धर्मार्थ कार्य में कोई व्यक्ति दो रूपये का अनुदान देता है तो निश्चिततः यह 'विचार' का विषय होगा, चाहे अनुदाना सहृदय के रूप में नौरबान्दित हो या न हो ! यदि अनुदाना केवल इतना ही धनार्जन करता है, जिससे उसकी सामान्य जीविका मात्र चलती है तो दो रूपये का उसका तुच्छ अनुदान भी एक उदार और सहृदय उपहार के रूप में मत्कृत होगा। दूसरी ओर, यदि अनुदाना एक लक्षाधिपति व्यक्ति है तो उसके दो रूपये का अनुदान हास्यास्पद ढग से एक अत्यन्त छोटी राशि के रूप में स्वीकार किया जायेगा। किन्तु सभी यह कहंगे कि वह अनुदाना है, उदार है, सहृदय है या इसी प्रकार के दूसरे मत व्यक्त किये जायेंगे। किन्तु यदि वह व्यक्ति अपने सम्पूर्ण जीवन में सूखोरी, शोषण और अन्याय में तल्लीन रहता है तथा अपने धन की एक कीड़ी भी किसी सत्कार्य में व्यय नहीं करना चाहता —यीद दो रूपये का अनुदान दे भी दे तो किसी भी सीमा तक वह एक उदार और सहृदय दानदाता के रूप में सत्कृत नहीं हो सकता।

के हृदयों में नेसगिक प्रबल धूमों की दुर्भाविना को, जिसके कारण उन्होंने भीमण नरसहार किए, समझने तथा उमकी तह तक पढ़ौचने में पड़ती है। वे यह ममझने में प्राप्त असमर्थ रहे कि मुस्लिम भाकातामो ने भ्रमस्त प्राचीन भारतीय अभिलेखों को धूमंत, नष्ट करने की दुर्वेष्टायें की तथा भारतीय इतिहास में जानसाजीपूर्ण अभिलेखों को ममाविष्ट किया। सर एच० एम० इनिष्ट जैसी महत् विभूति भी, जिनमें सन्दिग्ध एवं झूठे तथ्यों की उन्हे घृष्ट एवं मनोरजक धोखों के रूप में खोज बाले तथा उल्लेख करने का 'अन्त-दर्शन' था, ऐतिहासिक घटयन्त्रों की गहराई तक नहीं पढ़ौच सके तथा उनका शास्त्र-प्रशास्त्रवत् विश्लेषण करने में असमर्थ रहे।

भारतवर्ष में प्राप्त 'इतिहासवार' शब्द का 'ध्यानोक्ति' के स्वर्ग में प्रयोग होता रहा है। इसकी प्रतिष्ठा झूठ और ही रही है, किन्तु भावं झूठ और ही। वे सभी लोग जो पाठशालाओं, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों अथवा पुरातत्त्व विभाग एवं ग्रन्थालयों विभाग में शासकीय अधिकारी गैर-शासकीय रूप में अध्यापन अथवा अन्य शार्यों द्वारा जीवकोपाज्ञन कर रहे हैं या पुस्तकादि लिखकर धनाज्ञन कर रहे हैं, 'इतिहासवार' की उपाधि' से विभूषित होने की किंचित् भी दोषपता नहीं रखते। इतिहासवार की सब्दी कमोटी बया है? जम्म से कोई इतिहासवार पैदा नहीं होता। इतिहास किसी को विरासत में प्राप्त नहीं होता, न ही वह निसी भी मास-मरजा में समाया होता है। विचार तो यह करता है कि ऐसा ध्यक्ति जो स्वयं वो इतिहासकार के रूप में ज्ञापित कर रहा है, वह इतिहास की विवरी अथवा लूप्त कहियों को जोड़ने या खोजने का प्रयास कर रहा है अथवा इतिहास की अमरगतियों पर विन्दन प्रस्तुत कर रहा है? या क्या वह इतिहास के दिवन स्थानों की पूति हेतु नये प्रमाणों की खोज में प्रवर्तनशील है? या क्या ऐसा करते हुए वह इतिहास प्रतिपादन के ढोके में जिसी व्यवहार तथा भौतिक दृष्टिकोण, जो किसी विशिष्ट मन अथवा मिदात से अन्तर्बद्ध नहीं है, का प्रतिपादन कर रहा है? मदि वह ऐसा कोई बाये नहीं कर रहा है तो उसे इतिहासकार के स्वर में बताई स्वीकार नहीं दिया जा सकता। ऐसे नीम जो स्वार्थ-सिद्धि के सिए, धनाज्ञन अथवा जीवितोपाज्ञन के सिए अध्यापन, लेखन अथवा शासकीय विभागों में बायेरत रहते हैं, जिन देश अथवा वही के सोगों के इतिहास के सम्बन्ध में खोजदीन ही जाती है,

उनके प्रति अपना अनावश्यक प्रेम दिखाते हैं, जिसके कारण सही इतिहास पर प्रकाश नहीं पड़ता।

पूर्वोलिलित तथ्यों के प्रकाश में स्वाभाविक हृषि से यह स्पष्ट हो जाता है कि तुकों, अरबों, अफगानों, अविसीनियों, मणोलों, उज्जेकों, कज्जकों तथा ईरानियों, जिन्होंने भारतवर्ष में सैकड़ों बार प्रभुस्ता स्थापित की, के हृदयों में भारतीय इतिहास को दूषित करते हुए—‘झूठे तथ्यों का भारोपण करते हुए किसी प्रकार की नीतिकर्ता’ के प्रति कोई वाचह नहीं पा। उन्होंने अपनी गहरीय अनीतिकर्ता का परिचय देते हुए यहाँ के शुद्ध इतिहास को नष्ट कर उसके स्थान पर मलत इतिहास को प्रस्तुत करने की दुश्मेष्टा की। भारतवर्ष, यहाँ के निवासी तथा यहाँ की सस्कृति आदि के प्रति उनके मन में कोई प्रेम नहीं था। वे यहाँ के वैभव और समृद्धि को समूल नष्ट करने एवं शोषित करने आये तथा यहाँ बस गये। वे बबंर दस्युओं की भौति यहाँ भीषण नर-महार करते रहे, घून की नदियाँ बहाते रहे। अतः उनके सरकारी इतिवृत्तों में जो भी उल्लेख प्राप्त होते हैं उनका सावधानी से अध्ययन करने तथा विश्लेषण करने की आवश्यकता है। व्यावहारिक क्षेत्र में इसके सर्वथा विपरीत देखा जा रहा है। मुस्लिम सरकारी इतिवृत्तों, जिनमें उल्लेखित यथार्थ तथ्यों के अतिक्रमण हृषि को देखते हुए एक विचारण पाश्चात्य विद्वान् सर एच० एम० इलियट यह कहने के लिए बाध्य हो गये कि वे धृष्ट एवं मनोरजक धोखा है, के सम्बन्ध में यह विश्वास किया जाने लगा है कि भारतीय इतिहास के तथ्यों को एकत्रित करने विषयक वे ही मूल एवं शुद्ध स्रोत हैं।

भारतीय इतिहास के छाव निराशा में यह कह सकते हैं कि यदि पूर्वदर्शी हिन्दू रिकार्डों को मुस्लिम आकाशाओं द्वारा जलाकर नष्ट कर दिया गया तथा जो इतिवृत्त उन आकाशाओं द्वारा प्रस्तुत किये गये, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता तो ऐसे कौन-से सूत्र शोध रहते हैं जिनके द्वारा भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण की सभावनाएँ हो राकी हैं? किन्तु सौमाय्यवशात् हम निराशा में नहीं हूँचे हैं। हममें किसी प्रकार की कुण्ठा नहीं है। हमारा विश्वास है कि उन झूठे एवं पृथक्षत्वपूर्ण मुस्लिम इतिवृत्तों

भे वे मधी प्रमाण मनिविष्ट है, जिन्हे सत्य के आधार और आइह पर इनिहाम की पुनरंचना वे निए हम आवश्यक समझते हैं।

इस उल्लेख के स्पष्टीकरण से ऐतिहासिक शोध के निए शहदत के कानून के महत्त्व पर प्रकाश पड़ता है। जिस प्रवार न्यायात्मकों में प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता है, उन्हें थेणीबद्द किया जाता है तथा उनमें एक मूद्रता स्थापित ही जाती है, उसी प्रवार की तत्परता ऐतिहासिक अध्ययन एवं मिदि के निए अनिवार्य है।

और भी अधिक स्पष्टता के निए हम एक उदाहरण से सकते हैं। माम ने, विश्वाल जन पथ पर एक लावारिंग लाश पढ़ी है। शताविंशीयों के बुद्धि-चानुर्युं के प्रतिपत्ति रूप में सिद्ध गुप्तचर्च्यं प्रतिपादित बरने वा अवसर आता है। लाश के सम्बन्ध में गुप्तचरों द्वारा छानबीन तथा जौच-पटताल आरम्भ होनी है। लाश के माय एक पत्र मिलता है, जिसमें लिखा है कि मृतक ने चैच्छा से आत्मघात किया है, जिसके निए इसी को दोष न दिया जाये, न ही इसी प्रकार की जौच-पटताल ही जाये। इन्हुंने इसके माय यह भी देखा जाता है कि लाश की पीठ पर छुरे के जहम का निशान है। तब छानबीन वर रहे गुप्तचरों के भस्तिष्व में यह तर्क-ज्ञान उत्पन्न होगा कि चूंकि वोई भी व्यक्ति अपनी पीठ पर साधातिक प्रहर नहीं बर सकता, अतः उक्त पत्र बाद में जोटी गई जालसाजी है तथा मामला स्पष्टता हृत्या का है। वैधानिक जौच-पटताल के कानून के अन्तर्गत इस तथ्य का अत्यधिक महत्त्व है तथा ऐनिहामिक शोध के निए भी यह महत्त्वपूर्ण है। उक्त कानून का आधार यह है कि जब कभी सामयिक प्रमाण इसी तथाविधित लेग-प्राव्र वे शाय मेल नहीं खाता अथवा उममें अमम्बदता होती है तो वह नेय-प्राव्र स्पष्टत जानमाजी मिदि होता है। यही लेग-प्राव्र में हमारा नात्यर्थ बैबल कानूनी नहीं है। अपिनु उमके अन्तर्गत चमंगद्द, शिक्षालंग, ताप्तीक्ष आदि भी शामिल हैं। शहदत का वह महत्त्वपूर्ण विधान इनिहाम के हातों को मत्तग करता है कि वे मोस ममज्जवर इसी लेग, टरिन अभिप्रव अथवा किसी उन्नेत में प्रति अपना विश्वास म्यिर बरें। इसमें उन्हें इस बात का भी गुम्बाय प्राप्त होता है कि ऐनिहामिक शोध के दोनों में अन्य-विधानों का महत्त्व नहीं है। वे मामयिक प्रमाण को ही स्पीतार बरें तथा जिन लेस अथवा उन्नेत के सम्बन्ध में विरोधाभास हो अथवा तरधों में

पारस्परिक मेल न हो तो उसे रद्द कर दें। यदि इस सहजपूर्ण विधान को ध्यान में रखा जाये तो भारतवर्ष में कई मुस्लिम लेखाभिलेखों के सम्बन्ध में जांच-मड़ताल करने से वे सहज ही उद्घयपूर्वक इतिहास में समाविष्ट की गई जानकारियाँ सिद्ध हो जायेगे।

कुछ दृष्टान्तों पर यद्यपि न तो लेखक के हारा कोई दावा व्यक्त किया जाता है, वे दृष्टान्तकार की ओर से किसी निर्माण की अधिहृति आपित की जाती है, फिर भी भारतीय इतिहासकार भयकर भ्रूँसें कर बैठते हैं तथा किसी भी सहमारक के निर्माण का सम्बन्ध किसी वादशाह आदि से स्थापित कर देने हैं। उदाहरण के सिए फतेहपुर सीकरी में 'बुलंद दरवाजे' पर जो प्रत्येक दक्षिण है, वह दक्षिण में अकबर की विजय का आभास-चोलक है, किन्तु इसके सम्बन्ध में वप्रामाणिक रूप से इतिहासकारों द्वारा यह व्याख्या की जाती है कि अकबर ने उक्त भव्य पायाण-द्वार का निर्माण दक्षिण में अपनी विजय के उपलक्ष्य में करवाया। इस प्रकार को कल्पना किसी प्रकार के निर्णायिक निष्ठर्थ तक पहुँचने से सहायता नहीं देती, वर्याकि यह कल्पना कि बुलंद दरवाजे में जो दक्षिण है, वह दक्षिण में अकबर की विजय की माद में उसके हारा निर्माण करवाया गया, पूर्णतः गलता है। यहाँ इतिहासकारों में यह अपेक्षा है कि वे लक्ष-ज्ञान का आधार से तथा तथ्य का विश्लेषण करें। मनोवैज्ञानिक अध्ययन करें तो पता चलेगा कि यह एक सामर्थ्य मानवी क्षमतोरी है कि जब वे किसी ऐतिहासिक स्थल को देखते जाते हैं तो प्रत्यरोपर, चूक्षी पर अधिकार अन्य स्थानों पर या तो अपना नाम छोड़ देते हैं या किसी प्रसाग को टकित कर देते हैं। बुलंद दरवाजे पर अकबर हारा जो टकित करवाया गया, वह इसी सामर्थ्य मानवी क्षमतोरी की शाही दग से एक अपिष्ठ्यक्षित मात्र है। अकबर ने पूर्ववर्ती हिन्दू द्वार पर बेदल अपनी विजय के सम्बन्ध में एक 'अभिपृष्ठ' टकित करवाकर उसे हारा से साबद्ध करवा दिया। विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक 'अकबर एक महान् मुगळ' में यह उल्लेख किया है कि अकबर अपने साथ राजगीरों तथा टकणकारों को भी रखता था। ये राजगीर तथा टकणकार अकबर के आदेशानुसार, जहाँ उनकी इच्छा होती थी, तथ्यों का उक्त-कार्य सम्पादित करते थे।

पूर्व प्रस्तुत उदाहरण में किंचित् संशोधन करते हुए हम अपने पाठ्यां को यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि कैसे कोई लेख यथार्थ होने पर भी घटना के यथातथ्य प्रतिपादन हेतु सभीचीन नहीं होता। इसकी सिद्धि वे लिए हम एक दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। मान ले, जिस व्यक्ति की लाश सड़क पर लावारिस पाई जाती है, वह अपने घर से एक यथार्थ पत्र लिखकर कि वह आत्मघात करने जा रहा है तथा इस सम्बन्ध में किसी को दोष न दिया जाये, न ही इसकी जाँच-यड़ताल वी जाये, एव उस पत्र पर अपने हस्ताक्षर करके घर से निकलता है तथा बाद में उसकी लाश पाई जाती है। इस प्रकार के मामले में भी यदि मृतक की पीठ में छुरे के झण्ड का निशान पाया जाता है तो यह अनुमान किया जायेगा कि यद्यपि वह व्यक्ति घर से इस उद्देश्य को लेकर निकला था कि आत्मघात करेगा, किन्तु वह मार्ग में ही रोक लिया गया तथा उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में एक विलक्षण बात यह है कि आत्मघात का पाया गया पत्र तो सही है, किन्तु किर भी मृतक की मृत्यु 'आत्मघात' से नहीं हुई, अपितु उसकी 'हत्या' वी गयी। यह उदाहरण हमें एक और 'शहादत के कानून' में अवगत कराता है। वह यह है कि कोई भी लेख-प्रपत्र सही हो सकता है, किन्तु 'पटना' से उनका सम्बन्ध जालसाजी हो सकता है। इस मामले में भी सामर्थिक प्रमाण विचारणीय एव आलोच्य रहेगा।

भारतीय दण्ड विधान सहिता में आत्म-स्वीकृति के सम्बन्ध में बुछ अत्यन्त आवश्यक निर्देश प्राप्त होते हैं। आत्म-स्वीकृति प्रमाणों के रूप में स्वीकार वी जाती है। उक्त सहिता में विदेश रूप से एक न्यायाधीश के लिए यह निर्देश होता है कि वह अभियोगी को इस बात की चेतावनी पहले ही दे दे कि वह इसी प्रकार वी आत्म-स्वीकृति बरने के लिए बाध्य नहीं है। किर भी यदि वह इसी प्रकार वा लिखित बबतव्य देता है तो उसका प्रयोग उन्हें विरोध में ही किया जायेगा। उसमें अभियोगी का पाठ कभी भी समर्थित नहीं होगा। मुस्तिम इतिवृत्त-ग्रन्थ 'आत्म-स्वीकृति' के उक्त तथ्य को ही चरितार्थ बरने वाले हैं। उनका मूल्याकन हमारी तथ्य-निरपेक्ष दामता पर निर्भर करता है। इतिहासकार उनका चाहे जैसा उपयोग करने के लिए स्वतन्त्र हैं। उन मुस्तिम सरकारी इतिवृत्तों वा अध्ययन बरते हुए ऐसा आमास होंगा, जैसे उनमें उल्लेखित तथ्यों पर लोई चढ़े तो पूरी तरह

से विष्वास करे और चाहे तो उन्हें पूर्ण-रूपेण रद्द कर दे। किन्तु शायः ऐसा होता नहीं है। प्रमाणों का अध्ययन एवं विश्लेषण कोई 'भरीशाही' कार्य नहीं है— न ही वह किसी की इच्छा पर निर्भर करता है। उनके प्रत्येक पहलू का सूक्ष्म परीक्षण किया जाना चाहिए।

अपर हमने जिन दो उदाहरणों का निर्देश दिया है, उनमें तथाकथित आत्मधात से सम्बन्धित प्रपत्र पूर्णरूपेण व्यर्थ है, ज्योकि उनसे अपराधी का दोष-निष्पत्त नहीं होता। वह मुफ्त ही रहता है। फिर भी उन प्रपत्रों का वत्तव्यिक महत्त्व है। जाँच-पड़ताल करते हुए उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। अपराध में साथ देने वाले मनुष्यों की अभियोग-हिति की दृष्टि से उन प्रपत्रों का महत्त्व है। साथ ही, उनसे हरया के सम्बन्ध में सामयिक स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है।

अत यह वहा जा सकता है कि लिखित प्रपत्र वादि का महत्त्व अपराधी का अपराध सिद्ध करने की दृष्टि से ही महत्त्वपूर्ण है तथा उनसे उसकी रक्षा कभी नहीं हो सकती। भारतीय इतिहास में इसके सर्वथा विपरीत हुआ है। लिखित प्रपत्रों के तथ्यों को यहाँ 'अन्तिम सत्य' के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। भामयिक प्रमाणों से न तो उन्हें सम्बन्धित किया गया, न ही उनके विश्लेषण का कष्ट उठाया गया। प्रमाणों के सम्बन्धित मूल्याकन के दोनों में यह वह प्रारम्भिक दोष है, जिसके कारण भारतीय इतिहास के मूल्याकन में हमें अनेक भ्यायविरुद्ध, असंगत, विवेकहीन तथा अव्यवस्थित निष्कार्य दिखलाई पड़ते हैं।

प्रमाणों की जाँच सम्बन्धी कानून में सावधानी की आवश्यकता का सामान्य नियम यह है कि किसी भी आत्मस्वीकृति (स्वेच्छा से प्रस्तुत किया गया कोई व्यवतारण) से कोई भी अभिधुक्त अपने वचाव के लिए कुछ भी कहने वे तिए स्वतन्त्र हैं, किन्तु उसकी वातीं का विश्वास किया जाये, यह आवश्यक नहीं है। किन्तु अपने व्यवतारण के दोरान यदि वह इस वात के सकेत देता है, जिनसे उसके फैसले की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है। तो निश्चितत इससे उसकी दोष-सिद्धि ही होगी तथा उन मकेसी को कानूनी मान्यता दी जायेगी एवं उन्हें ठोक प्रमाणों के रूप में माना जायेगा।

अपने तथ्य-विश्लेषण के सन्दर्भ में और भी अधिक स्पष्टता के लिए हम कुछ नये सूक्ष्मों का उल्लेख करेंगे। हम मर्ही संदिग्ध अक्षित अपवाह-

अभियोगी के पक्ष में कुछ ताकिक विवेचना करना चाहेगे । कभी-कभी स्पष्ट आत्मस्वीकृति को भी अपराधी की दोष-सिद्धि के सम्बन्ध में प्रमाण के रूप में गान्धी नहीं दी जाती । इसके लिए हम एक कल्पित मामले भा उदाहरण ले सकते हैं । आन लें, हिन्दू परिवार ने दम्पत्ति, जिनका विवाह हुए वरकी भमय व्यतीत हो गया है, अपने निवास-स्थान की बेटक मे बैठे हैं । सहसा वहाँ कोई व्यक्ति भेट करने आता है । पति और भेटकर्ता के बीच वार्ता हिसात्मक भोड़ से लेती है । ओधाभिभूत हो पति भेटकर्ता की हत्या कर देता है । एक वर्तम्यपरायण हिन्दू पत्नी, जो सदेव मह चाहेगी कि पति मे पूर्व उसकी जीवन-सीला समाप्त हो, की भाँति हत्यारे की पत्नी अपने पति की सहायता करते हुए यह सुझाव देगी कि वह भाग जाये । पुलिम के अग्ने पर वह कहेगी कि उसने स्वयं भेटकर्ता की हत्या की है । इस प्रकार के मामलों मे यद्यपि पत्नी प्रत्यक्षतः हत्यारिन है, किन्तु फिर भी जिम अदालत मे उस पर मुकदमा चल रहा होगा, वह उसकी हत्या करने की आत्मस्वीकृति के बाबजूद भी दोष-सिद्धि के लिए उसपर विश्वास नहीं बरेगी । इस प्रकार के मामलों मे न्यायाधीश के मस्तिष्क मे यह बात भी उत्पन्न होगी कि एक हिन्दू पत्नी अपने पति को रक्षा करने के उद्देश्य से हत्यारे वी भूमिका स्वयं नियाह रही है । वह स्वयं को बलिदान कर देगी, किन्तु पति पर आच नहीं आने देगी । इस तथ्य पर भी विचार किया जायेगा कि एक हिन्दू स्त्री कभी हत्या जैसा पूर्णित वृत्त नहीं कर सकती । किसी भी वाहूरी व्यक्ति के साथ वह हिसात्मक झगड़ा नहीं कर सकती । वह किसी भी हालत मे साधातिक अस्त्र का प्रयोग नहीं बर सकती । ऐसो नारी भला कभी हत्या कैसे कर सकती है—आदि । अतः अदालत अपराध ही इस प्रकार की स्पष्ट आत्मस्वीकृति के प्रमाण को प्रयोग मे लाने मे पूरी तरह सावधानी बरतेगी ।

\* अपर्युक्त उदाहरण एक इतिहासकार को आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त होगे कि एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते उसे प्रस्तुत प्रमाण को पूरी तरह या उसके किसी हिस्से को स्वीकार करने अथवा रद करने के सम्बन्ध मे अपने विवेक एव निर्णयो के प्रति पूर्ण स्वतन्त्रता है । यह किसी भद्रिध व्यक्ति, अभियुक्त अथवा गवाह के अधिकार मे नहीं है कि न्यायाधीश, इतिहासकार अथवा मूल्याकान्द करने वाले व्यक्ति पर इसी प्रमाण

को पूर्णरूपेण स्वीकार करने अथवा रद्द करने पर जोर दे। कानून की अदालत में सभी प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता है तथा सभी का विश्लेषण होता है। प्रमाणों का भरपाशाही वचिन्त्य उपभोग कभी नहीं होता। कभी-कभी ऐसा होता है कि प्रमाणों के कुछ संकेत-मूर्तयों को अत्यन्त महत्वपूर्ण समझकर स्वीकार कर लिया जाता है तथा शोष को निःसार समझकर छोड़ दिया जाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सम्पूर्ण वक्तव्य का प्रयोग अत्यन्त हृदयहीनता का परिचय देते हुए प्रत्येक पद पर अभियुक्त को विचलित करने तथा उसकी उवितयों का खड़न करने के लिए किया जाता है—उसके पक्ष में समर्थन हेतु कदापि नहीं।

इस सन्दर्भ के उल्लेख के पीछे हमारा मन्तव्य केवल इतना ही है कि इस पुस्तक में कभी तो हमने प्रमाणों को स्वीकार किया है और कभी उन्हे रद्द कर दिया है। कभी पाठक हमें अकबर के कितने ही कुकूतयों को प्रमाणित करने के लिए अबुल फज्जल तथा बदायूँनी जैसे पक्षपाती सरकारी इतिहास-लेखकों के उद्धरण देते हुए पाएंगे तो दूसरे स्थानों पर यह भी देखेंगे कि हमने उन लेखकों द्वारा उल्लेखित तथ्यों का मूल्य स्वीकार नहीं किया तथा उन्हे रद्द कर दिया है। ऐसा हमने ऊपर उल्लेखित व्याख्या के प्रकाश में किया है। वस्तुत विभिन्न मतों, सिद्धान्तों एवं प्रमाणों का परीक्षण, चयन तथा प्रस्तुतीकरण एवं अस्तत उनका मूल्यांकन सम्यक् ढंग से न करना केवल शैक्षणिक ज्ञानता का परिचायक है, अपितु शिक्षा-जगत् के अध्ययन-अध्यापन के क्षेत्रों में सत्य के शोध के अन्तर्गत गम्भीर अन्याय भी करना है।

ऐतिहासिक शोध के क्षेत्र में 'शहादत के कानून' के महत्व की व्याख्या कर चुकने के बाद अब हम अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी विचार करना चाहेंगे। ऐतिहासिक शोध के लिए दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता तर्क-ज्ञान का प्रयोग है। ऐसे लोगों से, जो इस बात पर जोर देते हैं कि अकबर एक महान् द्वासक तथा उदार व्यक्ति था, हम कठिपथ आवश्यक प्रश्न करना चाहेंगे। प्रथम प्रश्न तो यह है कि यदि वर्तमान २०वीं शताब्दी के प्रजातात्त्विक युग से मध्ययुग से लेकर आजतक वर्वरता के इतिहास का विश्लेषण किया जाये तथा यदि औरगजेब, जिसकी मृत्यु सन् १७०७ ई० में हुई, को इस रूप में स्वीकार किया जाता है कि वह क्लूर, वर्वर एवं हृदयहीन था,

तब यह वैसे सम्भव हो सकता है कि उसका प्रपितामह अब्दर, जिसने औरगजेव में १०० वर्ष पूर्व की वर्दरता के इतिहास काल का प्रतिनिधित्व किया, समस्त गुणों की खान हो तथा आदर्श वा प्रतीक हो ।<sup>१</sup> इसी सन्दर्भ में दूसरी बात यह है कि यदि अब्दर को सर्वगुण-सम्पन्न मान ले तो ऐसे क्या बारण थे, जिसे उसने पुनः पौत्र, प्रपौत्र सभी उन गुणों से विमुख हो पाश्विक रूप में बर्वर हो गये ?

द्वितीय प्रश्न हम यह उपस्थित करना चाहते हैं कि एक विदेश (अरव-फारस) के रीति-रिवाज के अन्तर्गत पैदा हुए तथा पालित-प्रीयित विरले ही शाहजादे किसी दूसरी सस्कृति और सम्पत्ता की ओर उन्मुख होते देखे गये हैं ? ऐसी स्थिति में अब्दर, जिसका धर्म पृथक् था, सस्कृति विफरीत थी तथा जो पूर्णतः एक विदेशी बादशाह था, भारतीय जनता को अपरिमेय रूप भे ष्ट्रेम करने वैसे उन्मुख हो गया ? भारतीय मध्यता और सस्कृति के प्रति उसके अन्तर्श्वेतन में उदार भाव वैसे था गये ? और यदि यह मान भी ले कि उसके मन में इस प्रकार वे भाव तथा श्रेम का जन्म एवं उत्थन हुआ तो वैसे उसने स्वयं के द्वारा शासित बहुमत प्राप्त भारतीय धर्म, भाषा तथा मस्कृति के साथ अपने-आपको सम्बद्ध किया या उनसे उसका मेल हुआ ? यह तो सामान्य अनुभव-सिद्ध तथ्य है कि शासक जिस धर्म और सस्कृति का अनुयायी होता है, उसके प्रसार का प्रयत्न करता है, न कि उस देश के वासियों वे धर्म और सस्कृति का अनुकरण ।

<sup>१</sup> इस मन्दर्भ में धार्मिक मनोविज्ञान के 'वशानुश्रम' सिद्धान्त का भी पुनरावलोकन किया जा सकता है। मनोविज्ञान यह मानता है कि माता-पिता वे गुण-अवगुण उनके पुनःपुत्रियों को वशानुश्रम से प्राप्त होते हैं। यह त्रैम पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता है। यदि किसी पीढ़ी में इसका अपवाद परिलक्षित हो तो इसके लिए उस वश वे पुराने इतिहास का अवलोकन किया जाता है। अब्दर वी वर्वरता उसे वशानुश्रम से ही प्राप्त हुई थी। उसमें सद्गुणों का जो आरोप तगाया जाता है, वे मातृ शाश्विक थाइम्बर हैं ! अब्दर के वशानुश्रम वा यदि पुनरावलोकन किया जाये तो पता चलेगा कि उसके पिता-प्रपिता सभी कूर एवं वर्वर थे ।

हमारा तीसरा प्रश्न यह है कि एसा व्यक्ति जो कि विपयी, भोगी तथा मरण था, अशिक्षित था, जिसने चिना किसी प्रत्यक्ष कारण के केवल अपनी साम्राज्य-लिप्ता के लिए एक के बाद एक भारतीय नगर-प्रान्तों को हड्डप लिया तथा भारतीय राजाओं को शक्ति द्वारा विजित कर अथवा छल-प्रपञ्चों का आश्रय लेकर अपने वधीन होने को बाध्य किया, वया वह ‘उदार उद्देश्यों’ से परिपूरित हो सकता था ? चौथा प्रश्न हम यह करना चाहते हैं कि यदि हमलावर डाकुओं का कोई जल्दा यह दावा करे कि वह जिस गांव पर हमला करता है, वहाँ के बड़े-बूढ़ों को तो कतल करता है, किन्तु वहाँ की स्त्रियों एवं बच्चों की वात्सल्यभाव पूरित होकर देखभाल उन स्त्रियों-बच्चों के घरों के बड़े-बूढ़ों, सरकारों एवं परिपालकों से भी अधिक अच्छे दग से करता है तो वया कोई भी विवेकशील ऐसे दावों पर ध्यान देगा एवं उन्हें स्वीकृत कर पायेगा ? इसी प्रकार हमारे इतिहासकार यह दावा करते हैं कि अकबर ने एक के बाद एक भारतीय शासकों का या तो वद्ध करवाया या उन्हें विजित कर पददलित किया, तो ऐसा उसने इसलिए किया कि भारतीय जनता के पूर्ववर्ती हिन्दू सरकार एवं परिपालक शासकों की अपेक्षा उन्हें अधिक प्यार करे या उनके विकास पर ध्यान दे माके ? ऐसे दावों को कोई भी व्यक्ति वया अनगत प्रलाप भमझकर रट्ट नहीं कर देगा ?

भारतीय इतिहास में अकबर की भूमिका का मूल्यांकन करने का एक सीधा सूक्त हमे महाराणा प्रताप के साथ उसके सम्बन्धों की विवेचना करने से प्राप्त होता है । अकबर तथा राणा प्रताप एक-दूसरे के कट्टर दुश्मन थे । यदि राणा प्रताप को यह स्वीकार किया जाये कि वे एक महान् देशभक्त, शूरवीर तथा मातृभूमि के प्रति कर्तव्यनिष्ठ थे तथा जिन्होंने विदेशी प्रभुसत्ता से भारत की मुक्ति के लिए जीवनपर्यन्त सघर्ष किया, युद्ध किये तो अकबर के सम्बन्ध में क्या ऐसी मान्यता नहीं होनी चाहिए कि वह विदेशी आकान्ता था, दुरात्मा था, जो राणा प्रताप की अन्य भारतीय शासकों की भाँति मात्र अपनी साम्राज्य लिप्ता के लिए तथा भारत को गुलाम बनाने के लिए हृत्पा करना चाहता था ?

इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास में च्याहे जाती दावों का भड़ा-फोड़ करने तथा धनीभूत झूठे तथ्यों के आच्छादन-छिन्न करने के लिए केवल सकं का आश्रय ही पर्याप्त है, तकं-ज्ञान का आश्रय यहूँ करते हुए तथा

जहादत के कानून को मान्यता देते हुए जब हम अकबर के शासनकाल के विवरणों का अध्ययन करते हैं तो अकबर के समर्थन में कोई परिपुष्ट प्रमाण प्राप्त नहीं होता। हमारी शकायें शंकायें ही रह जाती हैं तथा अकबर धर्मान्धि औरंगजेब से भी बदतर सिद्ध होता है। अत इतिहास के सम्यक् अध्ययन एवं तथ्यों की धारणा के लिए लेख-प्रपत्र ही पर्याप्त नहीं हैं, अपितु तक़-शास्त्र एवं साक्षीं का विधान हमें समर्थ करते हैं कि भारत एवं झूठे सेष-प्रपत्रों के "तथ्य-मूल में सत्य की सूई पिरो" सकें।

झूठे दावों से पूर्ण रिकाढ़ों से ही किस प्रकार 'यथार्थ इतिहास' का पुनर्निर्माण समव हो सकता है, इसका अवलोकन करने के बाद हम इस बात के सदेत देना आवश्यक समझते हैं कि भारतीय इतिहास में अकबर के वृत्त्यों के मूल्याकन का कितना महत्त्व है !

'प्रथमतः', इस प्रकार का मूल्याकन सत्य के हितार्थ तथा इतिहास के रिकाढ़ों को यथार्थ रूप में सीधे प्रस्तुत करने की दृष्टि से अनिवार्य है।

द्वितीयतः, तक़-शास्त्र की आवश्यकता हमें विवश करती है कि अकबर के शासन-काल के सदर्भ में प्राप्त प्रमाणों से विवेकहीन तथा अतार्किक निष्कर्षों का रहस्योदयाटन हो।

यदि इम प्रकार वे गलत एवं भ्रात निष्कर्षों को इतिहास में स्थान दिया गया या उनके प्रति किसी प्रकार का आग्रह व्यवत किया गया तो उससे न बेवल मानव-जाति की विदेवशीलता दूषित होगी, अपितु शिक्षा तथा ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में उसी प्रकार के अतार्किक अनुभानों को हमें स्वीकार करने वो उन्मुख होना पड़ेगा।

तृतीयतः, यदि अकबर को एक उदार एवं महान् शासक के रूप में स्वीकार किया जाता है तो राणा प्रताप, रानी दुर्गावती तथा देश के लिए त्याग करने वाले अन्य अनेक हिन्दू राजाओं, राजकुमारों तथा राजकुमारियों को खलों के रूप में श्रेणीबद्ध करना होगा तथा यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने "उदारतया महान्" अकबर का व्यर्थ ही विरोध किया तथा व्यर्थ ही अपनी रवैच्छाचारिता दिखलाई।

चतुर्थतः, अकबरकी महानता को स्वीकार करने का तात्पर्य उस दुर्क्षयन वो पुष्ट करना है कि एक विदेशी संघ्राद् भारतीय जनता को उनके स्वदेशी राजाओं की अपेक्षा अधिक प्यार कर सकता था। यह कैसे समव हो सकता

है ? एक विदेशी बादशाह पहले तो यहाँ के सस्कारों को ग्रहण नहीं कर पायेगा । दूसरे यहाँ की जनता को यहाँ के शासकों की अपेक्षा अधिक प्यार दे ही नहीं पायेगा ।

पचमत , अत्यत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि एक अशिक्षित बादशाह, जिसमें सभी प्रकार की बुराइयाँ तथा कमजोरियाँ थीं, कैसे प्रियदर्शी एवं अपरिमित गुणों की स्थान हो सकता था ?

पाठ्यत , यह एक मूर्खतापूर्ण तर्क है कि यद्यपि अकबर के सभी पूर्वज तथा उसके परवर्ती बादशाह कूर एवं बद्र थे, किन्तु अबेले वह 'साधु-चरित' था, करिष्टता था तथा आदर्श मानव था ।

यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि अकबर इतना अधिक उदार था तो उसके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र सभी क्यों इतने नीच, लम्पट एवं दुराचारी हुए ? अकबर को महान् मानते हैं तो उसके सभी दरबारी, सेनापति तथा सम्बन्धी कैसे उसके गुणों से बच्चित हो जूर, निष्ठुर एवं पिशाच हो गये ?

ऐतिहासिक असगतियों तथा अध्यवस्थित तथ्यों को, जो अकबर की महानता सद्भित भ्रात मर्दों से उत्पन्न होते हैं, यदि पीढ़ी-दर-पीढ़ी छात्रों के गले बलात् उतारा जायेगा—उन्हे कहा जायेगा कि वे भानें, एक धूतं और लम्पट बादशाह उदार था, सहृदय था, तो छात्रों की विवेकशीलता स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त होगी एवं उनमें स्वतन्त्र विचारणा का सर्वं अभाव रहेगा । वे पूर्वं निर्धारित भ्रात निष्कर्षों वो बिना किसी प्रकार का प्रश्न उठायें, नि सदिग्द भ्रात से स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जायेंगे । भारतीय इतिहास के क्षेत्र में प्रायः ऐसा ही होता आया है । हमारे सामने ऐसे ही निष्कर्षं रखे गये, जो न्याय-विश्वद तथा अनियमित थे । हमें कहा गया कि हम उन्हे स्वीकार करें । अपनी स्वच्छन्द मनीषा का प्रयोग न करते हुए हमने उन्हे मान्यता दे डाती । धर्म-निरपेक्षता की झूठी विचारधारा तथा हिन्दू-मुस्लिम एकता की भ्रात धारणा ने स्थायी रूप से छात्रों, विद्वानों, शिक्षकों, अध्यापकों, लेखकों एवं प्रवक्ताओं की बुद्धि को कुठित कर दिया तथा उन्हे यथार्थ इतिहास के सदर्भ में धर्म के तथ्यों की गहराई से छानबीन करने, उनका विश्लेषण एवं मूल्याकन करने के अयोग्य बना दिया—उनके मार्ग में गत्यवरोध उत्पन्न कर दिया । इस प्रकार का भय जो स्वतन्त्र मनीषा-मयन, विचारणा तथा प्रश्नात्मक तर्क-शक्ति पर प्रतिवध लगाये, पारस्परिक

इस में जडबद्ध सिद्धान्तों तथा दीर्घकाल में चली आ रही पुरानी रीतियों के सदर्भ में जिरह करने के रास्ते में बाधा उत्पन्न करें, पूर्णन् व्यास्तीय, न्याय-विरुद्ध तथा शिक्षा-जगत् में बलक है। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति फॉकलिन् डेलानो रूजवेल्ट ने एक बार कहा था कि सत्य के अनुमधान में समर्थ होने के लिए आवश्यक है कि अनुमधानकर्ता सत्य को खोजने में स्वयं को स्वतंत्र अनुभव करें। भारतीय इतिहास के छात्र तथा शिक्षकों ने कभी यह अनुभव ही नहीं किया कि वे भारतीय इतिहास के सही तथ्यों का परीक्षण एवं विष्णेपण करने में स्वतंत्र हैं। उनकी अनुमधान-वृत्ति एवं परीक्षण मन शक्ति ग्रियमाण वर दी गई तथा उनकी आवाजों को देखा दिया गया। उन्हें वाध्य किया गया कि वे ब्रिना शब्दा विए उन्हीं तथ्यों को स्वीकार करें जोकि इतिहास में अंधविश्वास के हृष में व्याप्त हैं। वे तथ्य चाहे अताकिक हों, चाहे अवैज्ञानिक हो—उनमें बनान् कहा गया कि वे उन्हें मान्यता प्रदान करें। अक्षवर की महानता के ऐसे सदर्भ में शहादत के कानून भी मात्र अनर्गत प्रलाप मिद्द होते हैं।

निष्पर्य हृष में बहा जा सकता है कि भारतीय इतिहास में अक्षवर के हृत्यों का मूल्याकन न केवल इनिहाम के उम अपघ्रष्ट जग्याय के मम्यक् अध्ययन के लिए महस्वशानी है, अग्नि मामान्य हृष में भी विद्योपार्जन के क्षेत्र में आवश्यक है।

हमारी दो पहली पुस्तकों—‘ताजमठन एक हिन्दू राजभद्रन है’ तथा ‘भारतीय इनिहाम की कुछ भयकर भूलें’ में यही प्रयास किया गया है कि इनिहाम में “आँगियन स्टेबल्म”<sup>1</sup> मदमित ध्रान कथाओं का निवारण हो, गल्ग मूर्त्रों से एकान्विती हो तथा मत्य का प्रकाश मिले।

ऐसी वाणी की जानी है कि प्रस्तुत पुस्तक भी भारतीय इतिहास के पूरनिर्माण के धोत्र में एक और अवाश-स्तभ मिद्द होंगी। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों का यह नियम है कि इनिहाम के धोत्र में झूटे अपघ्रष्ट तथ्य हटाकर उनके स्थान पर महीं तथ्यों को प्रस्तुत किया जाये। हमें विश्वास है, इस पुस्तक का भी ममादर होगा।

१. एलिम बर राजा, जिसके आदेश पर आवल्म हृषकपूर्वम ने अल्पमें नदी की धारा बदल दी थी।

: २ :

## अकबर के शासन-काल का इतिवृत्त

भारतीय इतिहास में अकबर का स्थान निर्धारित करते हुए उसके द्वारा एक ध्यक्ति और बादशाह के रूप में किये गये कार्यों पर चर्चा एवं उनका विश्लेषण करने के पूर्व यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसके शासन-काल की घटनाओं का सर्वेक्षणात्मक इतिवृत्त प्रस्तुत किया जाये। आगे जो इतिवृत्त प्रस्तुत किया जा रहा है, उसके सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि उल्लेखित घटनाओं की तिथियाँ अनुमानित अथवा घटनाओं के आस-पास की हैं। यद्यपि कितने ही मुस्लिम सरकारी इतिहास प्राप्त होते हैं, जिनमें मध्ययुगीन मुस्लिम बादशाहों, शाहजादों तथा दरबारियों के जीवन तथा उस युग के शासन-काल की घटनाओं के उल्लेख किये गये हैं, तथापि तिथियों एवं घटनाओं के सम्बन्ध में उनमें वैभिन्न दिखलाई देता है तथा निश्चितता के सदर्भ में उनके अध्ययन से निराशा ही हाथ लगती है। इसका कारण यह है कि समस्त मुस्लिम सरकारी इतिवृत्त ऐसे लोगों द्वारा लिखे गये, जो उस भीषण और विप्लवकारी युग के तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर अपने सरकार बादशाहों का मनोरजन किया करते थे। वे मुस्लिम लेखक अपनी चाटुकारिता दिखलाते हुए बादशाहों की स्तुति के ढग में 'सत्य' अथवा 'यथार्थता' की उपेक्षा कर अतिशयोक्ति के रूप में तथ्यों को प्रस्तुत करते थे। यही कारण है कि अधिकांश मुस्लिम सरकारी ग्रन्थ पद्ध्यत रचनाओं एवं जालसाजियों से पूर्ण प्रतीत होते हैं।

अकबर के शासन-काल की घटनाओं का इतिवृत्त ऋमवार इस प्रकार है—

गुरुवार, २३ नवम्बर, सन् १५४२ ई०

मिथ के 'अमरकोट'<sup>१</sup> नामक स्थान पर अकबर का जन्म हुआ। शेरशाह मे पराजित होने के बाद अकबर का पिता हुमायूं भारत मे अपने 'मिहामन' और 'राजमुद्रुट' को छोड़कर भाग लड़ा हुआ था तथा उसे उक्त स्थान के स्थानीय हिन्दू सेनापति राणा वीर साल उक्त राणा प्रसाद की शरण लेनी पड़ी थी। अकबर का जन्म का नाम<sup>२</sup> बदरहीन<sup>३</sup> (धर्म का पूर्ण चन्द्र) अकबर था। अकबर विदोषण का तात्पर्य 'अन्यन्त महान्' अथवा 'बरिष्ठ' होता है।

मार्च, सन् १५४७ ई०

इस समय के बास-न्यास अकबर का 'खतना' करवाने वो रस्म अदा की गई। 'खतना' शताविद्यों से मुमलमानों द्वारा एक आवश्यक कर्म तथा धार्मिक पवित्र रस्म के रूप मे माना जाता रहा है, जिन्हे मूल रूप मे खतना

१. अपनी पुस्तक 'अकबर एक महान् मुगल' के पृष्ठ १० पर विसेट स्मिथ ने यह उल्लेख किया है कि कर्द फारमी तथा अग्रेज लेखक 'अमरकोट' नाम को अशुद्ध रूप मे प्रस्तुत करते हुए उसे 'उमरकोट' लिखते हैं। वस्तुतः इस नाम के सम्बन्ध मे स्वयं स्मिथ महोदय भात हैं। यास्तविक नाम मूलतः 'अमरकोट' ही हो सकता है। मुस्लिमानों द्वारा उक्त स्थान पर अधिकार कर लिये जाने के बाद उसे मुस्लिम प्रदणित करने की दृष्टि से परिवर्तित कर 'उमरकोट' कर दिया गया।
२. अकबरनामा मे उक्त तिथि ११ अक्टूबर निर्देशित है। अपनी पुस्तक के पृष्ठ १३ पर विसेट स्मिथ का बयन है कि एक नया सरकारी जन्म-दिन जो चुना गया, वह गुरुवार के स्थान पर रविवार है तथा अकबर का जन्म-दिन २३ नवम्बर मे पीछे हटाकर १५ अक्टूबर निर्देशित किया जाता है।
३. 'अकबर: एक महान् मुगल' शीर्षक पुस्तक के पृष्ठ १३ पर विसेट स्मिथ ने यह उल्लेख किया है कि 'जलालुदीन' (धर्म का तेज) वा प्रयोग करने के लिए बाद मे बदरहीन शब्द का परित्याग कर दिया गया। अकबर वे मूल नाम बदरहीन को अब प्राप्त भुला दिया गया है तथा इतिहास मे उसका प्राप्त 'जलालुदीन मोहम्मद अकबर' वे नाम से ही उल्लेख किया जाता है।

करवाने की आवश्यकता शारीरिक आरोग्य की दृष्टि से रेगिस्तानों से युक्त देश में होती है। चूंकि 'इस्लाम' का जन्म अरब जैसे रेगिस्तानी प्रदेश में हुआ, जहाँ लोग महीनों स्नान नहीं कर पाते, खतने की किया 'फाईमोसिस' की शिकायत से सुरक्षा के लिए करवाई जाती थी। अत. यह कहा जा सकता है कि शारीरिक आरोग्य की दृष्टि से जलविहीन मरुस्थलों से युक्त देश में स्नान आवश्यक है। इसका धार्मिक महत्त्व कुछ भी नहीं है। भारतवर्ष जैसे देश में जहाँ कि पुष्कल जल प्राप्त है तथा प्रतिदिन अनिवार्य रूप से स्नान किया जाता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के सदर्म में 'खतना' न केवल असगत प्रतीत होता है, अपितु आत्मिक आनन्द आदि धर्म के सदर्म में भी महत्त्वहीन है।

सोमवार, २६ जनवरी, सन् १५५६ ई०

बकवर के पिता हुमार्यू की दिल्ली में मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु शुक्रवार दिनाक २४ जनवरी को पुराने किले के भीतर एक भवन की भीड़ियों से गिर जाने की वजह से हुई। उसे आधे भील दूर स्थित उसके राजभवन में पहुँचाया गया। इसी राजभवन में उसे दफन किया गया। इस राजभवन को भ्राति के कारण ऐसा विश्वास किया जाता है कि हुमार्यू दो मृत्यु के बाद मकवरे के रूप में बनवाया गया। किन्तु ध्यान देने योग्य तथ्य है कि जिस भवन में हुमार्यू की मजार है, वहाँ हिन्दू शक्ति-चक्र का चिह्न है। यह शक्ति-चक्र त्रिकोणात्मक संग्रहित है। इसके घट्य में चारों ओर से मजित एक पापाण-पुष्प टकित है।

अत यह कहा जा सकता है कि बकवर के पिता हुमार्यू ने एक अपहृत किये गये हिन्दू राजभवन में निवास किया तथा वही उसकी मृत्यु हुई।

दिल्ली में अपने पिता की मृत्यु के समय बकवर (तब वह १३ वर्ष २ माह का था) पश्चात में गुरुदासपुर जिले के कलानीर नामक स्थान में था। वहाँ वह अपने अभिभावक बहराम खाँ के साथ सिकन्दर सूर के विशद मैनिक मोर्चे को सचालित करने में व्यस्त था।

हुमार्यू की मृत्यु की खबर एक पश्चवाडे तक नहीं मिली। मृत्यु की खबर पहुँचने में समय लगा।

११ फरवरी, सन् १५५६ ई०

दिल्ली में अकबर द्वारा बादशाह 'घोषित किया गया। ३ दिन पश्चात् अर्थात् १४ फरवरी सन् १५५६ ई० को औपचारिक रूप में 'कनानोर' में एक प्राचीन हिन्दू प्रासाद के 'पीठासन' पर अकबर का राज्याभिषेक निया गया। इस सम्बंध में विसेट स्मित महोदय ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ २२ पर भावत तथों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि 'अकबर ने बाद की तिथियों में अनेकानेक सुन्दर उद्यानों एवं अन्य भवनों का निर्माण करवाया'—वे उद्यान एवं भवन विना कोई चिह्न छोड़े विलुप्त हो गये। अकबर द्वारा इम प्रकार व्यय-साध्य उद्यान, भवनों एवं नगरों, जो बाद में रहस्यमय ढग से गाँव हो गये, जिनका नामोनिशान भी बब देखने द्वारा नहीं मिलता, के निर्माण मात्र वपोल-कल्पित कथायें हैं। इम प्रकार की जालसाजियों एवं धोखा परलोगों द्वारा सहज ही विश्वास व्यक्त किया जाता रहा है। विसेट स्मित जैसे इतिहासकार बड़ी ही सहजता से इम प्रकार के भ्रातिजनक गलत सूत्रों का उल्लेख करते हैं। अकबर द्वारा उन भवनों, प्रासादों एवं उद्यानों के निर्माण सबधीं दुप्पचारों की सहज व्याधा यह है कि जिन प्राचीन हिन्दू स्थानों पर अकबर ने पढाव डाला, उन्हीं के घवसावरोपों के बीच उसका राज्याभिषेक घोषित किया गया। वे भवन तथा प्रासाद व्याप्ति दादी के प्रारम्भ में ही मुस्लिम आनंदणों द्वारा ध्वस्त होते रहे हैं।

५ नवम्बर, सन् १५५६ ई०

अकबर ने हिन्दू योद्धा हेमू के विशद्द पानीपत की लडाई जीती। इस युद्ध में विजय के पश्चात् अकबर दिल्ली, आगरा तथा फतेहपुर सीकरी का स्थानी हो गया। अपनी पुस्तक के पृष्ठ २६ पर विसेट स्मित ने लिखा है—'मम्भवत हेमू युद्ध में जीत जाता, किन्तु एक दुष्टंदना यह हुई कि एक तीर उमड़ी ओंध में आकर धुस गया, जिसने उसके मस्तिष्क को खेद दिया तथा वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसकी सेना तितर-वितर हो गई तथा बृद्ध भ कान्नमण करने के लिए सागठित नहीं हो सकी। हेमू का हाथी जगल में भाग गया।'

अकबर की पहली शादी के विषय में तिथि अज्ञात है। पितृ-पक्ष में परिणय होने सम्बन्धी रस्म के अनुसार उसकी पहली शादी उसके चाचा

'हिन्दन' की लड़की 'रुकैया वेगम' से हुई। शादी की बात (सगाई) नवम्बर, सन् १५५१ ई० में तथा हुई।

### सन् १५५७ ई० का प्रारम्भिक समय

अकबर की शादी अद्युल्ला खाँ की बेटी से सम्पन्न हुई। अकबर की यह दूसरी शादी थी। इस शादी से अकबर का अभिभावक बहराम खाँ उठ हो गया। अकबर तथा बहराम खाँ के बीच कलह का सम्भवत यह आरम्भ था। इस कलह की अन्ततः समाप्ति बहराम खाँ की हत्या के बाद ही हो सकी।

### मई, सन् १५५७ ई०

एक लम्बे अरसे तक 'मानकोट' का घेरा डाले जाने के बाद सिकन्दर सूर ने अकबर के मामने आत्म-समर्पण कर दिया। आत्मराम तथा युद्ध के इन्हों सधर्यों के दौरान अकबर के अभिभावक बहराम खाँ की सगाई अकबर के पिता की बहन की लड़की सलीमा वेगम से तय हो गई। अकबर की विषयलोलुप दृष्टि स्पष्टत सलीमा वेगम पर थी। इस सगाई से वह अत्यन्त क्रोधित हो उठा तथा उसने आदेश दिया कि शाही मतवाले हाथियो द्वारा बहराम खाँ के तम्बू में धुमकर उसे कुचल कर मार डाला जाये।

मैना द्वारा कुछ स्थानों तक कूच करने के बाद जुलूधर में बहराम खाँ की शादी सलीमा वेगम से सम्पन्न हो गई तथा बहराम खाँ को डराने एवं वह संकेत देने कि वह शाही कोप-भाजन है और अकबर के मन में उसके प्रति प्रबल रोप है पुनः हाथी द्वारा उसे कुचलवाने की दुर्घटना घटित हुई। आगरा वापस आने के बाद अकबर ने फिर मैं एक बार बहराम खाँ को हत्या करवाने की दृष्टि से हाथी रूपी शस्त्र का प्रयोग करने हुए उसे कुचलवाने की दुश्चेष्टा की।

### सन् १५६० ई०

अकबर ने अपनी सल्तनत का कार्य-केन्द्र आगरे से हटाकर फतेहपुर सीकरी में बदल दिया। इस तथ्य से यह स्वतः सिद्ध होता है कि फतेहपुर सीकरी का अस्तित्व अकबर के शासन-काल से पूर्व भी विद्यमान था। कार्य-केन्द्र के परिवर्तन के कारणों का उल्लेख मुस्लिम सरकारी इतिहास

लेखक फरिश्ता<sup>१</sup> ने किया है। उसने उल्लेख किया है कि अकबर की एक परिचारिका 'माहम अगा' ने गोपनीय मूल से यह सुना कि बहराम खाँ अकबर को कंद करना चाहता है। इसमें भयभीत होकर तथा स्वयं को अमुरक्षित समझकर अकबर अपने कार्य-केन्द्र में परिवर्तन के लिए बाध्य हो गया। यही वह कारण था कि जिससे अकबर ने आगरा छोड़ने का निश्चय किया। इससे वह रपट्ट होता है कि अकबर के आगरा छोड़ने के जो अन्य कारण बतलाये जाते हैं, वे पूर्णतः निराधार हैं। उसे आगरा इसलिए छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसने वहाँ अपने को असुरक्षित समझा। एक अल्प आवधिक मूर्खना परिपत्र जारी कर सम्पूर्ण सरज-सामग्रियों, भूत्यवर्गं, दरबार, पाँच हजार रुपसियों से युक्त हरम तथा एक हजार जगली पशुओं का बाड़ा माथ नेबर अकबर ने आगरे से प्रस्थान किया। इस प्रस्थान सम्बन्धी तथ्य में यह सिद्ध होता है कि कलेहपुर सीकरी एक विजित विया हुआ नगर या तथा वहाँ जितने भी भवन एवं प्रासाद बत्तमान समय में दिखाई पड़ते हैं, मभी पूर्व-निर्मित हैं। अत यह विश्वास विया जाना कि फतेहपुर सीकरी वा निर्माण अकबर ने करवाया—भारतीय इतिहास की एक भयकर भूल है, जिसका निराकरण होना अत्यावश्यक है।

जनवरी, सन् १५६१ ई०

गुजरात प्रान्त के सिद्धपुर पट्टन नामक स्थान पर बहराम खाँ का कत्तल घर दिया गया। उसका कत्तल स्पष्टतः अकबर द्वारा भेजे गए कातिल द्वारा ही किया गया, क्योंकि इ वर्ष पूर्व अकबर ने उसे सत्तान्वय कर उसके सभी अधिकार छीन लिये थे। युती लडाइयों में बहराम खाँ को कई बार पराजित कर अकबर ने उसे दण्ड भी दिया था। अकबर ने बहराम खाँ की हत्या अन्ततः गोपनीय स्थान पर करवाई। उसकी हत्या के तुरन्त बाद गलीमा देगम को उसके इ वर्षोंपुनर, जो कालान्तर में अन्दुर रहीम

१. पृष्ठ १२१, दि० भा०, 'भारत वर्ष में मुस्लिम प्रभुत्व के उत्थान का इतिहास' (४ भागों में), सन् १६१२ ई० तक, लेखक—मोहम्मद कासिम फरिश्ता, मूल फारसी से जॉनब्रिज द्वारा अनूदित, सन् १६६६ में पुन ग्रन्ति, प्रकाशकः ए० डे०, ५६५ श्यामबाजार स्ट्रीट, कलकत्ता-४।

खानखाना के नाम से विख्यात हुआ, के साथ उपस्थित किया गया। बहराम खाँ की पत्नी को शाही हरम में प्रवेश कराया गया तथा आदेश दिया गया कि वह अकबर की पत्नी के रूप में वहाँ निवास करे।

**२६ मार्च, सन् १५६१ ई०**

अकबर के दो सेनापतियों अधम खाँ एवं पीर मोहम्मद ने माँडवगढ़ के शासक बाज बहादुर को मध्य भारत में देवास के निकट सगाहर नामक स्थान पर पराजित किया। अकबर के सेनापति द्वारा इस लडाई में वर्वंरता एवं कूरता का परिचय देते हुए भीषण नर-संहार किया गया तथा पैशा-चिकता दिखलाई गई।

**२७ अप्रैल, सन् १५६१ ई०**

अकबर को मूचना मिली कि अधम खाँ बाज बहादुर के अन्तःपुर की रूपसियों को अपने अधीन रखे हुए हैं तथा उन्हे छप्ट करना चाहता है। अतः उसने तुरन्त आगरे से कूच किया।

**४ जून, सन् १५६१ ई०**

लूट-खसोट के माल का निषटारा करते हुए तथा बाज बहादुर के अन्तःपुर की रूपसियों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हे शाही हरम में भेजकर अकबर पुनः आगरा लौटा।

**जून, १५६१ ई०**

एटा जिले (सकित परगना) के ८ गाँवों की जनता के विरुद्ध अकबर ने स्वयं एक आक्रमण का संचालन किया। ‘परोख’ नामक गाँव के एक मकान में करीब १ हजार हिन्दुओं को बन्द करके ज़िन्दा जला दिया गया।

**जुलाई-अगस्त, सन् १५६१ ई०**

जौनपुर के राज्यपाल खान जमाँ (अली कुली खाँ) तथा पूर्वी प्रान्तों के विरुद्ध अकबर ने स्वयं आक्रमणों का संचालन किया। खान जमाँ तथा उसके भाई बहादुर खाँ ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। उन्हे आत्म-ममर्ण के निए विवश किया गया। अकबर के दरवारियों द्वारा उसके विरुद्ध यह प्रथम प्रमुख विद्रोह था। इस विद्रोह के बाद अकबर की

कामुकता, विश्वासधात, शोपण तथा धूर्तता के खिलाफ प्राय उसके सभी पुश्प सम्बन्धियों एवं दरबारियों द्वारा विद्रोह करने का एक तौतासा लग गया।

**१४ जनवरी, सन् १५६२ ई०**

अबबर ने प्रकट रूप में अजमेर में सन्त मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दर्शन वे लिए आगरे से कूच किया। स्पष्टत अजमेर की दरगाह को अबबर की यह भैंटे एक सैनिक प्रपत्ति था। उसका यथार्थ उद्देश्य देशभक्त एवं बहादुर राजपूत राजाओं को लडाइयों में जीतकर उनको सख्त कम करना तथा एक-के बाद एक उन्हे अपने अधीन करना था। वर्षों पश्चात् जब इस लक्ष्य की पूर्ति हो गई, अबबर ने अजमेर जाना बन्द कर दिया।

राजस्थान में अकबर के इस प्रथम आग्रहण का यह भी उद्देश्य था कि जयपुर के राजा भारमल को अपने अधीन रखे, उनका अपमान करे तथा उन्हे इस बात के लिए विवश करे कि वे अपनी पुत्री को अकबर के हरम के लिए समर्पित कर दे। इससे पूर्व राजा भारमल के विरुद्ध अबबर के सेनापति शरफुद्दीन द्वारा भी प्रयण क्रूरता वा परिचय देते हुए अनेक विनाशकारी हमले किए। जयपुर के ३ राजकुमारों को कैद कर लिया गया था तथा उन्हे प्राणान्तक मातनायें दी जाने लगी थी। ऐसा इसीलिए किया जा रहा था कि राजा भारमल अपनी पुत्री को अबबर के हरम के लिए सौप दे तथा अपने पुत्र भगवानदाम एवं नानी मानसिंह को प्रतिभू के रूप में स्थापी तीर पर अबबर के दरबार में रहने को बाध्य किया गया ताकि यह आशदासन बना रहे कि जयपुर का राजवंश स्थापी रूप से अबबर के अधीन है। अकबर द्वारा एक हिन्दू राजकुमारी को बलात् अपहरण करने के इस अन्यायपूर्ण, गर्हणीय एवं क्रूर वृत्ति को भारतीय इतिहास में झूटे रूप में बटा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय एकता वी स्थापना की दृष्टि से एक उदार वैदाहिक संयोजन का कार्य था। यथार्थत वह विवाह न होकर कपटपूर्ण अनुबन्ध था, जिसे मानने के लिए जयपुर के राजवंश को विवश किया गया। परवर्ती एक अध्याय में हम इस विषय का मस्यक् विवेषण करते हुए तथ्यों पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालेंगे।

**मार्च, सन् १५६२ ई०**

माडवगढ़ के शासक बाज़ बहादुर ने अन्ततः पूर्णरूपेण आत्म-समर्पण कर दिया तथा अकबर के दरबार में एक सामान्य दरबारी होना स्वीकार कर लिया ।

**१६ मई, सन् १५६२ ई०**

अकबर के एक सम्बन्धी तथा वरिष्ठ दरबारी शमशुद्दीन अतगा खाँ की हत्या अधम खाँ द्वारा, जिसने सगलर के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था, अकबर के शयनकक्ष के बाहर कर दी गई । अन्य कई महत्त्वपूर्ण तिथियों की भाँति इस दुर्घटना की तिथि के सम्बन्ध में भी विभिन्न लेखकों में मतभेद है । निजामुद्दीन द्वारा लिखित 'तबकात-ए-अकबरी' शीर्षक सरकारी इतिहास में इस घटकर हत्या का सम्बन्ध परवर्ती वर्ष से स्थापित किया गया है । एक दूसरे स्थल पर उक्त दुर्घटना को मन् १५६५ ई० में घटित होना बताया गया है । अधम खाँ को आगरे के दुर्ग के राजमहल की दूमरी मजिल से नीचे फेककर मजा दी गई । पहली बार गिराने से उमकी मूल्य नहीं हुई । वह अद्वैत ही रहा, अतः उसे पुनः ऊपर ले जाकर दुबारा नीचे फेंका गया ।

**सन् १५६२ ई०**

अकबर ने खजावी छवाज़ा जहान से १८ रु० की अल्प राशि की माँग की । छवाज़ा जहान ने जवाब दिया कि खजाना पूर्णतः रिक्त है तथा उक्त अल्प राशि भी प्राप्त नहीं हो सकेगी ।

अकबर के मुख्यमन्त्री मुनीम खाँ ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा भाग गया । महारनपुर जिले के सरदत नामक स्थान पर उसे गिरफ्तार किया गया तथा पुनः कायंभार सौंपा गया । मुनीम खाँ अकबर के दरबार का द्वितीय कुलीन व्यक्ति था, जिसने उसके खिलाफ वगावत की ।

**५ नवम्बर, सन् १५६२ ई०**

मेनापति शरफुद्दीन, जिसने जयपुर के शासक भारमल के विरुद्ध आक्रमण का मचालन किया था, उन्हे डराया था तथा उनके मानमंग की दुश्चेष्टा की थी एवं उन्हे ब्राद्य किया था कि वे अपनी पुत्री को अकबर के

हरम के लिए सौप दें, अकबर के दरवार का तीसरा महत्वपूर्ण दरवारी था जिसने सल्तनत के खिलाफ जिहाद बुलन्द किया तथा बगावत की घजा फहरा दी। उसके बिरुद्ध एक सेना भेजी गई। पहले उसे गुजरात से सदेड़ा गया एवं वाद में 'मक्का' भगा दिया गया।

कुछ दिन पश्चात् एक दूसरे वरिष्ठ दरवारी अबुल माली ने अकबर के बिरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अकबर के दरवार में अन्य लोगों की भाँति ही अबुल माली भी उस पाशदिक प्रहृति का व्यवित्र था। उसने बाबुल में एक राजकुमारी से बलात् जादी की तथा अपनी सात की हत्या कर दी।

**सन् १५६३ ई०**

अकबर के विषय में यहा जाता है कि मधुरा में यह दोर का शिकार खेलने गया। मुस्लिम मरकारी इतिवृत्तों में जहाँ-तहाँ इम प्रकार के शिकार के मरेत प्राप्त होते हैं, उन्हे शाब्दिक रूप में प्रहृण नहीं करना चाहिए। यहुधा उन शिकारों का तात्पर्य राजपूत राजाओं का शिकार करना (उन्हें विजित कर अधीनस्थ करना) होता है। यह एक सामान्य ज्ञान की बात है कि सेना द्वारा आक्रमण आदि के निया-कलाप अत्यन्त गोपनीय होते हैं। तदनुमार मुस्लिम बादशाहों द्वारा शिकार खेलने की बात भाव्य समझालीन छल एवं प्रपञ्च हैं। वे ऐमा बहाना इसलिए करते थे, ताकि जनता मुरक्खात्मक दृष्टि से असावधान रहे—पहरे आदि न बिठायें। मुस्लिम इतिवृत्तों में उल्लेखित अकबर के इस शिकार का उद्देश्य मधुरा के आम-पाम के हिन्दू तीर्थस्थानों को नष्ट करना था। निरन्तर मुस्लिम आक्रमणों के बारण प्राचीन मधुरा का नामोनिशान ही मिट गया। कुछ विद्वास बायं तो अकबर द्वारा ही प्रतिषादित किए गए थे। आगे चलाकार हम दर्शाएँगे कि अकबर ने प्रत्येक प्रमुख हिन्दू तीर्थ बेन्द्र पर हमला किया तथा वहीं के धार्मिक स्थलों को छवस्त किया।

१. विसेंट स्मिथ की पुस्तक 'अकबर एक महान् मुगल' के वृष्ट ४७ के नीचे एक टिप्पणी में यथात्प्य यह उल्लेख प्राप्त होता है कि 'मधुरा के निकट वर्द्ध वर्षों तक दोर दिखलाई नहीं पड़े।' तब उक्त बालावधि में अकबर क्या शिकार करता रहा?

**१२ जनवरी, सन् १५६४ ई०**

अकबर जब दिल्ली में निजामुदीन चिश्ती की दरगाह से पुराने किले के मार्ग से लाल किला जा रहा था, उसकी हत्या करने की दृष्टि से उसपर एक विपाक्त तीर छोड़ा गया। (दिल्ली के लाल किला एक अत्यन्त प्राचीन हिन्दू दुर्ग है। आन्तिपूर्ण दावे के साथ यह कहा जाता है कि उसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया? यह कथन पूर्णतः झूठा है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहाँ ने नहीं करवाया) अकबर की जीवन-लीला समाप्त करने का यह प्रयास इसलिए किया गया क्योंकि वह हिन्दू परिवारों से सुन्दर पत्नियों, माताओं, भगनियों तथा कन्याओं को अपहृत करने की दृष्टि से परिध्रमण कर रहा था।

**भावं, १५६४ ई०**

अकबर के विषय में कहा जाता है कि उसने हिन्दुओं से जजिया कर की वस्तुली समाप्त कर दी। यह कर पिछले ८०० वर्षों की कालावधि तक मुस्लिम सुल्तानों द्वारा हिन्दुओं से वसूल किया जाता था। जजिया कर का यह उन्मूलन एक घोखा माना है। इसकी चर्चा हम आगे चलकर करेंगे। अकबर के सम्बन्ध में यह भी विश्वास किया जाता है कि उसने सन् १५६२ ई० के युद्ध में बनाए गए बन्दियों को दास बनाने का निपेद्ध कर दिया। यह भी कहा जाता है कि उसने सन् १५६३ ई० में हिन्दू तीर्थ-यात्राओं पर लगाये जाने वाले करों का भी उन्मूलन कर दिया। अगले अध्यायों में हम सह विश्लेषण करेंगे कि ये सब मान्न कपोल-कलिप्त कथाएँ हैं तथा ऐसी बातें हैं जो लेखकों द्वारा इतिहास में समाविष्ट की गईं। इन बातों पर अन्य-विश्वास किया जाने लगा। उनकी किसी प्रकार की छान-बीन नहीं की गई।

**सन् १५६४ ई०**

द्वाजा मुअज्जम (हमीदाबानू वेगम का हरम भाई होने के कारण अकबर के मातृ पक्ष का चाचा) पांचवाँ दरबारी था, जिसने अकबर के विश्व विद्रोह किया। उसे बन्दी बनाकर खालियर के दुर्ग की काल कोठरी में भेज दिया गया, जहाँ उसका मानसिक व्यतिक्रम हो जाने से अन्ततः मृत्यु हो गई।

### सितम्बर, सन् १५६४ ई०

अकबर ने खान देश के शासक मिर्ज़ा 'मुवारक शाह' पर दबाव डाला कि वह अपनी बेटी को शाही हरम के लिए समर्पित कर दे । विचारणीय है कि यह मामला भी विवाह का न होकर अपहरण का था, क्योंकि मुवारकशाह की नि सहाय बेटी को अकबर ने बलात् पकड़वाया तथा उसे एक प्रमुख दरवारी हिजड़े एतमाद खाँ की मदद से दरवार में उपस्थित किया गया ।

### जुलाई, सन् १५६४ ई०

अब्दुल्ला साँ उजबेक, जो भालवा ग्रान्ट का सेनिक राज्यपाल था, छठवाँ ऐसा प्रमुख दरवारी था, जिसने अकबर के खिलाफ बगावत की आवाज बुलन्द की ।

### अक्टूबर, सन् १५६४ ई०

अकबर के विषय में कहा जाता है कि उसने आगरे के दक्षिण में ७ मील दूर 'ककराली' ग्राम के निकट एक सुन्दर नगर 'नगरचैन' के निर्माण का आदेश दिया । अकबर ने उक्त जिस नगर के निर्माण का आदेश दिया, कहा जाता है, उसके अन्तर्गत किसी भी सुन्दर भवन एवं भव्य उद्यान का कोई भी चिह्न आज देखने को नहीं मिलता । यह एक दूसरा धोखा है । अकबर ने किसी भी भवन का निर्माण नहीं करवाया । जितने भी भवनों, नगरों, दुर्गों, उद्यानों अथवा द्वारों के निर्माण का थ्रेय उसे दिया जाता है वे या तो हिन्दू शासकों से अपहृत किये गए थे या विजय करके अधिकार में लिये गए थे ।

### सन् १५६४ ई०

अकबर के दरवार के एक अप्रणी दरवारी खान जमाँने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । खान जमाँ उद्दी प्रमुख दरवारी था जिसने अकबर की खिलाफत की तथा विद्रोह किया ।

इसी वर्ष अब्दुल नवी नामक व्यक्ति की नियुक्ति फ़कीरो एवं अन्य असहाय व्यक्तियों की सहायता के लिए दिए जाने वाले शाही अनुदानों की देत-रेत के लिए की गई थी, किन्तु वह लोभी एवं अयोग्य मिद्द हुआ ।

१५६४ ई० में ही अकबर ने अपने सेनापति आसफ़ खाँ को रानी

दुर्गावती द्वारा अत्यन्त व्यवस्थित रूप से शासित राज्य को अपनी सत्तनत के अन्तर्गत सम्मिलित करने तथा उक्त अद्वितीय सुन्दर रानी को अपने हरम गे रखने की दृष्टि से आक्रमण करने एवं लूट-हसौट करने का आदेश दिया ।

### सन् १५६५ ई० का प्रन्तिम चरण

अकबर के दो जुड़वाँ पुत्र हमन तथा हुसैन का जन्म हुआ । यद्यपि अकबर के दरवार में उसकी चापलूसी करने वाले अनेकानेक सरकारी इतिवृत्त लेखक थे, किन्तु किसी ने भी उक्त जुड़वाँ पुत्रों की माता के नाम का उल्लेख नहीं किया है । जन्म के एक महीने बाद ही हमन तथा हुसैन का देहान्त हो गया ।

हुमायूं की एक वरिष्ठ विधवा, नि मन्तान पत्नी हाजी बेगम उर्फ बेगम के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उसने तीर्थयात्रा की दृष्टि से मक्के के लिए प्रस्थान किया, किन्तु जाते हुए उसने हुमायूं के मकबरे के निर्माण का आदेश दिया । हुमायूं के मकबरे के निर्माण की समाप्ति के विषय में बताया जाता है कि वह दो वर्ष के बाद, जब हाजी बेगम मक्के की तीर्थयात्रा से लौटी, पूर्ण हुई । हाजी बेगम अकबर की सौतेली मर्दी थी । अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था । नि सन्तान हाजी बेगम द्वारा अपने पति हुमायूं के मकबरे के निर्माण के आदेश की बात पूर्णतः एक कल्पित कथा है । हुमायूं एक विजित राजपूत भवन के भूतल-नक्ष में दफनाया गया था ।

### सन् १५६५ ई० का प्रारम्भिक चरण

अकबर के विषय में बताया जाता है कि उसने आगरे के लाल किले (लाल किला) (पूर्वदर्ती दुर्ग को नष्ट करने के बाद) का पुनर्निर्माण आरम्भ करवाया । एक अन्य विवरण में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि अकबर ने मन् १५६१-६३ ई० के दौरान उक्त दुर्ग में कुछ भवनों का निर्माण आरम्भ करवाया, किन्तु इतिहासकार फरिशता के अनुसार उक्त 'दुर्ग' में आगरे के नगर को चारों ओर से घेरने वाली एक प्राचीन दीवार थी । अकबर ने सम्भवतः नगातार मुस्लिम आक्रमणों के दौरान तोपों द्वारा उक्त दीवार के छवस्त स्थानों की मरम्मत करवाने का आदेश दिया होगा । आगरे के हिन्दू लाल

विले में मरम्मत सम्बन्धी इस सामान्य कार्य की हमारे इतिहासकार भूल से बढ़ा-बढ़ाकर गलत ढग से यह बताते हैं कि अकबर ने उसका पुनर्निर्माण करवाया। इस समय के आस-पास अकबर रानी दुर्गावती के साथ युद्ध में सलान था। अपने कितने ही दरवारियों द्वारा अनेक विद्रोहों का सामना उसे करना पड़ रहा था। ऐसी हालत में यह कहा जाता है कि उसने भव्य प्रासादों से युक्त सुन्दर नगरचैन के निर्माण का कार्य आरम्भ करवाया। उसकी सौतेली रौप्य ने उसे अपने दिवगत पति हुमायूँ के महल सदृश्य सुन्दर मकबरे के निर्माण का आदेश दिया तथा इसी समय अकबर ने आगरे में लाल किले को नष्ट कर उसके पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करवाया। यह सब कैसे सम्भव हो सकता है ? इस प्रकार की सभी बातें चरम विवेक-हीनता की परिचायक हैं।

### सन् १५६५-६६ ई०

अकबर के आदेशानुसार रानी दुर्गावती के राज्य पर हमला करने तथा लूट-खसोट करने वाला सेनापति आसफ खाँ अकबर के दरवार का एक अम्य गणनायक था, जिसने सलतनत के खिलाफ घग्गरत बर दी। रानी दुर्गावती के राज्य में लूट-खसोट द्वारा जिस धन की प्राप्ति आसफ खाँ को हुई, उससे उसे अपने भूतपूर्व घृणित भालिक अकबर के विरुद्ध पुढ़ सचालित करने में बड़ी महायता मिली।

### सन् १५६७ ई० का आरम्भिक चरण

अकबर के भाई मोहम्मद हकीम, जो कावुल का शासक था, ने पजाह के विरुद्ध हमला बोल दिया। अपने भाई के भाकिमण को रोकने के लिए फरवरी मन् १५६७ ई० में अकबर लाहौर पहुँचा। इसी समय अकबर ने लाहौर में शिकार का एक आपोजन किया। इस शिकार में दस भील की परिधि के भीतर जितने भी जन्म थे, सभी मार डाले गये। तलवारों, दर्ढियों, सीरों तथा पशुओं को पकड़ने के कल्दों का उपयोग करते हुए अकबर ने लगातार पांच दिनों तक इस द्विमात्रक शिकार का आनन्द उठाया।

दिल्ली, बागरा तथा फतेहपुर सीकरी के प्रदेशों से अकबर वी अनु-परिष्ठति का लाभ उठाते हुए उसके अनेकानेक मिर्जा सानदान के सम्बन्धियों

ने जो अकबर के दरबार में उच्च पदों पर आसीन थे, उसके विरुद्ध पुन विद्रोह कर दिया थत्। अकबर को शीघ्रतापूर्वक लाहौर का परित्याग कर आगरा लौटना पड़ा।

### अप्रैल, सन् १५६७ ई०

आगरा लौटते हुए पजाब के थानेश्वर नामक स्थान पर जब अकबर ने पड़ाव डाला, 'कुरुस' तथा 'पुरुष' नामक दो धार्मिक सम्प्रदायों ने उसमें स्थानीय हिन्दू मन्दिरों में असंघय तीर्थयात्रियों द्वारा चढ़ाये जाने वाले उपहारों के बेटवारे के विवाद के सम्बन्ध में शिकायत की। अकबर ने दोनों सम्प्रदायों के धार्मिक साधुओं को तलवारों, छुरों तथा चाकुओं से सशस्त्र कर थ्रेणीबद्ध रूप में खड़ा करवाया तथा उन्हें वाध्य किया कि वे परस्पर लड़-भिड़कर नप्ट हो जायें। यह विश्वास दिलाने के लिए दोनों पक्ष के धर्मानुयायी परस्पर लड़कर मर मिटे, अकबर ने कमजोर पक्ष के धर्म-अनुयायियों को रस्सी से बांधकर तथा धर्मान्ध मुसलमानों द्वारा सहारा दिलवाया ताकि वे देखें कि दोनों पक्ष के धर्मानुयायी, जिनकी सर्व्या करीब ८०० थीं, परस्पर लड़कर खत्म हो गए। प्राय समस्त सरकारी इतिवृत्तों के लेखकों ने समान रूप से इस घटना का उल्लेख किया है कि अकबर ने उक्त हिसात्मक खेल का भरपूर आनन्द उठाया।

### मई, सन् १५६७ ई०

खाँ जमान तथा उसके भाई बहादुर खाँ, जो दो वर्ष से अकबर से खुला विद्रोह कर रहे थे, पराजित कर दिये गए तथा उनकी हत्या करवा दी गयी। कुछ अन्य सहायक विद्रोही नेताओं को भी पकड़वाकर हाथी के पैरों तले कुचलवाकर मार डाला गया।

### मई-जून, सन् १५६७ ई०

अकबर ने भारत के सर्वाधिक धन-धान्य से पूर्ण एव सुविध्यात तीर्थ-धाम इलाहाबाद तथा बनारस (वाराणसी) पर आक्रमण कर लूट-खसोट आरम्भ कर दी। अकबर की वर्वता के भय से नगरों की सामान्य जनता पलायन कर गई। अकबर की सेना भीषण क्रूरता का परिचय देते हुए उन्मत्तों की भाँति कत्लेआम तथा लूट-खसोट कर रही थी।

**१८ जुलाई, १५६७ ई०**

युद्ध, आक्रमण तथा बलवे के हिस्त किया-खातपो के बाद अकबर अपनी खल्तनत की राजधानी आगरे वापस लौटा ।

इसी समय के आसपास एक अन्य दरवारी सिकन्दर खाँ ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसे सेना द्वारा द्वारा दवा दिया गया । अनेकानेक मिर्ज़ी खानदान के दरवारियों द्वारा सचालित विद्रोहों के अतिरिक्त, मिकन्दर खाँ एक अन्य महस्त्वपूर्ण दरवारी था, जिसने अकबर की तिलाफ़त वी तथा विद्रोह बुलन्द किया ।

**सितम्बर, सन् १५६७ ई०**

अकबर ने चित्तोड़ के विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ करने की तैयारियाँ शुरू की । २० अक्टूबर को अकबर ने चित्तोड़ की पहाड़ी के उत्तर-पूर्वी द्वेष में दम भील की परिधि तक विस्तृत पड़ाव ढाला ।

**२३ फरवरी, १५६७ ई०**

अकबर ने बर्बर तथा कूर मैनिक जत्थों के कष्टों से बचने तथा अपने गतीत्व की रक्खा करने के लिए राजपूत बीरगनाओं ने बोरगति प्राप्त करते हुए जौहर किया । दूसरे दिन मुबह अकबर ने धोड़े पर दुर्ग का परिभ्रमण किया तथा एक मेनापति वी कल्लेआम का आदेश दिया । इम कल्लेआम में करोव तीन हजार लोगों की निर्मम हत्या की गई । कई हजार लोगों को गुलाम बनाने के लिए बन्दी बनाया गया । जिन लोगों की हत्या की गई, उनके उपर्यानों का बजन सड़े चौहत्तर मन था ।

**मार्च, सन् १५६८ ई०**

अकबर पुन आगरा लौटा । मिर्ज़ी खानदान के दरवारियों ने पुन अकबर के विस्तृद विद्रोह कर दिया ।

**अप्रैल, सन् १५६८ ई०**

चौहान दश वी हाड़ा श्रेणी के अधीनस्थ एक मजदूत दुर्ग 'रणथम्भोर' पर घेरा ढालकर आक्रमण किया गया । दुर्ग के प्रधान 'मुरवन' वी एक महीने वे भीतर दुर्ग को समर्पित कर देने के लिए बाध्य होना पड़ा ।

**अगस्त, सन् १५६९ ई०**

भाधा (रेवा) के राजा रामचन्द्र के अधीनस्थ कालजर दुर्ग (बांदा

जिले में) पर आश्रमण किया गया तथा उसे विजित किया गया । राजा रामचन्द्र ने पुष्कल धन-राशि के साथ उपहार स्वरूप स्थातिलब्द गायक तानसेन को अकबर को समर्पित कर दिया । राजा रामचन्द्र को इलाहाबाद के निकट एक जागीर दी गई । उन्हे सल्तनत का एक आसामी बना लिया गया ।

**३० अगस्त, सन् १५६६ ई०**

अविर के शासक राजा भारमल की कन्या के गर्भ से सलीम (भावी मुगल बादशाह जहाँगीर) का जन्म हुआ । स्मरणीय है कि राजा भारमल की कन्या को अकबर ने साँभर से अपहृत करवाया था ।

**नवम्बर, सन् १५६६ ई०**

एक कन्या 'खानम मुल्तान' का जन्म हुआ । अकबर के तृतीय पुत्र दानियाल का जन्म एक रखेल स्त्री के गर्भ से १० सितम्बर, सन् १५७२ ई० को अजमेर में सन्त माने जाने वाले शेख दनियाल के मकान में हुआ । ज्ञातव्य है कि अकबर की दो अन्य पुत्रियों का भी जन्म हुआ । पहली शुक्रनिसा वेगम, जिसे विवाह करने की इजाजत दी गई तथा दूसरी आराम बानू वेगम, जिसकी मृत्यु जहाँगीर के शासन काल में अविचाहित ही हुई । अकबर के शासन काल के विवरण-प्रपत्रों में इन कन्याओं का नामोलनेख कदाचित् नहीं ही हुआ है, क्योंकि उक्त महिलाओं को शाही खानदान से सम्बन्धित होने के बावजूद भी अशिक्षित, उपाधिरहित तथा बन्धनमय जीवन व्यतीत करना पड़ता था । मध्ययुगीन मुस्लिम शासन-काल के द्वैरान महिलाओं को एकान्त जीवन व्यतीत करने के साथ-साथ दुरके में रहना पड़ता था ।

**अप्रैल, सन् १५७० ई०**

अकबर के विषय में कहा जाता है कि उसने अपने पिता हुमायूँ के नवनिर्मित मकबरे का अन्वीक्षण किया । अपनी पुस्तक के पृष्ठ ७४ में विसेंट स्मिथ का कथन है कि उक्त मकबरे के निर्माण में ८ या ९ वर्ष का समय लगा । मकबरे का शिल्पकार मिराक मिर्जा गियास था । यह एक कल्पित कथा प्रतीत होती है । हुमायूँ को विजित किये गये उसी राजभवन में दफनाया गया, जहाँ उसने निवास किया था ।

८ जून, १५७० ई०

अकबर की एक दूसरी रस्तेल ने मुराद नामक पुत्र को जन्म दिया। इसका उपनाम 'पहाड़ी' था क्योंकि इसका जन्म फतेहपुर सीकरी की एक छोटी पहाड़ी में हुआ था।

मितम्बर, सन् १५७० ई०

अकबर के सम्बन्ध में बताया जाता है कि उसने दुर्ग की विस्तार-वृद्धि का कार्य आरम्भ किया तथा अजमेर में कई सुन्दर एवं भवनों के निर्माण का कार्य शुरू करवाया। वहाँ जाता है कि इन कार्यों से तीन दर्ये का समय लगा। ज्ञातव्य है कि "अजय-मेह" एक अत्यन्त प्राचीन हिन्दू नगर है तथा जितने भी ऐतिहासिक भवन वहाँ विद्यमान हैं, सभी १२वीं शताब्दी के हिन्दू सम्राट् पृथ्वीराज चौहान के शासन काल के समय के हैं। यह भी स्मरणीय है कि यही वह निश्चित समय है, जिसके दौरान, कहा जाता है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भी भवनों वा निर्माण-कार्य आरम्भ करवाया, जबकि वह अनेक युद्धों में व्यस्त था तथा उसे विद्रोहों वा सामना करना पड़ रहा था। उसकी सारी शक्ति युद्धों के सचालन एवं विद्रोहों के दमन में वेन्द्रित थी।

अगस्त, सन् १५७१ ई०

अपनी पुस्तक के पृष्ठ ७४ पर विसेट स्मिथ वा कथन है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में आकर निवास करना आरम्भ कर दिया। इस तथ्योल्लेख से भह स्वयं युग में फतेहपुर सीकरी में हम जितने भव्य एवं क्लासिक भवन देखते हैं, वे बाबर के शासन काल में भी विद्यमान थे तथा यह उवित कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी की नीव डाली, पूर्णतः गत थे एवं गत था।

२८ फरवरी, सन् १५७२ ई०

भारतवर्ष के अमर वल्लिदानी सपूत महाराणा प्रताप वा, जिन्होंने प्रदीर्घ काल तक युद्धों के दौरान अकबर वो नाको चने चबवा दिए थे तथा उसने हीमले पस्त कर दिए थे एवं उसने प्रभुत्व को मानने में इन्वार कर दिया था, उदयपुर से १६ मील उत्तर-विश्वमें 'गोगुंदा' में राज्याभियेक

नम्मन हुआ। राजमुकुट धारण करने का औपचारिक संस्कार बाद में कुभलमीर दुर्ग में सम्पन्न हुआ।

४ जुलाई, सन् १५७२ ई०

अकबर ने अपने जीवन के एक प्रदीर्घ-संघर्ष युद्ध तथा आक्रमण के मचालन के लिए फतेहपुर सीकरी से कूच किया। ज्ञातव्य है कि फतेहपुर सीकरी ऐसा स्थान है, जहाँ से अकबर युद्धों के सचालन की तैयारी कर सकता था, यद्यपि चाटुकार मुस्लिम लेखकों के ऐसे भी पाठक होंगे, जो यह विश्वास करें कि फतेहपुर सीकरी के नार का निर्माण अकबर ने करवाया तथा उसका निर्माण सन् १५८३ ई० में ही पूर्ण हुआ।

चौहान वंश की देवरा श्रेणी के मुख्यालम 'सिरोही' पर आक्रमण किया गया तथा मुगल अधिकार स्थापित किया गया। मुगल हमले को रोकने के लिए संघर्ष के दौरान १५० बीर राजपूतों ने अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। 'सिरोही' की रुपाति वहाँ के कृष्ण फलकों की उत्तमता के लिए थी।

नवम्बर, सन् १५७२ ई०

गुजरात के विदेशी मुस्लिम सुल्तान मुजफ्फर शाह तृतीय को गिरफ्तार कर उसके राज्य को अकबर ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। मुजफ्फर शाह के अनुयायियों को हाथी के पेरों तले कुचलने का आदेश दिया।

'कस्ते' में अकबर ने अपने जीवन में पहली बार समुद्र देखा। गुजरात के राज्यपाल के रूप में अकबर ने अपने सौतेले भाई खान-ए-आजम मिर्जा (अजीज कोका) को नियुक्त किया।

इद्राहीम हुसैन के नेतृत्व में मिजाबी ने विद्रोह कर दिया। 'सूरत' इनका एक कार्य-बेन्द्र था। इस विद्रोह के आक्रामक-संघर्ष में राजा भगवान दास तथा उनके दत्तक पुत्र राजा मानसिंह अकबर के साथ थे। भगवान दास के पुत्र 'भूपत' की हत्या कर दी गई। भगवानदास की स्वामी-भक्ति, कि उन्होंने एक विदेशी बादशाह के प्रति स्वयं को समर्पित किया, वो समादृत करने की दृष्टि से उन्हे एक छव्जा तथा दुन्दुभि-प्रदान की गई। किसी भी हिन्दू राजा का ऐसा जूठा एवं खोखला आदर न भी नहीं किया गया।

२६ फरवरी, सन् १५७३ ई०

'सूरत' के विद्रोहियों पर आधिपत्य स्थापित किया गया। एक किलेदार

हमज़वान को उसकी ज़ंभि बटवा कर सज्जा दी गई। हमज़वान अकबर के पिता वे शासन-काल में एक सेनापति था।

**१२ प्रश्नेत, सन् १५७३ ई०**

अबबर ने अजमेर से प्रस्थान किया तथा दिनाक ३ जून को वह फतेहपुर सीकरी पहुँचा।

**२३ प्रगत्त, सन् १५७३ ई०**

एक दुर्निवार्य मिर्ज़ा विद्रोही भोहम्मद हुसैन के नेतृत्व में सचालित विद्रोह वो मुक्तसने के लिए अकबर को गुजरात रवाना होना पड़ा।

**२ सितम्बर, सन् १५७३ ई०**

अहमदाबाद की लडाई लड़ी गई। करीब दो हजार लोगों का कत्ल किया गया तथा उनके सिरों का एक 'पिरामिड' खड़ा किया गया।

**सोमवार, ५ अक्टूबर, सन् १५७३ ई०**

अकबर फतेहपुर सीकरी वापस लौटा।

**सन् १५७३-७४ ई०**

टोडरमल के माथ विचार-विमर्श करने के बाद अकबर ने एक अध्यादेश जारी किया कि साम्राज्य के समस्त अश्व शाही सरकार में रहेंगे। ऐसा करने का स्पष्ट उद्देश्य यह था कि ऐसे वे सभी धर्ति, जो अश्व रखते थे, स्वाभाविक रूप में अकबर के दास हो जाते तथा जब भी उन्हें आदेश दिया जाता, तो चाकरी बजाने के लिए विवश रहते।

**२ अक्टूबर, सन् १५७३ ई०**

फतेहपुर सीकरी से तीन राजकुमारों का खतना करवाया गया।

**सन् १५७४ ई०**

अबबर ने दरवार के चाटुकार इतिहास लेखक अबुल फज्जल ने सबसे पहली बार अपने-आपको अकबर के समक्ष उपस्थित किया, बिन्तु अकबर पर उसका वोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा।

**१५ जून, सन् १५७४ ई०**

विहार प्रान्त को विजित करने के विचार से अकबर ने नदी के मार्ग से नूच किया। वर्षा छृतु के दौरान पानी भर जाने के कारण ११ नावें इलाहाबाद में तथा कई अन्य नावें इटावा में फूव गयीं। २६ दिन बीं यात्रा

के बाद अकबर बनारस पहुँचा जहाँ तीन दिन के लिए पठाव ढाला। इसी समय उसे सिध में 'भक्त' के दुर्ग को विजित किए जाने की खबर मिली।  
३ मार्च, सन् १५७५ ई०

बगाल, उडीमा तथा विहार के कुछ हिस्सों के स्वामी 'दाऊद' के साथ 'लुकरोई' की लडाई लड़ी गई। इस लडाई में जितने भी बन्दी बनाए गए, उन्हें कत्ल कर दिया गया। कटे हुए सिरों को घ गगनचुम्बी मीनारों की ऊँचाई तक एकत्रित किया गया।

१२ अप्रैल, सन् १५७५ ई०

सेनापति मुनीम खाँ ने औपचारिक रूप में दाऊद के आत्म-समर्पण को स्वीकार किया तथा उडीमा को उसके अधिकार में रहने दिया।

सन् १५७४-७५ ई०

गुजरात में महामारी एवं अकाल का प्रकोप हुआ।

अकबूर, सन् १५७५ ई०

अकबर को पत्नी सलीमा सुल्तान वेगम (बहराम खाँ की विधवा दीवी) उसके पिता की वहन गुलबदन वेगम तथा उसकी माँ हमीदा दानू वेगम (कुछ लोगों का कहना है, यह अकबर की मौतेली माँ थी) ने मक्के की तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान किया। सूरत में वे करीब एक वर्ष के लिए पुर्तगालियों द्वारा रोक ली गई। सन् १५८२ ई० में वे वापस लौटी। गुलबदन वेगम के सम्बन्ध में यह माना जाता है कि उसने अपनी सस्मरणिका लिखी थी, जिन्तु मक्के की तीर्थयात्रा के अनुभवों से सम्बन्धित उसके द्वारा लिखित कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि उसके नाम से जिस सस्मरणिका का उल्लेख प्राप्त होता है, वह मात्र जालसाजी हो।

पुरुष तीर्थयात्रियों का एक जत्या एक विशेष व्यक्ति के नेतृत्व में भेजा गया। लगभग ५ या ६ वर्ष तक यात्रा की भव्य तैयारियाँ की गई। बाद-शाह ने एक सामान्य आदेश जारी किया कि जो कोई भी तीर्थयात्रा करना चाहे, राज्य के व्यय पर जा सकता था। (विसेंट स्मिथ की पुस्तक 'अकबर, एक महान् मुगल', पृष्ठ ६६)।

अकबर के सौतेले भाई मिर्जा अजीज कोका ने विद्रोह कर दिया। उसे

आगरा में 'पर बन्दा' की सजा दी गई। उसके विषय में कहा जाता है कि उसे 'अनिवार्यं अश्व-नेवा' का भी आदेश दिया गया। इस विद्रोह के पीछे अन्य कारण भी हो सकते हैं। अकबर की तत्परता तथा धर्मभिचारवृत्ति से मधी अवगत थे। मिर्जा अजीज़ कोका ने भी इसीलिए विद्रोह किया होगा। हम यह पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि अकबर के प्रायः सभी मम्बन्धियों ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। मिर्जा अजीज़ कोका ११वाँ प्रमुख दखारीया, जिसने अकबर के खिलाफ बगावत की।

#### १२ जुलाई, सन् १५७६ ई०

बगाल के अफगान शासक दाऊद की हत्या एक लडाई में कर दी गई। इस प्रकार उसका दामन समाप्त हो गया। उक्त लडाई बगाल के एक प्राचीन राजधानी 'राजमहल' के निकट लड़ी गई। वहाँ के ध्वसावशेषों का मम्बन्ध, गलत मत व्यवत वरते हुए, बाद के मुस्लिम शासकों से स्थापित किया जाता है। वस्तुतः प्राचीन हिन्दू भवनों के जो ध्वसावशेष प्राप्त होते हैं—वे मुमलमानों वे नगानार आक्रमण के कारण हैं।

#### सन् १५७२-१५८७ ई०

हिन्दुस्व के अमर-अजय अधिनवक्त भगवाण प्रताप तथा आक्राता अकबर के मध्य लगभग २५ वर्षों की दीर्घ-कालावधि तक प्रबल सघर्य चलता रहा। अन्ततः अकबर ने हार मानकर सघर्य से अपने हाथ खीच निये। मद्यगि भगवाण प्रताप वे साम्राज्य को क्षति पहुँची किन्तु उक्त नघर्य में वे अजेय मिद्द हुए एवं विजय वा मेहरा उन्हीं के मिर बेघा।

#### जून, सन् १५७६ ई०

हल्दी-धाटी की सुप्रमिद्द लडाई लड़ी गई। यही वह लडाई थी, जिसमें भगवाण प्रताप के दुर्दमनीय अश्व चेनक ने जहाँगीर के हाथी की कनपटी पर अपने सामने के दोनों पैर रख दिए। भगवाण प्रताप ने अपने जम्बे भाले में प्रहार किया। जहाँगीर हौदे के पीछे छिर गया तथा उसके स्थान पर महावत की हत्या हुई।

#### नवम्बर, सन् १५७६ ई०

आक्रमण में एक लम्बा पुच्छल तारा दिखलाई पड़ा। पुच्छल तारा काफी समय तक दिखलाई देता रहा।

सन् १५७७ ई०

राजा टोडरमल गुजरात से विद्रोही बन्दियों का एक जत्था लेकर पहुँचा। बन्दियों को कठोर यातनायें दी गईं।

सन् १५७८ ई०

अकबर पर अपस्मार (मिर्गी) रोग का दौरा पड़ा। यद्यपि कुछ चाटुकार इतिहास-लेखक इस बीमारी को एक प्रकार की 'दैवी विमुर्छा' की संज्ञा देते हैं। वस्तुत अकबर की मरणसिक स्थिति अत्यधिक खिल्ल हो गई थी।

सन् १५७९ ई०

पारमी धर्म के एक अध्यात्मवादी 'दस्तूर मेहरजी राणा', जिनका परिचय अकबर के साथ सन् १५७३ ई० में सूरत के आत्रमण तथा गिर-पतारियों के दौरान हुआ था तथा जिन्होंने सन् १५७५ ई० में फतेहपुर सीकरी के धार्मिक वाद-विवाद में भाग लिया, सन् १५७६ ई० के आरम्भिक चरण में अपने घर रवाना हुए।

जून का अन्तिम दिन, सन् १५७९ ई०

अकबर ने स्वयं को अध्यात्म-शक्ति प्राप्त दैवी व्यक्ति होने सम्बन्धी तथ्य पर जोर डालने तथा अपने को सल्तनत में 'धर्म-प्रधान' सिद्ध करने के लिए फतेहपुर सीकरी की प्रधान मस्जिद के धार्मिक उपदेशकों को हटवा दिया।

नवम्बर, सन् १५७९ ई०

पुरंगाली धर्म सम्प्रदाय के एक मिशन ने गोवा से प्रस्थान किया तथा २८ फरवरी, सन् १५८० ई० को वह फतेहपुर सीकरी पहुँचा। मिशन ने अकबर को वाइबल की एक प्रति भेंट की, जिसे उसने कुछ दिनों के पश्चात् लौटा दिया।

इसी समय के आस-पास अकबर द्वारा मिथ्या पाखण्ड का पदर्शन करने तथा नवीन 'प्रवर्तन' सम्बन्धी नीति अपनाने के कारण उसके खिलाफ प्रबल जनरोप देखा गया। इस सर्वेव्यापी रोप से अकबर के मन में भय उत्पन्न हो गया (विसेंट स्मिथ की पुस्तक, पृष्ठ १३०)। अकबर ने अजमेर से लौटते हुए 'यात्री-मस्जिद' के रूप में एक भव्य तम्बू तंयार

करवाया, जहाँ वह एक प्रामिक मुसलमान के समान पांचों समय नमाज़ पढ़ने तो छोल करने लगा।

### सितम्बर, सन् १५७६ ई०

अबवर ने एक राजाज्ञा प्रसारित की, जिसमें उसने निर्भान्ति रूप से स्वयं को सल्तनत का पूर्णत धर्म-प्रधान एवं अपनी आध्यात्मिकता सिद्ध होने मन्दन्धीर तथ्य की घोषणा की। एक सप्ताह के भीतर उसने अजमेर की अन्तिम यात्रा के लिए कूच बिया। ह्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को इस भोट के समय अबवर ने अनेक आडम्बर किये। अबवर की उन्नत राजाज्ञा की अधिष्ठोपण से यह विश्वास पैदा करने का प्रयास किया गया कि उसने एक नये धर्म 'कीन-ए-इलाही' की स्थापना की है।

### जनवरी, सन् १५८० ई०

बगाल के प्रभावशाली प्रधान व्यक्तियों ने अबवर के जिलाक विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को सन् १५८४ ई० में ही दबाया जा सका।

कायुल के शासक, अबवर के छोटे हरम भाई मिर्जा मोहम्मद हकीम ने आनंदण की घमकी दी।

### ८ फरवरी, सन् १५८१ ई०

भारत के उत्तर-पश्चिम के खुद के लिए अबवर ने फतेहपुर सीकरी से कूच किया। उसका वित्त-मत्ती शाह मसूर शहू से मिल गया था। इस प्रधार शाह मसूर १२वाँ प्रमुख दरबारी था, जिसने विद्रोह किया। पानेश्वर तथा अम्बाला के मध्य रास्ते में शाहबाद में उसे गिरफ्तार कर पृथक पर लटकाने का कार्य स्वयं अबुलफजल ने किया।

### ९ फरवरी, सन् १५८१ ई०

जब अबवर ने कायुल में प्रवेश किया, तो मोहम्मद हवीम वहाँ सब कुछ छोड़कर भाग निभला। केवल ६ दिन वहाँ रहने के बाद अबवर ने वापसी यात्रा की।

### १७ जनवरी, सन् १५८२ ई०

अबवर की सीतेली माँ वा देहावसान हो गया। उसके सम्बन्ध में यहा जाता है कि यक्के की यात्रा के बाद उसका अधिकार समय पहले ही अपने पति हुमायूँ का अबवरा बनवाने तथा बाद में उसकी व्यवस्था करने

में व्यतीत हुआ (डा० आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव की पुस्तक 'अकबर महान्', भाग-१, पृष्ठ २६२-६३ के इस उत्तेष्ठ के साथ अन्य उल्लेखों का विरोधाभास है)। अन्य उल्लेखों में कहा जाता है कि भक्तवरे का निर्माण-कार्य उसकी मृत्यु के उपरान्त आरम्भ हुआ।

### सन् १५८१-८२ ई०

अत्यधिक सख्या में देखों तथा फकीरों ने अकबर के 'नवीन प्रवर्तन' को रोकने की चेष्टा की तथा विद्रोह किया। उन्हें निवासिन का दण्ड दिया गया। अधिकाश सौरांगों को काघार भेज दिया गया। वहाँ उन्हें दास बनाया गया एवं उनके बदले घोड़ों का विनिमय किया गया।

### भार्च, सन् १५८२ ई०

अकबर के एक अन्य प्रमुख दरबारी मासूम खाँ फहनखुदी ने उसके सिलाफ विद्रोह कर दिया। अकबर की माँ का सरक्षण एवं देख-रेख प्राप्त होने के बावजूद भी एक रात जब वह फतेहपुर भीकरी में राजमहल से वापिस जा रहा था, उसकी हत्या करवा दी गई।

### सन् १५८२ ई०

एक जैन मुनि हीरविजय सूरी ने अकबर के दरबार में कुछ दिनों तक निवास किया।

### १५ अप्रैल, सन् १५८२ ई०

अकबर की फौज द्वारा पुर्तगालियों के अधिकृत प्रान्त 'दमन' पर आक्रमण किया गया। 'दीव' पर भी इसी प्रकार आक्रमण किया गया। भीषण एवं कूर हमला विफल हो गया।

सन् १५८५ ई० में जो धार्मिक वाद-विवाद आरम्भ करवाया गया था वह सन् १५८२ ई० में समाप्त हुआ।

इसी ममत के आमणास पादरी मान्सेरेट के साथ आये सच्चद मुजफ्फर से अकबर ने उसे यूरोप के राजदूतावास में राजदूत के रूप में जाने की बात पूछी। इसके पीछे अकबर का उद्देश्य मुजफ्फर से मुक्ति पाना था। सच्चद मुजफ्फर ने दक्षिण की ओर कूच किया तथा स्वयं को छिपा लिया।

### ४ अगस्त, सन् १५८२ ई०

इस्लाम को अस्वीकार करने के कारण सूरत में दो ईसाई युवकों को

फल करवा दिया गया। इसाई युद्धकों की मुक्ति के लिए एक हजार सिवाओं का प्रतिभू प्रस्तुत किया गया था, किन्तु वह अस्वीकार कर दिया गया।

**अगस्त, सन् १५८२ ई०**

अकबर एसे मकान में गया, जहाँ करीब २० नवजात शिशुओं को उनकी माताओं से खरीदा गया था। उन नवजात शिशुओं को मूक परिचारिकाओं वे मरक्षण में 'भापा-उत्पत्ति'<sup>१</sup> के प्रयोग के लिए एकान्त-निजंन प्रदेश में भेज दिया गया। अकबर का यह एक ऐसा निमंप और बद्रंर प्रयोग था, जिसने उन असहाय बच्चों की जिन्दगी पूर्णत बरबाद कर दी।

१५ अक्टूबर, सन् १५८२ को फतेहपुर सीकरी की ६ भील लम्बी तथा २ भील चौड़ी झील पूट गई। अकबर उस समय अपने दरबारियों के साथ एक जन्मोत्सव समारोह में मशायूत था। डूबने गे बच्चने के लिए उसे वहाँ से भागना पड़ा। झील के इस तरह फूट जाने से वह सूख गई। इसी झील से नगर की जल-मूर्ति होती थी। सन् १५८५ ई० में झील सूख जाने से अकबर के लिए वहाँ रहना असम्भव हो गया, अतः उसने वह स्थान छोड़ देना उपयुक्त ममझा।

एक दूसरे महत्त्वपूर्ण दरबारी एतिमाद खाँ ने अकबर के खिलाफ यावत कर दी। गुजरात के अन्य विद्रोहियों के साथ उसने अकबर के विरुद्ध पड़पन्न किया। बाद में पश्चात्ताप करने तथा सोद व्यवत करने पर उसे गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया गया।

**सन् १५८३ ई० का आरम्भ**

"जेमूट पादरी एविवा"<sup>२</sup> ने अनेकानेक कठिनाइयों के बाद अकबर से अनुमति प्राप्त कर फतेहपुर सीकरी से कूच किया। अकबर के दरबार में उमने तीन वर्ष से अधिक समय तक निवास किया था।

१. भापा-विजान, एम० ए० की बहाओ, तथा अन्य बहाओं, जिनके अन्तर्गत भापा-विजान के पचों निर्धारित होते हैं, ऐ अकबर ने इसके द्वारा भापा-उत्पत्ति के सिद्धान्तों में एक नये सिद्धान्त का समावेश किया। डा० भोलानाथ तिकारी आदि भापाविदों ने अकबर के इस प्रयोग को मान्यता दी है।

**सितम्बर, सन् १५८३ ई०**

गुजरात के भूतपूर्व शासक मुजफ्फर शाह ने अहमदाबाद को अपने अधिकार में कर लिया तथा स्वयं को वहाँ का शासक घोषित कर दिया। उसे नगातार 'सरखेज' एवं 'ननदेड़' में पराजित किया गया तथा बाद में विवश किया गया कि वह पीछे हटकर 'कच्छ' के सैकत निर्जन देश में जा कर रहे। सन् १५८१-८२ ई० तक, जबकि वह गिरफ्तार किया गया, वह बराबर बिद्रोह में लगा रहा। उसके विषय में यह जानकारी दी जाती है कि उसने बाद में गले में फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

**सन् १५८३ ई०**

अकबर ने अपने दरबार से प्रत्यक्षतः एक राजपूत राजकुमार को व्यर्थ के कार्य का वहाना कर विदाई दी, किन्तु राजकुमार ने अभी दरबार छोड़ा ही था कि, कहा जाता है, वह मृत होकर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु का समाचार पाकर उमकी विद्वा सुन्दर पत्नी ने पति के साथ में अपने-आपको उत्सर्ग करने की दृष्टि से 'आत्मदाह' करने की तैयारी की। अन्तिम समय में अकबर घटनास्थल पर पहुँचा। प्रत्यक्ष रूप से विद्वा राजपूत वीरगणना को आत्मदाह में बचाने की दृष्टि से उसने राजकुमारी को तथा उसके समस्त रिश्नेदारों को बन्दी बनवा दिया। यह एक धोखा माना है। अकबर ने राजपूत राजकुमार की हत्या उसकी सुन्दर पत्नी को अपने हरम में रखने के लिए करवाई थी।

**८ अक्टूबर, सन् १५८३ ई०**

अकबरने 'ईदुल-फितर' का उत्सव मनाया। इसी दिन अश्वारुद्ध होकर 'कन्दुक-त्रीडा' का आयोजन किया गया परन्तु इस सेत में राजा वीरबल के अपने धोड़े से गिर जाने के कारण हालत शोचनीय हो गई। अकबर के सम्बन्ध में एक किस्सा प्रचारित करते हुए कहा जाता है कि उसने अपनी अमीम कृपा दिखाते हुए राजा वीरबल पर मन्त्र-प्रयोग किया तथा पुनर्जीवित कर दिया। अकबर के आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने तथा उसे दैवी सिद्धि होने सम्बन्धी किस्सों का यह एक उदाहरण है। एक लम्पट और विलासी बादशाह को इम प्रकार मिथ्या रूप में सिद्ध होने का दुष्प्रचार किया जाता है।

## नवम्बर, सन् १५८३ ई०

अकबर के विषय में जानकारी दी जाती है कि उसने इलाहाबाद के दुर्ग का निर्माण करवाया तथा उसके चारों ओर एक नगर भी नीच ढाली। कहा जाता है कि उन्हने नगर में अकबर के दरवारियों ने भी भवनों एवं प्रासादों का निर्माण करवाया। वस्तुतः ये सब ऐतिहासिक घटनियाँ हैं। उन्हने दुर्ग तथा प्रयाग नगर अविस्मरणीय प्राचीन भारत की निशानियाँ हैं। उनके निर्माण का श्रेय मिथ्या स्पष्ट में अकबर पर आरोपित कर दचनाने विचारों का परिचय देये हुए चाटुकार मुस्लिम लेखक गलत एवं सूठा इतिहास प्रस्तुत करते हैं। भारतीय इतिहास की पाठ्य-पुस्तकों में इस प्रकार के मतों को बिना किसी प्रकार का प्रश्न उठाये तथा भरतता में इस प्रकार के निर्माणों पर विश्वास करने सम्बन्धी तथ्यों के प्रबोध में इतिहास की परम्परा दूषित होती है तथा अनेकानेक घटनियाँ उत्पन्न होती हैं।

अकबर वो नुस्लिम फौज द्वारा तीसरी बार 'भादा' के राजा रामचन्द्र पर आक्रमण किया गया। उन्हे अपमानजनक आहम-ममर्पण करने के लिए बाध्य किया गया। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व मन् १५६३ ई० में राजा रामचन्द्र ने अकबर को पुक्ल उपहार भेंट दिये थे तथा तीसरी भाद् तानसेन को भी उसके प्रति मरमरित कर दिया था। तानसेन को जब बलात् दिस्ती में मुस्लिम दरवार में उपस्थित होने के लिए ले जाया जा रहा था, दिश्मुओं के ममान वे बुरी तरह रो पड़े थे।

सन् १५८३ ई० में अकबर के बाधीनस्य प्रान्तों में भयकर जवाल का प्रकोप हुआ।

## सन् १५८४ ई०

अकबर के राज्याभियेक के वाद से प्रथम नव मुस्लिम वर्ष के रूप में ११ मार्च, सन् १५८४ ई० में अनीत-प्रभावी दैवी सन् को मान्यता देने की दृष्टि से एक दद्ये मन् का आरम्भ किया गया। अकबर के उन प्रयत्नों, जिनके द्वारा वह स्वयं को दैवी शक्ति प्राप्त तथा निशेष प्रभुत्व मम्मन वादशाह मिद्द करना चाहना था, का एक दृस्सा था। अकबर के इस प्रवार के दुप्रयास ही उसके दोणी होने के प्रमाण हैं।

एक तरुण हिन्दू चित्रकार 'दमदन्त' ने मुग्न दरवार की विषयाशक्ति,

सम्पटता तथा क्रूरता से ऊबकर स्वयं को छुरा भोक्कर आत्महत्या कर ली।

**१५ जुलाई, सन् १५८४ ई०**

अकबर के एक प्रिय दरबारी गाजी खाँ बदवशाही की अयोध्या में मृत्यु हो गयी। उसके द्वारा अयोध्या के कुछ प्राचीन हिन्दू मन्दिरों को मस्जिदों एवं मकबरों में बदलवाया जा चुका था। जिस मन्दिर में उसने निवास किया, जहाँ मृत्यु के बाद उसे दफनाया गया, उसे भी मकबरे में परिवर्तित कर लिया गया।

**१३ फरवरी, सन् १५८५ ई०**

शाहजादे सलीम (भावी बादशाह जहाँगीर) की शादी राजा मानसिंह की बहन 'मानवाई' के साथ मन्यन्त हुई। मानवाई ने दो शिशुओं को जन्म दिया। पुत्री सुल्तुनिसा की मृत्यु ६० वर्ष की आयु में अविवाहित अवस्था में ही हुई। पुत्र खुसरू का जन्म ६ अगस्त, १५८७ ई० को हुआ तथा मृत्यु २६ जनवरी, १६२२ ई० को हुई। वह अपनी माता के साथ इलाहाबाद में विद्रोही के रूप में बन्दी बनाया गया था। खुसरू बाग में उसका तथा-कथित मकबरा एक प्राचीन ध्वस्त राजमहल का एक हिस्मा था, जहाँ पहले उसे बन्दी बनाकर रखा गया तथा उसकी मृत्यु के बाद उसे वही बाग में दफन कर उस स्थान को मकबरे का रूप दे दिया गया। मानवाई की हत्या स्पष्टतः सन् १६०४ ई० में अकबर तथा सलीम के सम्मिलित पड़यन्त्र द्वारा हुई।

**२० दिसम्बर, सन् १५८५ ई०**

कश्मीर के शासक मूमुक खाँ तथा उसके बेटे याकूब को अधीन करने अकबर ने एक सेना भेजी। अकबर के दरबार में याकूब कुछ समय तक ज़मानत के रूप में रहने के भय से भाग गया। दो पहाड़ी राज्य 'स्वात' तथा 'वाजौर' को विजित करने के लिए दो सैनिक जत्थे भेजे गए।

अकबर के सैनिक जत्थों के साथ 'दयजीद' के नेतृत्व में रोशनिया अफगानों ने जमकर लड़ाई लड़ी।

**२२ जनवरी, सन् १५८६ ई०**

यूसुफ़ज़ी अफगानों के विरुद्ध अभियान में भाग लेने का वीरबल को

आदेश दिया गया। सरखारी मुस्लिम इतिवृत्त अकबर की फौज के एक कमाण्डर जैन खाँ को उत्तर-पश्चिम के पहाड़ी घोचे के 'चबदरां दुगं' के निर्माण का थ्रेय मिथ्या रूप में देते हैं, इस आक्रमण में बीरबल की हत्या हो गई। बीरबल का मूल नाम महेशदास था। बीरबल का जन्म सन् १५२८ ई० के आसपास कालपी नगर में भट्ट चन्द के एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था।

उपर्युक्त घटना के तुरन्त बाद राजा टोडरमल के नेतृत्व में अनुत्तरदायी यूसुफ जाईंज का दमन करने सेना भेजी गई। फिन्तु इससे प्रान्त की अन्य अफगान जातियों उत्तेजित हो उठी। उन्होंने अकबर की लुटेरी फौज से जमकर लोहा लिया। तब मानसिंह को अपनी फौज के साथ बाबुल में लड़ाई को सचालित करने का आदेश दिया गया। मानसिंह एक महीने तक बीमार पड़ा रहा। अफगान जातियों को पराभूत न कर सकने की उसकी अक्षमता के कारण उसकी भर्त्सना की गई। अफगान जातियों के कितने ही लोगों को कर्त्तव्य दिया गया। जिन लोगों को बन्दी बनाया गया, दासों की हैसियत से बेच दिया गया। अकबरनामा में इस क्षेत्र में कई दुगाँ के निर्माण का झूठा थ्रेय जैन खाँ को दिया जाता है। अफगान जातियों के ये विद्रोह सन् १६०० ई० के बाद भी जारी रहे।

## २२ फरवरी, सन् १५८६ ई०

वश्वीर के शामक यूसुफ खाँ के माथ सधि-पत्र पर राजा भगवानदास ने अपने हस्ताक्षर किये। अकबर ने राजा भगवानदास की भर्त्सना करते हुए उनके सधि को मान्यता देने से इकार कर दिया। अकबर के इस अविश्वास से राजा भगवानदास को मार्मिक आघात पहुँचा और उसने छुरा मारकर आत्म-हत्या कर ली। इससे सिद्ध होता है कि यथार्थ तथ्य मामान्य जन-विश्वास से कितने विपरीत है। अकबर के धरवार में सम्बन्धित प्रत्येक हिन्दू दरवारी को अतत पछताना पड़ा। अकबर की कहरता के सामने उनके विश्वास का कोई मूल्य नहीं था।

## ६ अक्टूबर, सन् १५८३ ई०

दामिम खाँ के नेतृत्व में अकबर की फौज ने श्रीनगर में प्रवेश किया। लूट-खस्तोट करना, जनता को यातनायें देना तथा अत्याचार करना आरम्भ

कर दिया। याकूब खाँ तथा उसके पिता यूसुफ खाँ अकबर की फौज को गुरिल्ला मुद्द से लगातार परेशान करते रहे।

**जुलाई, सन् १५८३ ई०**

याकूब खाँ ने आत्म-समर्पण कर दिया। कश्मीर को सल्तनत में शामिल करने के बाद यूसुफ खाँ को मुक्त कर दिया। अकबर द्वारा यूसुफ खाँ को एक सामान्य दरवारी बना लिया गया तथा उसे उड़ीसा में युद्ध करने भेजा गया।

नाहीर में अकबर की फौज एक लम्बे अरसे से रह रही थी तथा वहाँ के पवित्र स्थानों को दूषित कर रही थी। वहाँ की असहाय एवं असुरक्षित जनता को लगातार हमले एवं आत्ममणों का सामना करना पड़ रहा था। अत जनता ने अनेक हिन्दू राजाओं, जो आस-पास के प्रदेशों में शासन करते थे, को विवश किया कि वे अकबर से शाति-स्थापना की प्रार्थना करें। जिन लोगों ने समर्पण किया उनमें नगरकोट के राजा विधिचन्द्र, जम्मू के परसराम, माऊ के बसु, जैमबाल के अनुराधा, कहलूर के राजा तिला, मानकोट के प्रताप तथा अन्य अनेक प्रमुख शामिल थे।

कहा जाता है, इसी समय कश्मीर के याकूब खाँ को अकबर द्वारा मार डालने का प्रयास किया गया। उत्सव मनाने के लिए अकबर द्वारा याकूब खाँ के लिए एक जहरीला लवादा भेजा गया। जिसके पहनने पर उसकी मृत्यु अनिवार्य थी।

**१ जनवरी, सन् १५८४ ई०**

'छोटे तथा बड़े तिव्वत' पर दबाव डाला गया कि वे अकबर का आधिपत्य स्वीकार कर लें। 'छोटे-तिव्वत' के प्रधान अलीराय को अपनी बेटी जहाँगीर के हरम के लिए समर्पित करने हेतु विवश किया गया। अलीराय की निःसहाय बेटी को लाहोर लाया गया तथा मुसलमानों के नए वर्ष के दिन उसे बलात् जहाँगीर के हरम में प्रविष्ट कराया गया।

**सन् १५८५ से १५८८ ई०**

जन-सामान्य का जीवन-स्तर गिर गया। अधिकादा प्रान्तों में जनता को दरिद्रता तथा अनेक अभावों का सामना करना पड़ रहा था।

**२६ जून, सन् १५८६ ई०**

बीबरनेर के शासक रायसिंह की कन्या को सलीम (भावी बादशाह जहाँगीर) के हरम में प्रवेश के लिए भाहोर लाया गया। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व सलीम की कई शादियाँ हो चुकी थीं।

**१६ नवम्बर, सन् १५८६ ई०**

माझ उर्फ नूरपुर के शासक राजा बहु पर दूसरी बार दबाव डालकर मत्तनत के अधीन किया गया। अकबर ने दबाव-पूर्ण एवं कपट-नीति एवं व्यवहार वी स्थिति मह थी कि उसके अधिकारियों वा कार्य-सेवा पृथक्-पृथक् हो गया था। अब मेरे उसने निश्चय किया कि अपने द्वारा ग्रामित १२ प्रान्तों में से प्रत्येक मेरे राज्यपाल नियुक्त करेंगा। इसके पीछे अकबर का यह उद्देश्य था कि केवल विरोध के कारण वे एक दूसरे वा छिपान्वेषण करे, अपने दोषों को छिपाकर दूसरे के दोषों को मापने रखें तथा अकबर को उनकी जानकारी दें ताकि वह उन्हे एक दूसरे के विरोध एवं दोषों द्वारा नियन्त्रण में रख सके तथा समय आने पर उन्हे फँसा मारे।

**सन् १५८७ ई० का शारण**

अकबर ने धन वसूल बरने की दूषित से एक शोपणपूर्ण अध्यादेश की घोषणा की, जिसके अन्तर्गत जो कोई भी दरबार में जाता था, तथा बादशाह के ममक्ष उपस्थित होता था, उसे अपनी स्थिति वं अनुसार रजत अथवा स्वर्ण की उतनी मुद्रायें भेट करनी होती थीं, जिननी भेटवर्ती की आयु होनी थी।

**२६ जुलाई, सन् १५८७ ई०**

हिमी कातिल ने एक रात टोडरमल को छुरा भोवा दिया। उक्त कातिल के मन मे टोडरमल के प्रति ईर्ष्या की भावना थी, क्योंकि टोडरमल अकबर वा विश्वासी अनुचर था, जिसके कारण वह अकबर वे शोपणपूर्ण आदेशों को नियमों एवं व्यवस्थाओं के रूप मे विधान्वित करना था।

**६ अगस्त, सन् १५८७ ई०**

अकबर वा प्रथम नाती युसूफ वा जन्म जयपुर की राजकन्या मानवाई की ओल से हुआ। युसूफ वा जीवन विद्वोह तथा दुर्व्यवस्थानों मे व्यतीत हुआ

## अकबर के शासन-काल का इतिवृत्त

था। बाद में उसे बन्दी बनाकर मृत्युदंड दिया गया। मानवाई को मुसल-मान नाम 'शाहू बेगम' दिया गया।

**३० मई, सन् १५८८ ई०**

अकबर के तीसरे बेटे दनियाल की शादी सुल्तान रुबाजा की बेटी के साथ मम्पन्न हुई।

**अगस्त, सन् १५८८ ई०**

शाहजादे मुराद को सुल्तान रस्तम नामक पुत्र की प्राप्ति हुई।

**२६ अप्रैल, सन् १५८९ ई०**

अकबर के दरबार की २६ दर्पों तक सेवा करने के बाद लाहौर में सगीत मम्राट तानसेन का देहावसान हो गया। कहा जाता है कि तानसेन का मृत शव पहले लाहौर में दफनाया गया, बाद में उसे ग्वालियर लाया गया।<sup>१</sup>

**२८ अप्रैल, सन् १५८९ ई०**

अपनी पहली कश्मीर यात्रा के लिए अकबर ने कूच किया। दक्षिण के राज्य अहमदनगर के विशद बुरहानुदीन को भेजा गया। बुरहानुदीन अस-फल होकर लौटा।

**५ जून, सन् १५८९ ई०**

श्रीनगर पहुँचने के बाद अकबर ने कश्मीर के पूर्ववर्ती शासकों के राज-महल में ३६ दिन निवास किया। कश्मीर की अपनी यात्रा के दौरान अकबर ने अपने बेटे मलीम से मिलने से इन्कार कर दिया। इसका बदला लिए जाने के डर से सलीम ने स्वयं को अपने तम्बू में बद कर लिया। अकबर की समीपता का विचार कर छोटे तथा बड़े तिब्बत के शासकों के मन में भय उत्पन्न हो गया कि कही अकबर उनपर हमला न करे। अत उन्होंने अकबर के पास प्रचुर उपहार भेजे।

१. इस तथ्योल्लेख से ऐसा आभास होता है कि अकबर के दरबार में जितने भी हिन्दू दरबारी एवं कर्मचारी थे, उनपर मुस्लिम रीति-रिवाज बलात् थोखे जाते थे। मृत्यु के बाद तानसेन का दाह-संस्कार न कर उसे दफनाया गया।

### ३ अक्तूबर, सन् १५८६ ई०

अकबर कावुल पहुँचा तथा वहाँ उसने ४८ दिन निवास किया : वहाँ उसे टोडरमल वा त्याग-पत्र प्राप्त हुआ । टोडरमल ने हरिद्वार प्रस्थान किया तथा वही अवकाश-प्राप्त जीवन व्यतीत करना आरम्भ किया, किन्तु बाद में टोडरमल पुन बुलवाया गया ।

### ४ नवम्बर, सन् १५८६ ई०

लाहौर में टोडरमल वा शरीरान्त हो गया ।

### १४ नवम्बर, सन् १५८६ ई०

राजा टोडरमल की अन्तेष्ठि-किया में भाग लेते हुए राजा भगवान दास भीषण सर्दी के शिकार हो गये । उन्होंने उल्टियाँ करना आरम्भ कर दिया । वे 'मूत्रकृच्छ' की वीमारी से घस्त हो गये तथा उनकी मृत्यु हो गई । स्मरणीय है कि राजा भगवानदाम की वहन जोधाबाई अब्दवर की एक पत्नी थी ।

सिध, कायार तथा सिबि (वलूचिस्तान में क्वेटा वा उत्तर-पूर्व क्षेत्र) पर अब्दवर ने आक्रमण किया तथा उक्त क्षेत्रों के बृहद भाग को हस्तागत कर लिया ।

### सन् १५८८ ई० का अन्तिम घटण

अब्दवर ने उडीसा के अफगान शासक के विरुद्ध आक्रमण किया । अब्दवर द्वारा यह विजय सन् १५८२ में प्राप्त हुई । अब्दवर के आक्रमण द्वितीय में उडीसा की जनता ने विद्रोह कर दिया, किन्तु शीघ्र ही उनका दमन कर दिया गया ।

हिन्दू राजा लक्ष्मीनारायण द्वारा शासित 'कून विहार' पर आक्रमण किया गया तथा अब्दवर की अधीनता स्वीकार करने के लिए उसे विवश किया गया ।

### २२ जुलाई, सन् १५८२ ई०

कश्मीर के स्थानीय विद्रोह को कुचलने के उद्देश्य से अब्दवर ने अपनी द्वितीय कश्मीर यात्रा आरम्भ की । कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पहुँचने के पूर्व ही अब्दवर के समक्ष विद्रोही 'पादगार' का सिरकाटकर प्रस्तुत किया

गया। अकबर अक्टूबर, सन् १५६२ ई० को श्रीनगर पहुँचा। वहाँ उसने २५ दिन निवास किया।

**मार्च, सन् १५६३ ई०**

अकबर का सौतेला भाई मिर्जा अजीज कोका प्रत्यक्ष रूप में मबके की यात्रा करने दरवार से भरग गया। कावा के मुसलमान शेखो एवं मौलवियों द्वारा उसके धन का अधिकाश भाग लूट लिया गया। वहाँ अपने जीवन को असह्य समझकर मिर्जा अजीज कोका अनिच्छा से वापस लौट आया।

**५ अगस्त, सन् १५६३ ई०**

विघ्यात कवि अबुल फैजी तथा इतिहास-लेखक अबुल फजल के पिता शेख मुबारक का दद वर्ष की आयु में देहान्त हो गया।

**५ अक्टूबर, सन् १५६५ ई०**

कवि फैजी को 'जलोदर' की बीमारी हो गई। रक्त-वमन होने लगा। श्वास लेने में दिक्कत होने लगी तथा उसके हाथ-पैर सूज गये। ऐसी दशा में लाहौर में उसकी मृत्यु हो गई।

**३० अक्टूबर, सन् १५६५ ई०**

अकबर की पाकशाला के अधीक्षक हकीम हुमाम, जिसकी परिणाम दरवार के ६ महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों में की जाती थी, का देहान्त हो गया।

**१ अप्रैल, सन् १५६७ ई०**

अकबर ने अपनी तीसरी कश्मीर यात्रा के लिए कूच किया। इस यात्रा के दौरान भी अकबर तथा शाहजादे सलीम के सम्बन्ध इतने तनावपूर्ण रहे कि न तो अकबर ने सलीम से मिलने की इच्छा व्यक्त की, न ही सलीम ने अकबर से मिलना चाहा। सन् १५६७ ई० के मई माह से नवम्बर माह तक कश्मीर की धाटी में भयकर दुर्भिक्ष का प्रकोप रहा। भयभीत जनता अपने घर-द्वार छोड़कर भागने के लिए विवश हो गई। हिन्दू राजा लक्ष्मीनारायण द्वारा शासित 'कूच विहार' पर आक्रमण किया गया एवं उसे अधीन किया गया।

**३ मई, सन् १५६७ ई०**

समीप के ही एक और शासक राघव देव (लक्ष्मीनारायण के चचेरे

भाई) को उसी प्रकार परेशान किया गया तथा बलात् अधीनता मनदाई गई।

**६ नवम्बर, सन् १५६८ ई०**

१३ वर्ष तक पजाब मेर रहने के बाद अकबर ने आगरे के लिए प्रस्थान किया। उद्देश्य था—दक्षिण के राज्यों की पराजय की ओर अधिक ध्यान देना।

**२२ मई, सन् १५६९ ई०**

अत्यधिक मदिरापान करने के कारण विमूच्छी वी स्थिति मेर शाहजादे मुराद की दौलताबाद मे २० खोस की दूरी पर पूर्णा नदी के बिनारे दिह-बदी मे मृत्यु हो गई। मुराद की मृत्यु के कारण अकबर ने सलीम (जहाँगीर) को दक्षिण की स्थिति सम्भालने, निरीक्षण करने तथा आक्रमण आदि मन्त्रालित करने के लिए भेजा, किन्तु सलीम ने दक्षिण मे जाने से इन्वार कर दिया।

**१५ जुलाई, सन् १५६९ ई०**

ईसाई पादरी फ्रासिस जोरोम् जेवियर ने आगरे मे वादशाह से श्रार्थना की कि चूंकि उसने कारसी का पर्याप्त अध्ययन किया है, भले उसे धार्मिक उपदेश देने की अनुमति प्रदान की जाये। अकबर मे उसका अनादर करते हुए कहा कि उसे अपने धर्म के सम्बन्ध मे बोलने की जो स्वतन्त्रता दी गई है, वही पर्याप्त है।

**१६ सितम्बर, सन् १५६९ ई०**

अकबर ने प्रत्यक्षत शिकार खेलने के लिए आगरे से नूच विया, किन्तु उसका वास्तविक उद्देश्य यह था कि शाहजादे दनियाल पर जोर डाले कि वह अपने ऐशो-आराम की जिन्दगी से दक्षिण के युद्ध-अभियान को अत्यधिक प्रबन्ध से सम्भालने के लिए समय निकाले।

जयपुर के राजकीय परिवार के एक सदस्य जगतसिंह ना इसी समय मे आसपास देहावसान हो गया। वह बगाल के विरुद्ध एक युद्ध का नेतृत्व करने चाला था। उसकी मृत्यु का कारण अत्यधिक मदिरापान एवं मुगल दरबार की अत्यधिक विषयासविन तथा नीचतापूर्ण दासता की जिन्दगी से उत्पन्न था।

**फरवरी, सन् १६०० ई०**

'अशोर गढ़' के दुर्ग का घिराव करने के लिए एक वड़ी सेना भेजी गई। उक्त दुर्ग पर छल-प्रपञ्च से आधिपत्य स्थापित किया गया।

**३ जुलाई, सन् १६०० ई०**

अहमदनगर की मुसलमान शासिका चाँद बीबी के विरुद्ध पड़यन्त्र रचा गया तथा उसकी हत्या की गई।

**१६ अगस्त, सन् १६०० ई०**

अहमदनगर के दुर्ग तथा शहर पर कब्जा किया गया। इससे पूर्व सन् १५८६ ई० में तथा सन् १५८८ ई० में दो प्रयास किये गये थे, किन्तु वे व्यर्थ सिद्ध हुए थे। अहमदनगर में चाँद बीबी का भाई बरहनुल मुल्क, जिसकी मृत्यु अप्रैल, सन् १५८५ ई० में हुई, एक ऐसा भवकार व्यक्ति था, जिसने अपने अधिकारियों के परिवारों की प्रतिष्ठा को नष्ट किया था। अहमदनगर पर अकबर की फौज द्वारा शाहबाज याँ के नेतृत्व में १८ दिसम्बर, सन् १५८५ ई० को अधिकार स्थापित किया गया। अकबर की फौज ने जनता पर अत्याचार किये। उनकी सम्पत्ति लूट ली गई।

'मुनगी पाटून' नामक एक समीपस्थ नगर को भी मुगलों ने लूटा। २३ फरवरी, सन् १५८६ ई० को एक सन्धि की गई थी। अहमदनगर के जामीरदार शासक के रूप में बहादुर को मान्यता देने के बदले बरार को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। २० मार्च, सन् १५८६ ई० को जब मुगलों ने बापस लौटना आरम्भ किया तो अहमदनगर की उत्तेजित जनता ने मुगलों का सामान लूटना शुरू कर दिया।

**१ अगस्त, सन् १६०१ ई०**

अकबर एक स्वत्प दौरे पर फतेहपुर सीकरी पहुँचा। वहाँ उसने ११ दिन निवास किया। जहाँगीर की आयु अब ३१ वर्ष, ८ माह हो चुकी थी। उसने खुला विद्रोह कर दिया। २० वर्ष की आयु के बाद से ही उसके मन में अपने पिता के प्रति नफरत उत्पन्न हो गई थी, जो शनै-शनैः बढ़ती ही गई। ८ जुलाई, सन् १५८६ ई० को अकबर उदर-शूल से पीड़ित हुआ। मूर्छा की स्थिति में उसके मुंह से अस्फुट शब्द निकले कि उसे शंका है कि उसके देटे जहाँगीर ने उसे जहर दिया है। अकबर ने अपने दरबार के ६

रत्नों में मे एक—हनीम हुमाम पर भी जहर का प्रभाव न घटा सख्ते की शका की। १६ मई, सन् १५६७ ई० को जबकि जहाँगीर 'आजोरी' (कश्मीर वा एक हिस्सा) में निवास कर रहा था, उसके अगरथाको एवं द्वाजा फनेउल्लाह के नेतृत्व में अकबर के मैनिक जत्थो के बीच 'भिडन्ट' हो गई। जहाँगीर को शान्त करने के विचार में कि कही वह अनियत्रित एवं अधिक स्वतंत्रक न हो जाये, अकबर ने फनेउल्लाह की जीभ बाटने का आदेश दिया। सन् १५६८ ई० के आरम्भ में अकबर ने जहाँगीर को तुरान के विरद्ध युद्ध अभियान वा आदेश दिया, किन्तु जहाँगीर ने इससे साफ़ इन्कार कर दिया। सन् १५६९ ई० के अन्तिम चरण के आम-पास दक्षिण में उत्तरे अकबर की अनुपस्थिति का खाम उठाने हुए सलीम (जहाँगीर) ने शीघ्रता में अजमेर से आगरे के लिए कूच किया। वहाँ से वह इलाहाबाद पहुंचा। वहाँ वह एक स्वतन्त्र शामक के रूप में अधिष्ठित हो गया।

#### ६ अगस्त, सन् १६०२ ई०

जहाँगीर के उकसाने पर गवालियर से करीब ३५ मील दूर 'सरद बुर्जी' तथा 'अन्तरी' गाँवों के बीच, धात लगाकर अद्युल फजल की हत्या कर दी गई।

#### ७ फरवरी, सन् १६०३ ई०

अकबर के पिता की वहन गुलबदन वेगम की ८२ वर्ष वी आयु में मृत्यु हो गई। गुलबदन वेगम ने अपने भाई हुमायूँ के दामन-काल के सम्बन्ध में अपनी सत्त्वरणिका तिखी है।

#### अष्टवृत्तर, सन् १६०३ ई०

शाहजादे सलीम को राणा अमरमिह (स्व० राणा प्रताप के पुत्र) से युद्ध करने के लिए भेजा गया। कुछ दूर जाकर मैनिक जत्थो एवं अस्त-शस्त्र के अभाव वा बहाना करके वह लौट आया।

#### सन् १६०४ ई०

ओरछा के प्रधान बीरमिह देव, जिसने अद्युल फजल के विरद्ध पड़यन्त्र रचा था, के खिलाफ़ सेना भेजी गई। अकबर की कौज दुरी तरह पीछे पढ़ेझी गई।

जहाँगीर की पत्नी मानवाई की हत्या कर दी गई—यद्यपि उसके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि उसने आत्महत्या की थी।

एक दिन अकबर अपने शयन-काल के बाहर, जब वह दोपहर को नींद लेने भीतर गए, दौवारिक को ऊंचते हुए देखकर कूद हो उठा। उसने आदेश दिया कि दौवारिक को आगरे के दुर्ग के ऊपर से नीचे कैक दिया जाय।

अकबर के साथे ही जहाँगीर भी इतना कूर तथा निर्मम था कि उसने एक जीवित समाचार-लेसक की खाल उतरवा ली, एक बालक को बधिया करवा दिया तथा एक नींकर को इतना पिटवापा कि उसकी मृत्यु हो गई।

**२१ अगस्त, सन् १६०५ ई०**

अपने विद्रोही देटे का दमन करने के लिए अकबर ने इलाहाबाद के लिए कूच किया। मार्ग में ही उसे अपनी माला की दीमारी का समाचार मिला, जिसके कारण उसे वापस लौटना पड़ा।

**२२ अगस्त, सन् १६०५ ई०**

अकबर की माता 'मरियम मकानी' की मृत्यु ७७ वर्ष की आयु में हो गई।

**२३ अगस्त, सन् १६०५ ई०**

दिवंगता को अद्वाजनि अर्पित करने एवं शोक का झूठा बहाना करते हुए सलीम आगरे पहुँचा। उसके साथ बादे माझ तथा पठानकोट के शासक राजा बसु को 'वलिदान का बकरा' बनाते हुए गिरफ्तार करने की कोशिश की गयी, किन्तु बसु भागकर अपने अधीनस्थ प्रदेशों में पहुँच गया। बाद में जहाँगीर को एक घर में कैद करके गीटा गया।

**११ भार्व, सन् १६०५ ई०**

शाहजादे दनियाल की, जिसने अकबर हारा कई बार दुलाला भेजने के बाबजूद भी दक्षिण से आपरा लौटने में इन्कार कर दिया था, अत्यधिक मदिरापान से मृत्यु हो गई।

**२४ सितम्बर, सन् १६०५ ई०**

सिकंदरा के राजमहल में अकबर दीमार हुआ।

१५ अक्टूबर, सन् १९०५ ई०

भारतवर्ष में ४८ वर्ष, ८ माह तथा ३ दिन शासन करने के बाद ७३ वर्ष की आयु में एक रात अबवर की मृत्यु हो गई। उसके तीन बेटे एवं तीन बेटियाँ थीं। उसके दो बेटों की मृत्यु हो चुकी थी। दो बेटियो—शाहदाद (खानम सुल्तान) तथा शुक्रहन्जिसा वेगम की शादियाँ हुई थी। तीसरी अदिवाहिता बेटी आराम वेगम की मृत्यु जहाँगीर के शासनकाल में हुई।

: ३ :

## अकबर का धूर्ततापूर्ण परिवेश

अकबर के सभी पूर्वज कूर, वर्बर, दुराचारी और पाश्विक वृत्ति के थे। प्रपोत्र और गजेव तक तथा उसके बाद भी सभी उत्तराधिकारी अन्याय, अत्याचार और अमानवीय दुराचारों के जीवन्त प्रतिरूप थे। स्वयं अकबर तथा उसके समस्त समकालीन भी कूरता और बर्बरता में किसी से कम नहीं थे, अपितु उसी क्रम-बद्ध श्रेणी की कड़ियाँ थे। आगे के प्रकरणों में हम इन तथ्यों पर सम्यक् प्रकाश ढालेंगे कि अकबर तथा उसके हिक्स पश्तुल्य सेनापतियों ने जो स्वैच्छाचारिता और निरकुशता दिखलाई, जनता को यातनायें दी, कूरता तथा बर्बरता का परिचय दिया, उनकी कोई परिसीमा नहीं थी। अकबर तथा उसके सेनापति कुकृत्यों तथा हड़कंपों के धूम्रपूर्ज बनकर छा गये थे।

अकबर का जन्म तथा पालन-पोषण अशिक्षित तथा बर्वर वातावरण में हुआ था। यह दूषित वातावरण अपरिमित शराबखोरी, व्यभिचार तथा असीमित दुष्कृत्यों एवं अनाचारों के कारण और भी अधिक मलिन तथा पाश्विक बना दिया गया था। अतः अकबर के सम्बन्ध में जैसा कि कहा जाता है कि वह 'अनन्त सद्गुणों का रत्न' था, पूर्णतः भ्रात तथा गलत मत है। अपने पूर्वजों एवं उत्तराधिकारियों के समान वह भी दुराचारी और लम्फट था। गाय की खाल ओढ़े भेड़िया था। यदि यह मान भी लिया जाये कि वह 'प्रकृति की विलक्षण व्युत्पत्ति था', 'सद्गुणों की खान' था तो उसके पुत्र, पोत्र, प्रपोत्र उसके गुणों से पूर्णतः वचित हो जाएं, दुराचारी और कामी नहीं होते। यह कैसे सम्भव हो सकता है कि किसी का पूर्वज तो अनंत सद्गुणों की खान हो, किन्तु उसके उत्तराधिकारी कूर और बर्वर हो जायें! यह मात्र तर्क है और इस प्रकार के तकों के द्वारा हम जिन निष्कर्षों पर

पहुँचते हैं, उन्हें अकबर के शासन से सम्बन्धित प्राप्त विवरणों में उल्लेखित तथ्यों से पूर्ण समर्थन प्राप्त होता है।

इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि भारत एवं हजार वर्षों से भी अधिक काल तक विदेशी शासनतन्त्र के अधीन गुलाम रहा, जिसके कारण सरकारी सरकारण में साम्राज्यिक एवं राजनीतिक स्वार्थ-मिडि के लिए इतिहास-सेक्षन की परम्परा प्रवर्त्त रूप में कपटपूर्ण ही रही है। इसी बाय हह दुष्परिणाम है कि भारत के अनीत का महज-भीदा एवं बास्तविक इतिहास लिखने का काम गुनाह समझा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सही इतिहास को प्रस्तुत करना एवं ऐसा 'पाप' है, जिसका कोई उन्मोचन नहीं। यही कारण है कि भारतीय इतिहास अनेकानेक आहस्मिक एवं कल्पित घटनाओं, धर्मान्वयनों, दुष्टियों, असगतियों, अव्यवस्थित एवं विवेकहीन निष्पत्तियों तथा विचारों से परिपूर्ण है। इस प्रकार भ्रात एवं अमगत मत एवं निष्पत्ति ऐसे हैं, जो तक एवं प्रमाणीकरण के विधान के हल्के से झटके को भी महन नहीं कर सकते तथा विवेचना भास्त्र में ही चूर-चूर हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि भारतीय इतिहास में जो मत प्रतिशादित किये गये हैं एवं निष्पत्ति प्रस्तुत किये गये हैं, वे कपटपूर्ण हैं। जब हम प्रमाणीकरण के विधान का आश्रय प्रहृण करते हैं एवं घटनाओं की तार्किक विवेचना आरम्भ करते हैं तो वे वर्णन असगन मिल होते हैं एवं उनका बाधार विलुप्तप्राप्त होने लगता है। भारतीय इतिहास में अकबर की महानता एवं उदारता सम्बन्धी वर्णन भी ऐसी ही घटनाएँ हैं जो वलात् समाविष्ट की गईं, हमारे इतिहासकारों ने भ्रान्तियों के आधार पर जिसका परिपोषण किया है। स्पष्ट है कि अकबर को महान् तथा उदार हृत्तिम रूप में प्रस्तुत विद्या गया है। हमारे इतिहासकारों ने इतिहास में ऐसी व्यवस्था इननिए की है कि अकबर को हिन्दू समाज, अशोक, जिन्हें उनकी दया एवं करण के कारण विश्व के साहित्य एवं इतिहास में सम्मानित किया जाता है तथा जिन्हें महान् एवं उदार मस्त्राटों की परम्परा में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जाता है, वे समक्षा, साम्राज्यिक महत्त्व की दृष्टि से प्रस्तुत विद्या जा सके। इस प्रकार प्राय मुस्लिम बादशाह अकबर को हिन्दू समाज, अशोक की थेणी में स्थान दिया जाने लगा है, जिसका बोई भी ऐतिहासिक बाधार पुष्ट एवं प्रामाणिक नहीं है।

स्मरणीय है कि अकबर का पितृ-पक्ष तैमूरलग तथा मातृ-पक्ष चगेज खाँ से सम्बन्धित था। तैमूरलग और चगेज खाँ ससार के दो क़ूरतम् एव सबसे अधिक लूट-खसोट करने वाले थे, जिन्होंने अपने अन्यायो एव अत्याचारों से सम्पूर्ण विश्व को थर्फ़ दिया था तथा सम्पूर्ण मानवता को पैरों तले कुचलकर रख दिया था। जिनके मामने उदारता और सहृदयता नाम की कोई चीज़ नहीं थी। विद्वास जिनके जीवन का प्रमुख घ्रेय था। न्यायाधीश श्री जे० एम० शेलट ने लिखा है<sup>१</sup> कि अकबर का पितामह बावर फारस की पूर्वी सीमा पर स्थित एक छोटे राज्य फरगना के स्वामी उमर शेख का बेटा था। उमर शेख का बाप अबु मईद तैमूरलग का प्रपोन था। उमर शेख की पहली पत्नी तथा बावर की माँ कुतलुग निगार खानम् क़ूरतम् मगोल चगेज खाँ के दूसरे बेटे चगताई खाँ के बशज 'यूनस खाँ' की दूसरी बेटी थी। कहा जा सकता है कि भारत के सभी मुसलमानों एव बादशाहों की रगों में ससार की दो क़ूर एव बर्बंर जातियों का खून था।

अकबर के दादा बावर को लोग नरभक्षी समझकर दहशत खाते थे तथा जहाँ कहीं भी वह जाता था, लोग उसके डर से भाग जाया करते थे। इस पुस्तक के एक आगामी प्रकरण में हम यह दिखलायेंगे कि स्वयं अकबर को उसकी समकालीन जनता एक जगली पशु समझती थी। अकबर सदैव लूट-खसोट में व्यस्त रहता था तथा जहाँ भी वह जाता था, वहाँ की जनता उसमें डरकर अन्यत भाग जाती थी।

बावर के सम्बन्ध में थी जे० एम० शेलट का मत है<sup>२</sup> कि बावर ने 'दीपालपुर' नगर पर, समस्त दुर्गंरक्षकों को तलबार के घाट उतारकर अपना कब्जा जमाया।<sup>३</sup> बावर के 'सेनापति' ने<sup>४</sup> शत्रुओं की पिटाई की तथा इन्हाँहिम लोधी की फौज में भय उत्पन्न करने की दृष्टि से (जबकि उसकी सेना दिल्ली की ओर आगे बढ़ रही थी) सभी सैनिकों का वध कर दिया।<sup>५</sup> श्री जे० एम० शेलट ने बावर के सम्बन्ध में आगे उल्लेख किया

१. 'अकबर', जे० एम० शेलट, पृष्ठ ६, १६६४, भारतीय विद्या भवन, चौपाटी, वस्त्रई।

२. वही, पृष्ठ ६।

३. वही, पृष्ठ ८।

है—“मर्मी के दिन थे, जब हम आगरा पहुँचे। भय के कारण सभी नगर निवासी भाग खड़े हुए थे। न तो हमारे लिए अन्न था, न हमारे घोड़ों के लिए चारा। शत्रुता तथा (हमसे) धूरा के कारण गाँव बाले यहू सब शादी-पदार्थ उठा ले गये थे।<sup>१</sup> कई वर्षों के श्रम के बाद”“भीषण मार-काट के द्वारा”“हमने शत्रुओं की पिटाई की तथा उन्हें खत्म किया।”

अपने द्वारा कत्ल किये गये मनुष्यों की खोपडियों की भीनार खड़ी करने में बाबर को किस प्रकार पैशाचिक आनन्द प्राप्त होता था इसकी विवेचना करते हुए कर्नल टॉड ने लिखा है<sup>२</sup> कि फतेहपुर सीकरी में राणा सरगा को परास्त करने के बाद “विजय की खुशी में बख्ल किये गये लोगों के सिरों के ‘पिरामिड’ खड़े किये गये देखा एक छोटी पहाड़ी पर, जो युद्ध के मंदान से दिखलाई पड़ती थी, खोपडियों की एक मीनार खड़ी की गई तथा विजेता बाबर ने ‘गाजी’ की उपाधि धारण की।”

विसेट स्मिथ द्वारा उद्भूत असफ खाँ के जेबनार के सम्बन्ध में टेरी का कथन है कि “तंमूर बश के शाही खानदान में व्याप्त दोषों में सर्वश्रद्धान् दोष अत्यधिक शराबखोरी था। शराबखोरी का यही दोष अन्य मुस्लिम शाही खानदानों में भी था। स्वयं बाबर सबसे ज्यादा शराबखोर था।”

बाबर ने स्वयं यह आत्मोक्ति की है<sup>३</sup> कि वह पक्का लौण्डेवाज़ था। अत प्राप्त विवरणों में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर यह बहा जा सकता है कि अकबर का पितामह तथा भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य की नीव डालने वाला बाबर एक जगली, बर्बर पश्चु से अधिक अच्छा नहीं था।

उसकी सत्स्मरणिका में अनेक कुछत्यों एवं बर्बरताओं की आत्मस्वीकृतियाँ प्राप्त हैं : हम यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना उचित समझते हैं।

१. अकबर, जै० एम० शेलट, पृष्ठ १०।

२. एनल्स् एण्ड एन्टिक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टॉड, भाग १, पृष्ठ २४६।

३. ‘अकबर दी ग्रेट मुगल’, विसेट स्मिथ, पृष्ठ २६४। जटीरदीन मोहम्मद बाबर—सत्स्मरणिका, अनुवादक—जॉन लीडन एवं विलियम रस्किन। भाष्यकार—मर लूकसकिंग, दो मासों में, आकमफोर्ड शूनिवर्सिटी प्रेस, १६२१।

उसकी स्मरणिका में एक स्थान पर लिखा है—<sup>१</sup> “हमने काफी सद्या में कैदी बनाये। ('तम्बूल' के विरुद्ध लड़ाई जीतने के बाद) मैंने आदेश दिया कि उनके सिर काट लिये जाएं। यह मेरी पहली लड़ाई थी।<sup>२</sup> जो लोग ('कोहद' तथा 'हाँगू' के बीच हुई लड़ाई में आत्मसमर्पण करने वाले अफगान) जीवित उपस्थित किये गये थे, उनके सिरकाट लेने के आदेश जारी किये गये। उनकी खोपडियों की एक मीनार खड़ी की गई।<sup>३</sup> हाँगू में भी मेरे सैनिक जत्यों ने सौ या दो सौ विद्रोही अफगानों के सिर काट लिये। यहाँ भी कटे सिरों की मीनार खड़ी की गई।<sup>४</sup> 'सगेर' (किवि जाति का दुर्ग) पर अधिकार स्थापित किया गया। मेरी सेना के जिन लोगों ने अपने पदों के अनुरूप कार्य नहीं किया (अर्थात् मारकाट नहीं की, खून नहीं बहाया), उनकी नाक काट ली गई।<sup>५</sup> 'बन्नू' नामक स्थान पर कटे सिरों का एक समूह एकत्रित किया गया।<sup>६</sup> “शब्दुओं के सैनिक जत्ये हमे लड़ने के लिए उकसा रहे थे। इन अफगानों की कटी खोपडियों की एक मीनार खड़ी की गई। इस प्रकार 'बजौर' के हमले की सफलता से मुझे सतोष हुआ”<sup>७</sup> युद्ध के मैदान पर मैंने काटी गई खोपडियों के समूह से एक स्तम्भ खड़ा करने का आदेश दिया।<sup>८</sup> 'पजकोरा' को लूटने के लिए हिन्दल वेग के नेतृत्व में मैंने एक सेना भेजी। 'पजकोरा' में सेना पहुँचने से पहले ही वहाँ के निवासी भाग खड़े हुए।<sup>९</sup> 'संयदपुर' के निवासियों को, जिन्होंने विरोध किया, काट फेंका गया। उनकी पत्नियों तथा बच्चों को कैदी बना लिया गया तथा उनकी समूची सम्पत्ति लूट ली गई।<sup>१०</sup> इब्राहिम लोधी के अफगान सेना-पतियों को पीछे खदेड़ दिया गया तथा लाहौर बाजार एवं शहर को लूटा

१. पूर्वोक्त, भाग १, पृष्ठ ११८,

२. पृष्ठ २५६।

३. पृष्ठ २५७।

४. पृष्ठ २५८।

५. पूर्वोक्त, भाग २, पृष्ठ ३८।

६. पृष्ठ ८३।

७. पृष्ठ १४६।

८. पृष्ठ १५१।

गया एव आग लगा दी गई। जब मैं पहली बार आगरा पहुँचा तो यह नजर आया कि वहाँ के लोगों तथा मेरे आदमियों के बीच प्रवल पारस्परिक वंमनस्य, धूणा एव शत्रुता की आवना थी, गाँव के किसानों तथा सेनियों ने मेरे आदमियों का बहिष्कार कर दिया तथा भाग खड़े हुए। बाद में दिल्ली तथा आगरा को छोड़कर प्रत्येक स्थान के लोगों ने मेरी अज्ञाओं को मानने से इन्कार कर दिया।<sup>१</sup> जब मैं आगरा पहुँचा, गर्मी के दिन थे, मेरे ढर के कारण वहाँ के सभी निवासी भाग खड़े हुए। गाँव बालों ने, हमसे धूणा तथा शत्रुता के बारण विद्रोह कर दिया तथा सूटमार एव चोरी शुल्कर दी। मार्ग अवश्य हो गये। कासिमी इस समय एक छोटी फौज के साथ 'वयाना' की ओर आगे बढ़ रहा था। उसने कुछ लोगों के सिर काट डाले तथा उन्हे लेकर मेरे पास पहुँचा। मुल्ला सुकुं अली को आदेश दिया गया था कि वह 'मेवात' को लूटने तथा उसे छवस्त करने की प्रत्येक सम्भावना का निरीक्षण करे। मगकूर दीवान भी इसी प्रकार के आदेश देते हुए कहा गया कि वह कुछ दूरस्थ सीमावर्ती प्रदेशों पर हमला करने, गाँवों को नष्ट करने तथा वहाँ के निवासियों को बन्दी बनाने के लिए आगे बढ़े।<sup>२</sup>

बावर की क्रूरता एव वर्दंरता का अध्ययन करने के पश्चात् अकबर ने दिता हुमायूं तक जब हम पहुँचते हैं तो यह पाते हैं कि बावर की अपेक्षा हुमायूं और भी अधिक क्रूर और ऋष्ट था, क्योंकि भारतवर्ष में अपने पैर जमाने, वहाँ लूट-खस्तोट करने तथा हमला करने के लिए बावर ने शम-सधर्पं दिया था तथा स्वयं अपनों का भी खूने बहाया था किन्तु हुमायूं को खून की दीवार पर लड़ी मुगल सत्तनत एव भारत के निवासियों के मास के लोथडों में लिपटी निर्जीव पुष्कल धनराशि पैतृक स्प में प्राप्त हुई थी।

विसेंट स्मिथ<sup>३</sup> ने लिखा है—“हुमायूं अपीम साने का आदी था।” हुमायूं एक डाकू तथा लूट-खस्तोट करने वाला भी था। इस सदर्पं में विसेंट स्मिथ ने हुमायूं के विश्वसनीय नौकर जोहर के वर्णन का उद्धरण प्रस्तुत किया है। जोहर ने लिखा है कि “जब अकबर का जन्म हुआ, सत्तनत

१. भाग २, पृष्ठ २४७।

२. ‘अकबर . दी ग्रेट मुगल’, पृष्ठ ६।

विहीन बादशाह अपनी अत्यधिक गरीबी के कारण परेशान हो गया कि उक्त अवसर का जग्न कैसे मनाया जाये ? बादशाह ने तब आदेश दिया कि (जोहर उन उपकरणों को लाये जो उसे धरोहर के तौर पर रखने के लिए सौंपे गये थे ।) तदनुसार मैं (जोहर) गया तथा दो सौ 'शहदखस्ती' (चाँदी के सिक्के), चाँदी का कगन एवं कस्तूरी का एक कोया ले आया । सिक्कों तथा कगन के सम्बन्ध में उसने (हुमायूं) आदेश दिया कि उन्हे जिससे लिया गया है उसे लौटा दिया जाए ।” इन उद्धरण के अध्ययन से यह स्पष्ट मिल होता है कि अकबर के जन्म के कुछ समय पूर्व उसके बाप हुमायूं ने डाका-जनी का काम किया था तथा किसी व्यक्ति से दो सौ सिक्के तथा चाँदी का एक कगन उसने लूटा था । उसके लिए यह प्रसन्नता का विषय था कि उसे पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई । इसके साथ ही उसे डर लगा कि कही उसकी लूट का कोई दुष्परिणाम उसके नवजात बेटे पर न पड़े । किसी प्रकार का कहर न टूट पड़े, अत हुमायूं ने लूटे गए माल को उसके स्वामी को लौटा देने का आदेश दिया ।

भारतवर्ष के मुसलमान बादशाही के लिए गढ़ी प्राप्त करने के लिए, जैसी कि यह एक सामान्य-भी बात थी, हुमायूं को भी अपने दिवगति पिता का सिहासन प्राप्त करने के लिए अपने ही भाइयों एवं रिंगेदारों से घून-खराबी एवं लडाई करनी पड़ी । एक के बाद दूसरी लडाई करने के बाद हुमायूं को जब अपने बड़े भाई ‘कामरान’ को गिरफ्तार करने में सफलता मिली तो हुमायूं ने बामरान को पाश्विक यातनायें दी । विंटेंट स्मिथ ने लिखा है—“कामरान अत्यन्त तमी तथा परेशानी का जीवन व्यतीत कर रहा था । उसे अवसर दिया गया कि वह एक ओरत का वेष बदलकर भाग जाए किन्तु गिरफ्तार कर लिया गया तथा हुमायूं के सामने उसे आत्म-भमर्पण करना पड़ा । हुमायूं ने निश्चय किया कि कामरान को दण्ड देने के लिए उसे अद्या करना पर्याप्त होगा । इस सम्बन्ध में जोहर का विवरण बिस्तारपूर्ण है । उसके बर्णन से यह स्पष्ट होता है कि हुमायूं को अपने भाई के दुसों की कुछ भी चिन्ता न थी ।” एक व्यक्ति कामरान के घुटनों पर बैठाया गया । उसे खीचकर तम्बू से बाहर लाया गया तथा उसकी

आँखों में एक बर्छी घुसेड़ दी गयी ।\*\*\*उसकी आँखों में फिर नीबू का रम तथा नमक ढाला गया ।\*\*\*'हुमायूं समय बाद उसे पोड़े की पीठ पर विठा दिया गया ।' हुमायूं द्वारा उसके परिवार को यातनाएँ नहीं दी गई ।"

ऊपर उद्धृत प्रसंग का विश्लेषण करते हुए कोई भी यह सोच सकता है कि हुमायूं जब अपने भाई को इतनी कठोर यातना दे सकता था तो दूसरों पर वह वित्तना अन्याय और अत्याचार नहीं करता होगा । अपने सांगे भाई के प्रति ऐसा रवैश्या था तो दूसरों के लिए तो वह साधात् यमदूत रहा होगा । यह प्रसंग कि हुमायूंने अपने भाई की पत्नी को बोई यातना नहीं दी, सिद्ध करता है कि उसके हाथ जो भी औरत आती थी, उसे वह अन्याचारपूर्वक अध्य करता था तथा यातनाएँ देता था । भारतवर्ष के मुगलमान बादशाह इतने पतित थे कि उन्हें नैतिक ज्ञान तो था ही नहीं । वे हर किसी की पत्नी को इसलिए छोड़ देते थे कि उनका उपयोग हरम के लिए विया जा सके ।

यह प्रश्न भी उभरकर मामने आता है कि हुमायूं ने जब अपने भाई सक को नहीं छोड़ा तब इस बात के क्या प्रमाण हैं कि उसने अपने भाई की पत्नी को बोई यातना नहीं दी होगी ? स्पष्ट है कि हुमायूं इनका निर्मम और निष्ठुर था कि उसे अपने खिनेदारों पर भी दमा नहीं आती थी । अपने भाई की पत्नी के प्रति उसकी किंचित् दया प्रदर्शित करने का जो उल्लेख प्राप्त होना है, वह मात्र चाटुकारिता है ।

बावर ने खुद अपने बड़े बेटे हुमायूं का मूल्यावन करते हुए उल्लेख किया है कि वह अपने भाई का कातिल था । २६ जून, १५२६ को बावर ने हुमायूं से विनती की थी कि यदि वह बादशाह बने तो अपने भाई को कत्ल न करे ।<sup>१</sup> सहृण हुमायूं की धन-निप्पा, वर्वरता तथा लडाद्यों के सम्बन्ध में स्वयं बावर ने अपनी मस्मरणिका में सबैत दिया है । बावर ने निखा है—“हुमायूं दिल्ली गया हुआ था । वही उसने कुछ मकानों को छुलवाया, जहाँ सजाने थे । फौज की शक्ति द्वारा उसने वहीं अपना कद्गा जमाया ।

१ अकबर, दी प्रेट मुगल, विसेट स्मिथ, पृष्ठ २० ।

२ त्रिसेन्ट इन इडिया, पृष्ठ २३१, लेखक थी एम० आर० शर्मा, हिन्द किताब निं०, वम्बई-१, १६६६ ।

निश्चय ही हुमायूं से इस आचरण की मुझे उपेक्षा नहीं थी। बुरी तरह घायल होने के कारण मैंने उसे कुछ पत्र लिखे, जिनमें उसकी निन्दा की गई थी तथा उसके कलक की चर्चा थी।”<sup>१</sup>

हुमायूं इतना अधिक स्वेच्छाचारी तथा दंभी था कि उसने एक अपमान-जनक धर्मविधि लागू कर दी, जिसका परिपालन उसके द्वारा शासित संपूर्ण जनता को बलात् करना पड़ता था। मुस्लिम सरकारी इतिहास-लेखक वदायर्नी ने उल्लेख किया है कि “वह (हुमायूं) जब आगरा पहुंचा, उसने धर्म के द्वारा धर्म-विधि कोर्निस करने का एक नया-नियम वहाँ की जनता पर लागू कर दिया।”<sup>२</sup> उक्त नियम के अनुसार कोर्निस करते समय यह कहा जाता था कि जनता हुमायूं के सामने झुकते हुए जमीन चूमे।

विसेट स्मिथ का कथन है कि—“हुमायूं अफीम स्थाने का आदी था।”<sup>३</sup> श्री शेलट ने लिखा है कि आगरे में “कामरान सहसा ही बीमार पड़ गया तथा उसने यह शका व्यक्त की कि उसे बाबर की पत्नियों द्वारा हुमायूं के उक्माए जाने पर ज़हर दिया गया था।”<sup>४</sup> वद्वशान में करीब १ वर्ष व्यतीत करने के बाद कार्य में शिथिलता बतरनी शुरू कर दी। तथा अपने पिता की अनुमति प्राप्त किये बिना ही वह सहसा भारत लौट आया। उसे जो काम सौंपा गया था उसकी उसने उपेक्षा की। हुमायूं के इस आचरण से अप्रसन्न होकर बाबर ने उसे उसकी जागीर सम्भल भेज दिया।<sup>५</sup> गुजरात में चम्पानेर को विजित करने के पश्चात् हुमायूं ने, जैसाकि वह अन्य कई अवसरों पर कर चुका था, जश्न मनाना तथा कर्तव्यों के प्रति उपेक्षा तथा आलस्य बरतना आरम्भ कर दिया।”

१. बाबर की समरिणका, भाग २, पृष्ठ ३१५।

२ “मुन्तखबुत-तवारीख”—बन्दुल कादिर बिन मुलुक माह उर्फ अल-वदायर्नी, मूल फारसी से जार्ज ए० ए० रोकिंग द्वारा अनूदित एव सपादित, एशियाटिक सोसायटी ऑफ बगाल, कलकत्ता द्वारा वेप्टिस्ट मिशन प्रेस (१८६६) में मुद्रित।

३. अकबर : दी ग्रेट मुगल, विसेट स्मिथ, १६५८, पृष्ठ ६।

४ अकबर, जै० एम० शेलट, पृष्ठ ३२।

५. वही, पृष्ठ २०।

६. वही, पृष्ठ २४।

बवावर का वही पिता हुमायूं एक कूर, ध्रष्ट, दुर्गुणी, कामी तथा शराव-खोर बादशाह था। थी शेलट ने अपनी पुस्तक से उल्लेख किया है कि— “आगरा लौटने के बाद हुमायूं ने अत्यधिक माद्रा में अफीम लेना शुरू कर दिया। जनहिं के कार्य उसके द्वारा उपेक्षित थे।”<sup>१</sup> मुगल फौज ने जब ‘चुनार’ के दुर्ग में प्रवेश किया, रुमी खाँ को क्षतिपूर्ति का वर्बंरतापूर्ण दड़ दिया गया, जिसमें हुमायूं को सतोप हुआ। लगभग ३०० अफगान तोप-चिपो के हाथ कटवा दिये गये। हमी खाँ की नियुक्ति कमाऊर के रूप में की गई थी, किन्तु ईर्प्पालिू प्रधानों द्वारा उसे जहर दे दिया गया। ‘गौर’ में अनुत्तरदायित्व वा परिचय देते हुए, हुमायूं ने अनिश्चितकाल के लिए स्वयं वो ऐशो-आराम के लिए हरम में बद कर लिया। उसने अपने आपको प्रत्येक प्रकार की आराम-न्तलवी तथा ऐत्याशी के प्रवाह में छोड़ दिया।<sup>२</sup> हुमायूं के प्रति धमीरों के रूप एवं अमन्तुष्ट होने के कारण स्पष्ट हैं। सन् १५३८ ई० तक हुमायूं की चरित्रहीनता, कर्तव्यों के प्रति उसकी उपेक्षा तथा आलस्य, अफीम खाने की आदत तथा अन्य दुष्कृत्य अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गये थे। अपने दुर्गुणों के कारण वह बदनाम हो चुका था।<sup>३</sup> यह जान-कर कि उसके दोनों भाई हिंदल तथा बामरान उसकी हत्या करने को तंयार हैं, हुमायूं ने (बगाल से) आगरे लौटने का निश्चय किया।”

हुमायूं की बामुकता का एक उदाहरण हमीदा बानू के साथ उसके दिवाह के विश्वेषण से प्राप्त होता है। हुमायूं की आयु ३३ वर्ष थी तथा हमीदा बानू १४ वर्ष की किशोरी थी। हुमायूं ने उससे बलमूर्क शादी की थी। यह स्पष्टत एक नावालिंग सड़वी के साथ हुमायूं द्वारा किये गए बलात्कार का मामला है। हुमायूं उन दिनों एक भगोडे वा जीवन व्यतीत कर रहा था। भारतवर्ष से पलायन करने को वह मजबूर था। सिंध के रेनिस्तानी इनाहों में लूट-खसोट तथा ढाने-जानी द्वारा अपना जीवन-पापन कर रहा था। ऐसी स्थितियों में हुमायूं अपने भाई हिंदल को देखने आया। हिंदल के हरम में उसने भीर बाबा दोस्त, जो हिंदल का धार्मिक पथ-निदेशक था, की देटी हमीदा बानू को देखा। हुमायूं ने उसका हाथ धामने की

<sup>१</sup> अवार, जै० एम० शेलट, पृष्ठ २६।

<sup>२</sup>. वही, पृष्ठ २६।

इच्छा व्यक्त की। हुमायूँ के साथ शादी करने के प्रस्ताव का स्वयं हमीदा बानू ने विरोध किया। हिंदल ने भी इस शादी का विरोध किया। अतः मितम्बर १५४१ में हुमायूँ ने २ लाख रुपए देकर हमीदा बानू से शादी कर ली। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि हुमायूँ ने वस्तुतः बाबा दोस्त की बेटी को धमकी देकर तथा दूसरों से लूटी गई राशि द्वारा धूस देकर खरीदा था।

यह पर्यवेक्षण करने के पश्चात् कि अकबर के समस्त पूर्वज, उसके बाप हुमायूँ से लेकर बगेज खाँ तथा तैमूरलग तक क्रूर, बर्बर, कुटिल-खल-कामी एवं शराबखोर थे, अब हम यह विश्लेषण करेंगे कि उसके समस्त उत्तराधिकारी भी पूर्वजों के समान ही विषयासक्त, क्रूर-बर्बर एवं चरित्रहीन थे।

यह तर्क दिया जा सकता है कि यद्यपि अकबर का जन्म एक बर्बर वश में हुआ था, तथापि किसी दृष्टि से किसी सीमा तक वह उदार या तथा अपने पूर्वजों के समान वह बर्बर और विषयासक्त नहीं था, न ही उसके गुणों का प्रभाव उसके उत्तराधिकारियों पर पड़ने की अपेक्षा की जा सकती थी, जिसके कारण उत्तराधिकारी बर्बर ही रहे। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अकबर के पूर्वज तथा उत्तराधिकारी तो बर्बर तथा विषयासक्त थे, अकेले अकबर चरित्रबान एवं उदार था। उसके पूर्वजों के दुर्गुणों का कोई दुष्प्रभाव उस पर नहीं था, न ही उसके सद्गुणों का कोई अच्छा प्रभाव उसके उत्तराधिकारियों पर पड़ सका। तर्क के रूप में इसे स्वीकार करते हुए भी अकबर के बेटे जहाँगीर की क्रूरता तथा बर्बरता प्रतिभासित है। अन्य मुसलमान बादशाहों की भाँति जहाँगीर भी एक कामी और कुटिल बादशाह था। श्री शेलट महोदय का कथन है,<sup>१</sup> “सलीम (भावी सम्राट् जहाँगीर) अत्यधिक मात्रा में अफीम खाने का आदी था। वह शराब भी पीता था तथा नशे में बर्बरतापूर्ण सजायें दिया करता था। उसने अपने बृत्त-नेत्रक की जीवित ही अपने सामने चमड़ी उधड़वा दी तथा एक महिला परिचारिका, जिसके साथ उबत लेखक का प्रणय-सम्बन्ध रा, का सतीत्व-हरण करवाते हुए उसे गर्भ-विहीन करवा दिया।”<sup>२</sup>

१. अकबर, जै० एम० शेलट, पृष्ठ ३५६।

२. अकबर : दी ग्रेट भुगल, विसेंट स्मिथ, पृष्ठ ११।

यदि अकबर महान् और उदार होता तो उसका बेटा जहाँगीर उस हृत्या करने का इच्छुक न होता ! अपने पिता अकबर की हृत्या करने जहाँगीर ने कई बार चेप्टा की थी । उसकी हृत्या करने की एक चेप्टा उल्लेख विसेंट स्मिथ ने किया था । स्मिथ महोदय का कथन है कि “ १५६१ ई० के आरम्भिक महीनों में जब अकबर उदर-गूल की दीमारं पीड़ित था, उसने शादा व्यवत की थी कि उसके बड़े बेटे जहाँगीर ने जहर दिया था ।” इस वर्णन के विश्लेषण से जहाँगीर की पूर्तता का पता चलता ही है, साय ही यह भी जात होता है कि अकबर अपने समर मर्वाधिक पूणित व्यक्ति था ।

अपने पिता अकबर को जहर देने में जब जहाँगीर को सफलता ; मिनी, उसने अकबर को गिरफ्तार कर हृत्या करने का प्रयास किया । ये स्मिथ महोदय ने उल्लेख किया है “(जहाँगीर द्वारा विद्रोह किये जाने विचार में) अकबर सम्भवतः मन् १६०१ ई० के आरम्भ में आगरा लौट सलीम जब विद्रोह कर रहा था, उसने पुर्णगालियों तक उनके तोप-बा बी महायता अपने पिता अकबर के विरुद्ध प्राप्त कर ली ।”<sup>१</sup> अबुल फ़ा ने निर पर नेज़े से प्रहार किया गया तथा उसका सिर काट लिया गय बड़े मिर को इलाहाबाद भेजा गया, जहाँ मलीम ने उसे दूषित प्रसन्नता साय प्राप्त किया । उस बड़े सिर के साथ उसने अपनी निजनक व्यवहार आचरण किया ।<sup>२</sup> इलाहाबाद में शाहजादे सलीम का दरबार सुरक्षापूर्ण व्यवस्थित हो गया, पारिवारिक निरीक्षण के बायों से सर्वथा पूर्ण, उन निर्वाध दृश्य में पूरता बरतनी शुरू कर दी । दुर्दुणों के प्रवाह में वह चला । उसने अपनी मौत की उसकी आदत इस सीमा तक बढ़ी कि उस जन्मजात भयानक स्वभाव अनियन्त्रित एवं असंयमित हो गया । सामां दोयों एवं अपराधों के लिए सर्वाधिक भयानक सजायें दी जाने लगी । मालादि पर कभी सोचा भी नहीं जाता था तथा उसके अनुचर एवं सहाय दिखाकर मौन कर दिये जाते थे ।<sup>३</sup> एक खूत-सेशक पर शाहजादे

१. अकबर : दी प्रेट मुगल, विसेंट स्मिथ, पृष्ठ २२२ ।

२. वही, पृष्ठ २२७ ।

जिन्दगी के विस्तु पद्यन्त का दोष लगाया गया तथा जीवित ही उसकी स्थाल उधेड़ ली गई। सलीम शातपूर्वक उक्त लेखक की स्थाल उधेड़ते समय की यातना एवं पीड़ा को देखता रहा।<sup>३</sup> इलाहाबाद में उसकी क्रूरता एवं स्वेच्छाकारिता पराकाष्ठा पर पहुँच गई थी तथा अपनी शराबखोरी के लिए वह कुश्यात हो गया था। यह निश्चित है कि सलीम (जहाँगीर) ने अपने पिता की मृत्यु की कामना की थी।

सलीम (जहाँगीर) के सम्बन्ध में डॉ० आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव<sup>४</sup> लिखते हैं—२० वर्ष की आयु से ही शनैः-शनैः जहाँगीर ने अपनी प्रभुसत्ता पर जोर देना शुरू कर दिया।<sup>५</sup> बाद में छिपे तौर पर उसने अवज्ञाकारिता का परिचय देना आरम्भ कर दिया तथा कुछ और समय बाद वह खुले विद्रोह करने लगा।<sup>६</sup> अकबर बीमार पड़ा था तथा विमूर्छा की स्थिति में उसके मुंह से ये अस्फुट शब्द निकले थे<sup>७</sup>—

दबावा देखुजी, (शाहजादा सलीम उर्फ जहाँगीर) चूंकि मेरे बाद सारी मल्तवत तुम्हें प्राप्त होगी, तुमने क्यों मुझपर इस प्रकार का आक्रमण किया। मेरा जीवन लेने के लिए किसी प्रकार के अन्याय की आवश्यकता नहीं। यदि तुमने मुझसे कहा होता तो मैं ये सब तुम्हें दे देता।<sup>८</sup>

उसी वर्ष सलीम ने दूसरी बार अपनी अवज्ञाकारिता का स्पष्ट परिचय दिया। सन् १५८८ ई० में अकबर ने सलीम को आज्ञा दी कि वह 'ट्रान्जोकमेनिया' पर आक्रमण करे, किन्तु सलीम ने साफ इन्कार कर दिया। कुछ समय पश्चात् सलीम से कहा गया कि वह दक्षिण में शहरी फौज को सम्भाले किन्तु कूच करने के समय सलीम अनुपस्थित रहा।<sup>९</sup> मई, १५८८ से लेकर मई, १५९८ के दौरान अकबर सलीम से प्रायः विरक्त हो चुका

१. अकबर: दी ग्रेट मुगल, पृष्ठ २३२।

२. अकबर: दी ग्रेट, भाग १, पालिटिकल हिस्ट्री, १५४२-१६०५, डॉ० आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, पृष्ठ ४५७ (प्रकाशक शिवलाल अग्रवाल एण्ड क० प्रा० लि०, आगरा)

३. वही, पृष्ठ ४५८-४५९।

४. वही, पृष्ठ ४६१।

५. वही, पृष्ठ ४६२।

था । सलीम का स्वत्व उससे अलग कर दिया था । सलीम के भस्त्राक में बिद्रोह का बीजारोपण हुआ । \*\*\* जैसे-जैसे उसकी आयु बढ़ती गई, वह अधिकाधिक कामासक्त होता गया, उसकी शराबखोरी बढ़ती ही नई तथा अन्य अनेक दुर्गुण उसमें आने गये । यद्यपि उसका हरम बहुत बड़ा था किन्तु मिर भी जून १५६६ई० में वह जैनखाँ बोका की बेटी के प्रेम में बुरी तरह फँस गया । हो सकता है, शाहजादे के प्रारम्भिक जीवन की मेहरुनिसा (भावी नूरजहाँ) तथा अनारकली के साथ प्रेम की गायाएँ नि सार नहीं थीं । मेवाड़ के राणा के बिद्ध जब सलीम को फौज लेकर भेजा गया, उसने अजमेर में बुरे लोगों के साथ शराबखोरी एवं काम-लिप्सा की पूर्ति में बहुत अधिक भमय व्यतीत किया । अकबर की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए सलीम ने खुला बिद्रोह करने का निश्चय किया । उसने शीघ्रतापूर्वक अजमेर में आगरे की ओर कूच किया । उसके अधिकार में एक बरोड़ की रायि तथा शाह्याज खाँ कुतू जैसे महायक थे । इलाहाबाद लौटने के बाद सलीम पुनः अपनी पुरानी बादतों के अनुसार शराबखोरी तथा बाम-लिप्सा की पूर्ति में तम्भीन हो गया । अयोग्य तथा बुरे लोगों से वह आठों पहर घिरा रहता था तथा चापलूसी पसन्द करता था । अपनी इन बुराइयों तथा दुर्गुणों के लिए वह कई बपों में बदनाम था बिन्दु अब उसकी ये बुराइयाँ तथा दुर्गुण चरमसीमा पर पहुंच चुके थे । हर समय शराब के नमों में वह इम बदर चूर रहने लगा कि एक ऐसी भी स्थिति आई कि शराब से उम्मेनश्शा ही न होता था । अतः शराब के साथ अफीम भी खाना शुरू कर दिया । १८ बर्ष की आयु से ही उसने मदिरापान करना आरम्भ किया था तथा इस समय तक वह कभी-कभी २० प्याले तक शराब पीने लगा था । शराब तथा अफीम के नशे में वह कभी-कभी सामान्य अपराधों के लिए मृत्युदण्ड तक दे देता था । एक दिन एक वृत्तलेखक को, जो शाहजादे सलीम के अन्यधिम मदिरापान के सम्बन्ध में अववर को सूचना देने चाला था, उसने अपने सामने जीवित लवस्था में ही उसकी चमड़ी उधेड़ लेने की सजादी । एक लड़के को उसने बधिया (पुस्तक-हरण) करवा दिया तथा एक घरेलू नौकर की उसने इतना पिटवाया कि उसकी मृत्यु हो गई ।

न केवल अकबर का बेटा जहाँगीर, अपितु उसका पोता शाहजहाँ, जो जहाँगीर के बाद बादशाह बना, अपने सभी पूर्वजों, जहाँगीर एवं अकबर से लेकर चंगेज साँ एवं सैमूरख्लग के समान ही कूर, वर्वर, भ्रष्ट और निर्मम था।

मौलवी मोइनुद्दीन अहमद ने लिखा है—“यूरोपीय ऐतिहासिकार कभी-कभी शाहजहाँ पर हठधर्मिता का आरोप लगाते हैं। उसके संकुचित मस्तिष्क होने का मूल कारण उसकी पत्नी मुमताज थी। वह जो कुछ भी करता था, मुमताज के उकसाने पर।”<sup>१</sup>

श्री ई० बी० हवेल वा कथन है—“शाहजहाँ द्वारा जेसूइट लोगों को कठोर दण्ड दिये गये। अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व ही मुमताज महल ने, जो ईसाइयों की जानी दुश्मन थी, शाहजहाँ को हुगली में बम रहे पुत्रालियों पर हमला करने को उकसाया।”<sup>२</sup>

एक अन्य ऐतिहासिक कृति में यह उल्लेख प्राप्त होता है—“शाहजहाँ ने कई बार साधुओं तथा धार्मिक पादरियों को आमतित किया कि वे मुस्लिम धर्म वो स्वीकार कर लें बिन्तु जब उन्होंने शाहजहाँ के प्रस्ताव वो अस्वीकार किया तो शाहजहाँ अत्यन्त कुद्द हो उठा तथा तक्षण ही उसने आदेश दिया कि दूसरे दिन ही उन पादरियों एवं साधुओं को ऐसी कठोर यातना दी जाए, जिसका कोई निदान नहीं था—अर्थात् उन्हें हाथी के पैरों तले कुचलना दिया गया।”

कीने का कथन है।<sup>३</sup>—“शाहजहाँ ने मुगल बादशाहों के स्वेच्छाचारी

१. दी ताज एण्ड इट्स एन्वायरमेण्ट, मौलवी मोइनुद्दीन अहमद, पृष्ठ ८, द्वि० स०, बार० जी० बसल एण्ड को०, ३३६ कसेरा बाजार, आगरा।
२. दी नाईन्य सेन्युरी एण्ड बाफ्टर, एक मध्यस्थी रिव्यू जेम्स नोलेस द्वारा मपादित, पृष्ठ १०४१, दर्वां भाग, लेख श्रीपंक—दी ताज एण्ड इट्स डिजाइनसें, लेखक—ई० बी० हवेल।
३. दी ट्रानेक्शन एण्ड जाकेयोलाजिकल सोसायटी ऑफ आगरा, जनवरी में जून, १८७८, पृष्ठ ५-६।
४. कीनज हैण्ड बुक फॉर बिबीटम्स टू आगरा एण्ड इट्स नेवरहुड, पृष्ठ ३८। (ई० ए० ड्वन द्वारा पुनर्लिखित और अद्यतन कृत, धैक्जं हैण्ड बुक ऑफ हिन्दुस्तान।)

दम मे सभी का अंतिमण कर दिया या तया वह पहला व्यक्ति था जिसने राजगढ़ी की सुरक्षा के लिए सभी समावित शत्रुओं की हत्या की ।” रो जोकि शाहजहाँ को व्यक्तिगत रूप से जानता था, के मतानुसार शाहजहाँ का स्वभाव हठवादिता से पूर्ण था । वह किसी का कहना नहीं भानता था । उसका स्वभाव अत्यधिक दर्प एवं धृणा का मिथ्यण था ।

शाहजहाँ के दखारी लेखक ने उल्लेख किया है—“शाहजहाँ का ध्यान इम तथ्य की ओर आकृष्ट किया गया कि पूर्ववर्ती शासन काल मे ‘काफिरों’ के नगर बनारस मे मूर्तियों से युक्त कई मन्दिरों के निर्माण आरम्भ किये गये किन्तु वे पूर्ण नहीं हो पाए । ‘काफिरों’ की इच्छा थी कि उन मन्दिरों का निर्माण पूर्ण किया जाए । आस्था के तथाकथित रक्षक शाहजहाँ ने आदेश दिया कि बनारस तथा उसकी सत्तनत के प्रत्येक स्थान के मन्दिरों को भूमिसात् कर दिया जाये । यह घूचना दी गई कि बनारस जिन्हे के इलाहाबाद मूले मे ७६ मन्दिरों को ध्वस्त कर दिया गया ।”

‘दीलतावाद’ वी विजय के सदर्भ मे बादशाहनामे के ही लेखक ने लिखा है—“बासिम खाँ तया कम्बू ४०० ईसाई बदियों के साथ, जिनमे पुरुष, औरत, जवान और बूढ़े सभी शामिल थे, उनकी उपास्य मूर्तियों महित आस्था के रक्षक बादशाह के समक्ष उपस्थित हुए । आदेश दिया गया कि मुस्लिम धर्म के सिद्धान्तों की आड़या उन बन्दियों के सामने की जाये तथा उनमे वहा जाये कि वे मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लें । कुछ लोगों ने तो मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया बिन्तु अधिकाश लोगों ने दृढ़नापूर्वक उक्त पृणित प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया । उन्हे अमीरों के बीच वितरित कर दिया गया तथा यह निर्देश दिया गया कि उन नीच ईसाई बन्दियों को बठोर बन्धनो मे रखा जाये । उनमे से कुछ बदियों का बारागार मे प्राणान्त हो गया । कुछ को यमुना मे पैक दिया गया । यही दुर्गति उनकी उपास्य मूर्तियों की भी हुई । कई मूर्तियों यमुना की धारा मे बहा दी गई तथा दोप दो चक्काचूर कर दिया गया ।”

जहाँगीर के समान ही शाहजहाँ को भी सम्पूर्ण शासन-काल धूरतापूर्ण

<sup>१</sup> बादशाहनामा, लेखक मुल्ला अब्दुल हमीद लाहोरी, पृष्ठ ३६ ।

क्रिया-कलापो से परिपूर्ण रहा।<sup>१</sup> शाहजहाँ के बेटे औरंगजेब, जो उसके बाद बादशाह बना, के सम्बन्ध में यह सर्वविदित है कि वह अतिशय धर्मान्धि, कूर तथा स्वेच्छाचारी था। औरंगजेब की मृत्यु २७६ वर्ष पूर्व (अर्थात् १७०७ ई०) में हुई थी। यदि औरंगजेब अतिशय कूर तथा वर्वर था तो उसका प्रपितामह अकबर कितना कूर और वर्वर नहीं रहा होगा! अतः यह वहा जा सकता है कि अकबर के आगे-पीछे जितनी भी पीढ़ियाँ गुजरी, विश्लेषण करने पर हम सभी को वर्वरता की ही श्रेणी में पाते हैं। वर्वर मुस्लिम बादशाहों की शृंखला में अकबर भी एक कड़ी था। अपने वर्वर वश में वह कोई अपवाद या उसमें पृथक् नहीं था। यदि अकबर उदार और महान् होता तो कम-से-कम उसके उत्तराधिकारी तो उदार दृष्टिकोण के सदाशयी एवं व्यवितरित स्प में आदर एवं सार्वभौमिक-प्रिय पात्र होते। किन्तु ऐसी कोई भी वात परिलक्षित नहीं होती। यह मात्र ताकिंक विवेचना है, जिन्होंने अकबर के नासन काल के सम्बन्ध में तथ्यों एवं विवरणों का अध्ययन नहीं किया है किन्तु उसके पूर्वजों एवं उत्तराधिकारियों की कूरता के सम्बन्ध में केवल सुना भर है, अकबर की उदारता की चर्चा मात्र से ही उसमें सम्बद्ध आडम्बरों एवं गलत तथ्यों को अविलम्ब पहचान लेगा तथा हमारे निष्पत्तों का समर्थन करेगा।

अकबर की कूरता एवं वर्वरता के सम्बन्ध में प्रमाण देने से पूर्व हम उसके समकालीनों के चरित्र-आचरण के स्तर पर प्रकाश ढालना आवश्यक ममता है। यह एक सामान्य-सा विचारणीय तथ्य है कि अकबर, जो एक बादशाह था तथा जिसके हाथों में सत्तनत की सर्वोच्च शक्ति एवं सत्ता थी, यदि उदार और महान् होता तो अपने समकालीनों को धृष्टतापूर्ण कृत्य प्रतिपादित करने की अनुमति वह कदापि न देता। वस्तुतः उसके सम-

१. शाहजहाँ की वर्वरता की विशद व्याख्या हमने 'ताजमहल एक हिन्दू राजमन्वन है' शीर्षक पुस्तक में की है। उक्त पुस्तक में हमने इस वात के भी प्रमाण प्रस्तुत किये हैं कि शाहजहाँ की कामुकता इस सीमा तक पहुँच गई थी कि उसने अपनी ही बेटी जहाँबारा तक को नहीं छोड़ा। जहाँबारा के साथ शाहजहाँ के यीन सम्बन्ध थे। पाठक स्वयं कल्पना करें कि शाहजहाँ किस हद तक चरित्रहीन रहा होगा!

वालीन सुमसृत एवं सदाशय व्यक्ति होने। विन्तु यथार्थ के प्रकाश में हम देखते हैं कि उसके समकालीन जंगली भेड़े एवं तेंदुओं की भाँति नूर एवं घदंर थे। इन सन्दर्भ में निम्नलिखित प्रसग ध्यान देने योग्य हैं—

“गुजरात के भूतपूर्व अधिकासक चगेज खाँ की भाँ ने इस समय (१५७३) अकबर से शिकायत की कि जुजार खाँ हब्बी ने उसके बेटे को मरदा डाला।”<sup>१</sup>

एक वरिष्ठ दरबारी अबुल माली ने, “जो काबुल की ओर भाग या, मह गच (अकबर के सौतेले भाई के शाही स्वानदान की एक औरत) को हुमायूं (अकबर का पिता) के साथ पहले के मिस्रतापूर्ण सम्बन्धों की याद दिलाते हुए पद लिखा। उसने उसका स्वागत किया तथा अपनी पुढ़ी फखरानिसा की शादी उसके साथ कर दी। बाद में अपनी सास वो अपने मार्ग में बाधा बनते देखकर उसने छुरा भीकर उसकी हत्या कर दी।”

“अकबर के चाचा बामरान ने अपने विरोधियों पर राजसी अनाचार किये तथा उन्हें पैशाचिक यातनायें दी। उसने औरतों तथा बच्चों तक वो नहीं छोड़ा।”<sup>२</sup>

ऊपर प्रस्तुत उदाहरण पाठकों को आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त होगे कि अकबर के पूर्व अथवा बाद या उसके शासन काल के दौरान उसका सध्यार्थी वाटावरण हत्याओं, नर-सहारो, यहूःयन्दो, व्यभिचारो एवं सूट-खमोट की घृणित घटनाओं से घूम्राच्छादित था। अकबर वे ५० वर्षों के शासनकाल में मध्ययुगीन मुगल शासन के दूषित एवं गर्हणीय बातावरण में किसी भी प्रकार परिवर्तन व सुधार नहीं हुआ। यदि अकबर महान् व उदार होना तो लोग उसके मुगल में, उसके पूर्व अथवा बाद के मुगल वे जीवन में इष्टत अन्तर देखते। विन्तु ऐतिहासिक घटनाओं में उसके बाद तथा उसके शासनकाल के दौरान की बर्बंटता एवं शूरता में कोई अन्तर अपवा-

१. सन् १६१२ तक भारतवर्ष में मुस्लिम प्रमुक्ता वे उत्थान का इतिहास, गोहम्बद कासिम फरिशना द्वारा लिखित, पृष्ठ १४७। भूल फारमी ने जॉन ब्रिम्स द्वारा अनुदित, डिं भा०, एस० वे० हे, ५६-ए, रथाम बाजार स्ट्रीट, बलकत्ता-४ द्वारा १९६६ में पुनर्मंदित।

२. अकबर, एस० जे० जेलट, पृष्ठ ८८।

परिवर्तन परिलक्षित नहीं होता। चूंकि अकबर का प्रपोत्र औरगजेब क्रूरता और वर्वरता का मूर्तिमत प्रतीक था, अतः तार्किक विवेचन मात्र से ही यह सिद्ध होता है कि अकबर भी औरगजेब के ही समान सद्गुण सम्पन्न व्यक्ति होने मन्दन्धी तथ्य से सर्वथा विपरीत एक अत्यन्त धृणित वादशाह था तथा वह औरगजेब से भी अधिक धर्मान्धि, क्रूर और वर्वर रहा होगा, वयोकि अकबर औरगजेब से १०० वर्ष पूर्व के वर्वर युग में था। अतः औरगजेब के युग में जितनी क्रूरता एवं पाशविकता रही होगी, अकबर के युग में उसमें भी अधिक क्रूरता एवं वर्वरता रही होगी। ऐसा कोई कारण दिखलाई नहीं देता कि अकबर के युग में कोई परिवर्तन रहा हो।

अगले प्रकरण में हम अकबर, उसके सेनापतियों एवं अन्य दरबारियों की क्रूरता एवं वर्वरता पर प्रकाश ढालेंगे तथा यह सिद्ध करेंगे कि तार्किक विवेचना एवं मामारिक अनुभव-ज्ञान द्वारा हमने जो निष्कर्ष निकाले हैं उन्हें ऐतिहासिक तथ्यों से पूर्ण समर्थन प्राप्त होता है। अकबर की कल्पित महानता एवं उदारता मन्दन्धी विचार भारतीय इतिहास में इसलिए जड़वढ़ हो गये हैं, वयोकि एक हजार वर्षों के विदेशी जामन-काल के दौरान इतिहास-नेतृत्वको एवं अध्यापकों को राजनीतिक भीचित्य का ध्यान रखते हुए इस रूप में प्रशिक्षित किया गया है कि वे स्वतन्त्र तार्किक ज्ञान तथा साक्ष्य के विधान का समुचित उपयोग न कर सकें। भारतीय इतिहास के विद्वानों को, जो परम्परा की घिसी-पिटी लीक पर चलते रहे, आश्चर्य होता है जब यह कहा जाता है कि किसी भी ऐतिहासिक सिद्धान्त, लेख-प्रपत्र, रिकाँड, सरकारी इतिवृत्त, शिलालेस तथा पुरातत्व सम्बन्धी शोध की मत्यता के परीक्षण के लिए तर्क-ज्ञान तथा सामयिक साक्ष्य के विधान का सर्वोन्म मानदण्ड के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। विभिन्न विभागों में कार्य करते हुए वे मात्र ध्रातियों का ही आधार प्रहण करते रहे। उनके मस्तिष्क में कल्पित घटनायें ही धर कर गई हैं तथा उनके मन में वैद्यानिक एवं तार्किक चिन्तन का अकुरण ही नहीं होता।

## अकबर की क्रूरता एवं वर्वरता

अकबर अपने पूर्वजो, उत्तराधिकारी बादशाहों एवं समकालीन सुल्तानों से किसी भी क्षेत्र में कम क्रूर एवं वर्वर नहीं था। उसकी घूर्त्ता, छल-प्रपञ्चों एवं क्रूर-वर्वर प्रकृति तथा भारतवर्ष के एक विस्तृत क्षेत्र में व्याप्त उसकी निरकुश प्रभुसत्ता एवं उसके अपरिमित शक्ति-प्रयोग आदि पर विचार करते हुए यदि किसी तथ्य की सिद्धि होती है तो वह यह है कि भारतवर्ष में शासन करने वाले मुस्लिम बादशाहों की परम्परा में ससार के इतिहास में वह सर्वाधिक स्वेच्छाचारी, क्रूर, वर्वर एवं कामासक्त बादशाह ठहरता है।

वर्नल टॉड का कथन है<sup>१</sup>—‘(बीटोचित जीवन व्यतीत करने वाली) संन्य जातियों (राजपूत अधवा जातिय) की पीढ़ियाँ उसकी तलबार से समूल नष्ट हो गईं। उसकी विजयों के पूर्व जो वैभव परिव्याप्त था, समाप्त हो गया। शहावुद्दीन, अलाउद्दीन तथा अन्य विध्वसक नर-पिशाचों की श्रेणी में ही वह परिणित होता है। जैसाकि प्रत्येक मुस्लिम दावे के सम्बन्ध में देखा जाता है, उसने भी एकलिंगजी (राजपूत योद्धाओं का देवता) की वेदियों को नष्ट-भ्रष्ट कर मुस्लिम धर्म के पाक प्रथा कुरान के उपदेश के लिए प्रबचन-मचों का निर्माण करवाया।’

उन लोगों ने जो जातिवाद के समर्थक रहे या जिन्हे भारतवर्ष में विदेशी शासन काल के दौरान शैक्षिक अयवा अन्य किसी प्रकार का सरक्षण

<sup>१</sup> एन्लेस एण्ड एन्टिकिवटीज ऑफ राजस्थान, लेखक वर्नल जेम्स टॉड, पृष्ठ २५६, भाग १, दो भागों में, सन् १८५७ ई० में पुन. मुद्रित, रुट्सेज एण्ड वेगन पाँल लिं०, ब्राडले हाउस, ६८-७४ कार्टर लेन, लन्डन ई-सी-४।

प्राप्त होता रहा, कभी तो सन्दर्भों को लेकर और कभी संदर्भ विना स्थितियों की चर्चा करते हुए अकबर के चरित्र की उदारता तथा हृदय की महानता प्राचीन भारत के महानतम सम्राट् अशोक से साय तुलना करने को प्रवृत्ति दिखलाई है। इस प्रकार के मर्तों के औचित्य का यथातथ्य मूल्याकान करते हुए विसेट स्मिथ ने यह ठीक ही लिया है कि—‘कलिंग की विजय के पश्चात् वहाँ के काटो एवं दुःखों को देखकर अशोक ने जो पश्चाताप किया, अकबर शायद उसका उपहास करता तथा अशोक ने जो यह निर्णय लिया था कि भविष्य में वह कही भी किसी भी युद्ध का सचालन नहीं करेगा, उसकी तीव्र भत्स्ना करता।’<sup>१</sup>

अकबर जिन लोगों से असन्तुष्ट होता था, उन्हें कठोर यातनायें देता था तथा उसकी सभूर्ण जिन्दगी किस प्रकार कूरता एवं बर्वरता, स्वेच्छा-चारिता एवं कुत्सित प्रवृत्तियों की कथा रही, इसका समुचित पर्यवेक्षण विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखित ग्रन्थों से उद्भूत तथ्यों के अधोलिखित उल्लेखों से किया जा सकता है। विभिन्न विद्वानों के विचारों का अबलोकन कर पाठक स्वतः निष्कर्ष निकालें कि अकबर किस सीमा तक न्यायपरायण या तथा उसमें कहाँ तक नीतिकता थी।

विसेट स्मिथ का कथन है ‘कामरान के इकलौते बेटे (जो अकबर का चचेरा भाई था) को अकबर वे आदेशानुसार सन् १५६५ ई० में ग्वालियर में मृत्यु-दण्ड दिया गया। इस प्रकार अकबर ने एक कुत्सित उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसका अनुकरण उसके वंशानुक्रम में शाहजहाँ एवं औरगजेब ने बड़े पैमाने पर किया।’<sup>२</sup>

उपर्युक्त उद्धरण के पर्यवेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि शाहजहाँ (अकबर का पोता) तथा औरगजेब (अकबर का प्रपोता) की अतिशय दूरता एवं चरमसीमा तक पहुँची हुई बर्वरता उनके चरित्र के वैयक्तिक दुर्गुण नहीं थे, अपितु यह कूरता उन्हें वंशगत परम्परा के रूप में अकबर से प्राप्त हुई थी।

अकबर के चरित्र में विकृत काम-पिण्डा तथा कुत्सित-वासना प्रमुख

१. ‘अकबर : दी ग्रेट मुगल’, विसेट स्मिथ, पृष्ठ ५०-५१।

२. वही, पृष्ठ २०।

एव स्थायी दुर्गुण के रूप में जड़बद्ध थी। बाल्यकाल से लेकर जीवन के अन्तिम समय तक की विभिन्न घटनाओं में उसके ये सभी दुर्गुण सुस्पष्ट हैं।

५ नवम्बर, सन् १५५६ ई० को जबकि अकबर १४ वर्ष में भी कम आयु का किशोर था, उसने अपने विरोधी हिन्दू हेमू जिसे खून से लघपय एव मूर्छिन अवस्था में उसने सामने लाया गया था, के गले को तलवार से काट दिया था।

अकबर के लिए पानीपत का युद्ध भवित्वा निर्णायिक था। इस तडाई को जीतने के बाद ही अकबर को हिस्तुस्तान पर प्रभुसत्ता का राजमुखुट प्राप्त हो सका। पानीपत की लडाई वा विवेचन करते हुए विसेंट स्मिथ का कथन है कि सम्भवत हेमू की विजय हो जाती किन्तु अकस्मात ही एक तीर उसकी आँख में आ घुमा, जिसने उसका मस्तक भेद दिया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसकी सेना तितर-दितर हो गई तथा अकबर की फौज का अवरोध करने में समर्थ न हो पाई। हेमू का हाथी जगत की ओर भाग गया था पर उसे पकड़कर लाया गया एव उसके सवार वो अकबर तथा वहराम खाँ के समक्ष पेश किया। अकबर ने अपनी तलवार से हेमू के गले पर प्रहार किया। पास ही यडे लोगों ने भी खून से लघपय शव में अपनी तलवारें धोप दी। हेमू का कटा सिर प्रदर्शन के लिए काबुल भेजा गया तथा उसका धड़ दिल्ली के एक दरवाजे पर लटका दिया गया। यह मरवारी मनगढ़न्त कथा कि जब अकबर के सरकार वहराम खाँ ने उसे निर्देश दिया कि वह शत्रु के अधं-मूर्छित शरीर पर तलवार से प्रहार करें तो असहाय बन्दी के प्रति अकबर में कारणिक भावना उत्पन्न हो गई, जिससे उत्प्रेरित होकर उसने हेमू के शरीर पर तलवार वा दार करने से इकार कर दिया—यह दरवारी चाटुकारों वी मनगढ़न्त कहानी प्रतीत होती है।<sup>१</sup> विसेंट स्मिथ द्वारा पर्यवेक्षित इस तथ्य की अन्तिम परिणामी अत्यन्त महस्त्व-पूर्ण है। इसके अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि दरवारी चाटुकारों ने विम प्रबार ममय-ममय पर ऐतिहासिक सन्दर्भों में झूटे तथ्यों का समावेश किया तथा अपने मरकार वादशाहों के पाराविक वृक्षत्यों पर परदा डालते हुए उन्हे बद्ध-चढ़ाकर प्रस्तुत किया। मध्यपुरीन मुस्लिम सरकारी-इति-

१. अकबर . दी ग्रेट मुगल, विसेंट स्मिथ, पृष्ठ २६।

वृत्तों के अध्येता छान्तों को चाहिए कि इस प्रकार की घटनाओं के उत्तेष्ठों का सावधानी से भनन करें।

पानीपत की महान् विजय के पश्चात् अकबर की विजयी सेना ने दक्षिण और बढ़ते हुए सीधे दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली के द्वार अकबर के लिए खुल गये, उसने राज्य में प्रवेश किया। आगरा भी उसके अधिकार में आ गया था। उस युग की वीभत्स परम्परा के अनुरूप वध किये गए और लोगों के कटे हुए मिरों की एक भीतार खड़ी की गई। हेमू के परिवार और विपुल खजानों पर अधिकार किया गया। उसके बृद्ध पिता को भौत की सजा दी गई।<sup>१</sup>

मालवा के सुलतान बाज बहादुर को मध्य भारत में देवास के निकट सगहर में पराजित करने के बाद अकबर के सेनापति अधम खाँ एवं पीर मोहम्मद ने कूरतापूर्ण धृणित कृत्य प्रतिपादित कर अपने-आपको तथा अपने बादशाह (अकबर) को कलंकित किया। भयभीत बदायूँनी इसका माल्की था। बन्दी जत्थे उनके सामने उपस्थित किए गए, जिन्हें उन्होंने मरवा डाला, ताकि खून की नदियाँ प्रवाहित हो सके। पीर मोहम्मद ने हँसी उड़ाते हुए पाश्विक मजाक किया। जब उसकी भत्सना की गई तथा विरोध प्रदर्शन किया गया तो उसने जवाब दिया, 'एक ही रात में इन समस्त बन्दियों को पकड़ा गया। उनके साथ अब वया व्यवहार किया जा सकता है?' यहाँ तक कि संयद तथा शिक्षित शेख भी जब हाथों में कुरान लेकर उससे भेट करने आए तो उन्हें भी कत्ल कर दिया गया।

युद्ध के पश्चात् अधम खाँ को, जिसकी नियुक्ति कुछ काल के लिए मालवा के राज्यपाल के रूप में की गई थी, वापस बुला लिया गया तथा उसके स्थान पर पीर मोहम्मद की नियुक्ति की गई। एक अयोग्य व्यक्ति पर इस प्रकार वा विश्वास करके तथा एक महत्त्वपूर्ण पद पर उसका नियुक्ति करने में अकबर ने एक भयकर भूल की। पीर मोहम्मद ने बुरहान-पुर तथा बीजागढ़ पर हमला कर दिया। बीजागढ़ के दुर्ग में उसने 'कत्ल-आम' किया जैसाकि बदायूँनी का भत है—कत्ले आम करते हुए अथवा बुरहानपुर एवं अमीर गढ़ के समस्त निवासियों को बन्दी बनाते हुए एवं

१. अकबर : दी ग्रेट मुगल, विसेंट स्मिथ, पृष्ठ २६।

नर्वंदा नदी के दक्षिण तट पर यसे अनेक नगरों एवं प्रामों को छ्वस्त करते हुए पीर मोहम्मद ने चरोज खाँ की नीसी कूरता दिखलाई।<sup>१</sup> दूधरे शब्दों में, पीर मोहम्मद ने चरोज खाँ की कूरता एवं वर्दंरता का अनुकरण किया।

एक दरवारी अलगा खाँ का बल्ल वर देने के जुर्म में अधम खाँ को आगरे के दुर्ग के बुजं से नीचे फेंके जाने एवं टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाने का आदेश दिया गया। इस सम्बन्ध में स्थिय महोदय ने लिखा है—“अधम खाँ को आगरे के बुजं से सिर के बल फेंका गया। पहली बार फेंकने से अधं-मृत होने के कारण अकबर ने अपने आदमियों को उसे पुन ऊपर ले जाकर दुबारा नीचे फेंकने का आदेश दिया। उसकी गदंन टूट गई तथा सिर के टुकड़े-टुकड़े हो गए।”<sup>२</sup> अधम खाँ के सिर के टुकड़े-टुकड़े होने की वीभत्स घटना से सम्बन्धित एक यथार्थ चित्र का प्रदर्शन “साउथ बेंसिंगटन” में लायोजित ‘अकबर-नामा’ की चित्र-प्रदर्शनी में किया गया था।

एटा जिसे (सक्रिय परगना) में आठ गांवों की जनता के विस्तृद जब अकबर ने स्वयं एक आरम्भ का सचालन किया था तो “परोड नामक गाँव में करीब एक हजार विद्रोहियों को एक मकान में बन्द कर जिन्दा जलवा दिया गया था।”

“एक अमामान्य घटना अप्रैल, सन् १५६७ में घटित हुई जबकि शाही तम्बू दिल्ली के उत्तर में स्थित हिन्दुओं के प्रसिद्ध तीर्थस्थान ‘यानेश्वर’ में लगा हुआ था। इस घटना के विवरण से अकबर ने पूरे एवं वर्दंर स्वभाव पर प्रकाश पड़ता है। वहाँ पवित्र कुण्ड पर एक वित्र होने वाले सत्यासी दो दलों में विभवत हो गये थे। अबुल फज्जल ने इन्हें ‘कुर’ तथा ‘पुरी’ की सज्जा दी है। ‘पुरी’ दल के नेता ने अकबर से शिकायत की वि ‘कुरो’ ने अनधिकृत हृप से उसकी पारम्परिक गढ़ी पर कब्जा कर लिया है। इस प्रवार उन्हें तीर्थयात्रियों से प्राप्त होने वाले दान लेने से रोक दिया है एवं स्वयं उसे एक वित्र करने में लगे हैं। (उन्हें सशस्त्र लड़ाई द्वारा उबत समस्या को सुलझा लेने की अनुभति प्रदान की गई।) पहले तलवारों से लड़ाई आरम्भ हुई। बाद में तलवारों को अलग कर दिया गया तथा मुक्केवाजी व तीरों

१. अकबर . दी प्रेट मुगल, विसेंट स्थिय, पृष्ठ ४०।

२. वही, पृष्ठ ४३।

## अकबर की नूरता एवं वर्वंरता

का आश्रय ग्रहण किया गया। अन्त में उन्होंने पत्थरखाजी की। अकबर ने जब देखा कि पुरी दल की संख्या अधिक हो गई है तो उसने अपने कुछ वर्वंर अनुयायियों को इशारा किया कि वे कमज़ोर दल की मदद करें। इस सहायता से कुरु पुरी दल के सन्धासियों को जल्दी ही खदेड भगाने में समर्थ हो गये। पराजित दल का पीछा किया गया तथा अधिक संख्या में उन भगोड़ों को मार डाला गया। सरकारी इतिवृत्त लेखक ने सावधानी से आगे उल्लेख किया है कि उक्त सेल को देखकर अकबर को अत्यधिक आनन्द हुआ। अन्य इतिहासकारों का कथन है कि दोनों दलों में एक दल की संख्या दो या तीन सौ थी तथा दूसरे दल की पाँच सौ। अकबर द्वारा भदद देने पर कुल मिलाकर संख्या करीब एक हज़ार हो गई। अद्युल फज़ल के इस उल्लेख की कि उक्त हिसात्मक दृश्य को देखकर “बादशाह को अत्यधिक आनन्द प्राप्त हुआ”<sup>१</sup> के प्रति तबकात के लेखक ने अपनी महमति व्यक्त की है। यह एक निराशाजनक बात है कि अकबर जैसे व्यक्ति ने इस प्रकार के खूनी सेल को प्रोत्साहन दिया।

ऊपर उल्लिखित घटना के अवलोकन से अकबर की रुचियों एवं उद्देश्यों पर ध्याला-सा प्रकाश पड़ता है। चूंकि वह एक धर्मान्य मुसलमान था, अतः उसके द्वारा उपेक्षित एवं उसकी दृष्टि में गहरीय हिन्दू सन्धासियों के दो दलों द्वारा एक-दूसरे के साथ हिसात्मक ढग से मार-काट करने एवं हत्याएँ करने के दृश्य को देखकर उसे आनन्द हुआ। मनुष्यों के दो जत्यों द्वारा परस्पर छुरेवाजी तथा पत्थरखाजी करते हुए दृश्य से अकबर को अत्यधिक आनन्द-प्राप्ति के तथ्योल्लेख से अकबर के मन में जड़बद्ध कूरता, वर्वंरता एवं स्वार्थमय छल-प्रपञ्च की ही अवस्थिति सिद्ध होती है।

अकबर के युग की जनता उम्मके आगमन का समाचार सुनते ही भयभीत होकर भाग खड़ी होती थी। जनता उसे लूट-खसोट करने वाला नर-भक्षक पशु समझती थी। इस तथ्य का भलीभांति रूपांटीकरण हिन्दुओं के दो प्रमुख तीर्थ-केन्द्र वनारस एवं प्रयाग में अकबर के आगमन तथा वहाँ उसके द्वारा की गई विघ्वस-लीला एवं लूट-खसोट के कारनामों से होता है। विसेट स्मिय का कथन है—“अकबर ने तब प्रयाग एवं वनारस की

१. अकबर : दी ग्रेट मुगल, विसेट स्मिय, पृष्ठ ५६-५७।

ओर कूच किया। वहाँ उसने इसलिए लूट-खसोट की, वयोंकि जनता ने अपने घरों के द्वार बन्द कर लिये थे।<sup>१</sup> ध्यान देने की बात है कि जनता सामान्यतः शाही सरायियों को देखने तथा उपहारादि प्रस्तुत करने को उत्सुक रहती है। बनारस तथा प्रयाग में अकबर के आगमन पर वहाँ की जनता इसलिए भाग खड़ी हुई कि उनके मन में भय था कि लूट-खसोट, बलात्कार, व्यभिचार आदि की दुर्घटनाएँ अकबर की वर्वर और धूनी फौज द्वारा अवश्य ही सम्पन्न होंगी। जनता के मन में यह भय न होता तो वह घरों में तालेबन्दी कर वहाँ से पलायन न करती। अकबर की धूनी फौज जहाँ भी जाती थी, वहाँ लूट-खसोट तथा व्यभिचार आदि की घटनाएँ नामान्य बात थीं। भारतवर्ष में उसके शासनवाल के द्वीरान लगभग आधी नाताड़ी तक इस प्रकार वे जघन्य-बृत्य एवं अमानवीय काय्य निरक्षर चलने रहे।

अकबर द्वारा कठोर यातनाये दिये जाने वे मन्दभूमि में एक घटना का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। मशहूद के मोहम्मद भीराङ नामक व्यक्ति को, जो खाँ जमान का एक बिदेप विश्वरत आदमी था (तथा जिसने अकबर के लिलाक विद्रोह किया था।) पाँच दिन तक लगातार सत्राम-स्थल पर कठोर यातनाएँ दी गईं। प्रतिदिन उसे लवड़ी के एक माने में बन्द कर दिया जाता था तथा एक हाथी वे सामने डाल दिया जाता था। हाथी उसे अपनी मूँड में ऊपर उठाता था तथा मंदान के एक किनारे से दूसरे किनारे पर फेंक दिया बरता था। इस प्रकार दी जाने वाली यातना का मही वारण नहीं बताया गया था, अतः हाथी उसे प्रतिदिन एक किनारे से दूसरे किनारे फेंक कर उसके साथ बेलता रहा। इस भीषण बर्बर घटना का उल्लेख अबुल फजल ने एक शब्द की भी काँट-छाँट किये विना प्रयात्प्य हप म लिया है।<sup>२</sup>

चित्तौड़ के दुर्ग को विजित करने के पश्चात् अकबर की शूरफौज द्वारा समावित अपमानों, नप्ट-भ्रष्ट करने के बृत्यों, बलात्कार एवं व्यभिचार आदि की घटनाओं से बचने के लिए राजपूत महिलाओं एवं सिशोर-

१. अकबर दी ग्रेट मुगल, विसेंट स्मिथ, पृष्ठ ५८।

२. वही, पृष्ठ ६४।

किशोरियों द्वारा सामूहिक रूप में भयावह अग्नि-प्रवेश को पसन्द करने सम्बन्धी घटना के विवेचन से इस तथ्य के साथ्य प्राप्त होते हैं कि अकबर के शासन-वाल में किस प्रकार के बर्वरतापूर्ण पाश्विक कर्म किये जाते थे। विस्टें स्मिथ ने उल्लेख किया है कि जौहर की क्रिया से दुर्ग पूर्णतः विजित होने के पूर्व ही वडे पैमाने पर समाप्त हो चुका था। तीन विभिन्न पावक-कुण्डों में अग्नि प्रज्वलित की गई। नौ रानियों, पाँच राजकुमारियों, उनकी पुत्रियों एवं दो भिक्षुओं तथा समस्त सेनापतियों के परिवारों ने, जो अपनी रियासतों से दूर नहीं जा सके थे, या तो स्वर्य को ज्वाला में भस्म कर ढाला या वे आक्रमण में मारे गये। दूसरे दिन सुवह अकबर ने दुर्ग में प्रवेश किया। आठ हजार राजपूतों ने सिर पर कफन बांधकर मरने-मारने की कसम साई। अकबर ने जब यह देखा कि राजपूत उसका दृढ़ता से मुकाबला कर रहे हैं तथा उसकी सेना के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं तो वह कोधित हो उठा। उसने राजपूत सेनिकों जत्यों तथा नगर में जन-भास्त्व के साथ दयाविहीन झूरता के कार्य किए। अकबर से ईर्प्पी एवं धूणा के कारण आठ हजार शवित्राली राजपूतों को ४० हजार किसानों द्वारा मदद होते देखकर अकबर ने कल्प-आम का आदेश दिया। इस कल्प-आम में तीस हजार लोग मारे गये तथा अनेक लोग बन्दी बनाये गये।

“नवम्बर सन् १५७२ ई० को जब अकबर अहमदाबाद पहुंचा, भगोड़ा शासक मुजफ्फरनाह अनाज के एक खेत में छिप गया था। उसे पकड़कर अनाज के सामने उपस्थित किया गया। ‘कैम्प’ के पीछे चलने याले कुछ लोगों ने उसकी प्रजा पर जत्याचार करते हुए लूट-खसोट की। अकबर ने अपनी झूरता का परिचय देते हुए आदेश दिया कि प्रतिरोध करने वालों को हाथी के पौरों सले कुचलकर मार डाला जाये।”

निरक्षर अकबर के मन में कितनी झूरता भरी थी, इसका स्पष्ट दिग्दर्शन ‘हम-ज्वान’ नामक एक वरिष्ठ दरवारी को उसके द्वारा दिये गये दण्ड से किया जा सकता है। हम-ज्वान ने गुजरात प्रदेश के ‘सूरत’ नगर में अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था। २७ फरवरी, सन् १५७३ ई० को उसे गिरफ्तार किया गया। चूंकि ‘हम-ज्वान’ शब्द से ‘अपनी ज्वान का सच्चा’ अर्थ अभिव्यक्त होता है, अतः “उसको जीभ कटवाकर उसे बर्वरतापूर्ण सजा दी गई।”

सन् १५७३ ई० में “हुमेन कुली खाँ (खाँ जमान) अपने बन्दियों के साथ अकबर के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। मसूद हुमेन मिर्जा की ओर से सी दी गई थी।”<sup>१</sup> अन्य तीन सौ बन्दियों को उनके चेहरे की खाल उतार कर गई, शूकर एवं शवानो की खालें भड़कर अकबर के सामने उपस्थित किया गया। उनमें से कुछ लोगों वो विभिन्न प्रकार से दर्दं यातनाएँ दी गईं।<sup>२</sup> यह जानकर खेद होता है कि अकबर जैसे वादशाह ने इस प्रकार के बर्बर व्यवहार किये।<sup>३</sup> इस प्रकार की क्रूरता एवं दर्दंता उसे पैनृक रूप में अपने तातार पुरुषों से प्राप्त हुई थी। जिस प्रकार की क्रूरता एवं दर्दंता का उसने आचरण किया उससे मिर्जा-विद्वोह एवं उपद्रव शान्त नहीं हुए। गुजरात में वे पुन आरम्भ हो गये।”

“२ सितम्बर, सन् १५७३ ई० को अहमदाबाद की लडाई लड़ी गई। उत्त पुग की बर्बर परम्परा के अनुमार दो हजार से भी अधिक विद्वोहियों वा सिर काट कर उनसे एक पिरामिड निर्मित किया गया।”

“अफगान नेताओं के सिर काटकर उन्हें नाव में भरकर दाऊद (बगाल, बिहार तथा उडीसा के अफगान शासक) के पास भेज दिया गया। यह इस बात की चेतावनी थी कि उसकी भी उसी प्रकार दुर्दशा सम्भावित थी।”<sup>४</sup> ३ मार्च, सन् १५७५ ई० को दाऊद की फोज के साथ ‘तुरोकई’ में निर्णायक युद्ध हुआ।<sup>५</sup> युग की बर्बर रीति का अनुचरण करते हुए मुनीम खाँ ने अपने बन्दियों को कत्ल कर दिया। कटे सिरों की सत्या बाठ गगन-चुम्बी मीनार तैयार करने के लिए पर्याप्त थी।”<sup>६</sup>

दाऊद के विरद्ध दूसरी लडाई ‘राज-महल’ के निवट गुरुवार दिनाक १२ जुलाई को लड़ी गई। दाऊद पराजित हुआ तथा उसे बन्दी बना लिया गया।<sup>७</sup> प्यास से व्याकुल होकर वह पानी माँगने आया।<sup>८</sup> उसके जूते में पानी भरकर वे उसके सामने लाये।<sup>९</sup> उसका सिर काटने के लिए बिट्ठार जबडानुमा दो तिकड़ियाँ उसके गले में लगाई गईं।<sup>१०</sup> उसके सिर में भूसा भरा गया तथा तेल-मुगन्धि से युक्त करके उसे सईद खाँ के अधिकार में मौन दिया गया।<sup>११</sup> सईद खाँ ने बाद में ‘बीदर’ नामक गांव में अकबर से

१. अकबर : दी ग्रेट मुगल, विसेंट स्टिम्प, पृष्ठ ८२।

२. वही, पृष्ठ ६२।

भेद ही तथा दाढ़ का सिर दरवार में पेंककर उपस्थित किया। दाढ़ का घड 'लड़ा' के द्वार पर लटका दिया गया।<sup>१</sup>

सन् १६०३ ई० में अधवा इसी समय के आस-पास एक घटना और घटी। अवबर अपराह्न के समय विशाम-कक्ष में आराम किया करता था।<sup>२</sup> उस दिन वह समय से पहले ही आरामगाह में था पहुँचा। वहाँ उसने किसी भी नोकर को नहीं देखा।<sup>३</sup> जब वह सिहासन तथा शाही गढ़ी के निकट पहुँचा, उसने एक अभागे शमा जलाने वाले को देखा, जो साप की तरह घल खाई हुई अवस्था में सिहासन के निकट गहरी नीद में लेटा हुआ था। इसे देखकर अवबर श्रोथ से आज-बयूला हो उठा। उसने आदेश दिया कि उपर शमा जलाने वाले को भीनार से नीचे फेंक दिया जाये। इस प्रकार उसके शरीर के टुकड़े-नुकड़े हो गये।

थेस अब्दुल नवी तथा उसके विरोधी मखदुमुल मुल्क को मबके की तीर्यकाता के बहने देश-निकला दिया गया। उन्हे वापस तौटने को अनु-मति मिली थी। सन् १५८२ ई० में अहमदाबाद में मखदुमुल मुल्क की मृत्यु हो गई। वह विपुल सम्पत्ति एवं बहुमूल्य पुस्तके छोड़ गया था। जिन पर बज्जा कर लिया गया। उसके पुर्वो को कई बार अनेक कट्ट एवं यात-नायें भोगानी पड़ी जिससे वे गरीब हो गये। उनकी आर्थिक स्थिति बिर गई। दो वर्ष पश्चात् अब्दुल नवी की हत्या बादशाह के गुप्त आदेशानुसार कर दी गई।<sup>४</sup>

विहार तथा वगाल में अनेक व्यक्तियों के प्रति जो भूरता भरती गई, उससे सम्बद्ध विशेष मामलों ने दुर्भावना उत्पन्न कर दी तथा ऐसा कहा जाता है कि अधिकारियों की धनलिप्ति में 'आग में पी' का काम किया।<sup>५</sup>


जिन विरोधियों को जनता के सामने सजा नहीं दी जा सकती थी, उन्हे बौद्धारिक रूप में सजा देने अथवा उनकी हत्या करवाने के लिए गुप्त एवं व्यवितरण आदेश देते हुए अवबर को कभी तीतिकूप का लाभांश नहीं हुआ।<sup>६</sup>

१. वही, पृष्ठ १०४।

२. अवबर : दी घेट मुगल, विसेंट स्मिथ, पृष्ठ १३२।

३. वही, पृष्ठ १३२।

४. वही, पृष्ठ १३५।



अकबर के सम्बन्ध में प्रचलित अनेक कूर-कृत्यों की गाथाओं एवं अनुल फ़ज़ल द्वारा चाटुकारिता के स्पष्ट में उल्लेखित जन-भासान्य की यातनाओं के तथ्यों के अद्वितियत भी अकबर के अनेक वर्वं बर्मों के सदर्भ प्राप्त होते हैं। सन् १५८१-८२ ई० में बड़ी सख्ता में जोखों एवं फ़तीरों को, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप में अकबर के नये धर्म-प्रवर्तन का विरोध किया था, काधार प्रदेश में निष्कामित कर दिया गया। वहाँ उनका गुलामों की स्थिति में घोड़ों के बदले विनिमय किया गया।<sup>१</sup>

मशवर्त (मुसलमान इतिहृत सेवक इस नाम का गलत उच्चारण प्रस्तुत करते हुए इसे दशवध उल्लेखित करते हैं) नामक एक तरण एवं मुन्दर चित्रकार ने अकबर के दरवार में व्याप्त कुत्मित वातावरण, जप्राहृनिक व्यक्तिगत, शराबखोरी, वैश्याकर्म तथा अम्बुकुकूर्यों, जतियारों एवं अनाचारों से दुःखी होकर अपने-आपको छुरा मारकर आत्महत्या कर ली।

अकबर के वरिष्ठतम दरवारी, सेनापति तथा साले राजा भगवानदास ने भी अकबर के दरवार के कुहृत्यों के असह्य हो जाने पर स्वयं को छुरा मारकर आत्महत्या कर ली। राजा भगवानदास ने भी अकबर के दरवार में वह महमूम लिया कि वहाँ जीवन असह्य, अपमानजनक, भ्रष्ट तथा कूर हो चला था। कोई भी व्यक्ति, जिसके मन में जिचित् भी मानवता होगी, इस प्रवार के वातावरण में रहना पसन्द नहीं दरेगा। मुस्लिम सरकारी गाथाओं के थन्तर्गत वहा जाता है कि राजा भगवानदास एवं पशवर्त ने पामत्रपन के दौरे के बारें आत्महत्या की। इन प्रवार की पटनायें भारतवर्ष में मुगलों के भ्रष्ट जास्त के विरोध में घटित होती थीं। चाटुकार दरवारी लेखक ऐसे मामलों को गलत रूप में उत्तेजित करते थे, तथा ऐसी प्रत्येक पटना को 'पामत्रपन' से सम्बन्धित घोषित बरते थे। इतिहासकारों द्वारा चाहिए कि मुस्लिम दरवारी लेखकोंने घटनाओं को तिस स्पष्ट में प्रस्तुत लिया है, उन्हें उसी दृष्टि में कभी स्वीकार न करें।

‘किसेंट स्मिथ का कथन है “द्वीनर ने उल्लेख लिया है कि अकबर ने वेतन पर एक जहर देने वाला नीदर रक्ता था”, जिसका बास अकबर के आदेनामार सोगों को केवल जहर देना था।’<sup>२</sup> दोपी व्यक्तियों द्वारा अनेक

१. अकबर द्वी ग्रेट मुगल, किसेंट स्मिथ, पृष्ठ १५६।

२. वही, पृष्ठ २५०।

प्रकार मे दंड दिया जाता था तथा उनमें भय उत्पन्न किया जाता था ।... दण्ड देने के तरीकों मे हत्या करवाना, हाथियों से कुचलवा देना, फांसी पर लटकवा देना, मिर कटवा देना आदि शामिल थे । बावर नैतिकता के अहसास के बिना खाल उधेड़ लेने का आदेश दिया करता था । छोटी गलतियों एवं अपराधों के लिए अग-भग तथा चाबुक से पिटवाने जैसे नूरतापूर्ण दण्ड सामान्य रूप मे दिये जाते थे । दीवानी, फौजदारी अथवा दण्ड-विधान की कार्यवाहियों के कोई रिकार्ड नहीं रखे जाते थे । जो व्यक्ति न्यायाधीश के पद पर आसीन होते थे, कुरान के कानूनों का पालन करते थे । कुरान के उमूलों को मही ढग से मानने वाले न्यायाधीशों को ही योग्य करार दिया जाता था । न्याय के नूर विधानों को अकबर प्रोत्साहित करता था । दण्ड-स्थल मे किस प्रकार की कूरता वर्ती जाती थी तथा सवास उत्पन्न किया जाता था, इसका यथार्थ चित्रण अकबरनामा के समकालीन प्रतिदर्शनों के अन्तर्गत साझे केन्सिगटन मे किया गया था ।”

चित्तोड़ के दुर्ग-रक्षक सैनिकों के प्रति किये गये अनाचारपूर्ण व्यवहार तथा विद्रोही मिर्जाओं के अनुयायियों को दी गई यातनाओं मे अकबर ने भीषण कूरता वर्ती थी ।<sup>१</sup> विसेंट स्मिथ ने ऐसे दो तथ्यों का उल्लेख किया है, जिनमे अकबर की निरकुश स्वेच्छाचारिता एवं कूरता दिखलाई पड़ती है । अकबर ने जितने भी युद्ध एवं आत्रमण किये, चाहे वे राजनीतिक प्रतिष्ठन्द्वी के प्रति हो या किसी विद्रोही के प्रति, सभी मे उसने पाश्विक कूरता का परिचय दिया । ऐसी कोई भी घटना नहीं है, जिसमे अकबर ने किसी प्रकार की दया दिखलाई हो । विसेंट स्मिथ का कथन है कि यदि ऐसी कोई घटना हो भी जिसमे अकबर ने दया आदि दिखलाई हो तो उसके पीछे वाहणिक भावना की अपेक्षा कोई ‘नीति’ ही अधिक थी । दूसरे शब्दों मे, यह भी कहा जा सकता है कि किसी घटना मे अकबर की दया दिखलाई पड़ती है तो वह स्वार्थ-मिद्दि की किसी नीति से उत्प्रेरित थी ।

विसेंट स्मिथ का उल्लेख है, “वह (अकबर) जैसाकि एक जेमूइट लेखक ने लिखा है, मही अर्थों मे ‘पूर्वी देशो का सवास’ या ।”<sup>२</sup> लगभग चार दशाब्दी के काल तक उसकी निरकुश स्वेच्छाचारिता का भ्रष्ट शासन

<sup>१</sup> अकबर : दी ग्रेट मुगल, विसेंट स्मिथ, पृष्ठ २५१ ।

<sup>२</sup>. वही, पृष्ठ २५६ ।

वायम रहा । जन-सामान्य द्वारा अकबर को प्रेम नहीं किया जाता था, अपितु लोग उससे डरते थे—दहशत खाते थे । बहुत पहले से ही लोगों दे वीच उसका भय व्याप्त था । वह आगे-आपके जनता की पवित्र भावना का अनादर करने तथा अपमान करने में स्वतन्त्र समझता था । सन् १५८१ ई० के अन्त में जब उसका पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया तो स्वेच्छाचारिता के धोर में वह बहुत आगे बढ़ गया । तुछ निलंज वायों को बरने में वह पूरी स्वतन्त्रता बरने लगा था ।

कुरान के कानूनों में निर्धारित भीपण सजायें स्वेच्छाचारिता पूर्वक दी जाती थी । अकबर को और न ही अद्वित फज्ल को शपथ ग्रहण करने एवं साक्षी प्रस्तुत करने जैसे न्यायिक औपचारिकताओं के नियम मान्य थे । फौजदार से सदैव यही अपेक्षा की जाती थी कि वह विद्रोहियों को, जो हमेशा बहु-सद्या में ही होते थे, कम करने के लिए दमन-नीति अपनाए तथा शाही भुगतानों की वसूली के लिए जब कभी आवश्यकता पड़ती थी, हुक्म अदूसी करने वाले ग्रामीणों के विरुद्ध फौजदार की फौजी जत्यों वा उपयोग करने की पूरी छूट थी ।

अकबर की स्वेच्छाचारिता एवं वर्वर निरकुशता का एक विलक्षण उदाहरण कर्नल टॉड ने प्रस्तुत किया है । कर्नल टॉड<sup>१</sup> का कथन है, "जोधार्याई के देहावमान पर अकबर ने आदेश दिया कि शोक-प्रदर्शन के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने मिर के बाल एवं दाढ़ी मुँडा दे । इस आज्ञा के पालन के लिए शाही नाई नियुक्त किये गये । शाही नाई जब हाड़ा राजपूतों के सैन्य-कक्षों में पहुँचे, उन्होंने शोक-प्रदर्शन के आदेश को अमान्य करते हुए शाही नाइयों के साथ मार-पीट की । (ऐसा सम्भव है कि नाइयों ने शाही आज्ञा का पालन करने के लिए जबरदस्ती की हो, जिसमें हाड़ा राजपूतों का घून उबल पड़ा हो ।) राजा भोज (रणवीर के दुर्ग के भूतपूर्व प्रधान राज गुरुजन के पुत्र तथा अकबर के सेनापतियों में में एक) के शवुओं को शाही नाइयों के विरोध करने पर गुस्ता आ गया । उन्होंने अकबर को सूचना दी कि हाड़ा राजपूतों न दिवगता रानी की सूति का अपमान करते हुए शाही नाइयों के साथ निलंजतापूर्ण व्यवहार किया है । अपने शूर-बीर राजपूत

१. एनरम एण्ड एन्टिकिटीस आँक राजस्थान, लेयक बर्नल टॉड, भाग २, पृष्ठ ३८५ ।

सेनापति की सेवाओं को विस्मृत करते हुए अकबर ने आदेश दिया कि राव भौज को बेड़ियो से बाँधकर बलपूर्वक उनकी मूँछ साफ कर दी जाए। इनकी मूचना प्राप्त होते ही राजपूतों ने अपने हथियार उठा लिये। तत्काल ही सैनिक-कक्षों में हगामा मच गया तथा बिद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। अवसरानुसार अकबर यदि अपनी भूल पर पश्चात्ताप करते हुए बूढ़ी राजपूतों के सैन्य-कक्षों में भेंट के लिए न जाता तो सम्भव है खूनखराबी की स्थिति उत्पन्न हो जाती।”

राजपूतों में जातीय भावना प्रबल होती है। लोक-मर्यादा को वे विस्मृत नहीं कर पाते। ऐसी महिलाओं के प्रति, जो मुस्लिम हरम में जाना तथा वहाँ जीवन व्यतीत करना स्वीकार कर लेती थी, उनके मन में कोई आदर या सम्मान की भावना नहीं होती थी। दाढ़ी-मूँछ को वे अपने पाँस्प और शीर्ष का प्रतीक मानते थे। यही कारण है कि अकबर ने जब जोधाबाई की मृत्यु पर दाढ़ी-मूँछ मुँडवाने का आदेश दिया तो हाड़ा राजपूतों के मन में रोप उत्पन्न हो गया। एक ऐसी महिला (जोधाबाई) जो अपने पवित्र अदर्श से गिर गई थी तथा जिसने किसी बीर राजपूत के माय हिन्दू परम्परा की पवित्र पद्धति के अनुसार विवाह करना स्वीकार न कर मुस्लिम हरम में एक पुश्चली का जीवन व्यतीत करना पसंद किया, के प्रति उन हाड़ा राजपूतों के हृदय में कोई सम्मान नहीं था। अतः दाढ़ी-मूँछ मुँडवा देने का आदेश गर्वनि राजपूतों के लिए रोपजनक था। धूर्त तथा मवकार अकबर राजपूतों का अपमान करने के किसी भी अवसर को छोड़ना नहीं चाहता था। इस अवसर का भी लाभ उठाते हुए अकबर ने उन राजपूतों को, जो उसके अधीन दरबारी तथा सेनापति आदि थे, दाढ़ी-मूँछ मुँडवाने तथा सिर के बाल आदि साफ कराने का आदेश दिया। राजपूत कट्टर हिन्दू होते हैं। अपनी इच्छा से चाहे तो वे यह उत्तरता लेते, किन्तु पारम्परिक-आदर्श से पतित एक महिला के लिए उन्होंने दाढ़ी-मूँछ मुँडवाना अपमान-जनक समझा।

शोक-मतपत अकबर कलेआम करवाने तथा दूसरों की हत्या करवाने को मनोरजन करने एवं मन-वहलाने का एक साधन समझता था। अनाचार तथा अतिचार की भीषणता का ऐसा अस्तित्व क्या ससार में कभी नहीं रहा होगा? सरकारी इतिवृत्त लेखक फरिशता ने उल्लेख किया है,

“साहजादा मुराद मिर्जा (मई मन् १५६६ ई० मे) सज्जन बीमार पड़ा तथा उसकी मृत्यु हो गई। उसे ‘सापूर’ में दफनाया गया। बाद में उसका शव बही से हटाकर लाया गया तथा उसके प्रपिता हुमायूं की कब्र के पास दफनाया गया। अपने बेटे की मृत्यु के दुःख में घ्यान हटाने के साधन के रूप में अकबर के मन में दक्षिण पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त करने की लालभा उत्पन्न हो गई।”<sup>१</sup>

चित्तोड़ के दुर्ग-रक्षक सैनिकों के प्रति अकबर ने जो भीषण कूरता दिखायाएँ इसका एक स्पष्ट उल्लेख हमें थी शेल्ट की पुस्तक के पृष्ठ १०५-१०६ पर प्राप्त होता है। श्री शेल्ट महोदय का कथन है—“२४ फरवरी, सन् १५६८ को अकबर ने चित्तोड़ में प्रवेश किया। उमने बत्लेआम और सूट का आदेश दिया। हमलावर सारा दिन सहवो पर नरस्तार करने हुए विद्वसक-हृत्य करने हुए पूमते रहे। मारे गये लोगों की संख्या इन्हीं अधिक थी कि उनके यज्ञोपवीतों का वजन मनो था।”<sup>२</sup>

“एक धायल ‘पट्ट’ गोविन्दश्याम (उक्त कुम्भ श्याम) के मन्दिर के निवट पड़ा था। उसे अकबर ने स्वयं अपने हाथी द्वारा कुचलवाकर मरवा डाला। आठ हजार योद्धा राजपूतों वे अतिरिक्त दुर्ग के भीतर करीब ४० हजार विसान भी थे जो देख-रेख तथा अन्य मदद के बार्य कर रहे थे। बत्लेआम का आदेश तयतक बापस नहीं लिया गया, जबकि उनमें से ३०

- “मन् १६१२ तक भारतवर्य में मुस्लिम प्रभुमता का इतिहास”। मोहम्मद कासिम फरिशता द्वारा लिखित। मूल फारसी से जैन ग्रन्थ द्वारा ४ भागों में अनूदित, पृष्ठ ७१, भाग २। एम० डे, ५६-ए, श्याम वाजार स्ट्रीट, बत्लकत्ता-४ द्वारा प्रकाशित।

उपर्युक्त घटना के उल्लेख में इस बात की सभावना की जाती है कि दिल्ली में हुमायूं की कब्र का होना एक धोका है। अपनी पुस्तक “भारतीय इतिहास की बुछ भवकर भूले” में हम यह सिद्ध कर चुके हैं कि दिल्ली में जिसे हुमायूं का मकबरा कहा जाता है, वह मूलतः एक हिन्दू राजभवन है।

- ‘अकबर’, जै० एम० शेल्ट, भारतीय विद्या-भवन, चौपाटी, वस्यै०, (१६६४) द्वारा प्रकाशित।

हजार किसान नहीं मार डाले गये। यद्यपि संघर्ष समाप्त हो गया तथापि कल्लेभाम जारी रहा। हमलावरों के शूर हाथों से न तो मंदिर बचे न भी नारे। सभी कलात्मक वस्तुओं को उन्होंने ध्वस्त कर डाला। अब यह सब कुछ खत्म हो गया, तो २८ फरवरी, मन् १५६८ को अकबर ने अजमेर की तीर्थयात्रा शुरू की।<sup>१</sup> भीषण नर-संहार और लूट-खस्तोट के बाद अकबर की यह तीर्थयात्रा “सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को छली” की कहावत चरितार्थ करती है।

पजाव में इन्नाहिम मिर्जा के साथ लड़ाई के दौरान बंदी बनाये गये तीन सौ लोगों के साथ हुसैन कुली खाँ आया। उन बदियों में भसूद हुसैन मिर्जा भी शामिल था, जिसकी आंखें सी दी गई थीं। शेष लोगों को गाय की खालों, जिनमें से सींग भी नहीं निकाले गए थे, में उपस्थित किया गया। कुछ बदियों को छोड़ देने का आदेश दिया गया। शेष बदियों को विभिन्न प्रकार की अवाञ्छनीय यतनार्थ देकर मार डाला गया। उसी दिन सैम्बद खाँ मुत्तान से आया। उसने इन्नाहिम का सिर प्रस्तुत किया। विद्रोहियों को दी गई सजायें शूर तथा वर्वर थीं।<sup>२</sup>

गुजरात के विद्रोहियों के खिलाफ की गई लड़ाई में भोहम्मद हुसैन एवं अखिलायार के कटे सिर आगरा तथा फतेहपुर सीकरी के द्वारों पर टाँगकर प्रदर्शित करने के लिए भेजे गये। तैमूर बंश की परम्परा के अनुसार उस दिन जिन विद्रोहियों का कत्ल किया गया, उनके कटे सिरों का एक ‘पिरामिड’ अकबर ने बनवाया।<sup>३</sup>

“इस तथ्य पर विचार करना। व्यर्थ नहीं होगा कि दो राजपूत सेनापतियों (भगवानदास एवं मानसिंह—जिन्हें अकबर ने राणा प्रताप के खिलाफ शाहवाज खाँ की सहायता करने के लिए नियुक्त किया था) को इसलिए सहसा ही वर्खास्त किया गया, क्योंकि उन्होंने मिसोदिया बश के घोड़ा अधिनायक को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में शाहवाज खाँ द्वारा मुझाये गये वर्वरतापूर्ण एवं पाशविक उपायों के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया था।”

अकबर ने अपने सभी कर्मचारियों के मन में अपने प्रति अत्यधिक

१. अकबर, ज० एम० शेलट, पृष्ठ १२६-१३६।

२. वही, पृष्ठ १४१।

दहशत की भावना पैदा कर दी थी । बदायूँनी द्वारा उत्सेक्षित एवं घटना के अवलोकन में इस तथ्य का अनी-भानि स्पष्टीकरण हो जाता है । बदायूँनी का कथन है—“राज्याभिपेक के समय लाहौर से अब्दुल मानो भाग गया । उसके रक्षक पहलवान गुल मुज ने बादशाह के शोध में अम्भीन होन्कर आत्महत्या कर ली ।”<sup>१</sup>

“विजय के दूसरे दिन बादशाह पानीपत आया । वही उमने कल किये गये लोगों के बटे मिरों की एक मीनार बनवाई ।”<sup>२</sup>

अब्दुर के दो नेनापतियों, अधम खाँ एवं पीर मोहम्मद द्वारा मालवा के शासक शाहबाज बहादुर की पराजय का उल्लेख करते हुए बदायूँनी का कथन है—“बाज़बहादुर के नौकरों तथा परिनयों आदि सभी को बन्दी बना निया गया । विजय के दिन दोनों नेनापतियों (अधम खाँ एवं पीर मोहम्मद) के सामने बदियों को उपस्थित किया गया । बदियों के जल्देजे-जल्दे मार डाले गये, ताकि खून की नदी प्रवाहित हो सके । पीर मोहम्मद ने मुस्तराते हुए मज्जाक किया—‘इन बदियों के गले में ऐसा बया ‘रोग’ है, जो खून की नदी वह चली है ।’<sup>३</sup> जब मैंने (बदायूँनी) पीर मोहम्मद के मज्जाक की भत्संना की, उसने जबाब दिया—‘एक ही रात में इन सबको बदी बनाया गया है, इनके माय बया किया जाये ?’ उसी रात लूट-खसोट में तत्त्वीन वे हत्यारे मुसलमान बदियों, जिनमें शेखों तथा सेन्यदों की बीवियाँ भी शामिल थीं, को वांधिकर उनके साज़नामान सहित उज्जंन ले आये । वही के दोष तथा संव्यद उससे झेट करने के लिए हाथों में कुरान लिये उपस्थित हुए, जिन्होंने उनके बदी बनायी गयी बदियों को बदी बनाया दिया ।”<sup>४</sup> अधम खाँ ने विजय वा भम्मूर्ज विवरण दर्त्वार को भेज दिया ।”

“उन दिनों पीर मोहम्मद ने, जिसने अधम खाँ के राजधानी लौट जाने पर मालवा में अपनी मत्ता पूर्ण रूप से स्थापित बरती थी, एक बड़ी फोड़ तैयार की तथा कुरहानपुर पर चढ़ाई कर दी । बीजागढ़ को अपने अधीन

१. ‘मुन्तखब्दुत तवारीन’ अब्दुल बादिर बदायूँनी द्वारा लिखित, (मूल फारसी) अनुवादवान्मापादन—जार्ज एन० ए० रैंडिंग, एग्जियाटिक सोसायटी ऑफ वगाल द्वारा प्रकाशित । भाग २, पृष्ठ ४ ।

२. वही, पृष्ठ १० ।

३. वही, पृष्ठ ४२-४३ ।

कर लिया तथा कल्लोंआम का आदेश दिया। वह खान देश की ओर मुड़ा और तबतक सन्तुष्ट नहीं हुआ, तबतक कि बुरहानपुर तथा असीर गढ़ के समस्त निवासियों का सहारकरने तथा उन्हे बदी बनाने में उसने चर्गे खाँ की बराबरी नहीं कर ली। नब्बदा नदी पार करके उसने सधर्ये को चरम-सीमा की स्थित तक पहुँचा दिया और कई नगरों को छवस्त कर डाता। कई गाँवों को जलाकर राख कर दिया।<sup>१</sup>

अकबर के मामा खाजा मुअज्ज़म ने जब अपनी पत्नी की हत्या कर दी, तो अकबर ने पहले लात-धूंसो एवं छड़ी से उसकी पिटाई करवाई। बाद में उसे सत के कपड़े पहनाकर गवालियर भेज दिया गया। वहाँ उसकी मृत्यु हो गई।

“६७१ हिजरी में बादशाह ने इजफाहन के मिर्ज़ा मुकीम तथा कश्मीर के भीर याकूब को उनके शिया होने के अपराध के कारण मरवा डाला। ये दोनों हुसैन खाँ की बेटी को नजराने के तौर पर दरखार में लाए थे।”<sup>२</sup> अकबर की कामुकता का यह एक अन्य उदाहरण है। इस सम्बन्ध में हम एक स्वतन्त्र प्रकरण में सम्यक् रूप से प्रकाश ढालेंगे।

हुसैन कुली खाँ पजाव से आया। वह अपसे साथ मसूद हुसैन मिर्ज़ा, जिसकी आँखें सी दी गई थीं, तथा मिर्ज़ा के अनुयायियों को बड़ी सद्या में बदी बनाकर फेहरपुर लाया था। बदियों की मख्या करीब ३०० थीं। उनके चेहरे की खान खीचकर उनपर गधे, सूअर तथा कुत्ते की खाल मढ़कर, बादशाह के सामने हाजिर किया गया। उनमें से कुछ लोगों को विभिन्न प्रकार की यातनायें देकर मरवा डाला गया। मुल्तान से मैथ्यद खाँ बादशाह को उपहार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ। वह अपने साथ मिर्ज़ा इब्राहिम हुसैन का सिर, जिसे उसने उसकी मृत्यु के बाद काट लिया था, लाया था। इस कार्य से दरखार में उसे ममर्थन प्राप्त हुआ। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि किम प्रकार कटे सिर प्रस्तुत कर अकबर को प्रसन्न करने की कोशिशें की जाती थीं।

६८० हिजरी में जब नगरकोट के शहर एवं मन्दिर पर वर्वतापूर्ण आक्रमण किया गया तथा अकबर की फौज ने वहाँ अपना कब्जा स्थापित

१. मुन्तखबुतन्तवारीस, अनुवाद, भाग २, पृष्ठ ४६।

२. वही, पृष्ठ १२८।

किया, उमके संनिको ने "विजय के मद में चूर होकर तथा बुतपरम्परी के प्रति अत्यधिक धृष्टा होने वे कारण अपने जूतों को (गायों एवं मनुष्यों पे) खून में भर लिया तथा उनकी छाप मन्दिर की दीवारों एवं द्वारों पर अस्ति वी।"<sup>१</sup>

अकबर जिन व्यक्तियों को पसन्द नहीं करता था, छल-प्रपञ्च द्वारा जान दिचाकर उनकी हत्या करवा दिया करता था। मुहम्मद मुल्क तथा मुल्ला मोहम्मद यज्जदी के जीवनात से इस तथ्य को भली-भानि प्रदर्शित किया जा सकता है। वे दोनों फिरोजाबाद पहुँचे। वादशाह ने आदेश दिया कि उनके रक्षकों को उनसे अलग कर दिया जाए तथा उन्हें नाव में विठाकर जमुना नदी के मार्ग से ग्वालियर पहुँचाया जाये। वाद में अकबर ने आदेश दिया कि उन्हें खत्म कर दिया जाये। उन्हे नाव में बैठाया गया तथा जब नावे नदी के गहरे पानी में पहुँची, तो नाविकों को आदेश दिया गया कि नावे नदी में ढूवा दी जाए।... कुछ समय पश्चात् कारी आकूद बगाल में आया। अकबर ने आदेश दिया कि वह उन दोनों के पीछे जाये।... एक वे वाद एक मध्मी मुल्लाओं, जिनके प्रति अकबर के मन में शरा थी, वे मीन वे धाट उत्तार दिया गया।... हाजी इब्राहिम को रणधर्मोर भेजा गया। वही उसकी मृत्यु हो गई। उसका शव चियड़ो में लिपटा हुआ पाया गया।

अपनी वर्वर जिजासा की तृप्ति के लिए अकबर ने एक बार शुच निगुओ का जीवन ही समाप्त कर डाला। ये शिशु उनकी निर्धन माताओं को धन देकर खरीदे गये थे। परुओं की भाँति उन्हे उनकी माता से दूर से जाया गया। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि उक्त शिशु हिन्दू रहे होंगे। सहज ही बन्धना वी जा सकती है कि इस प्रकार वे पंशाचिह्न शृंत्य में उन अभागी माताओं के हृदय में नितनी मार्मिक पीड़ा हुई होंगी। सरकारी इतिवृत्त लेखक बदायूँनी का वर्णन है—'इसी समय (१६७ हिजरी के आस-नाम) दरबार में एक ऐसे मनुष्य वो पेश किया गया, जिसके न तो कान थे, न नर्ण-चिद्र। इसके बावजूद भी जो शुच कहा जाना था, वह मुत्त लेता था। उक्त मामले की स्थितियों वो सत्याग्रित

करने की दृष्टि से एक आदेश जारी करते हुए कहा गया कि कुछ दूध पीते शिशुओं को आवादी से दूर एकान्त में रखा जाये, जहाँ किसी भी प्रकार का कोई शब्द उन्हें सुनाई न पड़े। कुशल नसों को उन शिशुओं की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया गया। उन्हें इस बात का सह्त निर्देश था कि वे शिशु किसी भी प्रकार का शब्द न सुन पायें। इस आदेश के परिपालन के लिए उनकी माताओं के घन देकर १२ बच्चों को खरीदा गया तथा एक ऐसे भकान में उन्हें रखा गया जो 'भूक-गृह' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तीन या चार वर्ष पश्चात् सभी बच्चे मूक हो गये, यद्योकि उनका पालनपोषण एक ऐसे एकान्त परिवेश में किया गया था, जहाँ किसी भी प्रकार की मानवी आवाज नहीं पहुँच सकती थी। किसी भी प्रकार की घटनि उन बच्चों को वहाँ सुनने को नहीं मिलती थी। आगे बदायूँनी का कथन है कि उनमें से कई कुछ समय बाद मर गए। अकबर की क्रूरता की यह एक मिशाल है, जिसके द्वारा उसने यश प्राप्त करने की दृश्येष्टा बी। सभवतः ससार के किसी अन्य बादशाह अथवा सम्राट् ने इस प्रकार का प्रयोग नहीं किया होगा। न ही यातना देकर जीवन बरबाद करने के ऐसे उपाय पर उन्होंने कभी सोचा होगा।

जलेसर के शेख कुतुबुदीन को अन्य फकीरों के साथ भवकर (सिंघ में) निष्कासित कर दिया गया। वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। स्पष्ट है कि रेमिस्तान के सूखे इलाके में प्यास तथा भूख के बारण ही उसका शरीरान्त हुआ होगा।<sup>१</sup>

बड़ी सल्या में शेख तथा ककीरों का विभिन्न स्थानों पर विशेषकर काधार, भेजकर घोड़ों के बदले विनिमय किया गया। इस घटना के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अकबर खच्चरों, घोड़ों तथा गधों को मनुष्यों से अधिक महत्व देता था तथा जिन्हे मह पसन्द नहीं करता था, उनके बदले जानवरों का विनिमय करते हुए उसमें नैतिकता का कोई आग्रह नहीं था।

अकबर एक धर्मान्ध मुस्लिम बादशाह था किन्तु उसके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि वह समस्त धर्मों तथा सम्प्रदायों को एक दृष्टि से देखता

१. मुन्ताखबुत-तवारीख, अनुवाद, पृष्ठ ३०८।

था । अबवर वस्तुत जिस हिन्दू या मुमलमान को पसन्द नहीं करता था, उसे जानवरों से बदतर समझता था । इसके लिए हम उसके द्वारा किये गये एक दूसरे विनियम का उल्लेख करना चाहेंगे । इस समय के आस-पास बादशाह ने श्रीचो के एक सम्प्रदाय, जो इताही नाम से जाने जाते थे, को गिरफ्तार किया । इस्लाम के बानूनों एवं आदेशों के अनुसार ही उन्होंने इस प्रकार वे नामों की खोज बी थी । बादशाह ने उनमें बहा कि, या के अपने गर्दं के लिए पश्चाताप करने को तैयार हैं ? उसके आदेशानुसार उन्हें भवकर तथा काधार भेज दिया गया, जहाँ व्यापारियों से तुर्की टट्टुओं के बदले उनका विनियम किया गया । इस प्रकार वे उदाहरणों के निदर्शन में मह स्पष्ट होता है कि अबवर जिन लोगों को पसन्द नहीं करता था उन्हें गुलाम बनाकर भवकर तथा काधार के घाजारों में बेचने के लिए भेज दिया करता था ।

अबवर ने हवाजा मोहनुदीन के नातों दोख हुमें को भवकर निष्पामित कर दिया,<sup>१</sup> क्योंकि भक्ति की तीर्थयात्रा से लौटने दे बाद उसने बादशाह का अभिवादन निर्धारित नियमों के अनुसार करना अस्वीकार कर दिया था । ‘दोख अधम के पौत्रों को, जो जीनपुर के बड़े दोखों में परिगणित होते थे, उनकी बीवियों एवं परिवारों के साथ, अबवर ने अजमेई भेज दिया तथा उनके लिए कुछ राशन निर्धारित कर दिया । वहाँ उनमें से कुछ की मृत्यु हो गई और कुछ गरीबी की अवस्था में रह रहे थे ।’ राशन निर्धारित करने सम्बन्धी शब्द उन भूमि मरते लोगों के लिए स्पष्टतः व्याजोक्ति है । इन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि अपनी सम्पूर्ण जनता के साथ अबवर वही व्यवहार करता था जो वह पसन्द करता था तथा ठीक समझता था । जो वह करता था, वही न्यायोचित होता था । वह अपनी जनता को यातनाये दे सकता था, उन्हें बेच सकता था, उनकी पत्नियों की छप्ट कर सकता था, उन्हें निष्कासित कर सकता था तथा भूसों मार सकता था ।

बबवर में नैतिकता किंचित भाव भी नहीं थी । किमी भी व्यविन के बदमाश गुण्डों के जल्दों द्वारा मरवा देता था । दोख अन्दुल नवी की हत्या

करवाने में उसने इसी पद्धति का उपयोग किया था। इतिवृत्त लेखक वदायूनी का कथन है, जेख फतेहपुर आया (हिजरी १६२ में) तथा वहाँ उसने कुछ अश्लील भाषा का प्रयोग किया। क्रोध पर बाबू न पा सकने के कारण बादशाह ने उसके चेहरे पर प्रहार किया। (यह दलील दी गई कि मबके की तीर्थयात्रा के लिए उसने मात हजार का कर्ज़ लिया था, जो उसने वापस नहीं किया है।) उसे बंदी बनाकर राजा टोडरमल को साँप दिया गया। कुछ समय बाद उसे करन देने वाले दोषी के समान कार्यालय के ही गणना-कक्ष में कैद कर दिया गया। एक रात बदमाशों के जत्ये ने उसे मार डाला।<sup>१</sup>

सरहिद के एक दरवारी हाजी इन्नाहीम को भी, उसके सभी अधिकार छीनकर तथा उसकी धन-सम्पत्ति जब्त कर, यातना देकर मरवा डालने के लिए रणथम्भोर के दुर्ग में भेज दिया गया।<sup>२</sup>

अकबर ने काजी जलाल मुल्तानी को यह सोचकर दक्षिण के लिए भेज दिया कि वहाँ के शासक काजी को विभिन्न प्रकार की यातनायें देकर मार डालेंगे, किन्तु अकबर की उपत अभिलापा पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि दक्षिण के मुस्लिम शासकों के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि उन्होंने उसे पुरस्कृत किया। सभवत इसके पीछे यह कारण रहा ही कि दक्षिण के मुस्लिम शासक अकबर से घृणा करते थे। अत अकबर के शत्रु को शरण देकर उन्होंने प्रमाणता का अनुभव किया।

आगे के एक प्रकरण में हम इम तथ्य का सम्यक् रहस्योद्घाटने करेंगे कि अकबर के बहुचर्चित दर्पणपूर्ण विवाहों के सम्बन्ध में जो यह कहा जाता है कि वे भारतवर्ष में हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक एकता एवं समन्वय की दृष्टि से किये गये थे, पूर्णतः गलत है तथा उक्त विवाह सेना द्वारा शाही हरम के लिए बलात् भारतीय नारियों के निर्लज्ज अपहरण थे। भारतीय नारियों के साथ अकबर के झूठे विवाहों में राजा भारमल की कन्या के साथ शादी (अपहरण) बहुचर्चित रही है। वस्तुतः भारमल की कन्या के साथ अकबर का विवाह नहीं हुआ था, अपितु अपनी कूर-निर्मम सेना द्वारा उसने भारमल की कन्या का अपहरण करवाया था। उक्त अवसर पर जैसाकि

१ मुन्तखबुत-त्वारीख, अनुवाद, भाग २, पृष्ठ ३२१।

२ वही, पृष्ठ ३२।

होना चाहिए, अकबर किसी सुखी, प्रिय खबगुठन में सुस्तित बघु को नहीं ते जा रहा था, अपितु उमड़ी ढोली में एक ब्रन्दन-रत मिमटी हुई बाला थी। इस घटना के विवेचन में अकबर की बामासकिन, कूरता तथा नारियों के प्रति उमड़ी अपहरणवृत्ति का परिचय मिलता है। डॉ० आशीर्वादीलाल श्रीबास्तव की पुस्तक के एक पृष्ठ के फुटनोट के उल्लेख से अकबर नारियों का एक कूर अपहरणकर्ता सिद्ध होता है। डॉ० आशीर्वादीलाल श्रीबास्तव का वर्णन है कि—“जैसाकि विसेंट स्मिथ वा कथन है, उक्त विवाह ‘देवोसा’ में सम्पन्न नहीं हुआ। देवोमा तथा अकबर के मार्ग के अन्य स्थानों की जनना उसके आगमन का समाचार मुनहर भाग खड़ी हुई थी।”<sup>१</sup>

हिन्दू नारियों का अपहरण कर शाही हरम में बन्द कर लिये जाने सम्बन्धी अकबर वो कूरता वा यथात्थ्य मूल्याङ्कन इस तथ्योल्लेख से विया जा सकता है कि अम्बेर (जयपुर) के शासक भारमल की कन्या को जीवन में बैचल एक बार थोड़ी दया प्रदर्शित करते हुए पितृ-गृह जाने की अनुमति प्राप्त हुई थी। डॉ० आशीर्वादीलाल श्रीबास्तव ने उल्लेख विया है, ‘वाद-शाह की हिन्दू पत्नी अम्बेर की राजकुमारी को बैचल एक बार अपने भाई भूपत के देहादान पर गिप्टाचारवश शोक व्यक्त करने पिता के घर जाने की अनुमति दी गई थी।’<sup>२</sup> इसका तात्पर्य यह है कि अकबर के हरम में नारियों की स्थिति आजन्म दण्ड प्राप्त बनियों के समान ही होती थी। उन्हे कठोर वधनों में रखा जाता था। वाहरी समार के विसी व्यक्ति से भेट करने वी बात तो दूर, उन्हे अपने सगे-गम्बन्धियों से भेट करने तथा माता-पिता के पर जाने की अनुमति प्राप्त नहीं होती थी।

अकबर चूंकि एक धर्मान्धि मुमलमान था तथा हिन्दुओं से सज्ज नफरत करता था, अत हिन्दुओं के मवानों एव भवनों को अपहृत कर बहु उन्हे ईमाद्यों को सौर दिया करता था। इस तथ्य का साध्य प्रस्तुत करते हुए डॉ० आशीर्वादीलाल श्रीबास्तव का वर्णन है, “एक कुलीन हिन्दू परिवार ने बुछ मवानों पर अपना दावा किया। ये मवान जेमूइट पादरियों को नये धर्मान्तरित विवाहित ईमाद्यों के निवाम की व्यवस्था के लिए दिये गये थे।

१. अकबर : दी श्रेट, डॉ० आशीर्वादीलाल श्रीबास्तव, प्रकाशक—सिव-लाल अव्यवाल एण्ड क० (प्रा०) लि०, आगरा। भाग १, पृष्ठ ६३।
२. वही, भाग १, पृष्ठ १४३।

जेवियर ने आगरे मे उन मकानो पर अधिकार के लिए अकबर से आदेश प्राप्त कर लिया था। उक्त मकान लाहौर के 'मिशन' के अधिकार मे थे। मकानो पर दावा करने वाले हिन्दू परिवारों को मकानो के हस्तातरण मे अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। 'पिन्हेइरो' को इससे सन्तोष हुआ।" ३५० आशीर्वादीलाल की पुस्तक के पृष्ठ ४०६ के फुटनोट के तथ्योल्लेख मे ज्ञात होता है कि 'पिन्हेइरो' तथा उसके सहयोगियों पर चर्च मे मनुष्य का मास खाने, बालकों का अपहरण करने तथा युवकों की हत्या करने के दोष लगाये गये। एक घरेलू नौकर से जालसाजी कर पादरियों को जहर देने का भी एक प्रयास किया। सन् १६०० ई० के त्रिसमस के दिन पिन्हेइरो ३६ लोगो के धर्मन्तरित होने सम्बन्धी सूचना देने मे समर्थ हो सका। एक धर्मन्तरित व्यक्ति का नाम 'पोलदा' (सम्भवतः प्रह्लाद) था, जो एक सम्मानीय ब्राह्मण परिवार से सम्बन्धित वैद्य था।

किसी भी व्यक्ति की प्रकृति एवं स्वभाव का अवलोकन प्रायः उसकी रचियों से किया जा सकता है। अकबर के सम्बन्ध मे कहा जाता है कि मनुष्य तथा जगली जानवरों की खूंखार लडाइयों को देखकर उसे अतिशय आमन्द तथा मानसिक सतोष प्राप्त होता था। उसके मनोरजन का यह भी एक बड़ा साधन था। मान्सरेट ने उल्लेख किया है कि एक बार अकबर ने पादरियों को तलबार-बाज मनुष्य तथा जगली जानवरों की खूंखार लडाई देखने के लिए आमन्त्रित किया, किन्तु उन्होने जबाब दिया कि वे उन्हें गूंजी लडाई नहीं देख सकेंगे, वयोंकि उनके धर्म मे इसकी अनुमति नहीं है। ईमाई धर्म के नियमों एवं नैतिकता के यह सर्वथा प्रतिकूल है। इस प्रकार के हत्या-काण्ड को सयोजित करना अथवा देखना ईसाई धर्म में स्वीकार्य नहीं है।

अकबर के सम्बन्ध मे यह वहुचर्चित विषय रहा है कि वह हिन्दू चिधवाओं को उनके पतियों की चिताओं के माध जलकर भस्म हो जाने सम्बन्धी सती होने की परम्परा मे कई अवसरों पर हस्तक्षेप किया करता था। प्राय कहा जाता है कि अकबर उक्त परम्परा का उन्मूलन करना चाहता था। अकबर के इस प्रकार के हस्तक्षेपों को लोग उसकी (तथा-कथित) प्रगतिशील विचारधारा कहते हैं। यह पूर्णरूपेण भ्रात धारणा है तथा अकबर के सही व्यक्तित्व को गलत ढंग से प्रस्तुत करना है। सती प्रथा

मेरे अब्दवर ने तब ही हम्मतक्षेत्र किया जबकि उसका उद्देश्य किसी हिन्दू शोक-विहृन नारी को अपने हृष्म में लाना होना था। सती प्रथा को समाप्त करने मध्यन्धी धारणा के सर्वधा प्रतिकूल अब्दवर उन्हें एक आडम्बर-युवत प्रदर्शनी मानना था, जिसे महलों के ऊपरी छज्जों को देखने के लिए वह प्राय विद्वेशियों द्वारा आमत्तिन बरता था। मान्यरेट ने उल्लेख किया है कि बादशाह ने भादेश दिया विं मनी प्रथा का एक दूश्य देखने के लिए पाइरियो को बुलाया जाये। अनभिज्ञता की स्थिति में वे बहाँ गये जहाँ कोई हिन्दू नारी मनी होने वाली थी। सती होने के दूश्य को देखकर खेद वी मुद्दा में उन्होंने महसूम किया कि उनका बाण इतना दूर तथा बर्बंर था। रडोल्फ ने अन्तत खुने-आम बादशाह की भत्तेना की कि इस प्रकार के बाण को न्यायोचित बरार देना तथा अनुमोदित करना अपराध है। यह उदाहरण इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि अब्दवर मती प्रथा को समाप्त करना नहीं चाहता था, अपिनु वह इन्हें एक बौतुक्पूर्ण प्रदर्शनी समझता था। इससे उमड़ी आत्म-बद्ध भूरता एवं बर्बंरता पर प्रकाश पड़ता है।

एक बार एक अधिकारी को अब्दवर ने आदेश दिया कि वह मिधु नदी के दम पानी वाले भाग का पता लगाकर आये। अधिकारी ने सौटकर जबाब दिया कि ऐमा कोई स्पान नदी में नहीं है। बादशाह ने पूछा कि क्या वह बास्तव में अभिन्नोचित स्पान पर गया था ? जब उसे यह पता चला कि अधिकारी स्पान छोड़ने गया ही नहीं था तो उसने उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उसे उस स्पान पर घसीटकर साया गया, जहाँ उसे जाने को बहा गया था। बैल की खाल के एक फूले हुए धैंसे में उसे लम्बा करके बांध दिया गया तथा नदी की धारा में डानारा गया। उक्त विचित्र दृश्य को देखने के लिए समूची फौज नदी के किनारे एक नित हो गई थी। धैंसे में बद अधिकारी नदी के मध्य में इधर-उधर धारा के धपेहे खाता रहा। वह चीख-चौकर रो रहा था तथा दया की भीख माँग रहा था कि उसे दामा कर दिया जाये, किन्तु बादशाह का हृदय नहीं पसीजा। शाही नदी से दूर जब बह बहना चला गया तो बादशाह ने आदेश दिया कि उसे धारा के धपेहों में मुक्त बिया जाय। उसे शाही 'सम्पत्ति' के हृष में मानते हुए बेचने के निः सभी वाजारों में घुमाया गया। अन्ततः एक गुलाम के हृष में उसकी नीतामी भी गई। अस्मीं मोने के मिल्लों में उसके एक मित्र ने उसे खरीदा।

उक्त धन को शाही सजाने में जमा किया गया। यह घटना इस तथ्य का प्रमाण है कि अकबर दीपी अधिकारियों को पैशाचिक ढग से सजाएँ तो देता ही था, साथ ही उन्हें बेचकर वह सौदेबाजी भी करता था। वह एक क्रूर-हृदयहीन व्यक्ति था, जो मनुष्यों को बेचकर अपने सजाने के लिए धन अजित करता था।

मान्सरेट ने उल्लेख किया है कि 'खंबर' (खंबर) की धाटी से निकलने के बाद मैदान में पहुँचते ही बादशाह ने कुछ गाँवों को जला देने का आदेश दिया, वयोंकि वहाँ के निवासियों ने उसे अनाज देना तथा उसके मार्ग में स्थानान्व की आपूर्ति करना अस्वीकार कर दिया था। अकबर इतना धूर्त तथा मक्कार था कि उसने सोचा कि कहीं उसकी फौज खंबर की धाटी में उलझकर खत्म न हो जाये या उसके भारत बापस लौटने का मार्ग बन्द न कर दिया जाये, अतः उसने गाँवों को जला देने का आदेश दिया।

मान्सरेट का कथन है कि जिन राजकुमारों को सजायें दी जाती थीं, उन्हें ग्वालियर के दुर्ग की कालकोठरी में भेजा जाता था। जहाँ जंजीरों में जकड़े हुए, गन्दगी के बीच वे सड़ जाया करते थे। कुलीन अपराधियों को सजा देने के लिए कुलीन दरबारियों को नियुक्त किया जाता था किन्तु जो सामान्य या नीच कुतोत्पन्न होते थे उन्हें या तो सन्देशवाहक कप्तानों के हृषाने कर दिया जाता था या प्रमुख जल्लाद को सौप दिया जाता था। प्रमुख जल्लाद एक ऐसा अधिकारी होता था जो महल में भी विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से सुमजित होता था। बादशाह के सामने वह दण्ड देने के विभिन्न हथियारों, यथा—चमड़े के चाबुक, तांवे के तेज तीरों एवं प्रत्यंचा तथा ऐसे चाबुक, जिनके सिरों पर धातुओं के छोटे-छोटे कीलों वाले गोले लगे रहते थे, (इस हथियार के सम्बन्ध में हमारा स्थाल है कि प्राचीनकाल में इसे 'वृश्चिक' कहा जाता था) आदि के साथ सदैब उपस्थित रहता था। विभिन्न प्रकार की जंजीरें तथा हथकडियाँ, लोहे के अन्य हथियार जादि राजमहल के प्रमुख द्वार पर टगे रहते थे। इन हथियारों की देख-रेख प्रमुख जल्लाद ही करता था।

भारतवर्ष के मुस्लिम बादशाह जनता में अपना प्रभुत्व स्थापित करने तथा उनके हृदय में दहशत उत्पन्न करने के तरह-तरह के धूणित प्रदर्शन करते थे। इनमें से एक उपाय हड्डी के हाँचों, नर ककालों, अग-भग की गई

जाती में भूसा आदि भरकार जनता के सामने प्रदर्शित करना था। इस प्रकार के प्रदर्शनों का महत्व समझने में मध्ययुगीन वादशाह अपनी 'सूझ-बूझ' के लिए काफी आगे बढ़े हुए थे। इस प्रकार के खूंखार प्रदर्शन कर दे जनता को सदैव भयभीत रखते थे, अबवर इसका कोई अपवाद नहीं था। जनता को भयभीत रखने तथा अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए वह भी इस प्रकार के खूंखार प्रदर्शन करता था, इसके लिए एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा। बहराम खाँ के विद्रोह का प्रमुख कारण अबवर बली बेग को मानता था। बली बेग की मृत्यु एक युद्ध में घायल होकर हुई थी। अबवर ने आदेश दिया कि उसका सिर काट लिया जाये। उसका कटा सिर प्रदर्शन के लिए समूचे हिन्दुस्तान में भेजा गया। जब उसका प्रदर्शन इटावा में किया जा रहा था, उसे जाने वाले समस्त पैदल सैनिकों को बहादुर खाँ ने मरवा डाला।

: ५ :

## अकबर की अनैतिकता

समकालीन मुस्लिम एवं यूरोपीय ग्रंथों, इतिवृत्तों एवं अन्य विवरणों का अध्ययन करने से यह सिद्ध होता है कि अकबर एक अत्यधिक कामासक्त बादशाह था। उसकी विषयासक्ति चरमसीमा पर पहुँची हुई थी। विभिन्न शासकों के प्रति अकबर के युद्ध-अभिमान का मुख्य उद्देश्य वस्तुतः अपने हरम को सुन्दर स्तिथियों से भरना होता था। यदि पराजित शासक मुसलमान होते तो अकबर उनके हरम पर अपना अधिकार जमा लेता था। यदि वे हिन्दू होते तो उन्हें बन्दी बनाकर कठोर यातनाएँ दी जाती थीं तथा विवश किया जाता था कि वे अपनी बहनों, पुत्रियों अथवा परिवार की अन्य महिलाओं को शाही हरम में भेजें।

युद्धों के अतिरिक्त अकबर अपने हरम के लिए सुन्दर रमणियों को प्राप्त करने के लिए अन्य अनेक तरीके भी अपनाता था। कभी भेंटकर्ताओं को विवश किया जाता था कि वे अकबर को खुश करने के लिए नज़राने के बतोर सुन्दर औरतों को पेश करें। कभी उसके सेनापति उसके कोषध को जात करने के लिए छपसियों को प्रस्तुत करते थे। कभी अकबर के निर्देशानुसार प्रत्यक्ष हस्तक्षेप द्वारा अथवा सेना की सहायता से अपहरण द्वारा भी जन-सामान्य के दीच से सुन्दर औरतों को शाही हरम में लाया जाता था। कभी ऐसा भी होता था कि जो हिन्दू नारियाँ सती होना चाहती थीं, उन्हें बलात् शाही हरम में प्रवेश के लिए छोटी-मोटी लडाई कर बन्दी बना लिया जाता था।

विधिवत् विवाह करके लाई गई चुनीदा बेगम भी जब वैभवपूर्ण हरम के सुसज्जित पिजरों में बन्द करके रखी जाती थी तो बादशाह की बासना की तुष्टि मात्र करने वाली असहाय रखेलों के दुर्भाग्य की कल्पना पाठक स्वयं कर सकते हैं। ये स्त्रियाँ सदैव बुकें में रहती थीं। बादशाह स्वयं ही

यदा-कदा इन्हे कुछ देर के लिए अवगुण्ठन-मुक्त बरता था। उनके लिए जीवन का अस्तित्व मूक पशुओं के समान होता था।

तत्कालीन जेसूइटों का साध्य प्रस्तुत करते हुए स्मिथ का वचन है—“सन् १५८२ ई० में अकबाविवा के अधीन प्रथम जेसूइट मिशन के अनुभव इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि अकबर शराब पीने का बहुत आदी था। मदाशय पादरी ने अनेकानेक स्त्रियों के साथ अकबर के यीन-मम्बायों को देखकर उसकी दृढ़तापूर्वक भत्सना की। पादरी की इस साहसिक भत्सना पर अकबर नुँझ नहीं हुआ प्रत्युत कुछ लज्जित होने हुए उमने इस बात की उपेक्षा कर दी। अकबर वो तो नशाखोरी और बामुकता अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में मिली थी, किर एक पादरी की भत्सना का उमपर क्या प्रभाव हो सकता था।”

दूसरों की पत्नियों के अपहरण की प्रवल इच्छा रखने वाले अकबर पर उत्तेजित हुए एक व्यक्ति के घातक आश्रमण वा विवरण प्रस्तुत करते हुए स्मिथ महोदय ने लिखा है—“जनवरी वे प्रारम्भिक दिनों में सन् १५६४ में अकबर दिल्ली गया। ११ जनवरी वो जब वह निजामुदीन वी दरगाह से लौट रहा था तो एक व्यक्ति ने एक मदरसे वे छज्जे से अकबर पर तीर चलाया जिससे उमका बधा घायल हो गया। आश्रमणकारी फौलाद नाम का एक हिन्दू गुलाम था। दुष्कृत्यों वो समाप्त करने के विचार से उसकी हत्या करने के इस प्रयास से अकबर भयभीत होकर कुछ हताश हो गया और उसने दिल्ली के परिवारों वी कुछ स्त्रियों को विवाह द्वारा हस्तगत करने की एक नई योजना बनाई। उसने एक शोल वो वाप्ति किया कि वह अपनी पत्नी वो तसाक दे दे ताकि अकबर उसने विवाह बर नके। अकबर पर किए गए प्रहार वे आतक ने उसकी इस प्रवार की अवाछनीय कार्यवाहियों वो समाप्त कर दिया। अकबर द्वारा विभिन्न दरवारियों की मान-प्रतिष्ठा नष्ट करने की दुश्चेष्टाओं से उत्तेजित होकर ही सम्भवत उक्त प्रहार का साहस किया गया था। किर भी अकबर पन्नियों और रस्त्रीयों रखने में जाजीवन स्वच्छन्द रहा।”

अकबर के मन में स्त्रियों प्राप्त करने वी सात्सा सदैव खनी रहती थी। उसकी अपरिभित बाम-वासना तथा नित नई स्त्रियों के प्रति उसकी गहरीय इच्छा का सम्यक् दिग्दर्शन इस घटना से कराया जा सकता है ति

जब उसके भेनापति अधम स्खा ने मध्यभारत में देवास के निकट मालवा के व्यभिचारी मुस्लिम शासक बाज बहादुर को पराजित करके उसके हरम पर अधिकार कर लिया तो यह खबर मिलते ही उन्नीस वर्षीय अकबर ने २७ अप्रैल, १५६१ को आगरे में कूच कर दिया क्योंकि वह इस बात से उत्तेजित हो उठा और नहीं चाहता था कि उसके योग्य सम्पत्ति पर उसका भेनापति अधिकार जमा ले। अधम स्खा की माता माहम अंगा अकबर के हरम की अधीक्षिका थी। अकबर के सम्मावित कूर प्रतिशोध के भय से माहम अंगा ने एक दरवारी को भेजकर अपने दुरात्मा पुत्र को अकबर के प्रस्थान की मूचना भिजवा दी और स्वयं भी अकबर के पीछे चली। माहम अंगा के अनुनय-विनय पर अधम स्खा का आत्मसमर्पण स्वीकार कर लिया गया। अधम स्खा भी कम दुष्ट नहीं था। उसने दो रूपसियों को अन्यन्त छिपा लिया। (अकबर तबतक आगरा वापिस नहीं आया जबतक कि उन दो रूपसियों का अभ्यर्पण नहीं हो गया।) माहम अंगा ने सोचा कि यदि उन दोनों रूपसियों को वादगाह के समक्ष उपस्थित किया गया तो उसके पुनः की घूर्तना का पर्दाफाश हो जाएगा, 'अतः उसने (यह विचार करके कि मृतक वे सम्बन्ध में पील कैसे खुलेगी) उन दोनों असहाय, अवला रूप-सियों को मौत के घाट उत्तरवा दिया। अकबर ने भी इस घटना पर विदेष ध्यान नहीं दिया और वह इम घटित को अधित्त समझ वैठा। माहम अंगा के इम कूर कृत्य के सम्बन्ध में अबुल फज्जल ने उसकी समझारी और सूझ-बूझ की सराहना करते हुए किसी प्रकार की शर्म नहीं की। ज्ञातव्य है कि अबुल फज्जल ने कई वर्णनों में माहम अंगा के दुष्कृत्यों की सराहना की है। अबुल फज्जल द्वारा माहम अंगा जैसी ओरत की सराहना एवं प्रशंसा के पीछे यह कारण प्रतीत होता है कि माहम अंगा हरम में जिन स्त्रियों पर नियन्त्रण रखनी थी उनमें से कुछ अबुल फज्जल की काम-वासना की तुष्टि के लिए अवश्य ही भेजी जानी रही होगी।

अकबर को १४ वर्ष की किशोरावस्था में ही सुविस्तृत साम्राज्य प्राप्त हुआ था एवं उसके अधिकार में बर्बरों एवं कूरों की एक विशाल सेना थी। उसके पास लूट-खसोट की अनन्त धन-सम्पत्ति भी थी। उसके हरम में स्त्रियों की सङ्घा दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी अतः उसका कामुक हो जाना स्वाभाविक ही था, और वह ऐसा था भी। स्मित महोदय का कथन

है, "अबुल फज्जल ने बारचार इस तथ्य का उल्लेख किया है कि अब्दवर अपने प्रारम्भिक जीवन में प्राय पद्मे के पीछे रहता था।" योवनावस्था में वह सारा ममय हरम में व्यनीत करता था तो पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि अपने बाद के जीवन में भी वह कितना कामामक रहा होगा ?

अब्दवर ने अपने सरक्षक एवं मती बहराम खाँ को पदन्धुत कर दिया एवं अततः उनकी हत्या करवा दी ताकि वह अनियतित रूप में वेश्याओं में स्थितिवाड़ कर सके। उमका जीवन पूर्णहरण इन पुश्चनियों द्वारा नियतित एवं सचालित होने लगा था। स्पष्टतः वह गासकीय क्रिया-न्वापों में इसी प्रकार की रुचि नहीं लेता था। हरम के नियन्त्रण के लिए उन्ने माहम अगा को अनुमति दे रखी थी। माहम अगा एक अविश्वसनीय एवं अयोग्य स्त्री थी।

हमारे इतिहासकारों द्वारा माहम अगा के कूरहृत्यों का यथातथ्य मूल्यानन नहीं किया गया है। वह अब्दवर के लिए मुन्दरियाँ जुटाया करती थीं तथा प्रभावशाली दरवारियों में हरम की सुन्दरियों को उपहार रूप में प्रस्तुत दिया करती थीं। उमका यही कार्य-व्यापार था कि हरम की देख-रेख वरे तथा वहीं की स्त्रियों का नियन्त्रण करे। जब जहाँ जैमी आवश्यकता हो, वही उनकी पूर्ति करे। हम इस बात का उल्लेख पहले ही कर चुके हैं कि माहम अगा ने किस प्रकार अपने देटे को अब्दवर के कोण-भाजन होने में वचाने के लिए दो हिन्दू महिलाओं की हत्या करवा दी थी।

अब्दवर की काम-चामना का उल्लेख करते हुए मुनाखावुत तबारीत में वदायूनी का वर्णन है—“यह वह स्थान (मयुरा) था, जबकि दिल्ली के कुलीनों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने वे सम्बन्ध में अब्दवर ने विचार प्रकट किया। कुलीनों की वेटियों को चुनने तथा उनकी स्थितियों की जाँच-पड़ताल के उद्देश्य से नपुसकों को हरमों में भेजा गया। अबुल वामी की पत्नी विलक्षण सुदरी थी। एक दिन बादशाह की विषय-लोतुप दूष्टि उम पर पड़ी। मुगल बादशाहों का ऐसा कानून था कि यदि बादशाह विसी स्त्री की कामना करता था तो उसके पति वो उमसे तलाक लेना पड़ता था। इस प्रकार वह स्त्री शाही हरम में प्रविष्ट होनी थी।” अब्दवर की काम-पिपासा की पूर्ति-हेतु उमके आदेशानुसार नपुमक अद्यवा छोकरे मुद्य रूप में मियों का निरीक्षण करते थे तथा उनकी शारीरिक जाँच-पड़ताल कर अब्दवर को

सूचना देते थे कि कौन उसके योग्य है। उस भीपण एवं भयावह स्थिति की सहज ही कल्पना की जा सकती है, जबकि खूबार दिखने वाले स्वेच्छाचारी एवं निरकुश हथियारों में सुसज्जित अकबर के अधिकारी प्रत्येक घर में किसी भी आयु एवं किसी भी स्थिति की सुन्दर स्त्री को बादशाह की काम-पिपासा के प्रशासन हेतु उठा ले जाने के उद्देश्य से प्रविष्ट होते थे। स्त्रियों को बलात् उठाकर ले जाया जाता था एवं बादशाह के सामने पेश किया जाता था।

कभी-कभी ऐसा भी होता था कि शाही अपहर्ताओं से अपने आपको सुरक्षित रखने के लिए कितनी ही महिलाएँ अपने को बदसूरत एवं अनाकर्पंक बनाने के उद्देश्य से अपना शरीर बाग की लपटों में झुलसा लेती थीं या सेजाव आदि के प्रयोग से स्वयं को कुरुरूप बना लेती थीं। बादशाह के हरम तथा सज्जित पिंजरों में स्थायी रूप से आजन्म यातनापूर्ण जीवन व्यतीत करने से बचने के लिए कुछ स्त्रियों ने शाही अपहर्ताओं की काम-पिपासा तृप्त कर उन्हे धूस दिया होगा। कितनी ही स्त्रियों को उनके शारीरिक सौन्दर्य एवं गठन के निरीक्षण के लिए नगा कर दिया जाता था। इस प्रकार नगन कर जाँच-मड़ताल के बाद उन्हे बादशाह के सामने पेश किया जाना था। वस्तुत यही वह कारण था, कि अकबर जहाँ भी जाता था, उसमें भयभीत होकर वहाँ की जनता पलायन कर जाती थी। जनता अकबर से केवल इमलिए भयभीत नहीं रहती थी कि वह उनकी धन-सम्पत्ति को लूट-खसोट लिया करता था या उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की यातनाएँ दी जाती थीं या अग-भग के दण्ड दिये थे, बल्कि जनता अकबर से इसनिए भी आतंकित रहती थी कि वह उनकी पत्नियों, माताओं, वहनों एवं पुत्रियों को अपनी काम-पिपासा के लिए उठवा ले जाया करता था।

तत्कालीन लेखों में इस बात के भी सकेत प्राप्त होते हैं कि अकबर सुन्दर स्त्रियों का उपयोग न केवल अपनी काम-तृप्ति के लिए करता था, बल्कि वह उनका विनिमय भी करता था। दरवारियों की काम-वासना-तृप्ति के लिए वह उन्हे उपहार स्वरूप प्रदान भी करता था। ‘अकबर : दी ग्रेट मूगल, के पृष्ठ १८५ पर विसेट स्मिथ का कथन है—“ग्रिमसन के इस कथन की कि अकबर स्वयं को किसी एक स्त्री के प्रति निष्ठ रखता था तथा अपनी शेष रखौलों को दरवारियों में वितरित कर दिया करता था, पुष्टि

किसी अधिकृत उल्लेख से नहीं होती। ऐसा हो सकता है कि अबवर ने ऐसा कोई अभिवचन दिया हो किन्तु इसमें यह स्पष्ट नहीं होता कि अबवर ने अपने वचन का पालन किया हो या उसने सत्य वात ही बही ही।” आइने अबवरी के मागे, पूर्व ३७८ पर अबवर के वचन उद्दृत है कि—“यदि पहले ही मुझमें यह बुढ़िमत्ता जागृत हो जाती तो मैं अपनी मूलतनत की किसी भी स्वीका का अपहरण कर अपने हरम में नहीं लाता, क्योंकि मेरी प्रजा मेरे वच्चों के समान है।” इस प्रकार के उल्लेख चाटुकार दरवारी लेखकों ने किए हैं। यथार्थ चरित्र को छिपाने वाले सौख्यले, धूर्ततापूर्ण इस प्रकार के विवरणों से भारतीय इतिहास में अबवर का मूल्यावन करते हुए पाठकों को धोखा ही होगा। इस प्रकार के विवरणों को उसी रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। बाहरी रूप से इन विवरणों में शाधुता प्रदर्शित होती है। किन्तु इनमें पीछे उसकी गहरी चालें होती थी। धूर्त और चरित्रहीन अबवर अपने आपको ‘साधु’ प्रदर्शित करने के लिए अपने चाम्बूस दरवारी-लेखकों से इस प्रकार के उल्लेख करवाया करता था।

अबवर के शामनकाल में स्त्रियों के धुले व्यापार, आदान-प्रदान तथा ऋद्य-विक्रय की प्रथा प्रचलित थी। इसका यथानायक चित्रण वदार्यूनी ने किया है। उसका कथन है—“इस वर्ष (हि० सा० १७१) वादशाह ने शिया होने का दोपारोपण करके इस्फाहन के मिर्जा मुकीम एवं कश्मीर के मीर याकूब वो मृत्युदण्ड दिया। उन दोनों ने हुसैन याँ की बेटी को नज़राने के बनार दरवार में पेश किया था।” इस तथ्योल्लेख में इस वात के सकेत प्राप्त होते हैं कि अबवर वे शामनकाल में उमड़ी मूलतनत में कोई भी किसी की भी बेटी, वहन अथवा बीकी को अपहृत कर उपहार के स्तर में प्रस्तुत कर सकता था।

अबवर के शामनकाल में स्त्रियों को अपहृत किया जाता था या युद्ध के बाद जिन्हे बलात् उठा लिया जाता था, उनके प्रति बड़ा ही झूर व्यवहार किया जाता था। निष्ठुरतापूर्वक उनका शीलहरण किया जाता था। बनाट्कार और व्यभिचार वीर घटनाएँ सामान्य थी। उन स्त्रियों वो अत्य मूल्य पर बेच दिया जाता था तथा नगर में वेश्याओं का जीवन व्यतीत करने के लिए उन्हें बाल्य किया जाता था। यही कारण है कि दिन-प्रगतिदिन उन असहाय एवं अबला मन्त्रियों वी सह्या बढ़ती ही जाती थी। वदार्यूनी ने

दरबारी इतिवृत्त के पृ० ३११ पर उल्लेख किया है—“बादशाह के विभिन्न राज्यों से राजधानी में वेश्याओं की सहया इतनी बढ़ गई थी कि उनकी गणना करना मुश्किल हो गया था। अकबर ने उनके निवास-स्थान के लिए निरी-क्षक, सहायक तथा सचिव नियुक्त कर दिए थे। यदि कोई किसी भी स्त्री के साथ सम्भोग करना चाहता था उनमें से किसी को अपने घर ले जाना चाहता तो सरकारी अधिकारियों के साथ साठ-गाठ कर बैसा कर सकता था। किन्तु किसी व्यक्ति को अकबर यह अनुमति नहीं देता था कि वह किसी नतंकी को रात के समय कतिपय शतों को पूरा किए बिना अपने घर ले जा सके। यदि कोई प्रसिद्ध दरबारी किसी कवारी को प्राप्त करना चाहता था तो उसे सहायक अधिकारी के माध्यम से प्रार्थना-पत्र देना पड़ता था। अभिलिप्त कवारी को प्राप्त करने के लिए दरबार से अनुमति प्राप्त करनी होती थी। शराब-खोरी और भ्रष्टाचार के कारण कई बार दो दल बन जाते थे। आपस में सिर-फूटव्हल होते थे। गुप्त रूप से अकबर कुट्यात वेश्याओं को बुलवाता तथा उनमें झगड़े के कारणों के सम्बन्ध में पूछताछ करता।” अकबर के शासनकाल में इस प्रकार की घटनाएँ दैनन्दिन तथा सामान्य थीं।

भारतवर्ष में मुस्लिम शासनकाल में वेश्यावृत्ति का सर्वाधिक प्रचार हुआ। स्थान-स्थान पर वेश्यालय स्थापित हुए। इन समस्त घृणित वृत्यों का पूर्ण उत्तरदायित्व मुगल बादशाह अकबर पर ही था। वेश्यावृत्ति को उसका सरक्षण प्राप्त था। उसी के इशारों पर भारतवर्ष में वेश्यावृत्ति को प्रोत्तमाहन मिला।

युद्धादि के पश्चात् पराजित शत्रुओं से की गई सधियों में एक मुख्य शर्त ग्राय यह होती थी कि पराजित शत्रु अकबर अथवा उसके अधिकारियों के लिए अभिलिप्त स्त्रियाँ (अपनी बेटी, पत्नी अथवा बहन) समर्पित कर दे। इस प्रकार अकबर ने ग्राय समस्त प्रमुख हिन्दू राजाओं की कन्याओं का एक विशाल समूह अपने हरम में एकत्रित कर लिया था। उसके हरम में अधिकाश हिन्दू लज्जाएँ थी। अकबर ने उन्हें युद्धादि के बाद ही प्राप्त किया था।

पराजित शत्रुओं की असह्य अपहृत स्त्रियों के साथ किस प्रकार बलात्कार किया जाता था तथा उन्हें वेश्या बनाने के लिए बाध्य किया जाता

या, इससे सम्बन्धित निर्देश बदायूँनी ने किया है। उसका कथन है—“जैन स्त्रीं कोका तथा आसफ याँ को मवात तथा बजूर के अफगानों दो दण्ड देने तथा जल्लालह रोशनाई को विनष्ट करने के लिए नियुक्त बिया गया था, उन्हेंनि उनमे से अधिकाश को मौत के पाठ उतार दिया तथा जल्लालह की बीचियों, उसके परिवार के सदस्यों पर भाई बहादुन अली तथा अन्य १४०० परिजनों को बन्दी बनाकर दरबार में भेज दिया। बियों के सम्बन्ध में कल्पना की जा सकती है ?” इन अपहृत स्त्रियों का वितरण दरबार में एकत्रित नूर एवं बर्वंर व्यवितयों के बीच किया जाना था। इन्हीं स्त्रियों को कभी-कभी भेटकर्ताओं द्वारा उपहारम्बहूप प्रदान किया जाता था। बामना के भूमे भेड़ियों द्वारा उन स्त्रियों की बैसी दुर्दशा की जाती होगी, यह कल्पनातीत है। उन्हें वेष्परवार कर दरबाद किया गया। उनके साथ बलात्कार और अभिचार की शूर घटनाएँ हुई होगी। उन्हें भूखों मारा गया होगा एवं अपमानित जीवन व्यतीत करते हुए अन्धकारपूर्ण बोठरियों में बुकों में बन्द रखा गया होगा। उनके बुकों का अनावरण के बत बादशाह अथवा उच्च अधिकारी ही करते होंगे। उन्हें उतना ही भोजन दिया जाता था, जितने से वे जीवन का अस्तित्व बचाए रख सकें। वहा जा सकता है कि उनका जीवन पशुओं में भी बदतर रहा होगा। अकबर वी पंजाचिक काम पिपासा के सम्बन्ध में एक इतिहास पुस्तक के सम्पादक (फादर मन्मरेट) का कथन है—“एक से अधिक स्त्रियाँ रखने की अपनी आदत वो छोड़ने में अवबर अमर्यन्थ था। इस लोकापवाद में वोई तथ्य नहीं है कि उमने एक बार अपनी बीचियों को दरबारियों में वितरित कर देने वी इच्छा व्यक्त की थी।” इतिहासकार द्वारा प्रस्तुत यह वितरण मत्य नहीं है कि लोकापवाद पूर्ण हर से मत्य था। अकबर की पत्नियों वी सद्या निश्चित नहीं थीं क्योंकि वह सलतनत की मधी स्त्रियों वो अपने हरम वी दीवियाँ समझता था। युद्धोपरात अपहृत हिन्दू स्त्रियों उसके हरम में पर्मीट लाई जाती थीं, अत उनकी मरुपा अनन्त थी। अन स्त्रियों के दरबारियों में वितरित की जाने वी बात मत्य प्रनीत होती है।

अकबर के दरबार में ईमाई और इस्लाम वी ममान विशिष्टताओं पर प्रायः दाद-विवाद हुआ करता था। इस सम्बन्ध में मन्मरेट ने अपनी बमेट्री के पृष्ठ ६० पर लिखा है कि, “रोडल्फ ने मुसलमानों वो यह मानने के

लिए बाष्प कर दिया कि उनके पैगम्बर ने एक अनुच्छेद में लीण्डेवाजी की अनुमति दी है। जब यह बात प्रमाणित हो गई तो मुसलमान लज्जित हो गए।<sup>1</sup>

पुर्तगालियों के प्रति अकबर मिश्रतापूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करता था, किन्तु उसके सेनापति उनपर आक्रमण कर दिया करते थे। इस प्रकार की एक घटना का उल्लेख करते हुए मन्सरेट का कथन है—“इस विवाद का सम्बन्ध उस जहाज से था, जिसे पुर्तगालियों ने विजित कर लिया था। मगोलों ने नीचता का परिचय देते हुए दोस्ती के बहाने दमन द्वीप में जासूस भेजे। जेकोवस लोयीजियस कोटिग्नस के नियन्त्रण में एक जहाजी बेड़ा जब तापती नदी के मुहाने पर लगर डाले हुए था, रात्रि के समय सहमा ही थात लगाकर उन्होंने हमला किया। नी जहाजी बन्दी बनाए गए तथा विजय की खुशी मनाने हुए उन्हें मूरत लाया गया। उनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया। दूसरे दिन उन्हें प्राण-दण्ड दिया गया, क्योंकि वे धन-सम्पत्ति एवं कुलीन सुन्दर स्त्रियों के लालच में नहीं आए और उन्होंने मुसलमान बनने में इन्कार कर दिया। उनके कटे मिर फतेहपुरम् (फतेहपुर सीकरी) लाकर बादशाह के सामने पेश किये गए। यद्यपि अकबर को सब मालूम था परन्तु कालान्तर में उसने इस घटना के प्रति अपनी अनभिज्ञता ही प्रकट की।”<sup>2</sup>

स्पष्ट है कि धर्म-वदलने वाले नए लोगों को उपहार में जो अपहृत हिन्दू महिलाएँ दी जाती थी उन्हें वेश्यावृत्ति, वसात्कार एवं व्यभिचार के लिए दासी बनाकर रखा जाता था। ऐसी स्त्रियाँ प्रायः प्रत्येक युद्ध के बाद अपहृत की जाती थी। उपर्युक्त घटना में प्रयुक्त ‘कुलीन’ शब्द का सम्बन्ध उन्हीं स्त्रियों में है, जिनका प्रयोग धर्म-वदलने वाले नए लोगों के लिए प्रलोभन के रूप में किया जाता था। मुस्लिम दरवारी इतिवृत्तों में अधिकाशत हिन्दू महिलाओं को ही वेश्याओं, दासियों, नतेंकियों के रूप में उल्लिखित किया गया है।

पूर्ववर्ती किसी प्रकरण में हम यह विश्लेषण कर चुके हैं कि अकबर भती प्रथा को समाप्त नहीं करना चाहता था। इस प्रकार के दुष्पूर्ण दृष्यों को वह कौतुकपूर्ण मनोरजन के अवमर समझता था। ऐसे अवसरों पर वह अपने मुसलमान दरबारियों एवं विदेशियों को भी भन बहलाने के

लिए आमन्त्रित किया करता था। सती होने की ऐसी मुछ घटनाओं के उदाहरण हैं जिनके सम्बन्ध में कहा जाता है कि अकबर ने हस्तधोर किया। इन हस्तज्ञेषों का प्रभुल उद्देश्य उन विधवाओं को हरम में ले जाना था। हम केवल दो दृष्टान्त प्रस्तुत करेंगे।

“राजा रायसिंह की कन्या का विवाह पन्ना के राजा रामचन्द्र के पुत्र वीरभद्र के साथ मण्डल हुआ था। जब राजा रामचन्द्र का देहावसान हुआ, अकबर ने उनके पुत्र को राजसिंहासन-आसीन होने के लिए पन्ना रवाना किया। चिन्तु राजधानी के निकट पहुँचते ही वीरभद्र शिविका में गिर पड़ा तथा उसकी मृत्यु हो गई। उमकी पत्नी ने स्वर्गवासी पनि के साथ भती हो जाने की अपनी इच्छा की घोषणा की। इसमें अकबर ने हस्तधोर किया।” इस घटना के परीक्षण से यह उद्धाटित होता है कि यह केवल एक सती होने जा रही नारी के अपहरण में ही सम्बन्धित घटना नहीं है, अपितु इसके पीछे एक हत्या की पूर्व-निर्धारित योजना भी लक्षित होती है। अकबर के दरवार में वीरभद्र के निवासकाल के दौरान अकबर ने अवश्य ही उमकी पत्नी को देखा होगा, तभी से उमपर उसकी कुदूषित रही होगी। इम घटना में वितने ही सदेहास्पद स्थित है। अपनी राजधानी पहुँचने के पूर्व ही वीरभद्र शिविका से क्यों और वैसे गिरा होगा और यदि यह मान भी लें कि वह विसी दुर्घटनाका शिविका में गिर भी पड़ा, तो कुछ ही फीट की ऊँचाई से उसका गिरना उमके लिए प्राणघातक क्षमता सिद्ध हुआ कि तुरन्त उमकी मृत्यु हो जई? स्पष्ट है, अकबर ने वीरभद्र की पत्नी पर अधिकार जमाने के उद्देश्य से उसकी हत्या करवाई तथा शिविका में गिरवर मृत्यु होने की अफवाह पैलवा दी।

मती-प्रथा में अकबर द्वारा हस्तधोर किये जाने की ऐसी ही एक दूसरी मदेहास्पद घटना है। “राजा भगवानदाम के चचेरे भाई को पूर्वी प्रान्तों में भेजा गया। विरोप आदेश पानन के लिए उसने घोड़े लेज दीड़ाये। गर्भी तथा अत्यधिक धकावट के बारण चौमा ने निकट उसका शरीरान हो गया। उमकी विधवा पत्नी—उदयसिंह की बेटी ने मती हो जाने की तीयारी आरम्भ कर दी। अकबर ने घटनास्थल पर पहुँचकर उसे रोता। उमके सम्बन्धियों को प्राणदान दिया। उन्हे केवल कंदी बनाया गया। घटना की सही तिथि तथा स्थान के सम्बन्ध में उल्लंख प्राप्त नहीं होता।

अबुल फज्जल ने जो उल्लेख किया है, उसमें स्पष्टता तथा यथार्थता का अभाव है।" (अकबर . दी ग्रेट मुगल, पृष्ठ १६३) ।

इतिहास के छात्रों एवं अधिकारी विद्वानों को चाहिए कि इस प्रकार के झूठे तथ्यों एवं उल्लेखों को उसी रूप में मान्यता न दें। ऐसे उल्लेखों का किंचित भी महत्त्व नहीं है, विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि अबुल फज्जल को एक 'निर्लंज चाटुकार' लेखक की सज्जा दी गयी है। इतिहास के विद्वानों को चाहिए कि वे ऐसे उल्लेखों का परीक्षण एवं विश्लेषण करें। उक्त घटना में सम्बद्ध भ्रमात्मक एवं असयोजित निर्देश का पुनर्गठन करते हुए हम यह देखते हैं कि जयमल को जब कार्यभार संभालने के लिए रवाना किया गया, वह पूर्ण स्वस्थ था। अपने दरवारी सहयोगी, स्वजनों एवं प्रिय पत्नी से विदा लेने के तत्काल बाद ही जयमल की मृत्यु हुई। इससे यह तथ्य प्रकट होता है कि उसे कार्य-भूम्पादन का जाली आदेश दिया गया। मार्ग में जवरदस्ती गिराकर असहाय अवस्था में उसकी हत्या की गई। अकबर को उसके सम्बन्ध में प्रत्येक स्थिति की जानकारी मिलती रही होगी। अकबर के द्वारा घोड़े पर बैठकर तत्काल सही स्थान पर पहुँचना यह मिल्दा करता है कि जयमल का शरीरान्त अकबर के महल के निकट ही हुआ होगा। इससे इस तथ्य के भी मनेत प्राप्त होते हैं कि अकबर सही स्थान पर इसलिए पहुँचा, क्योंकि उक्त हत्या एक पूर्व-निर्धारित मोजना थी तथा हत्या के उद्देश्य में ही किराए के गुण्डे उस स्थान पर नियुक्त किए गए थे। जयमल की पत्नी ने जब मती होने की तैयारी आरम्भ की तब यह कहा जाता है कि अकबर शीघ्र ही घोड़े पर सवार होकर वहाँ पहुँचा। दूसरे दब्दों में यह कहा जा सकता है कि सती होने के अवसर पर अकबर किसी साहित्यिक प्रणय-गाया के नायक के समान रागमच के परदे के पीछे में घोड़े पर सवार उपस्थित हुआ। सती होती राजपूत ललना को रोकने के विषय में उसने किसी सेनापति पर विश्वास नहीं किया, न ही उसने यह काम पुलिस अधिकारी को सौंपा, क्योंकि उसे उन पर विश्वास नहीं था। तेजस्विनी राजपूत विधवा बीरागना के सम्बन्धियों ने उसका उसके हरम में ढाले जाने का विरोध किया। यह कहा जाता है कि अकबर ने उन्हें बन्दी बनाकर कालकोठरी में ढलवा दिया। इस काया की समाप्ति सहमा ही बिना इस बात का निर्देश दिये होती है कि अकबर ने बाद में

क्या किया अथवा शोकाकुल विघ्वा कन्या पर क्या बीती ? राह के बाटे समाप्त करके अकबर ने विघ्वा राजकन्या को अपने हरम में 'आश्रम' एवं 'सरदान' दिया होगा ? मती-प्रया का उन्मूलन तो अकबर की जालसाजी और धोखा था ।

उपर्युक्त दो दृष्टान्तों से हम यह निष्पर्यं निकाल सकते हैं कि अकबर एक अत्यन्त धूर्तं बादशाह था । अपने दरबारियों की पत्नियों, जिन पर उसकी विपयासकत दृष्टि पड़ती थी, को प्राप्त करने के लिए वह इस प्रवार के भाइम्बरवृण्ण नाटक रचा करता था । इस अभिनव अन्तर्दृष्टि से इतिहास के विद्वानों वो अन्य सदेहास्त्रद घटनाओं का परीक्षण एवं विश्लेषण करना चाहिए ।

अकबर की आक्रमक सेना से लड़ते हुए जब रानी दुर्गावती ने बीरगिनि प्राप्त की तो प्रचलित प्रया के अनुसार एक भयावह जीहर हुआ । केवल दो नारियाँ—कमलावती (रानी दुर्गावती की बहिन) तथा पूरणगढ़ के राजा की कन्या (दिवगता बीरगिना रानी की पुत्रवधु) ही जीवित देख रही । उन्हें अकबर ने हरम में आगे भेज दिया गया । धर्माञ्छ मुस्लिम लेखक यह उल्लेख करते हैं कि यद्यपि रानी दुर्गावती के पुत्र बीर नारायण के साथ पूरणगढ़ के राजा की कन्या का विवाह हुआ, किन्तु महावास नहीं हो पाया था । स्पष्टत यह एक धोखा है । मुस्लिम लेखक अमारमक ढग में यह प्रतिपादित करते हैं कि अकबर अपने हरम में केवल कुंवारियों को ही प्रविष्ट करता था । यह अकबर की एक धूर्तं चाल थी कि वह विवाहित स्त्रियों को भी कुंवारी घोषित कर अपने हरम में प्रविष्ट करता था । यथार्थ को यदि इस ढग से उल्लिखित नहीं करवाया जाता तो सम्भव है कि एक 'घमण्डी' बादशाह की (तथाकथित) प्रतिष्ठा पर आप्राप्त होता । एक ध्रष्ट बादशाह इस प्रवार अपने द्विविध व्यविनव को छिपाए रखता था । धर्माञ्छ काजी, दरबारी तथा स्वयं अकबर सरकार प्राप्त चापलूम लेखकों से इस प्रवार के उल्लेख करवाया करते थे कि अकबर अपने हरम में केवल कुंवारियों को ही प्रवेश देता था । इस प्रवार विवाहित महिलाएँ भी कुंवारी कन्या के रूप में ही उल्लिखित की जाती थीं, जैसा कि रानी दुर्गावती की पुत्रवधु के सम्बन्ध में वर्णित किया गया है ।

अकबर का दरबारी लेखक अबुल फजल अपने आश्रयदाता के अतिरिक्त

चापलूम के रूप में कुछ्यात है। स्त्रियों के प्रति अकबर की आसक्ति-जैसे धृषित कृत्य को भी वह गौरव के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। उसके अनुसार स्त्रियों को व्यवस्थित करना यद्यपि एक बड़ी समस्या थी, तथापि कर्तव्य का पालन करते हुए, सासार के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करने की दृष्टि से दया और कृपा दिखाते हुए वह उन्हे पनाह दिया करता था। अबुल फजल (आईने अकबरी, पृष्ठ १५) का कथन है—वादशाह अच्छी व्यवस्था में औचित्य को प्रसन्न करने वाला है। व्यवस्था के माध्यम से ही सासार में सत्य और यथार्थ प्रतिभासित होते हैं।

अकबर के हरम की विवेचना करते हुए अबुल फजल का कथन है—“वादशाह अकबर ने एक विशाल भवन समूह का निर्माण करवाया है। इसमें सुन्दर गृह-कक्ष है जहाँ वादशाह विश्रान्ति के क्षण व्यतीत करता है। यद्यपि वहाँ पांच हजार से भी अधिक स्त्रियाँ हैं, तथापि उनमें से प्रत्येक के निवास के लिए एक कक्ष दिया गया है। वादशाह ने उसमें थ्रेणी विभाजन कर रखा है तथा उनकी सेवा के लिए परिचारिकाओं का भी प्रबंध कर रखा है। प्रत्येक विभाग की देख-भाल करने के लिए साध्वी स्त्रियों को दारोगा और अधीक्षक नियुक्त कर रखा है। एक को लिपिक का काम सौप रखा है।” पांच हजार और तो मे से प्रत्येक को गृह-कक्ष प्रदान किए गए थे, यह पूर्णतः झूठ और भ्रात तथ्य है। भारतवर्ष में हम कही भी अकबर के समय में निर्मित अन्त पुर के खण्डहर अयवा छविसावशेष नहीं देखते, जिसमें पांच हजार गृह-कक्षों की व्यवस्था सम्भव हो।

अकबर की कामासमिति इस सीमा तक बढ़ी हुई थी कि दरबारियों की बीवियाँ तक सुरक्षित नहीं थीं। आईने अकबरी के पृ० १५ पर बदायूँनी का कथन है—“बेगम, कुलीन दरबारियों की बीवियाँ अयवा अन्य स्त्रियाँ जव कभी अकबर की सेवा में पेश होने की इच्छा करती हैं, तो उन्हे पहले अपनी इस इच्छा की सूचना देकर उत्तर की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जिन्हे यदि योग्य समझा जाता है, तो हरम में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। कुछ विशेष वर्ग की स्त्रियाँ वहाँ पूरे एक महीने तक रहने की अनुमति प्राप्त कर सेती हैं। बड़ी सत्या में विश्वसनीय पहरेदारों के होने पर भी वादशाह स्वयं उनकी धौकसी रखता था।”

प्रस्तुत उद्धरण का विश्लेषण करते हुए हम कतिपय प्रश्न करना चाहते

है। प्रथमत वित्ती विवाहित स्त्रियों ने अकबर के साथ हरम में रहकर भ्रष्ट होने की इच्छा की होगी? क्या उनकी सद्या बहुत अधिक थी? क्या सभी दरवारियों की पत्नियों ने स्वेच्छा के अकबर के हरम में प्रवेश की उत्कृष्टा दिखलाई तथा अपने पतियों के आशय से विमुक्त होकर अकबर के हरम में विशिष्ट रूप से प्रवेश के लिए प्रार्थनाएँ भेजी? अकबर के हाथों अपना सर्वस्व भ्रष्ट करवाने में क्या वे अपना सौभाग्य समझा करती थी? द्वितीयत, क्या दरवारियों की पत्नियों के लिए अकबर के हरम में प्रवेश विभेदाधिकार वा विपय था कि वे अपने पतियों, पुत्र-पुत्रियों एवं घरों को छोड़ने को तैयार हो जाती थी? अकबर ने साथ सहवास से उनका ऐसा क्या भाग्योदय हो जाता था? अकबर के हरम में ऐसा क्या आकर्षण था कि वे स्वेच्छा से बहाँ चली जाया वर्ती थी? "जिन्हे थोर्य समझा जाता है" शब्दों वा तात्पर्य के बल इतना ही है कि जिन स्त्रियों को अकबर वापी मुन्दर एवं आकर्षक देखता था, उन्हें ही अपने हरम में लीच मेंगवाने को प्रवृत्त होता था। "हरम में पूरे एक महीने तक रहने की अनुमति प्राप्त कर लेती है।" शब्दावली का अर्थ यह है कि अकबर अपने दरवारियों की पत्नियों (निश्चित रूप से पुत्रियों एवं वहनों को भी) को उनके साथ आमोद-प्रमोद एवं सहवास के लिए कम-से-कम एक महीने बलात् रोक रखना था। यदि अकबर दूसरों की स्त्रियों को एक महीने हरम में रोककर रखना था, तो ऐसा कोई वारण नहीं कि वह उन्हें और अधिक समय के लिए वा स्थायी रूप से न रोक रखता रहा होगा। अन्तिम पक्षि "बड़ी सत्या में विश्वमनीय पहरेदारों के होने पर भी अकबर स्वयं उनकी चौबसी रखता था" वा तात्पर्य यह है कि उन स्त्रियों को बलात् उनके घरों से उठवा लिया जाना था तथा धमकियाँ आदि देकर उन्हें हरम में रोक रखा जाता था। इस प्रवार साधारण दिखलाई पड़ने वाले उद्धरणों में कृतिसत् एवं गहणीय अर्थ छिपे हुए हैं। उनके मूढ़म अध्ययन एवं विश्लेषण में अकबर के शामनबाल में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है।

अपने महल के निकट एक विस्तृत वैश्यालय नींव्यवस्था में भी अकबर की बड़ी रुचि थी। किंतु वैश्याएँ अधात्योनि हैं, इसका सेवा-जोखा वह रखना था और उससे बातचीत को समय भी निशाल संता था। अबुन फ़ूजल ने (आइने अकबरी, पृष्ठ २७६) उल्लेख किया है—“वादमाह ने

महल के समीप ही एक मद्यशाला स्थापित की है। सल्तनत से एकत्रित की गई वेश्याओं की सत्या इतनी अधिक थी कि उन्हे गिन सकना मुश्किल था। (उस क्षेत्र को 'शैतानपुरा' के नाम से पुकारा जाता था।)

मुस्लिम दरवारी इतिवृत्तों में प्राय 'वेश्या' शब्द से उन हिन्दू नारियों का अर्थ मूचित होता है, जिन्हे मुस्लिम आक्रमणों में उनके पतियों एवं भाइयों की हत्या के बाद पकड़कर दामी बनाया गया एवं वेश्या बनने के लिए मजबूर किया गया।

उपर्युक्त विवरण पर विचार करने से अकबर के समय में दमनीय नागरिक जीवन की भयावह स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। यह स्पष्ट होता है कि अकबर के शासन-काल में लौडेवाजी, वेश्यावृत्ति तथा फौजदारियों एवं शराबखोरी का बाजार गर्म था। लौडेवाजी के लिए छोकरों को सजासौंवार कर प्रदर्शित किया जाता था। अकबर के शासन-काल की इन विलक्षण, दुर्लभ एवं अतुलनीय विशेषताओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। ससार के किसी भी बादशाह अथवा सम्राट् के शासनकाल में ऐसा नहीं हुआ।

लौडेवाजी की प्रवृत्ति अकबर को वश-परम्परा से प्राप्त हुई थी। यह उसकी अमूल्य पैतृक 'निधि' थी। अकबर के दादा बावर ने अपनी सुद्धमरणिका में एक प्रिय छोकरे के साथ अध्याकृतिक सम्भोग की विस्तृत चर्चा की है। बावर का पुत्र हुमायूँ भी सुन्दर छोकरों को सदैव अपने अधिकार में रखता था। अकबर स्वयं हिजडों एवं छोकरों की एक पूरी रेजिमेंट, जैसा कि अबुल फज्जल ने उल्लेख किया है, अपने महल के निकट रखता था।

अकबर के शासनकाल में उसके दरवारियों द्वारा अपने भूत्यवर्ग में प्रिय छोकरों एवं हिजडों को रखना खोई असामान्य बात नहीं थी। ऐसे ही एक तथ्य का उल्लेख अबुल फज्जल ने किया है, "१२वें दर्पण यह सूचना दी गई कि मुजफ्फर कुतुब नामक सेनापति एक छोकरे को प्यार करता था। अकबर ने उक्त छोकरे को बलात् अलग करा दिया, जिससे मुजफ्फर फकीर बनकर जगल में चला गया। अकबर ने विवश होकर उसे बापस बुलाया और उसका प्रिय छोकरा उसे सोंप दिया।" (आइने अकबरी, पृष्ठ ३७४)।

मध्ययुगीन मुस्लिम समाज की स्थिति पर प्रकाश डालने वाला ऐसा ही एक और भी दृष्टांत अबुल फज्जल ने प्रस्तुत किया है, "हिं स० ६८८ में

यादिल शाह की एक जवान हिन्जडे द्वारा, जिसके साथ उसने अपनी अवैतिक इच्छा वीं पूर्ति की बोशिश वीं थी, हत्या कर दी गई। उसकी लौहेदारी की बातना बहुत तीव्र थी। बुध प्रयत्न के बाद विहार के मतिक भरीर ने दो जवान तथा मुन्दर हिन्जडे उसके लिए भेजे, जिन्होंने अपरिमित शाम-पिण्डासा को शात करने के प्रथम प्रयास ने बाट ही वह बड़े हिन्जडे द्वारा छुरा और कर भार दिया था।” इस उद्घरण से इस बात के सबैत मिलते हैं कि मध्ययुगीन मुस्लिम शासनकाल में शुन्दर छोड़रों को धन-सम्पत्ति के रूप में रखा जाता था। उच्च अधिकारियों ने शुन्दरी, मुरा और स्वर्ण के साथ छोड़े भी भेट किए जाने थे। प्रबलित अप्राकृतिक व्यभिचार के वित्तने ही उदाहरण मुस्लिम दखारी इतिवृत्त से प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

उपर्युक्त नीचता और नुरता में अतिरिक्त अबबर अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए अपनी प्रजा को बाह्य करता था कि वे अपनी पत्तियों, चेटियों और बढ़नों का नज़-प्रदर्शन सामूहिक रूप से आयोजित करे। बैंस टाड ने (राजस्थान का इतिहास, पृष्ठ २७४-७५) उत्तेज़ किया है कि उक्त पद्धति अबबर की नित्यप्रति नये-नये हंग वाविष्ट करने वाली शुद्धि वीं उमज थी। अयादा नवन्यर्पण दिवस का तात्पर्य नये वर्षों का पहला दिन नहीं है, बरितु एक उत्तम है, जिसे अबबर ने प्रचलित किया है। इसे अबबर ने गुदारोज (प्रभोर-दिवस) की सज्जा दी है। मह उत्सव प्रत्येक महीने के प्रमुख स्तोहार के बाद ऐसे दिन मनाया जाता है। खुदारोज के दिन दखार के बोत में एक भेला आयोजित किया जाता था। भेले में बैंबत महिलाएँ ही भाग लेती थीं। व्यापारियों की पत्तियाँ प्रत्येक देश और प्रान्त वीं प्रसिद्ध बत्तुएँ प्रदर्शित करती थीं। दखारियों की पत्तियाँ वहाँ त्रय वरती थीं। वादामाह स्वीं बज बेश बनाकर वहाँ जाया करता था। इस प्रकार वह व्यापारिक बग्नुओं ना महान् शह दरहाथा था तथा सह्तनत में दखारी अधिकारियों के चरित्र के साक्ष्य में जानवारी प्राप्त करता था।” चाटुकार अबूल फजल ने गुदारोज में सम्बन्ध में अवाक्षीप उद्देश्य बोहूमरे ही रूप में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार उसने उस पुण वे स्वेष्टनेशन को छिपाने की चेष्टा वीं विन्तु आवी पीढ़ी इस प्रकार वे उत्तेजों वरे नभी न्वीकार नहीं कर सकती कि युशरोज आदि के धक्कारों पर अबबर बेश बदलकर मुस्लिम मुन्दरियों के मुंह में निक्सी ‘पक्षों’ भाषा वीं प्रस्तुत

वातो से अयवा पारस्परिक चर्चा से या राजस्थान के मेले में वहाँ की मिश्रित 'भाषा' से व्यापारिक वस्तुओं के महत्त्व एवं मूल्य आदि तथा अपने अधिकारियों के चरित्र आदि सम्बन्धी सदृपरिणाम प्राप्त करता था। खुशरोज के मेले के पीछे अकबर का एकमात्र उद्देश्य सुन्दरियों को अपने हरम के लिए चुनकर फासना था। मेलों में वह वेश बदलकर शिकारी भेड़ियों के समान औरतें तलाश करता था। हर महीने ६वें दिन आयोजित खुशरोज के मेले ऐसे बाजार होते थे, जहाँ अकबर राजपूती प्रतिष्ठा का विनिमय करता था। इसी तथ्य का निर्देश सुविळयात् योद्धा पृथ्वीराज ने (अपनी स्वरचित कविता में, जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि राणा प्रताप की बीरोचित आत्मा को प्रदीप्त करने, जब वे अकबर के खूंखार हमलों का बहादुरी से सामना कर रहे थे तथा राष्ट्रहित के लिए जंगलों में जीवन च्यतीत कर रहे थे, वह सप्रेपित की गई थी) भी दिया है। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं किया जा सकता है कि 'नौ रोज' के अवसरों पर कितने कुलीन (राजपूत) वशों की प्रतिष्ठा पर अकबर द्वारा आधात पहुँचाया गया। राजपूत-नारियों को अपहृत कर उनका सतीत्व भांग किया गया। अपने सर्वोच्च नारी-आदर्श से स्वलित राजपूतों की श्रृंखला में पृथ्वीराज ही ऐसे थे जिनकी प्रतिष्ठा उनकी पत्नी (मेवाड़ की राजकुमारी तथा 'सुक्तावत' वश की नीव ढालने वाले की कन्या) के अपूर्व साहस एवं सद्गुण से सुरक्षित थी। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि अकबर ने कितने ही राजपूत वशों की महिलाओं को अपहृत कर उनकी प्रतिष्ठा धूल में मिला दी थी। केवल पृथ्वीराज की प्रतिष्ठा उनकी पत्नी द्वारा बीरोचित साहस प्रदर्शित करने से आदर्श के शिखर से च्युत नहीं हो पाई थी। खुशरोज के एक उत्सव के अवसर पर मुगल बादशाह मेवाड़ की पुत्री के रूप और तेजस्विता को देखकर मुग्ध हो गया। भूखी वासना की तृप्ति के उद्देश्य से आयोजित 'हिंद' के उस संयुक्त नारियों के मेले में से अकबर ने मेवाड़ की उस बीरागना पुत्री (मेवाड़ के लोक-भीतों के अनुसार शक्तिसिंह की पुत्री किरण देवी) को अलग कर लिया। यह कहना अनुचित न होगा कि अकबर मिसोदिया वश की एक राजकुमारी को छल्ट कर उस वश की प्रतिष्ठा धूल में मिलाने की दुर्भाग्यना रखता था। खुशरोज के उत्सव के कुछ समय पश्चात् राजकुमारी ने स्वर्ण को एक ऐसे भवन में बन्द पाया जहाँ से वाहर

जाने के रास्ते पर अकबर यड़ा था । उसके शीलभग की दुर्भाविता से वह ग्रह्त हथा । किन्तु अकबर को पृथ्वीने के बढ़ने उसने अपनी कचुवी से एक बटार निवाली तथा अपूर्व साहस दिखलाते हुए उसने बटार अकबर के वथ पर रख दी । बटार की नोक पर उस बीरागना हिन्दू ललना ने युशरोत के मीना बाजार के संयोजन को समाप्त करने की अकबर की शपथ दिलवाई ।

कवि-हृदय ऐद्वा पृथ्वीराज के बड़े भाई की ऐसा सौमाण्य प्राप्त नहीं हुआ था । उसनी पत्नी मे बादगाह के कुल्लित इरादे का विरोध करने का था तो साहस नहीं था या अपने दील की रक्षा पर सबने के सद्गुण से वह विचित थी । युशरोत के एक उत्सव के बाद वह स्वर्ण भलकारो से लंदी किन्तु अपने नारीत्व की अमूल्य निधि सतीत्व को लुटाकर अपने घर सौंठी । पृथ्वीराज ने इन सम्बन्ध में लिखा है—“स्वर्ण एव रत्नो वे जाभूषणो से सुराजित वह अपने पर लौटी किन्तु मेरे भाई, तुम्हारे मुख पर अब तुम्हारी मूँछ कहाँ है ?” वह राजगुमारी अकबर की पूर भाम-पितामा के अभिषुष्ट में अपना शील ज्ञाववर आई थी ।

अकबर की भाम-वासना के सम्बन्ध में ऊर हमने नमूने के तीर पर कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं । अकबर की गहर्णीय वासना न जाने वितन सोगो की प्रतिष्ठा भस्मीभूत कर चुकी थी । एक तटस्थ पाठक को आश्वस्त करने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अकबर का समूर्ण जीवन अमानवीय वृत्तों एवं व्यभिचारों से पूर्ण था ।



: ६ :

## शरावखोरी और नशेवाजी

अकबर परने दर्जे का शराबी था। उमे शराब पीने की इतनी बुरी तर थी कि उसे मुधारना असम्भव था। शराब ही नहीं, वह अन्य मादक द्रव्यों का भी अत्यधिक मात्रा में सेवन करता था। ये व्यसन उसकी रग-रग में समाए हुए थे और इन व्यसनों से उसे कभी भी छुटकारा न मिल सका। सामान्यत अन्याय, पाश्चात्यिक अत्याचार तथा अन्य घृणित कृत्य करने वाले लोग दिमाग से उन जघन्य अपराधों का बोझ दूर करने के लिए शराब आदि नशीली चीजों का सहारा लेते ही हैं। अकबर भी अपनी अमानुषिक करतूत को भुलाने के लिए शराब, अफीम, ताड़ी आदि मादक द्रव्यों का सेवन करता था। ये व्यसन अकबर के ही थे, ऐसी बात नहीं है। ये तो उसकी पीढ़ी-दर्दी चले आ रहे थे। इस प्रकार ये व्यसन अकबर को विरामत में ही मिले थे क्योंकि जिस बातावरण में अकबर का जन्म हुआ था उसमें मर्वन्द शरावखोरी, नशेवाजी, पड़्यत्रों, हत्या की योजनाओं, च्यभिचारों और वेष्यागमन का ही बोलबाला था।

धासफ खां द्वारा आयोजित एक भोजोत्सव सम्बन्धी 'टेरी' के उल्लेख का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए स्मिथ महोदय ने अपनी पुस्तक 'अकबर - दी ग्रेट मुगल' के पृष्ठ २६४ पर कहा है, "वादशाह (अकबर) का, जैमाकि मर्वन्दित है, कोई सिद्धान्त (नीतिक मानदण्ड) नहीं था। अपने जीवन के अधिकांश समय में उसने अत्यधिक मात्रा में मदिरापान किया।" स्मिथ महोदय का यह स्पष्ट उल्लेख है कि—'शरावखोरी तंमूरशाही खानदान का ही प्रमुख दोष न था, यह दुर्गृण अन्य मुस्लिम शाही वंशों का भी था। बावर (अकबर का दादा) एक जबरदस्त पित्रकड़ था। हुमायूं (अकबर का बाप) अफीम खाने का आदी था, जिससे उसकी बुद्धि जड़ हो गई थी। अकबर इन दोनों व्यसनों का अभ्यस्त था।' (अर्थात् वह शराब भी पीता था और

अफीम भी खाता था)। नमे की हातत में वह विभिन्न प्रकार के पायल-पत के काँच किया करता था। सभवातीन इनिवृत्ति में उसके पायलपत की बतिपद घटनाओं का वर्णन किया गया है। बाबाहृष्टा प्रस्तुत मुहेत्पूर्ण 'उदाहरणों' का शाहनहार तथा दरवारी सरदारों ने 'ईमानदारों' से पालन किया। अबवर के दो जबल देटे अपने पीवन-काल में अत्यधिक मद्यपात के कारण मृत्यु के मुँह में समा पए। उसका बड़ा बेटा अपने भज्ये स्वास्थ्य के कारण ही चल गया—भिसी गदगुण के कारण नहीं। अमौर शराबदोरी और नशेशाही में यह अपने चिकित्सा देखा छोटे भाइयों में किसी तरह कम न था। ज्वोधमेन द्वारा समुहीत हटवारी सरदारों के जीवनवृत्त से मद्यपात के कारण हुई मौतों की आमत्यर्थजनक स्मरण वा एक चमत्ता है। नियंत्रण का विजर्गवानी बोग इस व्यापक वा बुरी तरह शिकार था। दक्षिण में आसीराम के पतन के बाद उसने इनी शराब पी कि उसके पाण्य-पोह उड़ गए। एक-न्द्रारे उच्च अधिकार (गाहवाज खान, मध्या ५७) अत्यधिक मान्दर में शराब, गोदा तथा दो प्रकार की अफीम वा विषय सेवे का आदी था। इस प्रवार के कई अन्य उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

विसेट स्पिथ ने 'अबवर दी ग्रेट सुख' पुस्तक में पृष्ठ २४४ पर उल्लेख किया है कि नियंत्रण प्रकार अबवर जहरत से ज्यादा शराब पीकर विभिन्न प्रभाव के पायलपत का बार्यं लिया करता था। आगरे में 'हवाई' नामक हाथी पी उसने नाथों के पुत एवं परमेश्वर दोढ़ा दिया। वह एक विशेष प्रवार की नहीं तो ताड़ी तंयार करने नी बल्कि बरता था। यद्य तक वह तिशार नहीं कर ली गई, उसने स्थान पर उत्तरात्मय (१५८०) में अपीम का सुगम्भित अर्के लिया करता था। पीड़ी-दर-सीड़ी मद्यपान तथा अपीम से तंयार किए गए विभिन्न प्रवार वे नहीं के पेशे बोलने वाली बुल-परगारा था उसने भी जानन किया। वगी-रभी तो यहु अत्यधिक मान्दर में नशा करता था।

ग्रन् १५८२ ई० में अबवाविवा के वेतृत्व में आए प्रथम जेसूइट मिशन में जो अनुसन्धि किया, उसके साक्ष्य में नि सदिष्ठ इष से यह मिद होता है कि सूरत के पतन के एक बर्यं घट्टने भान में अबवर अत्यधिक शराबहोरी का आदी हो गया था। सदाशय इस पादरी में विभिन्न औरतों के साथ अबवर के लम्पट और व्यधिचारपूर्ण सम्बन्धों की ओर मल्लना करने वा

साहम किया है। पादरी को इस धृष्टता से कुद्द होने से स्थान पर अकबर ने उससे माफी माँगी। उसने अपनी इन्द्रियों पर विजय पाने के लिए कुछ दिन तक उपवास भी रखा। पर उपवास के दिनों में शराब पीने की मनाही नहीं थी। उसने इस सीमा तक शराब पीनी शुरू कर दी कि उपवास नशे के दुर्गुणों के सामने फीके पढ़ गए। कभी-कभी अकबर पादरी रोडलफ को पूर्णतः भूल जाता था। बहुत समय तक उसे भीतर नहीं बुलाता था। पादरी बाहर प्रतीक्षा करता रहता था। ईश्वर के सम्बन्ध में उपदेश के लिए उसे कभी भीतर बुलाता भी था तो पादरी महोदय के बोलना आरम्भ करते ही अकबर नीद में खो जाता था। कारण यह था कि कभी तो वह ताड़ी (जो अत्यधिक मादक खजूर की शराब होती थी) और कभी अपील से तैयार किए गये विभिन्न नशीले पेय पीता था जो कई प्रकार के मसाले तथा सुगन्धित द्रव्य मिलाकर बनाए जाते थे। अकबर द्वारा नशा करने के बुरे आचरण का उसके तीनों जवान बेटों ने पूरी “ईमानदारी” से पालन किया। इनमें से दो बेटों—मुराद तथा दानियाल की मृत्यु नशे के दुष्प्रभाव के कारण हो गई। सलीम भी इस बुराई से अपने-आपको कभी अछूता न रख सका।” (अकबर दी ग्रेट मुगल, पृ० ८२)।

अबुल फजल ने एक विचित्र कथा का उत्तेजित किया है। “एक बार एक विशेष शराब-पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें चुने हुए सरदारों को ही आमन्त्रित किया गया था। वार्ता के दौरान यह चर्चा छिड़ गई कि हिन्दुस्तान के योद्धा नायक अपने सम्मान के सामने पार्थिव जीवन को तुच्छ समझते हैं। यह कहा गया कि दो राजपूत योद्धा दो पांती बाले भाले की ओर, जिसे तीसरा व्यक्ति पकड़े हो, विरोधी दिशाओं से ऐसी दौड़लगा सकते हैं जिससे भाले की पातें दोनों प्रतिस्पर्द्धियों का वक्ष बेधकर उनकी पीठ के पार निकल जायें। (यह सुनकर) अकबर ने अपनी तलवार की मूँठ दीवार में फँसा दी तथा घोपणा की कि वह उसकी तरफ दौड़ लगाएगा। राजा मानसिंह ने झटका देकर तलवार गिरा दी। ऐसा करते हुए बादशाह का हाथ कट गया। अकबर ने मानसिंह को घक्का देकर गिरा दिया तथा उसका गला दबा दिया। मानसिंह के गले को अकबर की पकड़ से मुक्त कराने के लिए संघर्ष मुजफ्फर को अकबर का हाथ मरोड़ना पड़ा। अकबर

ने निश्चित रूप से अत्यधिक मात्रा में शराब पी रखी होगी।" (अकबर : दी प्रेट मुगल, पृ० ८१) ।

"यद्यपि अकबर के लकियों और चाटुकार दरवारी लेहकों ने उसके अत्यधिक मशीषान का उल्लेख नहीं किया है तथा उसके सम्बन्ध में प्रवास में आई कहावतों में उसके अत्यधिक मात्रा में पीने के उद्दरण कापाड़ रूप से ही शामिल किये गये हैं, तथापि यह निश्चित है कि कई वर्षों तक उसने अपने बड़ी की परम्परा का पालन किया हमा कभी-भी तो वह अपनी महल-शक्ति से भी अधिक पीया करता था। यहाँपर का कथन है—“गेरे पिना, चाहे नदों में या सामग्र्य स्थिति में हो, मुझे सदैव ‘थेषु बाबा’ बहकर पूछारा करते थे।” इससे यह इतिहास होता है कि लेहक ना पिना (अकबर) अधिकान्त नदों वी हालत में ही रहता था।

अकबर के दरवारी-सेवक अबुल फजल ने अपनी स्वभावगत छूटता ही परिवय देने हुए अकबर सम्बन्धी अतिरिक्त वर्णन करके उपर्युक्त अनुवाद, एवं उन्नीसमैन के पृष्ठ ५७ पर उल्लिखित है कि, “अकबर कभी अधिक शराब नहीं पीता, अपितु ‘अद्वारखाना’ विषयक तथ्यों पर अदिक ध्यान देता है। महल में अथवा यात्रा में दौरान वह गङ्गाजल ग्रहण करता है।” महल में अथवा यात्रा में वीचे उन्नते ही पवित्र गंगाजल में परिवर्तित हो जाती थी अथवा शराब एवं अन्य नशीले पेपों के दुष्प्रभावों को दूर करते (अपने पासों को घोने) में तिए अकबर गंगाजल ग्रहण करता था। गंगाजल के निर्देश का तात्त्विक वेदन इतना ही है कि अकबर अपने शामन-बाल में बहुमत प्राप्त जनता को धोने में रखा महत। ऐसा उल्लेख करताने में अकबर वा एकमात्र उद्देश्य यह था कि वह हिम्मुओं का विश्वास प्राप्त कर सके।

बादशाह को जब मधीं शराब पीने, अफीम लेने अथवा चुकनार की (चुकनार की अकबर 'सबरग' के नाम से पुहारता था) जो मधीं प्रवार वे नशीले द्रव्यों तथा शराबों का सारतस्व था, इच्छा होती है, तो परिचारक उगके भगवने कलों वा पात्र प्रस्तुत कर देता है। (बादशने अकबरी, पृ० ८६) इस मत्तदर्श के सम्बन्ध में इतना ही वहना पर्याप्त होगा कि

अकबर या तो मूर्ख रहा होगा, जिसने अपने परिचारक को यह अनुमति दी थी कि जब यह शराब अथवा अन्य द्रव्यों (अफीम, ताढ़ी आदि) की माँग करे तो वह उनके सामने फलों का रस पेश कर दे अथवा परिचारक को यह अधिकार रहा होगा कि किसी सख्त धाय की भाँति अकबर के आदेशों का उल्लंघन कर सके तथा अकबर जब शराब, अफीम आदि की माँग करे तो उसे फल लेने के लिए विवश कर सके। एक तीसरा विकल्प जो अधिक मत्य प्रतीत होता है, यह है कि अकबर जिन नशीली वस्तुओं तथा शराब, अफीम आदि को लेने का आदी था, उनके लिए चाटुकार अबुल फजल का 'फल' एक साकेतिक शब्द था। तात्पर्य यह कि अकबर द्वारा नशीली वस्तुओं की माँगों का अबुल फजल ने 'फल' शब्द के सबैत में उल्लेख किया है।

जेसूइट पादरी मन्सरेट, जो अकबर के दरबार में रह चुका था, का कथन है—“अकबर अपनी प्यास या तो पोस्त से बुझाता था या पानी से। जब वह अत्यधिक मात्रा में पोस्त का तरल द्रव्य ले लेता है तो काँपते हुए, बुद्धिशूल्य होकर लुढ़क जाता है। (अर्थात् विभूच्छित हो जाता है।)” (मन्सरेट की कमट्री, पृ० १६६)।

अकबर अपने ही समान पिथक्कड़ों एवं नदेवाजों को पमन्द करता था। इसका उल्लेख समकालीन इतिवृत्त लेखक बदायूँनी ने किया है। बदायूँनी का कथन है (पृष्ठ ३२४), “वादशाह ने काजी अब्दुल सामी को काजी-उल-कुजात् के रूप में नियुक्त किया था। अब्दुल सामी दाव लगाकर शतरज खेला करता था। शराब के प्याले खाली करने में वह जन्म से ही कुछ्यात था तथा अकबर की यह आदत उससे पूर्णत मिलती थी। उसके मम्प्रदाय में धूंसखोरी तथा अष्टाचार सामयिक कर्तव्य समझे जाते थे।”

इतिवृत्त लेखक फरिश्ता ने उल्लेख किया है—“इसी समय (सन् १५८२) अन्तडियों में पीड़ा की शिकायत के कारण वादशाह बुरी तरह बीमार पड़ गया। जब उसने अपने पिता हुमायूँ के समान अफीम खाने की आदत डाली तो जनता उसकी इस आदत से भयभीत हो गई।”

सामान्य व्यक्ति भी यदि शराबखोर एवं नदेवाज हो तो बुरा ममझा जाता है तथा उसकी समति खतरनाक समझी जाती है। अकबर के समान शराबी व्यक्ति को यदि वर्द्धरों की भीपण फौज की ताकत भी प्राप्त हो

जाए, जो समस्त विरोधियों को समाप्त करने की सामर्थ्य सकती हो, तो उसमें भानवता का वित्तना विषय होगा। यह कल्पनातीत है ? निष्ठायें के रूप में कहा जा सकता है कि अवधर का शासनकाल भारद्योग इनिहाय में एक सर्वोधिक वस्त्रित युग था, जबकि भारत वा एक वृहद् भाग उसने अद्वितीय था। जनता उसकी शराबद्वारा एवं नशेद्वारा वे परिणामस्वरूप अद्याधारे एवं स्वेच्छाधारिता में पीड़ित होकर कराह रही थी। अवधर के निरकुण शासन-तत्त्व का कोई सिद्धान्त नहीं था—उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। वरने याजतन्त्र की धृति वे अवधर ने यानवता का वित्तन अहिन किया—हिन्दू जगता पर कितने अत्याधार विए, इमर्दी गणना बौत कर सकता है। ऐसे लम्पट, भ्रष्टाचारी, शराबद्वारा एवं व्यभिचारी खाल्याहु को 'महान्' की सज्जा देना एवं उसकी 'असोक' से तुलना करना बहुत तक्तकसगत है ? इसका निष्ठाय कोई भी विवेकशील व्यक्ति वर मनता है।

मस्तुत वी एक लोकोक्ति में यहा गया है—

शोवन धन-सम्पत्ति प्रभुत्वम् अविवेषता ।

एकं कमपि अनर्यापि किन्तु पत्र चतुष्पदम् ॥

भावायं यह कि शोवन, धन, सत्ता, पद—इनमें से कोई भी एवं अनुयाय को व्याख्याद कर सकता है—जसे पतन वे गति में गिरा सकता है। यदि ये चारों मिल गए तो इतना अनर्य होगा। इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

उपर्युक्त सूक्ति इसी मत्यता अवधर के शासनकाल के सम्बन्ध में पूर्ण-स्पेषण चरितार्थ होती है।

## शादियाँ नहीं, सरासर अपहरण

अपनी सैनिक-जक्ति के आधार पर राजपूत कन्याओं तथा अन्य महिलाओं को अपहृत कर उन्हें बलान् हरम में डालने मन्दन्धी अकबर के घृणित कृत्यों का प्राप्त किसी महाकाव्योचित नायक के साहसिक सत्कर्मों की भाँति उल्लेख किया गया है : विभिन्न पुस्तकों एवं लेखों में इस प्रकार के तथ्य प्राप्त होते हैं कि अकबर ने भारत में साम्राज्यिक एकता की दृष्टि से हिन्दू कन्याओं से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किए । ऐसी शादियों को अकबर की राजनीति के उत्कृष्ट उदाहरणस्वरूप भी प्रस्तुत किया जाता है । इस प्रकार यथार्थ घटनाओं पर पर्दा डालने की चेष्टा की जाती है । अकबर एक धूर्तं राजनीतिज्ञ था तथा अपनी काम-लिप्ति की पूर्ति के लिए अपहरण की घटनाओं को उसने विवाह के रूप में लिखाया । ये तथाकथित विवाह अपहरण के मुहूर्तोंते उदाहरण हैं ।

इससे पहले एक प्रकरण में भी हम वता चुके हैं कि किस प्रकार उच्छृ-खलता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचय देते हुए शेख अब्दुल वासी की खूब-सूरत एवं आश्चर्यक बीबी का अपहरण कराया गया था । अब्दुल वासी ने उसकी बीबी छीन लेने की घटना के बाद इतिहास में उसका कोई नामोनिशान प्राप्त नहीं होता । सम्भवतः अकबर ने अब्दुल वासी की बीबी पर अधिकार अमा लेने के बाद अपने किसी 'भाडे के टट्टू' द्वारा उसकी हत्या करा दी होगी ।

अकबर के अभिभावक एवं सरकार वहराम खाँ को भी अब्दुल वासी के समान ही दुर्भाग्य का शिकार होना पड़ा था, व्योकि अकबर की कामुक दृष्टि उसकी बीबी सलीमा सुल्तान बेगम पर थी । सलीमा सुल्तान अकबर की फुकेरी वहन (उसके पिता की वहन की बेटी) थी । उसके शोहर वहराम खाँ से उसके समस्त अधिकार, सत्ता तथा दरकारी पद छीन लेने

तथा अन्त मे उसकी हत्या वरा देने के पीछे अकबर का एकमात्र उद्देश्य मनीमा सुल्तान को अपने हरम के लिए अपहृत करना था। अकबर का यह एक अत्यन्त धूमित एवं निन्दनीय कृत्य था। अकबर की धूर्त्तिका पर विचार करते हुए इसे एक कृतज्ञतापूर्ण कर्म बहा जाएगा, यदोकि वहराम खाँ ने ही समस्त भयावह चुनौतियों से अकबर की रक्षा की थी और अचिन्त्य स्थिति से ऊपर उठाकर उसका भविष्य-निर्माण करते हुए उसे गहीनशील कराने मे मह्योग दिया था किन्तु अकबर ने वहराम खाँ के प्रति स्त्री प्रकार की कृतज्ञता प्रदर्शित करने के स्थान पर उसकी बीबी (आमी पुर्सी चहन) को छोनकर उसकी हत्या करा दी।

डॉ० आश्रीवादीलाल श्रीवास्तव का वर्थन है (अकबर दी ग्रेट, पृ० ४१) कि सन् १५५७ ई० के आरम्भ मे ही जबकि अकबर की आयु मात्र १५ वर्ष थी, वहराम खाँ को उस दिन अपने तिलाक रखे जा रहे पढ़पन्ड की शका हुई जिम दिन मानकीट मे बापमी के दीरान मार्ग मे अकबर के हाथियों ने उसके शिविर मे घुमकर खलवली मचा दी और उसे कुचलने की चेष्टा की। वहराम खाँ ने विस्फू शाही को प्रकट करने का अवधर वा यह एक तरीका था। वहराम खाँ की शादी मनीमा सुन्नान मे जानधर मे उस समय हुई थी जब शाही कौज मानकोर मे (जम्मू प्रान्त मे) लाहौर जा रही थी। अकबर नहीं चाहता था कि मनीमा सुल्तान की शादी वहाम खाँ से हो। वह उसे युद अपने हरम के लिए प्राप्त करना चाहता था। उक्त पटना के बाद से योजनाबद्ध दृग से वहराम खाँ को 'गिकार' बनाने की दुश्चेष्टाएँ की गईं। वई बार शाही हाथियों को उसके शिविर मे घुमकर उसे कुचलने के प्रयास किये गए। मम्भवन अकबर ने वहराम खाँ के समस्त सत्तात्मक अधिकार छीनकर उसे छुले युद्ध के लिए बाह्य किया होगा। उसे निष्ठामित वर दिया गया तथा पाटन तक उसका शोषण करते हुए उसकी हत्या करवा दी गई। अकबर के पश्च के ममकारीन विवरणों मे यह दर्शाने की चेष्टा की गई है कि वहराम की हत्या एवं अफगान ने की, जिसका उसके साथ वैमनस्य था, इस प्रकार के तथ्य दर्शारी चाटुकार नेमकों द्वारा लिये गए हैं। वहराम खाँ की इस हत्या का आरोप अकबर पर लगाने की आशका ही नहीं की जा सकती थी। वे सभी एक ऐसे धूर्त्त और प्रूर बादशाह के अधीन ये जिसके हाथों मे अपरिमित

निर्खुश सत्ता थी। वे जो भी उल्लेख करते थे, अपने बादशाह के सकेतों के अनुमार करते थे। अकबर ने ही वहराम राँ की हत्या करवाई—इसका स्पष्टीकरण इस तथ्य से होता है कि वहराम राँ ने जिस दिन मलीमा सुत्नान से सगाई की, उसी दिन से उसकी हत्या की कुचेष्टाएँ की जाने लगी थी। हत्या के समय वहराम अकेला नहीं था, अपितु उसके साथ उसके अनेक अनुचर भी थे। उसकी हत्या के तुरन्त बाद उसकी बीबी सलीमा मुल्लान को, जिस पर लोलुप अकबर की कामुक दृष्टि थी, उसके द वर्षीय पूत्र अब्दुल रहीम के साथ शोत्र ही अकबर के हरम में भेज दिया गया। यही लड़का कालान्तर में बड़ा होने पर खानखाना के नाम से विद्यात हुआ। १५ वर्षीय अकबर का यह जघन्य अपराध था कि उसने वहराम की बैधानिक हृषि में परिणीता पत्नी को अपने हरम में लेने के लिए एक भर्वोच्च राजभक्त वर्मचारी के समस्त अधिकार छीनकर उसकी हत्या करवा दी और अन्तत उमकी बीबी को हरम में से ही लिया। इस घटना में अकबर की काम-पिपासा तथा प्रेमोन्माद पर प्रकाश पड़ता है।

जयपुर के हिन्दू राज परिवार की बन्धा के साथ अकबर के तथाकथित विवाह मन्द्यन्धो झूठे एवं भ्रान्त तथ्यों के उल्लेखों में भी भारतीय इतिहास के पूर्ण काले किए गए हैं। हमारे इतिहासकारों ने यह विवाह साम्प्रदायिक एकना की दृष्टि में अकबर की राजनीतिज्ञता के ज्वलन्त उदाहरण के हृषि में प्रस्तुत किया है।

उक्त विवाह की तथ्य-कथा इस बात का एक जबरदस्त प्रमाण है कि विम प्रकार सम्प्रदाय-विशेष के सोगों सथा राजनीतिज्ञोंने अपने काल्पनिक मिद्दान्तों के परिपोषण एवं ऐतिहासिक सन्दर्भों में उनके ममावेश के लिए भारतीय इतिहास को अपध्रष्ट करने का प्रयास करते हुए झूठे तथ्यों का उत्तेज्ज्वलित किया है।

अधिकाश इनिहासकारों का कथन है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में इवादत के लिए आगरे से अजमेर जाने हुए उन्नीस वर्षीय अकबर जव साम्राज्य से गुजरा, तब जयपुर का श्रीड, बहादुर एवं स्वामीमानी शासक भारतम् शीघ्रता से वहाँ पहुँचा तथा अकबर से अपनी बन्धा के विवाह का प्रस्ताव किया। यह एक नीचतापूर्ण झूठा तथ्योल्लेख है। इस कथन पर सरमरी नज़र ढालने से ही विवेकदीनता का परिचय मिलता है। कोई भी

व्यक्ति, जिसे मध्ययुगीन राजपूतों के आत्मगौरव तथा परम्पराओं के मम्बन्ध में तो जानकारी है किन्तु इतिहास वे सम्बन्ध में वेदाक अनभिज्ञता है इस तथ्योत्तेज को पहचान लेणा कि यह विवरण झूठ एवं अप्रामाणिक है। भारतवर्ष में राजपूतों की परम्परा रही है कि वे विदेशी लुटेरों के हाथों अपनी महिलाओं की प्रतिष्ठा एवं सतीत्व भ्रष्ट होता देखने की अपेक्षा जोहर की ज्वाला धघका, उसमें उन्हे भस्म कर देना कही अधिक अच्छा समझने थे। ऐसी ही एक महत् जाति का नेतृत्व करने वाले एक सदस्य दे मम्बन्ध में यह बहा जाता है कि उसने स्वेच्छा से आगे बढ़कर अकबर को अपनी कल्या समर्पित कर दी। क्या यह तप्पोत्तेज तर्वजात प्रतीत होता है? स्वाभिमानी राजस्थान की सुप्रतिष्ठा के प्रति यह कल्पपूर्ण आक्षेप है। यथार्थ क्या अत्यन्त हृदय-विदारक है। किन्तु इसे धृष्टलापूर्वक देवा दिया गया है। चाटुकार लेखको ने अकबर के आडम्बरों एवं धूतंता पर पर्दा ढालने के लिए घटनाओं को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया है।

राजपूती शान के लिलाफ भारमल ने यून का धूंट पीते हुए अकबर के हरम के लिए अपनी प्रिय कन्या वयो समर्पित की? —इस तथ्य का एक सूच हमें डॉ० आशीर्वादीलाल थीवास्तव की पुस्तक में (पृ० ६१-६३ पर) प्राप्त होता है। जयपुर के शासक भारमल के अधिकृत प्रदेश में अकबर के एक सेनानायक शरफुहीन ने लगातार हमले बोनबर खलबली भचा दी थी। भय तथा मन्दास की स्थिति उत्तल होने पर भारमल को अरमानजनक अधीनता स्वीकार करने के लिए वाद्य होना पड़ा। इन्ही हमलों के दौरान शरफुहीन को तीन राजपूत राजकुमारों—यगार, राजसिंह तथा जगन्नाथ को बन्दी बनाने और बन्धुव के हथ में रोक रखने में सफलता मिल गई। उन्हे सामर में केंद्र रखा गया तथा पातनाएँ देवर मार ढालने की धमकी दी गई। उन राजकुमारों की जीवन-रक्षा के तिए —उन्हे फैद से मुक्त कराने वे लिए भारमल को अकबर के हरम के द्वार पर अपनी कन्या के सतीत्व की बनि बड़नी पड़ी। उन्होंने स्वयं कहा है कि सामान्य परिस्थिति में, राजपूत मुन्दरी के पैर अवधाहाय की उगली के नाखून पर भी किसी विदेशी अवधाहाय लुटेरों की कामुक दृष्टि नहीं पड़ने दी जाती थी। इतना कठोर प्रतिवन्ध था उस युग में।

डॉ० श्रीवास्तव ने उल्लेख किया है—“वष्टवाहा वग के प्रधान

(भारमल) को विनाश का मुँह देखना पड़ा, अतः असहाय स्थिति में उसने ममक्षीते का सहारा लेते हुए अकबर के साथ भैंसी-सम्बन्ध स्वीकार किया।" यही कारण है कि राजपूत सुन्दरी को समर्पित करने के तुरन्त बाद तीनों राजकुमारों को मुक्त कर दिया। विवाह न होकर यह अपहरण का कृत्य था, क्योंकि समस्त कार्य भारमल की राजधानी अथवा अकबर की राजधानी में सम्पन्न न होकर मार्ग में ही एक स्थान पर सम्पन्न हुआ। एक राजपूत शासक भारमल के लिए अपने ही नगर में—राजस्थान के गौरव-भण्डित मध्यवर्ती क्षेत्र में—अपने ही सहयोगियों एवं सम्बन्धियों के बीच अकबर को अपनी कन्या समर्पित कर देना अत्यन्त हृदय-विदारक एवं शर्मनाक बात थी। एक मुसलमान को अपनी कन्या समर्पित कर देना एक राजपूत के लिए नरकवास अथवा सर्वनाश से भी अधिक भयावह एवं सज्जाजनक घटना समझी गई। भारमल के लिए यह कोई हँसी-खेल न था। उसे विवाह होकर इस प्रकार का निर्णय (जो उसका दुर्भाग्य था) लेना पड़ा। एक स्वाभिमानी राजपूत के लिए यह मौत में भी अधिक बुरी बात थी। किन्तु उसने अनुभव किया कि इसके अतिरिक्त उसके पास और कोई विकल्प न था। उसके सामने दो ही रास्ते थे। या नो वह उन तीनों राजकुमारों का अकबर की यातनाओं द्वारा वध होना हुआ तथा बाद में अपनी सम्पूर्ण राजधानी में बवंरतापूर्ण अत्याचार होने हुए और विनाश की ज्वाला में जन-जीवन को झुलसते हुए देखे अथवा अपनी कन्या को खोकर अपमानजनक घृणित शान्ति की बार्ता करे। स्पष्ट है, भारमल अपने हृदय को अमर नेता राणा प्रताप की भाँति पापाण बनाने में समर्थ न हो सका। राणा प्रताप की भाँति बहादुरी में लड़ते हुए अकबर का विरोध करने के स्थान पर उसने अपनी कन्या को समर्पित करने का शर्मनाक विकल्प स्वीकार किया।

समर्पित राजपूत कन्या पर अधिकार होने के दूसरे ही दिन अकबर ने आगे के लिए प्रस्थान किया। अपहृत राजपूत ललना को उसने व्याजोक्ति रूप में 'बधू' की सज्जा दी। कहने का तात्पर्य यह कि विवाह आदि का कोई नमारोह नहीं किया गया। उन दिनों जब राजकीय परिवारों की शादियाँ होती थीं तो महीनों धूमधाम रहती थीं। नमारोहों का ताँता लग जाया

वरता था, महीनो भोजोत्सव आदि मनाए जाते थे, किर यह विवाह एक ही दिन मे कैसे सम्पन्न हो गया ?

व्याजोविन के रूप मे पुनः यह उल्लेख प्राप्त होता है कि भारमल ने अबवर वो दहेज के रूप मे सोने की जीन मुक्कन हजारों धोड़े, हायी, जवाह-रात तथा नकदी प्रदान की। यह दहेज नहीं था अपितु बच्चों राजकुमारों को छुड़ाने के लिए दो गईं फिरीती थी। राजकुमारों को मुक्कन करने के लिए अबवर ने भारमल से उसकी कन्या की भी माँग बी थी और घन-राणि की भी।

डॉ० श्रीवास्तव ने यह भी उल्लेख किया है कि देवमा तथा उसके आम-पास के क्षेत्रों की जनता अबवर के आगमन पर भाग खड़ी हुई थी। इसमें यह सिद्ध होता है कि लोग अबवर से नरभक्षी शिकारी शेर के समान दहगत खाते थे। उसका स्वागत खुश होकर राजकीय वर के रूप मे नहीं किया जा सकता था।

एक दूसरा सूत्र यह प्राप्त होता है कि तीनों राजकुमारों की मुक्कित के लिए भारमल ने अपनी कन्या समर्पित करने सम्बन्धी कार्य के लिए धगतर्दखी नामक एक मुमलमान को समझौता-वार्ता के लिए मध्यस्थ नियुक्त किया। यदि यह विवाह होता तो एक राजपूत शासक एवं मुसलमान को मध्यस्थ के रूप मे कभी नियुक्त न करता।

भारमल द्वारा अपनी कन्या समर्पित किए जाने के बाद अबवर ने शर-फूटीन को भादेश दिया कि उसी प्रवार मे एक-दूसरे राजपूत अधिकृत नगर मेडता मे हमले आदि थोल कर लोगों मे डर पैदा किया जाए। अतः वे मभी विवरण, जिनमें इस कार्य को विवाह बताया गया है आत तथ्यों से पूर्ण कपटजाल हैं। ये सब कुचक हैं। यद्यपि अबवर ऐसी बातों पर विशेष ध्यान नहीं देता था, किर भी अपहरण अथवा समर्पण जैसे कृत्य को शादी के श्रद्धान्वित करके प्रस्तुत करने मे उसे कौई आपत्ति नहीं होती थी। जहाँ तक भारमल का प्रश्न था, उसका दह चाहना स्वाभाविक ही था कि इस नीचतापूर्ण समर्पण के कृत्य को स्वेच्छापूर्वक विवाह के रूप मे व्यक्त किया जाए। यह तो भावी पीढ़ी पर निर्भर करता है कि वह सामयिक परिस्थितियों के रहस्यों तक पहुँचे तथा भान्तिपूर्ण जालसाजियों

एवं राजनीतिक घोखाधड़ियों को अस्वीकार कर दे और अपनी आंखों में धूल न पड़ने दे ।

डॉ० थीबास्तव ऐसा विश्वास करते हैं कि भारमल की कन्या के साथ अकबर के विवाह का "समारोह अत्यधिक प्रशसनीय ढग से सम्पन्न किया गया ।" (अकबर : दी ग्रेट, पृ० ६२) किन्तु आगे चलकर वे कलाबाजी खाते हैं और गिरगिट की तरह रग बदलकर पृ० ११३ पर एक टिप्पणी के अन्तर्गत यह उल्लेख करते हैं—“कोई भी मध्ययुगीन हिन्दू, चाहे उसको सामाजिक स्थिति कितनी भी निम्न वयों न रही हो, एक मुसलमान के साथ विवाह-सम्बन्ध पसन्द नहीं करता था, चाहे वह शाही खानदान से ही सम्बन्ध रखता हो । एक हिन्दू की दृष्टि में मुसलमान का स्पर्श मात्र उसे अप्ट अथवा पतित बना देता था ।”

माडबगढ़ में जब शाही शिविर लगे थे, अकबर ने उसी प्रकार से "खानदेश के शासक मिर्जा मुवारक शाह की बेटी का हाथ माँगा । उसे प्रमुख हिजड़ा एतिमाद खाँ लाया तथा सन् १५६३ ई० में उसे अकबर के हरम में प्रविष्ट किया गया । स्पष्टतः यह भी विवाह की घटना नहीं थी व्योकि मुवारक शाह की बेटी को एक फौजी सेनापति द्वारा, जिसने फौजी ताकत के जोर पर खानदेश के शासक के समक्ष अपमानजनक स्थिति उत्पन्न कर दी, बलात् लाया गया था तथा अकबर के हरम में प्रविष्ट कराया गया था ।" (अकबर दी ग्रेट, पृ० ११३) । इस घटना से यह भी निदृ होता है कि अकबर के शासनकाल में हिजड़े भी सेनापति के पद पर होते थे ।

कल्याणमल के भाई वाहन की बेटी के साथ अकबर ने शादी की । कल्याणमल बीकानेर का शासक था । उसके पुत्र रायसिंह को शाही सेवा में रख लिया गया । कल्याणमल अत्यधिक मोटा होने की वजह से घोड़े की सवारी नहीं कर सकता था, अतः उसे बीकानेर जाने की अनुमति दे दी गई । (अकबर . दी ग्रेट, पृ० १२६-२७) ।

यह भी विवाह की घटना न होकर कन्या को समर्पित कर देने की शर्मनाक घटना थी । विवाह की इन समस्त तथाकथित घटनाओं में कन्या के नाम वा उल्लेख कही नहीं किया गया है, व्योकि उसका सतीत्व एक ऐसी निधि (चल सम्पत्ति) थी, जिसका विनिमय किया गया । कन्या को

समर्पित करने वथवा सतीत्व-विनिमय का उद्देश्य था आक्रामक मुस्लिम सेना के हाथों सम्भूषण अधिकृत प्रदेशों में लूट-खमोट, डाकेजनी तथा विद्युत से बचाव। बीकानेर के शासक बल्याणगढ़ को यदि अकबर द्वारा विशेष अनुश्रृत के रूप में शाही सेवा में लिया जाता तो उसके बीकानेर द्वापम लौटने की अनुमति देने की बात ही नहीं उठती। उसे वापस लौटने की अनुमति देने सम्बन्धी स्थिति से यह प्रदर्शित होता है कि उसे अपने भाई की बेटी समर्पित कर अपनी स्वतन्त्रता का विनिमय (खरीदने) करने के लिए वाध्य किया गया। उसे अपनी मुक्ति के लिए सौदेबाजी के रूप में विपुल धन-राशि देने के लिए भी विवश किया गया। इन घटना के पर्यवेक्षण में यह स्पष्ट होता है कि बल्याणगढ़ की स्थिति की बेटी बाम-मे-कम शादी योग्य नहीं थी। यदि उसकी स्थिति की बेटी होती तो उसके भाई की बेटी के स्पान पर अकबर उसे उसकी अपनी ही पुत्री समर्पित करने के लिए वाध्य करता।

डॉ० ए० एल० थीवास्तव का कथन है, “जैसलमेर के शासक रावन हरराय ने अकबर के साथ अपनी बन्धा का विवाह किया।” डॉ० थीवास्तव इस विवाह के महस्व पर प्रकाश ढालते हुए आगे लिखते हैं—“राज-कुमारी को शाही शिविर में लाने के लिए राजा भगवानदास को बीकानेर भेजा गया।” स्मरणीय है कि इन तथावचित विवाहों में से प्रत्येक विवाह में अकबर के सेनापति नगरपालिका के दारोगाओं की भाँति, जो कदा लिए आवारा भट्टवते पश्चिमों को पकड़ते हैं, दस्तावेजों में सजिज्जत संनिक टुक-डियो के साथ मुन्दर हिन्दू बन्धाओं का पता लगाते थे, अकबर के हरम के निए वे असहाय अबला ललनाओं को उनके अनिच्छुक एवं हुसी मानापिना से बलात छीनकर लाया बरते थे।

काँगड़ा उफे नगरकोट के बहादुर शासक विधिचन्द्र पर हमला बोलकर जब उन्हें अधीनता स्वीकार करने के लिए वाध्य किया गया तो उन्होंने अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के अतिरिक्त ५ मन स्वर्ण तो दिया (अकबर : दी प्रेट, पृ० १४३-१४४) विन्तु अकबर के हरम के लिए होता भेजते तथा मुगल आधिकार्य श्वीकार करने सम्बन्धी शतों को पूर्ण नहीं किया।” इतिवृत्त नेपक बदायूँनी ने एक टिप्पणी में लिखा है—“मुगलों ने ज्वालामुखी देवी की मूर्ति के दीर्घ पर स्थित स्कर्पिस्ट छत को लीटों में ऐद ढाला। अन्दर ऐ-

पूजा के लिए रखी गई २०० काली गायों को वे हाँक लाए। उनका वधु करके उनके खून से उन्होंने अपने जूते भर लिये और मन्दिर की दीवारों एवं दरवाजों पर अपने जूतों की छाप अकित कर दी।” इस प्रकार के अन्याय एवं अत्याचार तथा हरजाने के रूप में भारी सम्पत्ति देने के बावजूद भी विधिचन्द्र ने अपने परिवार की महिला को अकबर के हरम के लिए समर्पित करना अस्वीकार कर दिया। प्रस्तुत उद्धरण के अध्ययन से यह प्रदर्शित होता है कि राजपूत अपने परिवार की महिलाओं की प्रतिष्ठा तथा सतीत्व को कितना महत्व देते थे तथा पराजित शत्रुओं के परिवार की महिलाओं को फौजी ताकत के जोर पर अपने हरम में एकत्रित करने का अकबर का आचरण कितना धृणित था।

डॉ० श्रीवास्तव का कथन है (प० २१३, २१५), “वासवाढ़ा के शासक रावल प्रताप तथा ढूंगरपुर के शासक रावल आसकरण को अकबर की सेवा में उपस्थित होने के लिए राजी किया गया। वे उसके अधीन जागीरदार हो गये। अकबर ने ढूंगरपुर के शासक की कन्या से विवाह किया। लूनकरण एवं बीरबल द्वारा समझीते की वार्ता सम्पन्न हुई। अकबर जब फतेहपुर सीकरी लौट रहा था, वे कन्या को उसके शिविर में लाए।”

उपर्युक्त उद्धरण इस बात का एक ज्वलत उदाहरण है कि भारतीय इतिहास को विस प्रकार अंधानुकरण करते हुए लिखा गया है। “अकबर को सेवा में उपस्थित होने के लिए राजी किया गया।” शब्दों से यह स्पष्ट होता है कि उनका अपमान करते हुए उन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। उनका अपमान तब पूरा हुआ, जब ढूंगरपुर की कन्या (दबाव पढ़ने पर) समर्पित की गई। यह शादी की पठना नहीं थी। इस तथ्य से मिछ होता है कि असहाय कन्या को लूनकरण तथा बीरबल उसके पिता के रक्षात्मक सरक्षण से बचात् खीच लाए तथा अकबर जब फतेहपुर सीकरी के मार्ग में था—उसे उसके हरम में डाल दिया गया। राजपूत राजकुमारियों की प्रतिष्ठा पर बाधात करते हुए उनका सतीत्व भग दरना अकबर के शासन तथा जीवन का एक प्रमुख लक्ष्य था। धूर्तता-पूर्ण कथन द्वारा इस धृणित तथा अपमान हृत्य को अकबर के एक उदार कर्म के हृप में गोरखान्वित किया गया है। इस प्रकार का पदापात, छात एवं मूठे तथ्य विश्व-भाग्यित्व तथा शैक्षणिक पाठ्य पुस्तकों में और वही

नहीं मिल सकते। अर्थात् सत्य पर पर्दा ढालने के ऐसे तथ्य और वही प्राप्त नहीं हो सकते।

शेष अब्दुन नवी ने जब अब्दर की अनेक शारियों का विरोध किया (अब्दर : दी ग्रेट, पृष्ठ २३१-२३२) तो उसे उसकी इच्छा के विषद्भ भक्ता भेज दिया गया। सन् १५८३ ई० में जब वह भारत लौटा, सदेहासपद स्थिति में उसकी मृत्यु हो गई। स्पष्ट है, अब्दर ने उसकी हत्या करवा दी। एक धर्मनिधि मुसलमान होने के कारण अब्दुन नवी को अब्दर द्वारा हिन्दू ललनाओं को अपहृत करने पर कोई आपत्ति नहीं थी। उम्मा विरोध तो मुसलमानों पर आप्रमण किए जाने तथा मुस्लिम परिदारों की औरतों को अपहृत करने के प्रति था। जैसाकि अब्दर ने अब्दुल वासी के परिवार के साथ किया था।

अब्दर अपने अधीनस्थ लोगों एवं पराजित शत्रुओं पर न बैठत अपने हरम के लिए उनकी औरतों को समर्पित करने के लिए दिवाव डासता था, अपितु अपने पुत्रों तथा अन्य राष्ट्रनिधियों के लिए औरतें समर्पित करने के लिए उन्हें वाध्य करता था। “छोटे तिक्खत के शासक अलीराय ने अपनी मुरक्का की दृष्टि से शाहजादे सलीम के साथ अपनी बन्या के विवाह का प्रस्ताव रखा। उसकी बन्या को लाहौर लाया गया तब १ जनवरी, १५७२ ई० को शादी सम्पन्न हुई।” (प० ३५४)

ऊपर प्रस्तुत उद्धरण से यह प्रदर्शित होता है कि छोटे तिक्खत के शासक को धमकी दी गई कि यदि वह मलीम के हरम के लिए अपनी बन्या समर्पित नहीं करेगा तो छोटे तिक्खत पर हमला बोलकर उसे वरवाद कर दिया जायेगा। इसी प्रकार २६ जून, १६८६ को लाहौर में धीकानेर के रायमिह बी बन्या के साथ शाहजादे सलीम की दूसरी शादी सम्पन्न हुई। (अब्दर दी ग्रेट, प० ३५४-३५७)। इस घटना को विवाह की सज्जा देना मिथ्या दभ मात्र है। विवाह धीकानेर में सम्पन्न न होकर लाहौर में हुआ, परोक्ष धीकानेर के शासक ने एक विदेशी लूटेरे के हाथों अपनी बन्या सोएने हुए म्पष्टत लज्जा एवं आपमान महसूस किया। जनता द्वारा निदा एवं भलंगना की जाने वे भय वे कारण एवं शक्तिशाली मुसलमान बादशाह के गाप अपनी बन्या के विवाह का समारोह अपनी राजधानी में मनाने का बहुमात्र न बर सत्रा।

इतिवृत्त लेखक फरिश्ता ने उल्लेख किया है (वि० खं० प० १७३-१७४) कि किस प्रकार अकबर के पुत्र दानियाल के लिए बीजापुर के शासक की कन्या का अपहरण किया गया। सन् १६०० ई० में “बीजापुर के इब्राहीम आदिलशाह ने अकबर को मनाने तथा शाहजादे दानियाल मिर्जा के साथ अपनी कन्या की शादी करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करने एक राजपूत भेजा। तदनुसार मीर जमालुद्दीन हुसैन अजोई नामक एक सरदार को बीजापुर से दुल्हन को सुरक्षापूर्वक लाने के लिए रखाना किया गया। जून, १६०४ में मीर जमालुद्दीन हुसैन शाही दुल्हन के साथ वापस लौटा। वह अपने साथ दहेज का बहुमूल्य सामान भी लिये हुए था। पैथान के निकट गोदावरी के तट पर उसने दुल्हिन को (सुल्तान की बेटी की) दानियाल को सोप दिया। वही बड़ी धूम-धाम के साथ विवाह-स्तकार सम्पन्न हुआ तथा उत्सव मनाया गया। इसके बाद मीर जमालुद्दीन हुसैन बादशाह के दरबार में शामिल होने आगे की ओर बढ़ गया। ८ अप्रैल, सन् १६०५ ई० को बुरहानपुर में अत्यधिक शराब पीने के कारण दानियाल को मृत्यु हो गई।”

उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि बीजापुर के शासक की बेटी का अपहरण दबाव डालकर किया गया। जो समारोह मनाया गया वह विवाह का नहीं था, अपितु एक दूसरी लड़की को सफलतापूर्वक अपहृत करने की खुशी में मनाया गया जश्न था। उसके नाम को कोई विदेष महत्त्व नहो दिया गया है। असहाय अबला युवती के अपहरण के कुछ महीने बाद ही दानियाल की मृत्यु हो गई। यदि बीजापुर के शासक का दब चलता तो वह एक दुराचारी, शराबखोर और मरणासन्न शाहजादे को अपनी कन्या शादी में न देता।

शेलट महोदय ने शाहजादे सलीम के साथ हिन्दू राजकुमारियों की दो शादियों का उल्लेख किया है। उनका कथन है—“२ फरवरी, सन् १५८४ ई० को लाहौर में बड़ी धूमधाम एवं आडम्बर के साथ राजा भगवानदास की कन्या के साथ शाहजादे सलीम का विवाह सम्पन्न हुआ। जून, सन् १५८६ ई० में भगवानदास के निवास-स्थान पर रायसिंह की कन्या का विवाह सलीम के साथ हुआ।” (अकबर, प० १६६)।

विद्वान् लेखक ने यह समझने में गलती की है कि ये धूमधाम, आडम्बर

तथा समारोह शादियों से सम्बन्धित थे : उक्त घटनाएँ शादियों की न होकर अपहरण की थीं। यह मान्न इस तथ्य के अवलोकन में स्पष्ट होना है कि कन्याओं के नामों का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्हें बलात् लाहौर लाया गया, जो कि कन्याओं के निवास-स्थान में बहुत दूर स्थित था। प्रथम घटना के अपहरण तथा दमन की नीति को छिपाने की दृष्टि से समारोह आदि मनाए गए। दूसरी घटना में रायसिंह की कन्या को दूरस्थ राजस्थान से उसके दुखी एवं असहाय भाता-पिता से छीनकर भगवानदास के लाहौर स्थित निवास-स्थान में लाया गया और तब उसे जहाँगीर को सौंपा गया। भगवानदास का परिवार तब से अकबर के अधीन था, जब मेर उसके पिता भगवन्न ने (अपनी कन्या समर्पित कर) राजपूतों शान पर पानी फेरते हुए, खून के घूंट पीकर अपमानजनक स्थिति में अब बर को तथा उसके उत्तराधिकारियों को अपने राज्य से वितनी ही औरतें उठवा मैंगाने की अनुमति दे दी थी। अत उनके लिए अन्य राजपूत शामक भाइयों को इसी प्रवार अपमानित होने हुए तथा दयनीय स्थिति में देखना किञ्चित् मन-शान्ति एवं मात्वना की बात थी। यही कारण है कि भगवानदास तथा उसके इतक पुत्र मानसिंह अब बर तथा उसके शाहजादों के लिए राजपूत कन्याओं का अपहरण करवाने से सदैव “एजेन्ट” का कार्य करते थे। ऐसा ही एक वह अवसर था जब लाहौर में भगवानदास के निवास-स्थान पर राजा रायसिंह की कन्या को जहाँगीर के हरम के लिए सौंपा गया।

बदायूँनी का कथन है—“१६ वर्ष की आयु मेरी सलीम ने राजा भगवानदास की कन्या के साथ शादी की। राजा ने अपनी कन्या के द्वेष मेरे कई अश्व-शक्तियाँ, अबीभीनियाँ, भारत तथा सिरकासिया के छोड़करे एवं युवतियाँ, जवाहरात, सोने के बत्तन, रजत-पात्र तथा सभी प्रकार की सामग्रियाँ प्रदान की, जिनकी गणना भी नहीं की जा सकती थी। इसके अनिरिक्त विवाह के समय उपस्थित अभीरों को, उनके पद तथा श्रेणी के अनुस्प पारसी, तुर्की तथा अरबी घोड़े दिए, जिन पर मोने की जीनें कमी थीं। (मुतखावृत तवारीख, द्वितीय स्थान, पृ० ३५२)।

इस वर्णन को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जिस प्रवार अधीनस्थ राजपूत शासकों को विदेशी आक्रमणों को अपनी प्रिय कन्याएँ एवं वहनें सौंपने के ताथ-साथ अपनी मुकिन एवं स्वतन्त्रता के

लिए प्रचुर सम्पत्ति भी देने के लिए विवश किया जाता था। इसका दहेज के रूप में उल्लेख करना, सत्य का उपहास करना है—यथार्थ पर पर्दा ढालना है। कौन हिन्दू स्वेच्छा ने अपनी सुन्दर, प्रिय तथा व्यवस्थित ढग से लालित-पालित कन्याओं को उन विदेशियों को देना पसन्द करेगा, जो शराबखोर, नशेवाज़, चरित्र-भ्रष्ट, नर-सहारक तथा हिन्दुओं एवं हिन्दुस्थान को घृणा की दृष्टि से देखने वाले थे। जिन्होंने ऐसा किया भी उन्होंने अन्त अपमानित और विजित होने के बाद विवश होकर ऐसा किया। पहले उन्होंने दृढ़तापूर्वक आत्रामक मुसलमानों का सामना एवं विरोध दिया, फिर सहलों की सब्द्या में अपनी महिलाओं को जौहर की ज्वाला में झोक दिया। मुसलमानों के भीषण अत्याचारों से, विष्वंस के भयावह ताण्डव से जब उनका उत्साह मन्द पड़ गया, उनकी युद्ध की उमंग टूट गई, नूट-खसोट, अशान्ति और अव्यवस्था से जब उनकी आत्मा कराह उठी, तभी उन्होंने अत्यन्त दयनीय स्थिति में अधीनता स्वीकार करने एवं किसी भी मूल्य पर बाह्य शान्ति खरीदने का निर्णय किया।

भारतीय इतिहास के लेखकों को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वे यथार्थ तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करें, सत्य पर पर्दा ढालें तथा अपहरण के घृणित कृत्यों का शादियों के रूप में उल्लेख करें। विदेशी आत्रामकों द्वारा राजपूत योद्धाओं पर युद्धों में किये गए अन्यायों, अत्याचारों, वर्वंरतापूर्ण अपमानों को छिपाया नहीं जा सकता। ऐसा करना इतिहास के साथ अन्याय करना है।

इतिहास को सदैव पक्षपातरहित रखना चाहिए। इतिहासकारों को राजनीतिज्ञों की भूमिका अदा नहीं करनी चाहिए, न ही उन्हे राजनीतिज्ञों के सबेतो पर कार्य करना चाहिए। उन्हे राजनीतिज्ञों के इगित पर सत्य को तोड़ने-मरोड़ने अथवा वर्वंरतापूर्ण कृत्यों को छिपाने की आवश्यकता नहीं है। पाठक इतिहासकार से सत्य का समुचित अनुसंधान करने तथा उसे बिना किसी अतिशयोक्ति के, इधर-उधर के तथ्यों को बिना सम्बद्ध किए सुन्यवस्थित घटनाक्रम के साथ प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है। वर्तमान गमय में सामान्य तौर पर भारतीय इतिहास की पाठ्य-मुस्तकों में इतिहासकारों की ऐसी प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती। इनमें से कोई भी उत्तर-दायित्व भारतीय इतिहासकार पूरी तरह नहीं निभा रहे हैं।

प्रशासक अथवा राजनीतिज्ञ तो ऐतिहासिक तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए अपने स्वयं के सिद्धान्त-सूत्र अथवा टिप्पणियाँ सम्बद्ध कर सकते हैं, किन्तु इतिहास में केवल सत्य की, पूर्ण सत्य की तथा सत्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। इतिहासकार अपने पाठ्यों के समक्ष ऐतिहासिक घटाघर्च के ही घटनाक्रम का उद्धाटन करें। अकबर तथा उसके वेटों के तथाकथित विवाहों के सन्दर्भ में नम सत्य यही है कि वे सभी धृणित तथा सरासर स्पष्ट अपहरण के कृत्य थे, पर चाटुकार लेखनों ने उनका विवाह के रूप में उल्लेख किया है।

## विजय-अभियान

भारतीय इतिहास की पाठ्य-पुस्तकों में प्रायः इस प्रकार के भ्रात मत अथवा विचार घ्यकर किये गये हैं कि अकबर की विजयों का उद्देश्य जिन विभिन्न खण्ड-राज्यों तथा जागीरों में भारत उस समय विभाजित था, उन्हें समाप्त कर एक समूकत, सुदृढ़, समर्थित एवं एकात्मक राष्ट्र की स्थापना करना था। इस प्रकार के उल्लेखों में ऐसा मान लिया जाता है कि अकबर एक भारतीय था तथा उसके मन में देशभक्ति का उत्साह उमड़ रहा था एवं भारत के भविष्य एवं यहाँ की बहुसंख्यक जनता—हिन्दुओं के प्रति 'सहजात प्रेम' की भावनाएँ हिलोरे भर रही थीं। ये दोनों अनुमान गलत हैं तथा इन भ्रान्त तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष भी अनधिकृत एवं अनुचित हैं।

अकबर न तो अपने विचारों से और मन में ही भारतीय था तथा न शरीर से और अपने कृत्यों से ही। किसी भी रूप में उसे 'भारतीय' नहीं स्वीकार किया जा सकता। वह पूर्णतः एक विदेशी था—एक आत्रामक और पूर्णतः साम्राज्यवादी था, जिसकी विजयों का एकमात्र उद्देश्य भारतीय जनता तथा उनकी संस्कृति को जड़मूल सहित समाप्त करना था। किसी भी मूल्य पर जन-जीवन, जन-सम्पत्ति तथा प्रतिष्ठा को विनाश की ज्वाला में झोककर वह अपने धर्मनिधि सम्मान की रक्षा करने को लालायित था।

विसेंट स्टिम्य ने अपनी पुस्तक 'अकबर दी ऐट मुगल' के पृष्ठ ८ पर ठीक ही लिखा है कि "अकबर भारतवर्ष में एक विदेशी था। उसकी रगों में बुंद भाव भी भारतीय रक्त नहीं था। (पितृ पक्ष में) वह सीधे तेमूर लग का सातवाँ बंशज था। १३वीं शताब्दी में एशिया में हड्डकम्प मचाने वाले मंगोल नर-पिशाच चर्गेज खाँ के द्वितीय पुत्र चगताई की सन्तति

यूनुम खाँकी बेटी बाबर की माँ थी ।” इस तरह मातृपक्ष से अबबर की रगों में चर्गेज खाँ का खून था । उसकी माँ फारम की रहने वाली थी ।

अत स्पष्टत कुलोत्पत्ति से अबबर पूर्णतः एव विदेशी था । ऐसी स्थिति में एक अन्य तर्क प्रस्तुत विद्या जाता है कि यद्यपि अकबर आनुवादिक रूप में भारतीय नहीं था किन्तु इच्छा के अनुसार उसे भारतीय स्वीकार विद्या जा सकता है, यद्योकि उसके दो पूर्वजों तथा उत्तराधिकारियों ने भारत को अपनी जन्म-भूमि बना लिया था । वैद पाठक इस प्रकार के बाबूलों पर जीवनपर्यन्त विश्वास करते रहते हैं तथा समुचित विचार-धारा की परिधि से बाहर निकलने वा प्रयाम ही नहीं करते । यदि अकबर ने सबमुख अपने व्यवित्व, सस्त्रित तथा धर्म वीभात की बहुमुखक हिन्दू जनता की सस्त्रिति और धर्म में विलीन कर दिया होता तो निश्चय ही उसे भारत की नागरिकता प्राप्त करने वा हक होता और उसे भारतीय नागरिक माना जाता । यदि अपने पूर्यक धर्म और सस्त्रिति को असमुक्त रखते हुए भी उसने अपना जीवन हिन्दू जनता के कल्याण हेतु उत्तरण किया होता तो उसे वृतज्ञता का पात्र माना जा सकता था । किन्तु अबबर का सम्पूर्ण जीवन अपनी प्रजा का सहार करने, खून-खरापे, लूट-खसोट, उन्हें अपमानित करने एव उनका सर्वस्व तबाह कर देने में व्यतीत हुआ था । अत उसे तो अधिवास अथवा देशीकारण के धारण नागरिकता प्राप्त नागरिक भी स्वीकार नहीं दिया जा सकता । उसे ‘भारतीय’ स्वीकार करने के लिए भारतवर्ष में बैवस उसकी भारीरिक उपस्थिति अथवा धास को किमी मिट्टान के रूप में मान्यता मही दी जा सकती । यदि वोई दस्यु-दल किमी गाँव को अपना ‘वार्य-देश’ बनाते हुए वहाँ के कुछ निवासियों की बलात् सहायता के कर आम-भाम के गैंडों में निरक्तर लूट-खशोट करे, उपद्रव भचाए, अपभान एव अनादर के बृत्य करे तो वया उन हातुओं वो उम गाँव के निवासी के रूप में स्वीकार दिया जा सकता है ? यदि वोई व्यवित किमी मकान में जवरदस्ती प्रवेश कर वहाँ के दो बमरी में बलात् अधिकार जमा ने तो वया उसे मकान मालिक के दामाद के रूप में मान्यना दी जा सकती है ? ठीक यही स्थिति भारतवर्ष में अबबर तथा उसके उत्तराधिकारियों की थी । भारतवर्ष उनके ‘शिकार’ का बेन्द था, उनमें लम्ब था, फिर भी उन्हें अनिच्छा से पनाह दिये हुए था । मुगल

बादशाहों में से किसी ने भी अपने अन्तिम क्षणों तक भारतवर्ष को कभी अपना घर न माना, न ही उन्होंने हिन्दुओं को अपने भाइयों के रूप में स्वीकार किया। वे सदैव टर्की, इराक, ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान तथा अबीसीनिया को ही अपनी मातृभूमि मानते रहे। मक्का तथा मदीना को अपने तीर्थ-केन्द्रों के रूप में स्वीकार करते रहे तथा वहुसूखक भारतीयों को वे अपना भयावह शत्रु मानते रहे। हिन्दुओं का नर-सहार करना तथा उनके निवास-स्थानों को बरबाद करना वे अपना पवित्र धार्मिक वर्तन्य समझते रहे। यही उनका 'शबाब' रहा है। यद्यपि उन्होंने भारत को अपना निवास-स्थान बना लिया था तथापि जब उनके ऐसे धूणित आदर्श, पतित कृत्य एवं गर्हणीय विचारधाराएँ थीं, तो क्या उन्हें भारतीय माना जा सकता है? उन्होंने भारत को अपना निवास-स्थान अथवा जघन्य कार्य-क्षेत्र बनाकर स्थिति और भी विषम कर दी। भारतवर्ष को अपना जघन्य कार्य-क्षेत्र बनाने हुए वे लूट-खसोट तथा अपहरण आदि कुकूत्य सहजतापूर्वक निरन्तर कर सकते थे। भारत में रहते हुए आस-पास के क्षेत्र में निरन्तर लूटमार कर सकते थे। यह उनका नित्यन्मित्तिक वर्म या जो वे अविराम करते थे। अतः यह कहा जा सकता है कि किसी देश का नागरिक होने के लिए केवल वहाँ शारीरिक उपस्थिति अथवा काफी समय से रहते आना, जो कि नागरिकता का केन्द्रीय तत्त्व है, ही पर्याप्त नहीं है, अपितु इसके लिए उस देश की धरती के कण-कण से प्रेम, वहाँ के निवासियों से स्नेहिल सम्बन्ध तथा उन दोनों की सेवा के लिए अपने आपको उत्तमं करने की भावना की आवश्यकता होती है। 'अकबर में इनमें से एक भी गुण होना तो दूर रहा, वह प्रत्येक दृष्टिकोण से भारत तथा भारतीयों के लिए जीवनपर्यन्त खतरा ही बना रहा तथा उसकी मौत वो न केवल अधिकाश जनता ने अपितु स्वयं उसके बीटे जहाँगीर एवं ममस्त दरबारियों ने 'सत्रास में मुकिन' माना।

चूंकि अकबर एक भारतीय नहीं था, अतः इसमें आश्चर्य नहीं कि उमने भारतीय शामकों को अपने अधीन करने के लिए निर्ममतापूर्वक कूर एवं वर्वर ढण ने उनका दमन किया, सून-खराकी तथा लूट-खसोट का भय दिखाकर उन्हे बलात् अपना दरबारी बनने के लिए विवश किया। "वास्तव में अकबर जैसा आत्मामक बादशाह कभी नहीं हुआ। अकबर के

जीवन को परिचालित करने वाली दुर्भावना उमको महत्वाकांक्षा थी। उमका सम्पूर्ण शासनकाल युद्धों में व्यतीत हुआ।... उमके आक्रमणों का उद्देश्य प्रत्येक राज्य की स्वतन्त्रता समाप्त करना था।... गोडवाना की जनता आसफली (अकबर के सेनापति) की अपेक्षा रानी दुर्गावती के अधीन अधिक सुखी थी।" (अकबर दी ग्रेट मुगल, पृ० २५१) मेसेसन तथा बान नोअर द्वारा प्रतिपादित विरोधी मतों को स्मित महोदय ने 'असत्य' एवं 'मूर्खतापूर्ण' बहवर अस्त्वीकार किया है।

"अकबर की साम्राज्य-लिप्ति वभी सञ्चुप्त नहीं हुई। समस्त राष्ट्रों और राज्यों पर अपने शासन का विस्तार करने की उस धर्मोन्मत्त की प्रवल इच्छा थी। वह सभी राज्यों को अपनी तात्परार की धारे नींदे देखना चाहता था।" (अकबर : दी ग्रेट मुगल, पृ० १६०)।

ऐसी किसी भी विदेश घटना को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं जो (अकबर द्वारा) राणा प्रताप पर बिये गये आक्रमण के उद्देश्य पर प्रकाश डाले। अबुल फजल (अकबर द्वारा नियुक्त दरवारी इनिवृत लेखक) ने राणा प्रताप पर आरोप लगाया है कि 'अपनी हठवादिता, उद्धण्डता, दुस्माहस, अनुज्ञा, वचना तथा छल-कृपट के कारण वह दण्ड का पात्र है। उसकी देश-भवित ही उमका अपराध थी।...' सन् १५७६ ई० में बिये गये आक्रमण का उद्देश्य राणा प्रताप को बरवाद करना तथा मुगलिया मत्तनत के बाहर रहने के उसके स्वाभिमान को अन्तिम स्पष्ट में चबनाचूर करना था। बादशाह ने राणा प्रताप को मारने की तथा उमके राज्य पर बढ़ा कर लेने की इच्छा की थी। जबकि राणा प्रताप, आवश्यकता पड़ने पर अपने जीवन को भी बलिदान कर देने की तैयारी करते हुए डम बात के लिए कृत-सत्त्वल्प था कि उमका रक्त एक विदेशी के रक्त के मिश्रण में कभी दूषित नहीं होगा तथा उसका राष्ट्र स्वतन्त्र व्यक्तियों का उन्मुक्त राष्ट्र ही रहेगा। अनेक मकानों और विपणियों के पश्चात् उमे गफलता मिली तथा अकबर आसफल हुआ।' (वही, पृ० १०६-१०८)

"पूर्वी प्रान्तों तथा बारा के राज्यपाल आसफ खाँ को युन्देलखण्ड में पन्ना के राजा को पराजित करने के बाद अकबर ने शाही फौज के साथ गोडवाना पर आक्रमण करने का निर्देश दिया। उक्त राज्य पर तब (१५६४ ई० से) एक बीरागना रानी दुर्गावती का शासन था। रानी

दुर्गावती पिछले १५ वर्षों से अपने अवयस्क पुत्र के स्थान पर शासन कर रही थी। यद्यपि उसका पुत्र अब वयस्क हो चुका था तथा एक वैधानिक राजा के रूप में स्वीकृत भी हो चुका था, तथापि रानी ही राज्य की बामडोर मेंभाले हुए थी। रानी महोदा के चन्देल वंश की राजकुमारी थी। चन्देल राजवंश पिछले ५०० वर्षों से भारत का शक्तिशाली राज्य था। उसके अकिञ्चन पिता को अपने स्वाभिमान के प्रतिकूल अपनी कन्या गोढ़राज को देने के लिए विवाह होना पड़ा था जो वैभव-युक्त तो था पर उसकी सामाजिक स्थिति उसमें काफी हीन थी। रानी दुर्गावती अपने महान् पूर्वजों के वंश-गीरव के अनुरूप ही योग्य सिद्ध हुई। अबुल कज़ाल के कथनानुसार उसने “अपनी दूरदर्शितापूर्ण योग्यता के द्वारा महान् कार्य करते हुए” अनन्य माहस एव कार्य-क्षमता का परिचय दिया तथा अपने राज्य पर कुशलतापूर्वक शासन किया। उसने बाज़ बहादुर आदि के साथ युद्ध किये तथा सदैव विजय प्राप्त की। उसकी सेना में युद्ध के लिए २० हज़ार घुड़मवार तथा एक हज़ार प्रमिद्ध हाथी थे। उक्त पराजित राज्यों के राजाओं के खंजाने युद्ध के पश्चात् उसके हाथ लगे। बन्दूक चलाने तथा शर-सधान करने में वह पूर्ण दक्ष थी। वह सदैव आखेट करने जाया करती थी तथा अपनी बन्दूक से ज़ंगली जानवरों का शिकार किया करती थी। उसने ऐसी प्रथा अपना ली थी कि जब उसे पता चलता था कि कोई शेर दिखाई दिया है तो वह जबतक उसका शिकार नहीं कर लेती थी, तब-तक जन सक ग्रहण नहीं करती थी। अपने राज्य के विभिन्न भागों में उसने कई जनहित के बार्य करवाये थे। इस प्रकार उसने जनता का हृदय जीत लिया था। आज भी लोग आदरपूर्वक उसका नाम लेते हैं। ऐसी सद्भरिता, उदार-हृदया एव महिमावती रानी पर अकबर के आक्रमण का कोई कारण नहीं था। इसके लिए कोई दलील पेश नहीं की जा सकती। इसके पीछे केवल अकबर की विजय-लिप्सा एव लूट-खसोट की इच्छा थी। धीमती वेवरिज ने यह महीं तथ्याकान किया है कि, “अकबर एक प्रवल साम्राज्यवादी तथा राज्यों को हड्डप बरने वाला था, जिसके ‘सूर्य-तेज’ के मामने लाड़ डलहौजी का महान् सितारा भी धूमिल पड़ गया।” अपनी फौजी ताक्त तथा अपार सम्पत्ति के ज़ोर पर उसने युद्ध आरम्भ किये तथा एक के बाद दूसरे प्रदेशों को अपनी सलतनत में शामिल कर लिया।”

(ए० एस० बेवरिज, बान नोअर, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ११)

"अब्दवर सम्भवतः कतिग विजय के पश्चात् वहाँ के दुखों की देसकर अजोक द्वारा अनुभव किये गये पश्चात्ताप का उपहास करता तथा अशोक द्वारा भविष्य में किर किसी राष्ट्र पर आश्रमण न करने सम्बन्धी निर्णय की तीव्र भल्लना करता ।" महानता एव उदारता के सन्दर्भ में प्रायः अजोक एव अब्दवर की तुलना की जाती है, विन्तु यह तुलना पूर्णतः असम्भव प्रतीत होती है। कतिग विजय के पश्चात् युद्ध की विभीषिका देस-कर अशोक के मन में पश्चात्ताप हुआ था तथा उसने निश्चय लिया था कि वह भविष्य में कभी युद्ध न करेगा। इसके विपरीत अब्दवर युद्ध की विभीषिका दखकर प्रमुदित हुआ करता था।

बाउन्ट बान नोअर वा विश्वास है कि अब्दवर की विजयों का उद्देश्य समस्त छोटे-छोटे राज्यों को एक बृहद् साम्राज्य के रूप में समोजित करना था। स्मिथ महोदय इस मत को "भावात्मक विश्वार" बहकर अस्वीकार करते हैं। उनका कथन है—“विभिन्न राज्यों को समोजित करने (हड्डे करने) की अक्षवर की लिप्सा एक सामान्य बादशाह की महत्वावाक्या थी, जिसे पर्याप्त संनिक शक्ति वा समर्थन प्राप्त हुआ था। राजी दुर्गावती के उत्तरप्त एव मुव्यवस्थित प्रशासन पर अब्दवर द्वारा लिये गये आश्रमण के सन्दर्भ में कोई नंतिक दसील नहीं दी जा सकती। इस आश्रमण का मिदान्त माध्यमिकवाद का विस्तार था, जिसने आग चलकर नश्मीर, बहमदनगर तथा अन्य राज्यों को समोजित करने की दुप्प्रेरणा दी। विसी भी युद्ध को आरम्भ करते हुए अब्दवर का कोई मिदान्त नहीं था। एव बार जब वह झगड़ा आरम्भ कर देता था तो निमंमतापूर्वक शत्रु का विनाश करने में जुट जाता था। उसके क्रियावलाप ठीक उमी प्रशार के होते थे, जिस प्रशार अन्य शक्तिशाली, महत्वावाक्यी तथा निष्ठुर बादशाहों के थे।” (अब्दवर दी प्रेट मुग्ल, पृ० ५)

अब्दवर वा सम्मूर्ण शासनकाल पृथ्वी के अधिक-से-अधिक भाग पर उसकी निरदुश शामन-तन्त्र की लिप्सा का तृप्त बरने हेतु एक के बाद दूसरे राज्य पर आश्रमण करने, वहाँ नर-महार करने, वर्य रनापूर्ण खुन-खरादियों, लूट-खस्तोट तथा एक वे बाद एक राज्य को हड्डपने वा एक भयावह नाटक था। सम्पूर्ण विश्व के अधिक-से-अधिक भाग में वह अपने

स्वेच्छाचारी शासन-तन्त्र का प्रसार करना चाहता था।

अकबर के सेनापति शरफुद्दीन ने ज्यों ही जम्पुर के शासक भारमन को मूर्णतः मुगलिया सल्तनत के अधीन किया और खून के धूंट पीते हुए राजपूती शान के खिलाफ एक विदेशी मुस्लिम हरम के लिए अपनी बन्धा समर्पित करने के लिए विवश किया, त्यो ही अकबर ने उसे एक दूसरे स्वतन्त्र हिन्दू राज्य मेडता (भूतपूर्व जोधपुर रियासत के अन्तर्गत) पर आक्रमण करने एवं उसे मुगलिया सल्तनत में मिलाने का कार्य सौंपा।

अकबर को अपने स्वेच्छाचारी शासन-तन्त्र के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की परिसीमा स्वीकार्य न थी। इसका स्पष्ट उदाहरण उसने मुगलिया सल्तनत के प्रति राजभक्त तथा अपने परिपालक एवं सरकार वहराम खाँ को कपट तथा छल से पराजित करके दिया। अकबर की स्वेच्छाचारिता इस पराकाष्ठा तक पहुँच चुकी थी कि उसने न केवल वहराम खाँ की हन्दा ही करवाई बल्कि उसके सम्मान एवं प्रतिष्ठा पर आधात करते हुए उसने उमड़ी बीची का अपहरण तक किया तथा उसके बेटे को अपना जी-हुजूरिया होने को वाध्य किया।

अकबर ने मालवा के शासक बाज बहादुर पर आक्रमण करके उसे मुगलिया सल्तनत के अधीन किया और अपनी फौज में एक सामान्य अधिकारी के रूप में कार्य करने को वाध्य किया।

रानी दुर्गावती के राज्य पर आक्रमण किया गया। युद्धसेन में उस बीरागना ने आत्महत्या कर ली। उसकी बहन तथा पुत्र-बधू बलात् अकबर के हरम में ढाल दी गई।

भारत के अमर बीर राणा प्रताप ने अकबर के द्वारा किये गये हमलों वा दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए अपनी बीरागना माता के दूध की लाज रखी तथा मुस्लिम मेना के बर्बरतापूर्ण खून-खराबे, नर-सहार तथा लूट-खोट के बीच भी सदा हिन्दू राष्ट्र-ध्वज ऊपर उठाये रखा। उमपर अनेक अन्याय और अत्याचार किये गये और कई बार उसे निराशा और निराथयता के गर्त में झोकने की कुश्चेष्टाएँ की गईं। इसका एकमात्र कारण प्रत्येक राज्य को मुगलिया सल्तनत के अन्तर्गत करने के लिए उनके माथ नीचनापूर्ण सन्धि करने की अकबर की कभी न तृप्त होने वाली-लिप्सा थी।

अकबर की खुली तलवार से सन-विक्षन छोटे-छोटे राज्यों (जागीरों) में कल्पनाम, लूट-खसोट, बलात्कार, आगजनी, तबाही एवं वरचादी के साथ औरतों को उठा ले जाने के कृत्य, मनुष्यों को गुलाम घनाने तथा हिन्दू मन्दिरों को धारिवान करते हुए उन्हें मस्जिदों में परिवर्तित करने सम्बन्धी गर्दणीय दुष्कर्म किये जाते थे। इसके शिकार चित्तीड़, रणधर्मोर, कालिंजर, गुजरात, बगाल, बिहार, उडीसा, बंश्मीर, सानदेश, अहमदनगर, असोर-गढ़, वासवाडा, झूंगरुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, काबुल, नगरकोट, बुंदी आदि राज्य हुए।

विजित शहुओं ने अकबर किस प्रकार धन-सम्पत्ति एवं उनकी तात्पर्यी नज़राने के रूप में यमूल किया करना या इसके साप्ट संतों वूंदी के सरदार राय मुरजन हाडा के साथ की गई सधि की शतों के अध्ययन से प्राप्त होते हैं। राय मुरजन को धोने में रक्खकर तथा विभिन्न प्रलोभन देकर रणधर्मोर वा दुर्ग समर्पित करने और मुगलिया सत्सनत की अधीनता स्वीकार करने वो फुलाया गया। इसके लिए उसे मुछ विदेष छूट देने की बात बही गई। राय मुरजन हाडा रखी गई सधि की शते इस प्रवार थी — (एनल्स एण्ड एटिकिवटीज आफ राजस्थान, सें० कन्नेन टाड, खण्ड २, पृ० ३८२-८३)

(१) शाही हरम के लिए ढोला भेजने सम्बन्धी राजपूतों के लिए अपमानजनक परम्परा में वूंदी के सरदारों को मुक्त किया जाये।

(२) जिजिया वर से छूट प्रदान की जाये।

(३) वूंदी के सरदारों को अटक पार करने को विवश न किया जाये।

(४) नौरोज़ के उत्सव पर शाही महल में लगने वाले मीना बाज़ार में वूंदी के जागीरदारों वो अपनी पत्नियों तथा अन्य महिला रिश्नेदारों वो प्रदर्शनी रखाने के लिए भेजने की परम्परा से मुक्त किया जाये।

(५) दीवान-ए-आम में प्रवेश घरने समय उन्हे अस्व-शस्त्रों से पूर्ण रूप से सजिंत होकर प्रवेश घरने की विदेष गुविधा होनी चाहिए।

(६) उनकी पवित्र देव-प्रतिमाओं और पवित्र स्थानों को आदर की दृष्टि से देता जाये।

(७) उन्हे कभी भी विसी३हिन्दू पदाधिकारी के अधीन न रखा जाये।

(८) उनके घोड़ों पर शाही मुहर नहीं दागी जाये।

(९) उन्हें साल दरवाजे तक राजधानी को सड़कों में तगड़े बजाने की अनुमति प्रदान की जाये तथा दरखार में प्रवेश करते समय उन्हें दड़वत् (कोनिस) करने का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए।

(१०) बादशाह के लिए जैसे दिल्ली राजधानी है, वैसे ही हाड़ाओं के लिए बूँदी होनी चाहिए तथा बादशाह को उनकी राजधानी न बदलने का आश्वासन देना चाहिए।

उपर्युक्त सधि की शर्तों के अध्ययन के बड़े दूरगामी परिणाम निकलते हैं। पहली शर्त से यह परिलक्षित होता है कि अकबर पराजित शत्रुओं को बलपूर्वक अपने अधीन करते समय उन्हे अपनी नारियाँ शाही हरम में भेजने के लिए वाध्य किया करता था। यदि पराजित शत्रु मुसलमान होते थे तो स्वाभाविक रूप से उनके हरम की ओरतें 'विजयी' के हरम में शामिल कर ली जाती थीं। यदि विजित शत्रु कोई हिन्दू होता था तो उसे उसके परिवार की सुन्दर नारियाँ अकबर, उसके पुरुषे तथा उत्तराधिकारियों के शाही हरम के लिए समर्पित करने हेतु विवश किया जाता था। इस प्रकार की धृणित परम्परा का पालन करने के लिए वाध्य होने के कारण हिन्दू सरदारों में प्रबल विरोध तथा विक्षोभ की भावना थी ज्योकि मुसलमानों तथा हिन्दुओं की जीवन-पद्धति तथा रीति-रिवाजों में आकाश-पाताल का अन्तर था। मुसलमान हत्या, कल्नेबाम, भ्रष्टाचार, धोवेबाजी, पट्यन्त्रों और प्रति पट्यन्त्रों की धोजनाओं में तत्त्वीन रहा करते थे। वे अफीमची तथा शराबी थे, उनका जीवन अशिक्षा एवं बर्बरता के बातावरण में व्यतीत होता था। इसके विपरीत हिन्दू धर्म-भौरु होते थे। वे शान्त, पवित्र एवं धार्मिक जीवन व्यनीत करते थे।

भारतीय इतिहासकारों को यह विश्वास करने को कहा जाता है कि डोला भेजने का तात्पर्य विवाह था; किन्तु सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर पता चलता है कि डोला भेजने का तात्पर्य विवाह न होकर उससे सर्वथा पृथक् एक धृणित वृत्त्य होता था। डोला भेजने की अधिकाश घटनाएँ हिन्दू ललनाओं के खुल्लमखुल्ला अपहरण अथवा दबाव ढालकर भगा ले जाने के वृत्त्यों से सम्बन्धित थीं। यही कारण है कि इन घटनाओं से सम्बद्ध समस्त क्रियान्वयन (?) एक ही दिन में सम्पन्न हो जाते थे। 'डोला'

शब्द यद्यपि एकवचन का सूचक है, तथापि इसका अर्थ एक ही युक्ती से युक्त एक पालकी नहीं लेना चाहिए। 'डोला' का अर्थ वटुवचन के हप मे समुदायवाचक संज्ञाका अभिसूचक होता था। इससे यह अर्थ घटित होता है कि मुस्लिम विजेता विजित जन्मओं को इतनी पासविया (शिविकाएँ) भेजने का आदेश दिया करते थे, जिनमे उनके स्वयं के लिए, उनके पुत्रों एव दरबारियों के लिए, स्त्रियों होती थी। हिन्दू-धर्मानुसार पवित्र परिणय की पद्धति मे बन्धा थो आदर के साथ विदा किया जाता है और वैसे ही मम्मानदनक दण से दर-पक्ष द्वारा ग्रहण दिया जाता है। ऐसी हृदय-विदारक अपहरण की घटनाओं को विवाह की सज्जा देना ऐतिहासिक सत्य को छिपाना है। उसका उपहार करना है। हिन्दू-धर्म की विवाह-पद्धति मे हिन्दू नारी को सभी प्रकार वी सुरक्षाएँ एव प्रतिष्ठा प्रदान की जाती है। उसे परिवार मे महत्वपूर्ण स्थान तथा पूर्ण नारी स्वातन्त्र्य प्राप्त होता है। मुस्लिम हरमों के लिए अपहृत की गई हिन्दू नारियां को पर्दा-दर-पर्दा महलों के आन्तरिक भागों मे बद्द कर दिया जाता था। उनकी उन्मुक्त स्वर-कोविला वन्दिनी बना दी जाती थी। उन्हें अपने पितृगृह जाकर अपने परिवार के लोगों से भी मिलने को अनुमति नहीं दी जाती थी, न ही अपने भूतपूर्व हिन्दू रिश्तेदारों से उन्हें किसी प्रकार का सम्बन्ध रखने का अधिकार होता था। विजित वी गई औरतों से भरे हुए हरम मे शृणार-प्रसाधन उपलब्ध होने की तो बात दूर, उन्हें नियमित हप मे खोजन आदि भी प्राप्त होने की आशा नहीं होती थी। हमारे बतेमान युग मे भी अभी हाल ही मे निजाम के हरम की औरतों की दयनीय स्थिति प्रकाश मे आई है। उनकी दण इतनी बहुताजनक थी कि उनके बालों मे जूँ पड गई थी, पर उन्हें अपने बाल मवारने के लिए एक माझा तेल भी प्राप्त नहीं होता था। अधिकार मामलों मे हरम की औरतें परिष्पर, बादशाह द्वारा तथा महीनक वि भूत्यवर्ग द्वारा भी पूणा की दृष्टि से देखी जाती थी। मुस्लिम हरम दणायेत, पासाचारों तथा पह्यन्दों के बेन्द्र होने थे। कभी-कभी हरम की राजकुमारियों की हत्या बरसा दी जाती थी अथवा उन्हें जहर दे दिया जाता था, जैसाकि हम जहाँगीर की पली जप्पुर की राजकुमारी मानवाई के मामले मे देखते हैं। यद्यपि उसका भरना भाई अवबर के दरबार मे एक उच्च पदस्पद दरबारी था, फिर भी वह अपनी बहन की रक्षा न कर सका।

अकबर के समय के गूरोपीय विवरणों में इस प्रकार के तथ्य साक्ष्य के रूप में प्राप्त होते हैं कि हरम की ओरते मुसलमान दरबारियों को उनके बनो-चित्यपूर्ण तथा गुप्त प्रेम के कारण उपहार के रूप में प्रदान की जाती थी। अतः इस प्रकार के समस्त तथ्य कि अकबर हिन्दू सरदारों के साथ वैद्वाहिक सम्बन्ध स्थापित करने को इच्छुक रहता था, तथाकथित विवाहों के पीछे उसका एक महत् सराहनीय उद्देश्य होता था, पूर्णतः निराधार हैं तथा इनमें कोई ऐतिहासिक सगति नहीं है।

रणध्नी की सन्धि की दूसरी शर्त में यह प्रकट होता है कि अकबर ने घृणित जिजिया कर समाप्त कर दिया था, यह एक गलत धारणा है। अन्यथा सन्धि की शर्तों में इसका उल्लेख न होता। अगले पृष्ठों में हम इसकी व्याख्या करेंगे कि हिन्दू सरदार जो अकबर के दरबार में उपस्थित होता था, यह याचना करता था कि उसे जिजिया कर देने से छूट दी जाये। प्रत्येक मामले में अकबर के सम्बन्ध में यह वहा जा सकता है कि उसने जिजिया कर को प्रत्यक्षतः समाप्त करने के लिए उदार हृदय से आदेश दिए। किन्तु उन आदेशों का यह तात्पर्य नहीं होता था कि उन्हें परिपालित भी किया जाये। ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं, जिनमें अकबर ने जिजिया कर को समाप्त करने को घोषणा की और उनमें से कुछ मामलों में छूट दी गई, किन्तु अधिकाशतः उसके आदेशों का मन्तव्य दरबार में उपस्थित सरदार को प्रसन्न करना तथा दरबार से सन्तुष्ट करके बाहर भेजना होता था। दरबार की ओर पीठ होते ही, हिन्दू सरदारों के बहाँ से जाते ही उन आदेशों को पूर्ण करने का कष्ट कौन उठाता? यह पूर्णतः सन्देहास्पद है कि बूँदी की प्रजा तथा बहाँ के सरदार अधिक काल तक स्वयं वो जिजिया कर से मुक्त रख पाये होंगे। प्रायः ऐसा हुआ है कि जिन शर्तों पर मुसलमान सन्धि के लिए सहमत हुए, उन्हें स्वीकार करने के पीछे उनके दमन करने की ही नीति रही। एक बार दमन अथवा पराजित करने का कार्य जैसे ही पूर्ण हुआ, शर्तें हटा ली जाती थी। मुसलमान उनकी ओर ध्यान भी नहीं देते थे तथा विजित हिन्दू सरदार अपने-आपको पूर्ण गुलामी की स्थिति में पाते थे।

बूँदी के प्रधान द्वारा यह मांग कि उसके सरदारों को सिन्धु (बटक में) पार करने के लिए बाध्य न किया जाये, सम्बन्धी शर्त की प्रायः ऐसी

व्याघ्रा की जाती है कि चूंकि उस युग के हिन्दू अत्यधिक बहुरहोते थे, अतः हिन्दुस्तान की सीमाओं को सीधकर बाहर जाने के प्रति उन्हें आपत्ति हुआ बरती थी। यह पूर्णतः गलत व्याख्या है, जिसकी कोई तात्कालिक सम्भावना नहीं है। हिन्दू धर्म वी ओर से देश की सीमा को लाँघकर बाहर जान सम्बन्धी कोई प्रतिवन्ध नहीं है। स्मरणीय है कि एर समय भारत के क्षत्रियों ने भारतीय सीमाओं के बाहर भी अपनी महत् विजयों के बीति-स्तम्भ स्थापित किये थे। इन्ही क्षत्रियों के थेटे राजपूत थे। स्पष्ट है कि अपने पूर्वजों की विजयों में उन्हें युद्ध की प्रेरणा मिलती थी तथा भारत के बाहर भातृभूमि के गोरव के लिए मुद्द करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। बूँदी के प्रधान द्वारा उन्हें भारत की सीमा के बाहर न भेजने सम्बन्धी मांग वा तात्पर्य के बल इतना ही था कि उन्हें आश्वस्त किया जाये कि उन्हें निषेध अथवा प्रतिभू या दाम के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जायेगा। हिन्दु-स्तान के बाहर मुस्लिम प्रभुसत्ता को परिषुष्ट बरने, उनकी विजयों के लिए तथा हिन्दुस्तान में उनके साम्राज्य के लिए गुलाम के रूप में वे बायं बरने के इच्छुक नहीं थे। हिन्दू सरदार बाहरी देशों में 'मुस्लिम परामर्श' बढ़ाने के लिए अपने जीवन की बाजी लगाने को प्रस्तुत नहीं थे। यह भी स्मरणीय है कि यदि उन्हें भारत में जीवित बायम लौटने की आशा भी होती थी तो भी ऐसी स्थिति में यह आवश्यक नहीं था कि वे अपने बाल-बच्चों तथा अन्य मम्बिधियों को मुरक्कित ही पाने। महाबन यों, जो पहले एक राजपूत था बिन्नु बाद में जिसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, जब कानून में जहांगीर के लिए मुद्द बर रहा था तो उसकी पत्नी तथा उसके बच्चों को उनके निवास-स्थान से निवास बाहर बर दिया गया, यद्यपि शाहजादे परवेश के लिए स्थान की आवश्यकता महसूम की गई। इस प्रदार वी निप्पिरनामूर्ण धूर्तता, स्वेच्छाचारिता, अपहरण तथा सूट-स्नोट से भयभीत होने के कारण हिन्दू सरदार अपने परिवार को छोड़ने तथा दूरस्थ स्थानों में मुमलमानों के लिए मुद्द आदि करने से पराइ-मुख होने थे। मुस्लिम फौजों वे साथ दूरस्थ मुस्लिम देशों में जाने पर दबाव तथा यातनाओं की धमकियों से उन्हें धर्म-परिवर्तन का भी शत्रा होता था। इन्ही सब बारणों में हिन्दू मुमलमाना के अनुचर बनकर मिन्दु वो पार करना पगान्द नहीं करते थे।

मन्दिर की इस शर्त से कि बूँदी के सरदारों को मीना बाजार में अपने परिवार की महिलाओं को न भेजने की छूट दी जाये, यह सिद्ध होता है कि अकबर के अधीनस्थ मध्मी दरबार तथा दरबारी अपनी मुन्दर पत्नियों, कन्याओं एवं बहनों को उस वार्षिक समारोह में भेजने के लिए वाप्ति किये जाते थे। अकबर उन सबके सतीत्व एवं शील से उम्मुक्त जगत्य चीड़ा किया करता था।

मन्दिर की इस शर्त से कि बूँदी के सरदारों को शाही महल में अस्त्र-शस्त्रों से सज्जित होकर प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाये, ऐसे सकेत प्राप्त होते हैं कि मुसलमानों के महलों के द्वेष में जब वे प्रवेश करते थे तो उन्हें अस्त्र-शस्त्र विहीन कर दिया जाता था। मुस्लिम बादशाहों द्वारा ऐसा प्रबन्ध इसलिए किया गया कि आवश्यकता पड़ने पर धोखा देकर उन पर आत्मण लिया जा सके, उनकी हत्या करवाई जा सके अथवा बन्दी या बन्धक के रूप में उन्हें पकड़कर इच्छानुसार अपमानजनक शर्तें मनवाई जा सकें। मुसलमानों के इतिहास में इस प्रकार के मामले नित्य की घटनाएँ हो गई थीं।

बूँदी राज्य के अन्तर्गत पवित्र देव-स्थानों को दूषित एवं नष्ट-भ्रष्ट नहीं किये जाने सम्बन्धी शर्त से स्पष्टतः यह सिद्ध होता है कि अकबर के ममय में हिन्दुओं के धार्मिक देवालय तथा मन्दिर स्वच्छन्दतापूर्वक मस्जिदों, मुस्लिम महलों, घुडसालों अथवा देश्यालयों में परिवर्तित किये जाते थे। बदायूँनी ने शिकायत की है कि अकबर ने मस्जिदों को घुडसालों में परिवर्तित किया अथवा हिन्दू दोवारिकों की नियुक्ति की तो उसका तात्पर्य बेबल इनना ही है कि जिन हिन्दू प्रासादों एवं मन्दिरों को मुस्लिम फौजी जत्यों ने जीता उन्हें विजय की पहली लहर में मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया, बाद में इन्हें मुसलमान दूसरे उपयोगों में लाये। एक व्यावहारिक एवं महस्त्वानुभ्वी बादशाह होने के कारण अकबर यह वर्दाश्त नहीं कर सकता था कि समस्त विजित हिन्दू भवनों को मस्जिदों में ही परिवर्तित किया जाए। वह उन्हे दूसरे उपयोगों में भी लाना चाहता था। बहुत धर्मान्ध मुसलमान होने के कारण बदायूँनी यह चाहता था कि अधिकाश विजित भवनों को, विनेपकर हिन्दू मन्दिरों एवं देवालयों को मस्जिदों के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। अकबर ऐसी अनुमति नहीं दे सकता था कि

भव्य हिन्दू मन्दिरो एव प्रामाणी को मस्जिदो में ही परिवर्तित किया जाये, जबकि उसे उन मन्दिरो एव प्रामाणी की अन्य अस्थायी उपयोग में साने की आवश्यकता पड़ती थी। अब्दर भी उतना ही धर्मान्ध मुसलमान था, जिनका कि वदायूनी। वह कभी सप्ते में भी नहीं सोच सकता था कि किमी भूतपूर्व वास्तविक मस्जिद को सराय अपवा वेश्यालय में परिवर्तित किया जाये।

बूंदी के प्रधान की यह माँग कि उनके घोड़ो पर शाही मुहर दागने की परम्परा से उन्हें मुक्त किया जाये, मे यह प्रदर्शित होता है कि अब्दर के शासनकाल में उस प्रत्येक नागरिक को, जो घोड़े रखता था, वाद्य किया जाता था कि वह अपने घोड़े पर शाही मुहर लगाये। लोगों को गुलाम बनाने की यह एक अत्यन्त ही धृणित पद्धति थी। इसमें प्रत्येक व्यक्ति शाही गुलाम हो जाता था। युद्ध के समय उन व्यक्तियों को, जिनके घोड़ों पर शाही मुहर दगी होनी थी, वाद्य किया जा सकता था कि वे एक विदेशी मुसलमान बादशाह के लिए लडाई लड़ते हुए अपने जीवन को बाज़ी लगायें। घोड़ों पर शाही मुहर दागने का मतलब ही यह था कि घोड़े रखने वाले व्यक्तियों को बादशाह का गुलाम बनाया जाये—उन्हें शाही भेवा के लिए विवर किया जाये।

बूंदी के प्रधान द्वारा शाही महत तक उनके आगमन के मूलनायं नवहारे बजाने की अनुमति दी जाने की माँग करने का तात्पर्य यह है कि उन्हें आश्वस्त किया जाये कि उनके राजकीय अधिकारों का अपहरण नहीं किया जायेगा तथा वे उसका उपभोग करने के लिए स्वतन्त्र रहेंगे।

बूंदी को राजधानी रखे जाने सम्बन्धी शर्त में यह अभिप्राय था कि उन्हें यह आश्वासन दिया जाये कि उन्हें उनके पुराने निवास-स्थान में निष्पामित नहीं किया जायेगा, वयोंकि इन स्थानों में उन्हें अपनी प्रजा का बादर एव मम्भान प्राप्त होता था। अन्य सर्वथा अपरिचित स्थानों में उनके जाने का तात्पर्य था पूर्णत मुस्लिम बादशाहों के आधित होना तथा उनके गुलाम बनना। बूंदी के सरदार यह नहीं चाहते थे कि राजधानी परिवर्तन के साथ वे ऐसे स्थानों में जायें जहाँ की जनता उनके लिए अपरिचित हो।

रणथम्भोर की सन्धि के इस विश्लेषण से ऐसी विभिन्न धृणित पद्धतियों

का पता चलता है, जिनके द्वारा अकबर के शासनकाल में समस्त विजित सरदारों की हस्ती मिटाकर थोड़े समय में ही उन्हे ऐसी अंकिचन स्थिति तक पहुँचा दिया गया, जिससे कि मुस्लिम बादशाह भारतीय महिलाओं, धन-मम्पत्ति तथा नगर-प्रान्तों का स्वच्छन्द उपयोग कर सकें। निष्कर्षत अकबर की विजयों का उद्देश्य भारतवर्ष को एक संगठित साम्राज्य अथवा राष्ट्र के रूप में संयुक्त करना नहीं था, अपितु अपने स्वेच्छाचारी शासन-तन्त्र के अन्तर्गत वह यहाँ के राज्यों का दमन करना चाहता था। “अकबर. दी ग्रेट मुगल” पुस्तक के पृष्ठ ५ पर विसेंट स्मिथ का यह कथन कि “विभिन्न राज्यों को हड्डपने की अकबर की लिप्सा उसकी राजोचित महत्वाकांक्षा का परिणाम थी,” जिसे फौजी ताकत का पूर्ण समर्थन प्राप्त था, एक समुचित निष्कर्ष है तथा इससे उनकी इतिहास सम्बन्धी वृद्धिमत्ता, अतिभा एवं अन्तर्दृष्टि परिलक्षित होती है।

## लूट-खसोट का अर्थ-व्यवस्था

मध्ययुगीन भारतीय इतिहास सम्बन्धी पुस्तकों में बहुधा रचिया, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोजशाह तुगलक, गोरशाह तथा अब्दुर ज़ैने मुसल्ल-मान बादशाहों के शासन-कानून की राजस्व-व्यवस्था के विषय में विस्तृत उल्लेख प्राप्त होते हैं। इस प्रवार के समस्त वर्णन कानूनिक एवं साम्प्रदायिक हैं जिनमें सत्य ही पूर्णतः उपेक्षा की गई है। इन वर्णनों का विश्लेषण करने से उस समय के दरवारी तिथियकृत खेलों को मन स्थिति का विचित्र मिलता है। उनके अधिकांश वर्णन अन्य ऐतिहासिक साझों से परिपूर्ण नहीं होते।

भारतवर्ष में मोहम्मद-दिन कामिन्द से लेकर मुम्लिम ज्ञानन के अन्त अर्थात् सन् १८५८ ई० तक विना किसी अपवाद के विसी भी भूस्तिम बादशाह के शासन-कानून में बोई व्यवस्थित राजस्व-प्रणाली नहीं थी। उनकी अर्थ-व्यवस्था लूट-पाट की थी जोकि प्रायः तथा परोऽपि रिवन, मूदखोरी और विभिन्न प्रवार वे करो पर आधारित थी। उनके बामेचारो हिन्दू सरदारों की मृत्यु पर उनके उत्तराधिकारियों वे होते हुए भी उनकी मम्पूर्ण सम्पत्ति हस्तगत बर सेते थे। इस प्रसार उनके सजाने की वृद्धि होती थी। संनिव शविन वो वे लट-खसोट और डाकाढनी वे लिए बाम में लाते थे। मुद्रोमरण तहनुओं की घन-सम्पत्ति दरवारियों में वट जानी थी एवं व्यभिचार में लुटा दी जाती थी। सजाना खाली होने पर सुटेरों की सेना किर लूट-खसोट के अभियान पर निवाल जाती थी। बड़ा ऐसी स्थिति में नियमित अर्थ-व्यवस्था सम्भव हो गवनों थीं ?

शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत राजस्व-प्राप्ति एवं मान्य नदा बानूनी-यद्वनि होती है। राजस्व में प्राप्त घन-रागि जन-वस्त्यान पर राज्य की जानी है। भारत में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने, जनता की

मुरक्का तथा अन्य आवश्यक एवं आधारभूत सेवाओं में उपयोग करने के लिए ही राज्य को राजस्व प्राप्त करने का अधिकार होता है। ऐसी मान्यता भी है कि विभिन्न करों एवं प्राप्तियों के कतिपय सिद्धान्त होते हैं। उदाहरण के लिए आय का एक निश्चित प्रतिशत कर आदि के स्वरूप में निर्धारित होता है। कर की प्राप्ति की एक निश्चित अवधि भी होती है। यदि विसी व्यक्ति से अन्यायपूर्वक कर बगूल किया जाता है तो उसकी न्यायिक जाँच की भी व्यवस्था होती है। भारतवर्ष में मुस्लिम शासनकाल में जिमे राजस्व-व्यवस्था की सज्ञा दी गई है, उसके अन्तर्गत इन सिद्धान्तों अथवा नियमों में से किसी का भी परिपालन नहीं किया जाता था। मुसल-मानों की राजस्व-व्यवस्था का तात्पर्य लूट-खसोट एवं शोपण था।

भारतवर्ष में मुस्लिम शासकों की यह प्रवृत्ति थी कि लूट-खसोट और शोपण जारी रहे क्योंकि इसके अतिरिक्त वे कुछ और कर ही नहीं सकते थे। भारतीय जनता और भूमि के प्रति उन्हें कोई सदृभाव नहीं था और न ही वे अपने कुकूलों के लिए भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी थे। वे तो केवल कुरान को ही मान्य समझते थे। उनके आधार और प्रकाश-स्तम्भ मेघवा और मदीना थे। वास्तव में, वे भारतीय जनता से धूणा करते थे। वे कभी उन्हे 'हिन्दू' कहकर नहीं पुकारते थे। यहाँ की स्थानीय जनता को वे कतिपय आपत्तिजनक नामों; भया—काफिर, बदमाश, गुलाम, चोर-ढाकू एवं नीच कहकर मम्बोधित करते थे—भारतीय जनता के प्रति जब उनका यह भाव था तो व्या यह सत्य प्रतीत नहीं होता कि वे हिन्दुओं को केवल दण्डित करना, उनका शोपण करना तथा बलपूर्वक उनकी धन-सम्पत्ति हस्तमत करना ही अपना धर्म नमझते थे। भारतीय इतिहासकारों को इस वास्तविकता को स्वीकार करने में लज्जा का अनुभव क्यों होता है?

एक दूसरी महत्वपूर्ण विचारणीय बात यह है कि मुस्लिम शासनकाल से सम्बन्धित अभिलेखों एवं ग्रन्थों में हम यह देखते हैं कि मुस्लिम बादशाह अपने ही रिश्तेदारों से, विद्रोही सेनापतियों से तथा हिन्दू राजाओं से सदैव युद्ध में व्यस्त रहते थे। इन युद्धों में लूट-पाट तथा दोनों प्रतिस्पर्धी दलों द्वारा स्थानीय जनता पर आक्रमण आदि की घटनायें उस युग की सामान्य चात थी। युद्ध करने वाले मुस्लिम बादशाहों के प्रतिस्पर्धी दलों में वहुधा

उनके सम्बन्धियोः यथा—दारा, शुजा, औरगजेव तथा मुराद जो ही हम पाते हैं। इस प्रकार सदैव युद्ध में सलाम मास्त्राज्य की आधिक व्यवस्था का लूट-खसोट से प्राप्त धन-राशि पर निर्भर रहना सम्भव था।

अकबर, फिरोजशाह तुगलक, शेरशाह अथवा तैमूरखण जैसे मुस्लिम बादशाह अयदा आकामकों के शामन में सम्बन्धिन विवरणों में जो हम प्रबार के उन्नेख प्राप्त होने हैं कि उन्होंने मड़कों का निर्माण कराया तथा राजपथों के बिनारे योड़ी-योड़ी हूर पर धर्मंजला आदि की स्थापना की, विल्कुल निराधार है। वस्तुत भारतवर्ष में हिन्दू शासकों ने खपनी प्रजा की मुविधा के लिए जो निर्माण-कार्य विधे थे, मुस्लिम बादशाहों ने उन्हीं का उत्तेज अपने नाम से करवाया। मुस्लिम शासकों द्वारा धर्मार्थ विधानिगृह बनवाने मध्यन्धी उनके दावों को मरण माना जाये तो ममस्त राजपथों के दोनों बिनारों पर उन भवनों की अवधित शृखला मिलनी चाहिए थी, बिन्हु ऐसा खोई भी भवन या उभया भग्नावशेष दिखलाई नहीं देता। मुस्लिम बादशाहों ने तो बैवल बिनाश विद्या था। उनकी बिनाश-सोला वा एक उदाहरण यह है कि पूर्ववर्ती हिन्दू सासकों ने राजपथों के बिनारे पथिकों की मुविधा के लिए जो वृक्ष लगवाये थे, उन्हें आकामक मुसलमानों ने इंधन, नावों, भवानों तथा अन्य उपयोगों के लिए बटवा लिया था।

मध्ययुगीन भारतीय इतिहास के सद्वर्धमें विभिन्न परीक्षाओं के लिए प्रमाणन्वत तंपार करने वाले विद्वान् तथा परीक्षक जहाँगीर, अकबर, शेरशाह, मोहम्मद तुगलक अथवा फिरोजशाह के शामनकाल से सम्बन्धित तथावधित मुद्धारो, जन-बल्यान योजनाओं, राजस्व-व्यवस्था तथा प्रगामन के मिदानों पर प्रश्न पूछकर वास्तव में भारतीय परम्पराओं पर छुटाराधान करते हैं एव अनपेक्षित नस्यों को प्रोत्साहन देते हैं। अच्छा होना यदि छात्रों में शिवाजी तथा राणा प्रताप के शामन के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे जाने कि विद्यम प्रकार उन्होंने मुसलमानों के अनवरन आक्रमणों, नर-भंटारों तथा विद्वानों का प्रतिरोध करते हुए भी शामन की मुकार ध्यवस्था जन-बल्यान के लिए की एव विद्यम प्रकार उन्होंने जन-आमाज्य का प्रेम एव शक्ति प्राप्त करते हुए उनके हृदयों पर राज्य किया? विदेशी आक्रमणों के सहस्रों बर्षों के भीषण उत्पात, विष्वव एव विद्युम के बावजूद मातृभूमि के लिए बलिदान की प्रेरणा दी। इतिहास के रिकाक तथा

विद्वान् अपनी भद्राशयता का परिचय देते हुए हिन्दू शासकों के सम्बन्ध में इन प्रभार के प्रश्न पूछ सकते हैं।

भमस्त मुमलमान बादशाही में अक्वर को सबथ्रेष्ठ माना जाता है। अतः यदि हम यह सिद्ध करें कि उमका प्रशासन लूट-खसोट, व्यभिचार एवं खून-न्वरावे पर आधारित था तो यह उम पारस्परिक विचारधारा पर एक घानक प्रहार होगा जिसके अनुमार यह माना जाता है कि भारतवर्ष में मुस्लिम प्रशासन व्यवस्थित था तथा वे जन-कल्याण के लिए चिन्तित रहा करते थे।

धर्मान्ध चाटुकार मुमलमान दरवारी इतिवृत्त लेखक वदायूनी का कथन है—“(अक्वर) बादशाह ने सरहिन्द के मुस्ता मुज़दी को राजस्व विभाग का प्रधान तथा इस्नाम शाह को पेशकार बना दिया। भमशेर खाँ को उमने राजकोप का अधीक्षक बनाया। वे जन्म से ही दुष्ट थे।…… इन्होंने सभी प्रकार के दमन एवं स्वेच्छाचारिता में काम किया तथा सेना को इनना उत्तेजित कर दिया कि विवश होकर मामूल खाँ को विद्रोह करना पड़ा।”<sup>1</sup>

‘उपर्युक्त उद्धरण में ‘राजस्व’ शब्द से आशय उम राजि से है जो बल-पूर्वक तथा यातनाएँ देकर बमूल की जाती थी। इम बसूली के लिए सभी प्रकार के छन-प्रपचों वा आथ्रय लिया जाता था एवं सेना की भी सहायता ली जाती थी।

वदायूनी ने यह भी स्पष्ट उल्लेख किया है—“इसी वर्ष (हि० स० ६८७) बगदाद के बाजी अली ने, जिसकी नियुक्ति शेख अब्दुल नबी के होने वे बाबजूद भी भूमि की व्यवस्था तथा उमपर कब्जा रखने वालों की देख-रेख के लिए की गई थी, उन्हे (अनुदत्त भूमि पर अधिकार रखने वालों को) दरवार में पेश किया तथा उनकी अधिकाश भूमि को अपने कब्जे में कर लिया एवं कम उपजाऊ भूमि उनके पास रहने दी।”

मक्के की तीर्थ यात्रा के लिए बादशाह ने कुछ धन-राशि अब्दुल नबी को दी थी। उमने वह राशि यात्रा पर खर्च नहीं की, इमका उल्लेख करने हुए वदायूनी ने पृ० ३२१ पर लिखा है—“शेख अब्दुल नबी फतेहपुर आया तथा वहाँ उसने कुछ असिष्ट भाषा का प्रयोग किया। भावावेश पर बायू पाने में असमर्य बादशाह ने उसके मुंह पर आधात किया। तब मक्के

की तीर्थ यात्रा की मात्र हजार स्पष्टे की राशि का भुगतान न करने वे उपलक्ष्य में उसे बन्दी बनाकर राजा टोडरमल को सौंप दिया गया। कुछ समय वे निए उमेरे कार्यालय के गणना-काम में बन्दी रखा गया। एक रात्रि जन-समूह ने उसकी हत्या कर दी।"

बदायूँनी का कथन है, "हि० स० ६६० में सैयद भीर फतेह उल्ला फतेहपुर आया। सदर के पड़ पर उने निवृत्त करते हुए उसका सम्मान किया गया। काट-छाटकर गरीबों की भूमि उच्च करने का काम उसे सौंपा गया।

हि० स० ६६१ में अबवर ने एक हुबमनामा जारी किया कि अभीर या गरीब मधी नज़राना पेश करने आयें।"

बदायूँनी ने लिखा है कि हि० स० ६६२ में अबवर ने आदेश किया कि मधी परगनों में पट्टे की भूमि पर अधिकार रखने वाले जबतक अनुदान, आवश्यक भत्ते तथा वेशन का फरमान सदर के निरीक्षण एवं सत्याग्रह के निए पेश न करें, तबतक उनकी धारिता मान्य न ममझी जाये। इसके लिए भारत के पूर्वी छोर से लेकर पश्चिम में मक्कान (मिस्थु) तक वे स्तोम अन्यधिक सद्या में दरबार में उपस्थित हुए। यदि उनमें से किसी का जक्किनासी कोई मरक्कार बादशाह के निवट मिक्कों में होता था तो वह अपने मामले को आमानी से मुक्का लेता था, अन्यथा मेखों के प्रधान सैयद अब्दुल रमूल को नज़राने प्राप्त होते थे। जो मिक्कारिये या नज़राने नहीं जुटा पाते थे, वे बरबाद हो जाने थे। जिनके ही भूमि-पट्टाधारी अपने लक्ष्य की पूर्ति के पूर्व ही हजारों की सड़या में उपस्थित गोगों की भीड़ में गर्भी के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। यद्यपि बादशाह को इनकी मूरचना प्राप्त हो गई थी परन्तु किसी को भी यह माहस नहीं हुआ कि वह उन्हें बादशाह के सामने पेश कर सके।

बदायूँनी का कथन है कि "देश के मधी परगनों की भूमि—उपजाऊ, बजर, नहरी, कुएँ वाली, पटाड़ी, रेतीली, जगनी—की पंमाइश कराई गई। जितनी भी भूमि हृषि-योग्य थी उसे एक-एक करांड़ मृप्ये कर वारी भूमि के टुकड़ों में बाँटकर उम्पर एक-एक 'करोड़ी' अधिकारी नियुक्त किया गया। इन करोड़ियों की जमानत ले ली जानी थी। इन बांगोटियों के नामच के कारण अधिकाश भूमि पर मेनी नहीं होनी थी। भूमि-वर गी

बमूली के अत्यावार के कारण किसानों की परिनियां और बच्चे बिक जाते थे और मजबूर होगार वे दूसरे स्थानों को चले जाते थे। इस प्रकार सब अव्यवस्था हो गई थी परन्तु राजा टोडरमल ने अधिकाश करोड़ियों की सजाए दी। भूमिकर अधिकारियों की शृंखला के कारण बहुत से अच्छे करोड़ी मारे गये। उनको कब्ज़ा और कफ़ल भी न मिला। देश की सारी भूमि जागीरों के हैं में अमीरों के कब्ज़े में आ गई। अमीरों का दावित या कि वे बादशाह की सहायता के लिए एक निश्चित सेना रखें एवं जन-सामान्य के हिनों का ध्यान रखें परन्तु उन्होंने इन दोनों कारों के प्रति उपेक्षा दिखलाई और अपने खजाने भरे। आपस्तकाल में वे अपने सेनिकों गहित उपस्थित अवश्य होने से परन्तु उनके राजिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होते थे।<sup>1</sup>

इस उद्घरण का गतकैतापूर्वक विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने निरकुमा स्वामी अकबर के प्रतिनिधि टोडरमल द्वारा लाए की गई भूमि-कर पद्धति गृणकों को यातनाएँ दिये जाने पर ही आधारित थी। भूमिकर चुकाने के लिए उन्हें अपने बीबी-बच्चे बेचने पड़ते थे। कहर यातनाएँ महते-महते उनके प्राण-भ्रस्त भी उठ जाते थे। भारतीय इतिहास के पृष्ठों से टोडरमल के भूमि सम्बन्धी सुधारों की बड़ी प्रशंसा की जाती है तथा इतिहास के लादों, प्राच्याएँको एवं विद्वानों द्वारा इस क्षूट-ग्राम की नीति के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के काल्पनिक लाने-जाने युने जाते हैं। इस निराधार प्रभिद्विका खण्डन करने के लिए इतिहास-ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। यदि यह भूमि-कर व्यवस्था इतनी ही उत्तम होती तो अंग्रेजी शामन के पश्चात् स्वतन्त्र भारत में इसे तुरन्त अपना लिया जाता। यह तो तकन्मात्र है। बमा एक के बाद दूसरे टिन्हु राज्य को क्रूरतापूर्वक हड्डपने और लूटमार से घन-भ्रह करने वाले किसी विदेशी शासक में उदारतापूर्ण भ्रामन की आगा की जा सकती है। भारत के विद्यालयों और विषय-विद्यालयों एवं विश्व में अच्छा भी भारत का जो इतिहास पढ़ाया जाता है, वह तो मात्र विद्यमना है, इतिहास का उपहास है।

इस अत्यंकारी भूमि-सुधार का उद्देश्य केवल यह था कि अकबर वे राज्य की सभी प्रकार की भूमि की पैमाइश करके समान एकड़ हूकड़ों में बांटा जाये और एक करोड़ रुपये भूमि-कर के भागों में विभक्त किया जाये। इस बात का विल्फुल ध्यान नहीं रखा गया कि उस भूमि-भाग में

बुल मिलाकर भी एक करोड़ रूपये मूल्य की उपज हो सकती है अथवा नहीं। किमान एक करोड़ रूपये भूमि-कर तभी दे सकते हैं जबकि उन्हें चार करोड़ की उपज प्राप्त हो। कुछ भूमि बजर भी हो सकती है और यदाकदा अनावृष्टि भी उपज को प्रभावित कर सकती है। समान-भूमि-खण्ड समान उपज देंगे यह भी एक अन्य अनर्थकारी प्रारणा है।

उबन योजना का तीसरा अनर्थकारी पहलू यह था कि वृपकों वा शोषण करने वाले करोड़ी (प्रत्येक भूमि-खण्ड से बादशाह के लिए १ करोड़ राजस्व बमूला करने वाले) नामक ग्रन्थस्थ अधिकारी की नियुक्ति जनता से येन-वेन प्रकारेण उक्त राशि वी बमूली के लिए की जाती थी। इस प्रकार की नियुक्ति से किसानों तथा बादशाह के बीच सम्बन्ध पूर्णतः विच्छिन्न हो जाया करता था। और बादशाह को इपि-थोड़ा और उसकी उपज से कोई सम्बन्ध नहीं रहता था। प्रशासन करोड़ी से एक लाख रूपये प्राप्त करता था। साफ्ट है कि करोड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शिमानों में कम-से-कम दो करोड़ रूपये बमूल दिया करता था, जिसमें में एक करोड़ वह राजवोप के लिए भेजा करता था तथा एक करोड़ अपने पारिश्रमिक के रूप में अपने पास रख लिया करता था। महज ही कल्पना की जा सकती है कि प्रजा पर भूमि-कर का वोझ किनना अधिक रहता होगा? शोषण की यह पद्धति, जिसके द्वारा वृपकों को कम-से-कम दो करोड़ (एक करोड़ बादशाह के लिए तथा करोड़ करोड़ी के लिए) की राशि देने के लिए विवश किया जाया था, त्रूरता की चरणसीमा थी। प्रति वर्ष दो करोड़ का भूमि-कर जुटाने के लिए वृपकों को अपनी भूमि से कम-से-कम आठ करोड़ रूपये मूल्य की उपज प्राप्त करनी अपेक्षित होनी चाहिए थी। क्या यह किसी भी स्थिति में सम्भव हो सकता था?

बादशाह के लिए भूमि के प्रत्येक टुकड़े से एक करोड़ रूपये बमूल करने के लिए करोड़ियों को गुण्डे, बदमाश-न्यायी वी व्यवस्था बरनी पड़ती होंगी? जो प्रजा से बलपूर्वक दो करोड़ की राशि बमूल करने में करोड़ियों की मदद करते थे। इसके लिए बादशाह की वर्दं रेना भी करोड़ियों की सहायता के लिए तत्पर रहनी थी।

उक्त पद्धति का अन्तिम अनर्थकारी वह्यू थह था कि एक बार जो राजि निर्धारित कर दी जाती थी, उसे सदस्त एवं भयभीत जनता से हर

हानि में बसूल किया जाता था। उनपर भीषण अत्याचार किये जाते थे। उनके घर वरचाद कर दिये जाते थे। उनके परिवार के लोगों को मरणान्तक यातनायें दी जाती थी अथवा उन्हें गुलामों के रूप में बिकने के लिए भेज दिया जाता था।

सासार में ऐसी पैशाचिक पद्धति कही भी अस्तित्व में नहीं रही होगी। फिर भी आदर्श बादशाह के रूप में अकबर की प्रशस्ति गाई जाती है एवं उसे देव-तुल्य अनुपम गुण-सम्पन्न माना जाता है।

बादशाह के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए, पैशाचिक भूमि-कर पद्धति के प्रचलित-कर्ता टोडरमल को अत्यन्त धूणा की दृष्टि से देखा जाता था। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, कि, प्राप्त उल्लेखों के अनुसार, कम-से-कम एक बार अवश्य उसकी हत्या का प्रयास किया गया हो।

गुजरात विजय के तुरन्त बाद उबत शोपण-पद्धति को कार्यान्वित करने के लिए टोडरमल को वहाँ भेजा गया। बर्बर मुस्लिम सेनाओं द्वारा उबत प्रान्त पर क्रूरतापूर्ण हमला करने तथा लूट-खसोट करने के तुरन्त, बाद उबत पद्धति वहाँ भी कार्यान्वित की गई। इससे अकबर की भीषण दमन-नीति का परिचय मिलता है। बदायूँनी (पृ० १७४) का कथन है—‘टोडरमल जब गुजरात के लेखों से स्पष्ट आय व्ययक-चिट्ठे को लेकर उपस्थित हुआ, उसे अकबर ने एक तलवार भेट में दी।’ स्पष्ट ही आप-व्ययक के चिट्ठे से तात्पर्य यह है कि बादशाह को गुजरात के हिमाव की अन्तिम पाई तक अदा की गई। गुजरात की निर्लंज विजय के पश्चान् वहाँ की गई लूट-खसोट एवं खून-खराबे से प्राप्त धनराशि भी सम्भवतः बादशाह को पेश की गई।

इम प्रकार का भ्रष्ट और कूर शासन लूट-खसोट से प्राप्त धन-राशि के आधार पर ही चलाया जा सकता था। यह भी ज्ञातव्य है कि लूट-खसोट की धन-राशि बर्बर सैनिकों के बीच वितरित की जाती थी ताकि वे विद्रोह न कर दें। इस प्रकार उन्हें खुश रखा जाता था। नि सदिग्द रूप से यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम शासन काल में लूट-खसोट की धन-राशि का अपव्यय ही किया जाता था, जिस कारण से बादशाह का सजाना भौंद्र खाली रहता था। उसकी स्थिति एक दिवालिये के समान रहती

थी। इस सम्बन्ध में अकबरः दो ग्रेट मुगल पुस्तक के पृष्ठ ४५ पर विसेट स्मिथ का वर्णन है कि एक अवामर पर जब उसने अपने खजांची को १८ रुपये लाने के लिए वहां तो खजांची पर उबत अल्प राशि भी न छुटा सका।

विसेट स्मिथ ने मतानुसार—“अबुल फजल ने (अकबर के) मुधारों की बहुत प्रशंसा की है। दूसरी ओर बदायूंनी ने उसके सर्वथा विरुद्ध उल्लेख किए हैं। अबुल फजल के दरवारी वपटपूर्ण उल्लेखों की अपेक्षा बदायूंनी के उल्लेख सत्य के अधिक निकट प्रतीत होते हैं। मुझे विश्वास है कि भूमि-कर पद्धति पूर्णरूप से अमकल हुई। परिणामस्वरूप कृपयको को याननार्द दी गई एव उनसे प्रूरता का व्यवहार विया गया। अकबर और टोडरमल के मुधारों के इतने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन इतिहासों में मिलते हैं कि बदायूंनी का विवरण पढ़कर स्तम्भित रह जाना पड़ता है। यद्यपि अकबर तथा टोडरमल के प्रति बदायूंनी वा व्यक्तिगत वैमनस्य या तथा अपने मताप्रह के विद्वेष के कारण उनके सम्बन्ध तिक्त हो गये थे, तथापि (मेरे विचारानुसार) यह सम्भव नहीं है कि इस सम्बन्ध में उसके साथ्य को अमान्य बत दिया जाये। क्योंकि उनके हारा प्रस्तुत तथ्य अन्य सोनों से परिपृष्ठ होते हैं।”

विसेट स्मिथ भहोदर ने उबत पद्धति को ‘भरफल’ मानने में थोड़ी भूमि दी है। उनके मतानुसार उबत योजना को कार्यान्वित करते हुए अत्यधिक प्रूरता बरती जाती थी, अत वह सफल नहीं हो सकी। जिन्तु वास्तव में उबत योजना अकबर की अपूर्व सफलता थी, क्योंकि इसका उद्देश्य जनता की सपूर्ण वसाई वा शोपण करना था। शोपण करते हुए जनता के प्रति निर्ममतापूर्ण व्यवहार स्वाभाविक ही था। अत यह कहा जा सकता है कि शोपण की उद्देश्व-पूर्ति की दृष्टि से अकबर की यह योजना सफल ही रही।

अकबरः दो ग्रेट पुस्तक ने पृष्ठ १०८-१० पर डॉ० श्रीवास्तव ने लिखा है कि—“इम महस्त्वपूर्ण सफलता (उजदेबों के विरुद्ध, ६ जून, १५६७, जबकि बहादुर और सान जमान वो पकड़कर हापी के पांवों के नीने कुचलवा दिया गया।) के पश्चात् अकबर इलाहाबाद गया और वहाँ से वह बनारस गया, जिसे लूट लिया गया क्योंकि वहाँ के निवासियों

ने धृष्टतापूर्वक नगर के प्रवेश-द्वार बादशाह के लिए बन्द कर दिये थे। बनारस से वह जैनपुर और वहाँ से बड़ा मानिकपुर की ओर बढ़ा। मार्ग में उसने उजबेकों के सहयोगियों का दमन किया।”

हम पहले ही यह उल्लेख कर चुके हैं कि राजस्थान में देवसा तथा अन्य नगरों की जनता अकबर के आगमन का समाचार भुजते ही भाग खड़ी हुई थी। यहाँ हम देखते हैं कि बनारस तथा इलाहाबाद की जनता ने भी अकबर के आगमन का स्वागत न करके नगर-प्रवेश के द्वार बन्द कर दिये। यह इस बात का प्रमाण है कि अकबर जहाँ भी गया, उसकी बर्दर सेना ने वहाँ आत्ममय भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी। सामान्यतः जनता राजाओं अथवा बादशाहों के स्वागत-ममान को अपनी प्रतिष्ठा समझती थी। अकबर के भय से यदि जनता भाग खड़ी होती थी तो इससे यही स्पष्ट होता है कि वह उसे नर-भक्षक राक्षसों से भी अधिक धूणित समझती थी। केवल इतना ही पर्याप्त प्रमाण है कि अकबर एक उदार बादशाह तथा महान् व्यक्ति न होकर मर्वीधिक निरकृश एव स्वैच्छाचारी कूर बादशाह था। आश्चर्य और दुःख का विषय है कि इतिहास के धुरन्धर विद्वान् इतने विरोधी साध्य प्राप्त होने पर श्री कूर और व्यभिचारी अकबर को ‘महान्’ की सज्जा से विभूषित करते हैं।

फरिश्ता के दरवारी इतिहास (भाग २, पृ० १३३-१४४) के अनुसार, “युद्ध में रानी दुर्गावती की निर्मम हत्या के बाद आसफ खाँ (रानी दुर्गावती पर आक्रमण करने के लिए नियुक्त अकबर का रोनापति) औरामढ़ की ओर बढ़ा तथा वहाँ आक्रमण कर उसने उस प्रदेश को विजित किया। रानी के पुत्र को हाथी के पैरों तले कुचलबा दिया गया। (लूट-खमोट में) हीरे-जवाहरात, सोने-चाँदी की प्रतिमाएँ, सोने से भरे लगभग सौ घड़े तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुएँ विजेता के हाथ लगी। लूट की इस सम्पूर्ण समति में से आसफ खाँ ने अल्पांश ही बादशाह को भेंट किया। उसके हाथ कम-से-कम सौ हाथी लगे थे जिन्हुंने उसने केवल ३०० मामान्य पशु ही बादशाह को भेजे। बहुमूल्य वस्तुओं में से तो कुछ भी उसने बादशाह को नहीं दिया।”

लूट-खसोट करने के लिए हिन्दू तथा मुस्लिम राज्यों पर अकबर के आनंदणों और सामान्य डैन्टियों में केवल यही अन्तर निर्दिष्ट किया जा

सबता है कि ढाकू-दल माध्यारण घरों से बलपूर्वक लूट-मार करते थे जब-कि अकबर अपनी शाही सेना की शक्ति के बल पर समृद्ध राज्यों पर व्याप्रमण कर लूट-मार करता था। त्रूरतापूर्वक वह मामान्य जनता, समृद्ध राजाओं और सम्पन्न धैर्यों को लूटवर अपना राजकोप समृद्दिशाली चनाता था। ऐसे त्रूर, नुशः, वित्तासी एव धर्मान्य गोसक्ष को 'महान्' की सज्जा देते हुए वया हमारे इतिहासकार लज्जा का अनुभव नहीं करेंगे ?

## • दुर्व्यवस्थित प्रशासन

अकबर के शासन-काल में किसी भी प्रकार का कोई व्यवस्थित प्रशासन नहीं, या जिमकी चर्चा की जाये। फी-स्टाइल कुश्ती की भाँति स्वेच्छाचारितापूर्ण नीति और नियम चला करते थे। अकबर के शासन-काल में कानूनों का पालन कोई भी नहीं करता था क्योंकि वास्तव में कोई कायदे-कानून थे ही नहीं। अनेक प्रकार की दुर्व्यवस्थाएँ व्याप्त थीं। शासकीय यातनाओं और कूरताओं के विरुद्ध अनवरत विद्रोह होते थे। लूट-खोट की नीति अपनाई हुई थी। कल्लेआम, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, घूसखोरी, हत्याओं, पड़यतों, डोकेजनी, स्त्रियों के अपहरण और बलात्कार एवं सर्वत्र हिन्दुओं पर अत्याचार का बोलबाला था। सक्षेपतः पूर्ण अराजकता का साम्राज्य था।

**विसेट स्मिथ ने अकबर :** दी गेट मुगल पुस्तक के पृष्ठ २७७ पर लिखा है—“शासन-व्यवस्था वैयक्तिक स्वेच्छाचारितापूर्ण थी। भारी करों को कठोरतापूर्वक बसूल करने का निर्देश दिया गया था। इस कार्य के लिए नियुक्त सेना के भोजनादि की व्यवस्था प्रजा को ही करनी पड़ती थी। लोक-शासन दुर्व्यवस्थित था तथा स्थानीय शासक भी स्वेच्छाचारी थे। उन्हें कूरतम सजाएँ देने का अधिकार था। सामान्य रूप से जो सजाएँ दी जाती थी, उनमें सूली पर चढ़ा देना, हाथी के पैरों तले कुचलवा देना, सिर कटवा देना, दाहिना हाथ कटवा देना तथा बर्वंरतापूर्वक बेंतों से पिटवाना आदि शामिल थे। अधिकारियों की जैसी मर्जी होती थी, वैसी सजाएँ दी जाती थी। उनके द्वारा दी जाने वाली कूर सजाओ पर प्रतिवन्ध लगाने का कोई प्रभावशाली कानून नहीं था।”

“भारतवर्ष में मुमलमानों का इतिहास राष्ट्रीय एवं सामाजिक विकास का इतिहास न होकर निरंकुश बादशाहों, विलासितापूर्ण दखारों एवं

बवंर विजयों का इतिहास था।" प्रजा की सुख-समृद्धि के सम्बन्ध में अक्षवर और दूर्वंवर्ती हिन्दू राजाओं के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि अक्षवर के शासन-काल में प्रजा किसी प्रवार भी खुशहाल नहीं थी। सभी प्राप्त अभिलेख तुटिपूर्ण हैं। इतिहास में जन-सामान्य के जीवन-स्तर सम्बन्धी उल्लेख अनुपलब्ध है। कृषकों के लिए महत्वपूर्ण भूमि-कर व्यवस्था का पूर्ण विवरण भी उपलब्ध नहीं है और जो दरवारी अभिलेख प्राप्त हैं वे अत्यधिक तुटिपूर्ण और पक्षापात्रपूर्ण हैं। शिक्षा, इुग्मि एवं वाणिज्य की स्थिति के सम्बन्ध में जो उल्लेख प्राप्त है, वे भी अपूर्ण एवं तथ्यहीन हैं।

विसेंट स्मिथ द्वारा उल्लिखित तथ्यों पर विचार करते हुए हमें आश्चर्य होता है कि स्मिथ महोदय ने आखिर किस आधार पर अपनी पुस्तक का शीर्षक 'अक्षवर : दी ग्रेट मुगल' रखने का दु साहम किया? समझ में नहीं आता कि उन्होंने 'ग्रेट' विशेषण का प्रयोग किस आधार पर किया है?

स्मिथ महोदय ने ठीक ही उल्लेख किया है कि ऐसा कोई अभिलेख प्राप्त नहीं होता, जिससे यह सिद्ध हो कि अक्षवर का शासन जन-वर्ष्याण के लिए था, जैसाकि मिथ्या रूप में दावा किया जाता है, यदि अक्षवर का शासन जनता के लिए कल्याणकारी होता तो तत्सम्बन्धी प्रचुर प्रमाण प्राप्त होते।

परम्परा के विपरीत हमारा मत है कि अक्षवर की मिथ्यानुमानित महानता के सम्बन्ध में दरवारी चाटुवारों, साम्राज्यिक विचारों वे प्रचारकों तथा इतिहासकारों, जिनमें विसेंट स्मिथ जैसे दूरदर्शी विद्वान् भी शामिल हैं, द्वारा हम सब प्रवचित होते रहे। ये सब नियंधपूर्ण तथ्योलेखों की परिधि में सीमित रहे हैं कि इम बात की सिद्धि वा कोई प्रमाण नहीं है कि अक्षवर के शासन से देश की जनता साभान्वित हुई। हम इस तथ्य के प्रति अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं वि ऐसा कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता। विन्तु उन प्रमाणों वे विषय में बया बहा जाए कि अक्षवर एवं बवंर विलासी था तथा उसका शासन यातनापूर्ण हृत्यामों के खून से गिरित तथा लूट-जसोट से भरा था? ज्ञान के बार-बार कहे जाने के कारण वर्तमान इतिहासक विमोहित हो गये हैं, अतः वे वस्तुस्थिति जानने और व्यक्त

करने की ओर ध्यान ही नहीं देते।

प्रशासन का पूरा ढाँचा सैनिक-शक्ति पर आधारित था। स्थानीय शासन किभी भी विधान अथवा कानून से बेंधा हुआ नहीं होता था। वह शाही निरक्षणता का प्रतिनिधि होता था तथा अपने प्रदेश में इच्छानुसार आचरण कर सकता था। सामान्यत जनता अपने को उन्हीं व्यवहारों के अनुकूल बना लेती थी, जिन्हे उनके स्थानीय शासक उनके लिए उचित ममझाते थे। ऐसे अधिकारी बहुत ही कम थे जिन्होंने छल-कपट से दूसरों की सम्पत्ति नहीं हड्डी।

अबुल फजल ने स्वीकार किया है कि “सारे हिन्दुस्तान में जब उदार शासक राज्य करते थे, सारी फसल का छठा भाग भूमि-कर के रूप में वसूल किया जाता था। तुकिस्तान, ईरान तथा तुरान में क्रमशः पाँचवाँ, छठा तथा दसवाँ भाग वसूल किया जाता था।” किन्तु अकबर ने एक तिहाई भाग वसूल करने का आदेश दिया था। इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय राजाओं द्वारा तथा फारस में जो भूमि-कर वसूल किया जाता था, अकबर के शासनकाल में उससे दुगुना वसूल किया जाता था। अबुल फजल के विचार में ऐसा प्रतीत होता है कि महसूल आदि विविध करों की छूट के कारण भूमि-कर दुगुना किया गया था, जो उचित ही था। किन्तु वस्तु-स्थिति यह नहीं थी। औहड़हम ने एक टिप्पणी में उल्लेख किया है कि “मभी नहीं, किन्तु बाद में अधिकार करों को फिर से लागू किया गया। निस्सदेह देयकर की राशि भी बहुत अधिक निर्धारित की जाती थी।... नठोरतापूर्वक यह राशि वसूल की जाती थी।”

इस कथन में अकबर के शासन की धर्मान्धता एवं भेदभाव की नीति का रहस्योदयाटन हो जाता है। भूमि-कर के रूप में मुसलमानों से दसवाँ भाग और हिन्दुओं से तीसरा भाग वसूल किया जाता था। धर्मान्धता मुसलमान होने के कारण अकबर ने हिन्दुओं को नप्ट करने में कोई कसर नहीं छठाई थी।

“कुरान में निर्धारित अग-भग करने की सजाएँ स्वच्छन्दतापूर्वक दी जाती थी। अकबर तथा अबुल फजल में से कोई भी शपथ तथा साक्ष्य की न्यायिक औपचारिकताओं का ध्यान नहीं रखता था। फौजदार से यही आशा की जाती थी कि जैसे भी हो वह विद्रोही का दमन करे। राजकीय

कर प्राप्त करने के लिए आज्ञा-भग करने वाले भाषीणों से बर बसूल बरने के लिए उसे सेना की सहायता प्राप्त करने की अनुमति थी ।”

इतिहासकार प्रायः अब्दवर के प्रबुद्ध शासन की प्रगति करते हुए अबुल फजल इत आईने-अब्दवरी के साथ्य प्रस्तुत बरते हैं । विसेट स्मिथ ने इतिहास के भोले-भाले लेखकों और अध्यापकों को यह कहकर सावधान बिया है कि ‘आईने-अब्दवरी दा पट ‘बादछल’ के ताने-दाने से बुना गया है ।’ जल्दी में आईने-अब्दवरी पढ़ने वाला व्यक्ति उसमें वर्णित अब्दवर द्वारा स्थापित स्थानों एवं विस्तृत मालिकीय सारणियों को देखकर यह समझने की भूल कर बैठता है कि इस तिथिवृत्त में अब्दवर के शासनकाल सम्बन्धी पर्याप्त विवरणात्मक तथ्य उपलब्ध हैं परन्तु मूँह अध्ययन से यह भ्रमपूर्ण धारणा छिन्न-मिन्न हो जाती है । उदाहरणतः, ‘शिथा सम्बन्धी विनियम’ (भाग २, आईन २५) जैसे महत्वपूर्ण विषय पर औपचारिक शब्दों में बहा गया है कि लड़कों को पढ़ना-लिखना सिखाया जाए । इस प्रकारण की समाप्ति ऐसे निराधार उल्लेख से होती है कि ‘इन विनियमों ने शिथा में महत्वपूर्ण परिवर्तन बिया एवं मुस्लिम सूलों पर आश्चर्य-जनक प्रभाव डाला ।’ स्पष्टतः निर्वाचित पाठ्यक्रम का इन बातों से कोई सम्बन्ध नहीं था । भारत में या विश्व में अन्यद्वय वही भी विभी संस्था ने इस प्रकार की योजना थो कार्यान्वित करने वा प्रयास नहीं बिया । चाटु-बार तिथिवृत्तबार ने तो मात्र अपने स्थामी थी प्रशस्ति में अन्यपूर्ण अध्याय जोड़ा है ।

इतिहासकारों को चाहिए कि स्मिथ महोदय के उक्त विद्वान्पूर्ण वक्तव्य पर गम्भीरता से विचार करें । आईने-अब्दवरी आरम्भ से लेवर अन्त तक काल्पनिक विवरण है । सम्भूर्ण इतिवृत्त चाटुबार अबुल फजल ने बरसना के आधार पर प्रतिदिन एवान्स में बैठकर जोड़े हैं जो अधिकृत नहीं बहे जा सकते । उसके समस्त उल्लेख परस्पर विरोधी और ध्वात हैं ।

जब कभी नास्तिक या उदारपन्धी बादशाह कुरान के निर्देशों का उल्लंघन करता था तो बटूर धार्मिक विद्रोह या उसकी हत्या वा रासता अपनाते थे । परन्तु दोनों ही कार्य दुसाथ होते थे । शक्तिशाली बादशाह जहाँ तक उचित समझता था, कुरान के निर्देशों की अवज्ञा करता था । अपने शासन के अन्तिम ३२ घण्टों में अब्दवर ने भी ऐसा दिया । कुरान की

अत्यधिक अवज्ञा के बारण सन् १५८१ में उसकी शासन-सत्ता डगमगा गई थी। परन्तु इस सकट पर विजय पाने के पश्चात् वह आजीवन स्वेच्छाचारी बना रहा। ऐसी स्थिति में उसके लिए किसी मन्त्रि-परिपद के बैधानिक नियमों का मानना और मतियों की निश्चित सम्भ्या रखना एवं उसका वैशिष्ट्य मानना भी उसके लिए आवश्यक नहीं होता था ॥ अकबर के शासन के अन्तिम दिनों में १६०० अधिकारी थे। उनकी नियुक्ति, स्थायित्व, पदोन्नति और कार्यभार मुक्ति बादशाह की स्वेच्छा पर निर्भर थी। बादशाह अपनी प्रजा और समस्त अधिकारियों का उत्तराधिकारी अपने आप को ही समझता था और उनकी मृत्यु पर सब धन-सम्पत्ति हड्प कर ली जाती थी। मृत व्यक्तियों के वास्तविक उत्तराधिकारियों को अपना जीवन बादशाह के आश्रित होकर पुनः प्रारम्भ करना पड़ता था।

राज्य में कर-निधारण की जिस पद्धति के लिए अकबर तथा टोहरमल को बहुत अधिक श्रेय दिया जाता है, उसका प्रमुख लक्ष्य शाही राजस्व में वृद्धि करना था। अकबर सकुचित भावनाओं का व्यावसायिक व्यक्ति था, वह भावुक सेवी नहीं था। उसकी समस्त नीतियों का आधार प्रमुखतः सत्ता तथा धन हड्पना था। जागीरों आदि सम्बन्धी समस्त व्यवस्थाओं का उद्दीश्य ही सत्ता, वैभव तथा शाही सम्पत्ति में वृद्धि करता था। जन-सामान्य के मुख्य तथा कल्याण के सम्बन्ध में उसके प्रकाशकीय मानदण्डों के बारे में आधार रूप में हमें कुछ भी पता नहीं चलता। सन् १५८५ से लेकर १५९८ तक वो अधिक में उत्तर भारत में जो सर्वाधिक भयानक अकाल पड़े, जिनके उल्लेख रिकार्डों में हैं तथा जिन अवालों ने उत्तर भारत को बरबाद कर दिया, उन्हे रोकने के लिए निश्चय ही उन्होंने कुछ नहीं किया। अकबर ने जो बृहद् सम्पत्ति एकनित की (जिसे उसने ४ नगरों में रखवाया था) तहसानों में ही बड़ी रही। उनका कुछ भी उपयोग नहीं किया। (अकबर दी ग्रेट मुगल, पृष्ठ २५३-२५५)।

सभी कायलिय-अधिकारी बादशाह को धोखा देने का भरसक प्रयत्न बरते थे। “यह समझ लेना चाहिए कि शाही आदेशों का मही डग से पातन, आरम्भ में लेकर अन्त तक, अधूरे तौर पर ही किया जाता था। सभी प्रकार के छब्ब-कपट का खुलकर प्रयोग किया जाता था। अकबर को इन सबकी जानकारी रहती थी किन्तु वह इस ओर विशेष ध्यान नहीं देता

या।" (वही, पृ० १०२)।

स्मिथ महोदय ने ऊपर जो कुछ भी उल्लेख किया है, पूर्णरूप से व्याप-  
मगत है। इसके कुछ तथ्यों की सम्पर्क विवेचना करने की आवश्यकता जान-  
पड़ती है। अकबर एक निष्ठुर बादशाह पा। यदि उनका लाभ होना पा-  
तो वह जल-मारियों की ओर ध्यान नहीं देना चाहा। कुछ राजाज्ञाओं की  
अवज्ञा की उपेक्षा करना वह साधारण बात समझता चाहा। फूर और अग्रभ-  
मामन-पद्धति में अकबर तथा उसके 'भाडे' के 'टट्टुओं' में समझता चाहा। यदि  
यदि अकबर कभी दरबार में उपस्थित हिन्दुओं को प्रसन्न करने के लिए  
दिखावटी कोई आदेश दे दे तो उसे कार्यान्वित न किया जाये।

डॉ० थीवास्तव ने उल्लेख किया है कि "अकबर ने वहाँन मनिह  
मामक हिजडे को सुरक्षित राही भूमि वा दीवान नियुक्त किया। उसने  
उक्त हिजडे को ऐतिहाद खाँ की उपाधि देकर उसकी पदोन्नति की।  
मितम्बर, १५६२ में होने वाली राजस्व की वसूली के लिए बादशाह ने नए  
नियम निर्धारित किए। इन नए नियमों के सम्बन्ध में ममवालीन येत्वों  
में ने किसी ने भी कोई सवेत नहीं दिया है। अबुल फज्जल ने बैठक इनका  
उल्लेख किया है कि 'राजस्व, जोकि बादशाहत की नीति, मल्लनत वा  
बदलाम्ब तथा मैनिकशवित का सूत्र होना है, उचित आधार पर लागू किया  
गया।' बदायूंनी ने लिखा है कि द्यय में भी पर्याप्त मितव्ययना में बाब  
निया गया।

राजस्व के इन नए नियमों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि वे केवल  
जालसाजी थे, क्योंकि ममवालीन लेखकों में से किसी ने भी उनका उल्लेख  
नहीं किया है। डॉ० थीवास्तव ममवालीन लेखकों की इस उपेक्षा के लिए  
मेंद द्यवन करते हैं। डॉ० थीवास्तव गोद इसलिए प्रकट करते हैं कि वे  
उनके माझ्यों पर विश्वास करते हैं। वहा जाता है कि नियम बनाए गए,  
विनु इस सम्बन्ध में दरबारी लेखक मौन है। इसने यह निर्भय निवलना  
है कि नियम नहीं बनाए गये। दूसरी ओर ऐसा उल्लेख मिलता है कि नई  
अर्थ-द्यवस्था लागू की गई। इसने यह मिठ्ठा होना है कि एक हिजडे  
ऐतिहाद खाँ द्वारा जनता के गने में दबाव, उन्हींन तथा शोपन का स्वर  
और जोर से इसने दे लिए उक्त द्यवस्था लागू की गई। यह भी विचार-  
पौय है कि अतिपूर्वि के सम्बन्ध में मितव्ययना के बहाने उनकी सम्भावित

हड्डी गई। यही वह नई दम्भवस्था थी, जिसकी प्राय दुहाई दी जाती है।

उबत नियमों के सम्बन्ध में इतना ही बहा जा सकता है कि जनता को निराश्रयता और दरिद्रता की स्थिति तक पहुँचा देने के लिए वे बादशाही लूट-खसोट की नई पद्धतियाँ थीं। इस तथ्य का स्पष्टीकरण ब्लौचमैन (आईने अकबरी का अग्रेजी अनुवाद, पृ० १३) की टिप्पणी से ही जाता है। उन्होंने लिखा है—“अपने पोषक पिता शम्सुद्दीन भोहम्मद एतगाह खान की मृत्यु के बाद अकबर ने वित्तीय मामलों की ओर ध्यान देना प्रारम्भ किया। उसे जात हुआ कि राजस्व विभाग ‘चोरों का अड़दा’ है। वित्त-विभाग के पुनर्गठन के लिए उसने ऐतिमाद खाँ की नियुक्ति की। सन् १५६५ में उसने (ऐतिमाद खाँ ने) खानदेश के राजा मीरन मुवारक (१५६५-१५६६) की बेटी को अकबर के हरम में प्रवेश कराया। सन् १५७८ में जबकि पजाब में अकबर की उपस्थिति आवश्यक थी, ऐतिमाद खाँ उसकी सहायता के लिए पहुँचना चाहता था। उसने अत्यन्त कठोरता से बकाया कर वसूल किया। इससे उसकी हत्या का पद्धत्यन्त रचा गया। इसी वर्ष मक्कूद अनी द्वारा उसकी हत्या कर दी गई।”

अकबर के प्राय प्रत्येक राजस्व प्रशासक की हत्या की गई। (टोडरमल भी गृष्ठ स्प से कत्ल हुआ था।) इससे यह स्पष्ट हो गया कि वसूलियों के समय कितनी झूरता और दमन का बोलबाला रहता था। ऐतिमाद खाँ जैसे हिजडे से भला इसके अतिरिक्त क्या अपेक्षा की जा सकती थी, कि अकबर के हरम से लिए वह स्त्रियों का अपहरण करे, मानो स्त्रियाँ किसी बाड़े में बन्द जानवर हो एवं उन्हें खदेढ़कर अकबर के हरम में पहुँचाए? टोडरमल भी इसी प्रकार के कार्यों में लगा रहता था। अत यह सिद्ध होता है कि ये तथाकथित राजस्व मन्त्री अकबर के लिए औरतों का व्यापार करने वाले थे। वे खोज-खोजकर सुन्दर स्त्रियों को अकबर के लिए अपहृत किया करते थे। ऐसे दलालों से राजस्व सम्बन्धी नियमों के पालन की क्या आशा की जा सकती थी?

अकबर के विश्वासपात्र किस प्रकार के व्यक्ति अथवा हिजडे आदि थे, इनका एक स्पष्ट उदाहरण हमें स्वयं अबुल फज्जल द्वारा प्रस्तुत किए गये तथ्य में मिलता है। उसका क्यन है कि ‘शाह महराम-बहारलू काबुल खान नामक एक नाचने वाले लड़के पर फिदा था। बादशाह ने उबत लड़के को

बलात् हटवा दिया। इससे शाह कुली ने साधु के वस्त्र धारण कर लिए तथा जगल में चला गया। बहराम ने प्रथलपूर्वक उमका पता लगाया तथा उमका छोकरा उसे बापस सौंपा गया। अबवर ने कृपापूर्वक उने अपने हरम में प्रवेश की अनुमति दे दी। पहली बार उसे हरम में आने की अनुमति दी गई थी। वह अपने घर गया तथा बट्टी उसने अपने अण्डकोग कटवा दिए। महराम का अर्थ ही यह होता है कि जिसे हरम में प्रवेश की इजाजत मिल जाए। हिं स० १०१० में आगरे में उमकी मृत्यु हो गई। नारनील में, जहाँ उसने प्रमुखत अपना जीवन व्यतीन किया था, उसने उनके भव्य भवन बनवाए तथा कई बड़े तालाब खुदवाए।"

अबवर का दरवार इस प्रकार के हिजड़ी तथा अप्राकृतिक व्यक्तिचारियों से भरा रहता था। अमहाम जनता पर वासन के लिए इन्हें निरकुश अधिकार दिए जाते थे। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि शाह कुली ने अबवर के सुहारने हरम में बोई गलत वाम अवश्य किया होगा, जिसे वाणि अबवरने उसे वाप्त दिया वि वह अपने अण्डकोग कटवाना दें। समार में ऐसा कौन होगा जो स्वेच्छा में अपने अण्डकोग कटवाना चाहेगा। पाठ्य भवन-निर्माण सम्बन्धी धोरें पर ध्यान दें। यह क्षेत्र मध्यभव हो गया है कि एक नीच, बापन्नूम और गिरा हुआ हिजड़ा नारनील में भव्य-भवनों का निर्माण करवाए तथा तालाब खुदवाए। इस तथ्य में स्पष्ट है कि किस प्रवार पूर्ववर्ती हिन्दू भवनों आदि के निर्माण का श्रेष्ठ निर्माणना से मुमर-मानों को दिया जाता रहा है।

अबवर किस प्रकार अयोग्य व्यक्तियों के द्वारा अपना बुद्ध्यात् प्रगत्यान चलाता था, इसकी एक जांकी अवृत्त कल्पने विवरण में मिलती है। उमका बयन है कि यान जहान का भाई इस्माइल कुमी लाने १२०० औरतों को भेजे हुए था। वह इनना जांकी मिलाया था कि जब दरवार में जाना था तो मिलियों के पाजामों के नाड़ों पर मोहर मगा देता था। इस कारण उन मिलियों ने गृष्ट होवर, जहर देकर उस्तूरी हत्या कर दी।

ऐतिहास खीं की हृथ्या की घटना का उल्लेख करने हुए अगुल फरन का कथन है—“ऐतिहास खीं की हृथ्या करने वाला मरमूद असी एक खींक से अन्धा था। जब उसने अपनी कप्टप्रद स्थिति का वर्णन ऐतिहास खीं के सामने पेश किया तो उसने मज्जाक उठाने हुए बहा कि इस अन्धी औत में

‘कोई पेशाव करे।’ इम बात मे कुद होकर मक्सूद ने वही उसकी हत्या करा दी।” एक अन्य विवरण मे कहा गया है कि मक्सूद ने उसकी हत्या विस्तर से उठाते हुए की। अकबर के दरबारी किस प्रकार अश्लील और गन्दी भाषा का प्रयोग करते थे तथा उनकी हत्याओं के बया कारण होते थे, उन सबसे अकबर के शासन की निरकुशता, बास तथा उसके दरबार के नीतिक पतन पर प्रकाश पड़ता है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि दरबारियों की हत्याओं की ओर कोई भी ध्यान नहीं देता था। यही कारण है कि ऐतिमाद खाँ की हत्या के सम्बन्ध मे दो विभिन्न उल्लेख प्राप्त होते हैं। एक उल्लेख के अनुमार उसकी हत्या दरबार मे हुई। दूसरे उल्लेख के अनुसार हत्या उसके घर मे हुई। दरबारियों की हत्या के सम्बन्ध मे यदि ध्यान दिया जाता तो कई प्रकार के उल्लेख प्राप्त न होते। इस प्रकार के नीच आदमियों की यदि हत्या कर भी दी जाती थी तो कोई विशेष बात नहीं होती थी। बस्तुत इस प्रकार की हत्याओं से प्रत्येक दरबारी खुश होता था, वयोंकि इनमे से प्रत्येक अत्याचारी और निरकुश होता था तथा अपने हरम मे अधिक से अधिक स्त्रियों को रखता था।

तारीख-ए-फिरोजशाही के पृ० २६० से एक टिप्पणी उद्धृत करते हुए अलोचनेन ने विवेचन किया है कि मुस्लिम शासन के अन्तर्गत हिन्दुओं की बया दशा थी? उन्ह टिप्पणी मे कहा गया है—“दीवान के लगान वसूल-कर्ता जब हिन्दुओं से लगान वसूल करे तो उन्हे दीनतापूर्वक भुगतान करना चाहिए। अगर लगान वसूलकर्ता उनके मुँह मे थूकना चाहे तो धर्म-ध्वनि हो जाने के भय को छोड़कर उन्हे अपना मुँह खोलना चाहिए, ताकि वह उनके मुँह मे थूक न के। ऐसी स्थिति मे (अपना मुँह खोले हुए) उन्हे उनके सामने खड़ा होना पड़ता था। इस प्रकार मुसलमानों द्वारा हिन्दुओं के मुँह मे थूकने तथा उन्हे अपमानित करने का उद्देश्य यह मिढ़ करना होता था कि मुमलमानों के अधीन काफिर किनने आज्ञाकारी होने थे। ऐसा करने वे इस्लाम को गौरवान्वित करना चाहते थे। उनके अनुमार इस्लाम ही सच्चा धर्म था। वे हिन्दू धर्म को झूठा मानने थे तथा उक्त नाटकीय कृतयों द्वारा वे हिन्दूत्व को अपमानित और निन्दित करना चाहते थे। उन मुसलमानों वे अनुमार अल्लाह ने खुद उन्हे ऐसा करने का हुक्म दिया है। हिन्दुओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना मुसलमानों के लिए धर्म वा कार्य—‘सवाद’

है, योकि हिन्दू भोहम्मद मुस्तफा के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मुस्लिम ने हिन्दुओं को मारने, उनकी सम्पत्ति को लूटने कथा उन्हें गुलाम बनाने का आदेश दिया है।"

मुस्लिम शासनकाल में शाही हरम में पुरुषों को वधिया करके अभक्ता उन्हें नपुसक बनाकर भेजा जाता था। अबुल फज्जल ने गुजरात के ऐनिमाद खाँ का कथन प्रत्युत करते हुए लिखा है कि "वह मूलत गुजरात के शाह मुलतान महमूद का एक हिन्दू नांकर था। उसके मालिक ने उसपर विश्वास करके उसे हरम में जाने की इजाजत दे दी। कहा जाता है कि मुलतान के प्रति हृतज्ञ होकर उसने क्षूर खाना शारम्भ किया तथा खुद को नपुसक बना लिया।"

इस उद्घरण में कई विरोधी बातें हैं। यदि मुलतान ने ऐनिमाद खाँ पर विश्वास करके उसे हरम में जाने की अनुमति दी थी तो उसे अरते-आपसों नपुमक बना लेने की क्या आवश्यकता थी? यदि उबन उत्तेष्ठ का यह तात्पर्य है कि मुलतान की विशेष कृपा होने के बारण उसे हरम की कुछ मुन्द्रियों के माथ समागम बरने की अनुमति दी गई थी तो नपुनताना वयोग्यता थी। यदि इमका तात्पर्य यह है कि हरम में उसे देखभाल और निरीक्षण के कार्य के लिए नियुक्त किया गया तो यह प्रम्म उपस्थित होना है कि विसी भी पुरुष को औरतों से भरे हरम में ऐसे कार्य के लिए नियुक्त क्यों किया गया जबकि इस कार्य के लिए औरते नियुक्त की जा सकती थीं। इससे यही सिद्ध होता है कि मुस्लिम मुलतान उन आदमियों को नपुनताना दिया करते थे, जिनका यह दुर्भाग्य होना था कि वे हरम में निरीक्षक के पद पर कार्य बरने के लिए चुने जाने थे। इस मम्मन्दा में अबवर ने भी वही परम्परा अपनाई। विचारणीय है कि चाटुवार एव धूते मुम्भिम द्विवृत्त लेखकों द्वारा उल्लिखित तथ्यों से परम्पर विरोधी बातें प्रवर्ट होती हैं। उन चाटुवारों एव धूतों ने अपने नीच और अधम मालिक के पद में सम्म को दूपिन मन म प्रस्तुत किया। इस प्रवार उन्होंने इनिहाय का मर्दां-पिर अवकार किया है।

अबवर वे दरखारियों की मूर्छी में जयपुर के राजा भारमल के बेटे जगन्नाथ की गणना अबुल फज्जल ने ६७वें दरधारी देवरा में की है। इस सन्दर्भ में अबुल फज्जल ने (आइने अबवरी, पृष्ठ ४२१) लिखा है—“वह

शरफुद्दीन के पास बन्धक व्यक्ति था।' हम यह विवेचन कर चुके हैं कि अपने राजपूती अभिमान को खोकर, खून के धूंट पीते हुए भारमल ने अपनी बेटी का सतीत्व अकबर के हरम में बलिदान कर दिया था। तीन राजकुमारों को साभर में सेनापति शरफुद्दीन ने बन्धक के रूप में कैद कर रखा था, उन्हें कठोर यातनाएँ दी जा रही थी। भारमल से कहा गया था कि या तो वह अपनी पुत्री को शाही हरम में दे एवं राजकुमारों की मुक्ति के लिए अपार सम्पत्ति दे, अन्यथा उन तीनों को मौत के घाट उतार दिया जायेगा। राजकुमारों की जान बचाने के लिए भारमल ने अपनी कन्या अकबर की काम-वासना की भट्टी में झोक दी। इस लज्जाजनक कार्य को सभी इतिहासकार साम्प्रदायिक एकता की दृष्टि से अकबर का महान् कार्य बतलाते हैं। हिन्दू कन्याओं के साथ अकबर के विवाहों के जितने उल्लेख प्राप्त होते हैं, वे सभी अपहरण की घटनाएँ थी। हिन्दू कन्याओं के समान ही मुमलमान शाहजादियों के साथ भी उसके निकाह अपहरण मात्र थे।

ऊपर प्रस्तुत तथ्यों से पाठकों को आश्वस्त होना चाहिए कि अकबर संसार के इतिहास का सर्वाधिक स्वेच्छाचारी एवं निरकुश बादशाह था। उसका शासन अस्त-व्यस्त और भ्रष्टाचार से परिपूर्ण था।

११ .

## अकबर की सेना .

नागरिक प्रशासन की तरह अकबर की सेना भी बर्वर गुणों का एक अमरगढ़िन मूँह थी। डके की चोट पर ये मैनिक टिहु दल की तरह इकट्ठे चर लिये जाते और बिना सौचे-स मझे खुले छोड़ दिये जाते थे। जब कभी किसी दुश्मन पर हमला करना होता, तब वामाडर अपने सैनिकों थोड़े उत्साह दे देकर पारगल बना देने थे। सेना के जनरल और उनके मैनिक भयावह बर्वरताएँ बरते और अपने दुश्मनों के सिर बाटकर अकबर वो युद्ध करने के लिए उसके पास भेजने था फिर मिरो और धड़ो का छोर लगाकर अपनी लूट पर खुशियाँ मनाते।

इस तरह अकबर के राजस्व अधिकारियों की तरह छटपुट, नोवरी से अलग हुए और अल्पकालिक काम करने वाले सैनिकों तथा विद्रोहियों, ढगों, नीम फक्कोरों, धोमेषाङ्गों और चोर-उच्चवकों से मिलकर उनी हुई पह सेना अकबर के सम्मूर्ण शासन में लूट मचाती थी और जनता को परेशान करती थी। मैनिर मन्दिरों वो ध्रष्ट बरते, उनकी मम्पति वो लूटते तथा महिनाओं वा अपहरण करके उन्हें इस्ताम धर्म में परिवर्तित कर देते थे।

विसेट रिमर्थ ने अपनी पुस्तक—‘अकबर दी येट मुगल’(प० २६५-६६) में लिखा है कि “अकबर वा मैनिक मगठन अन्दर स बमजोर था, हालाँकि यह अपने मनमीजो पड़ोसियों के मुकाबले कही अधिक अच्छा था। युरोप वो सेनाओं के मुद्दावन में उम्मी सेना शायद एक मिनट भी न टिक सकती। जब कभी उसके अफमर पुर्तगाली बस्तियों पर हमला करने की हिम्मत करते तब उन्हें युरोपी तरह मार लानी पड़ती। मिक्कन्दर महान् के मामने अकबर वी वाहिनी एक मिनट भी न टिक पाती।... यदि अकबर वो बड़ी मराठों वी घुड़मबार-सेना का मुकाबला करना पड़ जाता तो सम्भवत, उसका वही हाल होता जो उसके पीछे वा हुआ। अकबर के

सैनिक प्रशासन में हास और विफलता के बीज विद्यमान थे।”

स्मिथ ने अकबर को यह कहते हुए लिखा है कि “एक बादशाह को हमेशा विजय के लिए तैयार रहना चाहिए।” (पृ० २४१) अकबर का यह नारा था, इसलिए इस बात में कोई आश्चर्य नहीं कि अकबर जिस किसी पर अपना मेना का जाल फेंकता, उसे किसी भी तरह अपनी अधीनता में लाने का प्रयत्न करता था।

अकबर की सेना का नारा था कि हिन्दू जहाँ भी मिले उमे खत्म कर दो, किर चाहे वह अकबर की तरफ से लड़ रहा हो। इसका कारण यह था कि हर हिन्दू की मौत को इस्लाम के लिए हितकर माना जाता था। इन्हासकार बदायूँनी खुद अकबर की सेना में एक सैनिक था और उसने हल्दी घाटी में राणा प्रताप के विरुद्ध लड़ाई में हिस्सा लिया था। उसने अपनी पुस्तक (भाग २) में पृ० २३७ पर लिखा है कि “मैंने अपने कमाड़र आसफ खाँ द्वितीय (यह व्यक्ति आसफ खाँ से भिन्न है जिसने रानी दुर्गावती के विरुद्ध लड़ाई की थी) से पूछा कि हमारी सेना के राजपूत नैनिक शत्रु सेना के राजपूतों से भिन्न नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए यह किस तरह जाना जाये कि कौन राजपूत हमारा मित्र है और कौन शत्रु मेना का सैनिक है, और इसके उत्तर में मुझे आश्वासन दिया गया कि मैं किसी भी राजपूत को मारूँ, इसमें कोई गतती नहीं होगी वयोंकि हिन्दू जिस पक्ष का भी खत्म होगा उसमें इस्लाम का ही भला होगा।”

अपना उदाहरण देकर बदायूँनी ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि विस तरह अकबर की सेना का हर सैनिक हिन्दुओं के खून का प्यासा था। बदायूँनी ने अपनी उसी पुस्तक में पृष्ठ २३३-३४ पर लिखा है कि “६-४ हिंजरी में बादशाह ने मानसिंह को हुक्म दिया कि वह कोकड़ा और कमालमेर के विद्रोही जिलों पर हमला करे। (यह वह इलाका था जहाँ राणा कीका उर्फ राणा प्रताप राज्य किया करता था।) नास्तिक लोगों के खिलाफ युद्ध करने की मेरी बड़ी उत्कट इच्छा थी। मैंने नकीब खाँ को माफ़न बादशाह को अर्जी भेजी। पहले तो नकीब खाँ ने टाल-मटोल की और बहा कि यदि एक हिन्दू अर्थात् (मानसिंह) इस सेना का नेता न होता तो मैं सबसे पहले जाकर बादशाह से अपने लिए इजाजत मांगना। (बादशाह से भेट के समय) मैंने कहा कि पवित्र युद्ध अर्थात् हिन्दुओं के

यम्नेआम में हिस्मा सेने की मेरी बहुत उत्सुट इच्छा है। मैं चाहना हूँ कि मैं हिन्दुओं के खून से अपनी मूँछे काली करके बादशाह के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय दूँ।... और जब मैंने बादशाह को कदमबोझी के लिए हाय भागे बढ़ाया तो बादशाह पीछे हट गये, परन्तु जब मैं दीवान साने से बाहर जा रहा था, तो उन्होंने मुझे बापम बुलाया और अपने दोनों हाथों में भटकर ५० अराकियाँ मुझे भेट की और बिदा किया..."

"मुझ की घोषणा करने का कारण यह था कि राणा कीका ने अपना शाही हाथी अधीनता के तौर पर अबबर के दरबार में भेजने में इन्कार किया था।" (पृ० २३५) ।

अबबर की यह अस्याचारपूर्ण माँग युद्ध का कारण बनी कि राणा प्रनार सिफं उसकी सनक को पूरा करने के लिए अपना शाही हाथी उसकी अधीनता में भेजे। यदि यह माँग पूरी कर दी जानी तो इसके बाद बहुत दड़ी राँग किरीनी के न्प में देने, दरबार में मिजदा करने और उसके तथा दरबारियों के परिदारों में से चुनबर मुन्दर औरनों को अबबर के हरम में भेजने की माँग अवश्य ही की जाती।

राणा प्रताप ने इस तरह मुमनमानों की सेना को नष्ट-भष्ट किया, इसना उल्लेख करने हुए बदायूँनी ने लिखा है कि जब अबबर के सैनिकों की बायर की तरह पीड़ केरकर भाषना पड़ना या तब वे पंगम्बर मुहम्मद की बात का सहारा लेते थे। बदायूँनी लिखता है—'जब बाजी खी (अगूडा बट जाने के बाद) युद्ध में खड़ा न रह सका तो उसने एक लाइन पढ़ी कि 'जब बड़ा दुश्मन सामने हो तब मूँह छिपाकर भाषना पंगम्बर के रास्ते पर चलना है', और इवना कहने हुए वह अपने कायी मैनिङों के पीछे-पीछे बापस भाग निकला।

"मानसिंह ने इतनी दिलेरी का परिचय दिया जिसकी बलता नहीं की जा सकती। उस दिन मानसिंह ने जिस तरह सेना का नेतृत्व किया, उसने मुन्ला शीरी की यह पक्कियां याद हो आती हैं कि 'इस्माम की तसवार एक हिन्दू वे हाथ में है'।"

बदायूँनी ने लिखा है कि (वही पृ० २४३-४७) "जब मैं राणा प्रताप के हाथी वो लेबर फ्लेहपुर सीकरी पहुँचा तब अबबर बहुत प्रमन्त हुआ और उसने अशकियों के ढेर में हाय टालबर मुझे ६३ अशकियाँ भेट की।"

बदायूँनी के विवरण से इस बात का सबैत मिलता है कि अकबर के शासनकाल में सेना में भर्ती होने के लिए किसी प्रशिक्षण, अनुशासन अथवा ड्रिल की आवश्यकता नहीं होती थी। कोई भी मुसलमान, जो हिन्दुओं को कत्ल मुक्ति की कामना से करता था और कोई भी हिन्दू जो इस कल्पे-आम में सहायक होना चाहता था, खुशी से अपना तीर-कमान, शाने और तलवार, ढाल और बल्लम लेकर मैदान में उत्तर सकता था और वह उत्तरी आसानी से सेना में शामिल हो सकता था जितनी आसानी से लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर जगल जाता है।

डॉ० थीवास्तव ने (अकबर : दी ग्रेट, भाग १, पृ० १४५) लिखा है कि “हूँगरपुर के सिसोदिया शासक आसकरण ने राणा प्रताप से अलग हो जाने में इम्कार किया जिसपर मुगल सेना ने हूँगरपुर के इलाके में लूट भचा दी।”

अकबर अपने प्रमुख और प्रभावशाली व्यक्तियों की विवश करता था कि वे उसकी सेना के लिए भर्ती करने वाले एजेंट और ठेकेदार के हृष में काम करें और नोटिस मिलते ही सेना तैयार कर सकें। डॉ० थीवास्तव ने (पृ० १७७-१७८) लिखा है कि किसी तरह लोगों की विवश किया जाता था कि वे एक नियत सख्ता में पोड़े, हाथी, ऊंट आदि रखें और निश्चित अवधि के बाद उन्हें निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें।

अकबर को दूसरों को पीड़ित करने में मज़ा आता था क्योंकि फरिश्ता के अनुमार अकबर को अपने पुत्र मुराद मिर्ज़ा की मृत्यु पर दुःख हुआ जिसका गमनालत करने के इरादे से अकबर ने दक्षत की विजय का कार्य-क्रम बनाया। फरिश्ता ने कहा है कि “शाहजादा मुराद मिर्ज़ा को (मई, १५६६ में) धातक रोग ने आ धेरा। उसे शापुर में दफनाया गया। बाद में उनकी लाश को आगरा में से जाकर उसके दादा हुमायूँ की कब्र के पास दफना दिया गया। पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर अपना मन दहलाने के लिए बादशाह ने दक्षत की विजय की इच्छा की।” (फरिश्ता का विवरण, भाग २, पृ० १७०-७१)।

ज़र के उद्धरण से दो बातें स्पष्ट हैं। इससे हमें अकबर के कूर स्वभाव का पता लगता है कि किस तरह वह अपने देटे की मौत का गम-गुलत करने के लिए दक्षत के राजाओं और उनकी प्रजा का खून बहा देना

चाहता था ।

दूसरे, इससे दिल्ली में हुमायूं का तयाकपित मकबरा होने के गूठ का पता चलता है । मदि फरिश्ता के अनुसार हुमायूं की लाश आगरा में दफन है और उसका पोता उसके पास ही दफन है तो फिर दिल्ली में उसका आकर्षक मकबरा भक्ती है । जिसका उद्देश्य यह था कि हिन्दुओं के एक भव्य-भवन को उनके हाथों में पड़ने से रोका जाये क्योंकि हिन्दू किसी भक्तरे को अपवित्र करने के भामले में बहुत डरते थे । उत्तर प्रदेश में वहराइच में ऐसी ही एक नकली बढ़ का एक और उदाहरण भामने आया है । हिन्दी शास्त्राहिक सार्वदेशिक (प्रकाशक, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि रामा, नई दिल्ली) के १४ अप्रैल, सन् १९६८ के अंक में "विजय तीर्थ के दर्शन" शीर्षक से एक लेख लिखते हुए थीं विहारीलाल शास्त्री ने लिखा है कि वहराइच में मोहम्मद गजनी के भतीजे सालार मसूद जी जो आवर्षक बढ़ मीजूद है वह थालादित्य नाम के एक हिन्दू मन्दिर को हड्डप बर्खे बनाई गई थी । राजा सुहेल देव के साथ हुए युद में से वह भाग निवास और सुहेलदेव ने उसका पीछा किया । सालार छिपकर एक पेड़ पर चढ़ गया जहाँ उसे अचानक पकड़कर भार ढाला गया । बुछ समय बाद जब यह इलाका मुमलमानों वे इन्हें में आया, तब उन्होंने उग मन्दिर में बुछ मुस्लिम लाशें दफनाकर उसे अपवित्र किया और उसका नाम बदलकर चाला मिथी का मकबरा रख दिया ।

द्विसाई पाँदरी फादर मनमर्टेंट ने, जो अबबर के दरवार में दो वर्ष तक रहा था, हिन्दू शासन पद्धति और मुस्लिम शासन पद्धति की सुलगा इन शब्दों में की है : "वद्यान (यर्थात् हिन्दू) एक मीनेट और जन-परिषद् के माध्यम से उदारता में शागत चलाते हैं जबकि मुमलमानों के यही बोई परिषद् या मीनेट नहीं होती और हर बात बादशाह में द्वारा नियुक्त किये गये गवर्नर की इच्छा में होती है ।" (पृष्ठ २१६ कमेण्ट्री) ।

"माझों पर चारों तरफ चौर घृमत है । मुमलमानों की दृढ़त आमानों ने इस बात में लिए उपराज्या जा गया है कि वे ईमान्यों को (तथा निश्चय ही हिन्दुओं को भी) मोत वे धाट उतार दें ।" (वही, पृष्ठ १८६) ।

मनमर्टेंट ने लिखा है कि विस तरह अबबर ने कुछ प्रमुख व्यक्तियों पर वह जिम्मेदारी ढानी हुई थी कि जब वभी आवश्यकता पड़े तब वे उगे

सैनिक टुकड़ियाँ दिया कर। ये बड़े बाबा अपनी यह जिम्मेदारी कुछ छोटे लोगों पर डाल देते थे और इस तरह बड़े और छोटे ठेकेदारों का एक सिलसिला बन गया था जिनपर यह जिम्मेदारी थी कि वे बादशाह के कहने पर तुरन्त बाँछित सह्या में सेना उपलब्ध करें। जो व्यक्ति बादशाह के हुकम का पालन करने में कोताही करता था, उसे पीड़ा देकर मार दिया जाता था, उसके निकट सम्बन्धियों को गुलामों के रूप में बेच दिया जाता था या बन्धक रख लिया जाता था और उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली जाती थी। इस तरह हर व्यक्ति को अन्ततः इस बात के लिए विवश किया जाता था कि वह सेना में शामिल हो और अपने आपको फौजों द्वारा के लिए प्रस्तुत करे। कई बार उसे सैनिक सज्जा अपने खर्च पर खरीदनी पड़ती थी।

मनसरेट ने अपनी पुस्तक में पृष्ठ ८६ पर लिखा है कि “५४,००० घुड़सवार सेना, ५,००० हाथी और कई हजार पैदल सेना ऐसी है जिसका येतन सीधे शाही खजाने से दिया जाता है। इसके अलावा ऐसी सैनिक टुकड़ियाँ हैं जिनका प्रबन्ध अचल-सम्पत्ति की भाँति पिता से पुत्र को उत्तराधिकार में मिलता चला जाता है। इन टुकड़ियों में घुड़सवार, हाथी और पैदल लोग रहते हैं और इनका खर्च इनके कमाड़िग अफसर उस राजस्व में से देते हैं जो उन्हें बादशाह द्वारा दिए गये प्रान्त से प्राप्त होता है।...ऐसे (विजित) प्रदेशों की सरकार इस शर्त पर सरदारों के हाथों में दे दी जाती थी कि वे एक निश्चित राशि सरकारी खजाने में जमा करें। ये मरदार भी शहर, कस्बे और गाँव आगे बौट देते थे। बादशाह प्रत्येक सरदार को इतना बड़ा इलाका दे देता है जिससे वह अपनी उचित शानों-शौकत बनाए रख सके और सेना में अपने भाग के उचित कर्तव्य का पालन कर सके।...राज्य के नगर और भूमि सब राजा की हैं और सारी सेना उसे अपना कमाण्डर-इन-चीफ मानती है हालांकि अधिकाश फौजों के अपने जनरल और अफसर होते हैं जिनके साथ उनका परम्परागत अधीनता का मम्बन्ध होता है। यह बात निरन्लर चिन्ता का कारण बनती है और इससे पह्यन्त्र और धोखेवाजी का मोका मिलता है।”

अकबर की सेनाएँ जिस इलाके में से होकर गुजरती थीं वहाँ अपने निर्वाह के लिए लूट मचाती थीं। यह लूट प्रतिदिन होती थी और लूट का

माल सस्ते दामो पर संतिको बो बेच दिया जाता था। कमेट्री में (पृ० ७३-८० पर) लिखा है कि “(मिर्जा हाकिम के विश्व अभियान में) सेना ने ८ फरवरी, १५८१ को कूच किया। पहले तो कुछ दिन तक सेना की सर्हाया बहुत बम रही परन्तु जल्दी ही उसका आकार इतना अधिक बढ़ गया कि सारी धरती संनिवो से ढूक गई। डेढ़ मील के इलाके में जगलो और मैदान में यह सेना भीड़ की तरह लगती थी। इस बड़ी सेना में अनाज को खामतीर से हायियो की सर्हाया को देखने हुए, इतना सस्ता देखकर पाठरी (मनसरेट) को आश्चर्य हुआ (क्योंकि उसे पता नहीं था कि वह अनाज जयरदस्ती लूट के जरिए बमूल करके अकवर की भेना को बेचा गया था) यह भव स्वयं बादशाह की चानुरी और बुद्धिमत्ता से सम्भव हो सका। राजा ने अपने छुने हुए ऐंजेटो को आसपास के नगरों और कस्तों में भेज दिया और यह हिदायत बर दी थी कि वे सभी तरफ से रसद का प्रबन्ध बरके लाएं। राजा ने व्यापारियों को (जिन्हे फौजी जवरदस्ती इन्द्रिया बरके ले जाते थे) जो अनाज, भवा, दालें और दूसरी रसद शिविरों को जाते थे, यह घोषणा की कि यदि वे अपनी सारी रसद संनिवो बो मरते भाव पर बेच देंगे तो उन्हें टैक्सो से मार्फी कर दी जाएगी। यह बात इतनी सीधी-सादी नहीं है जितनी लगती है क्योंकि यह बड़ी धमकी थी। व्यापारी लोग जानते थे कि किम तरह अकवर टैक्स बमूल करने में लिए लोगों को कुचल देना था—उन्हें बोडे लगाए जाते थे, तथा अपनी पत्नी और बच्चे बेच देने के लिए बिबरा कर दिया जाता था। अबवर जानता था कि यदि उन्होंने अपना सारा अनाज मरते दामो पर नहीं बेचा तो सभी तरह वे बल्यित टैक्स बमूल करने के नाम पर किस तरह उन्हें पीड़ित और आतंकित निया जा सकता है। जब कभी अबवर अपने राज्य की सीमाओं में बाहर बदम रखना था (अर्थात् जब वह लात्रमण बरता था) तब वह अपने कुछ व्यक्ति शत्रु के क्षेत्र में भेजकर उनसे कुछ घोषणाएँ बरवाता था जिनसे उसकी बुद्धिमत्ता और चानुरी का पता चलता है। (यह घोषणाएँ इन तरह की जाती थी कि शत्रु प्रदेश के सोग दूर-दूर तक उन्हें मुन सकें।) इन घोषणाओं का आमाय यह होता था कि जो व्यक्ति हमियार नहीं उठाएगा, उसे बोर्ड नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और गह कि जो सोग शिविरों में आकर रसद पहुँचाएँगे उनसे टैक्सो की बमूली नहीं की जाएगी, परन्तु वे

अपना माल जैसे चाहे वैसे बेच सकेंगे । ..... परन्तु यदि अकबर का हुबम न माना गया तो उन्हे बहुत भारी सजा मिलेगी । अकबर की विशाल वाहिनी को देखकर लोग आतंकित रहते थे, इसलिए शत्रु प्रदेश मे भी अकबर की सेना को ऊचे भावों और रसद के अभाव का सामना नहीं करना पड़ता था ।

मनसरेट के प्रमाण से स्पष्ट है कि किस तरह अकबर की सेना आतक दिखाकर व्यापारियों को इकट्ठा करती थी और उन्हे अपना माल सस्ते दामो पर बेचने को विवश करती थी । यह करपता की जा सकती है कि ऐसी परिस्थितियों मे माल को लूटा भी जा सकता था । जो थोड़ा-बहुत लेन-देन होता था वह अपवाद रूप मे था । इस तरह जब अकबर की सेना किसी अभियान मे लगी होती थी तब भी उसे अपने भिवाह का खर्च स्वय बहन करना पड़ता था । लोगों को धर्म-परिवर्तन करके या धमकियाँ देकर इस बात के लिए विवश किया जाता था कि वे सेना मे शामिल हो, और शत्रु के प्रदेश पर हमला करें । जिन लोगों को इस तरह विवश किया जाता था, वे जिधर से होकर निकलते थे, उधर लूटमार करते हुए चलते थे यदोंकि अपने घर, परिवार, धर्म, मित्री और अपनी सस्कृति से विलग हो जाने के बाद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे ऐसा करने को विवश हो जाते थे । इस तरह कल तक जो व्यक्ति शातिरिय, कानून को मानने वाला और धर्म-परायण नागरिक था, वह अगले दिन भयंकर अपराधी बन जाता था ।

अकबर के शासनकाल के विवरणों मे दो हजारी तथा पच हजारी जैसे शब्द कई बार आते हैं । इन शब्दों का भी यह मतलब नहीं था कि उनकी कमान मे इतने सैनिक थे । जिन व्यक्तियों को वे उपाधियाँ प्रदान की जाती थी उन्हे दरबार मे जाने और अपनी उपाधि के अनुरूप किसी एक पक्षि मे खड़े होने जैसे कुछ अधिकार प्राप्त होते थे । इन पदों के साथ उन्हे उचित रूप मे भूमि भी प्रदान की जाती थी और उन्हे अपने इलाके मे प्रायः सार्वभौम अधिकार प्राप्त होते थे । ब्नोचमैन ने आईने-अकबरी के अपने अनुवाद मे (पृ० २५१-५२) पाठक को सावधान किया है कि “पंच हजारी का मतलब आवश्यक रूप से यह नहीं है कि वह पाँच हजार सैनिकों का नेतृत्व करता था । सेना मे मनसवदारों की संख्या अधिक थी और

इनकी टुकड़ियाँ समय-समय पर एकदम कर ली जाती और उनका सर्व बड़े अवबा स्थानीय छजाने से दिया जाता था। अवबर को ऐसे सैनिकों के मामले में बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी क्योंकि इनमें धोसेवाकी से व्यवहारों का प्रबलन था।"

अपने विवरण (भाग २, पृष्ठ १६०) में बदायूंनी ने ऐसे सैनिकों की भर्ती के मामले में व्याप्त अव्यवस्था और अत्याचार की चर्चा करते हुए लिखा है कि—“सालिस (राजा की) भूमियों को छोड़कर सम्पूर्ण देश की भूमि-जागीरहप में थी, ये लोग कुटिल विद्रोही थे और ज्यादा पेसा अपने ऐशोआराम पर खर्च कर देते थे और धन एकत्र करते चले जाते थे इसलिए उन्हें सेना की देखभाल करने या प्रजा की तरफ ध्यान देने की फुसूंत नहीं होती थी। आपात स्थिति होने पर वे खुद अपने कुछ दासों तथा मुगल सेवकों को साथ लेकर युद्धस्थल पर आ जाते थे, परन्तु उनमें वास्तव में उपयोगी सैनिक कोई नहीं होता था।...” अभीर लोग अधिकाश ने अपने सेवकों और घुडसवार नौकरों को सैनिक वेश में रखते थे।...” जब कभी कोई नया ग्रकृद आता तो ये लोग अवश्यकता के अनुसार ‘भाडे के’ सैनिक इकट्ठे कर लेते थे।...” इन तरह मनसवदारी की आद और उनके खचे तो ज्योते-ज्योते रहे परन्तु गरीब सैनिक की हालत विगड़ती चली गई, पहाँ तक कि वह कियी भी काम के गोप्य नहीं रहा।”

अवबर के दासनवाल में सामान्य जन थीं, जहाँ वह सैनिक ही पा नाशिव, ददा चितनी बाटमध्य हो गई थीं, इसका पता उपर्युक्त विवरण से लग जाता है।

जरिटस जे० एम० शैलट ने अपनी पुस्तक ‘अवबर’ में पृष्ठ २३७ पर लिखा है कि “अवबर ने पूढ़ में जो कई उल्लेखनीय सफलताएँ प्राप्त की उनके बावजूद भी उसकी सेना को किसी भी तरह ददा नहीं कहा जा सकता।”

युद्ध में अवबर की और वास्तव में दूसरे मुमलमानों की सफलता का कारण यह था कि वे सम्पूर्ण युद्ध का तरीका बेरहमी के साथ अपनाते थे। हिन्दुओं में जब कोई राजा निसी दूसरे राज्य पर हमला करता था तब वह साधारण प्रजा को छाति नहीं पड़ूँचता था। दोनों तरफ वी सेनाएँ युने घंटान में आघोन-सामने होकर लड़ती थीं और यहीं फैसला हो जाता था।

मुस्लिम सेनाएँ जिधर भी जाती थी, शत्रु के गढ़ तक पहुँचती-पहुँचते वे तमाम घर जला ढालती, सभी मंदिरों पर कढ़ा करके उन्हें मस्जिद बना देती, पूरी वस्तियों को गुलाम बना देती और लोगों को विवश करती कि वे सेना के छोटे-मोटे काम पूरे करें तथा उन्हें रास्ता दिखाएँ एवं उनके लिए रसद का प्रबन्ध करें। मुस्लिम सैनिक बड़े पैमाने पर बदल करते, हजारों का धर्मपरिवर्तन करते और नया मुसलमान होने के नाते उन्हें अपने पुराने साधियों के विरोध में लड़ने को विवश करते। भर्ती के ऐसे जबरदस्त तथा बर्बर तरीकों से मुस्लिम आक्रमणकारियों की सख्त्या बढ़ती चली गई जबकि हिन्दू सैनिकों की रसद पहुँचाने वाला भी कोई न रहा। किन्तु के अन्दर या शहर की दीवारों के पीछे जो हिन्दू सैनिक रहते थे, वे देखते थे कि बाहर के समूर्ण इलाके में उनके अपने सगे-सम्बन्धियों को मुसलमान बना लिया गया, उनके पर-बार को आग लगा दी गई, सम्पत्ति लूट ली गई एवं उनकी महिलाओं और घर्षों का अपहरण कर लिया गया और उनके मंदिरों को मस्जिदों में बदल दिया गया। इसलिए जब तक किन्हीं मैनिकों को युद्ध के लिए बुलाया जाता तब तक लड़ने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता था। इतना सब उत्पात होते देखकर भी यदि उसमें लड़ने का कोई हौसला बाकी रह जाता था तो उसे रमद पहुँचाने को कोई व्यक्ति न मिलता। इस तरह भूख से व्याकुल होकर उसे लड़ने-मरने पर विवश होना पड़ता। इधर मुसलमानों को जिस तरह सैनिक सेवा के लिए विवश किया जाता था, उससे शत्रु की सेना में सैनिकों की सख्त्या बहुत बढ़ जाती थी। इन बर्बर तरीकों से काम लेकर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिन्दू धर्म पर प्रहार किए (भारतीय इतिहास के जो छात्र इस बात पर ध्यान नहीं देते वे वई बार सोचा करते हैं कि क्या कारण थे कि शक्तिशाली हिन्दू शासक और उनकी सभी सदनिष्ठ सेनाएँ विदेशी मुस्लिम शासकों की अनुशासनहीन सेनाओं के सामने झुक गईं)। समूर्ण युद्ध के जो तरीके इन आत्मान्ताओं ने अपनाये, उन्हें अपनाकर कोई भी आक्रमणकारी अपने शत्रु को परास्त कर सकता था। यदि हिन्दू भी इनके मुकाबले समूर्ण युद्ध के बंसे ही तरीके अपनाते, नये मुसलमानों को वापस हिन्दू धर्म में स्वीकार कर लेते, मुसलमानों का धर्मपरिवर्तन करके हिन्दू बना लेते, बड़े पैमाने पर मार-काट करते, उनकी समूर्ण धन-सम्पत्ति को जला देते, तो कोई

कारण नहीं था कि वे मुस्लिम आकर्मणों को रोक न पाते। परन्तु हिन्दुओं ने न तो अपने प्रतिपक्षी से कभी कुछ सीखा और न अपनी पुरानी आदतों को छोड़ा। विदेशी आश्रमणकारियों का अपने धर्म में लाना तो दूर रहा, उन्होंने उन लोगों को भी अपने धर्म में वापस लेना स्वीकार नहीं किया जिन्हें जबरदस्ती मुस्लिम बना लिया गया था। इससे नये मुसलमानों में बदुता बढ़ी और वे अपने पुराने धर्मावलम्बियों से बदला लेने की कम्में खाने लगे। इन सब कारणों से मुसलमान हिन्दुस्तान पर बज्जा बर सके। इतने पर भी हिन्दुओं को इस बात का थेय देना होगा कि उन्होंने १००० वर्ष तक मुसलमानों के एक वे बाद एक हमलों का मुकाबला किया। इतिहास में उनकी इस दिलेरी का मुकाबला नहीं है। अकीना, इडोनेशिया तक जिन-जिन देशों पर मुसलमानों ने आक्रमण किये, वहाँ उन्होंने उन देशों को सम्पूर्ण आत्म-समर्पण करने पर विवर किया जबकि एक हजार वर्ष तक प्रहार सहन बरने के बाद भी हिन्दू धर्म राजपूत, भराठा और सिक्युर सेनाओं के रूप में जीवित रहा।

इतिहास से हमें यह यिक्षा मिलती है कि युद्ध के ममय जो पक्ष प्रतिशोध की भावना से बाहर नहीं बरता वह दासता में पड़ने से बच नहीं सकता।

## कर-निधारण

ऐसा सोचना गलत होगा कि अकबर के समय में कर लगाने की कोई 'निश्चित पद्धति' थी या किन्हीं खास अवसरों पर कोई खास टैक्स लगाये गये थे। यह बात भारत में मुस्लिम शासन की १००० वर्षों की सम्पूर्ण अधिकारी पर लागू होती है। इस काल में यदि टैक्सों जैसी कोई चीज़ थी तो वह उन बहुत-मीठे अतिरिक्त और निरकृश धन वसूलियों में छिपकर रह गई थी जो सरकारी अधिकारियों और उनके नाम पर काम करने वाले लोगों ने धमकियाँ देकर लोगों से मनमाने द्वाग से वसूल की। साधारण करों की राशि भी बहुधा सम्बन्धित अधिकारी की मर्जी पर बढ़ा दी जाती थी। कभी-कभी ऐसा होता था कि मुसलमान लोग पक्षपाती अफसरों को रिश्वत देकर या उनकी मुस्लिम धर्म-भावना को अपील करके इन टैक्सों से पूरी तरह या अंशतः भाकी पा लेते थे, परन्तु कर-निधारण में यह कमी हिन्दुओं से और अधिक धन वसूल करके पूरी कर ली जाती थी। कभी-कभी कोई चालाक हिन्दू भी टैक्स वसूल करने वाले अधिकारियों को खुश करके टैक्सों की वसूली से पूरी तरह या अंशतः बच जाता था परन्तु ऐसे उदाहरण बहुत दुलंभ हैं और कभी-कभी सम्बन्धित हिन्दू को अपनी सम्पत्ति और प्रतिष्ठा की काफी हानि सहन करनी पड़ती थी वयोंकि कभी-कभी रिश्वत के रूप में उसे अभागी महिलायें उनके हरम के लिए भेजनी पड़ती थीं।

जब सेनाएँ मार्च करती थीं तब उनके द्वारा बलात् वसूल किये जाने वाले धन की कोई सीमा नहीं रहती थी। इन बलात् वसूलियों को कराधान का नाम दिया गया होगा परन्तु वास्तव में वे बड़े पैमाने पर लूट से किसी तरह कम नहीं थीं। इस बात का भी प्रमाण है कि जब कभी अकबर आगरा के लालकिले की (जिसके बारे में यह मिथ्या धारणा प्रचलित है कि उसका निमण अकबर ने कराया था) अथवा आगरा की चारदीवारी की

बथवा फतेहपुर सीकरी की प्राचीन हिन्दू नगरी (इसका निर्माण भी अबदर ने नहीं कराया था) की मरम्मत कराना चाहना था तब प्रजा पर अनिरिक्त कर लगा दिये जाते थे। इस तरह गरीब प्रजा को एक ऐसे वासन का पोषण करना पड़ रहा था जिसमें उनकी महिलाओं का अरहण होता, उन्हें दासों के रूप में बेचा जाता, उनके मन्दिरों पर कट्टा किया जाता तथा दिन-रात उनकी सम्पत्ति को लूटा जाता था। बलात् बमूल दिये जाने वाले धन की राशि किमी भी तरह मरम्मन के खचं के अनुभान के अनुरूप नहीं होती थी। यह राशि हमेशा मरम्मन के अनुभान से वही अधिक होती थी और इसमें धन के गवन ने लिए भी बहुत युली गुजाइश रख सी जाती थी।

(अबदर की कराधान पद्धति का अध्ययन करने हुए इस पृष्ठभूमि का ध्यान में रख सेना चाहिए। सबसे पहला आंर मर्वाधिक घृणित टैक्म जिजिया था। मुमलमानों ने आठवीं शताब्दी में भारत की धरनी पर कई रखा था, उसी दिन में वे अपने बद्वे के इनावे में रहने वाले हिन्दुओं में यह भारी टैक्म बमूल करने आ रहे थे। यह टैक्म बहुत नूरता ने साथ यमूल किया जाता था। यह टैक्म इस सिद्धान्त पर आधारित था कि वयोंकि बादशाह मुस्लिम है इसलिए उसका राज्य भी मुस्लिम है। राज्य में गैर-मुस्लिमों को रहने की इजाजत तभी दी जाती थी जब वे ज़िन्डगी के स्वप्न में भारा टैक्म बादशाह के खचं के लिए देने को सहमत हो जाते थे। यह टैक्म बहुत अत्याचारपूर्ण था वयोंकि यह एक विचित्र सिद्धान्त पर आधारित था। गैर-मुस्लिम लोग यह टैक्म उम 'रक्षा' के लिए देते थे जो मुस्लिम बादशाह उन्हे 'उदारता-पूर्वक' प्रदान करता था, वरना वह उन सबका कल्प कर देने वे अपने धार्मिक अधिकार का उपयोग कर सकता था। परन्तु वास्तव में 'रक्षा' एवं तरह से धोखा था। हिन्दुओं दो निरन्तर अपमान, बलात् धन बमूली, कल्प, उत्तीर्ण, महिलाओं के अपहरण और धरन्यार की जलाये जाने तथा बड़े पैमाने पर लूटपाट का मामना करना पड़ता था। उन्हें इस बात के लिए टैक्म देने वो विवश होना पड़ता था कि वे कुछते जाने के समय तक जीवित बने रहें।)

इस घृणित टैक्म के बारे में अबदर के बात के दोनों इतिहासकारों—बदायूँनी और अबुल फ़ज़ल ने लिखा है कि हिन्दुओं के प्रति अधिक सहिष्णु-

होने के नाते अकबर ने इस टैक्स को समाप्त कर दिया था परन्तु यूरोप के लेखकों तथा दूसरे प्रमाणों से यह सकेत मिलता है कि अकबर जिजिया की वसूली पारम्परिक सहनी के माध्य करता रहा ।

हम पहले देख चुके हैं कि रणयम्भोर में बूंदी नरेश राय सुरजन को विशेष रियायत के रूप में जिजिया से मुक्ति भाँगने की आवश्यकता पड़ी । यदि जिजिया समाप्त हो गया होता तो इसका उल्लेख करने की आवश्यकता न होती ।

डॉ० थीवास्तव ने अपनी पुस्तक में अकबर के दरवार में जैन साधु हरिविजय सूरी के निकाम के समय (४ जून, १५८३ से लेकर दो वर्ष तक) का वर्णन करते हुए पृष्ठ २६५ पर लिखा है कि “अकबर ने आदेश जारी करके गुजरात और काठियावाड़ में हिन्दू और जैन दोनों पर से जिजिया हटा दिये जाने की पुष्टि की ।……१५८७ में जब (एक और जैन साधु) शान्ति (अकबर के दरवार में) आया तब एक बार किर अकबर ने उसे एक फरमान दिया जिसमें इस बात की एक बार किर पुष्टि की गई थी कि जिजिया हटा दिया गया है और पश्च-बध पर पावनी लगा दी गई है ।”

ऊपर के अनुच्छेद का मूल्यता से अध्ययन करने की आवश्यकता है । “आदेश जारी करके जिजिया को समाप्त किये जाने की पुष्टि की” शब्दों का स्पष्ट अर्थ यह है कि यदि इससे पूर्व इस बारे में कोई आदेश जारी किये गये थे तो उनपर अमल नहीं हुआ और जिजिया की वसूली जारी रही । यदि कोई आदेश वास्तव में जारी किया गया होता तो अकबर ऐसा व्यक्ति था कि वह उसपर अमल कराकर ही चैन लेता । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अकबर ने ऐसा आदेश कभी नहीं किया कि जिजिया बन्द कर दिया जाये । मुसलमानों के इतिहाम-बृत्तों में इस विषय में जो बातें वही गई हैं उन्हें निरर्थक चापलूमी कहना होगा जो हिन्दुओं के प्रति अकबर की कल्पित उदारता का व्यापार करने के लिए कोई गई है । यदि अकबर ने वास्तव में वैसा फरमान जारी किया होता तो हरिविजय सूरी के निए ‘पुष्टि’ का आदेश देने की आवश्यकता न पड़ती और जब कल्पित मूल आदेश का पालन नहीं हुआ तब यह समझा जा सकता है कि ‘पुष्टि-कारी’ आदेश देने के बाद भी जिजिया की वसूली जारी रही होगी । किर

दूसरे जैन साधु शान्तिविजय जब हरिविजय के चले जाने के दो बर्ष बाद १५८७ में अकबर के दरवार में गया तब उसे एक बार फिर एक और शाही आदेश पकड़ा दिया गया जिसमें “पुन इम बात की पुष्टि की गई थी कि जिजिया कर समाप्त कर दिया गया और पशु-बध पर पावनी लगा दी गई।”

अपर के आदेशों का खोखलापत एवं दम स्पष्ट हो जाना चाहिए। यदि अकबर ने ऐसे कोई आदेश जारी किये भी थे तो उनका यह आरप नहीं था कि उनपर अमल किया जाए। यह आदेश केवल एक दरवारी औपचारिकता के रूप में ये जिनका उद्देश्य यह था कि सौधें-सादे लोगों में विश्वास जगाया जाये और जो भी दर्शक दरवार में जाये वह बादशाह की ‘उदारता’ से प्रभावित होकर जाये और जब वह बाप्तम अपने प्रान्त में पहुंच जाए तो अकबर के शामनतन्त्र में कोई भी व्यक्ति उसके आदेश पर गम्भीरता से अमल करने को तैयार न हो। जिजिया बसूल करने वाले अधिकारियों पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता था।

न्यायमूर्ति शेनट ने अपनी पुस्तक ‘अकबर’ में पृष्ठ १८३-१८४ पर लिखा है कि “सिद्धान्त रूप से इस्लामी न्यायशास्त्र में गैर-मुस्लिम लोगों को राज्य का नागरिक नहीं माना जाता। इसलिए मुस्लिम न्याय-शास्त्री ऐसे प्रजा-जन को राज्य में रहने की इच्छाज्ञता देने के लिए उनपर अनहंतायें तथा जुर्माना करके उन्हें सापेश दर्जा प्रदान करते हैं।…… भारत में यह गमस्पा इस कारण में अधिक प्रदर्श हो गई थी कि देश में गैर-मुस्लिम प्रजा वी सद्या बहुत अधिक थी। इतनी विशाल सद्या में प्रजाजन को पूर्ण रूप में नष्ट करना असम्भव था, इसलिए अपनी आत्मा को तमल्ली देने के लिए शासक वर्ग ने उनपर कई तरह के प्रतिबन्ध तथा अनहंतायें लागू की।…… यहमें थी निन्दा के सम्बन्ध में ऐसे कानून बनाये गये जिनके कारण गैर-मुस्लिम लोग मुल्लाओं की सनक पर निर्भर हो गये। मुल्ला सोग धर्म-निन्दा सम्बन्धी कानूनों को किस तरह लागू करते थे, इसपा उदाहरण के लिए ज्ञात्यां बोधन के मामले से मिलता है। सिकंदर नोदी ने शामन बाल में उमना मिर धड़ से मिर्के इमलिए अनग बर दिया गया था ति उसने यह दावा किया था कि हिन्दू नया मुस्लिम दोनों धर्म मत्त्व है।…… जिजिया बहुत भारी टैक्स था। इसके बाद तीर्यान्दी कर वा स्थान है।

गाँव के मेलों तक पर भी यह टैक्स लगाया जाता था। इसलिए ऐसा लगता है कि यह टैक्स प्राय सभी जगह पर लागू था। इन टैक्सों की अदायगी का उद्देश्य यह था कि गैर-मुस्लिम लोगों को अपने धर्म पर चलने की स्वाधीनता हो, परन्तु वास्तव में यह स्वाधीनता केवल घर के अन्दर पूजा तक सीमित रह गई थी।……हिन्दुओं को नये मन्दिर बनाने या पुराने मन्दिरों की मरम्मत कराने की अनुमति नहीं थी।……

जब कभी किसी नये इलाके को विजित किया जाता था तब हर बार मन्दिरों को नष्ट करने का एक क्रम चलता था। उदाहरण के लिए किरोजशाह तुगलक ने जगन्नाथपुरी के मन्दिर को नष्ट किया। शान्ति के समय में भी मिक्कन्दर लोदी जैसे शासक की जब धर्म-भावना ज़ोर मारती थी तब वह अपनी धर्मान्धता की तरली के लिए मन्दिरों को अपविन्न करता था तथा उन्हे नष्ट करता था।……

बावर ने स्टाम्प शूलक को केवल हिन्दुओं तक सीमित रखा। उसके एक मरदार वेग ने सम्भल में एक हिन्दू मन्दिर को बदलकर वहाँ मस्जिद बनाई। उसके सैयद शेख जई ने चदेरी में कई मन्दिरों को अपविन्न कराया। (१५२८-२९ में मीर बागी के आदेश से अयोध्या में एक प्रसिद्ध मन्दिर को नष्ट किया और वहाँ एक मस्जिद बनवाई।) ('मुगल शासकों की धार्मिक नीतियाँ', लेखक श्रीराम शर्मा, पृष्ठ ६)। ;

शेरशाह ने जोधपुर के मालवदेव पर जो हमला किया, उसका कारण आगिक रूप से यह इच्छा थी कि वहाँ के मन्दिरों को बदलकर मस्जिदें बनवा दी जायें। जोधपुर में शेरशाह ने जिन मन्दिरों को बदलकर मस्जिदें बनवाई उनमें से एक शेरशाही मस्जिद के नाम से आज भी मौजूद है। पूरनमल के साथ उसने जो धोनेवाली को उसका कारण यह बताया गया कि वह एक नास्तिक व्यक्ति को नष्ट करना चाहता था।……उसके उत्तराधिकारी शाह ने राज्य में मुल्लाओं का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर दिया।……(अकबर के) मुस्लिम सेनापति बाजिद ने बनारस के एक प्राचीन हिन्दू मन्दिर को मस्जिद में बदलवा दिया।

स्मिथ ने भी अपनी पुस्तक में पृष्ठ १२०-२१ पर एक पाद-टिप्पणी में जिजिया की समाप्ति के ढकोसले का उल्लेख इन शब्दों में किया है—“मूरी और उसके शिष्यों के बहने पर जिजिया और सीधंयात्रा कर को

समाप्त करने का जो उल्लेख किया गया है, उससे यह सिद्ध होता है कि उसके शासनकाल में इन ट्रेवसो को समाप्त करने के बारे में जो सामान्य आदेश जारी किये गये थे, उनपर कभी पूरी तरह अमल नहीं लिया गया था ।"

स्मिथ ने जो कुछ बहा है, उसे हम अधिक स्पष्ट करना चाहेंगे । अकबर और उसके अफ़सरों के बीच यह तथ्य हो गया था कि इन तथावदित आदेशों पर अमल नहीं होगा और ये आदेश सिफ़े दिखावे के लिए जारी किये गये थे । दूसरे, स्मिथ का यह कहना गलत है कि "इन आदेशों पर भी पूरी तरह अमल नहीं किया गया ।" इन आदेशों पर किसी भी समय अमल नहीं किया गया ।

अन्य ट्रेवसो के बारे में स्मिथ ने पृष्ठ १३५-३६ पर लिखा है कि— "अबुल फज्जल का विवरण कुछ अस्पष्ट है, क्योंकि वे शायद यह कहना चाहते हैं कि 'दस वर्षों की उपन का दमवी भाग वार्षिक कर योग्य आप के रूप में निर्धारित विद्या गया' और साथ ही यह भी बहा है कि जिस अवधि का उल्लेख ऊपर किया गया है, उनमें अन्तिम पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष की उत्कृष्ट फमलों को देखा जाता था और सबसे अच्छी फमल वरने वर्ष को स्वीकार कर लिया जाता था । यदि सबसे अच्छे वर्ष को मानक के रूप में स्वीकार किया जाता था, तो कर-निर्धारण वास्तव में बहुत उपर रहा होगा ।" इसलिए पाठक को भुल्लिम इतिहास-नृत्यों पर विश्वास नहीं करना चाहिए । उन्होंने जो वर्णन किये हैं वे बेबल बादगाह की चापलूमी के लिए किये हैं और उनपर विश्वास बरने से पूर्व उनकी बहुत निष्ठा में जाँच करनी होगी । सामान्यत उनके अपने वक्तव्यों में परस्पर विरोधी अस्पष्टता और अमर्गनियां मौजूद हैं जिनमें उनके अपने दावे झूठे पड़ जाते हैं ।

न्यायमूर्ति गंडलाट ने अपनी पुस्तक में पृष्ठ ३१५-१७ पर लिखा है कि "ऊनीं स्तर पर प्रशामन वा ढौङ्गा तुर्ही फारम दग वा था ।" (इसमें पना चलता है कि वह कितना विदेशी था ।) इमान सामान्यत बनकटर के प्रति उदासीन थे कि उन्हें सरकार में कोई ताम प्राप्त नहीं होता था । पुनिम वा काम भी दामोदों वो स्वयं बरना पड़ता था । उनका यह विचार भी था कि बर-निर्धारण की बटाई-मद्दति उन्हें लिए अधिक सामवारी

थी वयोंकि इस पद्धति के अन्तर्गत वे अपेक्षित उपज का नहीं बल्कि वास्तविक उपज का एक भाग टैक्स के रूप में दे सकते थे। स्थानीय राजस्व अधिकारी पूर्ण रूप से लालची और भ्रष्ट थे। किसानों से सभी तरह के अनधिकृत टैक्स वसूल करते थे। उनके भ्रष्टाचार के मूल में एक घृणित प्रथा थी जिसके अन्तर्गत बादशाह से लेकर नीचे तक सभी अधिकारी अपने अधीनस्थ अफसरों से रिश्वत लेते थे और उन्हें रिश्वत दी जाती थी।……..धूसखोरी बड़े पैमाने पर प्रचलित थी।”

डॉ० श्रीवास्तव लिखते हैं (पृ० ३५४-५७) कि “१५८७ के बारम्ब में अकबर ने एक अध्यादेश जारी किया जिसके अनुसार जो भी व्यक्ति उसके दरबार में पेश किया जाता उसे अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपनी आयु के हर वर्ष के बदले एक दाम अथवा रूपया या भोहर (मोने की) अकबर को भेट करनी पड़ती थी।” यह एक और अत्याचारपूर्ण टैक्स था। इसके कारण किसी भी व्यक्ति को अत्याचार या उत्पीड़न की शिकायत लेकर अकबर के दरबार में उपस्थित होने की हिम्मत न होती थी वयोंकि अकबर के सामने पेश होने के लिए उसे एक और टैक्स देने को विवश होना पड़ता था। यह भेट हो जाने पर भी प्रार्थी अधिकन्मे-अधिक इतनी ही आशा कर सकता था कि यदि अकबर प्रसन्न मुद्रा में हुआ तो उसे एक फरमान मिल जाएग। जिसमें विमुक्ति प्रदान की गई होगी परन्तु जिस पर कोई अधिकारी गम्भीरता से ध्यान नहीं देगा। इसलिए जब डॉ० श्रीवास्तव अबुल फज्जल का हवाला देते हुए कहते हैं कि यह पैसा कुएँ, तालाब, सराय, बाग और जन-हित के दूसरे कामों पर सचं किया जाता था। हमें यह आश्चर्य होता है कि किस तरह उन जैसे लेखक ऐसी बातों पर विश्वास कर नहेंते हैं जो ऐतिहासिक तथ्य न होकर कल्पना मानते हैं।

बदायूँनी के विवरण में पृष्ठ ८५ पर लिखा है कि “सुस्थापित प्रथा के अनुसार वर्षे में दो बार चाहे पंचांग तथा सौर पचांग के अनुसार अपने जन्म दिन पर अकबर को सोने-चांदी और दूसरी कीमती चीजों से तोला जाता था और यह सब बाद में ब्राह्मणों तथा दूसरे लोगों को दान दिया जाता था।” यह इस बात का एक उदाहरण है कि किस तरह मुस्लिम इतिहासकार अपने आथर्यदाताओं के क्रूर शासनकाल का वर्णन करते हुए प्रबुद्ध हिन्दू शासनकाल की ज़िलक पैदा कर देते थे। यह प्रथा हिन्दू राजाओं में

यी कि वे अपने बजन के बराबर कीमती धातुएँ और दूसरी वस्तुएँ बाह्यणों और निर्धन लोगों को दान में देते थे। जो मुस्तिम बादशाह हिन्दुओं को जीवित रहने की इजाजत देने के बदले उनसे जिजिया बमूल करता था उससे कैसे यह आशा की जा सकती है कि वह उन्हें दान-दक्षिणा देने का पाप करेगा। इस प्रथा से एक बात यही स्पष्ट होती है कि यह धन बमूली का एक और तरीका था। हिन्दुओं को कुछ देने की बजाय अकबर उनसे यह आशा करता था कि कम-से-कम वर्ष में दो बार वे उसके अपने बजन के बराबर खजाना उसे भेट करें। यह धन बाद में सरकारी खजाने में चला जाता था। बदायूँनी के अस्पष्ट विवरण का एक और निष्पत्ति यह हो सकता है कि कम-से-कम वर्ष में दो बार अकबर अपना बजन पहले सोने से किर चाँदी से और किर कीमती चीज़ों (हीरे आदि) से बरचाता था। इससे यह समझा जा सकता है कि इस तरीके से वर्ष में कम-से-कम वह बितना धन कमा लेता था।

पृष्ठ ७४ पर बदायूँनी लिखता है, “६७२ हिजरी में आगरा का किला बनाने का विचार किया गया। तब यह किला ईटों से बना पा। बादशाह ने उसकी जगह पत्थर लगवाया और हुक्म दिया कि जिले में हर जारी बभूमि के पीछे तीन सेट अनाज बर के रूप में बमूल किया जाए।” स्पष्ट है कि मामान्य धन बमूली वे अतिरिक्त ऐसे बामों के लिए अकबर विशेष टैक्स लगाया करता था। ऐसे बादशाह से किम तरह आशा की जा सकती है कि वह जन-हित पर पैसा लग्न न रेगा। इस बबतव्य से एक बात और स्पष्ट होती है कि आगरा के किले का निर्माण अकबर ने बराया था। बदायूँनी ने स्पष्ट लिखा है कि अकबर ने वेवल इतना ही किया कि आगरा के किले तथा नगर के आस-पास भी दीवार पर पत्थर की बिनवाई बरवा दी। यह बाम भी यदि हुआ हो तो उसकी कीमत जनता को देनी पड़ी। वेवल हमारे विचार में पत्थर लगवाने का दावा भी गलत है। अकबर ने किले और नगर में छोटी-मोटी मरम्मत कराने का बहाना लेकर जनता में एक और अत्याचारपूर्ण टैक्स बमूल किया।

बदायूँनी ने अपने विवरण में पृ० २१३ पर स्पष्ट न्यून से लिपा है कि “इस समय (६८३ हिजरी) शेष अब्दुल नवी और महदी-उल्ल-मुल्क को हुक्म दिया गया कि वे विचार बरके तथ बरे कि हिन्दुओं पर कितना टैक्स

लगाया जाए, और तदनुसार सभी तरफ फरमान जारी कर दिए गये।” इसमें मह द्वावा झूठा पड़ जाता है कि अकबर हिन्दुओं के प्रति कोई भेदभाव नहीं करता था।

इससे यह भी मिल हो जाता है कि कोई विभेदात्मक टैक्स समाप्त करने की वजाय अकबर ने “सभी तरफ” आदेश जारी किए कि जो टैक्स केवल हिन्दुओं से वसूल किए जाते हैं उनके मामले में पूरी तरह सख्ती से काम नियंत्रण जाये।

उमी पुस्तक में पृष्ठ ४०५ पर लिखा है कि “प्रजा के किसी व्यक्ति की शादी होने से पहले उन्हें पुलिस के मुख्य अधिकारी से भेंट करनी होती थी, उसके एजेण्ट लड़के तथा लड़की को देखते थे और दोनों की सही आयु की पड़ताल की जाती थी। इस तरह पुलिस अधिकारियों और दूसरे लोगों को काफी पैसा लाभ के हथ में प्राप्त होने की गुजाइश हो गई।”

यह विवाह पर टैक्स था। धन की दृष्टि से यह टैक्स जनता पर एक बड़ा भार था ही, अकबर जिस ढग से इसकी वसूली करता था, उससे उसकी हिन्दू प्रजा को असीम अनादर, अपमान और अनैतिकता का सामना करना पड़ता था। विवाह में लड़की की आयु निर्धारित करने के लिए उसकी जांच करने का अर्थ यह हो सकता था कि अप्टिं और घिनौनी वृत्ति के अधिकारी उन्हें नगा करके उनकी जांच करें। इससे सुन्दर लड़के और लड़कियों को अनैतिक कार्यों के लिए अपहरण किये जाने की गुजाइश हो सकती थी। अप्टिंचारी अधिकारियों से विवाह के लिए अनुमति प्राप्त करने का मतलब यह हो सकता था कि उन्हे वेश्या-दृति के लिए औरतें तथा धन आदि भेंट किया जाए।

अकबर की कराधान नीति की समीक्षा से स्पष्ट है कि उसमें कई तरीकों से प्रजानन से बलात् धन वसूली की गुजाइश थी। इन टैक्सों में, किलों की मरम्मत कराने का टैक्स, जिजिया, यात्रा-कर, दरबार में हाजरी का टैक्स, वादशाह को तोलने का टैक्स, विवाह-टैक्स, मृतक की सारी सम्पत्ति को जब्त करना, सैनिक अभियान टैक्स और खुली लूट शामिल हैं। इनसे अकबर की महानता प्रकट नहीं होती, वल्कि इनसे इस बात की पुष्टि होती है कि अकबर विश्व-इतिहास में सर्वाधिक अत्याचारी वादशाह था।

## धन-लिप्सा

अपनी विस्तीर्ण सलतनत, स्वेच्छाचारितापूर्ण कर-वसूली, शोषण तथा नूट-स्सोट के बावजूद भी अबबर की धन-लिप्सा इतनी तीव्र थी कि उसने धन एवं त्रित बरने के लिए अन्य अनेक जघन्य एवं धृणित तरीके अपनाये थे ।

युद्ध अथवा हमले के बाद जिन व्यवितयों को बन्दी बनाया जाता था, उन्हें दासों के रूप में बेघकर अबबर धनाज्ञन किया करता था । बदायूँनी ने ६६६ हिजरी के आस-न्यास की पठना का उत्तेज दरवारी इतिहास के पृष्ठ ३०८ पर इस प्रकार किया है—

“बादशाह ने दोतों के एक सम्प्रदाय बो, जो अपने-आपको एक विगिष्ट मतावलम्बी मानते थे, बन्दी बनाया । बादशाह ने उनसे पूछा कि क्या वे अपने दम्भ के लिए पश्चात्ताप करने को तैयार हैं? उमके आदेश पर उन्हें अबबर तथा बान्धार भेज दिया गया, जहाँ तुर्की टट्टुओं के बदले उन्हें स्वापारियों को दे दिया गया ।”

जिन लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी, अबबर उनकी धन-भम्पति भी हुड्प लिया करता था । बदायूँनी ने इन तथ्य के भी स्पष्ट सबेत दिए हैं । उमने उत्तेज लिया है—“अहमदावाद में मवदम-उल-मुल्क की मृत्यु हुई । ६६० हिजरी में बाजी अली को फतेहपुर में यह पता सजाने के लिए भेजा गया जिसकी सम्पत्ति छोड़ी है? मोने की ईंटों से भरी कुछ पेटियों उसकी बत्त से प्राप्त थी गई, जिन्हें उसने अपने शव के साथ ले ला देने को बहा था । मसार के मामने जो पुष्पन धन-राशि आई, वह इनकी अधिक थी कि उमरा पूल्याकन ‘अमम्पद’ था । मोने की ईंटों को गाही सजाने में जमावरा दिया गया । कुछ समय ब्यक्ति हीने के बाद उमके बेटों को इतना कष्ट भोगना पड़ा कि अन्ततः वे निर्धनता की दयनीय हितनि में पहुंच गये ।” (यही, पृष्ठ ३२१)

अकबर ने “एक हुवमनामा जारी किया कि उसको प्रजा के सभी वर्गों का प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए नज़राना लाए।” (वही, पृ० २३२-३३)।

“हिजरी सन् ६६६ में शेख इब्राहिम चिश्ती (शेख सलीम चिश्ती का भाई) की मृत्यु हुई। हाथियों, घोड़ों एवं अन्य चल-ममति के साथ २५ करोड़ की धन-राशि शाही खजाने में जमा की गई। शेष उनके विरोधियों, जो उसके बेटे तथा कारिन्दे ही थे, की सम्पत्ति हो गई। चूंकि वह अपनी लोलुपता तथा नीचता के लिए कुख्यात था, उसे ‘स्वभाव से ही नीच और दुष्ट शेख’ कहकर अभिशप्त किया गया।” (वही, पृ० ३८७)।

शाहवाज खाँ कम्बू ने तीन वर्ष कैद में रहने के पश्चात् अपनी मुक्ति के लिए सात लाख की राशि दी थी। मुक्ति करके उसे मालवा के मामलों को निवटाने तथा मिर्जा शाह रूख को सलाह देने के लिए नियुक्त किया गया। (वही, पृ० ४०१)।

इस प्रकार हम देखते हैं कि एक कैदी रातो-रात राज्यपाल बना दिया गया। अकबर यह अच्छी तरह जानता था कि इस प्रकार के राज्यपाल जिस भी प्रान्त में नियुक्त किये जाएंगे, लूट-खस्ती की अपरिमित धन-राशि भेजेंगे। वह यह सावधानी बरतता था कि अग्रिम रूप में उनसे अत्यधिक धन-राशि बसूल कर लेता था। इसके अतिरिक्त अकबर को यह आशा भी रहती थी कि ऐसे राज्यपाल उसे बहुमूल्य नज़राने तथा वार्षिक उपहार भी पेश करेंगे।

अकबर की धन-लिप्सा इतनी तीव्र थी कि उसने अपनी माता की ममति को भी जब्त करने में शर्म महसूस नहीं की। विसेंट स्मिथ ने (अकबर दी ग्रेट मुगल, पृ० २२८-२३०) उल्लेख किया है कि “अकबर की माता, जो उससे केवल पन्द्रह वर्ष बड़ी थी, १६ अगस्त, १६०४ को अयवा इसी समय के आस-पास मृत्यु को प्राप्त हुई। उसका शब्द दिल्ली पहुँचाया गया तथा उसके पनि हुमायूँ, जिसमें वह अडतालीस वर्ष अधिक जीवित रही, की कब्र के पास दफना दिया गया। (इस तथ्योल्लेख से उम्मीद है कि अकबर तथा अन्य मुस्लिम बादशाहों ने सुन्दर राजमहलों तथा भव्य मकबरों का निर्माण करवाया। प्रायः सभी मुसलमान बादशाहों की मृत्यु अपहृत ग्रासादों एवं मन्दिरों में हुई एवं उन्हें वही दफनाया गया।) मृतक ने अपने पीछे भपने निवास-

स्थान मे एक बृहद् सज्जाना छोड़ा था । उसकी अन्तिम इच्छा यह थी कि उबन सज्जाना उसके पुरप-उत्तराधिकारियों मे वितरित हो । अबवर बड़ा धन-सोलुप्त था । उसकी सम्पत्ति को अपने सज्जाने मे जमा करने का लोभ वह मवरण नहीं कर पाया । मृतक वो अनिम इच्छा वो और ध्यान न देते हुए उसने उसकी सारी सम्पत्ति हड्डप ली ।"

मनमरेट वा कथन है—"धन-सम्पत्ति वे सम्बन्ध मे वह बड़ा कजूग और तुच्छ वृत्ति का था ।"

थृष्णि अबवर के अधिकार मे अनन्त सज्जाना था एव सम्पत्ति एवं बरने की शक्ति भी थी, तथापि "अबवर एव व्यापारी था तथा व्यावसायिक साम को प्राप्त बरने की लोलुपता का वह मवरण नहीं बर पाता था ।"

कुलीनों वो उम सम्पत्ति पर वह भारी बर बगूल किया करता था, जो कि मृत्यु के बाद वैधानिक हृष से परम्परा के अनुसार उनके उत्तराधिकारियों को प्राप्त होती थी । इसके अतिरिक्त विजित राजाओं एवं सरदारों के सज्जाने अपहृत बर लिये जाते थे । बर की भारी वसूलियों की जाती थी, मर्त्तनत के प्रत्येक हिस्से मे नये विजित प्रदेशों के निवासियों से नज़राने लिये जाते थे । इन नज़रानों एवं वसूलियों का परिमाण इनना अधिक रहता था कि उसमे प्रजा के वितने ही परिवार बरबाद हो जाते थे । वह स्वयं व्यापार भी बरता था । इस प्रकार उसने अपरिमित साक्षा मे धन सचित बर लिया था । साम के प्रत्येक माध्यम से वह शोषण किया करता था । अपनी मर्त्तनत मे उसने धनियों को अर्ध-विनिमय की अनुमति नहीं दी थी । (साही सज्जानों मे) किये गये बृहद् परिमाण मे अर्ध-विनिमय के दार्य से बादशाह को सूड के हृष मे पर्याप्त लाभ हुआ था । मरवारी अधिकारियों को उनके पद के अनुसार सोने, चौदों अरब तंबि के मिलों मे नेतन दिया जाता था । सिवके बदलवाने पर भी बट्टा लिया जाता था । धन-बृद्धि के इम प्रबार के साधन नीचतापूर्ण समझे जा सकते हैं (गिन्नु अबवर के लिए वोई पायं नीचतापूर्ण नहीं था ।) एक ऐसा बानून भी था कि कोई भी अपना धोड़ा बादशाह की अनुमति के बिना अरबवा उसके 'एजेंटो' के माध्यम के बिना नहीं देख सकता था । जलालुदीन अबवर बड़ा कजूस था तथा धन-संप्रह का उसे बड़ा दौक था । पूर्वदेशीय बादशाहों

मे कम-से-कम दो सौ बप्तों मे वह सबसे अधिक धनी बादशाह था। उसके पास धन बोरियो मे भरा रहता था। इस धन को वह ऊचे ढेरों मे एकत्रित करता था। प्रत्येक बोरे मे करीब चार हजार तांवे के सिक्के होते थे। तृतीय मिशन के पादरियो ने उल्लेख किया है कि एक बार उन्होंने बादशाह को अनन्त सद्या मे रखे सिक्कों को गिनते हुए देखा है। इन सिक्कों के मूल्य विभिन्न प्रकार के थे तथा बादशाह ने इन्हे टकसाल मे भेजने का आदेश दिया था। बादशाह के पीछे १५० प्लेटों मे सिक्के रखे थे। कई बोरे भी रखे हुए थे। प्रतिदिन अवकाश के समय सिक्के गिनने मे अकबर बढ़ा प्रसन्न होता था। सिक्के गिने जाने के बाद अकबर उन्हे बोरियो मे बन्द करवाकर खजाने मे रखवा देता था। उसके खजाने अपरिमित थे।” (कमेटी, पृ० २०७-२०८)।

ममकालीन जेसुइट पादरी मनसरेट के मृतानुसार अकबर धन-लोनुपता के सम्बन्ध मे राजा मिदाम से भी अधिक बढ़ा-चढ़ा था। औंधेरे तहसानों मे, जहाँ उसका खजाना रखा जाता था, बैठकर बार-बार सिक्के गिनने मे उसे आनन्द बाता था।

युद्ध मे हजारों की सद्या मे पकडे गये बन्दियों को गुलामों की तरह बेचकर, कृष्ण देकर व्याज से, जुआधर चलवाकर, प्रत्येक मृतक प्रजा की मम्पत्ति हडपकर, दरखार मे आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से नज़राने की माँग द्वारा, साल मे कम-से-कम दो बार अपने-आपको सोने-चाँदी की इंटो, जवाहरात तथा रत्नों से तुलवाकर, विभिन्न यातनाएँ देकर एवं बर्वता-पूर्वक भार-पीटकर जबरदस्ती कर आदि वसूल करके, लडाई के मैदान मे घायल तथा मृत व्यक्तियो के शरीरो से वहमूल्य वस्तुओ को लूटकर, विभिन्न प्रान्तो एवं नगरो मे लूट-खसोट तथा डाकेजनी द्वारा, समुन्तत एवं समृद्ध राज्यो को पददलित करके, भारी ‘मुकित-धन’ वसूल करके तथा कल्पनातीत अन्य क्रूर एवं अद्यम साधनी द्वारा अकबर ने अपार धन-मम्पत्ति अपने खजाने मे एकत्रित की थी। ये क्रूर कर्म उसकी धन-लोनुपता के ही परिचायक हैं।

अपनी कृपण प्रकृति के कारण तथा दुष्टतापूर्ण शोषण द्वारा अकबर ने जो अपार खजाना जमा किया था, वह धन-मम्पत्ति के स्पष्ट मे मानवता का द्वून था। “सन् १६०५ ई० मे उसकी मृत्यु के समय आगरे के किले मे जो खजाना पाया गया, उसमे दो करोड़ पौँड स्टलिंग धन-राशि थी। सन् १६०० मे यह राशि डेढ़ करोड़ से कम नहीं थी।” (अकबर: दी ग्रेट भुगल, पृ० २१६)।

## व्यक्तित्व और स्वभाव

अब बर देखने में चढ़मूरत और भटा था। उम ममय के इतिहासकारों के अनुमार वह स्वभाव से कूर, विश्वासघाती, अनपढ और अत्याचार में आमन्द अनुभव करने वाला व्यक्ति था।

मनसरेट वी कमेट्री पुस्तक में सम्पादक महोदय ने लिखा है 'भारतीय शासकों की लम्बी मूची में अशोक और अबबर (भय व आतक के वारण) के महान् व्यक्तित्व दूसरे सभी शासकों के ऊपर है। दोनों वी तुलना ताम-कारी हो सकती है। अबबर में विजय करने और गौरव पाने की सालगा थी, और मत्यनिष्ठा का अभाव था जबकि इसकी तुलना में अशोक वी दिनेपत्ता थी, उसका पितृवत् शासन, सच्चा भात्म-नियन्त्रण और आंग्मि-महत्त्वाकाशा। अबबर की सभी लडाइयों में तंमूर वा मच्चा वशज होने वी झलक मिलती है और उनमें ये सभी वीभत्ताएँ शामिल हैं जो तंमूर में थीं।

"आधुनिक लोजों से यह पुगनी धारणा नियंत्र हो गई है कि अबबर दार्शनिक शासक के बारे में प्लेटो द्वारा की गई कल्पना के बहुत निरट बैठता था। महत्त्वाकाशा और चालाकी में भरा उसका चरित्र अब मही रूप में हमारे सामने है। उसकी तुलना ठीक ही तालाय वी उम मछली में वी गई है जो दूमरी कमजोर मष्टनियों को अपना भोजन बनाती है। वह इतना धुन्ना और गवीण था और उसकी कथनी और करनी में इनना अधिक अन्तर था—वन्दि कभी-भी दोनों एव-दूसरे में इतने किरीत होने थे—कि बहुत लोजने पर भी उम के विचारों वी कोई धाह नहीं मिलनी थी।

"अबबर एक में अधिक पत्नियों रखने वी अपनी आदत वो छोड़ नहीं मच्चा था, वन्दि उम ममय वी इस विवदन्ती वो कोई महत्त्व देने की

आवश्यकता नहीं है कि एक समय ऐसा आया था जब वह अपनी पत्नियों को अपने अमीर-उमरा में बाट देना चाहता था।”

मनसरेट ने लिखा है कि “कहीं उसके अमीर-उमरा उद्दण्ड न हो जाएँ, इसलिए बादशाह कई बार उन्हे अपने दरवार में खुलाकर डॉट-फटकार के साथ आदेश देता है, मानो वे उमके गुलाम हैं।” (पृ० ६०-६२)।

“जलालुदीन (अकबर) के कन्धे चौडे हैं, टांग थोड़ी टेढ़ी हैं जो धुड़-सवारी के लिए बहुत उपयुक्त है और उसके चेहरे का रग हल्का भूरा है। उमका सिर थोड़ा दाएँ कन्धों की तरफ झुका रहता है। उसका माथा थोड़ा और खुला है और उसकी आँखें इस तरह चमकती हैं जैसे सूर्य की रोशनी में समुद्र झिलमिल करता हो। उसकी भौंहें बहुत लम्बी हैं और बहुत उमरी हुई नहीं हैं। उसकी नाक छोटी और सीधी है और उमरी हुई है। उसके नथुने चौडे और खुले हुए हैं मानो उपहास कर रहे हों। उसके बाएँ नथुने और ऊपर के होठ के बीच में एक तिल है। वह दाढ़ी बनाता है परन्तु अपनी मूँछे जवान तुर्की छोकरों की तरह रखता है। वह बाल नहीं बनवाता।” “वह पगड़ी पहनता है जिसमें अपने सब थालों को समेट लेता है। वह बाईं टांग से लैंगडाकर चलता है, हालाकि इस तरफ उसे कभी कोई चोट नहीं लगी। उमका शरीर न बहुत पतला है, न बहुत मजबूत। उमका स्वभाव थोड़ा रुका है। उसमें विदेष उत्तेजनीय बात यह है कि उसे अपने आम-पाम और अपनी आँखों के सामने लोगों का जमघट लगाए रखना अच्छा लगता है। इस तरह उमके दरवार में हमेशा तरह-तरह के लोगों का जमघट लगा रहता है, इसमें विदेष रूप से अमीर-उमरा होते हैं जिन्हे बादशाह का हुबम है कि वे हर बर्पं अपने-अपने मूँदे से आकर कुछ समय दरवार में रहा करें। जब वह अपने महल से बाहर जाता है तब ये अमीर-उमरा और अगरथकों की एक टोली उसके साथ चलती है। वे लोग पैदल चलते हैं और उमका इसारा पाकर ही थोड़ो पर सवार होते हैं।”

“उमके कष्ठों पर जरी की बहुत बढ़िया कडाई होती है। उमका सैनिक चोगा सिर्फ धुटनों तक लम्बा होता है और उसके बूट टखनों को पूरी तरह ढके रहते हैं। वह सोने के गहने, हीरे और जबाहरात पहनता है। वह यूरोप की बनी एक तसवार और कटार अपने साथ रखने का शौकीन है।

वह कभी भी निरस्त्र नहीं रहता और अन्त पुर में भी लगभग २० अग-  
रत्मक, जिनके पास भिन्न-भिन्न प्रकार के हथियार रहते हैं, उसके आमपाम  
रहते हैं।

“उसका दस्तरखान (खाने की मेज) आमतौर से बीमती भोजनी से  
सजाया जाता है। इसमें ४० से अधिक विस्तों का भोजन बड़ी-बड़ी  
तश्तरियों में परोसा जाता है। भोजन कपड़े में लपेटकर खाने के कमरे में  
लाया जाता है। खानतामा इन तश्तरियों को कपड़े से अच्छी तरह वाधकर  
सील बन्द करके देता है ताकि भोजन में विष निसा देने का डर न रहे।  
भोजन के याल युवकों वे द्वारा खाने के कमरे तक लाये जाने हैं, नौवर  
आगे-आगे चलते हैं और मुख्य परिचारक पीछे चलता है। दखाजे पर  
हिजड़े इस भोजन को ले नेते हैं और अन्दर जाकर भोजन परोसने वाली  
बादियों को दे देते हैं। सार्वजनिक भोजों को छोड़कर वह अधिकतर एवान्न  
में भोजन करता है। वह बहुत कम अवसरों पर शराब पीता है, परन्तु वह  
अपनी प्यास युझाने के लिए पौस्त का पानी पीता है और जब वह पोस्त  
अधिक मात्रा में पी जाता है तब होश खोकर और बौपते हुए पीछे बी और  
गिर पड़ता है। वह एक साधारण सोफे पर बैठकर अपने भोजन खरता है  
जिमपर रेशमी वालीन और किन्हीं विदेशी पीढ़ों की मुलायम रई में भरे  
हुए गड़े सगे रहते हैं।” (प० १६६-२००)।

“जलालूद्दीन विदेशियों और अपरिचित व्यक्तियों का स्वागत अपने  
देशवासियों और अधीनस्थों के मुकाबले बिल्कुल भिन्न ढुग में करता है।  
विदेशियों के प्रति उसका व्यवहार बहुत बिन्द्र और हृषापूर्ण होता है।  
परन्तु वह अरेविया फेनिक्स के, जिमकी राजधानी मना में है, तुर्की वाय-  
मराय के साथ इतनी अमद्रता से पेज आया कि उसका राजदूतावास धुएं दी  
तरह हवा में उड़ गया, उसके मुख्य राजदूत को जेल में डाल दिया गया  
और काफी सम्में समय तक लाहौर में रखा गया जबकि उसके नौवर-नापर  
चुप्ते-चुप्ते भाग निकले। “जलालूद्दीन अपने मरदारों के मात्र, जो उसकी  
अधीनता में हैं, इतनी मट्टी के मात्र पेश आता है कि उनमें मैं प्रत्येक अपने-  
आपको बहुत ही धृणित और निम्न थेणी का इन्मान मानता है। उदाहरण  
के लिए जब ये मरदार बोई गलती करते हैं तो उन्हें और नोगों की बोझा  
अधिक सख्त सज्जा दी जाती है।” (वही, प० २०४-२०५)।

“वह कुछ भी पढ़ना या लिखना नहीं जानता है।” (वही, पृ० २०१)

“जलानुदीन के पास लगभग २० हिन्दू सरदार मन्त्री और सलाहनार के रूप में रहते हैं। वे उसके प्रति निष्ठावान हैं और बहुत बुद्धिमान और विश्वासपात्र हैं। वे हमेशा उसके पास रहते हैं और उन्हे महल के आन्तरिक भागों तक जाने की भी अनुमति है, यह विशेषाधिकार मगोल सरदारों को भी प्राप्त नहीं है।” (वही, पृ० २०३)

अकबर केवल हिन्दू सरदारों को महल के आन्तरिक भागों में आने की अनुमति देता था, इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वह स्वभाव से किसी तरह उदार था। वह केवल अपनी, अपने खजाने और हरम की मुरझा की दृष्टि से ही ऐसा था। हिन्दुओं के प्रति उसका विश्वास उक्त समुदाय के प्रति उसकी फूहड़ प्रशस्ता का भी सकेत देता है जो विश्वासधात और यन्त्रणा के माध्यम से किसी क्रूर व्यक्ति की अधीनता स्वीकार करने को विवश हो जाने पर भी अपने धर्म-भावी, विजय-और शिष्ट स्वभाव के कारण और कूर तथा दुर्ध्यवहारी शासक की निष्ठा के साथ सेवा करने की अपनी स्वभावगत मूर्खता के कारण विजेता के प्रति निष्ठावान बने रहे। अकबर मुस्लिमों से केवल तभी परामर्श करता था जब उसे हिन्दू वस्तियों पर हमला करके उन्हे लूटना होता था, इसका कारण यह है कि वह अपने हरम, शाही खजाने और अपने शरीर की सुरक्षा के मामले में उनपर विश्वास नहीं कर सकता था।

डॉ० थीवास्तव ने अपनी पुस्तक “अकबर : दी ग्रेट” (भाग १, पृ० ४६७) में लिखा है। “अकबर बचपन में पढ़ने-लिखने से दूर भागता था, इसलिए वह जीवनभर अनपढ़ रहा। अकबर ने स्वयं स्वीकार किया है कि किसी को अनपढ़ होने पर शर्म नहीं होनी चाहिए। उसका कहना है कि “पैगम्बर सभी अनपढ़ थे। इसलिए उनपर इमान लाने वालों को चाहिए कि वे अपनी ओलाद में से कम-से-कम एक लड़के को दौसी हालत में रखें।” यह टिप्पणी अकबर की निष्ट मूर्खता का सकेत देती है।

“अकबर में तबॅं बुद्धि और अन्यविश्वास का विचित्र मिश्रण है।...” यह कहना अत्युक्त होगा कि राजकाज और विशेषाधिकारों और शादुओं के साथ व्यवहार में अकबर हमेशा ईमानदारी से काम लेता था। जो भारतीय शासक उसे व्यक्तिगत नज़राना पेश करने से इन्कार करते थे या ऐसा

करने में देर करते थे, उनके साथ अपने सम्बन्धों में वह अपनी इजबत का दाम ध्यान रखता था ।" (वही, पृ० ५०६-११) । डॉ० थोवास्तव में यह एक कमज़ोरी है कि निपट दुराई में भी वे अच्छाई देखने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए वे अववर के चरित्र के बारे में सभी प्रमाणों की उपेक्षा करते उनके बारे में केवल एक हल्की भत्साना का उल्लेख करते हैं ।

बदायूंनी भी जोकि एक धर्माधिक मुस्लिम और आशाकारी दरवारी था, अववर के स्वभाव से परेशान था । अपनी पुस्तक के दूसरे भाग (पृ० १४४-२००) में उसने यहा है—“यह सब दिन भर देखो, एर बहू बुछ नहीं । परन्तु इसके बावजूद शहराह की खुशबिस्मती उसके मध्ये शब्दों पर हावी हो जाती थी और इसमिए अधिक सहजा में मैनिक रहना जहरी नहीं था ।”

“वह अपने बोधी स्वभाव की दशा में रहने का अध्यस्त वा और इसी तरह वह अपने विचारों और वास्तविक उद्देश्यों को भी छिपा लेने में सिद्ध-दर्शन था ।” वारतोनी का बहना है कि “वहुकभी भी चिसी को ताही हर गे यह जानने का अववर नहीं देता था कि उसके दिल में क्या है, वह वास्तव में चिन धर्म का अनुयायी है; अपने स्वार्थ के अनुगार उसे जैवा भी दीक लगता, वह चिसी एक या दूसरे पक्ष का पोषण करके उसे आने पक्ष में बर केने का प्रयत्न करता, वह दोनों पक्षों से मीठी भाषा में बोलता, बिंक इस वात पर आग्रह करता कि मान्देह प्रकट करने में उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि उनके दुड़िमत्तापूर्ण उत्तरों से भाष-दर्शन पाकर वह सच्चाई की तहुं तक पहुंच सके । अववर के सभी वायों की यह एक विशेषता थी देखने में उसमें कोई रहस्य और छल-कपट नहीं था, परन्तु वास्तव में वह इनना सखीर और घुन्ना था और उम्मी क्यनी और बर्नी में इनना अधिक अन्तर था—वैलिक बभीन्कस्त्री दोनों एक-दूसरे में इन्हें विपरीत होने थे—कि वहुन खोजने पर भी उनके विचारों की कोई थाह नहीं मिलती थी । वहधा ऐमा होना था कि बोई व्यक्ति कल वे अववर को तुमना थाज के अववर में बरता तो उसे दोनों में कोई समता न मिलती और ध्यान में देखने वाले व्यक्ति को भी लम्बे समय तक उसके पास रहने के बाद अनिम दिन तक उम्मी बारे में उत्तरी ही जानवारी होती जिन्हीं उमे गहने दिन थीं । अववर के विविध मत के इस बांगन में इनिहास का छात्र बुछ सीमा तक गमन नहीं है कि अववर के राजनीतिक कियाज्वलार में वहुन बार बिंग तरह वूर कूटनीति और छन-छन्द बाम करते थे ।” (अववर-दी प्रेट मुगल, पृ० २४७) ।

## विश्वासघात

अकबर के चरित्र के बारे में कुछ निष्पक्ष लेखकों का जो वास्तविक मूल्यांकन पिछले प्रकरण में दिया गया है, उसकी पूरी पुष्टि अकबर के द्वारा अपने सम्पूर्ण शामनकाल में किए गये कारनामों से हो जाती है। अकबर का शामन चालाकी से भरपूर था और उसने विश्वासघात के अस्त्र का प्रयोग किसी भी अन्य अस्त्र की तरह बहुधा किया।

स्मिथ ने अपनी पुस्तक 'अकबर . दी ग्रेट मुगल' (पृ० १४५) में लिखा है कि "पुर्तगालियों के सम्बन्ध में अकबर की नीति टेढ़ी-मेढ़ी और छल-बपट से भरी थी। इधर जब पुर्तगाली वायसराय को भेजे गए मैत्रीपूर्ण आमन्त्रण के उत्तर में ईसाई मिशनरी उसके दरवार में आ रहे थे, तभी दूसरी तरफ उसने यूरोपीय बन्दरगाहों पर कब्जा करने के लिए सेना संगठित कर ली थी क्योंकि पुर्तगाल वाले शाही जनयनों को पास लिये बिना मक्का नहीं जाने देते थे। १५७५ में गुलबदन वेगम को पास प्राप्त करने के लिए बलमर का गाँव पुर्तगालियों को देना पड़ा था। वापस आने पर उसने निर्देश दिया कि वह गाँव वापस ले लिया जाये। युवकों की एक टोली पर हमला किया गया और नीं पुर्तगालियों को कैद कर लिया गया। उन्हे सूरत में लाया गया और शाही आदेश को मानने से इन्कार करने के आरोप में कत्ल कर दिया गया। उनके साहसी नेता दुआते पेरायरा द लेसरदा की प्रशंसा की जानी चाहिए। उनके सिर फतेहपुर सीकरी भेजे गए, परन्तु अकबर ने ऐसा बहाना बनाया कि उसने उन्हें नहीं देखा।"

इतिहास के छात्र को इस उद्धरण से वह इंगिक्षाएँ मिलती हैं। पहली बात यह पता चलती है कि मुगल महिलाओं में भी धर्मान्धता, शैतानी और विश्वासघात का वैमा ही मिथ्यण था, जैसा मुगल पुरुषों में था। उनके आकर्षक नामों से उनके घृणित चरित्र के बारे में गलतफहमी नहीं होनी

चाहिए। दूसरे, यह ध्यान देने योग्य है कि अकबर इसी भी दूसरे मुम्बिन चौतरह धर्मान्वय था और उसके शामनकाल में धर्म-परिवर्तन से इन्सार करने वालों को पीड़ित बरते और उन्हें बल्ल सिंह जाने का निनामिना लगातार चलता रहा। तीसरी बात यह ध्यान देने की है कि फतेहपुर-गोकरी, जिसके बारे में विश्वास किया जाना है कि वह १५८५ के आमदाम चतुर्थ तंयार हुई थी, १५८० के शुहू में भी मौजूद थी। उन समय वैयो-निव धर्म-प्रचारकों का यहला मिशन चहों आया था। इन मिशनरियों ने मीकरी की मीनारों और प्राचीरों को दूर से देखा था। इसमें अन्वेषण-वर्ताओं की ममता में आ जाना चाहिए कि फतेहपुर मीकरी एक प्राचीन हिन्दू नगरी है। अकबर ने मिकं इतना किया कि ये इमारतें ऐसे मनीम चिक्की और उमसी टोली के कढ़ीरों को देवर बेकार बरते की अपेक्षा वह अपनी राजधानी वहाँ से गया।

स्मिथ ने आगे (पृष्ठ १४६) कहा है, “अकबर की दोरणी नीति के स्पष्ट प्रमाण से ईसाई पादरी नाराज थे। एक तरफ अकबर स्पेन के राजा की, जिसके अधीन पुरुंगाल उस समय था, दोस्ती का दम भरता था, परन्तु दूसरी ओर वह पुरुंगालियों ने विरुद्ध शत्रुंगा भरे आदेश देना पा। उनके वैयोलिक मुख्याधिकारियों ने इन मिशनरियों को वापस आने के आदेश दिये।... मिशनरी खुद भी वापस जाना चाहते थे क्योंकि युद्ध मम्बन्धी तथ्यों के प्रति अकबर की इन्वारी उन्हें किसी भी तरह मजूर नहीं थी।”

उसी पुस्तक में (पृ० १६६-२०८ पर) स्मिथ ने कहा है कि (अद्दुर रहीम खानगाना के माय मुगल सेना की अगवानी बरते हुए) “शाहजादा (मुराद) जो एक बदमाश शराबी था, अन्यथा घमड़ और अह मे भर उठता था।” अपने चाटुकारी स्वभाव के अनुमार बदायूँनी ने निरापा है कि “इन दोयों के मामले में शाहजादा (मुराद) अपने यशस्वी पिता (अकबर) की नकल करता था।”

अमीरगढ़ के अजधन हिन्दे को अकबर ने घोरेंवाली से विजित किया। स्मिथ ने लिखा है कि “१६वीं शताब्दी में अमीरगढ़ को विजय की अद्दुर बृतियों में दिना जाना था। किन्तु मे पहाड़ी की छोटी पर लगभग ६० एकड़ भूमि में पानी की पर्याप्त व्यवस्था थी। (यह स्थान बुरहानपुर में लगभग ३२ मील उत्तर में है)।

“अकबर अन्तत किम तरह अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हुआ, इस मम्बन्ध में दो अलग-अलग विवरण मिलते हैं जो परस्पर विरोधी हैं और जिनमें कोई संगति नहीं है। दरवारी इतिहासकारों का वर्णन है कि असीरगढ़ के विजित होने का कारण यह था कि वहाँ एक घातक भहमारी फैल गई थी। जेरोम जॉवियर के, जो उन दिनों अकबर के दरवार में था, अप्रकाशित पत्रों पर आधारित विवरण के अनुसार किले को विजित करने के लिए वहाँ के अधिकारियों को बड़े पैमाने पर रिश्वत दी गई और बादशाह मीरन बहादुर को पुस्तकार अकबर के कैम्प में लाया गया जहाँ उसे एक अपमानजनक जालसाजी से बन्दी बना लिया गया। घातक भहमारी की बात ॥ अधिकतर मनेगढ़न्त लगती है। अकबर छन्न-कमट और विश्वासधात के हथियार को इस्तेमाल करने में कभी घबराता नहीं था।

अकबर ने बुरहानपुर के किले पर ३१ मार्च, १६०० को अधिकार किया, जहाँ उसका कोई विरोध नहीं हुआ। यहाँ उसने पूर्ववर्ती राजा के महल में रहना शुरू किया। (इसमें इतिहासकारों को खौकन्ना हो जाना चाहिए कि फतेहपुर सीकरी, अजमेर और दूसरे स्थानों पर नाग भवनों का निर्माण न करके अकबर पुराने शामकों के महलों पर ही अधिकार किया करता था।) ६ अप्रैल को वह असीरगढ़ की प्राचीर के नीचे पहुँचा। दो लाख व्यक्ति अकबर का मुकाबला करने के लिए तैयार खड़े थे। बादशाह ने छन्न और भुलाडे का सहारा लेने का निश्चय किया जिसमें वह अत्यन्त निपुण था। उसने बादशाह मीरन बहादुर को भेंट के लिए बाहर आने को कहना भेजा और अपने सिर की कसम खाकर विश्वास दिलाया कि राजा मीरन को शान्तिपूर्वक वापिस जाने दिया जाएगा। ॥ अत, बादशाह एक पटका पहने बाहर आ गया, पटका एक तरह से यह सकेत देता था कि वह सिर झुकाने को तैयार है। अकबर एक युत की तरह स्थिर बैठा था। मीरन बहादुर ने तीन बार झुककर कोरनिश बी और जैसे ही वह आगे बढ़ा, ॥ एक मुगल अधिकारी ने उसे सिर से पकड़कर आगे की तरफ धक्का दिया और पूरी तरह सिजदा करने को विद्या कर दिया।”

अकबर ने उसे कहा कि किले को मेरे हवाले कर देने के लिए लिखित आदेश भेजो। बादशाह के इन्कार करने पर उसे बलपूर्वक बन्दी बना लिया गया। बादशाह के अवीमीनियाई कमाडर ने जब यह समाचार सुना तो

उमने अपने लड़के मुकरंब सान को अब्दर के पास भेजा। अब्दर ने लड़के से प्रश्न किया कि क्या तुम्हारा पिता (कमाड़) आत्म-समर्पण करने को तैयार है? इमपर लड़के ने तुनुक कर उत्तर दिया...“अब्दर ने तुरन्त बाज़ा दी कि लड़के को छुरा भारकर हत्या कर दी जाए।...” तब अबीसो-नियाई कमाड़ ने यह कहते हुए कि मुझे ऐसे विश्वासघाती बादशाह का मूँह देखना नमीब न हो, किसे बालों को अपनी रक्षा करने का आदेश देने हुए स्वयं आत्म-हत्या कर ली।

किसे का घेरा चलता रहा। अब्दर ने जेवियर को कुछ पुरुंगाली जगी गाड़ियों का प्रवान्ध करने के लिए बहा। जेवियर ने इस काम को ईमाई मत के विशद बताते हुए ऐसा करने से इनकार किया। इसका बास्त-विक कारण यह था कि कुछ ही समय पहले पुरुंगालियों ने भीरन बहादुर के साथ एक मन्धि पर हस्ताक्षर किये थे। कुछ पुरुंगाली अधिकारी किसे भी भी मौजूद थे और उन्होंने भीरन बहादुर को सलाह दी थी कि वह अब्दर के बायदे पर विश्वास न करे।

स्थिय ने निखा है कि “जेवियर की निर्भय बाणी से वह निर्दयी इतना अधिक नाराज हुआ कि गुस्से में लाल-पीला होकर उसने आदेश दिया कि चर्चे के पादरियों को शाही महल से निकाल बाहर किया जाए और उन्हें फौरन गोवा भेज दिया जाए। इमनिए जेवियर और उसके साथी वहाँ से हट गए। परन्तु कुछ मिन्नों की सलाह पर उन्होंने उम नगरी को नहीं छोड़ा (जोर बाद में उन्हें मालूम हुआ कि अब्दर का गुस्सा ठड़ा हो गया है)।”

अब्दर अब मुश्किल में पड़ गया था। बायदा भग कर देने के बाद भी दुर्ग के हस्तगत होने का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता था। ममय बहुत बम था वयोंकि उसका बड़ा पुत्र जहाँगीर उम समय विद्रोह किये हुए था। और वह एक स्वतन्त्र बादशाह के रूप में इलाहाबाद में शासन कर रहा था। इम प्रवार उसे विश्वास होकर अपन एकमात्र उपाय—रिक्षत—का सहारा लेने को विश्व छोना पड़ा। किसे की घोगचन्दी की तैयारियाँ शुरू होने के लगभग माझे १० महीने बाद १७ जनवरी, १६०१ को दुर्ग पर दिव्य प्राप्त कर सी गई।

जब ग्रसीरगढ़ ये दरवाजे खुले तो ऐसा लगा कि अब्दर पूरा भगवर दमा हुआ है और एक सम्मान तक बाहर आने वाले सोगों का तीता समा

रहा। इनमें से कुछ की नजर बमजौर हो गई थी और कुछ को अधीक्षित हो गया था।” “अबुल फ़ज़्ल का यह दावा अब पूर्णतः झूठ लगता है कि महामारी में २५,००० व्यक्ति मारे गये थे। घातक महामारी की कहानी उस अशोभनीय तरीके पर पर्दा ढालने के लिए गढ़ी गयी थी, जो अकबर ने भारत के इम दुर्भेद्य दुर्ग पर अधिकार करने के लिए अपनाया था। दरबारी इतिहासकारों ने जान-दृश्यकर सच्चाई को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया है। कमाण्डर के लड़के के कत्ल को आत्महत्या के रूप में पेश किया गया है और इसी तरह के सरासर झूठे विवरण दिये गये हैं जिनका विप्तून विवेचन करना ध्यर्य है।”

कंदी बादशाह और उसके परिवार दो बन्दी बनाकर गवानियर के किले में रखा गया।

यदि भारतीय इतिहास का विद्यार्थी मह मानकर चले कि मुगल इतिहास में जिन्हे आत्महत्या के मामले कहा जाता है; वे सब वास्तव में हत्या के मामले ये तो कोई गलती नहीं होगी। जहाँगीर की पत्नी की हत्या अकबर और जहाँगीर ने मिलकर की थी। हिन्दू चिन्हकार दसवध की मृत्यु भी रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में हुई थी। जिन राजपूत दरबारियों की पत्नियों पर अकबर की निगाह पड़ जाती थी उन राजपूतों की हत्या कर दी जाती थी। बहराम खाँ को कत्ल किया गया था। ऐसे कई उदाहरण दिये जा सकते हैं।

स्मिथ ने लिखा है कि “सन् १६०० में एक एशियाई देश में भी विश्वासंधात को, जैमा अकबर किया करता था, अपयशकारी माना जाता था। अबुल फ़ज़्ल और फ़ैज़ी………मरहिन्दी अपने आश्रयदाता की धोखेवाज़ियों पर पर्दा ढालने के मामले में एकमत हैं। कई मामलों में राजकाज में अकबर चालाकी बोर कपट से बाम लेता था।”

डॉ० श्रीवास्तव ने भी, जो अकबर के उग्र प्रशासक हैं, स्वीकार किया है कि कश्मीर को अपने अधीन करने के लिए अकबर ने विश्वासंधात से काम लिया। अकबर ने भगवानदात के नेतृत्व में एक मैनिक टुकड़ी कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए भेजी थी। २२ फरवरी, १५८६ को भगवानदास ने कश्मीर के यूसुफ खाँ के नाय संघिय कर ली। शर्तें इस प्रकार थीं: १. कश्मीरका शासक केशर की फ़मल एवं ऊनी-वस्त्रों परलगने वाले शुल्क

वा स्वया-पंसा शाही सज्जाने में जमा करायेगा और अकबर का आधिपत्य स्वीकार करेगा; और २. वह अपनी रियायत का अधिकारी बना रहेगा। \*\*\* मुरखा का वचन देकर भगवानदास यूमुक खाँ को दरबार में ले आया। ये लोग २८ मार्च, १५८६ को दरबार में पहुँचे। परन्तु अकबर ने मन्थि की शर्तें मजूर नहीं की और अपने ही सेनापतियों के विष्ट वार्यं शाही की। भगवानदास को कुछ समय तक दरबार की सेवा में अलग रहने का हुक्म दिया गया और यूमुक खाँ को नजरबन्द कर दिया। इसके बाद अकबर ने एवं और मैनिक टुकड़ी भेजी। भगवानदास ने यूमुक खाँ के जीवन की मुरखा का वचन दिया हुआ था। इस घटना से उसके मन में इतना खोम हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली। मैनिक टुकड़ी २८ जून, १५८६ को लाहौर में रखाता हुई। याकूब ने, जिसने अपने पिता को मरा हुआ समझ लिया था, शाह इस्माइल नाम से गढ़ी सम्भाली और अपने देश की रक्षा की तंयारी करने लगा। “६ अकबूर के आसास कासिम खाँ की सेनाये कश्मीर की राजधानी थीनगर में घुसी और उन्होंने अकबर के नाम से करमान पड़कर सुनाया। कासिम खाँ की दमन और बदले की नीति के बारण कश्मीर का विश्रेत हुए वर्ष तक और चलता रहा और अपने छापामार तरीकों से काम लेकर याकूब मुगल सेनाओं में उथल-भूयत बरने का प्रयत्न बरता रहा। कासिम खाँ के बाद पिछी यूमुक खाँ आया। याकूब ने जुलाई, १५८६ में आत्म-नमर्पण किया। उसे नजरबन्द रखा गया और बाद में उसे बिहार में जागीर दी गई। कश्मीर का विलय हो जाने के बाद यूमुक खाँ को मुक्त बर दिया। उसे ५०० का मनमवदार बनाया गया और बिहार में जागीर दी गई। मार्मिह के नेतृत्व में उसने उड़ीसा में (अकबर की ओर से) युद्ध किया।” कश्मीर की घटना अज्ञोभनोद्दृश है और अकबर के चरित्र पर एक घब्बा है। अकबर ने अपने एक प्रिय जनरल के हारा दिये गये वचन का निरादर किया। यूमुक खाँ जो जागीर दी गई, वह एक सम्पन्न हियासत के सावंभीम शामद के प्रति अपमानजनक थी।”

अकबर की घोगेबाजी का एक और उदाहरण भाटा (आधुनिक रोता) के हिन्दू राज्य के सम्बन्ध में है। स्वर्गीय राजा रामचन्द्र के पौत्र विष्वमाजीन ने, जो अत्यायु का बासक था, अकबर के आधिपत्य को

ठकरा दिया इसलिए राय त्रिपुरदास के नेतृत्व में उसके विशद सेना भेजी गई। यह अभियान दो वर्ष से अधिक समय तक चलता रहा (जब दुर्ग पर बलपूर्वक अधिकार न हो सका तब) यह निश्चित किया गया कि विक्रमाजीत को अकबर के दरवार तक आने की अनुमति इस शर्त पर दी जाये कि एक बड़ा अमीर बन्धु के किले में आये और उसके जीवन की रक्षा तथा राज्य वापस दिलाये जाने की गारण्टी दे तथा साथ ही बन्धु तक सुरक्षित वापस जाने की गारण्टी भी दे। दुर्ग वालों को यह आशा थी कि उन्हें दुर्ग पर अधिकार बनाये रखने की अनुमति दी जायेगी। पहले अकबर ने इस बात पर जिद की कि पहले दुर्ग को खाली कराया जाये और उसके बाद ही दुर्ग राजा को वापस दिया जायेगा। दुर्ग की सेना ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और घेरावन्दी चालू रही। मुगलों ने रमद बन्द कर दी जिससे किले में बन्द लोगों को कुछ कठिनाई हुई। फिर, ऐसा लगता है कि त्रिपुरदास दुर्ग के कुछ अधिकारियों को पथ-ब्रह्मण्ड करने में सफल हो गया। दुर्ग की घेरावन्दी आठ महीने बीस दिन तक चली। रसाइन होने के कारण दुर्ग द जुलाई, १५६७ को अकबर के अधिकार में आ गया। दुर्ग को खाली कराया गया और पर्याप्त भास्त्र में लूट का माल प्राप्त किया गया। दुर्ग राजा विक्रमाजीत को वापस नहीं दिया गया। अप्रैल, १६०१ में स्वयं रामचन्द्र के एक और पौत्र दुर्योधन को राजा स्वीकार किया गया और बन्धु दुर्ग उसे दे दिया गया। भारतीचन्द्र को राजा का सरकार नियुक्त किया गया। (अकबर : दी ग्रेट, पृ० ३८३-८६, भाग १)।

यह पुष्टि करना अत्युक्ति होगी कि शासन-कला में और अपने विरोधियों और शत्रुओं के साथ व्यवहार में अकबर पूरी तरह ईमानदार था। इसके अतिरिक्त जो भारतीय राजा उसे नज़राना पेश नहीं करते थे या ऐसा करने में देर करते थे, उनके साथ व्यवहार में अकबर अपने सम्मान का विशेष ध्यान रखता था। इसी कारण वह राणा प्रताप को अपने पक्ष में करने में विफल रहा और भाटा के राजा रामचन्द्र तथा कश्मीर के यूसुफ खाँ के प्रति उसने जो निष्ठुर व्यवहार किया, उसके लिए भी उसका यही स्वभाव उत्तरदायी था। उसके सुदौरधं शासनकाल में युद्ध अभियान निरन्तर चलते रहे। शान्ति का समय बहुत कम रहा।..... किस तरह उमने राजस्थान के राजाओं को एक-दूसरे-से लड़ाकर उनका सह्योग और समर्थन प्राप्त किया, इसका बर्णन एक अलग पुस्तक में करना समीचीन होगा। (बटी, पृ० ५११-१४)।

: १६ :

## पाखण्ड

अबुल कज़ल जैसे कुछ चापलूस इतिहासकारों ने अकबर के जो वात्रनिक और पाखण्डपूर्ण दृतान्त दिये हैं, उनके होते हुए भी इतना तो स्पष्ट है कि अकबर के जो कार्य-व्यवहार देखने में साधारण लगते थे, वे वास्तव में हमेशा पाखण्डपूर्ण होते थे।

दिसेट स्मिय ने लिखा है कि “अकबर व भी भी पारसी बनने की सीमा तक नहीं पढ़ौच सका। हिन्दू, जैन और ईसाई धर्म को अपनाने में भी उसका यही हाल था। यह प्रत्येक धर्म को अपनाने में वैवस वही तक आगे बढ़ता था जहाँ तक लोगों में यह विश्वास करने वा उचित आधार बन जाये कि वह पारसी, हिन्दू, जैनी या ईसाई है।” (प० ११८, अकबर द्वी प्रेट मुगल)।

“इस समय (१५८० ई०) तक अपने धर्म सम्बन्धी विचारों के विरोध में कई व्यापक रोप के बारण अकबर ने जानूँझकर पाखण्डपूर्ण भीति अपनाई। अन्यतर से वापस आते हुए वह अपने साथ एक ऊँचा तम्बू मस्जिद के न्यू में लाया जिसमें वह किनूद मुसलमानों की भीति दिन में पाँच बार नमाज़ पढ़ता था। कुछ समय बाद उसने इस पाखण्ड को और आगे बढ़ाया। भीतर आवृत्तुरब नाम का एक व्यविन मकबा से लौटते समय अपने माथ एक पत्थर साधा था, जिसके बारे में ऐसा बहा जाना है कि उम्पर पैगम्बर वे दौर के निशान देने हैं। अकबर भली प्रवार जानता था कि इसमें मच्चाई नहीं हो सकती, फिर भी वह उस पत्थर का स्वागत करने के निए गया।” (वही, पृष्ठ १३०)

स्मिय ने लिखा है कि “पाठक अकबर द्वारा जारी किये गये दूसरे व तीसरे फरमानों की विस्तारित को समझ सकते हैं। (२) बेवज धर्म के बारण विषी व्यविन के बारे में हमलधोर नहीं होता चाहिए और प्रत्येक

व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने की छूट होगी, (३) यदि कोई हिन्दू-स्त्री किसी मुसलमान पर आसकत हो जाये और मुस्लिम धर्म को स्वीकार करले तो उसे बलपूर्वक उसके पति से अलग किया जाये और उसे उमके परिवार वालों को लौटा दिया जाये।” (वही, पृष्ठ १८६)।

स्मिथ ने अकबर के द्वारा जारी किये गये फरमानों की तुलना करके उनकी विमर्शतियाँ बताई हैं, परन्तु हम इस बात पर बल देना चाहेंगे कि अकबर ने कभी भी ऐसा फरमान जारी नहा किया। ये सब पाखण्डपूर्ण फरमान भवुल फजल जैसे चापलूस लोगों ने बनाये और लिखे और इनके माध्यम से उन्होंने अपना सुखमय जीवन व्यक्ति किया, जनता को पथ-भ्रष्ट किया और चापलूसी से बादशाह को खुश करके उससे अवाञ्छित लाभ प्राप्त किये। यदि वास्तव में अकबर ने ही ये सब फरमान जारी किए होते तो सबसे पहले वह स्वयं, उसके पुत्र और दरबारी उन हिन्दू औरतों से वचित कर दिए जाते जिन्हें रोज बन्दी बनाकर हरम में लाया जा रहा था। अकबर के हरम में अमर्त्य हिन्दू सुन्दरियाँ थीं, इतने पर भी उमकी ललचाई हुई निगाह रानी दुर्गाविती पर थीं। दुर्गाविती ने युद्ध में प्राण त्याग दिए, इसलिए अकबर को दुर्गाविती की बहन और पुत्र-चधू को ही हस्तगत करके सन्तोष करना पड़ा। उन्हे तत्काल घसीटकर हरम में लाया गया। किसी स्त्री को उसके पति के पास वापस भेजने की बजाय अकबर औरतों को उनके घर और पतियों से छीन लिया करता था। शरफुद्दीन, आसफ खाँ, अधम खाँ जैसे उसके जनरल और उसके मुस्लिम सैनिक हिन्दू-स्त्रियों को हजारों की सूची में उठाकर ले जाते थे। इसलिए अकबर द्वारा जारी किये गये तथाकथित पवित्र फरमानों के खोखलेपन के बारे में कोई सन्देह नहीं होना चाहिए।

अपने आश्रयदाताओं के क्रूर शासनकाल के बीमत्स विवरण देते हुए बीच-बीच में उनकी कात्पर्यनिक पवित्र वक्तृताओं का उल्लेख करना और उनकी उदारता का गुणगान करना मुस्लिम इतिहासकारों की पुरानी पद्धति है। इसीलिए वहे पैमाने पर भूशस हत्याएं करने वाले और मध्मी तरह के पृष्णास्पद अत्याचार और बलात्कार के कारनामे करने वाले तंमूर लग, फिरोजशाह तुगलक, मिकन्दर लोदी, शेरशाह, जहाँगीर और दूसरे बादशाहों के बारे में इन इतिहासकारों ने लिखा है कि धर्म-भावना से प्रेरित

होकर उन्होंने पविको की सुख-सुविधा के लिए तालाव, सराय, आराम पर, दरिद्रालय, सड़कों पर छायादार बृक्ष, प्याऊ और इसी प्रकार की अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराईं। सभय आ गया है जब इतिहास वा प्रत्येक पाठ्य और विद्वान् इस बात को समझे। इतने अधिक अभिशप्त प्रमाण होने पर भी ऐसे पासण्डगूण दम्भ पर विश्वास करना बचकानापन और देवपूर्ण होगा।

स्मिथ ने जेवियर का—यह ईसाई पादरी अबबर के दरवार में या—हवाला देते हुए लिखा है कि अबबर अपने आपको पैगम्बर के रूप में मानता था “ओर वह चाहता था कि लोग यह समझें कि जिस पानी से वह पैदा होता है, उससे वह रोगी व्यक्ति को ठीक करके चमत्कार किया बरता है। (पाद-टिप्पणी, बदायूँनी ने लिखा है कि “यदि हिन्दुओं के बलावा बोई दूसरा व्यक्ति विसी कुरवानी के समय उसके पास आकर उसका शिव्य बनने की इच्छा व्यक्त करता तो वादगाह सलामत उसे फटकार देते थे या फिर सज्जा देते थे।” वही, पृष्ठ १८०)। ईसाई पादरी और एक मुस्लिम के इस प्रमाण से वह बात स्पष्ट सिद्ध हो जाती है कि अबबर हिन्दुओं पर जो जुल्म किया करता था, उनमें एक यह भी था कि जिस पानी से वह अपने पांव घोता था, वह पानी बाद में हिन्दुओं के मूँह में उड़ेला जाता था। बदायूँनी के अनुसार यह गन्दा और अपमानकारी विशेषाधिकार अबबर ने दिनेप रूप में हिन्दुओं को ही दिया हुआ था। जब अबबर जैसा अनपढ़ व्यक्ति इतना नीच हो सकता है तब यह समझा जा सकता है कि उसने अपनी असहाय प्रजा पर इससे भी अधिक अपमानकारी जुल्म लिए होगी।

अबबर ने ईसाई पादरियों को अपने दरवार में सम्मान देकर उनके माथ जो पदापात किया, उसमें उसकी बोद्धिक उत्त्युक्ता या धर्म-भावना ही एकमात्र प्रधान कारण नहीं थी। वह बहुत धूतं और अत्याचारी राजनीतिज्ञ था। वह सर्देर पुरंगालियों के उपनिवेश वो समाप्त कर देना चाहता था, (परन्तु) उसके सबसे बड़े लड़के के विद्रोह और छोटे शाहजादों की मृत्यु के कारण उसकी सभी महत्वाकांक्षाएँ ममाप्त हो गईं।... अपने निकटस्थ व्यक्तियों वो वह अपना इरादा छुने स्थान में बताता करता था। (वही, पृष्ठ १८०)।

अकबर की एक बात जो उसके इतिहासकारों ने लिखी है, इस प्रकार है—“यदि जीवन-निर्वाह करने की कठिनाई न होती तो मैं इन्सानों को मास खाने से रोक देता। मैंने खुद मास पूरी तरह नहीं छोड़ा है, जिसका कारण यह है कि यदि मैंने ऐसा किया तो और बहुत से दोग ऐसा ही करेंगे और इस तरह उन्हे परेशानी होगी।” (पृष्ठ २४३) ।

ऊपर के निरर्थक प्रलाप का पाखण्ड अपने आप में स्पष्ट है।

“कभी-कभी अकबर के कार्यों से ऐसा सोचने का पर्याप्त आधार मिलता है कि वह धरती पर खुदा का रूप माने जाने से इन्कार नहीं करता (पाद-टिप्पणी, ब्लोचमैन के अनुवाद के अनुसार उसके चापलूस फैज़ी ने लिखा है—“पुराने तरीकों से सिजदा करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा; अकबर को देखो और तुम्हे खुदा का रूप दिखाई देगा।” (आईन, भाग १ पृष्ठ ५६१) (वही, पृष्ठ २५५) ।

बदायूँनी ने कहा है—“कुछ समय के बाद ‘तू एक है, तू एक ही है, और तू ही सम्पूर्ण मनुष्य है’, जैसी प्रशस्तियाँ बादशाह के लिए प्रयुक्त की जाने लगी।” (बदायूँनी का विवरण, पृष्ठ २६६) ।

धर्मनिधि मुस्लिम बदायूँनी को इस बात का पछताचा है कि उसने अपने नवजात शिशु को काजियो और मुल्लाजों की बजाय अकबर से आशीर्वाद दिलाया (उसकी हृषादृष्टि के लिए) भगर वह लड़का छः महीने बाद ही मर गया।

अकबर ने हमेशा अपने-आपको पैगम्बर, सम्पूर्ण मानव और स्वयं परमात्मा के रूप में प्रस्तुत करने का प्रथल किया। “२६ जून, १५७६, शुक्रवार को उसने फलेहपुर सीकरी की जामिया मस्जिद में खुद चबूतरे पर सड़े होकर खुतुबा पढ़ा।”“बदायूँनी के अनुसार खुतुबा पढ़ते हुए अकबर की जबान लड्डुडाई और वह काँप उठा और उसे चबूतरे से नीचे उतारने के लिए सहाय देना पड़ा।”“कुछ लोगों को ऐसा विश्वास था कि अकबर का इरादा यह था कि वह अपनी असहाय प्रजा के लिए बादशाह, पैगम्बर और परमात्मा सभी का मिला-जुला रूप बन जाए।” (अकबर : दी ग्रेट, पृष्ठ २४०) ।

“८ सितम्बर, १५७६ को अकबर अजमेर शरीफ की जियारत (यात्रा) पर निकला। खाजा की दरगाह की यह उसकी आखिरी जियारत थी।

यह जियारत उसका अपोषत्व सम्बन्धी तथाक्षित फरमान जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर हुई । „उसका विश्वास तभाव हो गया था । पिर भी उसने यह जियारत प्रजा की मावनाओं को शान्त करने के लिए की । „अजमेर में उसने अद्वृत नदी और भवदूम-उल-मुल्क को मरमा चले जाने का हुबम दिया । वापसी यात्रा के दौरान सौमर में उसने शाहबाद राँचों राणा प्रनाप के सिलाक खटाई करने का हुबम दिया ।“ (बही, पृ० २४५) ।

डॉ० श्रीवास्तव ने स्वीकार किया है कि अजमेर की आखिरी जियारत उसने अपनी मुस्लिम प्रजा को चरमा देने के लिए की थी । यह बात भी पूरी तरह सच नहीं है । यदि अबबर अपनी धर्मान्धि मुस्लिम प्रजा को यहाँ विश्वास दिलाना चाहता था कि वह स्वयं धर्मनिष्ठ मुस्लिम है तो उसे इननी दूर अजमेर जाने की आवश्यकता नहीं थी । अपनी राजधानी में ही वह किसी और दरगाह को चला जाता था कि इन दिन में पाँच बार नमाज पढ़ता । उसका वास्तविक उद्देश्य वभी भी अजमेर में विश्वी की मजार की जियारत करना नहीं था । उसे इसी पर कोई विश्वास नहीं था और न वह किसी का बाहर बरता था । अजमेर की उसकी यात्राओं का उद्देश्य यह था कि राजस्थान के बीर हिन्दू राजाओं के, जो राणा प्रनाप के प्रेमजादामी नेतृत्व में सहायि थे, विश्व शबितगाली मुद्द समाजिन लिए जाएं । जिम दिन अबबर ने राजस्थान पर अत्याचारी, गर्दनाशन आश्रमण बरना बन लिया, उसी दिन में उसने अजमेर जाना बन्द कर दिया । जिसे सामान्यन जियार-अभियान या जियारत का नाम दिया गया है । यह वास्तव में मुस्लिमानों को हिन्दू शेषों पर धर्मोपयित आश्रमण बरने का अवगत देने का प्रपञ्च मात्र होता था । आश्रमण एवं मुद्द के लिए मदा ही ऐसे प्रशंस रखे जाने थे । इसलिए पाठक को अबबर या दूसरे मुस्लिमान शामिलों के धार्मिक आइम्बरों के प्रति विश्वास नहीं रह जाना चाहिए ।

डॉ० श्रीवास्तव ने भी, जिन्होंने इसमें पूर्व बहा था कि १५८६ में ही अबबर को मुस्लिम रीतियों पर विश्वास नहीं रह गया था, कहा है; “अबबर, १५८६ को अबबर ने एक सार्वजनिक भोज या आयोजन करके ईद-उल-फिलर मनाई । पोनों के एक मैदान में शीरचन आगे थोड़े से गिर

गया। तब अकबर युद्ध राजा के पास गया और उसके मुँह में अपनी साँस फूंककर उसे राहत दी।" (अकबर : दी ग्रेट, पृ० ३०३)

ऊपर के उदाहरण से यह स्पष्ट है कि अकबर हमेशा धर्मान्ध मुसल-मान बना रहा। दूसरे पैगम्बर होने और आध्यात्मिक शक्ति-सम्पल होने के उसके दावे भी प्रजा पर उसके घिनीने अत्याचारों का आधार थे। हम देख चुके हैं कि किस प्रकार वह हिन्दुओं को अपने पांच की धोवन पीने को विवरण करता था। इसी तरह वह शराब और अफीम की दुर्गन्ध से भरी अपनी गन्दी साँस लोगों के पीने के पानी पर या उनके मुँह पर छोड़ता था। वह गरीब विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि उसे भय होता था कि उसे जेल में डाल दिया जाएगा और उसके परिवार की स्त्रियों को तग्दिया जाएगा इसलिए वह चुपचाप अकबर के घिनीने तौर-तरीकों को सहन करता और उससे लाभ प्राप्त होने का बहाना करता। इससे अकबर के अह की संतुष्टि होती थी। अपनी असहाय प्रजा के प्रति ऐसे व्यवहार में अकबर सभी मुस्लिम शासकों से आगे था। वेचारे वीरबल को चौट तो लगी ही थी, ऊपर से उसे अकबर की गन्दी साँस भी सहन करनी पड़ी। यह जले पर नमक छिड़कने वाली बात थी।

"अकबर अपने सरदारों और अमीरों के साथ बहुत कठोरता का व्यवहार करता था, यहाँ तक कि उनमें से कोई भी अपना सिर ऊंचा उठाने की हिम्मत नहीं करता था। वह उनमें नजराने प्राप्त करके प्रसन्न होता था। हालाँकि वहुधा वह इन नजरानों की तरफ निगाह न करने का स्वांग करता था।" (अकबर : दी ग्रेट, पृ० ५०३)।

"१५७६ ई० तक अकबर हर वर्ष कम-से-कम एक बार और कभी-कभी दो बार भी अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत करने जाया करता था। तब वह युद्ध के समय खाजा के नाम पर "या मोइन" का नारा लगाकर आवाहन किया करता था। जब किसी दरगाह का नाम लेकर युद्ध की ललकार की जाती है तब उसका मतलब स्पष्ट होता है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि अकबर केवल राजपूतों के विरुद्ध युद्ध करने के उद्देश्य से ही अजमेर जाया करता था। उसका उद्देश्य जियारत करके आत्मिक शान्ति पाना नहीं या बल्कि हिन्दुओं को भूत्यु और विनाश का उपहार देना था। इस धातक खेल में मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम राजधानी

से बाहर निवलने के अपने असली उद्देश्य को छिपाने के लिए लिया जाता था।" (वही, पृष्ठ ५०४)

वहा जाता है कि "कभी-कभी धार्मिक विश्वास सम्बन्धी भासती में अबवर वा आचरण राजनीतिक सामिक्रता से मार्ग-दर्शित होता था।" (अबवर : दी प्रेट, पृ० ५०६)। अबवर के पास्तण्ड वा यह स्पष्ट प्रमाण है। हम चाहते हैं कि अबवर के बारे में यह बात करते हुए या उसके बारे में लिखते हुए इस बात को 'कभी कभी' नहीं बल्कि हमेशा ध्यान में रखा जाए।

"वह बच्चों के चेहरों को देसकर या पूँक भारा हुआ पानी देकर उन्हें स्वस्य बर दिया करता था। लोगों को यह विश्वास दिनाना चाहता था कि वह चमत्कारी काम कर सकता है और अपने पांच की घोवन पिनास्ट बीमार लोगों को ठीक कर देता है। बहुत-सी युवतियाँ अपने बच्चों के रोग द्वारा बरबाने के लिए या सन्तानि की आशा से उमके पास आकर मिलत रहती हैं और यदि उनकी आशा पूरी हो जाए तो वे पक्षीरों की तरह उसे चढ़ावे पेश करती हैं जिनका कोई विशेष मूल्य नहीं होता, फिर भी अबवर उन्हें धुश होकर स्वीकार करता है और उनका आदर परता है।" (पृष्ठ ६१, अबवर एण्ड दी जेम्सुइट्स, अबवर दी प्रेट, भाग १, पृ०, ५११ पर उद्धृत)।

जो यूरोपीय पर्यटक अबवर के दरवार में गए, उन्होंने बहुधा अबवर के कार्य-चर्चारों को गलत समझा है और उन्हें गलत रूप में प्रस्तुत बिया है। उनके दृतान्तों का महीं आशय समझने के लिए हमें तत्त्वानीन वादावलण को समझना होगा। परिचय के इन सभी पर्यटकों को दरवार में प्रयुक्त होने वाली भाषा वा प्राय कोई ज्ञान नहीं था और इमनिए उन्हें चाटुआर मुस्लिम दरवारियों की मन-गड़त और बड़ा-पटाहर द्वारा गई बानों पर निमंत्र रहना पड़ता था। हम अपने अनुभव में जानते हैं कि जो विदेशी पर्यटक बेबल मत्रिपरिवद के दोनों तरफ ही सीमित होकर रह जाता है, वह वास्तव जावर हमेशा अपने भाही भेजदानों के गुणगमन करता है। जिन्हें भास सोगों से मिलवर उनकी बठिनाएँ जानने वा मोक्ष मिलना है, वे मिल चिन्ह प्रस्तुत करते हैं। इस तरह अबवर के दरवार में जो यूरोपीय पर्यटक आते थे, उन्हें भाषा और सम्बन्ध दोनों की बाधाओं का

सामना करना पड़ता था। इसलिए उनके द्वारा लिखे गए वृत्तांतों को पढ़ने वालों को उनके लेखों को ठीक से समझने के लिए अधिक साबधानी से काम लेना होगा।

अकबर को अपने चारों ओर पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों का जमघट लगाए रखने का शोक था। परन्तु यह कहना गलत है कि वे उसके पास अपने या अपने बच्चों के लिए आत्मिक शान्ति पाने के लिए या सन्तति की बाबा लेकर आते थे।

अन्त में, जिन लोगों का उल्लेख किया गया है, वे अकबर के पास तमाशा देखने या आत्मिक शान्ति पाने के लिए नहीं आते थे बल्कि वे अकबर के अत्याचारपूर्ण और सनक-भरे आदेशों और उसके अधिकारियों के उत्पीड़न से भीतिक मुक्ति पाने के लिए आया करते थे। भारत में, जहाँ एक हजार वर्ष से विदेशी लोग शासन करते आए हैं, विवाहित महिलाओं के लिए यह एक सामान्य प्रथा थी कि वे शासक के दिल को नमं करने के लिए अपने बच्चों को उसके पाँवों में डाल देती थी ताकि वह दया करते हुए अपने बबंद, लालची और लम्पट जत्ये के अत्याचारों को रोक देने का आदेश दे। जो लोग बलात्कार, लूट और हत्या के चक्कर से बच निकलते थे वे अकबर के दरबार में जाकर मुक्ति पाने का प्रयत्न करते थे।

जब ईसाई धर्म-प्रचारक बड़ी सख्ती में लोगों को चिल्लते, कराहते, रोते और प्रायंनारें करते हुए दिन-रात बादशाह के दरबार में पड़ा देखते थे और जब वे उन्हे अपने बच्चों को शासक के पाँवों में डालकर उससे दया की याचना करते हुए देखते तो हिन्दी अवधा फ़ारसी भाषा की जानकारी न होने के कारण वे समझते थे कि ये लोग अकबर से आत्मिक-शान्ति पाने के लिए आते हैं।

अकबर ऐसे दृश्य को देखकर बहुत खुश होता था। इससे उसके अहं की तुष्टि होती थी। उसे यह सोचकर खुशी होती थी कि उसे इतने विशाल जनसमुदाय की किस्मत बनाने या विगाढ़ने का निरकुश अधिकार प्राप्त है। जब वह इतनी बड़ी सख्ती में प्रजा को अपने पास आकर दया की भीख माँगते देखता तो अपने आपको उनका एकमात्र परिवर्तन और शरण-विधाता समझकर उसे बहुत सन्तोष होता। तब महा-कर अकबर अपने

पांचों की धोकन या फूंक मारा हुआ पानी पिलाकर उन्हे 'दिनामा देने' वा दोग करता था ।

अबबर या जहाँगीर जिस तरह शाम के समय अपने महल वी खिड़की में चंठकर सोगों की भीट को दर्शन देते थे और उनकी अनुनय-विनय सुनते थे, उसके बर्णन वो इसी दृष्टि से समझना होगा । शूश्रोप के पर्यंतको ने ऐसे दृश्यों के जो विवरण दिए हैं उनसे अबबर के घरित और उसके कारनामों की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, उसको पृष्ठभूमि में रखकर ठीक से समझना होगा । अबबर को पेरे रहने वाले जन-समुदाय के इस पथ परों समझने में पूर्ववर्ती गभी इतिहासकार असमंजस रहे हैं ।

## दुर्भिक्ष

भारत में मुसलमानों का शासन १००० वर्ष तक रहा। इस अवधि की मुख्य विशेषताएँ विद्रोह, प्रतिशोध, अग्निकाढ़, अपहरण, बलात्कार, डाका-जनी, लूट-खसोट, कत्लेआम आदि थी। इस अवधि में नागरिक जीवन अस्तव्यस्त हो गया था, लोगों के घरबरवाद हो गए और उनका पारिवारिक जीवन नष्टप्राप्त हो गया था। लोगों को हमेशा अपना जीवन बचाने की चिन्ता बनी रहती थी। जो लोग कल्प से बच जाते थे, उन्हे जगलो और पहाड़ों में छिपकर जीना पड़ता था। इस उथल-भूथल के कारण देश में बार-बार दुर्भिक्ष होते थे। अकबर के शासनकाल में भी यही हुआ। उसके शासनकाल में भी मानव इतिहास के कुछ सर्वाधिक भयावने अकाल पड़े, जिसके कारण यह दावा झूठा पड़ जाता है कि अकबर का शासनकाल उदारता से भगपूर स्वर्णकाल था। उसका शासन किसी भी दूसरे बादशाह या सुलतान के शासनकाल की तरह अत्याचारपूर्ण था, और इस कारण बार-बार दुर्भिक्ष पड़ना स्वाभाविक ही था।

अपनी पुस्तक अकबर दी ग्रेट मुगल मे (पृष्ठ २८८-६० पर) विसेंट स्मिथ ने लिखा है कि “१५४५-५६ के दुर्भिक्ष में राजधानी (दिल्ली) तबाह हो गई और मरने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। इतिहासकार बदायूँनी ने स्वयं अपनी जांखों से देखा कि इन्सान इन्सान को खाकर जीता था, और भूख से पीड़ित लोगों की शबल इतनी बीभत्स थी कि उनकी तरफ देखा नहीं जा सकता था।” “सम्पूर्ण देश एक मरम्मत की तरह लगता था और कोई भी किसान खेती करने के लिए नहीं बचा था।”

गुजरात में भी, जोकि भारत का सबसे अधिक सम्पन्न प्रदेश माना जाता है और जो सामान्यतः दुर्भिक्ष की विभीषिका से मुक्त माना जाता है,

१५७३-७४ में लगभग छँ मास तक दुर्भिक्षा रहा। भूखमरी के बाद सामान्यतः महामारी फैली जिसके फलस्वरूप धनी और निधंन सब देश को छोड़कर विदेश चले गए।

अबुल फज्जल ने अपने विदेश प्रस्तुप्त दृग में लिखा है कि “१५८३-८४ में गूसा पड़ने के कारण चौजों के दाम अधिक हो गए और तोगों के जीवन-निर्वाह का कोई सरल साधन न रहा।” (अबवरनामा, भाग ३, पृष्ठ ६२५) उसने बोई घोरा नहीं दिया है और यह भी नहीं बताया है कि विन प्रदेशों पर इमवा प्रभाव पड़ा। जिस लापरवाही के भाव उसने १५८५-८६ की भयकर विपत्ति के बारे में लिखा है, उसके आधार पर विचार करें तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि १५८३-८४ का दुर्भिक्षा गम्भीर था। दूसरे इनिहासकारों ने इसका स्वल्प भी उल्लेख नहीं किया है।

“१५८५ का दुर्भिक्षा तीन या चार वर्ष तक अवलवर १५८६ में समाप्त हुआ। वीभत्ता और विभीषिका की दृष्टि से यह दुर्भिक्षा अवलवर के गहरी पर बैठने के वर्ष में दुर्भिक्षा के बराबर था और अवधि की दृष्टि से यह उससे बढ़-चढ़वर था। जैसा पहिले वहा जा चुका है, अबुल फज्जल अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग करके इम बापदा पर मिट्टी ढालना चाहता है और शाही मम्मान को बचाना चाहता है। (पाद-टिप्पनी उसने गहरी-नशील होने के समय में दुर्भिक्षा का व्योरा दिया है जिसमें यह दिखाया जा सकते हैं कि अवलवर के गहरी पर बैठने के बाद स्थिति सुधर गई थी।)

अवलवर के शासनकाल में वर्षभी-कभी महामारी और बाढ़ का प्रबोग हो जाता था””।”

बादशाह बाबर ने अपनी जीवनी में लिखा है कि “परगनों के चारों ओर जंगल थे और परगनों के निवासी लगान से बचने के लिए बहुधा इन जगलों में भाग जाया करते थे।”

इसमें भसी प्रशार कल्यना की जा सकती है कि मुस्लिम जामनशाही में नाशिकों गे लगान बमूल बरने वा दृग वितना भयावह एवं आत्म-पूर्ण था। लोग इन्मानी दरिन्द्रों के हाथों टक्के-टुक्के कर दिए जाने की बजाय जगल के हिम्म पशुओं द्वारा मारा जाना अधिक प्रसन्न करने थे।

बोधवर्मन ने आदेने-अवलवरी के अपने अनुवाद, विभिन्न विधिका पाता, में बड़ा यूनों के इतिहास के पृ० ३६१ ने उद्दरेख देने हुए लिखा है कि

“दुर्भिक्ष के समय माँ-वाप को इस बात की छूट थी कि वे अपने बच्चों को बेच दें।”

बदायूँनी का जो कथन ऊपर दिया गया है, उसमें व्यग्रोवित की झलक है। ऐसा लगता है कि एक तरफ अकबर दुर्भिक्ष के समय अपनी प्रजा को अपने बच्चे बेच देने की छूट देता था जबकि दूसरी ओर उन दिनों में जो अध्यवस्था फैलती थी, उनमें बच्चों के अपहरण की घटनाएँ प्रायः प्रतिदिन होती रहती थीं। नागरिकों को इस बात पर भी विवश किया जाता था कि वे अकबर का नगान चुकाने के लिए अपने बच्चे बेच दें या उन्हे समर्पित कर दें। ऐसे बच्चों को बहुत नीचतापूर्ण गुलामी का जीवन बिताने के लिए विवश किया जाता था और उन्हे लौडेवाजी का भी शिकार होना पड़ता था। धर्म-प्रसिद्धतान करके उन्हे मुसलमान बना दिया जाता था। इस तरह वे स्वतः हिन्दुत्व और हिन्दुस्तान से अलग पड़ जाते थे और अपने-आपको अद्व-अरवी या अद्व-तुकी समझने लगते थे।

इस तरह दुर्भिक्ष हो या न हो, भारत में बच्चों को किसी भी दूसरी चलसम्पत्ति की तरह विक्री योग्य माल समझा जाता था जिसके माध्यम से अनाज खरीद सकते थे या सरकारी लगान का भुगतान कर सकते थे।

बदायूँनी ने लिखा है कि “इस वर्ष (६८१ हिजरी) में गुजरात में महामारी फैली और अनाज के भाव इस हृद तक बढ़ गए कि एक मन ज्वार का मूल्य १२० टके तक हो गया, और असङ्घ लोगों की मृत्यु हुई।” (बदायूँनी का इतिहास, पृष्ठ १८६)।

मुस्लिम इतिहास-ग्रन्थों के पाठक को यह बात याद रखनी होगी कि इन ग्रन्थों में दुर्भिक्ष, महामारी अथवा अत्याचार और उत्पीड़न का उल्लेख तभी किया जाता है जब उससे मुसलमानों के एक बड़े वर्ग पर प्रभाव पड़ा हो। उदाहरण के लिए बदायूँनी ने अकबर के जनरल पीर मुहम्मद की भत्संना की है क्योंकि वह हिन्दुओं पर नहीं बल्कि सैयदों और उलेमाओं पर अत्याचार करता था और कुरान को उनके सिर पर रक्षा करने अथवा शिरस्त्राण के रूप में रखवाता था। मुस्लिम इतिहासकार हिन्दू पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को धर्मान्धता को बढ़ावा देने के लिए स्वाभाविक चारा मानते थे, इसलिए उन्होंने हमेशा हिन्दू महिलाओं के लिए ‘नर्तकिया’ और ‘वेश्याएँ’ आदि शब्दों का प्रयोग किया है और हिन्दू पुरुषों के लिए

‘गुराम, काकिर, चोट, ढाकू, लुटेरे और धर्मदोही’ शब्दों का प्रयोग किया है। मुस्लिम इतिहासकारों को इस हिन्दू-बहुल देश में लगभग १००० वर्षों के अविच्छिन्न शासनकाल का इतिहास निखने का मोठा मिला, परन्तु इन्होंने पर भी वे हिन्दू शब्द से अनरिचित द्विताई देते हैं और हिन्दुओं का उत्तेजक करने हुए वे धर्मनियता के साथ अप्रिय-से-अप्रिय शब्दों का प्रयोग करते हैं।

गोड (बगाल की राजधानी) की एक और भव्यावह महाभारी का बजंन करने हुए बदायूँनी ने लिखा है कि “अमीरों के शरीर पर नई तरह के रोगों का प्रबोर हुआ और हर रोग बहुत से लोग एक-दूसरे को अलविदा कहने हुए अपनी जोड़न-लौला समाप्त कर देते थे और जितने हजार व्यक्ति उन देश को छोड़कर भागे, उनमें से जितने सौ व्यक्तिन वापस आए, यह नहीं वहा जा सकता। हालत यह हो गई थी कि जो लोग बच गए थे वे मृत लोगों को दफनाने में अमरमये थे और शवों को नदी में कोंच देते थे। हर घण्टे और हर मिनट खानकाना को अमीरों की मौन के समाचार मिलने रहते थे” परन्तु वह मुनता नहीं था।

जार (मुमलमानों के) दफन जिए जाने का उल्लेख किया गया है, हिन्दुओं को जाए जाने का नहीं। इसीसे हमारे इस कथन की पुष्टि हो जानी है कि मुस्लिम इतिहासकार विपदाओं और धत्याचारों का उल्लेख तभी करते हैं जद पर्याप्त मद्या में मुस्लिम प्रजा पर उग्रा प्रभाव पड़ा हो। उनके लिए बहुमध्यक हिन्दुओं का कोई महत्व नहीं या वयोंकि मुस्लिम जामनकार में हिन्दुओं को समाप्त कर दिए जाने पोर्य वम्न समझा जाता था। जिनिया टैक्स का अर्थ यही था कि यदि हिन्दू जीवित रहे तो जोड़न भर बच्चे उठाने रहे और मुमलमानों ने गुराम बनकर उनके निए परिष्ठम बरते रहे।

जैगांडि ऊर वहा गया है, अनपर वे जामनकाल में बगाल गे निरार गुजरात तक जो उमका गारा प्रदेश यानक महामारियों और भव्यावह दुर्भिक्षों का गिराव रहा।

गुजरात के दुर्भिक्ष का बजंन वरा हांडो श्रीमास्त्र ने कहा है कि जब (विहार) में मैतिर अभियान गरुड़तामूर्द्ध धन रहा था तभी पश्चिम में गुजरात में १५७६-७५ में एह संग्रह दुर्भिक्ष पड़ा और महाभारी

फैली जैसा कभी देखा और सुना नहीं गया। दोनों आपदाएं पांच या छ महीने तक चली। दुर्भिक्ष का कारण अनावृष्टि नहीं था। बड़े पैमाने पर युद्ध, विद्रोह, सैनिक अभियान, कत्ले-आम आदि के फलस्वरूप जो विनाश हुआ और प्रशासन व्यवस्था और अर्थतन्त्र में जो अव्यवस्था फैली, उसके कारण यह दुर्भिक्ष फैला। इतिहासकार मुहम्मद हनीफ कधारी ने ठीक ही लिखा है कि प्लेम और दुर्भिक्ष फैलने का कारण सिर्फ़ यह नहीं था कि पानी और हवा दूषित हों गए ये बल्कि अफगानी, अबीसीनियनी और मिर्जा लोगों द्वारा किया गया कुप्रबन्ध और दमन भी इसका कारण था। महामारी, शायद प्लेम थी, दुर्भिक्ष से पहले फैली। यह विकट सकट सारे गुजरात में व्याप्त था और बहुत-ने निवासी प्रान्त छोड़कर भाग गए थे। मरने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि केवल अहमदाबाद नगर से प्रतिदिन लगभग १०० गाड़ी मुद्दे दफन के लिए बाहर ले जाए जाते थे और उनके लिए कत्र या कफन का कपड़ा तक मिलना कठिन हो गया था। उस महामारी का प्रभाव भડौच, पाटन और बड़ोदा जिलों और वास्तव में सारे गुजरात पर पड़ा। ज्वार का भाव बढ़कर ४. रुपए प्रति मन हो गया। घोड़ों और दूसरे पशुओं को पेड़ों की छाल खिलानी पड़ी। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि बादशाह ने पीड़ितों के लिए कुछ किया। दरवार का इतिवृत्त-लेखक अबुल फज्जल इस आपदा के बारे में चुप है। यदि अकबर ने किसी तरह के महायता-कार्य का आदेश दिया होता तो वह अपने बादशाह की प्रशसा के मांक को हाथ से न जाने देता।” (अकबर : दी ग्रेट, पृष्ठ १६६-१७२)।

डॉ० श्रीवास्तव ने यह कहकर सही स्थिति बता दी है कि दुर्भिक्ष प्राकृतिक कारण से नहीं फैला बल्कि मुसलमानी की दुर्ब्यवस्था और बुशासन के कारण फैला। परन्तु हम इतना और कह देना चाहेंगे कि दुर्भिक्ष के लिए जो कारण बताया गया है वह भारत में मुस्लिम शासन के १००० वर्षों में फैले सभी दुर्भिक्षों पर लागू होता है।

मुहम्मद हनीफ कधारी ने केवल अफगानी, अबीसीनियनी और मिर्जा लोगों के बृत्यों को इम दुर्भिक्ष के लिए दोष देने में गलती की है। ऐसा करते हुए वह पक्षपात करता है। मुहम्मद बिन कासिम और उसके पश्चात् जो भी मुसलमान इस देश में शासक बनकर आए, चाहे के किसी भी वंश के

रहे हो, खाहे वे तुर्की हो पा अरब या ईरानी या अफगान या प्रदीसी निवार्द्ध या मगोल, सभी समान रूप से अत्याचारी और बिनाशकर्ता निकले। कुछ वो अधिक अच्छा या अधिक बुरा मानने का कोई आधार नहीं है। इन मन्मी को हिन्दुओं और हिन्दू सम्पत्ता से पृणा यी बौर उन सबवा यह विश्वास या कि जन्मत प्राप्त करने का सर्वाधिक सुनिश्चित रास्ता यह है कि हिन्दुत्व वो नष्ट किया जाए और हर एक को इस्लाम पर्यं कबूल करने को विवश किया जाए।

गुजरात के जिस दुर्भिक्षा का उल्लेख ऊर दिया गया है उसके विवरण में बल देने योग्य एक बात यह है कि यदि बेवल मुमलमानों की लाभों दोने के लिए प्रतिदिन १०० गाड़ियों की आवश्यकता हो तो भरने वाले हिन्दुओं की सद्या अवश्य ही मौगुना रही होगी क्योंकि मुमलमानों की सद्या कुल जनसंख्या का बेवल एक प्रतिशत होगी। फिर शामक मुस्लिम थे। उनके अपने भरने वालों की सद्या भी गाढ़ी प्रतिदिन धी तब पद्धतिनित और चूनिन हिन्दू समुदाय के मूतकों की सद्या वा भली प्रवार अन्दाज़ा लगाया जा सकता है। स्पष्ट है कि मौगुनी गाढ़ी प्रतिदिन वी लाभों बेवल मुमलमानों की ही रही होगी क्योंकि विवरण में लिखा है कि उन्हें जलाने के लिए नहीं बल्कि दफ्लाने के लिए तो जाते थे।

अब बर के शामन बाल में पूर्व में परिचम तक और उत्तर में दक्षिण तक भारत के सभी भागों में भयकर दुर्भिक्षा पड़ा था, यह बात इग लिपोट्ट ने स्पष्ट है कि "जब थाइलाह ब्रामोर में प्रवास कर रहे थे तब उम पाटी में (मई में नवम्बर १५८७ तक) भयकर अवाल पड़ा। सभी वस्तुएं बहुत भर्तगी हो गई और लोग अपने पर एवं परिवारों को छोड़कर अन्यत्र चले गए। जेटोम जेवियर ने लिखा कि माताएं अपने बच्चों को सहबों पर पैक देनी थीं कि वे मर जाएं। ईगार्ड मिशनरी उन्हे उठावर ले आने थे। (मैक्सागन, पृष्ठ ५६; डूपू जारिक, पृष्ठ ७७-७८)" (अब बर : सी एट, पृ० ४०८)।

गुजरात के अवाल के बारे में विसेट स्मिथ ने कहा है कि "गुजरात में (जहाँ भारत के दूसरे अधिकांश भागों की अपेक्षा अवाल इम पहने हैं) अवाल तथा महान्यारी (१७४०-७५) के बाले बहुत हानि हुई।" "दोनों का प्रबोग लगभग ८, महीने तक रहा।" "चीड़ों के भाव बहुत अधिक बढ़

गए... घोड़ों और गायों को पेड़ों की छाल पर जीवित रखना पड़ा। (तव-कात-ए-अकबरी, इलियट एण्ड डाउसन, पांचवीं भाग, पृ० ३८४)।

स्मिथ ने लिखा है : “ १५६६ के आस-पास समूर्ण उत्तर भारत में भयकर दुष्काल का प्रकोप रहा, यह १५६५-६६ से शुरू होकर तीन-चार वर्ष तक चला । ” एक समकालीन इतिहास-लेखक ने लिखा है कि “ एक तरह के प्लेग ने भी इस अवधि की भयावह स्थिति को बढ़ाने में सहायता की, छोटे गाँवों और बसेरों की कौन कहे, पूरे परिवार और नगर बीरान हो गए । अनाज की कमी और भूख की परेशानी के कारण मनुष्य ने मनुष्य की अपना भोजन बनाया । सड़कें और गन्धियाँ लाशों से भर गईं । उन्हें हटाने के लिए कोई सहायता नहीं दी जाती थी (पाद-टिप्पणी . नूरुल हक, पृ० १६३) । अबुल फज्जल ने इस आपदा का वर्णन ऐसी विशिष्ट भाषा में किया है जिससे स्थिति की गम्भीरता के बारे में कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता । अबुल फज्जल ने लिखा है कि “ शाही आदेशों के अधीन सभी लोगों को देनिक जीवन की पूरी आवश्यकताएँ प्राप्त हो जाती थीं और हर वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की देखभाल के लिए ऐसे लोगों को सौपा जाता था, जो उनकी देखभाल कर सकते थे । (इलियट एण्ड डाउसन, भाग ६,/पृ० ६४) । यह वक्तव्य समग्र रूप में झूठ है । लाखों व्यक्तियों की पीड़ा के बजाय अबुल फज्जल को यह अधिक अच्छा लगता है कि वह अपने पालन-कर्ताओं को प्रशसा की मदिरा की एक और घूंट पिलाए । ... मरने वालों की सर्वाय अवश्य ही भयावह रही होगी । फरिश्ता ने, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक फारसी में भारतीय इतिहास का सर्वोत्तम निष्कर्ष प्रस्तुत करती है, इस दुर्भिक्ष का उल्लेख तक नहीं किया है और इसीलिए एलिफ्स्टन ने उसकी उपेक्षा कर दी है । जिस छोटे इतिहास-लेखक ने उद्धरण ऊपर दिया गया है, यदि उसने कुछ पक्षियाँ न लिखी होती तो शायद यह तथ्य भी प्रकाश में न आता कि ऐसी कोई आपदा आई थी । ... १५६७ की इसाई मिशनों की रिपोर्टों में कहा गया है कि उस वर्ष लाहौर में एक बड़ी महामारी का प्रकोप हुआ जिससे पादरियों को ऐसे बहुत से बच्चों का वपतिस्मा करने का मौका मिला जिन्हें उनके माता-पिता ने त्याग दिया था । ” (पाद-टिप्पणी : मैंकलागन, पृ० ७१) (वही, पृ० १६२-६४) ।

मुस्लिम इतिहासकारों की अति-अविश्वसनीयता के बारे में स्थित ने ऊपर जो कुछ कहा है उसका पूर्ण ममधन बरते हुए हम इतना और कह देना चाहेंगे कि जब अबुल फज्जल लिखता है कि निधन लोगों को...सौंप दिया गया, तब इसका अर्थ अधिक गम्भीर है। यह मम्भव है कि कुछ निधन मुमलमानों की देखभाल या उन्हें लिनाने-पिलाने की जिम्मेदारी तिन्हीं मम्पन दरखारियों पर छाल दी गई हो जिन्हें अबवर मशा देना चाहता था या गरीब बना देना चाहता था । [इन्दू पदि साक्षों की सच्चय में मर जाएँ तो इनमें अबवर को कोई चिन्ता नहीं हो सकती थी ।] मुस्लिम इतिहास-कारों ने जो विवरण दिए हैं, उनके स्पष्ट और बन्तनिहित अर्थों को समझने के लिए बहुत मज़ा और सन्तान बुद्धि की आवश्यकता है ।

: १८ :

## धर्मान्धिता

(अकबर जन्म से मुसलमान था, जीवन भर कट्टर मुसलमान रहा और मरते समय भी वह मुसलमान ही था—वृत्तिक वह धर्मान्धि मुसलमान था) माधारण श्रेणी के इतिहास-प्रन्थों में उसे धर्मनिप्ठ हिन्दू से लेकर अज्ञेयवादी उदार अथवा सभी धर्मों का समन्वय करने वाला उदारवादी तक बताया जाता है। अन्य तथ्यों की भाँति अकबर की मुस्लिम धर्मान्धिता पर भी सफेदी पोत दी गई है। मुस्लिम शासनकाल में जान-दूङ्कर अकबर का ऐसा चिन्हण किया गया है कि लगातार और कष्टदायी अत्याचारों के लगभग १००० वर्ष लम्बे मुस्लिम शासनकाल में कम-से-कम एक मुस्लिम चादशाह को आने वाली सन्तति के सामने आदर्श रूप में प्रस्तुत किया जा सके। अकबर के बाद भी मुसलमानों का शासन २५३ वर्ष चलता रहा, इसलिए मनोयोगपूर्वक प्रस्तुत किया गया अकबर का कपटपूर्ण चिन्हण जन्मानस को प्रभावित कर सका और अकबर को निविवाद रूप से ऐसा उदार शासक मान लिया गया जो अपने शासन के सभी दूसरे मामलों को तरह धर्म के मामले में भी बहुत उदार और सहिष्णु था। कुछ लोग सन्देह करते थे कि यह चिन्हण जालसाजी है, परन्तु उन्होंने अपने विचार प्रकट करने का साहस नहीं किया क्योंकि उनका विश्वास था कि यदि ऐसी झूठी बातों को बना रहने दिया गया तो इससे साम्प्रदायिक सौमनस्य बनेगा या फिर उनकी कमज़ोर आवाज़ सुनी ही नहीं जाएगी या वह अकबर की महानता के कोलाहल में दबकर रह जाएगी। हमारे पास इस बात के बहुत-से प्रमाण हैं कि अकबर भारत में शासन करने वाले किसी भी अन्य मुस्लिम की अपेक्षा कम धर्मान्धि नहीं था। इनमें कम या अधिक वार चुनूनव करने वाली कोई बात नहीं है। वे सभी पूर्ण रूप से धर्मान्धि थे।

हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि अबुल फख्र अथवा बदायूनी जैसे

चापत्तूसों का अकबर के बारे में यह वयन तथ्यों से निष्ठ नहीं होता जि-  
वकबर ने जिजिया समाज कर दिया था। (यह टैक्स विभेद करते हुए  
वेवल हिन्दुओं से इमलिए लिया जाता था कि मुस्लिम शासक उन्हें पीड़िन  
रहवर जीवित रहने को विश्व कर सके।) जैन साधु हीरविजय सूरि तथा  
सुरजन सिंह जैसे लोगों को अपने-अपने लिए इस टैक्स से विमुक्ति दे तिए  
प्रायंना करनी पड़ी थी। और यह विमुक्ति दे दिए जाने के बाद भी उन-  
पर गम्भीरता से अमल नहीं होता था ।)

गोवध पर पावन्दी लगाये जाने की बात भी ऐसी ही है। अकबर के  
शासनकाल में गोवध उभी तरह लगानार जारी रहा जिस तरह वह  
मम्पूर्ण मुस्लिम शासनकाल में जारी रहा था। सर एच० एम० इलिमट  
और विसेट स्मिथ जैसे कई इतिहासकारों ने बारबार कहा है कि अकबर-  
नामा और नहांगीरनामा जैसे इतिहास-ग्रन्थों में अपने आपनो ठीक मान-  
कर चलने वाले जो दावे किये हैं, उन्हें गम्भीरता से नहीं लिया जाना  
चाहिए। जो लोग यह दावा करते हैं कि उनके पास इस आजाव का  
लिखित फरमान है कि अकबर ने गोवध को बन्द किया था, उन्हें चाहिए  
कि वे पहले यह देखें कि जो अभिनेत उनके पास है वह मच्चा है या जाली  
है। दूसरे वे यह भी पायेंगे कि अकबर के विश्वासोत्तादक आदेश एक  
तरह का घोस्ता थे। हीरविजय सूरि या सुरजन सिंह को जिजिये में दी गई  
छूट की तरह ये आदेश भहत्वहीन आदेश थे।

विसेट स्मिथ ने लिखा है कि ईसाई पादरियों ने अकबर के दरवार  
में आकर उसे जो वाइबल भेंट किया था वह “बहुत देर बाद उन्हें लोटा  
दिया गया।” जब अकबर ने यह अनुभव किया कि उसका उपयोग नहीं  
रहा या उदार होने या ईसाई मत के प्रति प्रगाढ़ प्रेम का दिक्षाबा बरने  
रहना आवश्यक नहीं रहा।

स्मिथ ने एक समवालीन अप्रेज सर टामस रो का, जिन्होंने भारत  
का पर्यटन किया था, उद्दरण देते हुए लिखा है कि “अकबर को मृत्यु उसके  
औपचारिक धर्म में रहते हुए हुई।” (फोस्टर, पृष्ठ १३२)। पादर  
थोएल्टो ने भी दावा किया है कि अकबर “अन्त में मुस्लिम के रूप में मरा,  
जिम रूप में कि उसका जन्म हुआ था।”

“अबुल फजल की कृतियों में तथा अकबर के क्षयनों में सामान्य

सहनशीलता के बारे में जो थ्रेप्ट बाँड़ कही गई हैं, उनके बावजूद भी असहनशीलता के कई भयकर कार्य किए गये।" (वही, पृष्ठ १५६) ।

"एकवाचिका द्वारा गोवा के डेक्टर के नाम लिखे गये १० दिसम्बर, १५८० के एक पत्र में कहा गया है—'एक मोहम्मद के पूर्णित नाम के मिवाय हमें कुछ भी मुनाई नहीं देता' 'एक शब्द में यहाँ मोहम्मद ही सबकुछ है—एक ओइस्ट विरोधी व्यक्ति का शासन है।'" (वही, पृष्ठ ११५) ।

"अकबर निश्चय ही पारसी न बन सका। हिन्दू, जैन और ईसाई धर्म के प्रति भी उसका व्यवहार ऐसा ही रहा। वह प्रत्येक धर्म में बेवल इतना ही आगे बढ़ा कि विभिन्न धर्मों के लोगों को यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार मिल जाये कि वह पारसी, हिन्दू, जैन या ईसाई है।" (वही, पृष्ठ ११६) ।

हम पिछले एक अध्याय में इतिहासकार बदायूँनी का यह उद्दरण दे आए हैं कि राणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी की लडाई में बदायूँनी और अकबर के सेनापति इस बात पर एकमत थे कि वे अकबर की अपनी ही सेना में हिन्दुओं को मौत के पाठ उतारते चले जायें क्योंकि उनका विचार था कि हिन्दू किसी पक्ष का मरे उससे इस्लाम को ही लाभ होगा। जो हिन्दू अकबर साम्राज्य का विस्तार करने लिए अपने जीवन को होम कर रहे थे, उन्हीं को कल्न करना इस बात का स्पष्ट सकेत है कि अकबर भयकर रूप में धर्मान्वित मुस्लिम था। यदि वह इतना ही उदार होता जितना उसे बताया जाता है तो उसके सैनिक और सेनापति कम-से-कम अपने मित्र और महायक हिन्दुओं को न मारते।

"धर्म-चर्चा सुनने और उसमें भाग लेने के लिए जो लोग आमन्त्रित किये जाते थे, उनमें चार बर्गों के मुस्लिम थे, शैख, सैयद, उलेमा और अमीर" "उपासना-गृह केवल मुस्लिमों के उपयोग के लिए बनाया गया था।" (वही, पृष्ठ ६४-६५) ।

"उसकी माता हमीदा बानो बेगम और बुआ गुलबदन बेगम बहुत सदनिष्ठ मुस्लिम थीं और वे धर्म में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती थीं। सलीमा सुलताना बेगम (वहराम खाँ की विधवा और अकबर की पत्नी) के साथ वह अकबूर १५७५ में भवका की जियारम पर निकली। पुर्तंगानियों ने उसे मूरत में लगभग एक वर्ष तक रोके रखा। अन्ततः वह

सुरक्षापूर्वक यात्रा पर यई और याद्या करने के बाद भारत में १५८२ के आठवीं शताब्दी में वापस लौटी। गुलबदन वेगम ने अपने कोकी रोचक स्स्मरण लिखे हैं जो एक अपूर्ण पाड़ुलिपि के रूप में सुरक्षित हैं, परन्तु तीर्थयात्रा के सम्बन्ध में उसने अपना कोई लिखित स्स्मरण नहीं छोड़ा है।” (वही, पृष्ठ ६६)।

“पुर्स्य हाजियो का एक बड़ा जत्था भी एक व्यक्ति (मीर हाजी) के नेतृत्व में भेजा गया था। यह नई और महेंगी व्यवस्था पांच या छ वर्ष तक चली और अकबर स्वयं भी जियारत पर जाना चाहता था (परन्तु जोसियो को देखते हुए अपने मन्त्रियों की सलाह पर वह नहीं गया।) बादशाह ने एक सावंजनिक आदेश जारी किया “कि कोई भी व्यक्ति सरकारी सर्व पर भवका की जियारत पर जा सकता है।”

हिन्दुस्तान का जो बादशाह युद्ध मक्का की जियारत पर जाने को तरसता है और ऐसा आदेश जारी करता है कि कोई भी व्यक्ति हिन्दुओं से विभेदात्मक आधार पर उगाहे गए टैक्सों में सम्बन्ध सज्जाने के सर्व पर मुस्लिम तीर्थों की यात्रा पर जा सकता है वह धर्मान्ध मुसलमान नहीं है तो क्या है?

हम पहले यह उद्धरण दे चुके हैं कि अकबर ने अब्दुन नबी को मक्का वे हज के लिए सात हजार रुपये दिए थे। अकबर ने जिस तरह पानेसर में हिन्दू पुजारियों के दो वर्गों—कूरों और पुरियों में लडाई कराई और कमज़ोर पक्ष की मदद करता रहा, ताकि दोनों वर्ग एक-दूसरे को नष्ट कर दें, और इस भयानक युद्ध में उसने अपने मुस्लिम फोजी भी जोक दिए ताकि उन पक्षों में से कोई भी जीवित न बचे। इस सबसे पता चलता है कि अकबर वितना धर्मान्ध मुस्लिम था।

हम यह उद्धरण दे चुके हैं कि अकबर वर्ष में एक या दो बार अजमेर में मुस्लिम फकीर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के मजार पर जाता था या एक और मुस्लिम शेख सलीम चिश्ती को सरकार प्रदान करता था। यदि अकबर का आवयं दूसरे किसी धर्म की ओर होता तो वह अपनी निष्ठा कैवल कुछ मुस्लिम फकीरों तक सीमित न रखता।

अकबर के शासनकाल में मन्दिरों को गिराने अथवा उन्हें मस्जिदों के रूप में परिवर्तित किए जाने और वहाँ गायों की हत्या किए जाने (जैसा

नगरकोट में हुआ) का अम ठीक यैसे ही जारी रहा जैसे किसी भी दूसरे मुस्लिम शासक के समय में जारी रहा था।

इसाई पादरियों को अकबर के साथ स्वीकार धर्म-चर्चा करने वायथवा उसे इताई-मत के पक्ष में प्रभावित करने का बहुत कम अवसर मिला। पादरियों का धैर्य धीरे-धीरे टूटने लगा।...“अकबर ने जेवियर को यह कह-कर चूप कर दिया कि “तुम्हे अपने धर्म का प्रचार करने की जो स्वाधीनता दी गई है, वह अपने-जाफ में बहुत दही सेवा है।” (जेवियर का पत्र, दिनांक १ अगस्त, १५६६, मैक्लागन, पृष्ठ ५७, ड्रू जारिक में भी पृष्ठ ६०-६१) (अकबर दी प्रेट, डॉ० श्रीवास्तव, पृष्ठ ४०६-१०)।

(अकबर हिन्दू धर्म का इतना बहुत दुश्मन था कि वह इसाई पादरियों पर कृपा करने के लिए बपहुत हिन्दू मन्दिर उन्हे चर्चे के द्वय में काम में लाने के लिए दे दिया करता था। इस तरह आगरा के सभी पुराने गिरजाघर वहते हिन्दू भवन थे। डॉ० श्रीवास्तव ने (पृष्ठ ४०७) लिखा है कि “एक प्रतिष्ठित हिन्दू परिवार ने कुछ ऐसे मकानों को, जो पादरियों को दे दिए गए थे, इसाई धर्म स्वीकार करने वाले विवाहित लोगों को बसाने के लिए बापस दिये जाने की माँग की। जेवियर आगरा से बकाबर के बादेश प्राप्त करने में सफल हो गया और ये मकान लाहौर प्रिश्न के अधिकार में बने रहे। विरोध करने वाले हिन्दू परिवारों को यातनाएं दहनी पड़ी जिससे पिछहेरो महाशय को बहुत सम्प्रोप हुआ (मैक्लागन, पृष्ठ ६१-६४)। जेवियर ने ६ सितम्बर, १६०४ के अपने पत्र में लिखा है कि “चर्चे इतना बड़ा और भून्दर है कि उसमें सभी काम भली प्रकार किए जा सकते हैं।”

पाठ्यक्रम इस बात पर ध्यान दें कि हिन्दुस्तान के एक मुस्लिम शासक के लिए यह कितनी बल्याचारात्मक बात थी कि उसने एक सम्पन्न हिन्दू परिवार को उसकी सम्पत्ति से बचाया और दो युद्धालियों को सौंप दिया ताकि उनसे उस्तास्त प्राप्त होते रहे जिनसे वह हिन्दुओं को बत्त कर सके।

नगरकोट के बगियान के सम्बन्ध में गोवट ने लिखा है—“एक सन्धि हुई। मुख्ल सेनापति ने राजा के महल के मुख्य हार के ऊपर एक मस्तिशक्ति दी।” (पृष्ठ ११८, अकबर)

महाँ और अन्यत भी सभी जगह मुस्लिम इतिहास-ग्रन्थों में

दी” का अर्थ है किसी हिन्दू भवन को मुस्लिमों के लिए उपयोग किया जाने लगा। यह सर्वविदित है कि हिन्दू राजाओं के महनों के मुख्य द्वार के ऊपर गढ़ों के बंठने के लिए स्थान रखा जाता था। इसनिए नगरकोट के महत के द्वार के ऊपर जो मस्जिद बनवाई गई वह वास्तव में उमड़े एक भाग पर फूरतापूर्ण बधिकार था। यह प्रचलित प्रथा थी। यही कारण है कि एक हजार वर्ष के मुस्लिम शासनकाल में प्रायः कोई भी हिन्दू मन्दिर ऐसा नहीं रह गया था जिसे पूर्णतः या अशतः यक्षरे खदवा मस्जिद में न बदल दिया गया हो। इनकी पुष्टि इस बात में होती है कि प्रायः भी महत्त्वपूर्ण हिन्दू मन्दिरों में एक मुस्लिम मकबरा भीजूद है, उदाहरण के लिए काशी विश्वनाथ, भगवान् शृणु के अस्मस्थान, उनके परतोऽवास के स्थान, राम मन्दिर, पालिताना और गिरनार की पहाड़ियाँ, सोमनाथ और बहुमदावाद की कई मस्जिदों और मकबरों को देखा जा सकता है।

बागरे के चर्चे के उदाहरण से स्पष्ट है कि मध्यभारत के भी गिरजाघर भी ऐसे हिन्दू भवन थे या किर मुस्लिम शासकों ने हिन्दुओं को अपमानित करते हुए ईसाई पादतियों को खुश करने के लिए हिन्दुओं की भूमि उनसे छीन कर ईमाइयों को दे दी।

अकबर के समय में गुजरात पर दूसरे मुसलमानों वा शासन था। इसके बारे में थी शेल्ट ने लिखा है कि “महमूद ने चम्पानेर पर चढ़ाई कर दी और उसे फक्तू ने छीन लिया और माय ही दरवा सी वा खजाना और लगभग ५००० महिलाएँ भी उसके हाथ लगी। महमूद बहादुर था, मगर उसकी आदने बहुत अच्छी नहीं थी और वह कुत्तित वाभनाकों में आनन्द लेता था। बहुमदावाद वास्तव माने पर एक बार फिर उसे भट्ठा के बिले में बन्दी बना दिया था।... अन्ततः अपने धोमेवाज अमीरों की तानाजाही से मुक्ति पाकर महमूद ने अगले नौ वर्ष तक स्वयं राजनामा संभाला। वह हिन्दू प्रजा को सताकर अपना धार्मिक उत्ताह दिखाने लगा। किसी भी हिन्दू को किसी भी नगर में घोड़े पर सवार होने की अनुमति नहीं थी और उसे बाजार में जाने समय ऐसी कमीज़ पहननी पड़नी थी कि उसकी पीठ पर नफेद बरडे के ऊपर लाल या लाल कपड़े वे ऊपर मपेद रग वा टूकड़ा लगा हो। उसे किसी एक रग के चर्क्के पहनने की मनाही थी। हिन्दुओं के त्योहार होनों और दीवाली पर पावन्दी लगा दी गई और मन्दिर में धूपों बजाने

पर भी रोक लगा दी गई। जो लोग घर में बैठकर पूजा करते थे वे भी भयभीत रहते थे। किसी भी राजपूत अथवा कोली को तभी बाहर जाने की अनुमति होती थी जबकि उसकी बाँह पर एक खास निशान बना हो। जिमकी बाँह पर यह निशान नहीं मिलता था, उसे फौरन मार दिया जाता था (वेयले, गुजरात, पृष्ठ ४२७)।

गुजरात में हिन्दुओं को इस तरह अपमानजनक नियन्त्रण में रहने को विवश किया जाता था। यदि अकबर इन नियन्त्रणों को ममात्त कर देता तो इसे इतिहास में उसकी उदारता, निष्पक्षता और न्यायप्रिमता कहकर उसकी प्रशंसा की जाती। परन्तु अकबर द्वारा गुजरात विजित विए जाने के बाद भी यहाँ के हिन्दुओं की दशा में कोई सुधार होने का उल्लेख नहीं मिलता, इससे स्पष्ट है कि अकबर के शासन से उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। महमूद ने १६वीं शताब्दी में हिन्दुओं के साथ जिस तरह का अवहार किया, उसने प्रकट होता है कि १६वीं शताब्दी के आख्याय में मुहम्मद विन कासिम से लेकर १८५८ में मुस्लिम जामन की ममात्ति तक जितने भी मुस्लिम ग्रामकोंने भारत में राज्य किया, चाहे वे किसी भी वश, परिवार अथवा राष्ट्रीयता के थे, और चाहे उनकी आयु कुछ भी रही हो, उन सबका शामनेकाल हिन्दुओं के लिए आतंक, उत्पीड़न, गुलामी, अपमान और भौषण अत्याचारों का समय रहा।

“२२ अक्टूबर, १५७३ को अकबर ने तीनों शाहजादों के खतने की रस्म बड़ी धूमधाम से मनाई।... दूरस्थ मेवाड़ में (१५७४ में) मोहन और रामपुरा नाम के दो जिलों का नाम बदलकर इस्लामपुर रख दिया गया। अकबर ने दूसरे जिलों में भी मुस्लिम वस्तियाँ बसाने का प्रयत्न किया और इम तरह बुधनीर, रुहलिया बवेकरा, पुर और भीमराघर में बड़े-बड़े क्षेत्र मुसलमानों को सौंप दिये गए।” (श्रीराम शर्मा लिखित ‘महाराणा प्रताप’, पृष्ठ ३३-३६)।

“सितम्बर १५७७ में अकबर ने हज यात्रियों का एक जत्या भेजा जिसके साथ हिंजाज के निवासियों में वितरण के लिए पांच लाख रुपए नकद और सोलह हजार खिलते भी भेजी।” (अकबरनामा, अनुवाद, भाग तीन, पृ० ३०५-०६)। बदायूँनी ने भी स्वीकार किया है कि बादशाह ने बहुत में लोगों को सोना और सामान और कीमती उपहार देकर काफी

राजकीय सचें पर मवक्का भेजा। इस प्रमाण के आधार पर बदायूँनी और कुछ दूसरे लोगों के इस आरोप पर विवास करना असम्भव है कि अकबर ने अपने धर्म का धरित्याग कर दिया था।

बदायूँनी एक अमन्तुष्ट दरवारी और धर्मान्धि मुस्लिम था। इसलिए वह अकबर द्वारा कभी-कभी की जाने वाली मनमानी को सहन नहीं कर सकता था और अकबर जैसे तानाशाह पर अपनी प्रतिक्रिया दर्शाने का मात्र एक ही साधन था कि उसे हिन्दू बताया जाए। यह तबसे बड़ी गाली थी जो बदायूँनी जैसा छोटा और गुलाम धर्मान्धि मुस्लिम दरवारी अकबर जैसे शक्तिशाली तानाशाह को दे सकता था और फिर भी वह सकता था।

अकबर इतना धर्मान्धि मुस्लिम था कि वह केवल पुरुषों को ही नहीं बल्कि जिलों, नगरों, मन्दिरों और हाथियों तक को मुसलमान बना दिया करता था।

बदायूँनी ने लिखा है कि रामप्रसाद नाम का राणा प्रताप का जो हाथी हस्ती-घाटी के युद्ध के बाद अकबर को भेट किया गया था, उसका नाम उसने बदलकर पीर प्रसाद रख दिया। (बदायूँनी का इतिहास, भाग २, पृ० २४३)।

६८६ हिजरी के आसपास "अकबर ने दोखों के एक वर्ग को पकड़ा जो अपने-आपको 'शिष्य' कहते थे परन्तु जिन्हे सामान्यतः इलाही कहकर पुकार जाता था। इस्लाम की हिदायतों और व्यवस्थाओं तथा रोगों के लिए भी उन्होंने इसी तरह के नाम रख लिये थे। बादजाह सलामत ने उनसे पूछा कि वहा तुम्हे अपनी अहमताओं पर पश्चात्ताप है? उसके आदेश पर उन्हे भक्ति और कषाय भेज दिया गया जहाँ उन्हे तुर्की बद्दें के बदले में व्यापारियों के हवाले कर दिया गया।" (वही, पृ० ३०८) इस उदाहरण से स्पष्ट है कि अकबर इतना अधिक धर्मान्धि मुस्लिम था कि वह अद्दे-मुस्लिम समुदाय के अस्तित्व को भी सहन नहीं कर सकता था।

जब शाह आबू सुरव और ऐतिमादखानी गुजराती अपने साथ मवक्का से पत्थर का एक टुकड़ा लाए जिसपर उनके दावे के अनुसार मोहम्मद के पिंरो के निशान बने थे, तब "अकबर ने आठ मील तक आगे जाकर उसका स्थान किया और अपने दरबारियों को आदेश दिया कि उसे दारी-वारी कुछ कदम तक लेकर चलें। इस तरह पत्थर का बहु टुकड़ा नगर तक लाया

गया।” (बही, पृ० ३२७) ।

“हिंजरी सून का एक हजारवीं वर्ष पूरा हो जाने पर अकबर ने इसलाम के सभी बादशाहों का इतिहास निये जाने का आदेश दिया।” (बही, पृ० ३२७) हिन्दुसत्तान के एक बादशाह अकबर ने हिंजरी सून के एक हजारवीं वर्ष की बादशाह मताई और दीवान मुस्लिम शासकों का इतिहास लिये जाने का आदेश दिया, यह इस बात का सौकेत्रिक है कि अकबर किस हद तक धर्मनिधि मुस्लिमान था।

किसी भी दूसरे मुस्लिम शासक की तरह अकबर हिन्दुओं के खून का प्याजा था। बदायूँनी ने लिखा है कि “मैंने अकबर के पास जाकर निवेदन किया कि धर्म-गृह (अपरिहित हिन्दुओं के कल्प) में भाग लेने की ऐसी बड़ी उत्कृष्ट इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी यह कानी दाढ़ी और मूँछें (राजा प्रताप की लड़ाई में हिन्दुओं के) खून से रग सूँ और इस तरह बादशाह सलामत के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय दूँ। इतना बहुबर मैंने अपना हाथ सोफे नीं तरफ बढ़ाया कि मैं बादशाह के घरणों को स्पर्श कर सकूँ। एस्ट्रु बादशाह ने अपने पैर खींच लिये, परतु मैं दीवान लाने ने बाहर निकालने ही बासा था कि उन्होंने मुझे बापस बुसाया और दोनों हाथों में भरकर ५० अशर्फियों देकर उन्हें बिदा किया।” (बही, पृ० ३२४) ।

बदायूँनी के इस कथन से कि हिन्दुओं के खून से अपनी दाढ़ी-मूँछ रंग लेने की इच्छा प्रकट करने पर अकबर ने ओर करने की बजाय उसे सोने की मुद्राएँ भेट की, यह यता समता है कि अकबर हिन्दुओं के कल्प की कितना महत्व देता था। इससे यह दाव झूठ सिद्ध हो जाना चाहिए कि हिन्दुओं के हाथ अकबर का व्यवहार अङ्गता था; किसी भव्यकालीन शासक और दरबारी की तरह अकबर हिन्दुओं से घृणा करता था।

अकबर के शासनकाल में हिन्दुओं के उत्पीड़न में कोई काषी नहीं था; उन्हें नीच कोटि का गोप्यरिक समझकर उनके साथ कुरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था। इसका अभाव लाईने-अकबरी से भिन्न जाता है। अद्युत फ़तुल ने लिखा है “दूसरे वर्ष (अकबर के शासन के दूसरे वर्ष) में मानकोट की विजय के पश्चात् अकबर ने हुसैन शर्वी को साहौर ना भवनें बदा दिया। भवनें-काल की चार नहीं और चार दिन की अवधि में

उनने अपने आपको एक उत्तमाही सुन्नी मुसलमान के हृषि ने निदृश्यते दिखाया, जिन तरह ईमाइयों ने बहूदियों के साथ किया था। उनने हिन्दुओं का विवर किया कि वह अपने कन्धे पर एक टुकड़ा पहनें, और इस तरह उनका नाम टुकड़िया पड़ गया।" (बाइंत-अक्षवरी, पृ० ४०३)।

उन टुकड़े का स्पष्ट मत्सव यह था कि हिन्दू लोग अतग पहचाने जा सके और भ्रूलकर भी उन्हें मानवीय अवहारन मिल सके। ऐदमाव की इस नीति के अधीन केवल हिन्दू को कुत्ते या मूत्रर से भी बदनर नमक्षा जाता था और मध्यूर्ण मुस्लिम शासकान में यही स्पष्टि बनी रही।

भारतीय इतिहास के बहुत से छान्दो, अध्यापकों और दिलानी की, जिन्हें अक्षवर के वात्यनिक उदार शासन के दारे में मनमटन कर्त्तव्यों पढ़ने और सुनने का अवसर मिलता रहा है, परन्तु उपर ने चली आ रही जिजा के सही होने में दरा भी सन्देह नहीं होता।

परन्तु जो लोग अक्षवर के नियम और मानवीय शासन के दावे की मत्त्वता पर सन्देह करते हैं, उन्हें भी यह विश्वास है कि हालांकि अन्दर से अक्षवर हिन्दुओं के प्रति धूपा बरता था, परन्तु उपर ने वह बहुत मिल्ल-मार दिखाई देता था।

यह मत मानना गलती होगी। अक्षवर ने हिन्दुओं के प्रति अपनी धूपा को कभी छिपाया नहीं और कम भी नहीं किया, यह उपर के उद्घरणों में स्पष्ट है।

(जिनी भी दूसरे मुस्लिम शासक की तरह अक्षवर के शासकान में हिन्दुओं से खुले हृप में धूपा की जानी थी, उनका तिरस्वार और अममान किया जाता था और उपर अत्याचार किए जाते थे। इसमें जहरी रत्ती भर भी कभी नहीं आई। अक्षवर भारत में मुस्लिम शासन की वई बड़ियों में से एक था जिन्होंने मिलवर भारत को जबड़ रखा था।)

## दुराचारपूर्ण प्रथाएँ

दुमिसों, विद्रोहों, युद्धो, अष्टाचार और नृशस अत्याचारों से पूर्ण अकबर का शासनकाल अत्यधिक कूर कुछ दुराचारपूर्ण प्रथाओं पर आधारित था। ये प्रथाएँ बहुत पुराने समय से, भारत में मुस्लिम शासन के शारम्भ से चली आ रही थी और दिल्ली में मुगल शासन के अन्तिम समय तक चलती रही। इन प्रथाओं को बनाए रखने के लिए अकबर को दोप नहीं दिया जाना चाहिए। परन्तु क्योंकि उसे एक आदर्श, उदात्त, उदार, दयालु और महनशील वादशाह के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाता रहा है, इसलिए हम यह कह देना चाहते हैं कि मुस्लिम शासनकाल में जितने भी दुराचार प्रचलित थे, वे सब अकबर के शासनकाल में अपने हीनतम रूप में चलते रहे। अकबरने इन दुराचारों को न तो समाप्त किया, न उनकी उग्रता को कम किया।

ऐसे दुराचारों में एक यह था कि उसके राज्य के सभी घोड़ों पर, वे चाहे किसी के भी हो, आवश्यक हृप में मोहर लगाई जाती थी। इसी तरह राज्य के सभी घोड़ों का बलात् अपहरण तो होता ही था, उनके स्वामी भी स्वत वादशाह के गुलाम बन जाते थे। राज-चिह्न से अकित घोड़े का स्वामी राजा का नौकर बन जाता या और उससे सेना में या अन्यत्र सेवा ली जा सकती थी और वदले में उसे एक पाई भी प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। जब कभी अकबर किसी नए प्रदेश पर अधिकार करता, तब उसके शासन में प्रचलित सभी अत्याचारपूर्ण प्रथाओं को उस प्रदेश पर लागू कर दिया जाता था। गुजरात की विजय के परिणामों से यह बात स्पष्ट हो जाती है। विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक “अकबर दी ग्रेट मुगल” में (पृष्ठ ६६) लिखा है कि “गुजरात विजय अन्तिम थी, फिर भी उत्पात चलते रहे...” (१५७३-७४) वादशाह ने राजा टोडरमल से सलाह करते

दूए मोहर अवित करने के विनियम को परिचालित किया...“यह घोड़ों पर मोहर अकित करने की एक नियमित व्यवस्था थी...”जो अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह की व्यवस्था पर आधारित थी।”

स्वप्न अकबरके स्मितेदारों और धनी दरखारियों ने मोहर अकित करने की प्रथा का विरोध किया। उसी पुस्तक में विसेट स्मिथ ने पृष्ठ ६८ पर लिखा है कि “विशेष रूप से अबवर के प्रिय सहपालित भाई भिर्जा अजीज कोका ने (घोड़ों पर मोहर अकित करने की) इस प्रथा का इतना विरोध किया कि अकबर ने भजवूर होकर उसे आगरा में अपने महल में ही बन्दी बना दिया।”

टोडरमल, जोकि हिन्दू था, इसलिए अकबरका सबसे अधिक प्रिय बन गया था कि उसने अबवर को अपनी सभी अत्याचारपूर्ण प्रथाएं बनाए रखने में उमका समर्थन किया। अबवर वी इन हीन प्रथाओं को लागू करने का काम एक हिन्दू के हाथ में था, इसीलिए वहुसंख्यक हिन्दू अपने-आपको एक और कुबी और दूसरी ओर खाई वाली स्थिति में पाते थे।

उसी पुस्तक में पृष्ठ २६५ पर लिखा गया है कि “१५८० का बणाल का बड़ा विद्वाह होने का एक गौण वारण यह था कि अबवर जागीरों को वापस ले लेने, विवरणियाँ तैयार करने और घोड़ों पर नियमित रूप से शाही मोहर लगाने का आग्रह करता था जिसके बारण जनता में रोप था।”

चदायूंती ने अपनी पुस्तक में पृष्ठ १६३-६४ पर लिखा है कि शाही मोहर लगाने की प्रथा और नियम को भीर बवश ने प्रारम्भ किया, यह नियम मुलतान अलगउद्दीन खिलजी के शासनकाल में और उसके बाद शेरशाह के काल में भी प्रचलित था। यह निश्चित कर दिया गया कि हर अभीर को शुरू में घोड़े रखने को कहा जाए और हृकम के मुताबिक पहरा देने, सन्देश लाने ले-जाने भादि के लिए तैयार रहे और जब वह अपने पुड़-सधारो सहित वीस घोड़े दरखार में मोहर अकित कराने के लिए हात्तिर कर दे तब उसे १०० या उससे अधिक घोड़ों का कमाण्डर बना दिया जाए। इसी नियम के अनुसार उन्हें उपयुक्त अनुपात में हाथी और ऊंट भी रखने होते थे। जब वे अपनी नई कुमुक में पूरी सध्या में घोड़े, हाथी इकट्ठे कर लेते थे, तब उनके गुणों वे अनुसार उनका दर्जा बढ़ाकर १०००, २०००

या ५००० धोड़ों का कमाण्डर कर दिया जाता था। ५ हजार धोड़ों के कमाण्डर का पद सबसे बड़ा था। भर्ती करने के काम में उनकी प्रगति अच्छी न होने पर उनका पद घटा दिया जाता था।... सैनिकों की स्थिति और भी खराब हो गई क्योंकि अमीर लोग अपने अधिकाश नौकरों और घुड़सवार नौकरों को सैनिक वर्दी पहनाकर बादशाह की हाजरी में खड़ा कर देते थे परन्तु जब उन्हे जागीर मिल जाती थी तब वे अपने घुड़सवार नौकरों को छुट्टी दे देते और कोई नया सकट आने पर वे आवश्यकता के अनुसार बाहर से मैनिक 'उधार माँग कर' काम पूरा कर देते और काम पूरा हो जाने पर पुनः उनकी छुट्टी कर देते। इस तरह मनसवदारों की आमदनी और खर्च तो एक ही स्तर पर बने रहे, परन्तु बैचारे सैनिकों की हानत बिगड़ती चली गई, यहाँ तक कि वे किसी भी काम के योग्य न रह गए। सभी और से नीचे व्यवसायों के लोग—बुनकर, धोबी, कालीन साफ करने वाले और सब्जी बेचने वाले आते—इनमें हिन्दू और मुसलमान दोनों होते—उधार माँगे हुए धोड़े अपने साथ लाते और उनपर शाही मोहर लगाकर कमाण्डरों के नाम लिखवा लेते या करोड़ी या किसी के दखली बना दिए जाते, और कुछ दिन बाद जब उन धोड़ों या उनकी काल्पनिक काठियों का कोई निशान बाकी नहीं रह जाता तब उन्हे पैदल ही अपना काम पूरा करना पड़ता था। कई बार स्वयं बादशाह के सामने दीवाने-ए-खास में हाजरी के समय ऐसा होता था कि उनके हाथ-पांव वांधकर कपड़ों समेत उनका बजन किया जाता, तो वह ढाई से तीन मन के करोब निकलता परन्तु जाँच पड़ताल करने पर मालूम होता कि वे किराए पर लाए गए हैं और काठी इत्यादि सब उधार माँगे हुए हैं... यह सब होता, मगर कोई सबाल नहीं कर सकता था।"

ऊपर जिस दुराचारपूर्ण प्रथा का सन्दर्भ प्रस्तुत किया गया है, उसमें भयावह आतक की कल्पना की जा सकती है। हर आदमी गुलाम बनकर रह गया था। और हर एक के लिए सैनिक-सेवा आवश्यक हो गई थी; फिर उसे धोड़े, हाथी और दूसरे जानवरों का प्रबन्ध स्वयं करना पड़ता था। हर एक से यह आसा की जाती थी कि वह अधिक-से-अधिक लोगों को गुलाम बनाकर रखेगा ताकि उनसे सैनिकों का काम लिया जा सके। जो व्यक्ति स्वयं को और अपने नौकरों को मुस्लिम बादशाह के लिए

हिन्दुस्तान में लूट-पाट करने के लिए सेना में नहीं भेजता था, उसे कोडे लगाए जाने थे, तग किया जाता और भार भी दिया जाता था। भारत में इस्लाम इमी प्रकार के उपायों में फैला।

वयोंकि प्रत्येक व्यक्ति के सामने यह भजदूरी थी कि वह लोगों को गुलाम बनाकर और पशु एकत्र करके बादशाह की सेवा में प्रस्तुत करे, इसलिए अकबर से जमीन और पद पाने की आकाशा करने वाले लोग पशु लूटकर ले जाने लगे और अरक्षित लोगों का अपहरण करने लगे जिससे उन्हे अकबर के सामने पेश किया जा सके। इससे रिपब्लिक, चोरी, हत्या और जल्दीड़न जैसे दूसरे दुराचारों को भी पनपने का अवसर मिला। इसमें सिद्ध हो जाता है कि दयालु और उदार न होकर, अकबर इतिहास के मध्यमें अधिक निपुण और अत्याचारी बादशाहों में से एक था।

इस तरह अकबर ने एक ऐसी दुराचारपूर्ण व्यवस्था का नेतृत्व किया जिसके अन्तर्गत छोटे और बड़े आततायी व्यक्ति सामान्य जनता का खून चूसते थे।

अकबर के शासन के २३वें वर्ष में अमुल के शरीफ ने भारत का दौरा किया। अपनी पुस्तक में (पृष्ठ २५२-५३ पर) बदायूँनी ने लिखा है कि “पर्यटन करते-करते वह दक्कन गया जहाँ अपने आप पर कावू न होने के कारण उसने अपनी ओछी आदतों को प्रकट किया। दफकन के शासक उसे बत्त कर देना चाहते थे परन्तु उसे मिर्क गधे पर विठाकर नगर में घुमाया गया, परन्तु हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ा देश है जहाँ सभी तरह की बेहूदगी और अनाचारों के लिए खुली जगह है और कोई भी दूसरे के काम में हस्त-क्षेप नहीं करता जिसमें कोई भी व्यक्ति जो कुछ चाहे कर सकता है।” इस तरह स्वयं बदायूँनी के अनुमार मुस्लिम शासनकाल में भारत, चाहे वह दक्षिण भारत हो या उत्तरी भारत, एक ऐसा धुला स्थान बनकर रह गया था, जहाँ प्रत्येक मुस्लिम स्वेच्छाचारी था।

भारत में मुस्लिम शासन के दौरान एक प्रथा थह थी कि हर भियान में पकड़े गए लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाता था या उनकी हत्या करदी जाती थी। अकबर के शासनकाल में भी यह प्रथा यथावत् प्रचलित रही। हम पहले ही देख चुके हैं कि किस तरह लोगों को उनके भारतवाही पशुओं सहित गुलाम बना लिया जाता था और उनसे सैनिक-सेवा की जाती थी।

राहक फिल्म ने, जिसने अकबर के समय में आगरा और फतेहपुर सीकरी का दौसा किया, अपने विवरण में लिखा है कि “मैंने जीहरी विलियम लोड्स को फतेहपुर में बादशाह जलालुद्दीन अकबर के पास रखा जिसने उसका मनी-भाँति सत्कार किया और रहने को उसे एक मकान और सेवा के लिए पांच गुलाम दिये।” कभी-कभी ऐसा होता था कि किसी विद्रोह को दबाने के बाद जो मुसलमान पकड़ जाते थे, उनके साथ भी गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था, परन्तु भारत में मुस्लिम शासनकाल में और अकबर के शासनकाल में भी अधिकांश गुलाम हिन्दू ही थे। इन मनुष्यों को पशुओं की तरह बादशाह या उसके दरबारियों की इच्छा पर किसी भी छोटी-मोटी ही तरफ पर लगा दिया जाता था।

अकबर विभिन्न विषयों पर अपने दरबारियों के साथ जो चर्चाएँ करता था, उनका उल्लेख करते हुए बदायूँनी ने अपनी पुस्तक (पृष्ठ २११) में लिखा है कि “इन दिनों (हिजरी ६८३) अकबर ने जो प्रश्न पूछे उनमें से पहला प्रश्न यह था कि कानून के बनुसार एक व्यक्ति कितनी आजाद पैदा हुई महिलाओं (अर्थात् मुस्लिम) से निकाह कर सकता है। आमिरों ने उत्तर दिया कि पैगम्बर ने चार की सीमा निर्धारित की है। इसपर बादशाह ने कहा कि अपनी जवानी के दिनों में मैंने कितनी ही आजाद पैदा हुई (अर्थात् मुस्लिम) और गुलाम (अर्थात् हिन्दू) नड़कियों से शादी की थी।” इससे सिद्ध होता है कि अकबर बहुत से हिन्दू पुरुषों और महिलाओं को गुलाम के रूप में रखता था जिन्हें वह अपनी इच्छानुसार अनैतिक काम के लिए या छोटी-मोटी सेवा के लिए अपने दरबारियों को दे देता था।

उसी पुस्तक में पृ० ३०८ पर लिखा गया है कि “बहुत बड़ी संख्या में शेरों और फकीरों को दूसरे स्थानों पर, अधिकतर कठार की भिजवा दिया गया, जहाँ उन्हें भोड़ों के बदले में दे दिया गया।...” बादशाह ने शेरों के एक वर्ग को बन्दी बनाया।... अकबर की आजाद के बनुसार उन्हें भक्तकर और कठार भेज दिया गया जहाँ उन्हें तुर्की बघेडों के बदले में व्यापारियों की दे दिया गया।”

एक और अनर्थकारी प्रधा यह थी कि अकबर आप्रह करता था कि उसका पराजित शत्रु अपने परिवार और परिचारिका वर्ग में से चुनी हुई महिलाएँ अकबर के हरस पे भेजे।

अकबर पराजित शत्रु के एक या एक से अधिक सम्बन्धियों को अपने पास बन्धक के रूप में रख सेता था। जब कभी उन लोगों को अकबर के शाही दरवार में लाया जाता तब हर बार उन्हें साप्टांग सिवदा करना पड़ता था। इनमें से अधिकांश प्रथाएँ मुस्लिम आक्रमणकारियों के समय से चली आ रही थीं। मुस्लिम शासनकाल के वर्षों में इन्हें पूर्णता प्रदान की गई और इन्हे अधिक तीखे रूप में और अधिक बलपूर्वक लागू किया गया। अकबर के समय में उन दुराचारों की सब्लो और अधिक घृणास्पद हो गई थी। अकबर निश्चय ही इन कुप्रथाओं को निश्चित स्वरूप देने वालों में सबसे अधिक महान् था।

## विद्रोहों की भरमार

अकबर के चरित्र की हर बात इतनी पूर्णित थी कि उसके प्रायः गभी पुरुष सम्बन्धियों ने, वहाँ तक कि उसके बेटे जहाँगीर और सतीम ने भी उसके विलङ्घ विद्रोह किया। उसके सम्मुखी शासनकाल में विद्रोही वा एक तिलसिला बना रहा और बीच-बीच में ताके मुद्द भी हुए।

विस्टेट हिंग ने (अकबर दी श्रेट मुगल, पृष्ठ २७६) लिखा है कि “अकबर के शासन में कहीं-न-कहीं विद्रोह चलता ही रहता था, और प्राचीन में ऐसे उत्पत्ती की सच्चा अपरिष्ठ रही हीमी जिन्हे वहाँ के फौजदारों में तत्काल दबा दिया और जिनका कोई लिखित उल्लेख नहीं मिलता!”

डॉ. श्रीधरस्त्रन ने (अकबर : दी श्रेट, पृष्ठ १८१) लिखा है कि “इतना बड़ा राज्य आपद ही भी किसी तरह की अव्यवस्था या विद्रोह से मुक्त नहीं हो सकता। कोई भूमिका शासन की सतर्कता के अभाव...” यह लिखी दीवानी आपदा वा नाभ उठाकर विद्रोह का झटक छड़ा कर देता था। नागरिकों में विशेष की जो घटनाएँ हुईं, उनका विवरण दबा देने वाला होगा। एक महस्त्वपूर्ण उदाहरण पर्याप्त होगा। फरवरी, १५६० में एक शार अकबर एक हथिनी पर सवार होकर जा रहा था। रास्ते में एक शुद्ध हाथी ने हथिनी पर हमला कर दिया। अकबर भूमि पर जा गिरा और उसे नेहरे पर यम्भीर लोटे आई और वह बेहोश हो गया। उसकी मम्भरीर चोटी और सम्भावित मृत्यु के बारे में अफवाहें कैल यह और देश के दूसरथ प्रदेशों के विद्रोह कूट पड़े और कई परगनों में, उतारी लोगों ने नूट मचा दी। कुछ सेजावत राजपूतों ने अकबर जिले में बैरान का परमना कूट लिया और कुछ लोगों ने गुडगांव जिले में रिवाड़ी को लूटा। बरात का कलक्ष्मी शाहवाह सर्व अपने-आपको असहाय पाकर काँइल (अलीगढ़) की तरफ अस्त निकला। दियाल (दिवायल) के नेतृत्व में कुछ लोगों ने मेरठ भगवर

के आसपास के क्षेत्र में गाँवों को लूट लिया।”

यदि अकबर इतना ही उदारतेता, न्यायश्रिय और दयालु शासक था जितना उसके बारे में कहा जाता है तो उसके जीवन-काल में उसके राज्य में शान्ति और सन्तोष व्याप्त रहता और उसकी मृत्यु होने पर प्रजाभून उसकी सन्तान की प्रेम, निष्ठा, आशा और आदर की दृष्टि से देखते। उसके बदले अकबर की मृत्यु की अफवाह सुनते हो लोगों में दबा हुआ अमल्लोप भड़क उठा था। अकबर के क्रूर और निष्ठुरतापूर्ण हृत्यों के कारण शाहजादों से लेकर गरीब आदमी तक सभी घबराते थे और इसी कारण से मैं अकबर का तब्दी उलटने में समर्थ नहीं हो पाते थे। वे सभी चाहते थे कि अकबर मर जाए या किसी के हाथों कत्ल हो जाए।

अकबर के सम्पूर्ण शासनकाल में जो विद्रोह लगातार चलते रहे उनकी गम्भीरता दर्शनि के लिए हम यहाँ कुछ ऐसे इतिहासकारों की पुस्तकों में से उद्धरण दे रहे हैं जिन्होंने अकबर के बारे में लिखा है।

विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक में पृष्ठ ४८ पर लिखा है—“अकबर का रिश्ते का मामूल छवाजा मुअज्ज़म बहुत उप स्वभाव का था और उसने बहुत से कत्ल और दूसरे अपराध किए।...” अकबर ने शिकार के बहाने यमुना नदी पार की।...” छवाजा मुअज्ज़म पर आक्रमण किया और उसे गिरफ्तार करके नदी में पेंक दिया गया। वह ढूँढ़ा नहीं। बाद में उसे ग्वान्नियर के किले में बन्द कर दिया गया जहाँ वह पागल होकर मर गया।”

यहाँ यह घ्याम देने योग्य है कि सम्पूर्ण मुस्लिम इतिहास में ‘शिकार’ का अर्थ ‘पशुओं का शिकार’ नहीं है बल्कि हिन्दुओं और कभी-कभी मुस्लिम विद्रोहियों का शिकार है।

“जुलाई, १५६४ में पीर मुहम्मद (गवर्नर) के उत्तराधिकारी अब्दुल्ला खाँ उजवेक ने मालवा में विद्रोह कर दिया और अकबर को उसके विरुद्ध एक अभियान संगठित करना पड़ा। अकबर ने माडू को पराजित किया और अब्दुल्ला वो गुजरात की तरफ भगा दिया।” (बही, पृ० ५३)

“नगरचंग की आरामगाह में जब बादशाह आराम बर रहा था तभी समाचार मिला कि काबुल के शाहजादा मोहम्मद हाजिम ने पजाब पर आक्रमण कर दिया है। सान जमान ने उसका अन्त कर दिया। फरवरी (१५६७) के अन्त में अकबर लाहौर पहुँचा परन्तु तबतक उसका भाई

सिंध पार कर चुका था । „इसी बीच गुप्त सूचना मिली कि मिर्जा लोगों ने... जो अकबर के दूर के रियेदार थे... विद्रोह कर दिया है... इसलिए यह आवश्यक ही गया कि अकबर पंजाब को छोड़कर आगरा की तरफ जाए ।” (पृष्ठ ५६)

“खान जमान के विद्रोह को पूरी तरह कुचलने के लिए अकबर मई, १५६७ में आगरा से चला । विद्रोही मुखिया शराब और विलास में नियमन थे और उन्होंने रक्षक नियुक्त नहीं कर रखे थे । अकबर की सेना से जो युद्ध हुआ उसमें खान जमान मारा गया और उसके भाई बहादुर को बन्दी बनाकर उसका सिर काट दिया गया ।” कई मुखियाओं को हाथी के पाँव के नीचे कुचलवा दिया गया । (युद्ध इनाहावाद जिले के एक गाँव में हुआ था ।) एक आदेश जारी किया गया कि जो कोई व्यक्ति किसी विद्रोही मुगल का सिर काटकर लाएगा उसे जीते की मुहर दी जाएगी और जो कोई व्यक्ति किसी हिन्दुस्तानी का सिर काटकर लाएगा उसे एक रुपया दिया जाएगा” (पृष्ठ ५७) । इससे स्पष्ट है कि किस तरह भारत के रहने वालों के सिर की कीमत भी विदेशी मुगलों के मुकाबले कम आँकी जाती थी । इसका कारण यह था कि हिन्दुस्तानियों को हर रोज किसी-न-किसी बहाने से हजारों की सध्या में कत्ल किया जा रहा था ।

“लगभग इसी समय (१५७२ के अन्त में) सूचना मिली कि इन्हाँमि मिर्जा ने लूस्तम खाँ नामक एक प्रसिद्ध व्यक्ति का कत्ल कर दिया है और वह और भी बहुत-कुछ करने की सोच रहा है । मिर्जा लोगों का गढ़ भूरत में था । अकबर उस समय बड़ोदा के निकट था । उसने शत्रु के विरुद्ध सेना बढ़ाने का निश्चय किया । जब वह माही के निकट पहुँचा तो पता चला कि शत्रु सेना ने थासरा के पूर्व पांच भील दूर सरनाल नामक एक छोटे नगर पर अधिकार कर रखा है । भगवानदास के भाई भूपत को कत्ल कर दिया गया । विजयी अकबर २४ दिसम्बर को अपने कैम्प में लौट आया ।” (वही, पृष्ठ ७६-८०) ।

“अकबर के गुजरात से लौटने के कुछ ही समय बाद वहाँ दुर्दमनीय मिर्जा मुहम्मद हुसैन और अच्छियार-उल-मुल्क नामक मुखिया के नेतृत्व में विद्रोह हुआ । अकबर की सेना उस समय असंगठित थी और उसमें सैनिकों की कमी हो गई थी तथा साज-सामान भी घिस-पिट चुका था । इसलिए यह

आवश्यक हो गया था कि नए अभियान के लिए शाही खजाने की मदद से साज-सामान जुटाया जाए। २३ अगस्त, १५७३ को उसने तेमारी पूरी करके प्रस्थान किया। ११ दिन में वह ६०० मील पहुँचा। अहमदाबाद में २ सितम्बर, १५७३ को यह हुआ। मुहम्मद हुसैन मिर्जा को केंद्र कर लिया गया। अच्छियार-जल-मुल्क को कत्तल कर दिया गया। मिर्जा की मधी पदवियाँ छीन ली गईं। उस समय की धृणित प्रथा के अनुसार २००० से चाहादा विद्रोही लोगों के सिरों को एक मीनार के रूप में सजाया गया। शाह मिर्जा को घर से निकालकर खाना-बदोश बना दिया गया।" (पृष्ठ, १८५) ।

बिहार और बंगाल में फैले असन्तोष का वर्णन करते हुए स्मिथ ने (पृष्ठ १३२-३५) लिखा है—“कुछ लोगों के साथ कूरता का ध्यवहार विये जाने के कारण जमता में दुर्भविना बड़ी और कहा जाता है कि अधिकारी वर्ग की धन-जिप्सा के कारण यह आवना अधिक तीव्र हो गई। बंगाल के प्रभावशाली मुखियाओं ने जनवरी, १५८० में विद्रोह कर दिया। अप्रैल, १५८० में टाडा के मुजफ्फरखाँ को यातनाएँ देकर मार डाला गया। अबबर इत दगों को दवाने में लिए स्वयं जाने का माहम नहीं कर सका था……१५८४ तक विद्रोह को सामान्यत दवा दिया गया था। विद्रोही नेताओं को विभिन्न प्रकार के दण्ड दिये गए।……जिन विरोधी लोगों को खुले आम कत्तल नहीं किया जा सकता था, उन्हें गुप्त रूप से कत्स किये जाने का आदेश देने से अकबर को सकोच नहीं होता था।”

उसी पुस्तक में पृष्ठ १३७ पर लिखा गया है कि “दरबार के पड़मन्त्र का नेता विज-मवी शाह मसूर था। उसने (अकबर के मौनेने भाई) मुहम्मद हाकिम वो जो कावुल में शासन करता था) जो पद लिये, वे बीच में ही पकड़े गए। अबबर ने धोखेबाजी और बल दोनों से इम पड़मन्त्र वो कुचलने का निश्चय किया। अन्तत शाह मसूर को बन्दी बना लिया गया और भारिक रूप से जासी प्रमाणों के आधार पर उसे फाँसी दी गई। ८ फरवरी, १५८१ को अकबर ने फतेहपुर सीकरी से कूच किया। शाह मसूर को अम्बाला और थानेसर के बीच शाहबाद नामक स्थान पर काट कछवाहा के निवट एक पेड़ पर लटका कर फाँसी दी गई।”

“अकबर अपना एक दूत फूरोप भेजना चाहता था, उसने, सेयद

मुजफ्फर कादर मनस्टर्ट के शहम रखाना किया। वरदार ने ललत हीने ही मुग़लकर पांडीरी मनस्टर्ट का साथ छोड़कर दक्षत भी चा छिए।" (पृष्ठ १४६)।

"१५८१-८२ तरह मुजफ्फर कादिकावाह और कच्छ के जगतों में उत्पात मचाता रहा। अस्त मे १५८१-८२ मे उसे पकड़ा गया। अहटे हैं कि उसने खालाहुया कर दी।" (पृष्ठ १४५-१६)

"लगत, १५८२ मे अकबर ने दूसरी बार जम्भीर की दरकर्त्ता किया। ..... इसे दूसरा भिन्नी थी कि कश्मीर मे उसके वासने के पक्ष जातीजे ने विद्रोह का आमदा लदा कर दिया है और यह सुखदाम बन बैठा है। ..... दरमू इसके मुख ही आमद बाद उस विद्रोही ने तिर अकबर के पास साझा किया।" (वही, पृष्ठ १७५)।

"दस्तीखण्ड के मुद्द के बाद से अकबर के प्रभुत्व मे कमी होने लगी। वह प्राय ४५ वर्ष से लागतार बुझ कराता जा रहा था। उसके जीवन के आकौ वर्ष दुर्दणा मे बोते। जहाँपोर के विद्रोह के कारण अकबर अहमीरह से बाहर मर्द १६०१ के व्यारम्भ मे आशरा लौट आया। दाहूनादा सलीम के लालाराए विद्रोह, शाहजाहा पानिवाल जी मूरु और बुझ अग्न घटानों के कारण अपने जीवन के अनिम यदों मे अकबर का मन फिल ही शया था। विद्रोह के बिनो मे सलीम ने अपने पिता के लिए फुलगालिमोरे सैनिक द्वारा सोलह-वार्ल की सहायता भी और उसके हर प्रकार से उन्हे आश्रयात्मन दिया नि वह सज्जे रिल से ईस्टइंड गत जी मारता है। उसने अपने दूत को गोला मेजकर काहलावा कि इलाहुवाद मे उसके अपने दाखार मे पांडी भेजे जाए। वह अपने ऐसी पृष्ठ काल की भीहर चाहता और उसे मे ईरा और वेरी के चिरों से मुक्त रही ही बेन पहलता था। १६०२ मे सलीम इलाहुवाद मे दरदार लगाता रहा और दिन प्रातों पृष्ठ उसका थधिकार था, उनमे उसका शाही वैष्ण द्वारा रहा। उसने सोने और तवीं के अपने लिवे की इसदावे लिनका नमूना उसने अपने पिता के पास भी भेजा। उपने गिर दोस्त मुहम्मद (कानून) की वरदा हुत बलाकर अपने पिता के पास दालचीत के लिए भेजा। दोस्त मुहम्मद हु गाय तक आगश मे रहा। उसकी रात्र वह पी कि सलीम को ७०,००० सैनिकों को लाप तेकर अकबर से विजने की इचाजत हो और सलीम ने अपने अपनी की

जो पारितोद्यिक दिये हैं, उनकी पुस्टि की जाये तथा उसके साथियों को विद्रोही न माना जाये ..... १२ अगस्त, १६०२ को प्रातः अबुल फजल कूच करने ही वाला था कि ओरछा के बुन्देला सरादर बीरसिंह देव ने, जिसे सलीम ने भेजा था, उसपर हमला कर दिया। अबुल फजल की भाले की नोक से छेद दिया गया और उसका सिर धड़ में अलग कर दिया गया। उसका सिर इलाहाबाद भेजा गया जहाँ सलीम ने उसका स्वागत किया और उसका अनादर किया। (अबुल फजल को नरवर से १० या १२ मील दूर सराय बरार के निकट कत्ल किया गया था।) ।" (वही पृष्ठ २०७-२२२) ।

"यह निश्चित है कि सलीम की उत्कट इच्छा थी कि उसका पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाये।" (वही, पृष्ठ २३४) ।

"यदि जहाँगीर का विद्रोह सफल था तो अवश्य ही वह उसके माता-पिता की मृत्यु को बारण बना।" (वही, पृष्ठ २३७) ।

बद्रबर के शासनकाल के अगणित विद्रोही का उल्लेख बरते हुए डॉ० थीवास्तव ने अपनी पुस्तक 'अकबर - दी घेट' में (पृष्ठ १०१ पर) लिखा है कि "खान जमान ने बहादुर और सिकन्दर को फैजाबाद वे निकट मुरहरपुर के परगनों में लूट-पाट के लिए भेजा।" (अकबर का एक सेनापति खान जमान उस समय विद्रोही था।)

इसी विद्रोह के दौरान मुसलमानों ने अयोध्या में कुछ और पवित्र हिन्दू मन्दिरों को अपवित्र किया और उन्हें मस्जिदों में बदल दिया।

उसी पुस्तक में पृष्ठ १०१ पर कहा गया है कि "उज्ज्वेक के विद्रोह के दौरान ही शेर मोहम्मद दीवाना ने गढवड वा लाभ उठाकर विद्रोह बर दिया।"

आगे पृष्ठ १०६ पर उल्लेख है कि "विद्रोही मिर्जा सोगो ने दिल्ली के निकट धारा बोला और वहाँ लूट-संसाट की।"

"मोहम्मद अमीन दीवान ने, फोजदार पर तीर चलाया, इसनिए आदेश दिया गया कि उसे मोत के घाट उतार दिया जाये। कुछ दरवारियों के धनुनय-विनय पर उसे मारने का आदेश बापत ले लिया गया, परन्तु पिटाई का आदेश होने पर वह भाग निकला।" (वही, पृष्ठ १०७)

उसी पृष्ठ पर आगे उल्लेख है कि "जुनैद कर्तनी, जिसे हिंदौन भेजा

गया था, गुजरात की तरफ भाग निकला। जब खान उमान ने यह स्वर लुनी कि मिर्जा हाकिम ने लाहौर की तरफ कूच कर दिया है, तो उसने किर विद्रोह कर दिया।"

"३० अगस्त, १५६७ को अकबर शिकार पर निकला, जिसका उद्देश्य भालवा में मिर्जा लोगों के विद्रोह का दमन करना और चित्तौड़ की विजय करना था।" (वही, पृष्ठ ११३) ।

उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट है कि किस तरह इतिहासकार मुस्लिम इतिवृत्त-लेखकों के विवरणों को समझने में असमर्थ रहे हैं। पहले डॉ० श्रीवास्तव ने दावे के साथ कहा है कि अकबर शिकार पर निकला और बाद में दो ऐसे उद्देश्य बताये हैं जिनका शिकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए हम मुस्लिम शासनकाल के सभी पाठकों को सावधान कर देना चाहते हैं कि 'शिकार' शब्द से 'युद्ध अभियान' अर्थ लिया जाना चाहिए।

मुस्लिम इतिवृत्त लेखकों के गंथ जातसाजी, हठधर्मिता और धूर्तता से भरे हैं, इसीलिए उनके शब्दों के सीधे-सादे अर्थ लेना ठीक नहीं होगा। उनके कुछ शब्दों के विशेष अर्थ समझ लेने चाहिए। उदाहरण के लिए 'मन्दिरों को नष्ट किया और मस्जिदें बनवाई' शब्दों का केवल यह अर्थ है कि हिन्दुओं को उनके मंदिरों और भवनों से निकाल दिया गया और उन्हीं भवनों को मस्जिदों और मकबरों के रूप में उपयोग में लाया गया। यही कारण है कि भारत में मध्यकाल की सभी मस्जिदों एवं मकबरों की बनावट हिन्दू मन्दिरों और भवनों जैसी लगती है। इसी तरह हिन्दू महिला से मुसलमान की शादी से यह अर्थ समझ लिया जाना चाहिए कि उस महिला का अपहरण किया गया था और 'दहेज' से मतलब 'फिरोती की रकम' समझा जाना चाहिए जैसा हम भारमल के सम्बन्ध में लिख चुके हैं।

डॉ० श्रीवास्तव की अपनी पुस्तक में (पृष्ठ १३७-४१ पर) लिखा है कि गुजरात की विजय के बाद "अकबर ने मिर्जा लोगों को समाप्त करने का निश्चय किया जिन्होंने गुजरात के काफी बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। जब सूरत का घिराव चालू था तब इब्राहिम हुसैन मिर्जा ने अचानक आगरा पर आक्रमण कर देने का प्रयत्न किया। मिर्जा शरफुद्दीन हुसैन को, जो पहले नागोर और अजमेर का गवंनर था (और जिसने अकबर को जयपुर के राजा भारमल की कन्या का अपहरण करके उसे

शाही हरम में लाने में अकबर की सहायता की थी) और जो १५६२ में दरवार से भागकर विद्वोही मिर्जा लोगों से जा मिला था, वन्दी बना लिया गया और ४ मार्च, १५७३ को सूरत में दरवार में पेश किया गया। उसे हाथी से कुचलवाने के लिए फैक दिया गया परन्तु बाद में उसे जीवन-दान देवर बेत में रखा गया। पीर ट्वारा बद्रुल शाहिद ने भी मिर्जा को रिहा कर देने की अपील की परन्तु वह स्वीकार नहीं की गई।”

स्पष्ट है कि विस तरह अकबर के अपने ही पिट्ठुओं को, जिन्होंने हिन्दू प्रदेशों पर आक्रमण करने अकबर के हरम के लिए हिन्दू स्त्रियों का अपहरण किया, अकबर ने धूषित व्यवहार से निराशा हुई और उन्होंने उसके विरुद्ध विद्वोह किया। इससे यह भी स्पष्ट है कि पीर-फीर लोग गुड़ों और सूट-पाट बरने वाले लोगों के लिए भी दया की अपील किया करते थे। एक और संगत तथ्य यह है कि शरफुदीन का विद्वोह निरन्तर ग्यारह वर्ष तक चलता रहा और तब वही उसे बन्दी बनाया जा सका।

इसी पुस्तक में पृष्ठ १४३ पर लिखा है, “इबाहिम हुसैन मिर्जा ने सभन और पजाब को वापस लौटाते हुए सारे प्रदेश वो नष्ट-भ्रष्ट किया।”

पृष्ठ १५५-५० पर लिखा गया है कि “बब अकबर अहमदाबाद से (अग्रेल, १५७३ में) चला तब गुजरात में स्थिति पूरी तरह काढ़ में नहीं थी। इदिनयार उल-मुल्क ने गुप्त रूप से विद्वोह किया था और उसे इन्दौर के राजा नारायण दास (राणा प्रताप के श्वासुर) और दोर खाँ फौलादी के पुत्रों का समर्थन प्राप्त था। अकबर के पीछे फेरते ही मोहम्मद हुसैन मिर्जा, जो दौलताबाद से लौटा था, विद्वोहियों से जा मिला।”

वही पृष्ठ १५२ पर उल्लेख है कि “अन्य बातों के अतिरिक्त मुजफ्फर खाँ घोड़े पर शाही मोहर लगाये जाने के विरुद्ध था। उसे प्रधान-मन्त्री पद से हटा दिया गया।”

पृष्ठ १८८ के उल्लेख के अनुसार “मिर्जा अजीज कोका वाइन सहग में घोड़े आदि नहीं रख सका और उनपर मोहर अकित कराने के लिए दरवार में प्रस्तुत नहीं कर सका था इसलिए अकबर ने उसे बन्दी बनवाया और उसका पद कम कर देने का आदेश दिया। मुधारों के बारे में उसने अनुचित बातें कहीं। अजीज कोका, अकबर का सह-मालित भाई था। समा मांगने पर उसे १५७८ में मुक्त कर दिया गया।”

इसी ग्रन्थ के पृष्ठ २२० पर लिखा यहा है कि "गाहवाह को, जिसे राजा प्रताप के विश्वद अधिष्ठान पर भेजा गया, वापस बुकाक १५८० में विहार क्षीर बहाल को रखाता किया गया। वहाँ मुश्वर अफल रोंगे के विद्वाह बार रखा था।" "वीरसिंह देव युद्धेश के बड़े भाई द्विष्ठा के राजा मधुकर में विद्वाह कर दिया गया। अकबर ने सादिक सांग को विद्वाह दराने के लिए भेजा। गाहवाह युद्ध के पश्चात् (मई, १५८३ में) उसने वाराण-समर्पण लिया। परन्तु कुछ समय पश्चात् उसने किंतु विद्वाह किया और १५९२ में गपनी मृत्यु तक वह उपासन देखा रहा।" (बड़ी पृष्ठ २२०)

पृष्ठ २११-२२ पर लिखा गया है कि "देश अवश्य नहीं, जो इस घर में अधिक साधन तक लकड़वार का बहुत नियंत्रण देता रहा था, वाराणी, १५७८ के अन्त में उसकी नवारी से मिल गया। लाल उपे नौकरी से लिहाज दिया गया। उसकी जर्बह मुलतान द्वारा को मूल्य सरदार बनाया गया। द्वारा तब प्रकल्प से खोट आया था। १५७६ के अन्त में लम्बुन नवी को देश-लिहाजा देकर उसकी द्वारा के विद्वाह पुनर्म नवाहा मेल दिया गया। १५८६ में वापस भारत आने पर सहेजान्द परिवर्षितियों में उसकी मृत्यु हो गई।" अपने है कि लकड़वार के बाने पर उसे नमान कर दिया गया था।

"१५८० के अगस्त में अकबर को विहार देश वापाल से अस्ते अकमारे के एक बड़े विद्वाह का सामना करना पड़ा। दोनों प्राती ने यह विद्वाह प्राप्त, एक साथ भड़का।" (बड़ा) पूर्वी प्राती ने विद्वाह की रिश्वत चढ़ा रही थी तब पांते हुए सीकरी के कुछ सर्किय दरवाजियों ने, जो विद्वाहियों के साथ मिले हुए थे, एक पद्मपद रखा जिसका हार्दिश थहरा कि अकबर को नहीं किया जायेगा, विर्झा हार्दिश की साहज घोषित किया जायेगा और बहाल की ओर प्रस्ताव करने विद्वाहियों के साथ चिता जायेगा। अकबर को इस पद्मपद की मृत्यु मिल गई। पद्मपदमुरियों को गिरातार करने के बाद से डास दिया गया था। और लिखते हैं अपनी को मौत के घाट उठार दिया गया।" (बड़ी, पृ० २६८-९३)।

"द्वारा में विलयी विद्वाहियों के विर्झा हार्दिश की अपना धार्यक पोशित कर दिया और उसके नाम से घुटरा दिया। विर्झा गारकूदीन, जो पहले नागोर और अलमेर का गवर्नर था और जिसे टांडा के लिए से बनी बलाकर रखा था था। और लिखते हैं अपने आपको

मुक्त करा लिया था, इन विद्रोहियों का नेता खुना गया। परन्तु उनके असली नेता मासूम खाँ काबली और बाबा खाँ काबशाल थे।" (वही, पृष्ठ २७४) ।

"मुस्ला मोहम्मद याजदी तथा मीर मुअज्जुल मुस्लिम को, जो बादशाह के प्रति धार्मिक अविश्वास की भावना को भड़का रहे थे, पकड़कर शाही दरबार में हाजिर करने का काम थाजाद खाँ तुकोमिन वो सोचा गया। इस आदेश का अतिशीघ्र पालन हुआ और जिस नीका में उन्हे लापा जा रहा था, उसे इटावा के पास यमुना में ढुबो दिया गया, और दोनों विद्रोही नेता ढूबकर मर गए।" (वही, पृष्ठ २७६-७८) ।

"मिर्जा हाकिम हारा भारत पर आत्ममण किए जाने की सबर पाकर मासूम फराखुदी ने, जो कुछ समय से गुप्त रूप से विद्रोह करने की सोच रहा था, जौनपुर में खुलेआम विद्रोह कर दिया। उसके विरुद्ध अभियान हुआ जिसके कारण उसे विवश होकर अपने परिवार और खजाने को अयोध्या के बिले में छोड़ जाना पड़ा। शाहबाज खाँ ने अगले दिन बिले और नगर पर अधिकार किया। अब्दर ने दया करते हुए अपने बमाडर शाहबाज खाँ को आदेश दिया कि विद्रोही के परिवार तथा उसके आधिकारों को परेशान न किया जाए।"

अयोध्या का बिला भगवान् राम का महल था और हिन्दू उसे पवित्र मानते थे। अब्दर के समय में एक बार फिर मुस्लिम आत्ममणकारियों ने उमेर अपवित्र किया। अयोध्या के सभी मध्ययुगीन मस्जिदें प्राचीनकाल के मन्दिर हैं जिनसे भगवान् राम की पावन स्मृति वैधी है।

अब्दर ने विशेष आदेश जारी किए हैं कि शहू की महिलाओं पर अत्याचार न किये जाएं। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि दूसरे सभी अभियानों में अब्दर ने भूतिकों को इस बात की खुती छूट थी, बल्कि उन्हे इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, कि वे शहू की महिलाओं के साथ बलात्कार करें। अपवाद वे हृषि में उक्त आदेश से यह समेत मिलता है कि कुछ महिलाओं को अब्दर अपने हरम में रखना चाहता था।

"जब अब्दर मिर्जा हाकिम के विरुद्ध युद्ध में व्यस्त था तभी घटेहर (वर्तमान छेलखड़) में विद्रोह हुआ।" (वही, पृष्ठ २८५) ।

"मासूम खाँ फराखुदी ने अब्दर की माँ से शरण मार्गी (मार्च, १५८२)

परन्तु एक रात को जब वह महल से जा रहा था, उसे कत्ल कर दिया गया।” (वही, पृष्ठ २६०) ।

“वहादुर (संयद खाँ वदाकसी के पुत्र) ने राजा की पदबी धारण की और तिरहूत को अपनी राजधानी बनाया। उसे सन्धि के तिए प्रार्थना करने को विवश किया गया और अकबर के आदेश पर उसे भौत के घाट चत्तार दिया गया।” (वही पृष्ठ २६१) ।

“शाहबाज खाँ को, जो कुछ वर्ष तक मुख्य वद्यशी (सेना मन्त्री) के उच्च पद पर रहा था और जिसने विशिष्ट सैनिक सेवा की थी, अम्ब्र व्यवहार के आरोप में बन्दी बना लिया गया और जेल में रखा गया।”

“बंगाल के विद्रोहियों के विरुद्ध उपनी सफलता के बाद खान-ए-आजम ने प्रार्थना की कि मुझे उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया जाए। १५८०-८३ के विद्रोह से अकबर और मुगल राज्य को बड़ा सतरा हो गया था। यह विद्रोह व्यापक था। यह केवल विहार तक सीमित नहीं था, जैमाकि सामान्यतः विश्वास किया जाता है। इन दो प्रान्तों के अतिरिक्त यह उडीसा के अधिकाश भाग, गाजीपुर तथा बनारस के जिलों और इनाहाबाद तथा अवध प्रान्त में तथा आधुनिक रुहेलखण्ड में भी फैला था। कुछ मन्त्री और ऊंचे दरवारी इस विद्रोह में शामिल थे।” (वही, पृष्ठ २६३-६४) ।

“गुजराती अमीर ऐतिमाद खाँ ने गुजरात के विद्रोहियों का साय दिया इमलिए उसे बन्दी बना लिया गया। गुजरात में १५८३ में एक बार फिर विद्रोह हुआ।” (वही, पृष्ठ ३१८-२०) ।

“जलाल १५६२ में ट्रासोक्सेनिया से लौटा और एक बार फिर उसने तिराह, आफरीदी और उर्कजई कबीलों को अपने विद्रोही झड़े के नीचे एकत्र दिया। ११ भार्च को अकबर को विवश होकर काबुल और सीमातः की सेनाओं को, जो क्रमशः कासिम खाँ और आसफ खाँ के नेतृत्व में थी, रोशनिया के विद्रोह को दबाने के लिए भेजना पड़ा। और काकियानी और महमूद जई के कबीले भी इस विद्रोह में शामिल हो गए थे। विद्रोह को दबा दिया गया। परन्तु जलाल का एक रिश्तेदार बहादुत अली कनसाली के किले में बना रहा। कबाइलियों का विद्रोह १६०० ई० के बाद तक चलता रहा।” (वही, पृष्ठ ३४७-४६) ।

“१६ नवम्बर, १५८६ को भऊ उर्फ़ नूरपुर के राजा वासु ने आकर विराज दिया। उसने बहुत पहले ही अक्वर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, फिर भी जब सीमात्र प्रदेश में अक्वर की सेना को मुँह की सानी पड़ी तब उसे भी विद्रोह करने की सूझी। इसलिए एक सैनिक टुकड़ी को उसके विरुद्ध भेजा गया।” (बही, पृष्ठ ३५८)।

डॉ० थीवास्तव और दूसरे इतिहासकारों का यह कहना गलत है कि “भारमल ने स्वयं आत्म-समर्पण किया, राजा रामचन्द्र ने स्वयं आत्म-समर्पण किया, राजा वासु ने आत्म-समर्पण किया, आदि।” इससे पाढ़क को यह अम होता है कि शायद अक्वर में कुछ अद्भुत आवर्यण या आभा पी जिसके प्रभाव से एक के बाद एक हिन्दू राजा स्वतः अक्वर की ओर इस प्रकार आकृष्ट होते थे जिस प्रकार पतगे प्रकाश की ओर झपटते हैं। वास्तव में स्थिति इसके विपरीत थी। सभी लोग उसे धृणा और अनिच्छा की दृष्टि से देखते थे। इसलिए जिसे स्वतः आत्म-समर्पण कहा जाता है, उसके पीछे कूर लूट, क्षत्त, बलात्कार, आगजनी और मन्दिरों की अपवित्र करने का बीभत्त और निरकुश आन्दोलन था। जिन राजपूतों ने एक हजार वर्ष तक मुसलमानों का बीरता से मुकाबला किया और अन्ततः उन्हें असंहाय बना दिया, उनके सम्बन्ध में ऐसा थारोप लगाना कि उन्होंने प्रेम या मस्ती में अक्वर को आत्म-समर्पण किया, उनका अपमान करना है। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने जयपुर के राजा भारमल का है। उसने अक्वर पर लगातार आक्रमण करके उसे जिस प्रकार आतंकित किया था, उससे बारण उसे अपमानजनक स्थिति में आकर अक्वर के सामने समर्पण करने को विवश होना पड़ा और अपनी निरपराध कल्पा के साथ बहुत-सा धन अक्वर को देना पड़ा था। परन्तु अधिकाश इतिहास-ग्रथों में उसे भारमल पर अक्वर की महती वृपा बहकर उसका यशोगान किया गया है।

“जिन दिनों मानसिंह आगरा में या उन दिनों बगाल में फिर एक विद्रोह हुआ। मरनसिंह ने १५६६ में बापस आकर एक लम्बा अधियान आरम्भ किया। फरवरी, १६०१ में उसने अफगानों का दमन किया, तब तक बगाल का विद्रोह प्रायः समाप्त हो चुका था।” (बही, पृ० ३७६-७७)

“एक और विद्रोह भाटा या बघेलखण्ड में हुआ। मुदीं अवधि तक

अकबर के राजधानी से दूर रहने के कारण भाटा (आधुनिक रीवा) के शासक ने अपनी स्वाधीनता की घोषणा कर दी।” (वही, पृष्ठ ३८१)।

“जिन दिनों १६००-१६०१ में अकबर दबकन में लगा हुआ था, उन दिनों पजाब में बारी दोन्हाब में भऊ के राजा बासु, जम्मू के राजा और पश्चिमोत्तर प्रदेश के कुछ सरदारों ने विद्रोह कर दिया और सेना की बड़ी-बड़ी टुकड़ियाँ उन्हें दबाने के लिए भेजनी पड़ी। लखनऊ, जसरोटा, मानकोट, रामगढ़ और पजाब के पहाड़ी प्रदेश में कोहवस्त के मुतियाओं ने भी १६०२ में विद्रोह किया। उन्हें शक्तिशाली सेनाएं भेजकर दबाना पड़ा।” (वही पृ० ३८३-८४)।

“२२ जुलाई, १५६२ को अकबर ने दूसरी बार कश्मीर की तरफ कूच किया। उस समय कश्मीर में एक स्थानीय विद्रोह के कारण अशांति थी और सम्भवतः अकबर विद्रोह को अपने आतक से दबाना चाहता था।” (वही, पृष्ठ ३८७-६५)।

कश्मीर की अपनी यात्राओं में ही अकबर ने झेलम नदी के उद्गम स्थल पर वेरीनाग का प्रसिद्ध और भव्य मन्दिर नष्ट किया और उस प्रदेश के कई दूसरे हिन्दू मन्दिरों को नष्ट किया। यह एक कूर विडम्बना है कि कश्मीर के पुरातत्त्व विभाग ने अकबर को उन्हीं भवनों का निर्माणकर्ता बताया है जिन्हे उसने पूर्ण रूप से नष्ट करके खण्डहर बना दिया था।

“अकबर के सहपालित भाई मिर्ज़ा अज़ोज कोका ने, जो अकबर को पस्त नहीं करता था, मुप्त रूप से हिजाज की ओर प्रस्थान करने की तैयारी की और इयू छोप को पुर्तंगालियों के अधिकार से निकालने के बहाने वह (२५ मार्च, १५६२) उधर चला गया। अपनी पत्नियों, छ. पुत्रों और छ. लड़कियों के साथ वह जलयान पर सवार हुआ। पक्का में काबा के पुजारी लोगों ने उसे बुरी तरह लूट लिया। जीवन को दूभर पाकर वह कुएं और खाई वाली स्थिति में भारत आया।” (वही, पृष्ठ ३६४-६५)।

“महमदनगर के लोग इतने कुद्द थे कि जब २० मार्च (१५६६ ई०) को मुगल सेना वापस जाने लगी तो उन्होंने मुगलों का कुछ सामान भी लूट लिया।” (वही, पृ० ४३२)।

अकबर को जीवन के अन्तिम वर्षों में अपने पुत्रों के विद्रोहों के कारण बड़ी मानसिक बेदना सहन करनी पड़ी। उसके सबसे बड़े लड़के सलीम ने

(जो बाद मे बादशाह जहाँगीर बना) इलाहाबाद मे अपने-आपको बादशाह घोषित कर दिया था। इससे पहले उसने अकबर को जहर देकर मार डालने का प्रयत्न भी किया। इस प्रकार अपने सम्मुखीं जीवनकाल मे अकबर के प्राय सभी दरबारी, जनरल, अमीर और महाँ तक कि उसके अपने पुत्र उसे जनता का सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। जब इतने पुष्ट प्रमाण उपलब्ध हो, तब भी अकबर को 'महान्' बताना अपराध है। अकबर का यशोगान करना उन लाखों आत्माओं का अपमान करना है जिन्हे अकबर ने पीड़ित किया था।

: २१ :

## भवन-निर्माण

अकबर के बारे में कहा जाता है कि उसने कई किले और महल बनवाए और कई नगरों की स्थापना की। यह मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा समाचार को दिया गया एक बड़ा धोखा है और यह उसी तरह का बड़ा धोखा है जैसा कूर और धर्मान्ध अकबर को एक उदार और उदात्त शासक के रूप में प्रस्तुत करने की जालसाजी है। इस प्रकरण में हम यह सिद्ध करेंगे कि वे सभी महल, किले और नगर प्राचीन हिन्दू काल के थे। वे अकबर के जन्म से भी शताव्दियों पहले विद्यमान थे और उसने भारत में दावर के उत्तराधिकारी के रूप में केवल उनपर अधिकारमाला किया था।

### फतेहपुर सीकरी

आगरा के तीईस मील दक्षिण-पश्चिम में एक छोटी नगरी फतेहपुर सीकरी नाम रो है। (मुसलमानों ने जब प्राचीन हिन्दू राजधानी सीकरी पर अधिकार किया तो उन्होंने उसका नया नाम फतेहपुर रखा जिसका अर्थ होता है 'जीता हुआ नगर', इसलिए नगर का पूरा नाम 'फतेहपुर सीकरी' पड़ गया। इसके चारों ओर एक बड़ी रक्खात्मक प्राचीर है। इस प्राचीर के अन्दर एक बहुत बड़ा क्षेत्र और एक पहाड़ी है। पहाड़ी पर लाल पत्थर के विशाल द्वार और कई भव्य महल बने हुए हैं। ये सब पूर्ण रूप से हिन्दू, राजपूत शैली में निर्मित हैं।)

इन्हीं सुन्दर शाही भवनों तथा उनके विशाल द्वारों को तीसरी पीढ़ी के मुगल शासक अकबर के निर्माण रूप से प्रस्तुत किया गया है।

मुस्लिम इतिवृत्त ग्रंथों में भी अकबर से संकड़ों वर्ष पहले फतेहपुर सीकरी नगर के विद्यमान होने का उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं, फतेहपुर सीकरी को अकबर से पूर्व के कई हिन्दू तथा मुस्लिम शासकों की राजधानी के रूप में उल्लिखित किया गया है।

आरम्भ में हम यह बहु दें कि जिन इतिहास-विवरणों में से हम उद्धरण प्रस्तुत कर रहे हैं, उनमें फतेहपुर सीकरी का उल्लेख कभी-कभी फतेहपुर या देवल सीकरी के नाम से किया गया है। सीकरी, फतेहपुर या फतेहपुर सीकरी ये तीनों नाम उसी नगरी के लिए प्रयुक्त किए गये हैं किसमें पहाड़ी और उसपर बने सुन्दर हिन्दू प्रासाद तथा लाल पत्थर के विशाल छार मुख्य विद्येयता और प्रमुख नाकर्यण हैं।

ये तीनों नाम एक ही नगरी के लिए प्रयुक्त किए गये हैं, इसका स्पष्ट मत्तेत मुख्लिम इतिहासकार याह्या बिन बहमद ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-मुकारिकशाही में दिया है। इस पुस्तक में भाग ४, पृष्ठ ६२ (इवियट एण्ड डाउसन) पर लिखा है कि “गुलतान की आज्ञा से (वयाना के शामक औहूद ढाँ, जिसने बयाना का किला समर्पित किया था, के लड़के) मुहम्मद खाँ के परिवार और उसके आधितो को जिते से बाहर लाया गया और उन्हे (१२ नवम्बर, १४२६ को अर्यात् अब्दवर के गढ़ी पर बैठने से १३० बर्पं पहले) दिल्ली भेज दिया गया। वयाना मुकुल खाँ को दिया गया। सीकरी थो, जो अब फतेहपुर के नाम से जानी जाती है, मत्तिक खंस्तीन तुहफा को सौंप दिया गया।”

मुसलमानों के अधिकार में आने से पहले सीकरी कभी स्वतन्त्र रियासत और कभी प्राची वीर राजधानी रही थी। परन्तु उसके लाल पत्थर के प्रासादों तथा द्वारों के निर्माण का समय बहुत प्राचीन हिन्दू बाल में है। इसका प्रमाण देते हुए प्रमिङ्ग इतिहासकार बनंस जेम्स टाड ने अपनी पुस्तक “एनल्स एण्ड एण्टीविटोज ऑफ राजस्थान” (पृष्ठ २४०, भाग १) में लिखा है कि “राणा सज्जामसिंह १५०६ में मेवाड़ की गढ़ी पर बैठे। अस्सी हजार घोड़े, उच्चतम पदवी वाले सात राजा, नौ राव और १०४ मुखिया, जिन्हे रावल और रावत की पदवी प्राप्त थी, पांच सौ हाथियों के साथ उसके पीछे चलते हुए (मुगल आक्रमणकारी बावर का प्रतिरोध करने के लिए) मंदान में उतरे। मारवाड तथा अम्बर के नरेश उनके आगे झुकने थे और खालियर, अजमेर, सीकरी, कालपी, चन्देरी, बूंदी, गगराँव, रामपुरा और आबू वे राव उन्हे नज़राना भेट किया बरते थे”।

जपर के अनुच्छेद में स्पष्ट है कि अब बर के दादा बावार दे समय में गोकरी पर एक राव (राजपूत मुखिया) वा नाधिकत्य था और वह मेवाड़

के रागा सप्तमसिंह की अधीनता स्वीकार करता था। लाल पटवर ने जिन अवनों को अकबर की हर्षत बद्दल अब उनके दर्शकों को भूलावा दिया जाता है, वे अस्त्राम में अकबर से संकेतों वर्षे पूर्वे एक राज का राज-प्राप्ताद थे।

तीकरवाल जाति के झज्जुलों के मूल-स्थान की जांच। अपने झज्जुलों के मूल-स्थान की जांच करने के लिए टाइड ने अपनी पुस्तक में धू.४० (भाग १) पर लिखा है कि "उनका नाम सीकरी फलेहपुर नवरी के नाम से चलता है जो पहले एक स्वतन्त्र प्रियासुनी थी।" सीकरवाल राजपूतों के इतिहास बहुत प्राचीन है। उनका उद्यग अकबर के द्वारा कादर से दुष्क लिया था। अतः वह कात शपथ हो जानी चाहिए कि सीकरवाल राजपूत अकबर से कई शताब्दी पहले साल पर्यार के बने भवनों में रहते थे।

फलेहपुर सीकरी का धू. और उल्लेख अकबर के बही पर बैठने के १५८ वर्ष पूर्व जुलाई, १८०५ का है। कर्नल टाइड के इतिहास में भाग ४, धू.४० पर कहा भया है कि "एहसे बाकामप में दक्षवाल लाँ को परामर्श दूँड और बह भाग निकाला। उसका पीछा किया गया। उसमें घोड़ा उहके ऊपर निर पश्च जिससे वह बायक हो गया और अकबर निकल न सका। उसे जान ने यार दिया गया और उसका सिर फलेहपुर मेवा गया।" वह धू. शास मुस्तान महमूद के समय की है। ऐसे कर्त निर पश्च विर दिशाल द्वारे पर लकड़ किए जाते थे जिससे समशक्ति विद्वेशीयों को आतकित किया जा सके। इससे वह संकेत मिलता है कि फलेहपुर सीकरी का जी रियास दार बुल्लद दरवाजे के नाम से विद्यमान है वह अकबर से १५८ वर्ष पूर्व विद्यमान था। कर्नल निर दूर व्यक्ति के हिर को फलेहपुर सीकरी मेवे जाने का कारण यह था कि वह अकबर के रामप से कई पीढ़ियां पूर्व राज-कीर्ति लियाम रखते थे और मुस्तान दाकिनकालियों ने इसे राजपूतों के विजित करके अपने अधिकार में किया था।

इसी प्रकार धू.४१ पर कहा गया है कि "खिल लाँ (रुपद वरा का सरपापक) फलेहपुर में रहा और वह दिनती रही गया।" खिल लाँ से यह यह, १४१४ में शही पर बैठा। फलेहपुर सीकरी का धू. उल्लेख अकबर के बही पर बैठने से १४२ वर्ष पूर्व का है। दिया लाँ बही ही मुस्तान वर

गया था, इससे स्पष्ट है कि अब्दर से कई पीढ़ियाँ पूर्व भी सीकरी में भव्य भवन थे।

अब्दर के दादा बाबर ने फतेहपुर सीकरी के प्रासादों का यह प्रमाण अब्दर के गढ़ी पर बंधने के समय २४ बर्ष और उसके जन्म से १३ बर्ष पूर्व दिया है। तुर्खके-बाबरी (इतियाद एण्ड डाउसन, भाग ४, पृष्ठ २१३) में लिखा है कि “अकेने आगरा में मैंने वही के रहने वाले ६०० व्यक्तियों को भहलो के लिए पत्थर तरासने पर लगाया। और इसी तरह आगरा, सीकरी, बयाना, घोलपुर, ग्वालियर और कोइल में १५६१ व्यक्तियों को इस काम पर लगाया गया।”

बाबर ने स्वयं स्वीकार किया है कि आगरा, सीकरी, बयाना, घोलपुर ग्वालियर और कोइल (जिसे बब अलीगढ़ कहते हैं) में कई महल थे और सभी उनने ही भव्य थे। इससे स्पष्ट है कि फतेहपुर सीकरी में जो लाल पत्थर के भवन हैं वे पुराने हिन्दू भवन हैं जिनपर मुसलमान आक्रमणकारियों ने अधिकार कर लिया था।

बाबर ने फतेहपुर सीकरी के आसपास के मंदानी में राणा सांगा की हिन्दू सेना को पराजित करने के बाद फतेहपुर सीकरी पर अधिकार लिया था। इतिहासकारों की यह भ्रम है कि यह निर्णायिक युद्ध १० मील दूर कन्वाहा उक्के कनुआ में हुआ था। कन्वाहा में जो मुठभेड़ हुई थी वह राणा-सांगा और बाबर की अग्रिम टुकड़ियों के बीच हुई थी। फतेहपुर सीकरी वे हाथी दरबाजे के बाहर कई मील के धेरे बाली एक बड़ी झील थी। सीकरी नगरी वे लिए मुसलमानों से पहले वे राजपूत नरेशों द्वारा रखे जाने वाले हावियों के लिए पानी इसी झील से आता था। उसी पुस्तक में पृष्ठ २६८ पर बाबर ने लिखा है कि “हमारे बाएं ओर एक बड़ी झील थी, इगलिए पानी की मुविधा देतकर मैंने वही डेरा ढाला”। पृष्ठ २६८ पर लिखा है—“अंतर सभी जगहों के मुकाबले सीकरी में पानी बहुत था, इमलिए सेना के शिविर वे लिए इमे सबमें अधिक उपयुक्त रथान ममझा गया।”

“जब अब्दुल अजीज़ की बारी आयी तो वह कोई भी साथधानी बरते विभा बन्वाहा तक चढ़ता चला गया जोकि सीकरी से पाँच बोस पर है। बाफिरों की (राणा सांगा की) सेना आगे बढ़ रही थी। जब उन्हें पता

चला कि वह अपो बड़ थाया है तो उसके ४-५ दूरार संग्रिह एवं दम उत्तरी बेना पर टूट गए। पहले ही हल्ले में अब्दुल अजीज के बहुत व्यापिन बन्दी बाजार में लाये गए। तब भैंदे चुहमाद जह यो दूषण दिया कि वह अमृत अजीज की बापसी में उसकी घटन लाए। अजीज के संग्रिहों को काफी नुकसान उठाना पड़ा।<sup>11</sup> (यहीं, पृष्ठ २१७)।

झार के मनुष्यों से सफ्ट है कि कबाहा यह कनुआ के बीं मुठभेड़ हुई थी और शावर और राणा लालिंग की मुख्य तेना के बीच नहीं प्रत्युत उत्तरी ओरीशा रुकिलिंग के बीच हुई थी और उसमें शावर की टुकड़ी और मूँह को खाना भयी थी। इस तरह इतिहास-न्यायर्थ में यह बहुकर पाठकों को भ्रम में दाला गया है कि कन्याकुमारी देव राणा दालों की विद्युत दूरी थी।

द्वामास्य भारतीय यहू है कि युद्ध खुसे रैदानों में होते थे। विद्युतीय इतिहास की धाराओं में यह एक बड़ी शस्त्री है। यह गलती द्वालियर हुई है कि शावर इस युद्धकों के लेहक केवल संदानिक लोग दें जिन्हें युद्ध का बायकाल लुप्त नहीं था।

भायकाल में जो युद्ध हुए वे सदैय यही दीवारें और फिलों के बीच से छिपकर हुए। अधिनिक युद्ध यीं भी जीवांशुदी करके ही नहीं जाता है। तेना के विविर के पारों और यहा भीवें जिन्हीं के द्वे, दमदार लादि लदाकर उसकी 'रक्षा' की जाती है। १५२६, १५२७ तथा १५६१ में पानीपत में जो सौंज विणेयक युद्ध हुए उसके बड़ों हुनें जो भारत यह पा कि हर दार अतिथें नसे बाली सेना ने पानीपत के नगर, महल और फिलों में बड़ी गारी गोचां-बन्दी कर ली थी। इस तीव्र संहाइनों ने जी विनाया हुआ उत्तर प्रदेश वही के विद्युत हार, दुर्ग और दसके बवाहोंपे में देसा जा सकता है।

फल्यासु या युद्ध कोई विद्युत नहीं था। सीकरी की ओर दरती हुए फल्यासु में विविर लागते कह कारण यह या कि वही एक महल और एक विलासितान था। राजपूतों ने शासनाल में ऐसे भवन और प्राप्ताद स्थान-क्षयान गर करे हुए थे। मुमलमानों द्वारा एक हवार की तक किये गए विनाय के परवान थे ऐसे फिलों ने अवरोद भवाहा, झन्हुर सीकरी, प्रसातपुर, दमाका, धीनपुर, जगरा, रालियर आदि तो ऐसे जा सकते हैं और ये गव एक-दूसरे से जुड़ ही भील वी दूरी पर स्थित हैं।

फल्यासु में एक भवत के होने का प्रभाव देते हुए कर्मत टाइ ने अपनी

पुस्तक मे पृष्ठ १४६-५६ पर लिखा है कि "राणा साँगा वा बद मध्यम था ... वह अपने उद्यमपूर्ण साहम के लिए प्रसिद्ध था। मालवा के राजा मुजफ्फर को उसने उसी की राजधानी मे जाकर पकड़ लिया था... उसने कनुआ मे एक छोटा महल बनाया।"

कनुआ के युद्ध मे राणा साँगा की सेना इत्ते की ऊँची दीवारो के पीछे मोर्चा लगाए हुए थी। इसी तरह बाबर के माथ अन्तिम निर्णायिक युद्ध के समय राणा साँगा फतेहपुर सीकरी की पहाड़ी पर दीवारो के पीछे और महल के अन्दर मोर्चा लगाए हुए था।

अभी हमने देखा कि बाबर का गिरिर सीकरी और झील के निकट था। उसी पुस्तक मे २७२ पर लिखा है कि "युद्ध के समय एक छोटी पहाड़ी हमारे शिविर के निकट थी। मैंने हृक्षम दिया कि इम पहाड़ी पर बाकिरो के सिरो का एक मीनार बनवाया जाए।"

पृष्ठ ४८३ पर लिखा है, "जब आदिल खां और खवास खां फतेहपुर सीकरी पहुँचे तब वे उस समय के एक सन्त शेख मलोम से मिलने गये।" यह उल्लेख भी उस समय का है जब अकबर पैदा नहीं हुआ था।

याह्या विन अब्दुल लतीफ ने लिखा है कि "मीर बी मृत्यु ६७१ हिजरी (१५३३ ई०) मे सीकरी मे हुई।" यह उल्लेख उस समय का है जब बाबर को गढ़ी पर बैठे मिफ़ँ सात वर्ष हुए थे और जब बपटपूर्ण परम्परागत विवरणो के अनुसार सीकरी की स्थापना करने वी बात सोची भी नहीं गई थी।

पृष्ठ ३३६ पर कहा गया है, "इसके बाद मुख्तान मिशन्दर वे बेटे मुलान महमूद ने, जिसे हमन स्त्री मेवाती और राणा साँगा ने बादशाही की गढ़ी पर विठाया था, दूसरे जमशेद बी सीकरी के निकट युद्ध मे ललकारा ..." फतेहपुर सीकरी का यह उल्लेख अकबर से दो पीढ़ी पहले का है जबकि सामान्य घारणा यह है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना बीं थी।

पृष्ठ ४०४ के उल्लेख के अनुसार, "जब दीरशाह अपनी राजधानी आगरा से चला और फतेहपुर सीकरी पहुँचा तब उसने आदेश दिया कि मैना का प्रत्येक भाग युद्ध के अनुशासन के अनुसार मार्च करे।" दीरशाह ने १५४० से १५४५ ई० तक राज्य विया, इस तरह उसका शासन अकबर के जन्म से दो वर्ष पहले प्रारम्भ हुआ और अबबर के जन्म के तीन वर्ष बाद

समाप्त हो गया। अकबर उस समय अफगानिस्तान में था और फतेहपुर सीकरी भारत की धरती पर विद्यमान थी।

पृष्ठ ४८१ पर लिखा गया है कि “आदिल खाँ अपने अमीरों को साथ लेकर भाई (योरणाह के बेटे इस्लाम शाह) के पास गया। जब वह फतेहपुर सीकरी पहुँचा तो इस्लाम शाह मिगारपुर गाँव में आकर उससे मिला।” फतेहपुर सीकरी का यह उल्लेख उस समय का है जब अकबर का पिता हुमायूँ भी निर्वासिन के बाद भारत नहीं आया था।

फतेहपुर सीकरी के ऐसे अनेक उल्लेख हैं जो अकबर से सँकड़ों वर्ष एहते के हैं।

अकबर ने आगरा को छोड़कर फतेहपुर सीकरी में रहने का जो निश्चय किया, उसका कारण यह था कि उसे भय हो गया था कि यदि मैं आगरा में रहा तो मुझे कत्ल कर दिया जायेगा। इसीलिए उसने आगरा राजधानी फतेहपुर सीकरी बनाने का निश्चय किया। क्योंकि वहाँ राजपूतों के बनाए हुए प्रासाद भारत में मुसलमानों के आगमन के पहले से विद्यमान थे। शेष सलीम चिश्ती और उसके साथी इन भवनों में रहते थे। जब अकबर ने सीकरी को राजधानी बनाने का निश्चय किया तब शेष सलीम चिश्ती को बहुत अनिच्छापूर्वक इन भवनों से निकल जाना पड़ा।

अकबर के आगरा छोड़ने का कारण बताते हुए इतिवृत्तकार फरिश्ता ने लिखा है (पृष्ठ १२१) कि “अकबर को इतना गुस्सा आया कि उसने उसे (अर्थात् वहराम खाँ को) अपनी सेवा से हटा दिया। कुछ लेखकों ने लिखा है कि उसकी परिचारिका (माहम अगा) ने उसे बताया था कि उसकी मोहरो पर अधिकार करने का प्रयत्न किया जाने वाला है, जबकि कुछ दूसरे लेखकों ने लिखा है कि वहराम खाँ उसे गिरफ्तार कर लेना चाहता था और माहम अगा ने वह बात वहराम और विधवा वेम को आपस में बातचीत करते हुए सुनी। कहते हैं, कि इसी कारण से अकबर ने आगरा से निकल जाने का निर्णय किया।”

इस प्रकार फरिश्ता ने इस बात का स्पष्ट और सगत कारण बताया है कि किन कारणों से अकबर को अपना दरबार आगरा से फतेहपुर सीकरी ले जाना पड़ा। आगरा पुरानी राजधानी थी अतः वहाँ वरिष्ठ और शवितशाली अमीरों की सम्म्या बहुत थी और ये लोग वहराम खाँ में

मिले हुए थे। उस समय तक अकबर कम उम्र का था। अपने सरकार बहराम खाँ से उम्मी अनदन हो गई थी। उसे भय था कि बहराम खाँ उसे समाप्त कर देगा। इसलिए वह आगरा से फतेहपुर सीकरी आ गया ताकि उसे निश्चय हो सके कि कौन-कौन सोग उसके वास्तविक पक्षपाती हैं। जैसाकि साधारण विवरणों में कहा गया है, अकबर ने एक नदी फतेहपुर सीकरी वा 'निर्माण' करने वा जो निर्णय अचानक विया, वह अकारण नहीं था और इसी तरह उसका सीकरी को एकाएक छोड़ देना भी अकारण नहीं था।

फतेहपुर सीकरी जाने के बाद १५६२ से १५८५ तक की अवधि में अबवर के सभी अभियान फतेहपुर सीकरी से आरम्भ हुए और वही समाप्त हुए। यही वह समय है जिसमें कहा जाता है कि अबवर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया।

अकबर के सगी-साधियों में हजारों महिलाओं वा हरम, हजारों पशुओं का अस्तबल और हजारों की सम्मान में अमीर, सेनापति और अन्य अधिकारी शामिल थे। इन सबके लिए मम्भव नहीं था कि वे सूचना मिलते ही तुरन्त एक ऐसी राजधानी में चले जायें जिसकी अभी नीव भी नहीं खोदी गई थी।

श्री देलट ने अपनी पुस्तक कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृष्ठ १०२ पर लिखा है कि "अबवर की सबसे पहली हिंदू पली, अबवर के भारमन की कन्या, गर्भवती थी और उसे प्रसव के लिए सीकरी भेजा गया। ३० अगस्त, १५६६ को उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तबम्बर, १५६६ में एक लड़की खानम सुलतान पंदा हुई और जुलाई, १५७० में सलीमा वेगम ने शाहजादा मुराद को जन्म दिया। एक तीसरे लड़के दानियाल का जन्म १० सितम्बर, १५७२ को हुआ"।" इसी प्रकार अबवर शीर्षक पुस्तक में पृष्ठ ११६ पर उन्होंने लिखा है कि "२३ सितम्बर, १५७० को अबवर पुन अजमेर गया और रास्ते में सीकरी में वह १२ दिन तक ठहरा।" इससे स्पष्ट है कि अबवर १५७० से पहले सीकरी में रह चुका था। परम्परागत विवरणों के अनुमार १५६६ तक अबवर ने फतेहपुर सीकरी वा निर्माण करने की कल्पना भी नहीं की थी। जबनक वहाँ बौद्ध शाही महल न हो तबतक क्या अबवर और उसकी पत्नियाँ वहाँ जा सकती थीं?

‘अकबर के चापलूस दरबारी इतिवृत्तकारों ने अकबर को फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय देने के लिए इस बात का भी उल्लेख किया है कि उसने अपनी पत्नियों को प्रसव के लिए सलीम चिश्ती के पास फतेहपुर सीकरी भेजा था। इस झूठे उल्लेख का खण्डन थोड़े-से तर्क-विर्तक से किया जा सकता है। पहला तर्क यह है कि अकबर की पत्नियाँ पर्दे में रहती थीं और उन्हे प्रसव के लिए एक पुरुष (फकीर सलीम चिश्ती) के पास नहीं भेजा जा सकता था। दूसरे, अपने को फकीर कहने वाला कोई भी व्यक्ति दूसरों की पत्नियों का प्रसव कराने का दायित्व नहीं लेगा। तीसरे, यह बात निश्चित है कि शेख सलीम चिश्ती ने कोई प्रसव चिकित्सालय नहीं ब्रॉड रखा था। वह स्त्रीरोगों का विदेशी भी नहीं बताया गया है। चौथे, यदि वह किसी टूटी-फूटी झोपड़ी में रहता होता तो अकबर की पत्नियों को प्रसव के लिए वहाँ न भेजा जाता। पांचवें, हम पहले ही मनसरेंट और बदायूँनी के उद्धरण देकर स्पष्ट कर चुके हैं कि सलीम चिश्ती का चरित्र बहुत भ्रष्ट था। अकबर स्वयं बहुत चालाक, धूर्त और अनैतिक आचरण का व्यक्ति था, इमलिए वह अपनी पत्नियों को प्रसव के लिए एक ऐसे व्यक्ति के पास भेजने का साहस नहीं कर सकता था जिसका नैतिक चरित्र सदिग्द था।

श्री शेलट ने लिखा है कि बीकानेर के राय कल्याणमल के एक सम्बन्धी से तथा रावल हरराय मिह की पुत्री से विवाह करने के बाद “अकबर पुन सीकरी गया।” यदि फतेहपुर सीकरी में सुखद राजप्रासाद और भव्य भवन न होते तो अकबर अपनी हर पत्नी के साथ सुहागरात मनाने के लिए बार-बार फतेहपुर सीकरी न जाता।

“४ जुलाई, १५७२ को अकबर फतेहपुर सीकरी से चला। (पहले अजमेर गया और बाद में गुजरात पर हमला किया।)” (अकबर, पृष्ठ १२६)। इसका तात्पर्य यह है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी १५७२ ई० से पहले ही बना ली थी और उसके बाद १५८५ तक अपना मारा शाही कार्य-कलाप फतेहपुर सीकरी से करता रहा। १५७२ से १५८५ तक की अवधि में या उससे पहले भी उसकी सेनाएँ फतेहपुर सीकरी से निकलती थीं और वही वापस आती थीं। यदि राजधानी बन रही थी तो ऐसा कैसे हुआ कि ठीक उसी अवधि में अकबर वहाँ रहता भी था? एक

और वेतुकी बात यह है कि १५८५ में अकबर ने फतेहपुर सीकरी हमेशा के लिए छोड़ दी। उसके बाद वह वहाँ नेवल एक यार बहुत थोड़े समय के लिए सन् १६०१ में गया था। अकबर जैसा समझदार, चालाक और भाराम प्रसन्न व्यक्ति फतेहपुर सीकरी में जहाँ नयी राजधानी के लिए नीवें खुदी हो, खुले मैदान में जाकर नहीं रहेगा और वह इनना मूर्ख भी नहीं या कि द्विस नयी राजधानी को उसने बनाया हो उसे वह बनाकर पूरा करने के वर्ष में ही हमेशा के लिए छोड़ दे।

इसी पृष्ठ पर थी शेलट ने लिखा है कि “३ जून, १५७३ को अकबर एक बड़े विजय-अभियान के बाद फतेहपुर के दरवाजे पर पहुँचा। शेष सलीम चिश्ती और दूसरे लोगों ने उसका स्वागत किया।”

यदि ३ जून, १५७३ को फतेहपुर में दरवाजे विद्यमान थे तो अवश्य ही वहाँ भवन भी होगे जिनके बे दरवाजे थे। दरवाजे हवा में खड़े नहीं रिये जाते। इन प्रकार यदि दरवाजे और महल जून, १५७३ से पहले मोजूद थे तो इस झूठ के पांच उखड़ जाते हैं कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण १५७० और १५८५ के बीच किया।

‘अकबर’ के पृष्ठ १३८-४० पर लिखा हुआ है कि “२३ अगस्त, १५७३ को वह (अकबर) तैयार ३००० सैनिकों के साथ फतेहपुर सीकरी में चला।”

जून, १५७३ में फतेहपुर सीकरी में पहुँचकर दो महीने बाद ही वह एक बड़ी मेना के साथ वहाँ में तभी मार्च कर सकता था जब वहाँ हजारों मैनिकों, मैकड़ी सेनापतियों, आग-रक्षकों, हरम की हजारों महिलाओं और हजारों पशुओं—हायी, घोड़े और ऊंटों के लिए रहने का स्थान बना हो।

शेलट ने निजामुदीन के तवकात-ए-अकबरी (इलियट तथा डाउसन) में से उद्धरण देते हुए लिखा है कि मुहम्मद हुसैन और अदितपार के सिर आगरा और फतेहपुर के दरवाजों पर लटकाए जाने के लिए भेजे गये। तैमूर की परम्परा पर चलते हुए युद्ध-अभियान के कल्प किये गये विद्रोहियों के सिरों की भीनार चिनवा दी गई थी।

१५७३ में आगरा और फतेहपुर में दरवाजे होने वें उल्लेख से स्पष्ट हैं कि फतेहपुर सीकरी के दरवाजे उतने ही पुराने थे जितने आगरा के थे।

यदि वे नये बनाये गये होते या बन रहे होते तो आगरा के दरवाजों के साथ उनका उल्लेख न किया जाता।

'अकबर' पुस्तक में पृष्ठ १६० पर लिखा है कि "बदायूँनी हल्दीघाटी में राणा प्रताप पर विजय का समाचार लेकर फतेहपुर सीकरी रवाना हुआ और वह २५ जून, १५६७ को वहाँ पहुँचा।" यहाँ निर्माण-कार्य चालू होने का कोई उल्लेख नहीं है। यदि फतेहपुर सीकरी का निर्माण हो रहा होता तो सेना और धुड़सवार-सेना की बड़ी-बड़ी टुकड़ियाँ वहाँ से जा और आ न सकती।

अपनी पुस्तक में डॉ० श्रीवास्तव ने झूठी अप्रामाणिक वातों को बाधार बनाते हुए लिखा है कि फतेहपुर सीकरी की नीव नवम्बर, १५७१ में रखी गई थी।

माय ही उन्होंने लिखा है कि "निर्माण-कार्य का सक्षिप्त विवरण पाइरी एंथनी मनसरेट ने दिया है कि वे उस ममय वहाँ उपस्थित थे। पत्थर के टुकड़ों को तराश कर ठीक किया जाता था और यथास्थान लगा दिया जाता था। नगरों का निर्माण इननी तेजी से हुआ, मानो मब जादू में हो गया हो।"

मनसरेट ने जो कुछ कहा है यह उमके विवरण को गलत समझने का एक उदाहरण है। उमने कहीं भी नहीं कहा कि वह वहाँ उपस्थित था।

डॉ० श्रीवास्तव के विवेचन पर निर्भर रहने की बजाय हम मनसरेट के लेख का स्वयं मिहावलोकन करेंगे।

अकबर पुर्तगालियों और उनके धर्म की प्रशस्ता करके उन्हें जांसा देना चाहता था, इसलिए वह गोआ में पुर्तगाली शासकों पर दबाव ढालता रहता था कि वे अपने प्रतिनिधियों को फतेहपुर सीकरी में उसके दरवार में भेजें।

मनसरेट की बमेटी के सम्पादक ने प्राक्कथन में लिखा है कि तदनुसार "पहला ईसाई मिशन गोआ में १७ नवम्बर, १५७६ को रवाना हुआ। उसी वर्ष १३ दिसम्बर को वे दमण से सूरत रवाना हुए और २८ फरवरी, १५८० को फादर एक्वात्रिवा और एनरिक फतेहपुर सीकरी पहुँचे। मनसरेट नरवर में बीमार हो गया था, इसलिए वह एक सप्ताह बाद ४ मार्च को मुगल राजधानी में पहुँचा। दरवार में उनका भव्य-स्वागत

हुआ। अबुल फरल और हाकिम अली गिसानी को उनके स्वागत-गत्तार पर लगाया गया।" यहाँ ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि जब ईसाई पादरी थहुंचे तब फतेहपुर सीकरी में निर्माण-कार्य हो रहा था। यदि निर्माण हो रहा होता तो उन्हे पत्थर, भिट्ठी और चूने के ढेरों के बीच तम्बुओं में रहना पड़ता और हजारों मजदूर उनके आस-पास बाम करते होते। कोई भी बादशाह ऐसे बातावरण में न तो खुद रहता है और न राजदूनी की आमन्त्रित करता है। यह उल्लेख नि उन्हे पूरी मुख-मुविधा उपलब्ध कराई, इस बात का सकेत करता है कि उनके आने से पहले फतेहपुर में आलीशान इमारने और महल भौजूद थे।

फादर मनसरेट प्रतिदिन रात बो सोने से पहले डायरी लिखता था और उसकी यही डायरी "कमेटेरियस (कमेट्री)" नाम से प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक में पृष्ठ २००-२०१ पर लिखा है नि—"जलालुद्दीन (अकबर) ने राज्य के दिभिन्न भागों में जो भवन बनाये.....उनका निर्माण असाधारण गति से हुआ है। उदाहरण के लिए उसने खँभो का एक बड़ा परिस्तम्भ, जो २०० फुट ऊंचे में फैला था, तीन महीने में तैयार बराया था और ३०० फुट ऊंचे के कुछ स्नानागार, जिनमें कपड़े बदलने के कमरे, निजी कमरे और कठ जलमार्ग थे, छ भाषीने में तैयार करा दिये गये। यहाँ वह स्वयं स्नान करता है। पत्थर तराशने वालों और लकड़ी की काटकर टीक आकार देने वाले कारीगरों के ओजारों के शोर ने यहाँ के लिए उसने ऐसी व्यवस्था बी थी कि भवन का प्रत्येक भाग नवदो में अनु-मार सही नाप में किसी और स्थान पर बनाया जाता था और तब उसे लाकर यथास्थान स्थापित कर दिया जाता था। इन पादरियों ने इस सब बात पर ध्यान दिया और उन्हे यहशलम में मन्दिर के निर्माण की बात बाद हो आई जहाँ कारीगरों के ओजारों की आबाज मुनाई नहीं पड़ती थी। उन्होंने सोचा कि जादू के सिवा और जिसी डग से ऐसा नहीं हो सकता।"

फतेहपुर सीकरी की स्थापना के सम्बन्ध में बेवल इनका ही कहा गया है। ध्यानपूर्वक देखने से इस अनुच्छेद में घटूत-भी बातें स्पष्ट हो जाती हैं, यद्यपि सामान्यत यह भ्रामक है।

ध्यान देने योग्य पहली बात यह है कि मनसरेट प्रतिदिन डायरी

लिखता था, परन्तु उसने कही भी निर्माण-कार्य होने का उल्लेख नहीं किया है। उसने अकबर के राज्य में ऐसे भवनों का उल्लेख किया है, जिनके बारे में मुस्लिम दरवारियों और चापलूसों ने उसे बताया था कि ये सब अकबर ने बनाये हैं।

कल्यना कीजिये कि मनसरेट १५८० ई० के बारम्ब में फतेहपुर सीकरी पहुँचा। लाल पत्थर के बढ़िया ढंग से बने प्रासादों और उनकी आध्यत्तर सज्जा और विशाल द्वारों को देखकर वह प्रसन्न और चकित हो जाता है और दरवारियों से पूछता है कि ये सब किसने बनाये? मुसलमानी दरवार की उर्दू और फारसी की परम्परा के अनुसार हर चीज़ का श्रेय, जिसमें अपना स्वयं का अस्तित्व भी सन्तिहित है, बादशाह को दिया जाता है। यदि बादशाह किसी दरवारी के घर जाये और पूछे कि ये बच्चे किसके हैं, तो दरवारी व्यक्ति ठेठ मुसलमानी परम्परा के अनुसार विना शर्म और हिचक के कह देगा “हुजूर, आप ही के हैं।” वह अपने आश्वयदाता या बादशाह के सामने कभी भी उन्हें अपनी सन्तान नहीं भानेगा। जो व्यक्ति चापलूसी में इतना गिर सकता है कि अपनी सन्तान को अपना नहीं कहता, स्वाभाविक है कि वह अपहृत हिन्दू भवनों को भी बादशाह द्वारा निर्मित बतायेगा।

अकबर १४ वर्ष की आयु में १५५६ ई० में गढ़ी पर बैठा था और मनसरेट जब २४ वर्ष बाद फतेहपुर सीकरी पहुँचा और उसे बताया गया कि नगरी का निर्माण हाल ही में हुआ है तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वही मलबे, मचान या कारीगरों का कोई नाम-निशान तक नहीं था। इस बात के स्पष्टीकारण में उसे एक और झाँसा दिया गया कि अकबर धूल और शोर को पसन्द नहीं करता था, इसलिए अपेक्षित आकार-प्रकार के पत्थर दूर खदानों में ही तराने जाते थे और उन्हें ठीक स्थान पर लाकर माद्र एक-दूसरे के ऊपर जोड़ दिया जाता था।

तब भी उसे आश्चर्य था कि यह सब मान भी लिया जाये तो पत्थर को इतनी कंचाई पर ले जाने के लिए पुली और मचान आदि कहीं गये। अन्ततः मनसरेट इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यह सब जादू की तरह से हुआ होगा जैसा यशवलम के मुख्य मन्दिर के निर्माण के बारे में भी विश्वास किया जाता है।

इससे यह स्पष्ट है कि अब्दर के दरवार के चापलूस मुस्तिम दर-चारियोंने मनमरेट को पूर्णतः भ्रम में डाल दिया था।

यदि अब्दर को फतेहपुर सीकरी का सत्यापक एवं निर्माता मान भी निया जाये तो कोई और असंगतियाँ सामने जा जानी हैं।

इम स्थान का चुनाव और मर्यादण बरने वाला होन था? इनमें कितना समय लगा? नगरी का रेखा-चित्र किसने बनाया? भवनों के रेखाकान किसने किये? भवनों को बनकर तैयार होने में कितना समय लगा? अमीर लोगों के रहने के हजारों मकान किसने और कद बनाये? जो अब्दर अपने ही नरकाक बहराम खाँ और बग्गुव्य राज्यपूत नरेन्द्र, विद्रोही दरवारियों, मुस्तिम शास्त्रको आदि से मुठभेड़े करता रहता था, क्या उसके पास इनना धन और समय था कि वह इतना सब निर्माण-कार्य करवा सके? और इन सबके बाद भी फतेहपुर सीकरी पूरी तरह हिन्दू दल की नगरी कैसे रह गई? ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाता।

फतेहपुरसीकरी का निर्माण अब्दर ने कराया, इस ढकोसने के लोकलेपन को स्पष्ट करने के लिए इनने अधिक प्रमाण उपलब्ध हैं कि उनका विस्तृत उल्लेख बरने के लिए अलग पुस्तक मिलने वी आवश्यकता होगी।

यही हम इम झूठ का भण्डाफोड़ करने के लिए बुछ प्रमुख बारें सभीर ने बहेंगे—

१. नगरी तथा उसके भव्य भवनों का रेखाकान करने वालों के नाम या बाम करने वालों के नाम या उनके निरीक्षण कर्ताओं का कोई अभिलेख कही नहीं मिलता।

२. यदि फतेहपुर सीकरी का निर्माण अब्दर ने बरामा होता तो इम नाम का उल्लेख अब्दर से पहले के इतिहासों में कैसे मिलता?

३. अब्दर के दरवारी ददायूँनी ने स्पष्ट दिया है कि अब्दर के दादा बाबर से निर्णायक युद्ध होने से पहले रामा सांगा फतेहपुर पहुँच गया था।

४. पहाड़ी और उसपर बल्ल दिये गये हिन्दुओं के निरों वी मीनार बनाये जाने के जो उल्लेख मिलते हैं उनमें स्पष्ट है कि हिन्दुओं ने अन्तिम नास तक वहाँ युद्ध किया।

५. दुलन्द दरवाजे के अन्दर के भीगन में जो संकड़ों बच्चे हैं वे उन

मुसलमानों की हैं जो अकबर से दो पीढ़ी पहले महल के अन्दर अन्तिम युद्ध में मारे गये थे।

६. फतेहपुर सीकरी में एक दरवाजा है जिसपर दोनों ओर पथर के दो हाथी बने हुए हैं और उनकी सूँड़े दरवाजे की मेहराब के रूप में बनी हुई हैं। यह पूर्णतः हिन्दू शिल्पकला पर आधारित है। लक्ष्मी के चित्रों में ऐसा ही रूप देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त दरवाजे पर और महलों के अन्दर हाथी की मूर्तियाँ सामान्य हिन्दू पढ़ति की हैं। हाथियों की ऐसी मूर्तियाँ न्वालियर के किले में न्वालियर दरवाजे पर, उदयपुर में महाराजा के प्रासाद के अन्दर और कोटा में नगर प्रासाद के तोरण द्वार पर देखी जा सकती हैं। दिल्ली के लाल किले में भी हाथी की मूर्तियाँ शाही दरवाजे के दोनों ओर बनी थीं। इसी तरह इस बात का प्रमाण यह भी है कि थागरे के लाल किले में भी शाही दरवाजे के दोनों ओर हाथी की मूर्तियाँ बनी थीं। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इन्हे हटा दिया। हम अपनी पुरतक 'भारतीय इतिहास की भयकर भूलें' में सिद्ध कर चुके हैं कि दिल्ली और थागरा के लाल किलों के निर्माण का मूल समय मुसलमानों से पहले हिन्दू काल का है।

७. हाथी दरवाजे के बाहर एक विशाल दीप-स्तम्भ है जिसपर दीपक रखने के लिए बैंकेट बने हैं। ऐसे दीप-स्तम्भ आज भी देवी-देवनाओं के मन्दिरों के बाहर भारत भर में देखे जा सकते हैं। फतेहपुर सीकरी के इस दीप-स्तम्भ के सम्बन्ध में यह कहकर भुलावा देने का प्रयत्न किया जाता है कि किसी प्रिय हिरन या हाथी की स्मृति में इसका निर्माण अकबर ने कराया था। कभी-कभी सोचना पड़ता है कि क्या ऐसे हाथी या हिरन ने मरते समय अकबर के कान में ऐसी अन्तिम इच्छा व्यक्त की थी कि उसकी यादगार में हिन्दू शैली का दीप-स्तम्भ बनाया जाये। और यदि इस बात पर विचार किया जाये कि अकबर के पास हजारों पशुओं का समूह था, तब अकबर द्वारा तथाकथित निर्मित लकड़बन्धे, रीछ, भेड़िये, चीति, शेर, कुत्ते, गधे, हाथी, कैट और सूअरों के ऐसे ही स्मृति-स्तम्भ बने होते चाहिए। फिर, हमें ध्यान रखना चाहिए कि मुसलमान मूर्तिभंजक होते हैं, मूर्ति बनाने वाले नहीं, और अकबर किसी भी दूसरे मुस्लिम शासक से अधिक धर्मनिष्ठ था।

८. फतेहपुर सीकरी में लाल पत्थर से बने आवासी बड़ों के अन्दर हिन्दुओं की पौराणिक आकृतियाँ—स्वास्तिक, मोर और ताढ़वृक्ष—बनाई गई हैं। मुसलमानों ने तो इन सब आकृतियों को विहृत दिया है।

९. फतेहपुर सीकरी में अभी भी ऐसे ताल विद्यमान हैं जिनका पुराना हिन्दू सस्तत नाम चला आ रहा है, उदाहरण के लिए अनूप ताल और वर्षूरताल। वर्षूर हिन्दुओं में पूजा के लिए एक पवित्र चीज़ है।

१०. यदि फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने ब्राह्मा होता तो वह बुलन्द दरवाजे के अन्दर के क्षेत्र में मुसलमानों की कब्रें न बनाने देता। ये कब्रें वहाँ इमलिए बनी हैं कि यह अकबर से दो पीढ़ी पहले बाबर और राणा सांगा के बीच अन्तिम युद्ध में इसी भवन समूह में लड़ते हुए मारे गए मुगलमानों की हैं।

११. यदि फतेहपुर सीकरी का निर्माण न्याय १५७५ से १५८५ तक की अवधि में हुआ तो ठीक इसी अवधि में अकबर वहाँ कैसे रहा?

१२. यदि फतेहपुर सीकरी १५८५ में बनकर तंयार हुई तो ठीक उसी वर्ष में अकबर ने उसे कैसे छोड़ दिया? क्या वह मूर्ख था कि जबतन नगर का निर्माण होता रहा तबतक वहाँ रहा और जैसे ही निर्माण पूरा हुआ, वैसे ही वह वहाँ से चला आया?

१३. अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अन्तिम रूप से छोड़ देने का निर्णय इमलिए करना पड़ा कि जिस बड़े जलाशय में नगर के लिए पानी आता था, वह अक्तूबर, १५८३ में फट गया और मूर्ख गया। अब बारे से दो पीढ़ी पहले बाबर के सत्त्वरणों में इसी जलाशय का उल्लेख किया गया है। यदि यह जलाशय अकबर के आदेश से बनाया गया होता तो उसमें दरार पड़ने की नोकरत न आती और यदि दरार पड़ जाती तो अकबर उसके निर्माण के लिए उत्तरदायी मझी लोगों की हत्या करवा देता। बास्तव में, जलाशय में दरार पड़ने का समुचित कारण यह था कि अधिकार करने वाले मुसलमानों को यह जानकारी नहीं थी कि इस जलाशय का अनुरक्षण वर्षमें किया जाए। बाबर के आनंदमण के समय और बाद वी मुठभेड़ों में इस जलाशय को क्षति हुई और उचित अनुरक्षण न होने के कारण वह फट गया। तथापि यह १५२६ से १५८३ तक मुस्तिम आनंदमणवार्तियों

की सेवा करता रहा, यह हिन्दुओं की यात्रिक अमता के लिए श्रेय की बात है।

१४. अकबर के बारे में यह मनगढ़न्त विवरण कि उसने एक मस्जिद बनवाई और पूजा-घर बनवाया और अन्य भव्य भवन बनवाए, विसर्गति-पूर्ण और परत्स्पर विरोधी है।

१५. फ्रासिस जेवियर जैसे पर्यटकों ने लिखा है कि अकबर के जीवन-काल में भी फतेहपुर सीकरी जीर्ण-शीर्ण दशा में थी। यह वहुत महत्त्वपूर्ण प्रमाण है, क्योंकि इसमें सिद्ध होता है कि अकबर उस फतेहपुर सीकरी में रहता था जिसपर उसके दादा बाबर ने आत्रमण करके अधिकार किया था।

१६. श्री जे० एम० शेलट की पुस्तक 'अकबर' में पृष्ठ ८२ पर एक रगचित्र का चित्र छपा है जिसके परिचय में लिखा है कि इसमें हुमायूं को अपने दरखारियों के साथ फतेहपुर में बैठे हुए दिखाया गया है। हुमायूं अकबर का पिता था, इसलिए इस रग-चित्र से, जो अकबर के जन्म से पहले का है, स्पष्टत मिद्ध हो जाता है कि फतेहपुर सीकरी का भवन-समूह, अकबर के जन्म से पूर्व विद्यमान था।

१७. विभिन्न विवरणों के अनुसार फतेहपुर सीकरी का निर्माण-कार्य १५६४ और १५७१ ई० के बीच किसी समय प्रारम्भ हुआ था। यदि फतेहपुर सीकरी का निर्माण वास्तव में अकबर ने कराया होता तो यह विसर्गति न होती। कम से-कम तीन इतिवृत्तलेखक बदायूंनी, अबुल फज्जल और निजामुद्दीन, अकबर के समकालीन और दरवारी थे। यदि यह जाल-साजी और धोखा न होता तो उनके विवरण अलग-अलग नहीं होने चाहिए थे। उदाहरण के लिए विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक में पृष्ठ ७५ पर लिखा है कि "अबुल फज्जल के जिस अनुच्छेद का उद्धरण दिया गया है, उसका अर्थ यह हो सकता है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपना विस्तृत निर्माण-कार्य १५७१ से प्रारम्भ किया था, परन्तु यह सच नहीं है, वहाँ भवनों का निर्माण १५६६ में प्रारम्भ हो गया था।"

ऊपर की टिप्पणी से स्पष्ट है कि फतेहपुर सीकरी के बारे में अबुल फज्जल ने अस्पष्ट भाषा का प्रयोग किया है और स्मिथ जैसे इतिहासकारों

चो उसका अर्थ लगाने में बड़ी कठिनाई हुई है। इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के अनुमान लगाए जो एक-दूसरे से बहुत भिन्न हैं।

१८. दोष सलीम चिश्ती के भाई का नाम इन्नाहिय फतेहपुरी था। यह नाम उसे तभी मिल सकता है जब उसका एरिवार पीढ़ियों से फतेहपुर सीकरी में रहा हो।

१९. सिंध ने कहा है कि “अगस्त, १५७१ में अकबर फतेहपुर सीकरी आया और वह शेख के ढेरे पर ठहरा।” इसका एक गहरा अर्थ है। जब बाबर फतेहपुर सीकरी को घस्त करके छला गया तो शेख सलीम चिश्ती और दूसरे मुस्लिम फकीरों ने जात पत्थरों के भवनों पर अधिकार कर लिया। हुमायूं ने किसी भी समय फतेहपुर सीकरी के साथ कोई स्थायी सम्बन्ध नहीं रखा। बाबर के दो पीढ़ी वाद जब अकबर ने मुरझा की दृटि से फतेहपुर सीकरी में जाकर वसने का निश्चय किया तो यह इसलिए सम्भव हो सका कि फतेहपुर सीकरी में भव्य प्रासाद और बड़ी रक्षात्मक प्राचीर पहले ही विद्यमान थी। शेख सलीम चिश्ती वहाँ वस गया था और वह हिन्दुओं को पुनः उस भवन पर अधिकार करने से रोके हुए था, इसी-लिए कहा गया है कि अकबर आकर चिश्ती के भवन में ठहरा। परन्तु यह स्मरणीय है कि इससे पहले भी अकबर की पत्नियां प्रसव के लिए फतेहपुर सीकरी के महलों में आ चुकी थीं।

२०. फतेहपुर सीकरी के भवन-समूह में पचमहल के सामने पत्थर लगे आंगन में ज्योतिषी का स्थान बना हुआ है। इसकी सीट के ऊपर सजावटी पत्थर की जो घन्दनवार बनी है, उसपर हिन्दुओं की पौराणिक आहृतियाँ बनी हैं। हिन्दुओं के राजघरानों में राज ज्योतिषी को प्रमुख स्थान प्राप्त होता था।

२१. ज्योतिषी की सीट के सामने आंगन के दूसरे छोर पर पत्थर वा एवं कुण्ड बना है जिसे ‘घटी-नाल’ या भड़ी भनते हैं। यह वह उपकरण है जिसके माध्यम से हिन्दू लोग पूजा या समारोह के लिए शुभ मुहूर्त निकालते थे।

२२. फतेहपुर सीकरी में एक नवशारखाना है जो सभी हिन्दू प्रामाणी और मन्दिरों का एक आवश्यक अग होता था। मुगलमान लोगों को तो संगीत से चिढ़ थी।

२३. फतेहपुर सीकरी में अश्वशाला, गजमाला और छष्टशाला(धोड़े, हाथी और ऊंटों के अस्तवल) बने हैं। किसी भी पुस्तिम भवन में यह नहीं नहीं था। ये सब हिन्दू प्रासादों के शावश्यक अंग होते थे।

२४. पच-महल के सामने के अंगन में फर्श पर चौपड़ बनी हुई है जो मध्यकाल में हिन्दूओं का बहुत सोकप्रिय खेल था। पुस्तिम कभी भी इस खेल को नहीं खेलते थे और अब भी नहीं खेलते।

२५. चौपड़ का रेखाकान फतेहपुर सीकरी के विन्ध्यास को भी सूचित करता है। हिन्दू वास्तुकारों में यह एक प्रथा थी कि किसी भी भवन को बनाते समय वे उसका आधारभूत रेखाकान भवन के विसी भाग में बना लेते थे। ताजमहल के अंगन में गुम्बद के त्रिशूल-कलश का पूरा नमूना नीचे फर्श पर बना दिया गया है जो उसके निर्माण में सहायक हुआ होगा। फतेहपुर सीकरी नगरी के विन्ध्यास वा रेखाकान चौपड़ के उस फर्श पर इसी उद्देश्य से बना दिया गया है।

फतेहपुर सीकरी के मूलत हिन्दू नगरी होने तथा राणा सीगा के हाथों भरन होने से पहले उसके हिन्दू राजधानी होने का एक महत्वपूर्ण प्रमाण भगवान् राम और राम-भवत हनुमान की आठृतियों में है जो वहाँ मिली है।

पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग के एक प्रकाशन (जो आरक्षोलाजिकल रिसेस, भारतमेट्रो एण्ड ऐंड्रूचियम्स नाम से १९६४ में प्रकाशित हुई थी) भाग २, पृष्ठ ३१० पर यहा गया है कि “मरियम के महल में, जिसे सुनहरा मकान भी कहते हैं, एक लम्बा काद्य है और उसके साथ तीन छोटे कद्द बने हुए हैं जिन के तीव्रों ओर बरामदे बने हैं। बरामदे के एक स्तम्भ पर भगवान् राम और हनुमान की आठृतियाँ बनी हैं और भित्ति-चित्र बने हुए हैं।”

अन्ततः, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा कराए जाने की कथोल-कल्पना का भण्डाफोड़ हर प्रकार से किया जा सकता है। विस्तृत चर्चा के लिए अकेले फतेहपुर सीकरी पर अलग से एक पुस्तक की जावश्यकता होगी। इसलिए इसे हम यही छोड़ते हैं और दूसरी विभिन्न नगरियों और भवनों का निर्माण भक्ति-द्वारा कराए जाने के दावों का निरीक्षण करते हैं।

## आगरे का लात किला

कीन की पुस्तक "हैंडबुक फार विडिटस टु आगरा एण्ड इटस नेवर-हुड" में आगरे के लालविले का दो हजार वर्ष का इतिहास दिया गया है और इसके बाद अकबर के समय में प्रचलित एक किंवदन्ती का उत्तेक्षण किया गया है कि १५६५ में अकबर ने बिना किसी वारण इस किले को गिराकर उसकी जगह भया किला बनवाया। १५६६ में अघम खाँ को, जिसने एतमाद खाँ का बत्त किया था, सजा देने के लिए उसे किले के अन्दर शाही निवास की दूसरी मजिल से नीचे फेंक दिया गया था। कीन ने बड़ा सप्त सन्देह व्यक्त किया है कि यदि किले को १५६५ में गिरा दिया गया था तो किर ऐसा कैसे हुआ कि अकबर वहाँ १५६६ में रहने लगा और एक व्यक्ति को उठाकर वहाँ दूसरी मजिल से नीचे फेंक दिया गया। बीन का कहना है कि इसने बड़े लात किले की नीबू पूरी करने में भी तीन साल का समय लग जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में एक ही वर्ष की अवधि में अकबर का लाल किले से निकल जाना, लाल किले को गिराया जाना, उसके भलबे को हटाया जाना, पुरानी नीबू को हटाना और नयी योजना के अनुसार नयी नीबू भरना, उसके लिए आवश्यक लाल पत्तर आदि भाँगवाकर चिनाई कराना, फिर सारे ढाँचे का पलस्तर और उसके अन्दर और बाहर की सजावट करका देना ऐसा लगता है जैसे सब स्वप्न में हो गया हो। दुर्भाग्य से भारत के इतिहास को ऐसी मनवाड़न्त कथाओं से भर दिया गया है और किसी को उसपर सन्देह नहीं हुआ।

## अजमेर

अजमेर अकबर से गताविद्यो पहने हिन्दू राजाओं की प्राचीन राजधानी था। यह नाम संस्कृत के शब्द वजय मेह का अपभ्रंश रूप है। अजमेर का यह नाम तारागढ़ किले के कारण पड़ा जो एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। अजमेर नगर इस पहाड़ी दी तलहटी में बसा हुआ है। नगर में एक प्राचीन प्रासाद है जिसमें इस समय सरकारी कार्यालय है। इस महल, जिले और मोहनुदीन चिश्ती के मकबरे वे आमपान बने दूसरे भवनों को बनवाने का योग्य अकबर द्वारा दिया जाता है। परन्तु अकबर राजपूत नरशा के विहङ्ग अपने अशियानों वा सचालन करने के उद्देश्य से १६ वर्ष की आयु

से ही अजमेर जाता रहता था। यदि वहाँ पहले से कोई महल मौजूद न होता तो वह वहाँ जाकर रह नहीं सकता था। मुसलमानों के आगमन से पहले भी अजमेर दीर्घकाल तक शवितशाली हिन्दू नरेशों की राजधानी रहा था। वहाँ जो महल, मकबरे, किला, दरबाजे और दूसरे भग्नावशेष हैं वे प्राचीन हिन्दू निर्माण-कृतियाँ हैं जिनपर मुसलमानों ने अधिकार कर लिया था। अजमेर नगर में आकर अकबर उस महल में रहता था जिसमें पहले विश्वहराज विशालदेव और पृथ्वीराज जैसे हिन्दू राजा रह चुके थे। यही कारण है, कि मुस्लिम विवरणों में यह दावा किया गया है कि अकबर ने नगरों, किलों और महलों का निर्माण जादू वीं तरह किया। यह सब जादू इसी बात में है कि अकबर के चापलूस दरबारियों के उल्लेखों ने पहले के सभी हिन्दू भवनों के निर्माण का थ्रेय अकबर को दिया। अलाउद्दीन खिलजी को भी इसी तरह जादूई गति से निर्माण-कार्य करने वाला बताया गया है।

### मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा

अजमेर में तारागढ़ के दुर्ग के समीप एक दरगाह है जहाँ मुसलमान हर वर्ष शेष मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के लिए एकत्रित होते हैं। शेष मोइनुद्दीन को वास्तव में वही दफनाया गया था या नहीं, इस तथ्य की जाँच करने की आवश्यकता है, क्योंकि नाम-मान के मकबरों के बहुत-से उदाहरण देखने में आए हैं। दरगाह का थेव स्पष्ट ही किसी किले की वाहरी रक्षात्मक सरचना का एक भाग दिखाई देता है। पत्थर के बने एक बड़े दरबाजे में से होकर दरगाह में जाते हैं। (यह एक हिन्दू दुर्ग का भाग या जिसपर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अधिकार कर लिया था। अधिकार करने के पश्चात् मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे फकीर उसके खण्डहरों में रहने लगे। उनका देहावसान होने पर उन्हें उनके डेरे में ही दफन कर दिया गया। यह बात भारत में मध्यकाल के सभी मकबरों पर लागू होती है। ये सब हिन्दू मन्दिर हैं जिनका मुस्लिम मकबरों के रूप में दुर्लभयोग किया गया)

### इलाहाबाद का किला

इलाहाबाद में गंगा और यमुना के संगम पर जो किला बना हुआ है, उसके निर्माण का थ्रेय अकबर को दिया जाता है।

उदाहरण के लिए विसेंट स्मिथ ने पृष्ठ १६१ पर लिखा है कि “हिन्दुओं वे सर्वाधिक पवित्र धार्मिक स्थान प्रयाग की रक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी। अकबूर, १५८३ में अकबर आगरा से नदी के रास्ते सगम तक गया। वहाँ उसने नवम्बर में किले का निर्माण प्रारम्भ कराया और यह काम बहुत कम समय में पूरा हो गया। इस किले के आसपास इलाहाबाद का वर्तमान आधुनिक नगर बस गया।”

इस वक्तव्य में कई लृटियाँ खटकती हैं और इससे पता लगता है कि भारतीय इतिहास लेखक किस तरह शूठी बरतों पर विश्वास करते हैं। पहली चात मह है कि यह वक्तव्य बहुत बचकाना है कि अकबर से पहले “इलाहाबाद की रक्षा की व्यवस्था नहीं थी।” मध्यकालीन भारत में प्रत्येक नगर और गैव की रक्षा की व्यवस्था की जाती थी।

(इलाहाबाद का किला बहुत प्राचीन समय का है और हर प्रकार से हिन्दू शैली पर बना है। उसके अन्दर वे शाही निवास-स्थानों की मजाबूट हिन्दू भहलों की शैली पर है। किले के अन्दर पातलेश्वर मन्दिर जैसे मन्दिर तथा पवित्र अक्षयवट विद्यमान हैं।)

किले के अन्दर पत्थर का बना हुआ एक अशोक-स्तम्भ है जिसमें पता लगता है कि यह किला महाराज अशोक से पूर्व विद्यमान था या अशोक के समय में बना था।

(दूसरे, इलाहाबाद हिन्दुओं का एक पवित्र तीर्थ-स्थान है, इमलिए उसे अरकित नहीं रहने दिया गया होगा। किले के नामने गगा के उस पार झूसी नाम से एक प्राचीन नगरी है जिसका उल्लेख रामायण में आता है।) इसी तरह इलाहाबाद या प्रयाग आधुनिक बाज़ का नगर नहीं है प्रत्युत्त भारत का प्राचीनतम नगर है जिसका इतिहास लाखों वर्षों का है। गगा और यमुना वे सभी पर बिला बनाए जाने वा बारण यह है कि किले के दोनों ओर पानी की धारा से किले को कम-में-कम दो ओर में प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त हो सकती थी।

इलाहाबाद में बेबत एक प्राचीन किला ही नहीं था बल्कि वहाँ ऊचे-ऊचे घाट भी बने हुए थे जिनपर पत्थर से बनी सीढ़ियों वे साथ-माथ मन्दिर बने थे, जैसा बनारस में आज भी देखा जा सकता है। जब अकबर ने इलाहाबाद को लूटा तब उसने इन सबको उगाड़ डाला। यदि इलाहाबाद

वा अस्तित्व नहीं था तो अकबर मेरा नगरी को लूटा ? यदोंकि अकबर ने इलाहाबाद नगर को लूटा, इसलिए स्पष्ट है कि उसने किसी नगरी की स्थापना नहीं की। लूट मचाने वाला राजा उन्हीं लोगों के लिए, जिन्हे वह लूटता है, नगर बसाया नहीं करता। दोनों वातों मेरा विसर्गति है।

इस तरह इलाहाबाद नगरी या किले का निर्माण बरने के विपरीत अकबर ने उनपर आक्रमण किया और वहाँ बने असच्च मन्दिरों और विशाल धाटों को नष्ट कर दिया।

भवनों के निर्माणकर्ता होने के दावों का ध्यान से परीक्षण न करके इतिहासकारों ने गलती की है। यदि उन्होंने यह जानने का प्रयत्न किया होता कि भवन वा रेखांकन करने वाला कौन था, वे रेखांकन कहाँ है, निर्माण कब प्रारम्भ हुआ और कब रामाप्त हुआ, खर्च कितना आया, किसे मेर्हिन्दू मन्दिर और हिन्दू स्तम्भ वयों विद्यमान है, उसके शाही निवास-स्थान हिन्दू शंखी में वयों बने हैं, तब अकबर का इन भवनों का निर्माता होने का दावा स्वीकार हो पाता। उनका यह एक अस्पष्ट वक्तव्य है कि अकबर के सभी भवन बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो गये थे, जिसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि इस बारे में प्रमाण उपलब्ध नहीं है। भारत मेरु मुस्लिम शासनकाल के ऐसे झूठे दावों की भरमार है जिन्हे ध्यान में रखते हुए सर एच० एम० इलियट को अपनी पुस्तक के प्राक्कथन में कहना पड़ा कि “मध्यकालीन भारतीय इतिहास जालसाजी और मनोरंजन घोषा है।”

### नगरचैन

अन्य भवनों के ढांगोंसालों की तरह नगरचैन नामक नगरी की स्थापना भी अकबर ने की, ऐसा दावा किया गया है। यदि कोई दर्शक कहता है कि मुझे वह जादूई नगर दिखाओ जिसकी स्थापना अकबर ने की थी, तो इतिहासकार का उत्तर होता है कि वह नगर इस तरह नष्ट हुआ है कि कोई भी छवसावशेष नहीं है।

भारत मेरु मुस्लिम शासनकाल के इतिवृत्तों मेरे जालसाजियों की भरमार है। उदाहरणार्थ हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी दिल्ली बसाई। यदि आप पूछें कि वह दिल्ली कहाँ है? तो उत्तर मिसता

है कि अपने पांच वर्ष के शासनकाल में दोरशाह ने अपने प्रनिष्ठान्दी की दिल्ली को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। उसने दिल्ली को गिराने का काम इतनी तत्परता से कराया कि हुमायूं की दिल्ली का कोई अवशेष नहीं है। साथ ही हमे यह भी बताया जाता है कि इस अवधि में दोरशाह ने हुमायूं की दिल्ली को पूरी तरह नष्ट किया और अपनी एक और दिल्ली बनाई। यह विचित्र बात है। क्योंकि दोरशाह का पूरा शासनकाल अपने विरोधियों के साथ सघर्ष में बीता था।

नगरचैन के बारे में स्मित्य ने अपनी पुस्तक (पृष्ठ ५४-५५) में लिखा है कि “१५६४ के बन्त में मादू से सैरेटने पर अकबर ने आगरा से साड़ भीत दफ्तिष्ठ में करोली ने एक महत अपदा गिरारयाह का निर्माण कराया, जिसे उसने नगरचैन या अमीनावाद वा नाम दिया। वहाँ तुआदने वाले लगाये गये। महलों के आमपास एक नगर बन गया। कभी-कभी अकबर विदेशी राजदूतों से वहाँ भेंट करता था। विचित्र बात यह है कि अकबर के शासनकाल के उत्तरार्द्ध में जब बदायूंनी अपना विवरण लिख रहा था, तब इन महलों, बागों और नगरों के सभी निरान मिट चुके थे। कोई नहीं जानता कि विसने कब और क्यों इन्हें गिराया....।”

यहाँ भी हमारे सामने वही बात आती है कि सम्मूर्ख नगरी का निर्माण इतनी तेजी के साथ हुआ कि विसी वो पता ही नहीं है कि वह नव प्रारम्भ हुआ या वह समाप्त हुआ, उसपर कितनी धन-राशि घ्यव हुई अपदा उस नगरी का विनास विसने किया। इसी तरह विसी वो भी यह पता नहीं है कि वैसे उसका नामो-निरान मिट गया। हमे यह भी पता लगता है कि अकबर के समकालीन इतिवृत्तकारों, जैसे बदायूंनी, का वहना है कि हमे उस नगरी के बारे में जानकारी नहीं है। अतः यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि नगरचैन को, जो शुद्ध सहृदन नाम है, अकबर ने नहीं की थी। पनेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने नहीं किया था। उसने उसको हिन्दू शैली की सज्जा को नष्ट किया था। इससे हम इस महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अकबर और दूसरे मुस्लिम शासकों ने भारत में कुछ बनाया नहीं, यहाँ के भव्य हिन्दू प्रासादों, मन्दिरों, भवनों, दुगों, नहरों, पुनों और सड़कों को, जिन-

जिनके लिए प्राचीन भारत प्रसिद्ध था, नष्ट किया, सतिग्रह स्त किया, उनका दुरुपयोग किया या उन्हें नष्ट-ध्रष्ट और विकृत किया।

बदायूँनी ने नगरचैन के निर्माण के सम्बन्ध में अकबर के झूठे दावे का शायद अनिच्छापूर्वक भंडाफोड़ कर दिया है। उसकी पुस्तक के दूसरे भाग में पृष्ठ ६६८-७० पर लिखा है कि “इस वर्ष (१७२ हिजरी) नगरचैन नामक नगरी का निर्माण प्रारम्भ हुआ। इस विषय में अकबरनामा के लिखे जाते समय एक अमीर ने मुझे आदेश दिया कि मैं कुछ लाइनें बनाऊं जिन्हें मैं यहाँ बिना फेर-बदल अकित कर रहा हूँ। यह विश्व की एक विचिन्न बात है कि अब उस नगरी और उसके भवनों का कोई नामो-निशान याकी नहीं रहा और नगरी का स्थल एकदम मैंदान बन गया है।”

यह बहुत महत्त्वपूर्ण बवतव्य है और भारत में मुस्लिम इतिहास को ठीक ढंग से समझने की दृष्टि से इसका बहुत दूरवर्ती महत्त्व है। उसने अपनी बात बहुत ईमानदारी से और सच-सच कह दी है और शायद गुस्से के किसी ऐसे क्षण में उसने लिखा है जब दरबार के किसी आदेश के कारण उसके मन को आधात हुआ होगा।

अनजाने में बदायूँनी ने हमे यह भी बता दिया है कि किस तरह अकबरनामा एक झूठा और बनावटी विवरण है जो समय-समय पर दरबार से मिलने वाले आदेशों के अनुसार कल्पित रूप में लिखा गया था। इससे इतिहास में रचि रखने वाले विद्यार्थियों और विद्वानों को यह बात समझ लेनी चाहिए कि सभी मुस्लिम इतिवृत्त विदेशी बादशाहों के अह की सन्तुष्टि के लिए और उनके सन्तोष के लिए, उनके आदेशों के अनुसार लिखे गये हैं।

जहाँ तक नगरचैन का सम्बन्ध है, न्यय बदायूँनी ने इवीकार कर लिया है कि उसे उस नगरी का कोई निशान देखने को नहीं मिला जिसके बारे में उसे यह लिखने को कहा गया कि उसकी स्थापना अकबर ने की थी। इसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि स्मित यह लिखने में घोसे में आ गये कि नगर-चैन की स्थापना अकबर ने की।

यहाँ हम जहाँगीरनामे पर सर इलियट के समीक्षात्मक अध्ययन का स्मरण दिलाना चाहते हैं जिसमें एक पाद-टिप्पणी में कहा गया है कि

मुस्लिम इतिवृत्तकार अपने विवरणों में झूठे दावे प्रस्तुत करते समय ऐसे विस्तृत विवरण देते थे जिनसे सत्य का आभास हो।

### मनोहरपुर

डॉ० श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक 'अब्दर, दी ग्रेट' के पृष्ठ २२६ पर लिखा है कि "जब अब्दर अम्बर (पुराना जयपुर) में आ तब उसने एक पुराने और बीरान नगर को फिर से बसाने का निश्चय किया और ६ नवम्बर, १५७७ को उसने अपने हायो से उसकी नीव रखी। उसने अपने रेखावनकारों और वास्तुकलाविदों को आदेश दिया कि वहाँ एक निला और अच्छ भवन बनायें जाये और उसने नये नगर का नाम राय लोनकरण के पुत्र मनोहरदास के नाम पर मनोहरपुर रखा। मनोहरपुर नगर जयपुर के २८ भील उत्तर पूर्व में है और उसे मनोहरपुर कहा जाता है।"

यह उद्धरण इस बात का प्रमाण है कि इतिहास की पाट्य-पुस्तके लिखने वाले लोग और विश्वविद्यालयों के इतिहास विभागों के अध्यक्ष विस तरह झूठी बातों एवं मनगढ़न दावों पर बिना जाँच-पड़ताल नहीं लिये विश्वास बर लेते हैं, उससे आश्चर्य होता है।

मनोहरपुर की स्थापना का जो विवरण ऊपर दिया है, उसकी सामान्य परीक्षा करने पर ही स्पष्ट हो जाता है कि यह कहानी आद्योपात मन-गढ़न है।

विचार करने योग्य पहला प्रश्न यह है कि जब अब्दर के शासनवाल में मुस्लिम अत्याचारों से तग आकर हृजारों की सहया में नगर बीरान हो रहे थे और सैकड़ों नगर उन्डे पड़े थे तब अब्दर को क्या सूझी थी कि उसने जयपुर के निकट वाले एक नगर को ही फिर से बसाने का निश्चय किया। दूसरा प्रश्न यह उपस्थित होता है कि अब्दर के पास विस तरह के रेखावनकार और शिल्पज्ञ थे? हमारा दावा यह है कि उसके पास बोई ऐसे सेवक नहीं थे। उसके पास बड़ी सहया में सगड़राम थे जो अब्दर के आदेश पर या उसके दरवारियों के बहने पर पहले से बने हिन्दू भवनों पर मुस्लिम चिह्न अंकित करने को तत्पर रहते थे। तीसरा प्रश्न यह है कि इस नगर को फिर से आबाद करने पर जो विशाल धन-राशि व्यय हुई होगी वह किसने दी? यदि अब्दर ने वह धन खर्च किया तो उसे इसके प्रति क्या

आकर्षण था और उसे इससे क्या मिला ? नगर को फिर से बनाने में कितना समय लगा ? महल, किला और आवास योग्य मकान उन लोगों को मुफ्त दिये गये या किश्तों पर दिये गये । यदि पहला नगर उजड़ा हुआ था तो नये भवनों में किन लोगों को बसने को कहा गया ? यदि अन्य स्थानों पर रहने वाले लोगों को इस नये नगर में बसने का आदेश दिया गया तो उन्हें क्या प्रोत्साहन दिये गये ? क्या किसी दूसरे नगर से जनसंख्या के स्थानान्तरण का कोई प्रमाण उपलब्ध है, जिन्होंने नये नगर को आवाद किया ? यदि अकबर ने इसे मनोहरपुर का नाम दिया तो फिर उसे मनोहर नगर क्यों कहते हैं ? यदि अकबर ने इस नगर को नया नाम दिया तो उसका पुराना नाम क्या था ? यदि अकबर ने इसे नया नाम दिया तो क्या कारण है कि उसने कोई फारसी या अरबी नाम देने की बजाय सरकृत नाम दिया जबकि उसने एक हाथी का नाम हिन्दू से बदलकर मुस्लिम कर दिया था ? अकबर ने किस कारण से डसका नाम एक हिन्दू शासक के पुत्र के नाम पर रखा ? किसी और की राजधानी के निकट एक हिन्दू नगरी को फिर से बसाने में अकबर को क्या रुचि थी ? क्या दिल्ली, आगरा और फतेहपुर सीकरी के आस-पास ऐसे उजड़े हुए नगर नहीं थे जिनमें अकबर गया हो ? स्पष्ट निष्कर्ष यही है कि मनोहरपुर उर्फ मनोहर नगर एक प्राचीन नगरी है । यह दावा एक ढकोमला मात्र है कि उसकी स्थापना अकबर ने की थी । वह राजस्थान पर अपने आश्रमणों के समय कभी यहाँ में गुजरा होगा जिसमें उसके चापलूम इतिवृत्तकारों को यह दावा करनें का अवसर मिल गया कि अकबर ने उम नगरी की स्थापना की थी ।

### हजारों रुप्तों के लिए कक्ष

आईने-अकबरी में अबुल फज्जल ने अपने अनन्दाता की भीरव-गाथा का गान इन शब्दों में किया है—“वादशाह सलामत ने एक बहुत बड़े अहाते में सुन्दर भवन बनवाए है जहाँ वह विश्राम करता है । औरतों की सहया हजारों है, परन्तु उसने आवास के लिए सबको कक्ष दिए हुए हैं । उसने उन्हें बगों में बाँट रखा है ।” हमें आश्चर्य है कि हजारों कक्षों वाला वह बड़ा भवन कहाँ है । यदि ऐसा कोई विशाल भवन समूह होता तो मकानों की कमी के इस समय में हमारी सरकार या कोई मिल मालिक उसे अपने

धर्मचारियों के आवास के रूप में वाम भे जाता । हमने अबवर के तत्कालीन साम्राज्य को छान डाला है, परन्तु हमें हजारों नदों वाला कोई भवन-मसूह देखने को नहीं मिला । अबुल फज्जल ने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में जो सफेद झूठ लिखे हैं, उनके प्रति इतिहास के छापों वो सावधान हो जाता चाहिए । हम इतना अवश्य मान सकते हैं कि सूअरों के बाड़े जैगा कोई बाड़ा रहा होगा जहाँ हजारों अमागी अपहृत महिलाओं को वादशाह की काम-बाजना की पूर्ति के लिए रखा गया होगा ।

यदि मुस्लिमों के दावों की सावधानी से परीक्षा की जाये तो उनका खोलतापन स्पष्ट हो जायेगा । इतिहास-लेखन के इन मिथानों की जानकारी रखने वाले लोगों ने वार-वार इस बात पर बल दिया है कि मुस्लिम इतिवृत्त ग्रन्थों में, विशेष रूप से मध्यकाल के मुस्लिम इतिवृत्त ग्रन्थों में उल्लिखित विवरणों वो धर्म-तथ्य रूप में स्वीकार नहीं बर लेना चाहिए, जासूसों की तरह उनकी छानबीन को जानो चाहिए और हर विषय पर विधिवत्ताओं की भाँति स्पष्टत तर्क-वितर्क करना चाहिए । भारतीय इतिहास की पाठ्य-पुस्तकों तैयार करते समय स्वस्य मिथानों की पूर्णत उपेक्षा की गई है । बहुत से तथ्य इस प्रकार प्रस्तुत विये गये हैं कि उनका बिलो-माथ ही सत्य होता है । हमने इसका दृष्टान्त पहले ही दे दिया है जब यह वहा जाये कि वादशाह ने या उसके किसी दरवारी ने कोई भवन बनवाया या कोई नगर बनाया तो उससे यह समझना चाहिए कि वास्तव में उसने उस नगर को लूटा और नष्ट किया । जिस प्रकार अबवर ने नगरचैन में किया था ।

जहाँ मुस्लिम इतिहास-ग्रन्थों में वहा जाए कि मन्दिरों को नष्ट किया गया और मस्जिदों का निर्माण किया गया, वहाँ यह नमझना चाहिए कि हिन्दू मन्दिरों पर अधिकार करके उन्हें मस्जिदों (और मकबरों) के रूप में परिवर्तित किया गया ।

जब मुस्लिम इतिवृत्त ग्रन्थों में वहा गया हो कि अबवर ने या फिरोज-शाह ने किसी भल या किन्तु का निर्माण कराया तो मात्र इतना ही स्वीकार किया जा सकता है कि उसने किसी हिन्दू भवन की, जो युद्ध के समय सतिग्रस्त हो गया था, मरम्मत पर कुछ धन-राशि व्यय की होगी । प्रायः हर स्थिति में यह धन भी गरीब प्रजा पर टैक्स संग्राहकर बसूल किया जाना

था। फतेहपुर सीकरी और आगरे के लाल किले की मरम्मत के समय ऐसे टैक्स लगाए जाने के प्रमाण उपलब्ध हैं, यद्यपि उनके सम्बन्ध में कहा गया है कि वे नया किला, नई फतेहपुर सीकरी नगरी के निर्माण के लिए बसूल किये गये थे। (लेखक की अन्य पुस्तकों—‘भारतीय इतिहास की भवकर भूलें’ तथा ‘ताजमहल हिन्दू राज-भवन था’—में इसी विषय का विस्तार-पूर्वक विवेचन किया गया है।) कम-से-कम भारत में अकबर ने या और किसी मुस्लिम शासक ने एक ईट भी खड़ी नहीं की। उन्होंने केवल हिन्दू भवनों पर अधिकार किया और उनका दुरुपयोग किया।

इस बात का प्रमाण देते हुए इसाई पादरी मनसरेंट ने, जिसने मध्य-काल में मुस्लिम जीवन और रीति-रिवाजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया था, इस बारे में अपनी कमेटी में पृष्ठ १६ पर लिखा है—“मुसलमानों ने, जिनका स्वभाव बर्बर लोगों जैसा है, कभी भी ऐसी बातों (अर्थात् विशाल भव्य-भवन और नगर बसाने) में रुचि नहीं ली। इतिवृत्त अविश्व-सनीय और मन गढ़न्त होने के कारण”।

“तथापि मुझे बताया गया कि इस (माँडू उर्फ माडवगढ़, मालवा, मध्य-भारत) के निर्माता मगोल थे, परन्तु ये मगोल उन लोगों से भिन्न हैं जो हमारे समझ में प्रसिद्ध हो गये हैं। इसका कारण यह है कि ऐसा कहा गया है कि २०० वर्ष पहले मगोलों ने एक नये देश की सौज में अपने परम्परागत शिविरों को छोड़ा, भारत पर आक्रमण किया और वे माडू में दस गये।” इससे स्पष्ट है कि किंग तरह मुराजमान लोग यूरोप से भारत का पर्यटन करने आने वाले लोगों को धोखे में रखते रहे हैं। १५७६ में, जब पहले मुगल आक्रमणकारी दावर को भारत में बसे केवल ५३ वर्ष बीते थे, अकबर के दरबार के चापलूस लोगों को यह हिम्मत हो गई थी कि वे मन-सरेंट को बतायें कि २०० साल पहले एक और मगोल जाति ने भारत पर हमला करके माडव गढ़ में भव्य हिन्दू मन्दिर और भवनों का निर्माण किया। इसलिए जाँच-फड़ताल किये विना यूरोपीय विद्वानों के कथनों पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए क्योंकि उनपर मध्यकाल के मुस्लिमों की जालसाढ़ी का प्रभाव है।

मनसरेंट ने अपनी कमेटी के पृष्ठ २७ पर लिखा है कि “मुसलमानों के धार्मिक उत्साह के कारण असंख्य देव-मन्दिर नष्ट हो गये हैं। हिन्दू

मन्दिरों की जगह असच्चय निकम्मे मुसलमान लोगों के मक्कवरे और दरगाहें बना दी गई हैं। अन्ध-विश्वास के कारण इन लोगों की पूजा होती है मानो ये लोग सन्त थे। (पाद-टिप्पणी—विनाश करने वाले ऐसे लोगों में अलाउद्दीन खिलजी, मलिक नायब काफ़ूर, सिकन्दर लोधी और बाबर के नाम प्रमुख हैं।)

इस तथ्योल्लेख पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि मुस्लिम आक्रमण-कारियों ने जिन हिन्दू मूर्तियों को नष्ट किया और हिन्दू भवनों, प्रासादों, मन्दिरों आदि का, मस्जिदों, मक्कवरों और निवास-स्थानों आदि के रूप में दुर्ममेंग बिया, उन्हे दारचंद्र दावा करके उन्हीं भवनों आदि का निर्माता होने का थ्रेप दिया गया। समय आ गया है जब इतिहास के बिद्वान् भारत में ऐतिहासिक भवनों के बारे में कपोन-कल्पनाओं और मन-गढ़न बातों पर विश्वास न करके उनके वास्तविक इतिहास को खोज निकालने का प्रयत्न करे। इन वर्षों में भारत के मध्यकाल के इतिहास को बुरी तरह तोड़ा-मरोड़ा, बिगड़ा, और बदला गया है। इतिहास को ठीक से समझने के लिए ऊपर वर्णित निर्देश-नियम सहायक हो सकते हैं।

: २२ :

## दीन-ए-इलाही

दीन-ए-इलाही शब्द का अर्थ है परमात्मा का आना धर्म या व्यवस्था। भारतीय इतिहास की अधिकांश पुस्तकों में इसे थेण्ठ धर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिनका ताना-बाना अकबर ने अपनी-प्रजा की धर्म-भावना की तुष्टि के लिए और उसकी प्रसन्नता के लिए बुना। कहते हैं कि अकबर को जितने धर्मों की जानकारी थी उन सबको मिलाकर उसने यह धर्म तैयार किया। यदि इस काल्पनिक धर्म-व्यवस्था की अपार प्रशस्ता को ध्यान से देखें तो ज्ञात होगा कि सब प्रशस्ता अनर्गल-प्रलाप है।

दीन-ए-इलाही धर्म का प्रादुर्भाव अतिशय अहम्मन्य अकबर और अत्यधिक धर्मान्ध मुस्लिम मुल्लाओं, जिनमें काजी, मौलवी और मौलाना लोग शामिल थे, निरन्तर कटु सधर्पं के फलस्वरूप हुआ। यह मुल्ला वर्ग परम्परागत विचारों में पला हुआ था। सर्वेशक्तिमान तानाशाह के रूप में अकबर अपने किसी भी निरकुश कार्य पर कोई अकुश या प्रतिबन्ध जगाये जाने या उसपर कोई आपत्ति किये जाने की बात सहन नहीं कर सकता था। दूसरी ओर मुस्लिम मुल्ला वर्ग इस बात से परेशान था कि अकबर उनके निजी विवाहित जीवन पर प्रहार करता था, उनकी पत्नियों और वहनों को मादक द्रव्य, अफीम आदि खिलाकर और उनका अपहरण करके उन्हें अपने हृतम में ले जाता था और उनकी सम्पत्ति को लूट लेता था या जम्म कर लेता था।

उसके निरकुश और तानाशाही भाचरण से तम आकर वे उसके विषद्ध धार्मिक आपत्तियाँ उठाते और प्रतिबन्ध लगाते। अकबर उनका विरोध करता और यह दावा करता कि मुझपर तुम्हारे नियम लागू नहीं होते चाहों कि मैं अपने ही धर्म का पालन करता हूँ जोकि स्वयं परमात्मा का धर्म है।

इस प्रकार ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलेगा कि जिसे अकबर वा आश्चर्यकारी धर्म कहा जाता है, वह वास्तव में धर्म की विपरीत दिशा है या उसके निरक्षण और तानाशाही व्यवहार पर लगाये गए सभी धार्मिक प्रतिबन्धों के प्रति विद्वाह माल है। अकबर के दरबार में रहकर अध्ययन करने वाले ईमाई पादरी मनसरेट ने ठीक यही बात लिखी है। मनसरेट की निराशा और क्षोभ हुआ था। अपनी कमेट्री के पृ० १६२-१६६ पर वे लिखते हैं—“यह सन्देह करना उचित होगा कि जलालुदीन (अकबर) ने ईमाई पादरियों को जो आमन्त्रण दिया था, वह किमी धर्म-भावना से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि उसने उत्सुकतावश नई बातें मुनने की उत्तर इच्छा में प्रेरित होकर ऐसा किया था। सम्भवत उसकी यह इच्छा थी कि मनुष्य की आत्मा का हनन किसी नये ढग से किया जाये……रोडलिफन (एक और ईसाई पादरी) ने यह आशा व्यक्त की थी कि जलालुदीन घास्ट जीवन में से निकलकर परमात्मा की उपासना में लग जायेग।……परमात्मा ने उसे बर्बर और आततायी मुसलमानों के बीच में से, मृत्यु और विनाश की बहुत-सी धमकियों में से बिना हानि बचा लिया। १५ जुलाई, १५८२ को ३२ वर्ष की अवस्था में उसका बालं कर दिया गया।”

मनसरेट ठीक ही इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि दीन-ए-इलाही मनुष्यों की आत्माओं को कुछित करने का एक दोमंहा ढग था, उनके परिवार का साधन नहीं था।

धर्म व्या है, उसकी जांच के लिए कुछ निश्चित कस्तोटियाँ निर्धारित हैं। हर धर्म के अपने मन्दिर बथवा पूजा-स्थल होते हैं। दीन-ए-इलाही ना ऐसा कोई उपासना-गृह नहीं था। हर धर्म में एक पुजारी वर्ग होता है, हर धर्म की कुछ प्रार्थनायें हीती हैं, हर धर्म में सासार के अस्तित्व की अपनी व्याख्या होती है, परिवार पाने का अपना ढग बताया जाता है, परन्तु दीन-ए-इलाही में यह कुछ नहीं था। इसलिए कहना होगा कि किसी वस्ती पर परखे बिना दीन-ए-इलाही को धर्म कहकर इतिहासकारों ने एक बड़ी गलती की है।

पादरी मनसरेट ने अपनी कमेट्री में एक पाद-टिप्पणी में बहा है कि दीन-ए-इलाही की एक मुख्य बात यह थी कि अकबर पर ईमान लाओ। यह बिल्कुल सही है। जैसाकि हम पहले वह चुके हैं, अकबर अतिराय

अहंकारी व्यक्ति था और उसको सदा यह इच्छा रहती थी कि लोग उसे बादशाह, सर्वशक्ति-सम्पन्न, पैगम्बर, परमात्मा सभी कुछ मानकर उसके आगे नत-भस्तक हो ।

अकबर ने मुल्लाओं के आदेशों का जो उल्लंघन किया, उसे बहुधा इस बात के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि अकबर धर्मान्धि मुसलमान नहीं था । यह सच नहीं है । अकबर अहंकारी व्यक्ति था और वह चाहता था कि लोग उसे परमात्मा और पैगम्बर मानें । परन्तु हृदय से वह हमेशा धर्मान्धि मुस्लिम था और पूरी तरह धर्मान्धि मुस्लिम था । मनसरेट ने धर्म के सम्बन्ध में अकबर की धूतंता को गलत न समझ लेने की चेतावनी दी है । उसने लिखा है, “वह (अकबर) उसी तरह व्यवहार करता रहा । उसने पोप की प्रशासा की और पुर्तगाली पादरी से कहा कि जब वह अकबर का दूत बनकर यूरोप जाये तो वहाँ जाकर उसकी ओर से पोप के चरण-स्पर्श करे और उसके लिए पोप से कुछ लिखित सन्देश लाये । वह ऐसी बातें कहना था जो कोई पवित्र आत्मा राजा ही कह सकता है । उसने यहाँ तक घोषणा की कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं मुहम्मद के धर्म को नहीं मानता और मैं केवल परमात्मा को मानता हूँ जिसका कोई प्रतिद्वन्द्वी नहीं ।”

अकबर भयोंकि मौलवियों का विरोध किया करता था और कहता था कि मैं मुसलमान नहीं हूँ इसलिए उनका धार्मिक अधिकार मुझपर नहीं चल सकता । परिणाम यह हुआ कि गरीब मौलवियों और बदायूँनी जैसे धर्मान्धि इतिवृत्तकारों ने अपनी सभी देवी आपदाओं के लिए अकबर को दोप दिया । अत्याचारों अकबर की प्रजा होने के बारण उनके पास अकबर की भर्त्तना करने का एक ही हृषियार था और वह यह कि वे उसे धर्म का परित्याग कर देने वाला कहे । उन दिनों के धार्मिक परम्परावादी मुत्ता नोग बादशाह के विषद् धार्मिक प्रतिवन्ध लागू कर सकते थे । परन्तु अकबर तो मौलवियों से अधिक टेढ़ा था, इसलिए मौलवी लोग कुदू होने में अधिक कुछ भी नहीं कर सकते थे ।

मनसरेट ने ‘कमेट्री’ के पृष्ठ ६४-६५ पर लिखा है कि “मौलवियों को चुनौती देने के लिए अकबर मुहम्मद साहब द्वारा नियत समय पर नमाज अदा नहीं करता था और रमजान के दिनों में रोज़े भी नहीं रखता

या । कई बार वह मुहम्मद का उपहास करता था, विशेष रूप से इसलिए कि अधिक कामुक होने के कारण उसे जूते और पायजामे के बिना ही पर से बाहर निकाल दिया गया । इससे बहुत से मुसलमान नाराज हो गये जिनमें एक व्यक्ति द्वाजा शाह मसूर भी है ।"

मनसरेट ने अकबर द्वारा पंगम्बर मुहम्मद का मजाक उडाये जाने की जो बात ऊपर कही है, उसे हम सही मानते हैं । परन्तु इसे उचित रूप में समझ लेना होगा । मुहम्मद का उपहास करने में अकबर का आशय यह था कि उसके सभी प्रजाजन उसे पंगम्बर और परमात्मा मानें । इसका यह आशय नहीं है कि अकबर ने अपनी निपट धर्मान्वयता त्याग दी ।

दूसरे धर्मों से प्रभावित होने का स्वाँग करके अकबर मौलवियों को सोच में डाले रखता था । इस तरह मौलवियों के भन में हमेशा यह भय बना रहता था कि कही अकबर इस्लाम का परित्याग न कर दे । वे जानते थे कि यदि बादशाह ने कोई दूसरा धर्म अपना लिया तो उनका क्या हल होगा । या तो उन्हें धर्म-परिवर्तन करने को विवश किया जायेगा या तग करके मार दिया जायेगा । मौलवियों के सामने इस भय को लगातार बनाये रखने की दृष्टि से अकबर वहां दूसरे धर्मों के प्रति अपने प्रेम का दिखावा करता रहा जिसका उद्देश्य यह था कि मौलवी लोग उसकी बामासवित पर आपत्ति न कर सकें । वह अन्य धर्मों के पुरोहितों को अपने आमपास बनाये रखता था । इसके दो लाभ थे । एक तो यह कि यह देखबर उसके अह की दुष्टि होती थी कि सभी धर्मों के प्रमुख लोग उसके चारों ओर रहते हैं और उसकी प्रशस्ता करते हैं । दूसरे, इससे मुस्लिम मौलवी लोग उससे दूर ही बने रहते थे । मनसरेट ने अपनी कमेटी में पृष्ठ ४८ पर लिखा है कि "जब ईमाई पादरी लोग महल के क्षेत्र में जाकर बम गये तब अकबर (उनके आवासों पर) गया और उसने इसा और मरियम के प्रति श्रद्धा के रूप में साप्तांग दण्डवत् किया ।"

मनसरेट ने यह भी लिखा है कि किस तरह अकबर ने शासनकाल में इस्लाम का पूर्णत बोलबाला था । पृष्ठ २६ पर उसने लिखा है कि "दौलत-पुरम् (दौलापुर) आगरा से, जोकि राज्य की राजधानी है, और फतेहपुर से, जहाँ यह महान् बादशाह रहता है, एक बराबर दूरी पर है । ..... मुसलमानों के धार्मिक उत्तमाह के कारण यमद्य भन्दिर नष्ट हो गये हैं ।

हिन्दू मन्दिरों की जगह पर अगणित संघर्षों में दुष्ट और पापाचारी मुसलमानों के मकबरे और दरगाहें बना दी हैं जहाँ उन लोगों की इस तरह पूजा भी जाती है मानो वे सन्त हों।”

इससे भारत के इतिहासकारों को विश्वास हो जाना चाहिए कि भारत में भद्यकाल के जो मुस्लिम मकबरे और मस्जिदें मिलती हैं वे प्राचीन हिन्दू मन्दिर और राज-प्रासाद थे। इनसे इम आन्त प्रचारका भी विश्वास नहीं कर सेना चाहिए कि मुसलमानों ने जो भवन बनाये उनमें वे मुस्लिम और हिन्दू शैलियों को मिलाना चाहते थे। इसलिए यह कहना गलत होगा कि हिन्दू शैली से प्रभावित होकर अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया। पहली बात यह है कि अकबर को मध्यकाल के किसी भी मुस्लिम की तरह धर्मान्ध मुस्लिम सिद्ध किया जा नुका है। दूसरे, जैरा ने मनसरेट ने लिखा है, स्वयं अकबर के समय में भी हिन्दुओं की मूर्तियों और आङ्कितियों को दुरी तरह विदूप किया जाता था। इस पृष्ठभूमि में जब हमें मनसरेट को कमेटी में पृष्ठ २७ पर बताया जाता है कि जब १५८० में पहला ईसाई मिशन पहुंचा और “पादरियों ने दूर से फतेहपुरम् नगर को देखा……” तो वे एकटक देखते रहे कि नगर बितना बड़ा और भव्य है।” तब इससे सिद्ध हो आता है कि १५८० से पहले भी फतेहपुर सीकरी भली प्रकार बसा हुआ नगर था। ऐसी स्थिति में मुस्लिम इतिहासों में दिया गया यह विवरण मनमादन्त है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण १५८३-८५ में हुआ। पूरा हो जाने के बाद भी दो लाख लोगों को वहाँ जाकर आवाद होने में भी समय लग जाता है।

मनसरेट ने अपनी कमेटी के प्राक्कथन में लिखा है कि “मेरे विवरण में जो कुछ भी विषयान्तर करके लिखा गया है, वह मैंने मुख्यतः बादशाह जलालुद्दीन से जानकर लिखा है।” इससे स्पष्ट हो जाता है कि मनसरेट फतेहपुर सीकरी को अकबर द्वारा निर्मित कराया हुआ बयो कहता है। अहवादी होने के कारण अकबर यह मानने को तैयार नहीं हो सकता था कि वह अपने दादा बादशाह द्वारा विजित पुराने नगर में रहता था। उसने भूठ कहा कि नगर का निर्माण उसने कराया। मनसरेट को हैरानी हुई, वयों उसमें हाल में निर्माण किये जाने के कोई चिह्न नहीं थे। उसी आधार

पर उसने लिखा है कि अवश्य ही यह नगर रातो-रात जाहू की तरह बन गया होगा ।

विसेट स्मिथ ने अपनी पुस्तक में पृष्ठ १५६-६० पर लिखा है कि “अकबर द्वारा चलाये गये धर्म दीन-ए-इलाही को मानने वालों की संख्या कभी भी काफी नहीं रही । ब्लौचमैन ने अबुल फजल और बदायूँनी से १८ प्रमुख नाम एकत्र किये हैं । इस सूची में बीरबल ही एकमात्र हिन्दू था ।…… अबुल फजल के बत्ते के बाद इस संस्था के जीवित रहने की आशा नहीं की जा सकती थी (बयोकि बदायूँनी के अनुसार वह अकबर का सबसे बड़ा चापलुस था और वह लोगों से कहा करता था कि अपना सम्पूर्ण धार्मिक ईमान अकबर पर लाओ), वह इसका सबसे बड़ा समर्थक था और अकबर की मृत्यु के बाद तो इसका कोई अस्तित्व न रहा ।…… “यह सारी योजना, अकबर के अह का परिणाम थी जो स्वयं निरबुश तानाशाही शासन का परिणाम था । दीन-ए-इलाही अकबर की मूढ़ता का परिचायक था, उसकी दुर्दिमानी का नहीं ।

स्मिथ ने दीन-ए-इलाही को निराधार धर्म बहकर ठीक ही बिया है । सच्चाई यह है कि अकबर के इस ‘धर्म’ का उद्देश्य बेवल या कि धार्मिक और सामाजिक सब चीजों पर उसका प्रभुत्व हो । (अमोघत्व वे बादेश वे माध्यम से वह इस्लाम धर्म का प्रभुत्व बन देता था ।)

बारतीनी ने अकबर के दरबार में गये मिशनरियों के हवाले से लिखा है कि अकबर ने अपनी सामान्य सभा का अधिवेशन बुलाया और “एक प्रतिष्ठित बूद्ध ध्यक्ति को हुबम दिया कि वह सब जगह जाकर मुगल साम्राज्य के नये धानुन की धोपणा करे ।……” दादशाह के प्रति निष्ठा के चार हृष थे—सम्पत्ति, जीवन, सम्मान और धर्म को बलिदान कर देने वी तत्परता ।”

ऊपर जो चार बातें वही गई हैं उनसे हमें सट्ट हो जाता है कि अकबर का वहु-प्रचारित धर्म बना था । वह चाहता था कि सब लोग अपने जीवन, सम्पत्ति, सम्मान और धर्म को अकबर के प्रति समर्पित कर दे । धर्म जो अपेण करने का आशय यह था कि मौलियियों और कातियियों के अधिकार बोन माना जाये । जीवन और सम्पत्ति को अपित बर देने का आशय यह था कि उसकी सम्पत्ति और उसके प्रभुत्व जो सदाया जाये ।

अपने सम्मान को समर्पित कर देने का आशय यह था कि यदि अकबर सम्भोग के लिए या अपने दरबारियों या अपने अतिथियों के हरम के लिए औरतों को उठा ले जाये या कोई माँग करे तो इसपर आपत्ति न की जाये।

यह स्वाभाविक था कि अबुल फजल और बीरबल जैसे कुछ निपट चापलूस लोग ही तानाशाह अकबर की अपमानकारी शर्तों को पूरा कर सकते थे। यह कोई धर्म नहीं था प्रत्युत शक्तिगत अह की विजय का तानावाना था।

“अकबर दी ग्रेट मुझल” में पृष्ठ १२५-१२६ पर स्मिथ ने लिखा है कि इस्लामी मौलवियों को शक्तिहीन बनाने के उद्देश्य से “जून, १५७८ के अन्त में (अकबर ने) फतेहपुर सीकरी की प्रमुख मस्जिद से नियमित मुल्ला को हटा दिया। राष्ट्र का धार्मिक नेता होने के अपने दावे को स्थापित करने की दृष्टि से उसने कुछ तथाकथित परम्परागत प्रथाओं का सहारा लेते हुए निर्णय किया कि वह स्वयं खुतबा पढ़ेगा। द्वचर्यक शब्द ‘अल्ला हू अकबर’ का प्रयोग किये जाने के कारण बहुत अधिक आलोचना हुई…… अबुल फजल ने भी स्वीकार किया है कि इन शब्दों के प्रयोग के कारण लोगों में काफी खेदनी फैली…… कभी-कभी वह कल्पना किया करता था कि वह इन्सान और परमात्मा के दीच की कड़ी बन गया है…… उसके विहान् नालाक प्रशसक, अबुल फजल और फैज़ी जैसे लोग, हमेशा उसके कानों में ऐसी बातें भरने को प्रस्तुत रहते थे और वह शासन-सत्ता के अह के वशीभूत ऐसी चापलूसी को प्रसन्न होकर सुनता था।”

“अल्ला हू अकबर” का अर्थ है “अल्ला बड़ा है।” परन्तु इसका यह अर्थ भी है कि “अकबर स्वयं अल्ला है।” अकबर ने आदेश दिया कि एक-द्वूमरे को मिलने पर “सलाम बालेकुम” कहने की वजाय लोग “अल्ला हू अकबर” कहा करें। अप्रत्यक्ष रूप में लोगों को यह मन्त्र पढ़ाकर कि अकबर स्वयं अल्ला है, उन्हे मुहम्मद और अल्ला दोनों से हटा लेने की यह चाल थी।

अलाउद्दीन के भी, जो अकबर से कुछ पीढ़ी पूर्व दिन्ली का शासक था, मन में यह गुप्त इच्छा थी कि मुहम्मद और अल्ला की जगह उसकी पूजा की जाये। परन्तु अकबर और अलाउद्दीन दोनों आध्यात्मिक नेता

बनने में सफल न हो सके। वे फूर, निर्मल, अत्याचारी तथा तानाशाह ही बने रहे। उन्हें आत्मिक नेतृत्व न मिलने का कारण यह था कि उनमें आध्यात्मिकता नाम की ओर भीज नहीं थी। उनका सम्पूर्ण जीवन कपट-जाल, निरखुश कामुकता और अत्याचार में व्यतीत हुआ था।

भारतीय इतिहास की पुस्तकों किस तरह काल्पनिक बातों और अनुष्ठि-  
तिवदन्तियों के आधार पर सिखी गई हैं, इसका उदाहरण डॉ० थीवास्लद  
वी पुस्तक में पृष्ठ २३८-३६ पर दिये गये इस अनुच्छेद से मिलता है—  
“अकबर सभी धर्मों को मानने वाले धार्मिक व्यक्तियों की ओर समान  
ध्यान देता था और वह हिन्दू, जैन और पारसी विद्वानों, सन्तों और  
धार्मिक संस्थाओं को इसी तरह अनुदान दिया करता था जिस तरह वह  
मुमलमानों की मस्ताओं आदि को दिया करता था। इसका प्रमाण  
वह शाही आदेशों से मिलता है जो केंद्र एम० जावेरी की पुस्तक “शाही  
फरमान” में सुरक्षित है।………१५७६ के बाद हिन्दू विद्वानों और सन्तों  
को कई ऐसे अनुदान तथा देश के कई दूसरे भागों में मन्दिरों को वह ऐसे  
धर्मस्व अवश्य दिये गये होंगे। दुर्भाग्य से ऐसे अनुदानों के आदेश-नक्त जन-  
सामान्य द्वारा उपेक्षा और समय बीतने के साथ-साथ नष्ट हो गये हैं।”

यह धारणा गलत है कि अकबर सभी धर्मों के साथ बराबर वा  
व्यवहार करता था। इस सम्पूर्ण पुस्तक में हमने कई समकालीन लेखकों  
और कई घटनाओं के उद्दरण देकर सिद्ध कर दिया है कि अकबर एक  
धर्मान्ध मुस्लिम और फूर अत्याचारी व्यक्ति था। यदि उसे सब धर्मों को  
बराबर मानने वाला बहने का आधार यह है कि उसके दरबार में सभी  
धर्मों के विद्वान् रहते थे, तो उसके उत्तर में हम बता चुके हैं कि अकबर  
दो मुख्य कारणों से ऐसा करता था। पहला कारण यह था कि जब वह  
किमिन धर्मों के लोगों को प्रश्न और सरकार पाने के लिए अपने आसपास  
थूमते देखता था तो उसके अहं की सन्तुष्टि होती थी। दूसरे, उनके हमेशा  
उपस्थित रहने ने मुस्लिम मौलिदियों को यह भय बना रहता था कि यदि  
कभी उन्होंने बादशाह पर अपना धार्मिक अधिकार जताने का साहम  
किया तो वह कोई और धर्म अपना लेणा और तब वह उसे बदला लेणा।  
दूसरे धर्मों के आचार्यों से घिरे रहना अकबर की राजनीतिक चाल वा एक  
बेग था।

हम यह बता चुके हैं कि अकबर के वे फरमान, जिनमें दूसरे धर्मों के जाचारों अथवा पूजा-रथयों आदि को उदारतापूर्वक अनुदान अथवा भरकाण देने को बात कही गई है, इूड़े और दिसाये के थे। उनका कभी यह आशय नहीं था कि उन्हे कार्यान्वित किया जाये। इसीलिए हम देखते हैं कि एक के बाद एक धार्मिक नेता अकबर के पात्र आकर जिजिया कर से मुक्ति दिये जाने या मुसलमानों के खत्याचारों से परिज्ञाण दिलाये जाने की याचना करता था। अपने महल की सीमा से रहते हुए अकबर को उदार, उदात्त, सहनशील और उदारचेता होने का दम भरने में कोई दिक्षक नहीं होती थी। जो भी याचक आता, उसे उसकी हर मणि पूरी भरने का आश्वासन दिया जाता। परन्तु महल से बाहर बाते ही वह प्राची अपने आपको भूदृष्टीरो, लुटेरों और हृत्यारों की दुनिया में पाता था। जन दिनों जब परिवहन के साधन अपर्याप्त होते थे, बादशाह में चेंट के लिए दूसरी बार राजधानी पहुँचना असम्भव था। यदि दूसरी बार राजधानी जाना सम्भव ही भी जाता तो यह निश्चित नहीं था कि दरबार में जाने का अवश्य भिन्न जायेगा था बादशाह का स्वास्थ्य ठीक होगा और वह राजधानी में ही होगा। अकबर बहुधा बाहर चला जाता था। यदि इन सब कठिनाइयों के बाद भी दूसरी बार चेंट करना सम्भव हो भी जाता था तो फिर वैसे ही आश्वासन मिलते थे। अकबर और उसके अधिकारियों के बीच यह बात प्राप्त निश्चित ही गई थी कि उसकी न्यायाधिकता और उदारता का दम भरने वाले उसके बादेशों को कियान्वित करने की कोई बाबृश्यकला नहीं थी। याचकों को इन बादेशों के अनुसार काम न होने पर निराशा होती थी, फिर भी वे दून बादेशों को संभावकर रखते और लोगों को दिलते थे और मन्दिरों पर खुदवा देते थे कि सम्भवतः कोई भूला-भट्टा लुटेरा इन बादेशों को सास्त्रविक समझकर उन्हें तूटने के तोम का सवारण कर पाये और इस तरह सत्तके जान-भाल की रखा हो सके।

अकबर सब धर्मों को बराबर मानता था, ऐसा कहने के पश्चात् हाँ। शीवास्तव ने कहा है कि “हर वर्ष अकबर पैराम्बर गुहम्बद का जन्म-शिविर भनाया करता था।” (पृष्ठ २४४) इसमें पता चल जाता है कि उह धर्मान्ध मुल्लिम ही था। यदि ऐसा न होता तो वह बहुसंख्यक हिन्दुओं के

पूज्य भगवान् राम और कृष्ण के जन्म-दिवस को भी उतनी ही अड़ा के नाथ मनाता । इसके दिपरीत अकबर के बारे में यह तो विदित ही है कि वह ईमा और मरियम के सामने नतमस्तक हुआ था परन्तु वह कभी भी हिन्दुओं या जैनियों की भूतियों के सामने नत-मस्तक नहीं हुआ । इसका कारण भी उस समय की राजनीतिक आवश्यकता थी । वह पुर्तंगानियों को खुश रखना चाहता था क्योंकि वह अपने आश्रमणकारी जान्दोलनों के लिए उनसे बढ़िया शस्त्रास्त्र प्राप्त करते रहना चाहता था और साथ ही वह पश्चिमी तट की बन्दरगाहों में, जो पुर्तंगानियों के अधिकार में थी, विशेष रूप से मक्का की जियारत के लिए आने-जाने की सुविधा चाहता था ।

‘अकबर, दी प्रेट’ पुस्तक में २४०-४४ पृष्ठ पर डॉ० श्रीवास्तव ने लिखा है कि “शुक्रवार, २६ जून, १५७६ को (अकबर) पतेहपुर सीकरी की जामिया भर्जिद में मच पर चढ़ा और उसने वहाँ खुतबा पढ़ा । ददार्यूनी का कहना है कि खुतबा पढ़ते समय अकबर कौपा और उसकी आवाज लड़खड़ाई और उसे सहाय देकर मच से नीचे उतारा गया । उसने सानिव (मोलवी) से कहा कि वाक्त खुतबा तुम पढ़ो ।…… ऐसा विश्वास दिया जाता है कि वादगाह वा इरादा कुछ और था ।…… खुतबा पठने के बाद दो महीने के अन्दर अकबर ने अपने-आपको शरीयत या मुस्लिम विधि का मुद्य व्याख्याता घोषित कर दिया । यह घोषणा नाममात्र के एक प्रतेक द्वारा को जिसपर उसने दरबार के प्रमुख उलेमाओं से हस्ताक्षर करवा लिये थे ।…… ददार्यूनी ने ठीक ही लिखा है कि वह विसी के धार्मिक या मामाजिक अधिकार के सामने झुकने की बात सोच भी नहीं सकना था (उस आदेश के द्वारा अन्य बातों के अतिरिक्त अकबर वो यह अधिकार दिया गया कि वह एक नया कानून इस शर्त पर सागू कर सकेगा कि वह कुरान की आयतों के अनुरूप हो ।)…… इस आदेश के द्वारा नि मन्देह अकबर वो बहुत बड़ी धक्किं और विवेकाधिकार प्राप्त हो गया था परन्तु वास्तव में वह मुनजाहिद नहीं बन सका, मुस्लिम धर्म का प्रमुख बनने की बात तो बहुत दूर रही ।…… अबुल फज्जल ने स्वीकार किया है कि इन दो बातों के बारण बहुत रोप और अमन्त्रोष फैला ।”

उपर्युक्त अनुच्छेद से स्पष्ट है कि हृदय से अकबर एवं धर्मान्ध मुसलमान ही था । वह केवल इतना ही चाहता था कि उसे लोगों के धार्मिक

जीवन पर पूरा अधिकार प्राप्त हो और वह विना रोक-टोक और किसी आपत्ति के जो चाहे, कर सके। वह हमेशा केवल कुरान और मुस्लिम कानून की भाषा में सोचता था। इसलिए यह कहना कि वह सब धर्मों को मिलाना चाहता था या वह मब धर्मों का समान बादर करता था, गलत और स्वतं खण्डित है।

श्री शेलट की पुस्तक 'अकबर' में पृष्ठ २५५-२५७ पर लिखा गया है कि "हिन्दुओं में से केवल बीरबल उसका अनुयायी बना। हैंग जैसे गम्भीर इतिहासकार का कहना है कि रिश्वत और दबाव के कारण १८ अन्य प्रमुख व्यक्तियों को इस धर्म में सम्मिलित किया गया (कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृष्ठ १३१) ..... मानसिंह ने कहा कि यदि अनुयायी बनने का अर्थ यह है कि मैं अपने जीवन का उत्सर्ग कर देने को प्रस्तुत रहूँ, वह तो मैं पहले ही हूँ। इस धर्म में प्रवेश के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पगड़ी हाय में लेकर बादशाह के सामने प्रस्तुत होना पड़ता और अपनी पगड़ी बादशाह के चरणों में भेट कर देनी पड़ती थी। तब बादशाह उसे अपने हाथों से उठाता, उसकी पगड़ी उसके सिर पर रखता और उसे एक डडा देता जिस पर अकबर का नाम और "अल्ला-हू-अकबर" शब्द अकित होते थे। दीन-ए-इलाही कोई नया धर्म या नया मत नहीं था। यह एक ऐसा वर्ग था जिसका उद्देश्य शायद यह था कि उसके नेता की पूजा की जाये।"

हम विद्वान् लेखक के इस मत से पूरी तरह सहमत हैं। दीन-ए-इलाही में प्रवेश पाने के दृग से ही सिद्ध हो जाता है कि इसमें अकबर के व्यक्तित्व के प्रति पूर्ण समर्पण की अपेक्षा की जाती थी, किन्तु विशिष्ट आचरण या नियमों के प्रति निष्ठा की अपेक्षा नहीं की जाती थी। मानसिंह का क्यन भी ध्यान देने योग्य है। उसे स्पष्ट था कि अकबर अपने प्रति पूर्ण समर्पण चाहता है, जिसमें धर्म, नैतिकता और धर्म-सकोच आदि की कोई भी व्यवस्थाकर्ता नहीं थी और उसके दरबारी, पिट्ठू और दूसरे लोग यह समर्पण उसे विना मार्गे देते थे क्योंकि उन्हें भय था कि यदि उन्होंने ऐसा न किया तो अकबर इसका बदला लेगा। अकबर उसे यह भी कहता था कि शपथ लो और यदि तुम्हे मुस्लिम मुल्ला वर्ग द्वारा तुम्हारे किसी अनैतिक कर्म को गर्वकानूनी ठहराये जाने का भय हो तो इसे अपने मन में से

निवाल दी और अकबर का इस तरह आदर सम्मान करो मानो वह देवता है ।

जो व्यक्ति किसी बर्नमान धर्म का उल्लंघन करता है, यह आवश्यन नहीं है कि वह किसी दूसरे धर्म का स्थापक हो । मान लीजिये, कोई वेटा अपनी माता या दादी के रुढ़िवादी नियमों को नहीं मानता, उसका वहता यह है कि एक 'आधुनिक' व्यक्ति होने के नाते मैं धर्म के पुराने विचारों को नहीं मानता और मेरा अपना ही एक धर्म है । युवक के इस व्यवहार को देखकर हम वह सकते हैं कि उसने अपने धर्म की मुस्यापित परम्पराओं का उल्लंघन किया है परन्तु उसका अर्थ क्यापि यह नहीं है कि उसने किसी नये धर्म की स्थापना की है । इसी तरह कह सकते हैं कि अकबर ने मौलिवियों के अधिकारों का तिरस्कार किया क्योंकि वे अकबर द्वारा अपनी महिलाओं के बलात् अपहरण का विरोध करते थे, परन्तु इससे यह भी मिछ नहीं हो जाता कि अकबर किसी नये धर्म का स्थापक था । उसके आधरण से यही मिछ होता है कि वह शिष्टना के सभी नियमों की उपेक्षा करने वाला व्यक्ति था ।

यह याद रखना चाहिए कि स्वयं अकबर इस नये धर्म का अनुपालन-कर्ता नहीं था । यदि उसने किसी नये धर्म की स्थापना की होती तो वह मवने पहले यह घोषणा करता कि मैं इस धर्म का अनुयायी हूँ और अब मुझे भुक्तमान न माना जाये । ऐसी स्थिति में वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों का नाम बदल देता । यदि नथा धर्म बना होता तो वह मुस्लिम मौलिवियों को भगा देता और उनके स्थान पर नये धर्म के मौलिवियों को रखता । यदि अकबर ने वास्तव में एक नये धर्म की स्थापना की थी तो उसके पास इतना सैनिक बल था कि वह हजारों व्यक्तियों को नया धर्म स्वीकार करने पर विवश कर सकता था, जैसाकि सम्पूर्ण विश्व में मुमल-मानो ने किया ।

ऊपर हमने जो कुछ वहा उसे ध्यान में रखते हुए हमे बाजा है कि डतिहास के विद्वान् और छात्र दीन-ए-इलाही की धर्म मानने वी बात को छोड़ देंगे और इसका असती रूप देखेंगे जो इस तरह है कि (यह एक ऐसी व्यवस्था थी, जिसका (मनस्टैट वे शब्दों में) उद्देश्य या मानव वी आत्मा का हनन करना और लोगों को अपना जीवन, सम्पत्ति, धर्म व सम्मान पूर्णरूप से अकबर को समर्पित कर देना । इसे किसी भी दृष्टि से धर्म नहीं कहा जा सकता । इसकी विसी रूप में भी प्रणासा नहीं की जा सकती । वह एक धरणास्पद व्यवस्था थी, जिसने चारों ओर पूणा-ही-पूणा पंजाई और जिसके बारण कई जगह विद्रोह हुए ।)

: २३ .

## निस्तेज नवरत्न

अकबर के शासनकाल के द्वितीय-प्रम्यों में अकबर को कलाकारों, साहित्यकारों और विद्वानों के भवान् सरकार के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। हमें बताया जाता है कि उसके दरवार में अन्य योग्य व्यक्तियों के अतिरिक्त नो व्यक्ति ऐसे थे जो विदिष्ट विषयों के धूरन्धर विद्वान् थे और अकबर के दरवार के देवीप्यमान रत्न कहे जाते थे।

लिखित प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि ये सब इलाल, पिट्ठु, चापलान और अद्यमाद्यादी छाँग थे जिनमें अकबर के निरक्षण शासन के प्रति पूर्ण आत्ममरण के कारण कोई अहमन्यता या नैतिकता नहीं रह गई थी।

आरम्भ में हम अकबर के मन्त्रियों के सम्बन्ध में उनके अपने मूल्याकान का विवेचन करना चाहते हैं। उसने कहा है, “अल्लाह की कुदरत कुछ ऐसी रही कि मुझे कोई भी योग्य मन्त्री नहीं मिला, वरना लोग यह सोचते कि मैंने यो भी काम किए, उनकी योजना उग्ने तैयार की थी।” (अकबर : दी ग्रेट मुगल, पृष्ठ २५८) अकबर के इन वचनों का उत्तेक्ष्ण स्वयं अद्युल कड़ज ने किया है। वह अकबर के मन्त्रियों में से एक था और उसे भी ‘रत्न’ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाना चाहिए कि ये भव कान्तिहीन रत्न थे जिनका वर्णन इतिहास-कारोंने अयुक्तिपूर्ण किया है।

जिन नो व्यक्तियों को अकबर के दरवार का विदेश रत्न कहा जाता है, उनके नाम हैं—अद्युल कड़ज, अद्युल फँज़ी, टोडरमल, मानसिंह, मिर्ज़ा अजीज़ खाँ, अद्युल रहीम खानखाना, (बीरबल) बीरबर, तानसेन और हुकीम हुमाम।

अमर रहा जा चुका है कि अकबर के मन में इनमें में किसी के प्रति

भी सम्मान की भावना नहीं थी। अकबर ने इनमें से किसी भी व्यक्ति के सम्मान में कुछ नहीं बनवाया और किसी भी व्यक्ति को आने वाली शोषणों ने याद नहीं किया।

### अबुल फजल

अबुल फजल अल्लासी शेख मुवारक का पुत्र था। उसका जन्म आगरा के निकट १४ जनवरी, १५५१ को हुआ था और ६ अगस्त या १२ अगस्त, १६०२ को जब वह सराय दरकी गाँव से ६ मील दूर अन्तरी को जा रहा था, तब शाहजादा जहाँगीर के आदेश पर उसे पैरकर बत्ते कर दिया गया।

अबुल फजल अरवी था। उसका पितामह शेख भस्त अरेविया का रहने वाला था। नवी दाताच्छी में उसके पूर्वज कुछ मुस्लिम आश्रमणकारियों के माय सिद्ध था। वहाँ से अबुल फजल का दादा शेख खिज़, जो एक घुमबड़ फकीर था, धजमेर के निकट नागोर में था। अबुल फजल के पिता शेख मुवारक का जन्म वही हुआ था। इसके जन्म के थोड़े भ्रम बाद ही शेख मुवारक का जन्म घटा जहाँ वह वई बर्पं तक रहा। बाद में वह आगरा के निकट एक सुन्नी फकीर की शरण में रहा, परन्तु बाद में शिया मत का अनुयायी हो गया। उसके चरित्रभ्रष्ट होने की गूचना अबवर को दी गई। शिया लोगों के ग्रन्ति धृणा के बारण उसने शेख मुवारक को गिरपार करने का हृक्षण दिया। शेख को जब विश्वास हो गया कि अबवर उसे मरवा डालेगा, तब वह अपने दो जवान मड़कों अबुल फैज़ी और अबुल फजल को आमरा में छोड़कर भाग निकला और स्वयं उसने मलौम चिश्नी की शरण ली। अबुल फजल ढोटा था। १५७४ में वह भाई फैज़ी ने उसका परिचय अबवर से करवाया।

१५७४ ई० में पहली बार अबुल फजल का अबवर में परिचय कराया गया, परन्तु अबवर पर उसका कोई प्रभाव न पड़ा। अबुल फजल ने अपनी किसमत को बोसा बयोकि उसे विश्वास था कि एक बार अबवर से भैंट का मीठा मिल जाए, तो वह अबवर के दिल में जगह बना लेगा। अबवर ने जिस तरह उसे दुखारा, उससे अबुल फजल को निराशा हुई और अबवर-

नामे में उसने लिखा है कि "किस्मत ने पहली बार मेरा सायन दिया जिसके कारण मैं एकदम स्वार्थी और घमण्डी बन गया। विद्वाता के घमण्ड के कारण मेरा दिमाग सबसे अलग रहने के विचार से भर उठा। मेरे पिता चार-वार मुझे समझाते जिसके कारण मैं वेवकूफी में पढ़ने से बच गया। मैं अपने देश के विद्वान् लोगों से तग आ गया था।" (आईने-अकबरी की भूमिका, भाग ३, एच० ब्लोचमैन द्वारा अनूदित।) इससे प्रकट होता है कि अबुल फज्जल दरवार में ऐशो-आराम और शाही संरक्षण का जीवन व्यतीत करना चाहता था।

"जिस समय अबुल फज्जल को दरवार में अकबर के हजूर में पेश किया गया, उस समय अकबर विहार और बगाल की विजय के लिए तैयारियाँ कर रहा था। बादशाह के फतेहपुर सीकरी लौटने पर सुरन्त अबुल फज्जल दरवार में हाजिर हुआ, जहाँ अकबर ने उसे सबसे पहले जामिया मस्जिद में देखा।"

खुशामद करने में अबुल फज्जल की चातुरी के बारे में, जिसके कारण उसे बादशाह अकबर का अनुग्रह प्राप्त हुआ, ब्लोचमैन ने आईने-अकबरी की भूमिका में लिखा है, "पूरोपीय लेखकों ने बहुत बार अबुल फज्जल पर चापलूसी करने और यहाँ तक कि अपने आश्यदाता की प्रसिद्धि पर आंच लाने वाले तथ्यों को जानवृत्तकर छिपाने का आरोप लगाया है।"

१५८६ ई० के अन्त में अबुल फज्जल की माता का दैहान्त हो गया।

इसी पुस्तक की भूमिका में आगे लिखा गया है—"दरवारी लोग और शाहजादा सलीम उर्फ जहाँगीर अबुल फज्जल के विशद्ध थे। एक बार जहाँगीर अचानक अबुल फज्जल के पर चला गया जहाँ उसे अबुल फज्जल पर दोरी चान चलने वा आरोप सजाने का अस्था भौका भिल गया। मकान में प्रवेश करने पर उसने देखा कि ४० खुशनसीब लोग कुरान की टौकाओं की नक्ल करने में लगे हुए थे। वह उन्हे बादशाह के पास ले गया और उन प्रतियों को दिखाकर उसने कहा कि देखिए, अबुल फज्जल मुझे जो कुछ मिथाता है वह पर उससे विल्कुल भिन्न व्यवहार करता है।"

इस घटना से शायद अकबर को यह विश्वास हो गया कि उसके दरवार में, जहाँ कपटनीति की बहुत अधिक आवश्यकता थी, अबुल फज्जल विल्कुल सही व्यक्ति रहेगा।

१५६२ ई० के अन्त में अकबर ने फजल का दर्जा दण्डावर उसे दो हजारी बना दिया। अब उसे दरवार में बड़े अमीरों की थ्रेणी में गिना जाने लगा।

उसके पिता वा देहावसान लाहौर में रविवार, ४ सितम्बर, १५६३ बो ८० वर्ष की आयु में हुआ।

दो वर्ष बाद फजल के बड़े भाई फैजी वा भी ५० वर्ष की अवस्था में ५ अक्टूबर, १५६५ को देहावसान हो गया।

अकबर के शासन के ४३वें वर्ष में फजल को पहली बार सैनिक सेवा पर बाहर भेजा गया। शाहजादा मुराद दक्कन में विद्रोहियों का दमन नहीं कर पा रहा था। इसलिए फजल वो वहाँ भेजा गया ताकि वह उसे अपने साथ लेकर वापिस आये क्योंकि मुराद वी अत्यधिक शारावणोरी के बारण अकबर को बहुत चिन्ता थी। अबुल फजल जिस दिन दोलताबाद से २० कोस दूर पुरना नदी के किनारे शिविर में पहुँचा, उसी दिन मुराद वी मृत्यु हो गई। फजल ने अपना अभियान चालू रखा। उसने अहमदनगर के निजामशाही राज्य की रीजेण्ट चाँद बीबी से, जो अपने आपमें रणचण्डी थी, समझौता किया।

अकबर के शासन के ४७वें वर्ष में अबुल फजल को बापस बुलाया गया ताकि उसे शाहजादा सलीम उर्फ जहाँगीर के विरुद्ध भेजा जा सके जिसने इलाहाबाद में अपने-आपको शासक घोषित कर दिया था। जब जहाँगीर ने यह सुना कि अबुल फजल उसके विद्रोह को दबाने के लिए दक्षिण में अपने शिविर से चल पड़ा है तो उसने बुन्देला के बीरसिंह देव को चहा कि जब अबुल फजल बुन्देला के भोरछा नरेश के इलाके में से होने वाले तब वह उसको घेर ले और कत्ल कर दे।

जब अबुल फजल एक पेड़ के नीचे बैठा आराम कर रहा था तब उसे और उसके साथियों वो चारों ओर से घेर लिया गया। फजल वो बारह घाव लगे और अन्त में उसे भाले में छेद दिया गया। उसका तिर धड़ से अलग करके इलाहाबाद में जहाँगीर के पास भेजा गया। जहाँगीर इतना युग्म हुआ कि उसने उसे उदाहरण गन्दगी ने ढेर में कॉक दिया। जिस मुँह ने पतित अकबर की अबाच्छित प्रशंसा वी थी और इतिहास को निर्लंजनतापूर्ण झूटी बातों से भर दिया था, शायद ऐसे मुँह के लिए यह सज्जा उचित थी।

जहाँगीर अबुल फज्जल से बहुत डरता था। फज्जल जानता था कि उसे अकबर का विश्वास प्राप्त है, इसलिए वह अकबर की उपस्थिति में भी एक अभिमानी बड़े-बूढ़े की तरह जहाँगीर को डॉट दिया करता था। अबुल फज्जल के दम्भ और उसकी चालाकी को जानते हुए जहाँगीर के मन में उसके प्रति धृणा उत्पन्न हो गई थी। अपने समरणों में उसने लिखा है कि जब अबुल फज्जल बादशाह के पास होता था तब मैं अपने पिता अकबर के पास जाने का साहस नहीं करता था क्योंकि मुझे डर था कि अबुल फज्जल कोई-न-कोई अपमानजनक बात कहकर अकबर को मुझसे नाराज कर देगा! इस तरह स्वयं अपने पिता से प्रायः अलग कर दिए जाने के कारण जहाँगीर ने अबुल फज्जल को कत्ल करने की योजना बनाई।

अबुल फज्जल में वे सब बुराइयाँ थीं जो किसी मुस्लिम दरवार में रहने वाले व्यक्ति में हो सकती हैं। वह अपने पेटूपन के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि पानी को छोड़कर वह प्रतिदिन लगभग २२ सेर खुराक खा जाता था। जब वह मुगल सेना के सेनापति के रूप में दक्कन में गया था तब खाने की बेज पर उसकी विलासिता बहुत बढ़ गई थी। एक बड़े तम्बू के नीचे उसकी खाने की बेज पर सैकड़ों प्रकार के बद्धिया भोजन प्रस्तुत किये जाते थे।

अबुल फज्जल के दो सहपालित भाई थे और दो और भाई थे जो उसके पिता शेख मुदारक की रखेल औरतों से पंदा हुए थे। जहाँ तक जाता है, उमकी कम-से-कम चार बहनें भी थीं।

अकबर अबुल फज्जल को कोई महत्व नहीं देता था, इसका सफेत फज्जल की मृत्यु से भी मिल जाता है। जहाँगीर द्वारा अबुल फज्जल का कत्ल कर दिये जाने पर उसने अपने बेटे को एक शब्द भी दुरा-भला नहीं कहा क्योंकि उसके दरवार में बहुत से चापलूस हमेशा उसकी कृषा-दृष्टि पाने के लिए तैयार रहते थे और इसलिए इनमें से एक को कमी हो जाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था।

पूरोधीय लेखकों के अतिरिक्त अबुल फज्जल के अपने समकालीन बदायूँनी ने, जो अकबर के दरवार में अबुल फज्जल का साथी था और एक सह-योगी इतिहास-लेखक था, अपनी पुस्तक में पृष्ठ २०२, भाग २ में लिखा है कि अबुल फज्जल “भनपेक्षित प्रशंसा करने वाला, अवसरवादी, मरासर

वेदमार्ग, अकबर के सूइम सत्रेतों को समझने वाला और पुण्यस्पेश चापलूस था ।'

यूरोप के अधिकाश इतिहासकार, जहाँगीर और बदायूँनी इस बात को प्रमाणित करने में एकमत हैं कि अबुल फजल एक वेशमें चापलूस था ।

इसी कारण से अकबर के शासनकाल के उसके इतिवृत्त आईने-आवरी को पढ़ते हुए बहुत सावधानी दरतना आवश्यक हो जाता है । बहुत-मोरे बातें ऐसी हैं जिनकी अबुल फजल ने उपेक्षा की है या गलत रूप में पेश किया है । उसका बड़ा भाई फैजी पट्टा में अकबर की प्रशसा के गीत गाया करता था, उसने यही बाम गद्य में शुरू किया । अन्ततः वह अकबर के दरबार में होने वाली घटनाओं के बहुत ही वात्यनिक विवरण लिखने लगा । इन्हें वह अकबर को दिखाता । अकबर को इस बात पर सन्तोष होता कि उसे एक ऐसा चापलूस मिल गया है जो उसकी क्रूरता और धूतंता वे बारतामों को भी गैरव के कामों के रूप में पेश बरसता है और आम जनता की आँखों में धूल झोक सकता है, इसलिए उसने फजल को ये वात्यनिक वथाएं लिखते रहने को कहा । इस तरह अकबर और अबुल-फजल ने मिलकर उसके शासनकाल का एक कपटपूर्ण इतिवृत्त पेश करने का जाल बुना जिसे हम आज अकबरनामा या आईने-आवरी कहते हैं ।

दरवार में यह सरल बाम पाकर फजल के लिए दरबार के सभी ऐशो-आराम प्राप्त करना बहुत सहज हो गया । इनमें उत्तम खाद्य-व्यजनों से लेकर शाही दरबार के हरम का सान्निध्य तक सभी कुछ था । इस बहाने वह राजधानी से बाहर सेनिक अभियानों पर जाने से भी बच जाता था, जहाँ लगातार युद्धों, पद्यन्त्रों, विडिनाइयों और आपसी ईर्ष्याओं के बारण जीवन कठिन हो जाता था ।

जाही दरबार में बादशाह के प्रशस्ति-गान लिखने का बाम पाकर फजल ने वहीं अपने लिए एक ऐसा स्थान बना लिया था जहाँ से वह लोगों को विस्मय बना और बिगाड़ सकता था और साथ ही हमेशा बादशाह के निकट रहकर शाही सरकार की छत-छाया में जीवन व्यतीत कर सकता था ।

इन विचारों ने फजल को और भी पक्षा चापलूस बना दिया । फजल अपनी चापलूसी को अकबर की बदलती मन स्थितियों, शृंखलों, सनबों

और उपेक्षाओं के अनुमार ढालने में सिद्धहस्त हो गया। इस तरह जो अकब्रनामा तैयार हुआ, उसमें वास्तव में अकबर के शासनकाल का सच्चा वर्णन न होकर कात्पनिक विवरण दिया गया है। जो लोग सच्चाई जानना पसन्द करते हैं और असत्य से घृणा करते हैं उन्हें अबुल फजल का विवरण या किसी भी दूसरे मुस्लिम इतिहासकार का इतिवृत्त पढ़ते हुए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।

शाही दरबार में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बनाए रखने के विचार से फजल ने अपनी पुस्तक में बाजार के भाव, मण्डियों की गपशप, दरबार की अफवाहों, धार्मिक गोप्यियों, अकबर के मनगढ़त फरमानों, दरबार में आने वाले मध्यी तरह के लोगों तथा सभी तरह की देखी, सुनी और कल्पित बातों का विवरण देते हुए उसे निरन्तर बढ़ाते रहना जारी रखा। मकड़ी के जाले की तरह वह अपने इस विवरण को तबतक लिखते रहना चाहता था जबतक या तो अकबर या वह स्वयं न मर जाये। इसलिए उसने कही भी किसी अधिकृत रूप से उद्धरण नहीं दिया। नाप-तौल, राजस्व और बाजार के भावों के बारे में उसके विवरण अस्पष्ट और परस्पर विरोधी हैं।

विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक में (पृष्ठ २२३-२४) कहा है कि “मेरे विचार से यह (अबुल फजल के बारे में बदायूँनी के विचार) सच्चाई से बहुत दूर नहीं। ब्लौचमैन के विचारी की उपेक्षा की जाय तो भी अकबर-नामा और आईन-अकबरी का लेखक पवका और वेशमं चापलूस था। उसने अकबर की प्रसिद्धि पर आंच लाने वाली बातों को दबाया, उनपर लीपा-पोती की या कभी-कभी झूठ बनाकर भी लिखा है। उसकी अपनी पुस्तक में एक-पक्षीय प्रशस्ता-गान किया गया है।... और तो के साथ अपने सम्बन्धों वे मामले में अबुल फजल ने धर्म द्वारा दी गई स्वाधीनता का पूरा लाभ उठाया। धर्मव्यवस्था के अनुसार उसकी कम-से-कम चार पत्नियां थीं। खाने के मामले में वह मुजरात के मुलतान महमूद वधर्दा को मात करता था। (पाद-टिप्पणी) उसने हिन्दू, ईरानी और कश्मीरी औरतों से शादी की। उसका दहना है कि अधिक पत्नियों से मुझे बहुत खुशी होती थी—(आईन, भाग ३, पृष्ठ ४४६)।... आईन के अन्तिम अनुच्छेदों के अनुसार उसे अपने पर काफी अभिमान था।... (भाग ३, पृष्ठ ४१७-४५१)।”

पाठक स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि जो अबुल पेटू था और जो "वेशमं चापलूस" था, जिसे पद्यन्त्रों से भरपूर वातावरण में धसीम दक्षिण प्राप्त थी, और वह तरह वीं औरतों के माथ, जिनमें उसके अपने व्यवहार नुगार तुच्छ वेश्याएँ भी थीं, व्यभिचारों का वर्णन करके बहुत प्रसन्न होता है, उसका अपना चरित्र बैंसा रहा होगा। 'सम्मानित घराने' की महिला से अबुल पजल का अभिप्राय मुस्लिम महिला से ही है। जिनके बारे में उमका यह सरेत है कि वे सम्मानित घरानों की नहीं थीं, वे मुस्लिम इतिवृत्त लेसकों वीं शब्दावली के अनुगार हिन्दू महिलाएँ थीं जिन्हें अपहरण करके लाया गया था।

### अबुल फजल के सम्बन्ध में विसेट स्मिथ के विचार

स्मिथ की पुस्तक में पृष्ठ ३३ पर यहा गया है कि "अबुल पजल, अबवर के विरोधी वहराम थीं को नीचा दिखाने में अबवर वा पूरा पद्य-पाती है और यहाँ तक कि वह पीर मुहम्मद पर, जो उम जमाने में अबवर वे सर्वाधिक अनिष्टकारी मत्ताहटकारों में से एक था, अदाधित प्रशस्ता की ओछारे करता है।"

आगे पृष्ठ ३८ पर यहा गया है कि "उसी अबुल फजल ने, जिसने माहम अगा वे क्रूर कृत्य का उत्तेजित किया है, (इस महिला ने दो अपहृत हिन्दू महिलाओं को, जिन्हें बाज बहादुर ने अबवर से छिपाकर अपने हरम के लिए रोक लिया था, बल्कि बरवा दिया था ताकि बाज बहादुर को अबवर के साथ धोखेवाजी करने के आरोप में बचाया जा सके) उगी ने अपनी इम पुस्तक में इम दोषी महिला वीं 'बुद्धिमत्ता और बुशाप्रता' की प्रशस्ता भी कर दी है।" अबुल फजल ने माहम अगा और उत्ताकी मत्ती जीव अगा वा वह बार उत्तेजित किया है और उहें 'सदाचार वीं मूर्तियों' यहाँ है। उनकी इम तरह प्रशस्ता किया जाना टीक ही है क्योंकि अबुल फजल में औरतों वे साथ व्यभिचार की वर्मजोरी थी जिसके बारण यह स्वाभाविक ही था कि ये दोनों औरतें और अबवर वे निरन्तर बदनते हरम वीं देस-भान करने वाली दूसरी औरतें उसे हरम में मैं नुनवर औरतें उपलब्ध करनाया करती थीं।

"अबुल फजल ने पीर मोहम्मद के आराध्यों को लाइन किया है और

उसे चेद है कि उस जैसे निष्ठ, योग्य और बहादुर आदमी को इस तरह (नदी में डुबा दिये जाने) की भीत मरना पड़ा !” (पृष्ठ ४२)।

“अबुल फजल ने (मुहम्मद मीरम को, जिसे लकड़ी के शिकंजे में कसकर लगातार पाँच दिन तक यातना दी गई और जिसे शिकंजे समेत हाथी के हृवाले कर दिया गया कि वह उसे उठाकर फेंकता फिरे) इस भयावह वर्वरता का वर्णन किया है, परन्तु भत्सना का एक शब्द भी प्रयुक्त नहीं किया !” (पृष्ठ ५८)।

“थानेसर और अम्बाला के बीच शाहबाद नामक स्थान पर शाह मसूर (अकबर का वित्त मन्त्री) को कोट कछवाहा के निकट एक पेड़ पर सटकाकर (धोयेवाजी के आरोप में) फाँसी दे दी गई। अबुल फजल ने इस जानकारी को दबा दिया वयोंकि फाँसी देने का अप्रिय दायित्व उसे ही सौंपा गया था। यह बात हमें मनसरेट से ही पता लगती है।” (पृष्ठ १३७-१४२) इससे अबुल फजल की सर्वतोमुखी प्रतिभा को एक नया रूप और नई चमक मिलती है क्योंकि अबतक उसे व्यभिचारी, चापलूस और पेटू कहा गया है, परन्तु अब वह जल्लाद भी बन जाता है, मच्छे अर्धों में अकबर का मन्त्री था वयोंकि वह उसकी हर आवश्यकता की पूर्ति करता था। वह अकबर के आदेश पर कलम चलाने, छुरा चलाने और जल्लाद सभी का काम करने को तत्पर रहता था।

अबुल फजल की मृत्यु ५३ वर्ष की अवस्था में हुई। उसीने अकबर को पहली बार यह विचार दिया था कि वह अपनी प्रजा का आध्यात्मिक और सौकिक दोनों प्रकार का नेतृत्व मेंभाले। १५७४ में कुरान की टीका की महायता से वह अकबर को यह बात समझाने में सफल हो गया। एक बार यह कार्य प्रारम्भ हो गया तो उसने उसकी प्रगति बनाये रखी। दरवार में उसे शाही अनुग्रह इतना अधिक मिला कि ईसाई पादरी उसका उल्लेख “वादशाह का जोनायन” कहकर करते हैं। फिर इस बात से कि कुरान के गम्भीर अध्ययन के माध्यम से अबुल फजल अकबर के दिल में स्थान पा सका, एक बार फिर यह बात प्रमाणित हो जाती है कि अकबर पूर्णतः मुस्लिम एवं धर्मनिधि था।

“अबुल फजल की गद्य शैली, जैसी अकबरनामे का श्री बीवरिज का

अनुवाद पढ़ने से पता लगती है, मेरे लिए असह्य है। सीधे सादे तथ्य निरर्थक शब्द जास मे लपेटकर रख दिये गये हैं।" (पृष्ठ ३०२)

भारतीय लेखकों ने मुस्लिम शासकों के बारे मे कुछ कहने हुए यूरोपीय लेखकों की तरह स्पष्टवादिता से काम नहीं लिया और जिस तरह डॉ० श्रीवास्तव की पुस्तक "अबवर, दी ग्रेट" कीन बड़े भागों मे सम्पूर्ण हुई है, उससे स्पष्ट है कि इस भारतीय लेखक के मन मे अबवर के लिए आदर का स्थान है, परन्तु डॉ० श्रीवास्तव ने भी वही कही अबुल फजल की आत्माचना की है।

अबुल फजल के बाल्यनिक अबवरनामे के लिए डॉ० श्रीवास्तव वे मन मे जितना आदर है यह उमकी पुस्तक की भूमिका से पता सग जाता है। विद्वान् लेखक ने लिखा है, "अबुल फजल वे अबवरनामे को अबवर वे जीवन और समय के बारे मे जानकारी वे लिए (जिसी भी अन्य सूत्र की जपेश्चा) नवीनिक महत्व वा मुख्य सूत्र माना जाता चाहिए वयोऽनि इसके लेखक को दरबारी अभिलेखों वा उपयोग करने की सुविधा थी जिनमें अबवर जो कुछ कहता या करता, उमका शब्दश विवरण दिया जाता था और ये विवरण इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से लगाए गये लेखकों द्वारा घटनास्थल पर ही लिये जाते थे। दुर्भाग्य से ये अभिलेख अब नहीं मिलते परन्तु अबुल फजल की कृति हमे विसी भी बाट-छांट या सशोधन-परिवर्द्धन के लिना अपने मूल रूप मे मिल जाती है। विसेट स्थिष्य को अबुल फजल पर बहुत अधिक अविश्वास है; उसने अनुचित रूप मे यह आरोप लगाया है कि फजल ने जानूङ्कर तथ्यों को तौड़ा-मरोड़ा और जालमाझी भी की।"

डॉ० श्रीवास्तव वा यह सोचना गलत है कि अबवर वे जगाने मे उसने द्वारा वीं गई या वही गई हर बात का शब्दश अभिलेख रखा जाता था। ऐसा बोई भी अभिलेख हमे नहीं मिला है, इसी बात से हमारी आँखें धुन जानी चाहिए। यह कहना कि ये अभिलेख नष्ट हो गये, ऊपर से देखने पर इतना ही आकर्षण लगता है जितना यह कहना कि अबवर ने नगरचेन नाम वा एक बड़ा नगर बमाया था जो उसने अपने जीवनपाल मे ही इतना टूट-फूट गया कि अब उसके स्थल का जराना निश्चान भी नहीं मिलता। गिरजार लोकों ने जो धार्मिक बमाया और हुमायूं और दोरसाह ने जो

दिल्ली वसाई, उनके बारे में भी यही बात लागू होती है। इसलिए भारतीय इतिहास के छात्रों को ऐसे झूठे दावों पर विश्वास नहीं करना चाहिए।

यद्योकि कोई अभिलेख या स्मरण-पत्र तैयार ही नहीं किये जाते थे, इसलिए अबुल फज्जल द्वारा उनका उपयोग किये जाने का प्रमाण नहीं उठता। फिर जो फज्जल भोग-विलास में इतना ताल्लीन रहता था और जो अपने आश्रयदाता को प्रमाण करने के लिए जल्लाद का भी काम कर सकता था, और जो पीर मुहम्मद और माहम अंगा जैसे हत्यारों को संरक्षण प्रदान करता था, उसके बारे में समझा जा सकता है कि वह सत्य-कथ्य का विचार करते हुए दरबार के अभिलेखों को पढ़ने का कष्ट करेगा जबकि वह स्वयं अपने स्वामी की काल्पनिक गौरव गाथा को अपनी प्रतिभाशाली कल्पना-शक्ति के सहारे चार चाँद नगा सकता था।

इस तरह विसेंट स्मिथ ने जो आकलन प्रस्तुत किया है वह अधिक सही है। विसेंट स्मिथ को अबुल फज्जल की इतिवृत्त रचना अकबरनामा पढ़कर जितनी विकलता हुई उसे व्यक्त करने के लिए सम्भवतः उसके पास उपयुक्त शब्द नहीं थे।

अबुल फज्जल की इतिहास-पुस्तक के प्रति हॉ० श्रीवास्तव के मन में बादर होते हुए भी उसे यह कहना पड़ा है कि “अबुल फज्जल की शैली कुछ जटिल है और उसके संरक्षक की अत्यधिक चापलूसी से दूषित है। अबुल फज्जल अकबर को अतिमानव मानता था।” (पृष्ठ ४६८-६९)।

यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जटिल शैली वही व्यक्ति लिख सकता है जिसका मस्तिष्क जटिल हो और जो तोड़-मरोड़कर सत्य को छद्मावरण में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता हो या फिर उसे भरपूर प्रशसा के धूएँ में छिपा देना चाहता हो। अबुल फज्जल वे बारे में यह कहना अनुचित है कि वह अकबर को अतिमानव मानता था। अबुल फज्जल इतना अधिक चालाक था कि वह कभी भी अकबर को अतिमानव नहीं मान सकता था। वह अकबर को प्रतिशोध लेने वाला तानाशाह मानता था और इसलिए वह इस बात का ध्यान रखता था कि वह उसका कृपा-पात्र बना रहे। अकबर के अधीन रहकर वह इसी तरह सरल, सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता था।

अकबर के पास चापलूसों की कमी नहीं थी, इसलिए फज्जल को कल्प

कर दिए जाने पर उसे उमसा अभाव अनुभव नहीं हुआ। इसी बान में नहमत होने टूटे डॉ० श्रीवास्तव ने निशा है कि : “अवबर उने (अद्युत फजल वो) अपरिहार्य नहीं मानता था और उमसी सत्ताह वो अनिवार्य रूप में स्वीकार नहीं करता था; कई बार उसने दरवार में दूर रहने का बादेश मार्वंजनिक रूप ने देवर उसे दण्डन किया। उसके मरन पर उसकी बाज पर एक माध्यारण-भा मक्करा बना दिया गया।” इंट-चूने में बना वह निरोना भवन भी अवबरने नहीं बल्कि कुछ स्थानीय मुमलशानों ने बनवाया था। संगभग ४० वर्ष पहले पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने इतिहासों के अस्पष्ट विवरणों की सहायता से इस भवन का पता लगाने का प्रयत्न किया था। परन्तु उन्हें वही चारों ओर बहुत से मक्करे मिले क्योंकि भारत में १००० वर्ष के हिन्दू-मुस्लिम युद्धों के दौरान देश के सभी भागों में स्थान-स्थान पर अनेक मक्करे बन गए थे। हारकर पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने मक्करों का एक ऐसा ममूह निर्धारित कर दिया जिसमें उनके अनुमार अद्युत फजल का मक्करा होना चाहिए। उन्होंने इस प्रश्न का समाधान इन प्रत्यार दिया कि इन कड़ों में से एक बड़ा दूमरी कड़ो से संगभग एक फुट छेंची थी। बाद में वह वो पुरातत्व विभाग ने अभिलेखों में अद्युत फजल की कड़ा मान निया गया और उसके अनुरद्धरा के उपाय किये गए। तभी उस बाज पर एक छोटा-सा बमरा बना दिया गया। स्पष्ट है कि अद्युत फजल के उम मक्करे की भी उपेक्षा ही हुई है।

इस तरह हम देखते हैं कि जिस स्थान पर अवबर के प्रिय ‘रल’ का कल्प हुआ था, उम स्थान वो निशानी रखने वो चिन्मा भी अवबर ने नहीं की, भव्य मक्करा बनाने की तो बात ही नहीं है, जिसके लिए मुमलनमानों को उत्साही बताया जाता है। इससे इतिहासकारों को भी यह अनुभव हो जाना चाहिए कि जिन्हे हम भव्य मक्करे रहने हैं वे प्राचीन हिन्दू भवन तथा प्रासाद थे जिनका उपयोग मुस्लिम दिजेनाओं ने शब दफनाने के लिए किया। जहाँ कोई हिन्दू प्रासाद या मन्दिर सुनभ नहीं या वहाँ अद्युत फजल जैसे नोगों की भौति गबों को माध्यारण कड़ों से ही सन्तोष करना पड़ता था। उन्हें अवबर, जहाँगीर, भुमनोज बेगम या हुमायूं की भौति भव्य हिन्दू भवनों में दफन होने का सौझाय नहीं मिला।

जब जहाँगीर ने अद्युत फजल के पात्तण के बारे में अवबर को बताया

तब अकबर ने अबुल फजल पर दिलावटी स्प में गुस्ता प्रकट किया। परन्तु डॉ० श्रीवास्तव का विचार है कि “शायद उसने सलीम को प्रसन्न करने के लिए ऐसा किया क्योंकि कुछ ही दिन बाद इसी इतिवृत्तकार के प्रति उसकी अनुकम्भा पुनः हो गई थी।” (अकबर, दी ग्रेट, पृष्ठ ४६१)। अकबर और अबुल फजल के बीच साँठ-नाँठ होने का यह एक प्रमाण है। परन्तु डॉ० श्रीवास्तव का यह विश्वास गलत और अनुचित है कि अबुल फजल इतिवृत्तकार था।

### अबुल फैज़ी

अबुल फजल के बड़े भाई अबुल फैज़ी को भी अकबर के रत्नों में गिना जाता है। कहा जाता है कि वह शायर था, यद्यपि किसी भी सम्मानित सग्रह में उसका उल्लेख या उद्घरण देखने को नहीं मिलता। फैज़ी का जन्म आगरे में सितम्बर, १५४७ में हुआ था। उसे दिसम्बर, १५६८ में अकबर से मिलाया गया था, तब उसका पिता आगरे में भाग निकला था क्योंकि उसे पता लग गया था कि अकबर उसका क्षत्त करवा देना चाहता था। कुछ समय तक फैज़ी को शाहजादा मुराद को पढ़ाने का काम सौंपा गया। बाद में उसे आगरे का सदर नियुक्त किया गया। १५८८ में उसे राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। उसे और अमीर छुसरो को मध्य-कालीन भारत में फारसी के दो उल्लेखनीय कवि माना जाता है। कहा जाता है कि फैज़ी ने लगभग १०१ पुस्तकें लिखी। परन्तु हमें इन दावों को स्वीकार करने से पहले उनकी भली प्रकार और सावधानी से जांच कर लेनी होगी। कभी-कभी फैज़ी को राजदूत बनाकर भेजा जाता था। १५६२ में वह ऐसे ही एक मिशन पर दक्षकन में गया। शनिवार, (४ या ५ अक्टूबर, १५६५) के दिन आगरे में उसकी मृत्यु हो गई।

विसेंट स्मिथ को फैज़ी के कवि-गुण के प्रति तनिक भी आदर नहीं है। अपनी पुस्तक में पृष्ठ ३६१-६२ पर उसने लिखा है कि “(अकबर के दरबार में) तुकबन्दी करने वालों या तथाकथित कवियों की संख्या बहुत थी।” अबुल फजल ने लिखा है कि हालाँकि अकबर उनकी उपेक्षा करता है, फिर भी ‘हजारों की संख्या में वे लोग दरबार में बने रहते हैं।’ वास्तव में चाँदी के टुकड़ों पर तुकबन्दी करने वाले इन लोगों को समकालीन ईसाई

पार्श्वियोंने भूल में इनिवृत्तवार ममज्ज लिया है। इसनिए यदि भारत में मुस्लिम शासन का कोई उल्लेखनीय अभिलेख नहीं मिलता है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हमें जो कुछ देखने वो नहीं मिलता है, वह गुण-कथन सम्बन्धी गाथाओं का समूह है जिसके नीचे पाद्धतिक वृत्तियों को छिपा दिया गया है। “जहाँ तक मैं समझता हूँ, अवबर के बात की भारतीय फारसी की कृतियों में साहित्यिक कला के नाम पर कुछ भी प्राप्त नहीं है। फारसी के अधिकाग शायरों के भट्टेपन और घिनोनेपन की तुलना में एक महान् हिन्दू (रामचरित मानस वे रचयिता तुलसीदास) के ओजस्वी, विशुद्ध काव्य को देखकर सन्तोष होता है। वह मध्यवाल के हिन्दू काव्य में सर्वाधिक थोड़ वृत्ति है। उसका नाम आईने-अवबरी में या किसी और मुहिलम इतिवृत्तकार की पुस्तक में नहीं मिलेगा [जो इस बात का एक और प्रमाण है कि मध्यकाल की मुस्लिम शासन व्यवस्था बेतत मुसलमानों के लिए बनी थी; उसका नाम फारसी इतिवृत्तकारों वे विवरणों पर अध्यारित यूरोपीय पुस्तकों में भी नहीं मिलेगा, (वलिक कुछ भारतीय पुस्तकों में भी नहीं मिलता) परन्तु किर भी वह हिन्दू भारत में अपने समय का महानतम् व्यक्तिया या क्योंकि जहाँ तक लाखों, करोड़ों नर-नारी वे मन को जीतने का सम्बन्ध है, इस महान् विदि की सफलता निश्चय ही अवबर की सभी विजयों की तुलना में अधिक दीर्घकालीन और अधिक महत्त्व की थी और इस दृष्टि से वह अवबर से भी अधिक महान् था। ऐसा प्रतीत होता है कि बादशाह या अबुल फज्जल का ध्यान इस विदि की ओर नहीं दिलाया गया। साधारण ब्राह्मण मातान्पिता को मनान होने वे नाने तुलसीदास को शिला आदि की कोई विशेष मुविधा प्राप्त नहीं थी। अबुभ घटी में जन्म होने के कारण उसके मातान्पिता ने जन्म होते ही उसे भाग्य वे महारे छोड़कर त्याग दिया था। परन्तु भाग्य का विधान ऐसा या ति उसे एक साधु ने उठा लिया और उसने उसका पालन-पोषण भी किया और पुरातन रामचरिता की शिला भी दी।”] अबुल फज्जल ने ५६ विदियों की वृत्तियों से कई उद्धरण दिए हैं। भैं इनमें अप्रेर्णी स्थानतर की पद्धा है और उनमें मुझे एवं नाम भी उद्भूत करने शोग्य नहीं लगा। यद्यपि इन उद्धरणों में त्रिन विदियों की वृत्तियों वे सन्दर्भ हैं, उनमें उसका भाई अबुल फज्जी भी सम्मिलित है जिसे अबुल फज्जल ‘विदियों का बादशाह’ मानता है

और जिसके विचारों को वह 'विचार-मणि' मानता है। अधिकांश लेखकों<sup>६</sup> ने 'प्रेम' शब्द का दुरुपयोग अपवित्र वासना की पूर्ति के लिए किया है और फैजी इस पाप-कर्म में औरों की तरह ही बड़ा-चड़ा है। वहुत से व्यक्ति, जो कविता के सम्मानित पद का दावा करते थे, वास्तव में पद-पत्रिकाओं की तुकचन्दी करने वाले लोगों से किसी तरह अधिक उत्तम नहीं थे। ये लोग अपनी उलट-प्रतिभा का उपयोग शब्दों को तोड़ने-मोड़ने आदि छोटे-मोटे कामों में करते रहते थे।... ब्लोचमैन का विचार था कि दिल्ली के अमीर खुसरों के बाद मुस्लिम भारत में फैजी से बड़ा कवि नहीं हुआ। ब्लोचमैन के निष्कर्ष को मही मानते हुए भी मुझे कहना होगा कि मुस्लिम भारत के दूसरे 'कवियों' की कोई कीमत नहीं रही होगी। ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसी कोई तथ्यपूर्ण बात नहीं लिखी जिसे अनुवाद किए जाने योग्य समझा जाए। प्रायः सभी कवि उस गन्दगी से दूषित हैं जिसका उत्तेज किया गया है।"

इस तरह विसेंट स्मिथ ने केवल फैजी ही नहीं बल्कि शेष सभी मुस्लिम लेखकों के साहित्यिक योग्यता सम्बन्धी ऊपटाग दावों का भण्डा-फोड़ भली प्रकार कर दिया। एक हजार वर्ष के मुस्लिम शासन के अधीन सामूहिक चाटुकारिता के बातावरण में जो वृत्तान्त, कविताएं और हिन्दू कृतियों के जो अनुवाद लिखे गए उन्हे मुमलमानों की विद्वत्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। स्मिथ ने इन दावों का प्रभावशाली खण्डन यह कह-कर किया है कि इन वृत्तान्तों में कही भी सच्चाई के दर्शन नहीं होते और कविताओं में कही भी उदात्त विचारों, कल्पना और काव्य-गुण के दर्शन नहीं होते। इसलिए जो पाठक वास्तविक इतिहास को खोज निकालना चाहते हैं उन्हे मध्यकालीन मुस्लिम प्रचार के प्रति सावधान हो जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि अल बहनी और बदायूंनी जैसे लेखकों के बारे में यह जो दावा किया जाता है कि उन्हे लगोल-विद्या और सरकृत तथा ज्यामिति और भूगोल का विशेष ज्ञान प्राप्त था, वह निपट अशिक्षा के उस काल को देखते हुए एकदम अतिशयोक्तिपूर्ण हो।

### टोडरमल

टोडरमल राजपूत क्षत्रिय था। पहले-पहल उसे अव्वर की सेना का लेखा रखने के लिए एक छोटे पद पर नियुक्त किया गया था। एक विश्वम-

नीय रिट्टू मिढ़ हो जाने पर उसे पदोन्नति का अवनर मिला। मानभिंह वो तरह उने भी इस बाम पर लगाया गया था कि वह अभिनामी राजपूत मूलियाओं को इम बाम के लिए नहनत करे कि वे अपनी पुनिर्जी अबवर के हरम के लिए प्रस्तुत करें। कई बार मानभिंह और टोडरमन ने स्वयं दफ्त प्रदोष करके ऐसी बच्चाएं अबवर के हरम के लिए प्रस्तुत की। १५६३ में टोडरमन ने मिकन्दर शाह को दवाने के लिए खेजा गया जो उन दिनों अचोध्या के क्षेत्र में परेशानी वा कारण बना हुआ था। टोडरमन को इन अभियान में और बाद में सौयं गये अभियानों में सफलता मिली। अबुल फजल की तरह टोडरमन भी बुशन लिद्द हुआ। अबवर का कुचान्द्र दवाने का यह मवसे अच्छा ढग था। १५७६ में जब अबवर ने गुबरान वो विजित किया तब टोडरमन को यह बाम सौंपा गया कि गुबरानियों न इनना अन बमूल रिया जाये दिनमें अभियान की पूर्ण दातिपूर्ति हो जाये, और इसके अतिरिक्त भी पर्याप्त मम्पति लाही खजाने में जमा वह जा सके। टोडरमन ने यह बाम इतनी कुशलता से लिया कि गुबरान प्रदेश में, जो पहने ही दरिद्र था, ऐसे अभूतपूर्व दुर्भिय का प्रकोप हुआ। अबवर के इतिवृत्त लेखकों के लिए यह आवश्यक था कि वे टोडरमन की वित्तीय प्रतिभा का अन्युक्तिपूर्ण वर्णन करते, स्योंविं वह गरीब, पददलित और नि नहाय प्रजा ने ये सावन करना था जिसने अबवर का लाही यज्ञाना भरता था और चाटकार अमीरों का पालन-पोपय हीना था, परलु ऐसा कोई कारण नहीं है कि आज के लेखक भी उनका अध्यानुहरण दरते हुए उन्हीं की जीनी में टोडरमन की "वित्तीय जादूगरी" वरी प्रगति बताने जाएं। स्वतन्त्र विचारक विमेट स्मिथ ने अपनी पुस्तक में (पृष्ठ २५०-५४ पर) उचित ही लिया है कि "राज्य में विधिवन् वर-निर्धारण की जिस व्यवस्था के लिए अबवर और टोडरमन वो इनका अधिक थेव दिया जाना है, उनका मुख्य उद्देश्य लाही राजस्व में बढ़ि बरना था। अबवर बहुत मम्पद व्यवसायों पा, वह उदार व दयानु व्यक्ति नहीं था। उनकी मम्पूर्ण नीति का मुख्य उद्देश्य यह था कि सत्ता और सम्पत्ति दो बदाया जाये। जामीरों के मम्पन्ध में मधी घ्यवस्थाओं, (पोडी पर) मोहर भगाने की घ्यवस्था आदि मवका एक ही उद्देश्य था कि दोदगाह की सत्ता, गोरदं पन-मम्पति में बढ़ि वी जाये। उसके स्थाइपिन प्रधासनिर्म मुधारों का

सामान्य जनता के दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं मिलती। हीं, इतना अवश्य है कि इन सब उपायों को कार्यान्वित करने के बाद भी अकबर के शामन के अन्तिम भाग में, १५८५ से १५९८ तक भयकर अन्नाल पड़ा जिसके कारण उत्तरी भारत बीरान हो गया।” टोडरमल द्वारा बनाई गई भूमि-कर की जिस व्यवस्था की सामान्य भारतीय इतिहासों में इतनी अधिक प्रशस्ता की जाती है, उसके सम्बन्ध में बदायूँनी ने अपनी पुस्तक में (पृ० १६२, भाग २) लिखा है कि “भरीब जनता में बरो की यह वमूली इतनी सृष्टी के माथ की जाती थी कि लोगों को अपनी पत्ती और बच्चे बेच देने पड़ते थे। गुलाम बनाकर उन्हे बिदेशों में भेज दिया जाता था। राजा टोडरमल ने करोड़ियों को काढ़ में किया, उनपर विभिन्न प्रकार के जुल्म किये गए और उन्हे अस्याचारपूर्ण दण्ड दिये गए, जिससे कुछ करोड़ियों की मृत्यु तक हो गई। जिन करोड़ियों को बन्दी बनाया गया उनमें से कुछ की मृत्यु कारावास में ही हो गई। उनके लिए किसी जल्लाद की आवश्यकता नहीं पड़ी और किसी ने उनके लिए कफन जुटाने की भी परवाह नहीं की।... अकाल और आपदा के समय माता-पिता को इस बात की छूट थी कि वे लगान का भुगतान करने के लिए अपने बच्चों को बेच सकते थे।”

इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि (२८ जुलाई, १५८७ को रात के समय) खन्नी परिवार के एक व्यक्ति ने वैयक्तिक दुश्मनी के कारण टोडरमल पर घातक प्रहार करके उसे घायल किया हो। उस व्यक्ति को कत्ल कर दिया गया।

अबुल फजल ने टोडरमल का जो विवरण दिया है, उसपर टिप्पणी करते हुए ब्लोचमैन ने लिखा है कि “मुमलमानों का कृपामान बनने के लिए टोडरमल किस सीमा तक आगे बढ़ जाता था, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यद्यपि भारत में हिन्दुओं का भारी बहुमत था और पुराने समय में वह लेखा-जोखा देशी भाषाओं में रखा जाता था, परन्तु टोडरमल ने पहली बार आदेश दिया कि “सल्तनत का मव हिसाय-किताब अब से फारसी में लिखा जायेगा। इस तरह अपने स्वद्यमविलम्बी व्यक्तियों को अपने शासकों के दरवार की भाषा सीखने को विवश कर दिया।”

ब्लोचमैन ने बदायूँनी के हवाले से लिखा है कि अकबर ने ऐसे “आदेश

जारी किये थे कि सामान्य जनता अरबी भाषा न सीमे बगोकि ऐसे लोग सामान्यत बाकी उत्पात का कारण बनते हैं।" यदि स्वयं अकबर ने यह अनुभव किया था कि अरबी भाषा का प्रसार इगड़े का कारण बनता है तो यही बात फारसी पर भी लागू होती है। अरबी भाषा को दृटावे जाने को उचित बताते हुए डॉ० श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक में (पृष्ठ ३८७, भाग १) लिखा है कि "स्पष्ट है कि अरबी भारत की जनता की भाषा नहीं हो सकती थी।" परन्तु वे भूल जाते हैं कि फारसी भी भारत के निए बेसी ही विदेशी भाषा है।

टोडरमल ने मुमलमानो के पश्च में बाम किया, परन्तु उसे इन दात वा श्रेय देना होगा कि जीवन के अन्तिम क्षण तक वह कट्टर हिन्दू बना रहा। उसे मुस्लिम धर्म में लाने के लिए उसपर प्रत्यक्ष तथा परोक्ष हा मे जो भी दबाव डाले गए, उनका उसने सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। एक बार जब रह पजाब में एक अभियान पर जाने वाला था, तब उसने देखा कि उसके घर के मन्दिर में सभी मूर्तियाँ और पूजा की गामर्ह गायब थीं। स्पष्टत मुमलमानो ने इस परोक्ष विधि में उसे यह बताने का प्रयत्न किया था कि वह हिन्दू विधि में पूजा और प्रार्थना किये विना रह सकता है। प्रार्थना करने के अवसर से बचित हो जाने की घ्यथा वे बारण बेनारा गरीब टोडरमल तीन दिन तक जल व अन्न ग्रहण नहीं कर सका। अन्तत उसे मूर्तियों भी चोरी के मामले में मन बो ममझा लेना पड़ा।

अपमान, पीड़ा और निरादर में तग आकर टोडरमल ने त्याग-पद्ध दिया और वह बनारस और हरिद्वार में जाकर रहने लगा, परन्तु उसे पुनः नौवारी पर बुनाया गया। उसके बाद वह अधिक दिन जीवित नहीं रहा। ५४ वर्ष की अवस्था में १० नवम्बर, १५८६ को नाहोर में उसका देहान्त हो गया।

### मानसिंह

मानसिंह जयपुर के महाराजा भारमल वा पोता था। अपने पिता और दादा की तरह उसने भी अपनी पुरानी राजपूती परम्परा को भुलाकर 'इमाम की तलबार चलाई' और विदेशी मुस्लिम शामबां और अमीरों को इस बात की छूट दी कि वे जब चाहें, उसके परिवार में से औरतों को

उठा ले जाएँ। इसलिए राणा प्रताप उसके प्रति धृणा करता था। एक बार वह अकबर की ओर से बातचीत करने के लिए राणा प्रताप के निवासस्थान पर गया, तब देश-प्रेमी राणा ने मुसलमानों के पिट्ठू मानसिंह के साथ भोजन करने में इन्कार कर दिया। मानसिंह के चले जाने के बाद उसने उम जगह से, जहाँ दोनों की मुलाकात हुई थी, मिट्टी को खुदवा दिया, उसे पवित्र किया और सभी वर्तनों को पवित्र कराया एवं उन्हे दासता की कालिमा से मुक्त किया। मानसिंह की बहन का विवाह जहाँगीर से हुआ था, जबकि उसकी बुआ का विवाह अकबर से हुआ था।

मानसिंह का जन्म अम्बर में हुआ था। वह अकबर की सेवा में उस समय आया जब उसके दादा भारमल ने अपनी पुत्री अकबर के हरम में भेज दी। १६४५ हिजरी में उसे राणा प्रताप के विरुद्ध अभियान में भेजा गया और अगले चर्चे उस महान् राणा से उसका सामना हल्दी घाटी में हुआ। जब मानसिंह का चाचा भगवानदास पजाव का गवर्नर नियुक्त किया गया तब मानसिंह को सिध नदी के साथ लगने वाले जिलों का नियन्त्रण सौंपा गया। बाद में उमेर शांति स्थापना के लिए कावुल भेजा गया। अद्युल फजल का कथन है कि शाही दरबार में धोखेवाजी, व्यभिचार और धर्मान्धता को देखकर उसका चाचा भगवानदास पागल हो गया था और बाद में उसने आत्महत्या कर ली थी। १६६८ हिजरी में उसकी मृत्यु के बाद उसे राजा का पद मिला। उसके अधीनस्थ मुसलमानों ने उसके विरुद्ध शिकायत की कि वह उनकी धर्मान्धता की तुष्टि नहीं होने देता, जिसपर उसे कावुल से वापस बुला लिया गया और विहार का गवर्नर बनाकर वहाँ के पूरनमल और राजा सग्राम जैसे देशभवत और दीर हिन्दू शासकों को दबाने के लिए भेजा गया। अकबर के शासन काल के ३५वें चर्चे में मानसिंह को उडीसा पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। वह जगन्नाथ पुरी पर आक्रमण करके उसे अपवित्र किया था। मानसिंह ने एक बार फिर उडीसा पर हमला किया और उमेर अकबर के राज्य में मिला लिया। आगे का प्रसिद्ध ताज-महल इसी मानसिंह की सम्पत्ति था। उसके पोते जयसिंह से यह महल अकबर के पोते शाहजहाँ ने हडप लिया और बेगम को दफन किया। मानसिंह अकबर के बाद भी जीवित रहा, जहाँगीर के शासनकाल के नौवें चर्चे

में उगवी मृत्यु हुई। जहोगीर ने अपनी पत्नी मानसिंह को, जो मानसिंह की बहन थी, बतल कर दिया था। मानसिंह ने एक पड़्यन्त्र रखकर यह प्रयत्न किया कि जहोगीर को गढ़ी पर बैठने से रोका जाये। उसने जहोगीर के बेटे खुमरु को अकबर की मृत्यु के पश्चात् बादशाह घोषित कर दिया।

(मानसिंह ने अपना सारा जीवन अब्दर के आदेश पर युद्ध करने में ब्यानीत किया। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से वह इस्लाम के प्रमार में महायता देने में लगा रहा। किर भी अब्दर उससे घृणा करता था। एक बार नरो की हालत में अब्दर ने मानसिंह का गला पोट देने का प्रयत्न किया था। बुछ अन्य उपस्थित दरबारियों ने उसे बचा लिया। १६०५ में अब्दर ने जहर की गोलियाँ खिलाकर मानसिंह को मार डालने का प्रयत्न किया। परन्तु दुर्भाग्य से अब्दर का यह बुचक उन्टे उमपर ही चल गया। उसने एक जैसी दिलाई देने वाली दो तरह की गोलियाँ तैयार की थीं। एक में जहर था और दूसरी निरापद थी। गलती से जहर वाली गोलियाँ वह युद्ध सा गया और निरापद गोलियाँ उसने पूरे विश्वास के साथ मानसिंह को दे दी, परिणाम यह हुआ कि अब्दर की मृत्यु हो गई जबकि मानसिंह जीवित रहा। मुस्लिम दरबार में वासना और धोखेवाली के बातावरण से दुसरी होकर मानसिंह के सड़वे जगन्सिंह और उसके साथियों ने अत्यधिक शराब पीकर आत्महत्या कर ली।

### मिर्जा अजीज कोका

मिर्जा अजीज कोका रिश्ने में अब्दर का भाई था। अब्दर के तानाशाही घ्यवहार के बारण उसने अब्दर के प्रति विद्रोह किया। अजीज कोका ने अपने घोड़ो पर शाही मोहर लगवाने से इन्वार किया। अब्दर गी ओर से बदला लिये जाने वा सन्देह होने पर वह ढूँयू को पुतंगालियों से ढीन लेने के बहाने उम द्वीर में भाग गया। १५६३ में वह अपनी दृढ़तनी पलियो और बच्चों के साथ मवता की ओर चल दिया, जिससे उसे आत्मिक शान्ति प्राप्त हो सके। यहाँ भी उसे शान्ति नहीं मिली ब्योकि "मवता में वादा के मुस्लिम मुस्लिमों ने उसे बंदरमी के साथ मूटा।" इसनिए वह अनिच्छापूर्वक वापस अब्दर के दरबार में यह गोचबर आ गया कि यह जगह मवता की अपेक्षा अधिक अच्छी है। जीवन के दोष वार्ष वह

यही रहा, इस्लाम के प्रति उसका आकर्षण काफी ठंडा पढ़ गया था। जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव देखने के बाद जहाँगीर के शासन के १६वें वर्ष में निराशा, असन्तोष और उन्माद की स्थिति में उसका देहाक्षान अहमदावाद में हुआ।

### अब्दुल रहीम खानखाना

अब्दुल रहीम खानखाना वहराम खाँ का पुत्र था। जब अब्दुल रहीम चार वर्ष का था तब अकबर के कहने पर उसके पिता का कत्ल कर दिया गया था, हालांकि वहराम खाँ अकबर का सदनिष्ठ और उत्साही सरकार था। वहराम खाँ की हत्या के बाद बालक रहीम और उसकी माता सलीमा सुलनान को अकबर के दरवार में लाया गया जहाँ सलीमा को इच्छा न होने पर भी अकबर की पत्नी के रूप में रहना पड़ा। रहीम ने अपने पिता की हत्या और विद्वा भाँ के अपहरण की परवाह न की। दरवार के कपट-पूर्ण जीवन का वह अभ्यस्त हो गया था। उसने अपना शेष जीवन अकबर की ओर से युद्ध करने एवं कविताएँ सुनाकर उसका कपट दूर करने में विताया। उसका जन्म लाहौर में ६६४ हिजरी में हुआ था। रहीम का आदर्श यह था कि “दृश्यमन पर अपनी दोस्ती की आड में चोट करो।” सभी उसपर विट्ठेपूर्ण और विश्वामधाती होने का आरोप लगाते हैं। उसका शब्द हुमार्यूँ के तथाकथित मकबरे के पास एक पुराने हिन्दू भवन में, जहाँ वह रहा करता था, दफन पड़ा है। वह वही स्थान है जहाँ वह अपने जीवनकाल में रहता था। हिन्दू शैली के शक्ति चक्र (आपस में गुंथे हुए दो त्रिकोण) अभी भी इस भवन के चारों द्वारों पर देखे जा सकते हैं। उसके गुम्बज पर हिन्दू शैली के नीले टाइल लगे हैं (जैसे खालियर के किले के हिन्दू महल में हैं) जिनके कारण मुसलमान इसे नीला दुर्ज कहा करते थे।

### बीरबर (बीरबल)

बीरबर को सामान्य बातचीत में बहुधा बीरबल कहा जाता है। दोनों शब्द एक-दूसरे से बहुत भिन्न हैं। बीरबर शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ योद्धा और बीरबल शब्द का अर्थ है योद्धा की शक्ति। ममकालीन मुस्लिम इनिवृत्तीं में बीरबर शब्द का प्रयोग किया गया है। बीरबर का जन्म १५२८ में एक

निर्धन व्राह्मण परिवार में हुआ था। उसका मूल नाम महेशदास था। छोटी आयु में वह अम्बर वे राजा भगवानदास के सेवकों में सम्मिलित हो गया था। जब अब्दवर गही पर चौथा तब भगवानदाम ने बीरबर उसे खेट में दिया। उस समय महेशदाम अपने-आपको ब्रह्मकवि बहा करता था। अब्दवर के दरखार में वह एक बहुत छोटे पद में उन्नति करता हुआ इस बड़े पद पर पहुँच गया था क्योंकि अब्दवर ने बीरबर वे हथ में ऐसे एक व्यक्ति को देखा जो उसके आदेश पर कोई भी काम कर सकता था। किसी को करत भी कर मानता था और जो मब बलाओं में सिद्धहस्त था। अम्बुल रहीम की तरह महेशदाम भी कविताएँ बनाकर अब्दवर का मन बहलाया करता था। १५७४ में उमे नगरकोट के बैध शासक जयचन्द के स्थान पर नेगर-कोट का शासक बनाने का प्रयत्न विद्या गया। अब्दवर के लिए यह एक माध्यारण नीति थी कि वह किसी हिन्दू राजा के राज्य को छीनकर उसपर अपनी किसी कठपुतली को राज्याधिकार दे देता था और मुस्लिम मत्ता वे बल पर उसे शासक हिन्दू राजा के प्रतिद्वन्द्वी के रूप में खड़ा कर देता था। इसी नीति के अनुसार बीरबर को उत्साया गया कि वह नगरकोट का राजा कहनाना चाहता हो तो उस राज्य के विरुद्ध मुद्द-अभियान करे। बीरबर ने इस अभियान का नेतृत्व लिया, जिसमें नगरकोट के मुख्य मन्दिर की पवित्र हिन्दू मूर्ति और उसका छत्र मुसलमानों की लूट का शिकार हुए। मुस्लिम आत्ममणकारियों ने २०० गायों को मारा और उनका खून अपने जूतों में भरकर उसमें मन्दिर की दीवारों पर छाप लगाई। ऐसे अत्याचार करने के बाद भी बीरबर वो नगरकोट का राजा न बनाया जा सका। सातवना देने के लिए कुछ मोना और कालिजर में एक जागीर देने वा प्रस्ताव लिया गया। परन्तु उमे इसका भी आनन्द लेने वा अवसर नहीं दिया गया। १५८३ में उमे आदेश मिला कि उत्तर-पश्चिमी सीमात पर यूसुफ़ जई अफ़गानों के विद्रोह को दबाने वे लिए प्रस्ताव करो। इस अभियान के दौरान उमही हन्या करा दी गई। अपने-आपको शाही दरवार का इतिवृत्त लेखक बनाने वाले बदायूँनी ने अपनी धर्मान्ध्र और धिनीनी इस्लामी शैली में लिखा है कि “अपने कई दुष्कर्मों वे परिणामम्बहूप बाफिर बीरबल दोड़त में दूमरे काकिरों से जा मिला।” किसी हिन्दू की हत्या का उत्तेज करते हुए बदायूँनी ऐसी ही असृयत और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता

है। उदाहरण के लिए नवम्बर, १५८६ में लाहौर में पांच दिन के अन्तर से हुई राजा भगवानदास और टोडरमल की मृत्यु का उल्लेख करते हुए वदायंनी ने लिखा है कि “दोनों ने यन्मणामय नरक को प्रस्थान किया। जहाँ वे माँपो और विच्छुओं का साथ बने। परमात्मा उनकी आत्मा को विनष्ट करे।” वदायंनी को सम्भवतः यह जात नहीं है कि जिन हिन्दुओं के बारे में उसने लिखा है कि वे नरक में गये, उनकी सूची प्रस्तुत करने का निहितार्थ क्या है। इन हिन्दुओं के बारे में इतना निश्चयपूर्वक लिख सकने की स्थिति में होने का स्पष्ट अर्थ है कि वह स्वयं सबसे पहले उस नरक में पहुंचा होगा ताकि उनकी अधिकृत सूची बना सके।

अकबर-बीरबल विनोद के बारे में जो कहानियाँ भारत में प्रचलित हैं, वे किसी चतुर लेखक द्वारा गढ़ी गई हैं और दूसरे लेखकों ने समय-समय पर उनकी सङ्घा में वृद्धि की है और उन्हे अकबर-बीरबल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देने का प्रयत्न किया है। असली बीरबल का जीवन हँसी और कविना से बहुत दूर जघन्य, खतरनाक और अत्यधिक धृणित था।

### तानसेन

तानसेन का जन्म १५३१-३२ में किसी समय ग्वालियर से २७ मील दूर बेहत गाँव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सगीत की उमकी बारम्भिक शिक्षा ग्वालियर में हुई जिसकी उच्च श्रेणी के हिन्दू सगीत में अपनी परम्परा थी। गायक के रूप में तानसेन को अपार ख्याति मिली है। कहते हैं (वृद्धावन के) एक साधु भगीतज्ञ हरिदास ने भी तानसेन को सगीत की शिक्षा दी थी (उसने भाटा (आधुनिक रीवा) के राजा रामचन्द्र के यहाँ दरवारी सगीतकार के रूप में सेवावृत्ति प्रारम्भ की)। उच्च कोटि का गायक होने के कारण उसे यहाँ तानसेन की उपाधि मिली। १५६२ में जब अकबर ने उस राज्य पर आक्रमण किया तब तानसेन को वहाँ से स्थीर लाया गया। वदायंनी के विवरण के अनुसार (पृष्ठ ३४५), “तानसेन अपने हिन्दू आश्रमदाता को छोड़ना नहीं चाहता था। अन्त में, जलाल साँ कुच्ची (एक जबरदस्त मुस्लिम सेनापति) ने आकर उसे अपना कर्तव्य समझने को विवश किया।” तानसेन को प्रायः इस बात के दृष्टान्त के रूप में येश किया जाता है कि अकबर सगीत को वित्तना प्रोत्साहन देता था। परन्तु यह एक झूठा दावा है। अकबर के दरवार में लाए जाने से पहले भी तानसेन एक सफल सगीतकार था। बाल्लव में स्लैट ऐ बैसिलस्ट द्वी उसे ले डूँचा। अपने सगीत में सुधार करने की अपेक्षा तानसेन के संगीत का विशुद्ध हिन्दू स्वरूप समाप्त ही गया और उसमें दरवार की चरित्रहीनता आ गई, जहाँ सगीत का सम्बन्ध मन्दपान और वैश्यावृत्ति के साथ जोड़ा जाता है। अकबर

बी आक्रामक मेनाओं से बचने के लिए रामचन्द्र को पुर्णो, महिलाओं, सोना, हीरे-जड़ाहर और घुड़सवार एवं पैदल सैनिकों सहित तानसेन को भी अबवर को समर्पित करना पड़ा, उस समय तानसेन फट-फट कर रोया। अबवर के दरवार में जाकर तानसेन बहुत हुस्ती था। ऐसी कहानियाँ कि

करने के बाद उसकी मर्त्यु १५८८ में हुई, उसका शब्द खालियर किने के ममीप मुहम्मद गौम के मजार के पास एक पूर्ववर्ती मन्दिर में दफन है। ये दोनों जहाँ दफन हैं, वहाँ आमपाम का थोक एक बड़े मन्दिर के ध्वसावशेषों से भरा पड़ा है। भारत और पश्चिम एशिया के मन्दिरों की तरह खालियर के किने के पास बने मन्दिरों को भी बन्निस्तान के रूप में काम लिया गया। ये अबवर मूल रूप में अबवर नहीं थे प्रत्युत मन्दिर थे।

### हकीम हुमाम

अबवर का बाबर्ची हकीम हुमाम भी अबवर के नवरत्नों में गिना जाता है। जिस दरवार में खाने और शराब पर अधिक जोर रहता हो, वहाँ उसे रत्नों में गिना जाना स्वभावित है। बाबर्चीखाने के अधीक्षक के रूप में उसे विद्या प्रबन्धन तैयार बराने पड़ने थे अन्यथा उसे अपने जीवन का समरा या। परन्तु बदायूंती ने निराहे कि अबवर को यह सन्देह रहता या कि हकीम हुमाम ने उसे ज़हर दिया है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि सभी दूसरे व्यक्तियों वी तरह हकीम हुमाम भी अबवर से घृणा करता था।

विसी प्रामाणिक इतिहास में हुमाम का बोई उत्तेज नहीं मिलता, इसमें स्पष्ट है कि उसे विनाना कम महत्व दिया जाता था। इस प्रकार नवरत्नों की बहानी चापलूम दरवारियों ने उनकी एष्पान्डूप्टि प्राप्त करने के लिए गढ़ी थी।

इस तरह जिन्हे नव-रत्न बहा जाता है, वे निस्लेज रत्न एवं अबगर-वादी थे जो आपम में एक-दूसरे की जड़ काटने में लगे रहते थे। उन गवका जीपन मरण और महज नहीं था। हमने पहले अबवर का यह कथन 'उद्धृत किया है कि 'मैं इसी दरदारी को किमी रूप में भी दोगए नहीं समझता'। ये दरदारी अबवर से पृणा करते थे जिसका गवेत उनके व्यवहार में मिल जाना है। नवरत्नों सम्बन्धी विवरणों में अबवर का यह घटने की अपेक्षा कम ही होता है।

: २४ :

## इतिवृत्त लेखक

अकबर के सम्बन्ध में, और यह बात भारत के प्रत्येक मुस्लिम शासक पर लागू होती है, समकालीन अभिलेखों की खोज करते हुए दो परस्पर विरोधी बातें हमारे सामने आती हैं। प्रत्येक लेखक को आपसि है कि कोई महत्त्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं है और साथ ही विश्वासपूर्वक यह भी कहा जाता है कि अकबर के प्रत्येक कथन का पूर्ण अभिलेख प्रभूत परिमाण में तैयार किया गया था, परन्तु वह भव पूर्णत विलुप्त हो गया है। ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं परन्तु यदि इन्हे समुचित सन्दर्भ में समझा जाये तो दोनों का अधीचित्य स्पष्ट हो जाता है। विसेट स्मिथ के अन्तिम असमजस से यह सम्भ्रम प्रत्यक्ष हो जाता है।

अपनी पुस्तक 'अकबर दी ग्रेट मुगल' की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि "सोलहवीं शताब्दी के किसी यूरोपीय शासक के जीवन, चरित्र और शासन के बारे में लिखने वाले इतिहासकार को विपुल सरकारी अभिलेख मिल जाते हैं कि परिश्रमी व्यक्ति यदि इन सबका पूरा अध्ययन करने लगे तो उसका पूरा जीवन इसमें लग जाये। अकबर का जीवन-चरित लिखने वाले व्यक्ति की स्थिति इससे बहुत भिन्न है। अकबर के सम्बन्ध में एक भी अभिलेख-कक्ष की सामग्री सुरक्षित नहीं है। जो अभिलेख बचे हैं, वे अपर्याप्त हैं और उनसे किसी अधिकृत सूची का सकलन नहीं किया जा सकता। (पाद-टिप्पणी। जारेट द्वारा आईने अकबरी का अनुवाद, भाग २, पृष्ठ ५ परिकृत कूटनीतिज्ञ के रूप में उसने अनुशासनहीन सैनिक अधिकारियों और विद्रोही वायसरायों को जो पत्र लिखे हैं वे इस बात के निर्दर्शन हैं कि पूर्व के देशों में किस तरह दक्षतापूर्वक अनुनय-विनय की जाती थी। किस तरह प्रशसा के साथ-साथ छिपे रूप में धमकियाँ दी जाती थीं और किस प्रकार कोई निश्चित आश्वासन दिये विना इनाम और वचन दिये

जाते थे। इन कृतियों में, जिनके बारण उसे प्रसिद्धि मिली, सुदीर्घ और किलप्ट वाक्य भरे पढ़े हैं जिनका अर्थ लगाना कठिन है।……मैंने इन शृणियों के कठिन मूलपाठ को पढ़ने का परिश्रम बरना आवश्यक नहीं समझा।)

इस तरह अकबर के काल का जो कुछ अभिलेख उपलब्ध है, वह सब कूड़ा है। अशिक्षित बर्बर शासकों के शासन से आशा भी क्या की जा सकती है? इतिहासकारों ने यह सोचने में गलती की है कि पर्याप्त मात्रा में अभिलेख रखे जाते थे।

इसी पुस्तक में पृष्ठ २ पर कहा गया है कि “दरवारी पत्रों के उपलब्ध न होने वा कारण यह नहीं है कि अकबर अपने कायों और कथनों का अभिलेख नहीं रख पाया। प्रतिदिन जब वह दरबार में बैठता था, तब मच के नीचे खड़े हुए चतुर इतिवृत्त लेखक उसके द्वारा बहे गये हर शब्द को लिपिबद्ध करते थे और उन्होंने उसके हर साधारण-से-साधारण काम थोर कथन को अकित किया।”

डाउसन ने अपनी पुस्तक में (भाग ६, पृष्ठ १४७) बहा है कि “ये पत्र विसी परिचित के साथ आपसी बार्तालाप जैसे हैं एव उनमें जगह-जगह पश्च भरा पड़ा है। उनमें महत्व की बोई बात नहीं है और उनमें उम ममय के राजनीतिक सम्बन्धों पर बहुत कम प्रकाश पड़ता है। लेपिटनेंट रिचर्ड ने इन सब पत्रों का अनुवाद सर एच० एम० इलियट के लिए लिया और लेद इन बात का है कि जितना परिश्रम उनपर लिया गया, उसमें अधिक महत्व उनका नहीं था।”

स्पष्ट है कि मध्यकालीन इतिहास लिखने वाले ये आधुनिक लेखक अबुल फजल जैसे दरबारी इतिवृत्त लेखकों और मनगरेट जैसे धूरोपोम पर्यटकों वे उन वर्तन्धों से अन्तिम में पड़ गये हैं कि बहुत से मुस्लिम इतिवृत्त लेखक अबबर के चारों ओर जमघट लगाय় रहते थे और वह जो कुछ भी कहता था, उसे ये तुरन्त लिख लेने थे। यदि इन तत्कालीन वर्तन्धों को उचित मन्दिर में ठीक में समझा जाये तो यह मत है कि आधुनिक नेत्रकों वी यह आपत्ति भी ठीक है कि बोई महरबूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

लात्तिक दृष्टि से यह बहुता सच नहीं है कि अबबर वे कथनों ओर

गमी महस्त्वपूर्ण कार्य-कलापों का यथातथ्य विवरण रखा जाता था। ऐने अभिलेख रखने की सर्वप्रथम आवश्यकता यह है कि बहुत लोग पढ़े-लिखें हों, नियमित प्रशासन की व्यवस्था हो एवं ससार की समस्त सुविधायें उपलब्ध हों। दीसवी सदी में गमी क्षेत्रों में सर्वव्यापी प्रगति करने वाला अमरीका जैसा देश आज भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसका राष्ट्रपति जो कुछ कहता है उसके प्रत्येक शब्द का समुचित अभिलेख रखा जाता है। ऐसी स्थिति में हम यह कैसे मान सकते हैं कि उस काल में जब ६६ प्रतिशत जनता अशिक्षित थी, लेखन-सामग्री दुर्लभ थी, स्थाही सुखाने के लिए रेत की आवश्यकता होती थी, तानाशाही राज्य किन्हीं अभिलेखों के बिना काम कर सकता था और आशुलिपि को लोग जानते नहीं थे, तब इतने विस्तृत अभिलेख रखे जाते होगे। यह विश्वास करना भी हास्यास्पद है कि दरवार के सम्पूर्ण अभिलेखों में ने सुदीर्घ सशिष्ठ भाषा में लिखे गये और कम महस्त्वपूर्ण पत्र तो बचे रहे गये हैं परन्तु शेष सब रहस्यमय ढग से लुप्त हो गये हैं। वास्तव में तथ्य यह है कि जो कुछ लिखित रूप में रखा गया था, वह सब ये पत्र ही हैं जो हमें उपलब्ध हैं। शेष काम मौखिक रूप से ही चलता था। मुस्लिम शासक के दरवार में जैसा कार्य-व्यवहार चलता था, उसके कारण भी यह आवश्यक था कि अधिकाश व्यवहार मौखिक ही हो। दरवारी बातावरण में पढ़्यन्त्र, काम-वासना, धोखेबाजी, विश्वास-हीनता, रिश्वत, भ्रष्टाचार, माई-भतीजावाद, चापलूसी यहीं सबकुछ तो था। जहाँ ऐसा बातावरण हो, वहाँ सुव्यवस्थित प्रशासन कैसे सम्भव है? इसलिए जो कुछ पत्र हमें मिल सके हैं वे राजधानी से बहुत दूर रहने वाले विद्रोही सेनापतियों या गवर्नरों को समझाने-मनाने या धमकी देने और नियन्त्रित करने के लिए लिखे गये थे। इसलिए आज के इतिहासकार निश्चयपूर्वक यह मानकर चल सकते हैं कि जो कुछ अभिलेख रखा जाता था, यह भव उन्हें उपलब्ध है। जो कुछ उपलब्ध है उससे अधिक लिखा नहीं गया था और इसलिए उनके नष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठना।

तब प्रश्न यह है कि अबुल फज्जल और मनसरेंट जैसे लेखकों ने यह जो चात दावे के साथ कही है कि दरवार में जो कुछ भी होता था उमका सही-मही अभिलेख रखा जाता था, उससे क्या समझा जाये? समकालीन मुमल-

मानो के विषय में इस प्रश्न का उत्तर मनमरेट जैसे यूरोपीय पर्टटो के बवनव्यों से थोड़ा भिन्न होगा ।

अपने अस्तित्व का औचित्य बनाये रखने के लिए और अपनी जीविका को भरल बनाने के लिए अद्युल फज्जल जैसे दरवारी कर्मचारी ऐसा स्वींग रखते थे कि दरवार में जो कुछ होता है, उसका सही आलेखन करने के लिए वे सदैव तत्पर रहते हैं । यदि वे ईमानदारी के साथ परिधम बरना चाहते और जो वहाँ होता था, उसे लिपित रूप में लगाना चाहते तो भी छवनि-त्सेखन, आशुलिपि, लेखन-सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं के अभाव में उनके लिए वैसा करना न तो व्यावहारिक था, और न सम्भव । इसके अतिरिक्त इन इतिवृत्त लेखकों को इन बात में बोई रुचि नहीं थी कि वे गभी कार्य-व्यवहारी का समुचित आलेखन बरें । तीमरे, दरवार में जो कुछ होता था, वह अधिकादातः अत्यधिक अग्रिष्ठ होता था जिसे लिपित रूप देना अभद्र होता । इसके अतिरिक्त अद्युल फज्जल और बदायूंनी जैसे चापलूस इतिवृत्त लेखकों को यह स्वींग करना पड़ता था कि वे हमें निरानने में व्यस्त रहते थे । आखिर यह देखने वाला बौन था कि उन्होंने क्या लिखा और कैसे लिखा और कुछ लिखा भी या नहीं ? उन्होंने लेखन का बोई निरीक्षण-कर्ता नहीं था । बोई उत्तरदायी चुदिमान और लिपित निरीक्षक उनका नियन्त्रण नहीं करते थे । जिम प्रकार मनमोजी छात्र कक्ष में बैठकर पागज पर कुछ-न-कुछ घसीटते रहते हैं जिगमे अध्यापक यह समझे कि वे नोट्स लिखने में बहुत व्यस्त हैं इसी प्रकार ये इतिवृत्त लेखक भी अबबर के चारों ओर जमघट लगाकर अपनी कलम छनाते रहते थे और बादशाह जो कुछ बहता था, उसकी प्रशामात्मक स्वीइति में मिर हिलाते रहते थे । बास्तव में वे कुछ भी नहीं लिखते थे । यदि वे कुछ बरते भी थे तो बैचल कागज पर बलम लगाकर कुछ आवृतियाँ बनाते या काल्पनिक शब्द लिख देते थे । यदि वे मवकुछ लिखते भी थे, तो स्वींग पूरा होने के बाद उसे नष्ट कर देते थे । यही बारण है कि हमें बैचल वही पत्त उपनध्य हैं जो बास्तव में लिखे गये थे और भेजे गये थे ।

मनमरेट ने लिया है कि अबबर “इतिवृत्त लेखकों के दल में से थार या पौच को प्रनिदिन के काम के लिए नियुक्त बरना है । सचिव बादशाह के कार्य और आदेशों का आलेखन करते हैं । वे उसके कहे हुए शब्दों को

इतनी गति से लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि वे सावधानी के साथ उसके शब्दों को समझकर लिख लेते हैं। (पाद-टिप्पणी : उन्हे बाक्यानवीस या इतिवृत्त-लेखक कहा जाता था) (पृष्ठ २०५-२०६, कमेटी) ।"

एक तीसरे, निलिप्त व्यक्ति का अभिकथन होने के नाते हम उपर्युक्त विचार को बहुत महत्त्व देते हैं। परन्तु हमारा आग्रह है कि अन्य सब साक्षों की तरह इस अभिकथन का भी उचित रूप से विश्लेषण तथा परीक्षण किया जाना चाहिए।

पहली बात यह है कि अकबर प्रशासकों की भीड़ अपने चारों ओर रखना पसन्द करता था, इसलिए ये इतिवृत्त लेखक उस नाटक-मण्डली में फिट बैठते थे।

दूसरे, बादशाह मलामत की सेवा का बहाना भी इन इतिवृत्त-लेखकों के पक्ष में था क्योंकि उन्हे उसके लिए वेतन मिलता था। बादशाह के निकट रहने और उसका विश्वास प्राप्त करने से उनके अहं को बढ़ावा मिलता था और दूसरे दरवारियों की अपेक्षा उनका हाथ ऊपर रहता था। यही कुछ गिनेन्कुने लोग थे जो पढ़ना-लिखना जानते थे और जिनकी रुचि कुरान और दूसरे धार्मिक विषयों और दरबारी पढ़न्दों में बहुत अधिक नहीं थी, इसनिए उनसे यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वे बुद्धिमत्ता-पूर्ण अभिलेख तैयार करेंगे।

उनसे यह आशा भी नहीं की जा सकती थी कि वे इतने मूर्ख होंगे कि हर उस बात को भी अभिलिखित कर देंगे जो प्रत्यक्ष रूप से भी बादशाह या उसके दरवारियों के लिए अपवाहकारी हो।

किसी समय यदि कोई इतिवृत्त लेखक कोई निन्दात्मक बात लिखने का साहस करता भी था तो उसे बादशाह की अनुमति अथवा सहमति के बिना यथावत् नहीं रखा जाता था। कोई मूर्ख इतिवृत्त लेखक कोई निन्दात्मक, अपमानजनक या लाञ्छनकारी बात लिखकर उसे बादशाह के सामने प्रस्तुत करने का साहस करता तो यह स्वाभाविक था कि उसके और उसके अभिलेख के टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाते।

भारत में मुस्लिम शासनकाल में कोई उपयोगी अभिलेख रखने में कई प्रकार की वाधायें थीं। कर्त्तल, लूट, धोखेवाजी, कामुकता, मद्यपान, अत्याचार और उत्पीड़न के आधार पर चलने वाले शासन में यह आशा नहीं की

जाती कि वे कोई समुचित अभिलेख रखेंगे । यदोंकि हर समय यह सम्भव ना होती थी कि यदि अभिलेख किसी जनु के हाथ पड़ जायेगे तो जन-मामान्य में उनकी भत्तेना होगी ।

मनसरेट ने जो विचार व्यवत दिया है, उम्रवा निहिताथं क्या हो मरता है ? उत्तर बहुत भीधा है । मनसरेट विदेशी था और उसे फारसी, मुमलमानों के रीति-रिवाज और मुस्लिम दरवार के बायं-व्यबहार की जानकारी नहीं थी । इसलिए उसे यह जानकारी नहीं हो सकती थी कि वे चापलूस इतिवृत्तनेषक के बल वादशाह के अह की पूति के लिए एव दरवारियों पर रोब जमाने के लिए रगे जाते थे ।

तथापि हम मनसरेट के अभिमत का आदर बरते हैं । बहुम सोच-समझकर उमने ये जट्ठ लिये हैं कि "ऐसा लगता है कि वे मावधानी के साथ उसके शब्दों को मध्यकर लिख लेते हैं ।" 'ऐसा लगता है' शब्दों वा निहिताथं यही है कि लेखक विसी बात के लिए बचनबढ़ नहीं होना चाहता और उसे मराय है । हम मनसरेट के अभिक्यन से पूर्णत सहमत हैं । हमारा विचार भी यही है कि वादशाह ने चारों ओर जो इतिवृत्त लेपक रहते थे, वे सबकुछ करते थे, परन्तु लियते नहीं थे ।

इसमे हर विद्यार्थी और अनुमधानकर्ता को इस बारे मे मजग हो जाना चाहिए कि मध्यकाल के सम्बन्ध मे प्रत्येक उत्तेज वो तत्त्वालीन परिप्रेक्ष्य मे रखकर परखना होगा । हमें विचार बरना होगा कि कोई उत्तेज वब किया गया, क्यों किया गया एव किमने किया । ऐसा विश्लेषण बरने पर प्रायः यह ज्ञात होगा कि इन उल्लेखों का या तो कोई अर्थ नहीं है या पिर ढनका अभिधार्थ लदयार्थ मे वित्तुल विपरीत है ।

अधिकाश आधुनिक विद्वान् अद्युन पञ्चन के अबवरनामे पर अधिक विश्वास बरते हैं, यद्यपि उन्हें पता है कि वह व्यक्ति पूरी तरह अविश्वमनीय और चापलूस था । आइने-अबवरी उफ़ अबवरनामा को अबवर के शामनकान का बापी विश्वमनीय अभिलेख मानने वाने ये लोग हम तथ्य वो अधिक महत्व देते हैं कि "अबवरनामे का लेनन अद्युन पञ्चन ने भारी आदेश पर विद्या या भीर स्वयं अबवर ने आशिक रूप मे उम्रवा सजोधन किया था ।" (पुस्ट ४, अबवर : दी ग्रेट मुगन, स्मिय) ।

हम इस बात पर बन देना चाहते हैं कि इस बात को देखने हुए हि

अकबर ने अकबरनामे का संशोधन किया, यह पुस्तक और अधिक अनुपयोगी और अकबर के पक्ष में किये गये दावों के मामले में खतरनाक हो जाती है।

जिस प्रलेख का आलेखन किमी चापलूस इतिवृत्त लेखक ने किया हो और जिसे बाद में प्रशंसा चाहने वाले तानाशाह शासक ने सौंसर किया हो, उस प्रलेख का वया विशेष मूल्य हो सकता है? इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास की खोज के कई मूलभूत पक्ष उलट-पलट हो गये हैं। पहले इन्हें व्यवस्थित रूप में रखना होगा, तभी उनसे सही निष्कर्ष निकालना सम्भव होगा। “भारतीय इतिहास की भर्यंकर भूलें” नामक पुस्तक में हम यता चुके हैं कि जिस भवनों और नगरों के निर्माण का श्रेय मुस्लिम शासकों को दिया जाता है, वास्तव में उन्होंने उन्हे नष्ट किया था। यह भी ममक लेना चाहिए कि जिस इतिवृत्त पर मुस्लिम शासक का सौंसर हो चुका है, वह और भी अधिक अनुपयोगी हो जाता है।

अब प्रश्न हो सकता है कि जब इतने अधिक असगत अस्तव्यस्त प्रलेख उपलब्ध हैं, तब क्या हम मध्यकाल के इतिहास का पुनर्निर्माण करने का प्रयत्न छोड़ दें? हम पाठक को विश्वास दिला सकते हैं कि इससे हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मानव का मस्तिष्क और बुद्धि इतनी विकसित हो चुकी है कि धोखेबाजी और जालसाजियाँ उसे सत्य तक पहुँचने से रोक नहीं सकती। हत्या इत्यादि के मामलों की जांच-पड़ताल को ही लीजिए। इन अपराधों में ही सत्य के अंकुर छिपे रहते हैं। प्रथम सन्देह या मशय होने पर जांच शुरू हो जाती है। मामले की विभिन्न सम्भावनाओं की पड़ताल सावधानी में की जाती है। जैमं-जैसे जांच-पड़ताल का काम आगे बढ़ता है, छोटे-छोटे मूल मिलने लगते हैं। इन सकेतों को पकड़कर बुशायता और धैर्य के साथ आगे बढ़ने पर उस काले कारनामे की पूरी तस्वीर मामने आ जाती है।

भारतीय इतिहास का अनुसधान इन शताव्दियों में गलत दिशा में चलता रहा है जिसके कारण इतिहास की पुस्तकें असगत निष्कर्षों से भर गई हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि इतिहास की गवेषणा के मामले में अपराधों की गवेषणा के ढग को या तो भूला दिया है या उनकी उपेक्षा कर दी गई है। इतिहास की पाठ्य-पुस्तकों में जो बातें लिखी गई हैं, उनकी

जीच-पड़ताल करने का कोई गम्भीर या सजग प्रयत्न नहीं किया गया है। सम्भवत वभी यह विचार भी नहीं किया गया था कि मध्यवाल के प्रलेशों में जो दावे किये गये हैं उनका लक्ष्यार्थ उनके अभिधार्थ में पूर्णत विपरीत होगा।

ऐसी मजगना के अभाव के कारण ही अधिकाश लेखन पहले तो पाठ्य को मावधान बरते हैं कि मुस्लिम इतिवृत्त-लेखकों की कही हुई बातें विश्व-गनीय नहीं हैं और फिर उन्ही कथटपूर्ण इतिवृत्तों के आधार पर वे आधिकारिक इतिहास लिखना प्रारम्भ कर देते हैं।

तुछ पाठक अनजाने में यही आरोप हम पर भी लगा सकते हैं। इम-लिए हम अपनी स्थिति स्पष्ट कर देना चाहते हैं। जब कोई हत्यारा हत्या करके शव के पास जाली प्रलेख छोड़ देता है तो हम अपराध बरने के दृग और उद्देश्य दोनों की जीच-पड़ताल में अपराधी को अन्तर्गत करने की दृष्टि से उस प्रलेख को बहुत महस्त्वपूर्ण साधन के रूप में दाम में लेते हैं। परन्तु केवल इस कारण कि हम जालसाजी को जालसाजी बरने वाले के विरुद्ध उपयोग में लाते हैं, यह आप्रह करने का अधिकार नहीं मिल जाता कि हम यह स्वीकार करें कि उस प्रलेख की अन्तर्वस्तु सच है। इसके विपरीत जानमाजी के तथ्य में इतिहास की गवेषणा बरने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई निष्कर्ष निकालते हुए सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे निदेशों पर चलवर इतिहास की खोज की जाये तो मनगढ़न इतिवृत्तों के ममृत में से भी सत्य को निकाल लेना सम्भव होगा।

इमनिए मुस्लिम इतिवृत्त लेखकों के बारे में विचार करते हुए निराश या हतादा होने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए जब बदायूँनी मरने वाले प्रत्येक हिन्दू को ऐसा कुत्ता बताता है जो नरक में चला गया, हमें उसपर तबतक विश्वास करने की आवश्यकता नहीं जबतक स्वयं हमें यह विश्वास न हो जाये कि बदायूँनी स्वयं नरक के दरवाजे पर यह देखने के लिए नियुक्त था कि केवल हिन्दू ही उस नरक में प्रवेश करें, मुमिन नहीं। परन्तु जब वही बदायूँनी अपने सहयोगी इतिवृत्त लेखन अनुरा फ़ड़ल को "येशमं चापलूम" बताता है तब हम उसके जीवन और कृतन्य को ध्यान में रखते हुए और प्रायः सभी इतिहासकारों के मर्दसम्मत निष्कर्ष से प्रोत्त्वाद्वित इस कथन को सत्य मान सकते हैं। इमनिए यह आम क

आपात्ति निर्मूल हो जाती है कि यदि हम मुस्लिम इतिहास-लेखकों की कृतियों पर सन्देह करते हैं तो हमें उनके किसी भी अश पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसके विपरीत विज्ञ बुद्धि का आग्रह यही है कि हम जाँच-पड़ताल करके मध्य को झूठ से बलग कर ले ।

हम भारतीय इतिहास के अनुसन्धाताओं के इम विचार से सहमत हैं कि मुस्लिम काल के जो मनगढ़न्त इतिवृत्त उपलब्ध हैं वही हमारे लिए आधार सामग्री का काम देते हैं। फिर भी हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि जिम तरह कोयले के ढेर में से चुनकर हीरा निकाला जाता है और तलछट से रेडियम निकलती है इसी तरह इस आधार-सामग्री में मैं भी मध्यकाल का नियमपूर्ण इतिहास निकाल लेना सम्भव है ।

ऐसी परीक्षा करें तो पता चलेगा कि मुस्लिम दरवारों में जो इतिवृत्त-लेखक नियुक्त किये जाने थे वे केवल दिखावे के लिए होते थे। ये लोग देखने में तो अपनी कलम चलाते रहते थे, परन्तु वास्तव में ये कोई भी उपयोगी वात नहीं लिखते थे ।

जो इनिवृत्त हमें उपलब्ध होते हैं, वे उन्होंने अवकाश के समय अपनी कल्पना में लिखे थे या फिर स्वयं बादशाह या किसी प्रमुख दरवारी द्वारा लिखवाये गये थे ।

अबुल फज्जल यह भी मनेत छोड़ गया है कि इन इतिवृत्तों या उनके कुछ भागों की लिखाई में बादशाह की या स्वयं अबुल फज्जल की कल्पना का हाथ था। कहने का आशय यह है कि जब अबुल फज्जल यह कहता है कि कई बार बादशाह ने मेरे लेखन का परीक्षण किया, उसे सुधारा, उसमें बृद्धि की, स्वोकृप्ति दी या उसे बदला, तो हम उम्पर पूरी तरह विश्वास करते हैं। वास्तव में हम इम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सभी मुस्लिम इतिवृत्त लेखकों को अपने द्वारा लिखे हुए इतिवृत्त दरवार के आश्रयदाताओं से पूर्णत सेसर कराने पहते थे ।

हम देखते हैं कि कामगर खाँ जैसे इतिवृत्त-लेखक ने दुःखी शाहजहाँ को प्रमन्न करते के लिए एक पूरा जाली जहाँगीरनामा लिख डाला था ।

यही कारण है कि जहाँगीर और अकबर जैसे नरेवाज और शराब-खोर लोग इन मादक द्रव्यों की खुलेआम बुराइयाँ करते दिखाई देते हैं ।

सत्य की खोज करने वाले प्रत्येक इतिहासकार को हम सावधान कर

देना चाहते हैं कि वे जहाँगीर अथवा अकबर, फिरोजशाह अथवा दोरशाह, तैमूरसंग अथवा तुगलक सम्बन्धी वयनों के एक शब्द पर भी विश्वाम न बरे ।

जिन सड़कों, भवनों, नहरों, पुलों, गरीबगानों, बागों, भीनारों, मस्जिदों और मकबरों के निर्माण का श्रेष्ठ मुमलमानों को दिया जाना है, वे वास्तव में हिन्दू मम्पत्ति थे ।

अकबर ने सम्बन्ध में यह कहना एकदम हास्यास्पद है कि उसने जिजिया वर को समाप्त किया था या सनी-प्रथा को बन्द किया था ।

ये सब बातें या तो इतिवृत्त लेखक ने अपनी ही कल्पना में लियी हैं या पहले उसने ऐसा इतिवृत्त लिखा और बाद में बादशाह ने या उसके दिसी विश्वस्त दरवारी ने उसमें सदीघन, परिवर्तन, परिवर्द्धन किया ।

बदायूँनी ने यह कहकर मुस्लिम इतिवृत्त-लेखकों का एक रहस्य बना दिया है कि जब अकबरनामा लिखा जा रहा था तब एक दरवारी आया और उसने यह लिखने का आदेश दिया कि अकबर ने नगरर्थन नामक एक भव्य नगर की स्थापना की थी । बेचारे बदायूँनी ने शाही आदेश का पालन किया परन्तु माथ ही यह बात भी लिख दी कि मुझे उस नगर का कोई भी निशान देखने को नहीं मिला ।

अबुल फज्जल को, जो मुस्लिम इतिवृत्त लेखकों में प्रमुख था, टीक ही प्रमुख चापलूम माना गया है । चापलूमी ने गुण ने ही उसे इनी प्रतिष्ठा प्रदान की थी । वह चापलूमी की अपनी नीति में एकदम सफल रहा, इस चापलूमी के महारे वह दरवार में अपने लिए बामना, आनन्द, सम्मनना और वितामिना का जीवन सुनिश्चित करने में सफल हो गवा ।

अबुल फज्जल के इतिवृत्त आईने-अकबरी को एक मरमरी निगाह में पढ़ने ही पना चल जायेगा कि यह आद्योगिक चापलूमी से ढमाठम भरा है ।

यहाँ हम दृष्टान्त रूप में कुछ उद्धरण देने हैं—

"बादशाह मनामन व्यापार में अच्छी व्यवस्था और ओचिय वो वहुत प्रमन्द बरते हैं ।" (आईन १५) ।

"बादशाह मनामन ने एक मोमबत्ती का आविष्कार किया है जो एक गज ढौंची है ।" (आईन १८) ।

“बादशाह सलामत ने २०० से अधिक संगीत-स्वर तैयार किये हैं।”  
(आईन १६) ।

“चौदोस घण्टे में बादशाह सलामत सिर्फ एक बार खाते हैं और वह भी पूर्णतः पेट भरकर नहीं खाते।” (आईन २३) (हमें आचार्य है कि जिस व्यक्ति ने सारा जीवन दूसरों के मुँह की रोटी छीनने में लगा दिया, वह अल्पाहारी कैसे हो गया ! )

“बादशाह सलामत मास की कतई परवाह नहीं करते।” (आईन २६)  
(इन वाक्य का मतलब ठीक बया है यह समझ में नहीं आता ।)

“बादशाह सलामत को संगीत का ऐसा ज्ञान है जैसा प्रशिक्षित संगीत-कारों को भी नहीं था।” (पृष्ठ ५४) (अकबर को संगीत किसने सिखाया और युद्ध की दुंडुभी और लोगों की चौखो-मुकार के बीच उसे संगीत सीखने का ममत्य कब मिला ? और यदि वह इतना ही सिद्धहस्त संगीतज्ञ था तो बया उमने कोई भावेजनिक संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किये या कोई संगीत विद्यालय खोला ? )

“बादशाह सलामत ज्यादा नहीं पीते हैं परन्तु वे इस मामले (आवदार खाना) पर बहुत ध्यान देते हैं। (जब वह अधिक पीता नहीं था, तब उसे शराब पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? )

“बादशाह सलामत के बस्तव मध्यी को, चाहे वह लम्बे हो या छोटे एक-दम ठीक आते हैं। (वही, पृ० ६६) (इसका आश्रय यह है कि अकबर को यह कमाल हासिल था कि वह जब चाहे अपनी पोशाकों को छोटा या बड़ा कर देता था। शुक्र है कि हमें वताया नहीं गया कि उसके कपड़े गधों और खच्चरों या चीतों और लकड़वाघों को भी पूरे आ जाते थे।)

“बादशाह सलामत (चित्रकारी तथा साहित्य) दोनों पर काफी ध्यान देते हैं और रूप-विचार के अच्छे निर्णयिक हैं। पृष्ठ १०३) (तब युद्ध कौन करता था ? )

“बादशाह सलामत ने ऐसी तोपों का आविष्कार किया जिन्हे दागने के लिए माचिस की आवश्यकता नहीं होती। (एक खास साइज के) गोले भिंफे बादशाह सलामत ही दाग सकते हैं और कोई नहीं।” (वही, पृ० १२०) ।

“बादशाह मलामत ने एक चक्र के बा आविष्कार किया जिसकी मदद में एक ही समय में १६ बैरल साफ़ किये जा सकते हैं।” (पृ० १२२)।

“बादशाह सलामत सभी तरह के हाथियों पर मवारी कर सकते हैं।” (पृ० १३४)।

“बादशाह सलामत को कुत्तों के पालन की बहुत अच्छी जानकारी है।” (पृ० १३८)।

“बादशाह मलामत की निष्ठाथों का वर्णन बरना मेरी शक्ति में बाहर है।” (पृ० ३६३)।

“बादशाह के विशेष गुण इनसे अधिक है कि उनका पूरा वर्णन बरना मेरी शक्ति से बाहर है।”

“एक फैक्टर ने अपनी जीभ बाट ढाली और उसे महल में दखाने की तरफ फैक्टर बहा कि अगर अववर पैगम्बर है तो मेरी जीभ किर मे गलामत होकर लग जानी चाहिए। दिन छिपने से पहले उसकी मुराद पूरी हो गई।” (पृ० १७३)।

“बादशाह मलामत ने रमायन-शास्त्र की जानकारी भी प्राप्त की थी, और उन्होंने कुछ मोना सार्वजनिक रूप से दियाया जो उन्होंने तैयार किया था।” (पृ० ३२४)।

इस तरह अवुल फजूल येशमी के साथ अववर की खापलूमी बरता चला जाता है। और निरन्तर “बादशाह सलामत, बादशाह मलामत” पहुँचा चला जाता है। वह कभी उसे फैक्टर बनाता है, कभी पशुपालक, कभी हाथी पालने वाला, कभी तोप बनाने वाला, कभी आविष्कर्ता, रमायन-शास्त्री और जातूगर बनाता है और उसे शराबी, द्युमितारी, हस्त्यारा, हिन्दुओं से घृणा बरने वाला और सुटेरा छोड़कर याकी मब कुछ कहता है—जो यह बास्तव में था।

मैंद है कि खापलूमी के इस वर्णन को सोग उत्कृष्ट ऐतिहासिक वर्णन मानते हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि अववरनामे के तीनों भाग मरागर जानगाजी और धोगे का घण्डल हैं।

परन्तु यह अवश्य मानना होगा कि मध्यरात्रि के मुसिलम इतिहास लेखक बम-मै-बम एक यान में ईमानदार थे। उन्होंने हिन्दू धर्म के प्रति अपनी घृणा को गुले-आम और अमन्दिग्ध शब्दों में व्यक्त किया है। यही

तक कि हिन्दुओं को हिन्दू कहने की अपेक्षा उन्हें काफिर, चोर, डाक्, लुटेरे, गुलाम, कुत्ते, वैष्णवाएँ और बदमाश जैसे शब्दों से सम्बोधित किया। हिन्दुओं के साथ बलात्कार, लूट और हत्या का वर्णन भी वे इतनी ही स्पष्टता से करते हैं। इसका उदाहरण नियामतुल्ला की पुस्तक “तारीख-ए-खान-जहान लोदी” (भाग ६, इलियट एण्ड डाउसन) में देखा जा सकता है जिसमें उसने पूर्ण सचाई के मायथ बताया है कि किम तरह सिकन्दर लोदी हिन्दुओं का कल्पे-आम करने में लगा रहा।

छलकपट से पूर्ण इन विवरणों की छानबीन करके हम बता चुके हैं कि अकबर पूर्णतः धर्मनिधि, पाखण्डी, शारावणी और चरित्रहीन व्यक्ति था।

इससे समझा जा सकता है कि किसी भी सार्वजनिक संस्था के साथ अकबर का नाम जोड़ना कितना धातक और खतरनाक है। सार्वजनिक संस्थाओं के साथ लोगों का नाम इसलिए जोड़ा जाता है कि आने वाली पीढ़ियाँ उनके नाम को याद रखें। अकबर के बारे में इतने तथ्य जानने के बाद आने वाली पीढ़ियाँ उसे कैसे याद रखेंगी?

अकबर के नीचतापूर्ण जीवन-परिचय को सावधानी से छिपाकर ही नहीं रखा गया है, प्रत्युत उसे थेप्ता से अलकृत करके प्रस्तुत किया गया है वयोंकि उसके परवर्ती मुस्लिम बादशाह उसके बाद २५३ वर्ष तक भारत के मुख्य भाग पर राज्य करते रहे थे। अब भी वही धूतंता चल रही है जिसका कारण यह है कि झूठ वात को बार-बार दोहरातं रहने से अब वह मच मानी जाने लगी है।

कम-से-कम भारत में धर्म-निरपेक्षता का आश्रय लेकर साम्प्रदायिक समता और सौहार्द की झूठी भावनाओं के कारण अकबर को उतना ही उच्च घोरव दिया जाने लगा है जितना अशोक को, वयोंकि यह एक भ्रान्त-भी धारणा बन गई है कि अशोक जैसे महान् हिन्दू राजा के समकक्ष कोई मुस्लिम वासक भी होना चाहिए। इसी उद्देश्य से अकबर की दुश्चरित्रना पर महानता का आवरण डाल दिया गया है। हमने गाँव में समाज-सेवा कार्य के लिए भेजी जाने वाली एक मोटर-गाड़ी अकबर के नाम पर देखी है। गाँव के लोग उत्सुकतापूर्वक इस गाड़ी के चारों ओर एकवित हो जाते थे। उन्हें यह जात नहीं था कि उनके पूर्वज अकबर के समीप आते ही भय में भाग खड़े होते थे।

यदि किसी होटल का नाम अबवर के नाम पर रखा जाये तो उसमें व्यासुविधाएँ होनी आवश्यक हैं, इसका बर्णन अबवर वे इतिवृत्त-सेक्सक अवृत्त फजल ने कर दिया है। उमने लिखा है—‘बादशाह सलामत ने महलों के नड़दीक शराब की एक दुकान खुलवा दी है। सल्तनत में वेश्याओं की मूल्या इतनी अधिक हो गई थी कि उनकी गिनती नहीं हो सकती थी यदि कोई दरवारी किसी कुंवारी लड़की को अपने पास रखना चाहता था तो उसे पहले बादशाह की अनुमति लेनी होती थी। इसी तरह अप्राप्तिव्यभिचार प्रचलित था और नशेबाजी के बारण धून-खराबा हो जाता था। बादशाह सलामत ने स्वयं मुरुद्य वेश्याओं को बुलवाया और पूछा कि प्रथम बार किसने उनका शीलभग किया था।’ जिस बादशाह के पास इसना समय है कि वह अपनी सल्तनत की वेश्याओं को गिने, उसकी कुंवारी लड़कियों की गिनती करे, और जो बादशाह उनमें से प्रत्येक से सतीत्व के हरण के बारे में पूछने को उत्सुक रहे, उसकी नीचता की बत्तना पाठक स्वयं करें।

खैर, हमारी समझ में नहीं आता कि विस होटल वा मैनेजर वे सब मुविधाएँ उपलब्ध करायेगा जिन्हे अबवर ने प्रारम्भ किया और सरक्षण दिया।

विसेट स्मिथ ने व्हीलर का उद्धरण देते हुए लिखा है कि “अबवर ने जहर देने वाले एक व्यक्ति को नीकर रखा हुआ था” जिसका बाम यह था कि अवाञ्छिन व्यक्तियों को जहर दे दिया करे। क्या अबवर वे नाम से चलने वाले होटलों में भी ऐसा कोई अधिकारी होना चाहिए?

अबवर के नाम से चलने वाली सहश्याओं पर बहुत उत्तरदायित्व है। यदि इन सबमें अबवर वे जीवन के निष्पत्ती के अनुमार कार्य किया गया तो मार्वर्जनिक जीवन में गन्दगी फैल जायेगी।

इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि ऐतिहासिक विवरण बत्तना पर आधारित न होकर यथातथ्यपूर्ण हो।

यह भी आवश्यक है कि धर्म-निरपेक्षता वे आवरण में आगे बढ़ने वाली साम्बद्धायिकता को राजनीतिक आवश्यकता के साथ मिलाकर इनिहास के साथ छेड़छाड़ या तोड़-मरोड़ न करने दिया जाये।

इसी परियोग्य में हमने यह आवश्यक समझा कि अबवर के जासन-बाल के इतिहास को यथातथ्य रूप में प्रस्तुत किया जाये।

: २५ :

## अकबर का मकबरा हिन्दू राजभवन है

(अकबर की सारी प्रजा उसे धृणा की दृष्टि से देखती थी, यहाँ तक कि उसके सम्बन्धी तथा दरबारी भी उससे धृणा करते थे। उसकी मृत्यु को लोगों ने उसके स्वेच्छाचारी शासन से मुक्ति समझा। जिस ढंग से उसे दफनाया गया, उससे यही प्रकट होता है कि सभी की दृष्टि में वह धृणा का पात्र था।

विसेंट स्मिथ का कथन है कि “मृत ‘सिंह’ की अन्त्येष्टि विना किसी उत्साह के जल्दी ही कर दी गई। परम्परा के अनुसार दुग्न में दोबार तोड़कर एक मार्ग बनवाया गया तथा उसका शब्द चूपचाप सिकन्दरा के मकबरे में दफना दिया गया।” (अकबर, डी ग्रेट भुगल, पृ० २३६)।

प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि अकबर से सभी प्रेम करते थे तथा वह आदर की दृष्टि से देखा जाता था तो इस प्रकार शीघ्रतापूर्वक विना किसी उत्साह के उसे नहीं दफनोन्मान जाता!—

केवल इतना उल्लेख ही पर्याप्त नहीं है। इस सम्बन्ध में हम एक और महत्त्वपूर्ण तथ्य का विवेचन करेंगे। हमारा यह निश्चित मत है कि अकबर के मृत्यु-स्थान के सम्बन्ध में भी गलत निर्देश देकर धोका दिया गया है। आगरे के लाल किले में अकबर की मृत्यु होने सम्बन्धी जो पारम्परिक विवरण प्राप्त होता है—वह सही नहीं है। यदि उसकी मृत्यु आगरे के लाल किले में हुई होती तो वहाँ से ६ मील दूर सिकन्दरा में उसे दफनाने सम्बन्धी कार्य को ‘शीघ्रतापूर्वक’ विना किसी औपचारिकता के नहीं किया जाता ! ऐसा प्रतीत होता है कि उद्भृत वक्तव्य में, कि अकबर का शब्द दुग्न की दोबार तोड़कर एक मार्ग से बाहर निकाला गया तथा वहाँ से ६ मील दूर उसे दफनाया गया, कोई बात ऐसी है, जिसे जानबूझकर छिपाया गया है।